



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट  
2018-2019

## विषय सूची

पृष्ठ संख्या

### प्रस्तावना

V

### अध्याय - I

#### आर्थिक विभाग

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. आर्थिक प्रभाग                          | 1  |
| 2. बजट प्रभाग                             | 4  |
| 3. वित्त बाजार प्रभाग                     | 7  |
| 4. वित्तीय स्थिरता एवं साइबर सुरक्षा      | 15 |
| 5. वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग | 18 |
| 6. अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग          | 21 |
| 7. निवेश प्रभाग                           | 26 |
| 8. फंड बैंक एवं एडीबी प्रभाग              | 32 |
| 9. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग     | 38 |
| 10. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग    | 44 |
| 11. प्रशासन प्रभाग                        | 45 |
| 12. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग               | 48 |
| 13. एकीकृत वित्त प्रभाग                   | 55 |
| 14. करेंसी एवं सिक्का प्रभाग              | 56 |
| 15. यू एन प्रभाग                          | 64 |
| 16. लेखापरीक्षा अवलोकन                    | 66 |
| अनुबंध                                    | 69 |
| संगठन चार्ट                               | 74 |

## अध्याय II

### व्यय विभाग

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. कार्मिक प्रभाग                          | 75 |
| 2. लोक वित्त-राज्य प्रभाग                  | 76 |
| 3. लोक वित्त केन्द्रीय प्रभाग              | 78 |
| 4. लोक प्रापण प्रभाग                       | 78 |
| 5. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग                | 79 |
| 6. एकीकृत वित्त एकक                        | 80 |
| 7. मुख्य सलाहकार लागत                      | 81 |
| 8. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान       | 82 |
| 9. महालेखानियंत्रक                         | 84 |
| 10. मुख्य लेखा नियंत्रक                    | 87 |
| 11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) | 92 |
| अनुबंध                                     | 96 |
| संगठन चार्ट                                | 98 |

## अध्याय - III

### राजस्व विभाग

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 1. संगठन एवं प्रकार्य                           | 99  |
| 2. राजस्व प्रशासनिक मुख्यालय                    | 100 |
| 3. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 137 |
| 4. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड                 | 192 |
| 5. एकीकृत वित्त एकक (आईएफयू)                    | 252 |
| 6. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन                  | 253 |

|    |                                                        |     |
|----|--------------------------------------------------------|-----|
| 7. | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन           | 254 |
| 8. | ई-गवर्नेंस गतिविधियां                                  | 256 |
| 9. | स्वच्छ भारत अभियान                                     | 261 |
|    | अनुबंध- I - अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व का प्रतिनिधित्व | 263 |
|    | अनुबंध- II - दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व       | 277 |
|    | अनुबंध- III - लेखा परीक्षा रिपोर्ट/पैरा का सार         | 288 |
|    | संगठन चार्ट                                            | 293 |

## अध्याय IV

### निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

|       |                                                                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.    | कार्य                                                                                                 | 295 |
| II.   | दृष्टिकोण                                                                                             | 295 |
| III.  | लक्ष्य                                                                                                | 295 |
| IV.   | संगठनात्मक ढांचा                                                                                      | 295 |
| V.    | सीपीएसईस के विनिवेश से संबंधित नीति तथा कार्य पद्धति                                                  | 295 |
| VI.   | नीतिगत पहल और कार्यनिष्पादन                                                                           | 297 |
| VII.  | हाल ही में विनिवेश में प्रवृत्तियां                                                                   | 297 |
| VIII. | वर्ष 2018-19 के दौरान विनिवेश की मुख्य बातें                                                          | 298 |
| IX.   | 2018-19 के दौरान दीपम की नई पहलकदमियां                                                                | 299 |
| X.    | अशक्त व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए की गई पहल | 299 |
| XI.   | जेण्डर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहल                                                       | 299 |
| XII.  | राजभाषा नीति                                                                                          | 299 |
| XIII. | ई-गवर्नेंस                                                                                            | 299 |
| XIV.  | लोक शिकायतों का निवारण                                                                                | 300 |



|               |                                 |     |
|---------------|---------------------------------|-----|
| <b>XV.</b>    | सतर्कता तंत्र                   | 300 |
| <b>XVI.</b>   | सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005  | 300 |
| <b>XVII.</b>  | बेहतर प्रशासन के लिए पहलकदमियां | 300 |
| <b>XVIII.</b> | लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां | 301 |
| <b>XIX.</b>   | एकीकृत वित्त इकाई               | 301 |
|               | अनुबंध I और II                  | 302 |
|               | परिशिष्ट-I                      | 303 |

## अध्याय V

### वित्तीय सेवाएं विभाग

|     |                                             |     |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 1.  | अनुभागों के बीच कार्य आबंटन                 | 305 |
| 2.  | भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विहंगम परिदृश्य | 309 |
| 3.  | वित्तीय समावेशन                             | 311 |
| 4.  | योजनाएं                                     | 314 |
| 5.  | कृषि ऋण                                     | 320 |
| 6.  | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक                      | 322 |
| 7.  | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार             | 323 |
| 8.  | वित्तीय संस्थान                             | 326 |
| 9.  | बीमा क्षेत्र                                | 328 |
| 10. | पेंशन क्षेत्र                               | 331 |
| 11. | विधायी                                      | 333 |
| 12. | विविध                                       | 333 |
|     | अनुबंध                                      | 337 |
|     | संगठन चार्ट                                 | 340 |

## प्रस्तावना

यह मंत्रालय पांच विभागों से मिलकर बना है अर्थात:-

- ❖ आर्थिक कार्य विभाग
- ❖ व्यय विभाग
- ❖ राजस्व विभाग
- ❖ विनिवेश एवं सरकारी परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दिपम) और
- ❖ वित्तीय सेवाएं विभाग

### 1. आर्थिक कार्य विभाग

#### आर्थिक विकास

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मई 2019 को जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2018-19 में नियत (2011-12) बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2017-18 की तुलना में दर्ज की गई 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। 2018-19 (अग्रिम अनुमान) में नियत (2011-12) आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वृद्धि 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2017-18 में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। क्षेत्रीय स्तर पर, वर्ष 2018-19 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। 2018-19 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में नियत मूल्यों पर जीडीपी में अनुमानित वृद्धि क्रमशः 8.0 प्रतिशत, 7.0 प्रतिशत 6.6 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत रही।

व्यय पक्ष पर जीडीपी के कुल अंतिम खपत की हिस्सेदारी 2018-19 में 70.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि 2017-18 में यह हिस्सेदारी 70.0 प्रतिशत थी। स्थायी निवेश दर (जीडीपी के स्थायी निवेश के हिस्से के रूप में मापित) 2018-19 में 29.3 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2017-18 के 28.6 प्रतिशत से अधिक है। माल एवं गैर-घटक सेवाओं के निर्यात एवं आयात में 2018-19 में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 15.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

बचत दर (जीडीपी में सकल बचत की हिस्सेदारी के रूप में मापित) 2017-18 में 30.5 प्रतिशत और 2016-17 में 30.3 प्रतिशत थी। 2017-18 में निवेश दर (जीडीपी में सकल पूंजी निर्माण की हिस्सेदारी के रूप में मापित) 32.3 प्रतिशत तथा 2016-17 में 30.9 प्रतिशत थी।

#### मूल्य

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति (आधार 2012=100) 2017-18 में घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई जो 2016-17 में 4.5 प्रतिशत तथा 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 5.9 प्रतिशत थी। 2018-19 में यह औसतन 3.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई और मार्च 2019 में यह 2.9 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के अनुसार

खाद्य मुद्रास्फीति 2016-17 के 4.2 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 6.4 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.8 प्रतिशत हो गई। यह 2018-19 में औसतन 0.1 प्रतिशत रह गई तथा मार्च 2019 में बढ़कर 0.3 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के रूप में मापित मुद्रास्फीति 2016-17 के 1.7 प्रतिशत, 2015-16 के (-) 3.7 प्रतिशत तथा 2014-15 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 3.0 प्रतिशत हो गई। 2018-19 में यह औसतन 4.3 प्रतिशत हो गई तथा मार्च 2019 में 3.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई (सारणी-1)

| सारणी 1: डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में वृद्धि (प्रतिशत)                                                                              |           |          |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
|                                                                                                                                  | सीपीआई-सी |          | डब्ल्यूपीआई |          |
|                                                                                                                                  | सभी समूह  | सीएफपीआई | सभी समूह    | सीएफपीआई |
| आधार                                                                                                                             | 2012=100  |          | 2011-12=100 |          |
| भारत                                                                                                                             | 100       | 39.1     | 100         | 24.4     |
| 2014-15                                                                                                                          | 5.9       | 6.4      | 1.2         | 4.3      |
| 2015-16                                                                                                                          | 4.9       | 4.9      | -3.7        | 1.2      |
| 2016-17                                                                                                                          | 4.5       | 4.2      | 1.7         | 5.8      |
| 2017-18                                                                                                                          | 3.6       | 1.8      | 3.0         | 1.9      |
| 2018-19 (अ.)                                                                                                                     | 3.4       | 0.1      | 4.3         | 0.6      |
| अप्रै-18                                                                                                                         | 4.6       | 2.8      | 3.6         | 0.8      |
| मई-18                                                                                                                            | 4.9       | 3.1      | 4.8         | 1.2      |
| जून-18                                                                                                                           | 4.9       | 2.9      | 5.7         | 1.6      |
| जुलाई-18                                                                                                                         | 4.2       | 1.3      | 5.3         | -0.8     |
| अग-18                                                                                                                            | 3.7       | 0.3      | 4.6         | -2.1     |
| सितं-18                                                                                                                          | 3.7       | 0.5      | 5.2         | 0.1      |
| अक्तू-18                                                                                                                         | 3.4       | -0.9     | 5.5         | -0.5     |
| नव-18                                                                                                                            | 2.3       | -2.6     | 4.5         | -2.0     |
| दिसं-18                                                                                                                          | 2.1       | -2.6     | 3.5         | -0.1     |
| जन-19                                                                                                                            | 2.0       | -2.2     | 2.8         | 2.0      |
| फर-19                                                                                                                            | 2.6       | -0.7     | 2.9         | 3.3      |
| मार्च-19                                                                                                                         | 2.9       | 0.3      | 3.1         | 3.6      |
| स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय                                                       |           |          |             |          |
| टिप्पणी: विगत दो माह के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति और विगत एक माह के लिए सीपीआई-एनएस मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े अंतिम हैं। |           |          |             |          |

#### कृषि और खाद्य प्रबंधन

मानसून (जून-सितंबर) 2019 के दौरान पूरे देश में संचयी वर्षा 1 जून, 2019 से 10 जुलाई 2019 तक सामान्य से 14 प्रतिशत कम रही। उस अवधि के दौरान वास्तविक वर्षा 252.6 एमएम की वर्षा की तुलना में 217.7 एमएम रही। मौसम विज्ञान की दृष्टि से किए गए कुल 36 उपविभाजनों में से 13 उप-विभाजन जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45 प्रतिशत है, में सामान्य

मौसमी वर्षा हुई, 3 उप-विभाजन (कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत) में सामान्य से अधिक वर्षा हुई तथा 20 उप-विभाजनों (कुल क्षेत्र का 45 प्रतिशत) में कम मात्रा में मौसमी वर्षा हुई।

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 03.06.2019 को जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2018-19 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 283.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 279.5 मिलियन टन का था।

#### प्रमुख फसलों का उत्पादन (दूसरा अग्रिम अनुमान)

| फसलें         | 2017-18<br>(तीसरा अग्रिम अनुमान) | 2018-19<br>(तीसरा अग्रिम अनुमान) |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| कुल खाद्यान्न | 279.5                            | 283.4                            |
| चावल          | 111.5                            | 115.6                            |
| गेहूँ         | 98.6                             | 101.2                            |
| कुल मोटे अनाज | 44.9                             | 43.3                             |
| कुल दालें     | 24.5                             | 23.2                             |
| कुल तिलहन     | 30.6                             | 31.4                             |
| गन्ना         | 355.1                            | 400.4                            |
| कपास #        | 34.9                             | 27.6                             |

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी: तीसरा अ.अ: तीसरा अग्रिम अनुमान, : प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम वजन की।

5 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार खरीफ फसल (2019-20) के अंतर्गत कुल 234.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी जबकि 2017-18 में इसी अवधि के दौरान 319.68 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी जिसमें 27 प्रतिशत की गिरावट हुई।

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2018-19 के दौरान बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्र और उत्पादन 25.9 मिलियन हेक्टेयर और 314.67 मिलियन एमटी का अनुमान था, जो 2017-18 में 24.9 मिलियन हेक्टेयर और 305.43 मिलियन एमटी था।

दूध उत्पादन 2016-17 के 165.4 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 176.3 मिलियन टन हो गया, जिसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2004-05 के 233 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2017-18 में 375 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के अनुसार, 2018-19 में कुल 13.7 मिलियन टन मछली उत्पादन का अनुमान था, जिसमें से 65 प्रतिशत द्वीप क्षेत्र से और कुल उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत मत्स्य पालन से था, जो वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 6.5 प्रतिशत बैठता है। (बागवानी फसल में फल, सब्जियां, सुगंधित और चिकत्सीय उत्पादन, फल, शहद, पौधरोपण और मसाले शामिल हैं)

#### उद्योग

खनन, विनिर्माण तथा विद्युत सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन से यह ज्ञात होता है कि अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन

मंत्रालय के अधीनवर्ती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित मासिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान औद्योगिक वृद्धि पर आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 3.6 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। अप्रैल 2019 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.4 प्रतिशत वृद्धि की दर दर्ज की गई। तीन व्यापक क्षेत्रों में से अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान बिजली क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई है जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। विभिन्न प्रयोग आधारित औद्योगिक समूह के संबंध में वृद्धि दर से संबंधित आंकड़े नीचे की सारणी में दिए गए हैं:

| सारणी: अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि (प्रतिशत) |        |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| (आधार 2011-12=100)                                                                 |        |              |         |
| उद्योग समूह                                                                        | भारांश | अप्रैल-मार्च |         |
|                                                                                    |        | 2017-18      | 2018-19 |
| खनन                                                                                | 14.4   | 2.3          | 2.9     |
| विनिर्माण                                                                          | 77.6   | 4.6          | 3.5     |
| बिजली                                                                              | 8.0    | 5.4          | 5.2     |
| प्रयोग आधारित औद्योगिक समूह के अनुसार वृद्धि                                       |        |              |         |
| आधारभूत वस्तुएं                                                                    | 34.0   | 3.7          | 3.5     |
| पूंजीगत वस्तुएं                                                                    | 8.2    | 4.0          | 2.8     |
| मध्यवर्ती वस्तुएं                                                                  | 17.2   | 2.3          | -0.5    |
| अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं                                                           | 12.3   | 5.6          | 7.5     |
| उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं                                                             | 12.8   | 0.8          | 5.5     |
| उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं                                                         | 15.3   | 10.6         | 3.9     |
| सामान्य सूचकांक                                                                    | 100.0  | 4.4          | 3.6     |

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

जैसाकि सारणी से ज्ञात होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़कर, उपयोग आधारित अन्य वस्तु क्षेत्र में अप्रैल-मार्च 2018-19 में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं के संबंध में 7.5 प्रतिशत अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई।

#### अवसंरचना

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित आठ प्रमुख उद्योगों के क्षेत्रों से संबंधित सूचकांक जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 40 प्रतिशत संयोजित भारांश है, में 2018-19 के दौरान 4.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 2017-18 की

इसी अवधि के दौरान भी 4.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान आठ प्रमुख क्षेत्रों में से सात क्षेत्रों अर्थात् कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई तथा कच्चा तेल क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। आठ प्रमुख उद्योगों में मई 2019 के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

| आठ प्रमुख अवसंरचना-सहायक उद्योगों में उत्पादन वृद्धि (प्रतिशत) |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                | 2017-18<br>(अप्रैल-मार्च) | 2018-19<br>(अप्रैल-मार्च) |
| कोयला                                                          | 2.6                       | 7.4                       |
| कच्चा तेल                                                      | -0.9                      | -4.1                      |
| प्राकृतिक गैस                                                  | 2.9                       | 0.8                       |
| रिफाइनरी उत्पाद                                                | 4.6                       | 3.1                       |
| उर्वरक                                                         | 0.03                      | 0.3                       |
| इस्पात                                                         | 5.6                       | 4.7                       |
| सीमेंट                                                         | 6.3                       | 13.3                      |
| बिजली                                                          | 5.3                       | 5.2                       |
| <b>समग्र वृद्धि</b>                                            | <b>4.3</b>                | <b>4.3</b>                |
| स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग |                           |                           |

सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपी) द्वारा सितम्बर 2018 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों, जैसेकि विद्युत उत्पादन, राजमार्ग निर्माण, रेलवे में मालभाड़े से अर्जित आय, हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनलों में यात्री भाड़े से प्राप्त आय तथा प्रमुख पत्तनों पर कार्गो से प्राप्त आय अप्रैल-सितम्बर 2018-19 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक दर्ज की गई।

### सेवाएं

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 31 मई, 2019 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय 2018-19 से संबंधित दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जिसकी 2018-19 के दौरान भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 54.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है, भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख प्रेरक बना रहा।

भारतीय रिजर्व के द्वारा जारी किए गए भुगतान शेष से संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत का सेवा निर्यात वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) में 153.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि वर्ष 2017-18 में यह 195.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत के सेवा निर्यात में मुख्यतः साफ्टवेयर, व्यापार और यात्रा सेवाएं आती हैं जो भारत के सेवा निर्यात का लगभग 73 प्रतिशत बैठता है। भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात (निवल) भारत के वाणिज्य व्यापार घाटे का 40 प्रतिशत वित्तपोषित करता है। भारत सेवा आयात 2017-18 के 117.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 93.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

भारत का निवल सेवा निर्यात 2017-18 के 77.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2018-19 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 60.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

### सामाजिक अवसंरचना

#### सामाजिक अवसंरचना में व्यय

सामाजिक अवसंरचना में सरकारी खर्च, अर्थव्यवस्था में समावेशी वृद्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। सामाजिक सेवाओं में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1 प्रतिशतांक बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे 2014-15 से 2018-19 (ब.अ) के दौरान यह 6.2 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी के 7.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2018-19 (ब.अ) में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत था।

#### शिक्षा की स्थिति:

प्राथमिक स्तर के परिणाम को सुधारने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 2017 में संशोधन किया गया। सभी प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षावार के साथ-साथ विषयवार अध्ययन का परिणाम का मसौदा तैयार किया गया और निश्चित अध्ययन का परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित और बृहत मूल्यांकन (सीसीई) के साथ जोड़ा गया है। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त स्तर का अध्ययन प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए मार्ग-दर्शन के रूप में काम करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

एसडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए एक समग्र शिक्षा नामक व्यापक कार्यक्रम 01.04.2018 को शुरू किया गया, जो "समावेशी समान गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर के प्रोत्साहन" को सुनिश्चित करता है। इस कार्यक्रम में तीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं जैसे- सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा, जो परिकल्पित करती है कि 'विद्यालय' प्री-स्कूल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक जारी रहें। इस एकल और एकीकृत स्कीम का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और लिंगभेद को मिटाकर शिक्षा की गुणता और विद्यार्थियों के अध्ययन परिणाम को बढ़ाने के प्रावधान, विद्यालय स्तर की शिक्षा की समानता और समावेशन, सुनिश्चित करना, शिक्षा को रोजगारपरक बनाना, राज्यों को आरटीई अधिनियम 2009 को लागू करने में सहायता देना, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना है।

#### स्वास्थ्य की स्थिति:

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के द्वारा स्वस्थ भारत के लिए अपनी प्रतिवद्धता को स्पष्ट किया है, जिसमें सभी विकासात्मक नीतियों में रक्षात्मक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अनुकूलन के माध्यम से सभी के लिए, सभी आयु स्तर पर अच्छा

स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतरिम बजट 2019-20 में भी स्वास्थ्य में अगले दशक के विजन में नौवें आयाम के रूप में पहचाना गया है। विजन का उद्देश्य "स्वास्थ्य आश्वासन के वातावरण और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना सहायता के साथ-साथ एक स्वस्थ समाज है"।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) सरकार का दीर्घावधिक लक्ष्य है। सतत विकास का लक्ष्य को हासिल करने की तरफ मुख्य कदम में स्वस्थ जीवन और सभी आयु वर्ग का स्वस्थ रहना, सुनिश्चित करना है। सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ होगा। इसके दो घटकों स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के द्वारा विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, आयुष्मान भारत योजना को एक परिवर्तनकारी योजना माना जाता है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने में मुख्य कदम है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जन स्वास्थ्य व्यय (केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों) का 2004-05 के 22.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 30.6 प्रतिशत हो गया। रोगी द्वारा किया जाने वाला फुटकर व्यय अभी भी स्वास्थ्य देखभाल व्यय का मुख्य घटक बना हुआ है तथापि यह 2004-05 के 69.4 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 60.6 प्रतिशत रह गया।

### श्रम सुधार

भारत सरकार रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और प्रत्येक कामगार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार ने श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के साथ, कामगारों की गरिमा को महसूस और स्थापित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, रोजगार के अवसर और गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए, चार श्रम संहिताओं को तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं (i) वेतन; (ii) औद्योगिक संबंध (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा (iv) व्यवसायात्मक सुरक्षा, समामेलित करके, सरल बनाकर स्वास्थ्य और कार्यकारी परिस्थितियों को सुधारना और विद्यमान केंद्रीय विधियों के संबंधित प्रावधानों का यौक्तिकरण करना।

इसके अतिरिक्त, श्रम विधियों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और संकलन की कठिनाई को सरल करने के लिए एक एकीकृत श्रम सुधार पोर्टल वेबपोर्टल शुरू किया गया है। सरकार ने महिला की श्रम शक्ति में सुधार करने के लिए, वैतनिक मातृत्व छुट्टियों को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। इससे 18 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ होगा।

### कौशल विकास

कौशल विकास भारत सरकार का मुख्य केंद्र बिन्दु है क्योंकि भारत में कुल आबादी के लगभग 27 प्रतिशत की आबादी 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की है जो कि विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी है। मजदूरी के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं का अनुपात 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग से धीरे-धीरे बढ़ते हुए 30 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग तक पहुंच जाता है। इस समय भारत में प्रशिक्षित, कुशल कामगारों की अत्यधिक कमी है। यह अनुमान है कि यूके में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका में 52 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, दक्षिण एशिया में 96 प्रतिशत की तुलना में भारत में कार्यबल के केवल 2.2 प्रतिशत हिस्से को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और 8.6 प्रतिशत को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है।

2016 की इनवायरमेंट स्कैन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था में 2017 से 2022 के दौरान लगभग 24 सैक्टरों में 103.4 मिलियन मानव संसाधन आवश्यकता बढ़ाने की जरूरत है। इस कौशल अंतर का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण स्कीम का उद्देश्य युवा वर्ग को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सफल बनाना है जिससे उन्हें रोजगार संबंधी अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस स्कीम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा और उद्योग आधारित मानकों पर आधारित कौशल पर प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम के तहत 56 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से 90 प्रतिशत उम्मीदवार युवा (35 वर्ष) थे, 50 प्रतिशत महिला उम्मीदवार थे और 55 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वैनर के तले आरपीएल अर्थात शिक्षण से पूर्व पहचान उस संकल्पना के रूप में शुरू किया गया जो कि पहले से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के शिक्षण संबंधी अनुभवों अथवा कौशलों की औपचारिक रूप से परख करता है। आरपीएल कार्यक्रम के तहत 10 लाख से भी अधिक लोग प्रमाणित किए गए।

इसके अतिरिक्त अगस्त 2016 में अप्रैन्टिसशिप से जुड़े संस्थापनाओं हेतु वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत करके भारत में अप्रैन्टिसशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अप्रैन्टिसशिप संवर्धन की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैन्टिसशिप को बढ़ावा देना है ताकि उसकी उत्पादवला और प्रतिस्पर्धता में इजाफा हो और साथ ही साथ क्षमता निर्माण भी हो। अप्रैन्टिस के कार्य में लगे लोगों की संख्या वर्ष 2014 में 2.15 लाख से बढ़कर वर्ष 2018 में 5.05 लाख रुपये हो गई।

### वाह्य क्षेत्र

**वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में वस्तु व्यापार संबंधी घटनाक्रम**

वर्ल्ड इकानॉमिक आउटलुक अद्यतन अप्रैल 2019 में यह इंगित किया गया है कि वैश्विक आर्थिक आउटपुट वर्ष 2018 के

3.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है जो आईएमएफ द्वारा किए पूर्वानुमानों का गिरता हुआ दोहराव प्रतीत होता है। विश्व व्यापार की स्थिति वर्ष 2018 में 3.8 प्रतिशत से घटकर 2019 में 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत के वस्तु निर्यातों का मूल्य (कस्टम आधार पर) पिछले वर्ष की समान अवधि में 303.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) 8.8 प्रतिशत बढ़कर 330.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

आयातों में भी पिछले वर्ष की समान अवधि में 465.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 514.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2018-19 में (अप्रैल-मार्च) पीओएल आयात 140.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 108.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 29.7 प्रतिशत उच्च था। गैर पीओएल आयातें वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 373.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि के 373.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 4.5 प्रतिशत उच्च था।

वर्ष 2018-19 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की समान अवधि में 162.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 13.5 प्रतिशत बढ़कर 184.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

#### वर्ष 2018-19 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान भुगतान शेष संबंधी घटनाक्रम

भारत का भुगतान शेष जो कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक सामान्य स्थिति में रहा था, वर्ष 2018-19 (अप्रैल से मार्च) के दौरान चालू खाता घाटा में बढ़त दर्ज की गई है और ये वर्ष 2017-18 (अप्रैल से मार्च) में 48.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) की तुलना में 57.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया।

वर्ष 2018-19 (अप्रैल से मार्च) के दौरान वस्तु निर्यात वर्ष 2017-18 में 309.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 9.1 प्रतिशत बढ़कर 337.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। जबकि निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि में 469.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018-19 (अप्रैल से मार्च) में 10.3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 517.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इससे पिछले वर्ष अवधि के दौरान 160.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में व्यापार घाटा 2018-19 (अप्रैल से मार्च) में बढ़कर 180.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

निवल अदृश्य प्राप्तियां मुख्यतः कुल सेवाओं और कुल निजी अंतरणों दोनों में बढ़त के कारण वर्ष 2017-18 (अप्रैल-मार्च) में 111.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में बढ़कर 123.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निवल सेवा प्राप्तियां वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.6 प्रतिशत बढ़ी।

#### तालिका: भुगतान शेषों के मुख्य घटक (बिलियन अमरीकी डॉलर में)

| मदे                                                                   | 2017-18 (अप्रैल से दिसम्बर) (पी आर) | 2018-19 (अप्रैल से दिसम्बर) (पी) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| निर्यात                                                               | 309.0                               | 337.2                            |
| आयात                                                                  | 469.0                               | 517.5                            |
| व्यापार शेष                                                           | -160.0                              | -180.3                           |
| निवल अदृश्य                                                           | 111.3                               | 123.0                            |
| चालू खाता शेष                                                         | -48.7                               | -57.3                            |
| वाह्य सहायता (निवल)                                                   | 2.9                                 | 3.4                              |
| वाणिज्यिक उधार (निवल)                                                 | -0.2                                | 10.4                             |
| एफडीआई (निवल)                                                         | 30.3                                | 30.7                             |
| पोर्टफोलियो (निवल)                                                    | 22.1                                | -0.6                             |
| लघु अवधि ऋण (निवल)                                                    | 13.9                                | 2.0                              |
| एनआरआई जमा (निवल)                                                     | 9.7                                 | 10.4                             |
| भूल-चूक                                                               | 0.9                                 | -0.5                             |
| पूँजी खाता शेष (भूल-चूक सहित)                                         | 92.3                                | 53.9                             |
| सम्पूर्ण शेष                                                          | 43.6                                | -3.3                             |
| आरक्षितों में परिवर्तन (बढ़त का संकेतः घटक का संकेतः) (बीओपी आधार पर) | -43.6                               | 3.3                              |
| पी: प्राथमिक; पीआर: आंशिक संशोधित                                     |                                     |                                  |
| टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण उपघटकों का जोड़ कुल से मेल नहीं खाएगा।     |                                     |                                  |

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निवल एफडीआई अंतर्वाह 30.7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 30.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्ष 2017-18 में निवल पोर्टफोलियो निवेश वहावाह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 22.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। वर्ष 2017-18 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संचयन (भुगतान शेष आधार पर) 43.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में, जो 2018-19 में 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

#### विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार विशेषकर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का यह स्तर मुख्यतः रुपये के मूल्य को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का परिणाम है। 28 जून, 2019 में विदेशी मुद्रा भंडार 14.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि के साथ 427.8 बिलियन अमरीकी डॉलर बना हुआ है, मार्चात 2019 में 412.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। किसी भी अंतरराष्ट्रीय वृहत आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न विनिमय दर की अस्थिरता से निपटने के लिए वर्तमान स्थिति सुगम स्तर पर है।

### रुपये की विनिमय दर

वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (आरबीआई की संदर्भ दर) अप्रैल 2018 में 65.64 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर के रेंज में थी तथा मार्च 2019 में 69.48 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर थी। वर्षानुवर्ष रुपये में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि 2017-18 में 64.46 प्रति अमरीकी डॉलर से 2018-19 में 69.93 प्रति अमरीकी डॉलर हो गया। फरवरी 2019 की तुलना में मार्च 2019 माह में अमरीकी डॉलर पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन में 1.1 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत, 1.2 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई।

तालिका- रुपये की प्रति विदेशी मुद्रा औसत मासिक विनिमय दर

|           | यूएस डॉलर | पाउंड स्टर्लिंग | यूरो  | जापानी येन ** |
|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------|
| अप्रैल-18 | 65.64     | 92.57           | 80.66 | 61.02         |
| मई-18     | 67.54     | 90.97           | 79.82 | 61.55         |
| जून-18    | 67.79     | 90.07           | 79.16 | 61.61         |
| जुला-18   | 68.69     | 90.50           | 80.30 | 61.66         |
| अग-18     | 69.55     | 89.69           | 80.44 | 62.59         |
| सित-18    | 72.22     | 94.19           | 84.22 | 64.50         |
| अक्तू-18  | 73.63     | 95.87           | 84.61 | 65.27         |
| नव-18     | 71.85     | 92.62           | 81.62 | 63.37         |
| दिसं-18   | 70.73     | 89.58           | 80.48 | 62.96         |
| जन-19     | 70.78     | 87.47           | 84.67 | 65.02         |
| फर-19     | 71.22     | 92.67           | 80.85 | 64.55         |
| मार्च-19  | 69.48     | 91.55           | 78.51 | 62.51         |

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई संदर्भ दर।

\*\* प्रति 100 येन

### विदेशी ऋण

- मार्चांत 2019 के अंत में भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 543.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था, इसमें मार्चांत 2018 की तुलना में 13.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधिक उधारों की प्रबलता को दर्शाता है। मार्चांत 2019 के अंत में दीर्घावधिक विदेशी ऋण 434.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो मार्चांत 2018 में 427.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर की तुलना में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मार्चांत 2018 के 80.7 प्रतिशत की तुलना में कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधिक विदेशी ऋण मार्च 2019 में 80.0 प्रतिशत था।
- अमरीकी डॉलर मूल्यवर्धित ऋण का हिस्सा, विदेशी ऋण स्टॉक से उच्चतर बना हुआ है, मार्चांत 2019 में यह 50.5 प्रतिशत था, इसके बाद भारतीय रुपया

(35.7 प्रतिशत), एसडीआर (4.9 प्रतिशत), जापानी येन (5.0 प्रतिशत) और यूरो (3.0 प्रतिशत) का स्थान था।

- मार्च 2019 के अंत में सरकारी (सॉवरन) विदेशी ऋण 103.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत के कुल विदेशी ऋण में सरकारी ऋण का हिस्सा मार्चांत 2019 के 19.1 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 के अंत में 21.1 प्रतिशत था।
- मार्च अंत 2019 (मार्चांत 2018 में 80.2 प्रतिशत) में भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार विदेशी ऋण स्टॉक का 76.0 प्रतिशत है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के प्रति अल्पावधिक विदेशी ऋण का अनुपात मार्च अंत 2019 में 26.3 प्रतिशत था, जबकि मार्चांत 2018 में यह 24.1 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात मार्चांत 2019 में 8.7 प्रतिशत था जबकि मार्च अंत 2018 में 9.1 प्रतिशत था।
- भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही विदेशी ऋण प्रबंधन नीति में दीर्घावधिक और अल्पावधिक ऋणों के मॉनीटरिंग, दीर्घावधिक परिपक्वता वाले रियायती शर्तों पर सॉवरन ऋण जुटाने, विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने, विभिन्न प्रतिबंध तथा अनिवासी भारतीय जमा राशियों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमा के भीतर बना हुआ है।

### जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुपरेखा सम्मेलन के लिए पार्टियों (सीओपी 24) का 24वां अभिसमय 02-15 दिसंबर 2018 कातोविस पोलैंड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौता कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देश/रूपात्मकता/नियमों को अपनाकर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को पूर्ण करना था।

पेरिस करार 2020 पश्चात अवधि से संबंधित है। पेरिस करार के अंतर्गत, विकसित देशों का विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व है। विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के लिए सहायता हेतु 100 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक जुटाने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

जलवायु वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों में, विशेषकर वित्तीय प्रावधानों में दिशा-निर्देश को पेरिस समझौते के भाग 9.5 और 9.7 के अंतर्गत संचालित किया था। वित्तीय प्रावधानों ने विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को कार्यान्वयन के साधन उपलब्ध कराने के दायित्व को पूरा किया। सीओपी 24 के परिणामों ने जलवायु वित्तपोषण की नई और जलवायु केंद्रित आवश्यकता को मान्यता दी। रिपोर्टिंग दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित बिंदु भी शामिल हैं:

- उपकरणों की सूचना और आर्थिक सहायता के स्रोतों को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कोई पक्ष आर्थिक सहायता को रियायती और/या ओडीए कैसे निर्धारित करता है। समान अनुदान, संस्थाओं और/या साधन आधारित दृष्टिकोण जैसी सूचनाओं के प्रयोग से।

- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है और विकासशील देशों के पक्षों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को जनसाधारण के हस्तक्षेप के द्वारा भली प्रकार से दिया जाता है।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत वित्त के प्रावधानों के पिछले स्तरों की प्रगति को यह उपलब्ध सूचना कैसे प्रदर्शित करती है।

पार्टियां 2020 के पश्चात 100 बिलियन अमरीकी डॉलर से नए सामूहिक वित्तीय लक्ष्य की स्थापना संबंधी कार्य आरंभ करने भी सहमत हो गई है।

### बैंकिंग क्षेत्र

2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र (घरेलू परिचालन) विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सकल गैर-निष्पादित अग्रगति (जीएनपीए) अनुपात में 11.5 प्रतिशत से 10.1 प्रतिशत की कमी और रिसर्टक्वरड स्ट्रैण्डर्ड एडवांस (आरएसए) अनुपात में 0.7 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। उसी अवधि के दौरान स्ट्रेस्ड एडवांस (एसए) अनुपात में 12.1 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के बीच जीएनपीए अनुपात में 15.5 प्रतिशत से 13.9 प्रतिशत की कमी आई। उसी अवधि के दौरान पीएसबी के स्ट्रेस्ड एडवांस अनुपात में 16.3 प्रतिशत से 14.4 प्रतिशत की कमी आई।

मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के बीच में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीआरएआर में सुधार के कारण एससीबी के जोखिम भरे एसेट अनुपात की पूंजी में 13.8 प्रतिशत से 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एससीबी की संपत्ति रिटर्न (आरओए) में 2017-18 से 2018-19 में 0.21 प्रतिशत से 0.03 प्रतिशत की कमी आई जबकि उसी अवधि के दौरान इक्विटी रिटर्न में 2.41 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक की कमी आई।

### साख वृद्धि

गैर-खाद्य साख में फरवरी 2018 के 9.8 प्रतिशत की तुलना में फरवरी 2019 में 13.2 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष आधारित) की वृद्धि हुई है। बैंक बड़े उद्योगों और सेवा सेगमेंट को साख प्रदान करता है जो कि 2018-19 में एनएफसी के पूर्णतः वृद्धि के वाहक हैं। पिछले कुछ महीनों में मध्यम और सूक्ष्म और छोटे उद्योगों के साख में कमी आई है।

### बैंकिंग विनियमन से संबंधित नीतियों में बदलाव

**बैंकों की साख के अंतरण के लिए ऋण प्रणाली के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2019 से लागू**

अधिक उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर 2018 को बैंकों की साख के अंतरण के लिए ऋण

प्रणाली के दिशा-निर्देशों को जारी किया गया। इसी प्रकार से, उधारकर्ताओं के संबंध में जिनके पास बैंकिंग प्रणाली से कुल निधि 1500 मिलियन रुपये और इससे अधिक है, स्वीकृत सीमा के 40 प्रतिशत ऋण अव्यय के निम्न स्तर पर 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। 1 जुलाई, 2019 से 40 प्रतिशत ऋण अव्यय को 60 प्रतिशत तक संशोधित किया जाएगा। आगे, आहरित नकदी साख अंश/उपर्युक्त अधिक उधारकर्ताओं को ओवरड्राफ्ट सीमा को अनुमोदन क्या बिना शर्त के निरस्त किया जाए या नहीं पर ध्यान दिए बिना, क्रेडिट रूपांतरण कारक 20 प्रतिशत होगा।

**एमएसएमई में वर्गीकृत 'मानक' मौजूदा ऋण को परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में अवनति के बिना पुनर्गठन के लिए एक बार की अनुमति**

यह स्कीम कतिपय उद्देश्य परख मानदंड के पूरक एमएसएमई उपलब्ध कराई गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1 जनवरी, 2019 के अनुसार एमएसएमई के प्रति बैंकों एवं एनबीएफसी कुल एक्सपोजर संबंधित 250 मिलियन का एक कैप शामिल है। पुनर्गठन 31 मार्च 2020 तक किया जाएगा और इस स्कीम के अंतर्गत पुनर्गठित लेखों के संबंध में 5 प्रतिशत प्रावधान को अनुरक्षित करना होगा।

### बृहद एक्सपोजर ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में इस विषय पर विचार-विमर्श जारी किया था तथा अगस्त 2016 में प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अंतिम रूप से दिशा-निर्देश 1 दिसंबर 2016 को जारी किए गए थे जिसकी कार्यान्वयन तारीख 1 अप्रैल, 2019 थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 दिसंबर 2016 को जारी बृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियां और समुन्नत माप और जोखिम मॉनीटरिंग की व्यवस्था थी। इस फ्रेमवर्क की सितंबर 2018 के दौरान ही बीसीबीएस कवायद में रेगुलटरी कंसीसिटन्सी असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएपी) के दौरान समीक्षा की गई थी। इसके अलावा, विभिन्न स्टॉक होल्डर्स के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कतिपय चिंताओं को संबोधित करने वाले अतिरिक्त दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए।

### एनबीएफसी के एक्सपोजर हेतु जोखिम को सुसंगत बनाना

एनबीएफसी के ऋण प्रवाह को आसान बनाने और ऋण जोखिम प्रबंधन हेतु मानक दृष्टिकोण के तहत एनबीएफसी की विविध श्रेणियों के बैंक एक्सपोजर पर लागू जोखिम सुसंगत बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रमुख निवेश कंपनियों को छोड़कर सभी एनबीएफसी का एक्सपोजर विनियमों के अंतर्गत कॉरपोरेटों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक से भरोसा प्राप्त और सेबी के साथ पंजीकृत रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग के अनुसार जोखिमपूर्ण होगा। सीआईसी का एक्सपोजर रेटिंग होने अथवा न होने पर भी इस पर 100 प्रतिशत जोखिम बना रहेगा।

### भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन न होना

दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को पहली पाक्षिक मौद्रिक नीति 2018-19 के साथ जारी विकास एवं विनियामक नीति संबंधी विवरण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को



छोड़कर) के लिए भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन में एक वर्ष का विलंब हुआ जिससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ-साथ कई बैंकों की तैयारी स्तर में आवश्यक विधायी संशोधन भी लंबित रहे। चूंकि विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन है अतः बैंकों के पहले लेखा मानकों के कार्यान्वयन अगले नोटिस तक के लिए टल गया।

### 2018-19 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

2016 के संशोधन वैधानिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत 2018-19 में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठकें 6 बार हुईं। अप्रैल 2018 में, 2018-19 के लिए पहले पाक्षिक विवरण में, एमपीसी ने नीति रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए 6.0 रखने का निर्णय लिया और तटस्थ नीति रूख को बनाए रखा। खाद्य और ईंधन को छोड़कर अचानक से आई मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से हुए बड़े जोखिम से मुद्रास्फीति को अमल में लाने के लिए तटस्थ नीति रूख अपनाते हुए 6 जून, 2018 को एमपीसी की बैठक में नीति रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। तटस्थ नीति रूख अपनाते हुए अगस्त में तीसरी पाक्षिक नीति में, एमपीसी ने नीति रेपो रेट को और अधिक 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि कर 6.5 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया। हालांकि, नीति का रूख अक्तूबर 2018 के चौथे पाक्षिक विवरण में तटस्थ भाव से विरत हो गया। इसके छोटे पाक्षिक विवरण में एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रूख को परिवर्तित करके कौलिब्रेटड से तटस्थ करने का निर्णय लिया और फरवरी 2019 में नीति रेपो रेट 25 आधार बिंदुओं से 6.25 प्रतिशत कर दिया।

2018-19 के दौरान कुल मौद्रिक वृद्धि दर विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण 2017-18 में विमुद्रीकरण के चलते 2016-17 में अप्रत्याशित व्यवहार का अनुभव करने के पश्चात अपने दीर्घावधिक रुझान में लौट आई। 31 मार्च, 2019 के अनुसार आरक्षित मुद्रा (एमओ) ने पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मुख्यतः कुल जमा से परिचालित बांड मनी (एम3) 2018-19 के दौरान अपनी उच्चतर वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि पिछले वर्ष में यह 9.2 प्रतिशत पर थी।

### नकदी स्थिति और इसका प्रबंधन

2018-19 के प्रथम तिमाही में जून 2018 तक सरकारी नकद शेष आहरण और अपेक्षाकृत अधिक सरकारी खर्च को देखते हुए सामान्य रूप से नकदी की स्थिति सरप्लस की स्थिति में रही। दो स्वतः कारकों-मुद्रा विस्तार और विदेशी मुद्रा के चलते नकदी के पलायन की तुलना में सिस्टम में नकदी अधिक रही। दूसरी तिमाही के दौरान, नकदी में कमी और अधिका की स्थिति बनी रही लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान इसमें कमी आ गई इसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक को बड़े पैमाने पर ओएमओ की खरीद आवश्यक हो गई। इस प्रकार, 2018-19 की पहली तिमाही में औसतन प्रतिदिन रुपये 259 बिलियन निवल नकदी का आमेहन दूसरी तिमाही में 161 बिलियन के घाटे में आ गया तीसरी तिमाही में यह 787 बिलियन तक बढ़ गया और चौथी तिमाही में रुपये

529 बिलियन के साथ यह संतुलित हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों के जरिए दिन प्रतिदिन नकदी अधिशेष की व्यवस्था की गई, अनियमित तथा अस्थायी नकदी कमी को 14 दिवसीय परिवर्तनीय रेपो दर और तरीके के जरिए पूरा किया गया।

### सरकारी सुरक्षा बाजार में विकास

2018-19 के दौरान, 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी सुरक्षा (जी-सेक) लाभ अस्थिर रहे तथा तेल की कीमतों और रुपये की विनिमय दर में घट-बढ़ को करीब से देखा गया। पहले इसमें पहली तिमाही में स्थिति कठिन रही बाद में दूसरी और तीसरी तिमाहियों में स्थिति आसान हो गई। पहली तिमाही में लाभ में कमी का कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, यू.एस ट्रेजरी लाभ का सुनिश्चित होना, यूएस फेडरल बैंक द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि की चिंता, घरेलू मुद्रा का जोखिम होना था। इसके बाद में जुलाई 2018 में कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ओएमओ खरीद की घोषणा से जुलाई में लाभ की स्थिति अच्छी हुई तथापि कच्चे तेल की कीमतों और यूएस ब्याज दरों में वृद्धि से अगस्त 2018 में मुद्रा की कमी हुई जिसकी वजह से अगस्त में लाभ में कमी हुई जो सितंबर में जारी रही। इस प्रकार लाभ में वृद्धि जुलाई अंत से सितंबर मध्य तक 40 बीपीएस रही। सितंबर के अंत में लाभ की स्थिति में सुधार हुआ इसका प्रमुख कारण 2018-19 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधारों के अनुमान के साथ आईएमआर घट-बढ़ के लिए किए गए उपाय थे।

जैसेकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओएमओ को ऊंची कीमतों पर खरीदने की घोषणा की। बेंचमार्क लाभ ने अक्तूबर 2018 में नरमी से व्यापार जारी रखा। 2018-19 की तीसरी तिमाही में, 1360 रुपये बिलियन के ओएमओ के गिरते हुए कच्चे तेल की कीमतों के साथ खरीद और सीपीआई मुद्रास्फीति दर से लाभ में सामान्य रूप से कमी हुई। तथापि, जनवरी 2019 के दौरान लाभ में राजकोषीय चिंता के साथ उम्मीद दिखाई दी तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। फरवरी 2019 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दर में कटौती की घोषणा के पश्चात वाली तिमाही में और अप्रैल 2019 में दर में दूसरी कमी के अनुमान से सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट में कमी आई। वित्त वर्ष के अंत में टिकाऊ नकदी में वृद्धि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप बेंचमार्क लाभ में गिरावट आई। 29 मार्च, 2019 के अनुसार, 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति 7.35 प्रतिशत पर रहा।

## 2. व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग वित्त आयोग और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अभ्युक्तियों की मॉनीटरिंग, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निर्गमों और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा

करने में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता भी करता है। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखना और वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों का प्रशासन, प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं का संस्वीकृत-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

व्यय विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, लोक वित्त-राज्य और लोक वित्त-केन्द्रीय प्रभागों, मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, महालेखानियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद, जो एक स्वायत्त निकाय है, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

### 3. राजस्व विभाग

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से सम्बन्धित राजस्व के मामलों को देखता है। इस विभाग को माल एवं सेवाकर (जी एस टी), केन्द्रीय बिक्री कर, स्टैम्प ड्यूटीज़, और अन्य सुसंगत वित्तीय कानूनों से संबन्धित विधान का निर्माण करने के विनियामक उपायों के प्रशासन और प्रवर्तन का भी कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा अफीम और इसके उत्पादों के उत्पादन और निपटान पर नियंत्रण रखने का काम भी इस विभाग का है।

2. नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे कि राष्ट्र के लिए वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकें, अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि हासिल की जा सके, समष्टिपरक अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाया जा सके और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके। बजट 2018-19 के प्रस्ताव की प्रमुख बातें हैं- कर के आधार को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष कर के उछाल को और गति प्रदान करना, शूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर को कम करना, वैयक्तिक आयकर में क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना, कर प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना लाना। इसके अलावा, बजट 2019-20 में छोटे- मोटे कर दाताओं को कर में राहत प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में काले धन की समस्या के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर नीतिगत पहल करके और कारगर प्रवर्तनकारी उपाय अपनाकर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में विधायी और प्रशासनिक उपाय, क्षमता निर्माण पर जोर देते हुये और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कराते हुये और भी आधुनिक प्रणाली और प्रक्रिया का सृजन करना शामिल है। काले धन के खतरे से लड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं-

- i. **तलाशी और जब्ती तथा सर्वेक्षण कार्य:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 980 से ज्यादा समूहों पर तलाशी

और जब्ती की कार्रवाही की गयी। इन मामलों में की गयी कार्रवाही से 1580 करोड़ रुपये से ज्यादा की परिसंपत्ति जब्त की गयी और 18590 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। इसके अलावा 15400 से अधिक के सर्वेक्षण कार्य भी किए गये जिनमें 16120 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।

- ii. **अभियोजन और शमन:** हाल ही में अभियोजन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आयकर विभाग ने कई कदम उठाए हैं जिससे कि उन मामलों का जल्दी दे जल्दी पता लगाया जा सके जिनमें अभियोजन की कार्रवाही करनी जरूरी हो और ऐसे मामलों की गंभीरता से पैरवी की जा सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4520 से अधिक अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई थीं और उनमें 75 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अभियोजन की 3500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गयी थी और इसी अवधि के दौरान 105 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1620 से अधिक मामलों का प्रसमन किया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2230 से अधिक मामलों का प्रसमन किया गया है।

- iii. **कालाधन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा कर अधिरोपण अधिनियम (बीएम एक्ट):** यह बीएम एक्ट 01.07.2015 से लागू है जिसका उद्देश्य देश से बाहर छिपाकर रखे गये काले धन की समस्या से निपटना है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग द्वारा इस बीएम एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 12180 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी परिसंपत्ति का पता चला है। इसके अलावा 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार इस कालाधन एक्ट के अंतर्गत अभियोजन की 50 से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी हैं।

- iv. **बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 ("बेनामी अधिनियम") के निषेध के तहत कार्रवाई:** बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था, अन्य बातों के साथ इस तरह के बेनामी लेनदेन के लिए बेनामी संपत्ति और अभियोजन पक्ष (एस), लाभकारी मालिक (ओं) और/या ऐसी बेनामी संपत्ति को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की गई बिना कार्रवाई के परिणाम के रूप में 550 से अधिक मामलों में बेनामी संपत्तियों के अनंतिम कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 670 मामलों में अनंतिम कुर्की बनाया गया है।

कुर्की के तहत संपत्तियों का मूल्य 4760 करोड़ रुपये से अधिक है। 730 से अधिक मामलों में, अधिनिर्णय प्राधिकरण को अधिनियम के तहत संदर्भ दिया गया है। इसके अलावा, 530 से अधिक मामलों में, अधिनिर्णय प्राधिकारी ने आयकर विभाग द्वारा पारित अनंतिम अनुलग्नक के आदेशों की पुष्टि की है।

v. **विदेशी संपत्ति के मामलों में जांच:** एचएसबीसी बैंक खातों के मामलों में, जांच के परिणाम के रूप में, अपरिवर्तित विदेशी बैंक खातों में जमा की गई राशि के बारे में 8465 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर में लाया गया है। इसके अलावा, 172 मामलों में लगभग 1,291 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एचएसबीसी के मामलों में अब तक 204 अभियोजन शिकायतें 89 मामलों में दर्ज की गई हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के मामलों में, निरंतर जांच से अब तक अज्ञात विदेशी खातों में 11,010 करोड़ रुपये से अधिक क्रेडिट का पता चला है और 52 मामलों में 93 अभियोजन की शिकायतें आपराधिक अदालतों में पहले से ही दर्ज हैं। पनामा पेपर लीक्स मामलों में सामने आए मामलों में जांच के कारण 64 मामलों में खोज और जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई और 12 मामलों में सर्वेक्षण कार्रवाई की गई। 33 मामलों में, आपराधिक अभियोजन शिकायतों को मंजूरी दी गई है। अब तक की जांच में लगभग 1559 करोड़ रु. के विदेशी निवेश का पता चला है।

vi. **बेनामी लेनदेन मुखबिरों की ईनामी योजना, 2018:** काले धन का पता लगाने और कर चोरी को कम करने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, “बेनामी लेनदेन मुखबिरों की ईनामी योजना, 2018” नामक एक नई ईनामी योजना आयकर विभाग द्वारा जारी की गई है। इस योजना के तहत, कोई व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक के ईनाम का हकदार होगा यदि वह बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के बारे में विशेष जानकारी देने के साथ-साथ ऐसी संपत्तियों से आय प्राप्त करने के लिए एक करोड़ जो बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य हैं।

vii. **संशोधित आयकर मुखबिरों की ईनामी योजना, 2018:** काले धन का पता लगाने और कर चोरी को कम करने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, “इनकम टैक्स इफॉर्मेट्स रिवार्ड स्कीम, 2018” नामक एक नई ईनाम योजना जारी की गई है। आयकर विभाग जिसके तहत, एक व्यक्ति को 50 लाख रु तक का इनाम मिल

सकता है। यदि वह भारत में आय या संपत्ति पर कर की पर्याप्त चोरी के बारे में विशिष्ट जानकारी देने के लिए जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कार्रवाई योग्य हैं। इसके अलावा, काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के प्रभाव के तहत कार्रवाई के लिए सूचना देने पर 5 करोड़ रु रुपये तक के इनाम के लिए पात्र होगा।

4. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने ड्यूटी चोरी के खिलाफ सख्ती से अपना अभियान जारी रखेंगे। वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के 857 मामलों में 3479.36 करोड़ रु. का पता चला। सेवा कर के संबंध में, 5460 मामले सेवा कर चोरी की है जिनमें 31581.07 करोड़ की राशि शामिल है। इसी प्रकार, 34487 मामले जीएसटी की चोरी से संबंधित पाये गये हैं जिनमें 44123.88 करोड़ रु. शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा नियंत्रण एजेंसियों के रूप में, सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों बंदरगाहों, हवाई अड्डों, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs), विदेशी डाकघर (FPOs) और कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से अवैध आयात पर निरंतर निगरानी रखते हैं। प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में तस्करी और अन्य वाणिज्यिक धोखाधड़ी की जाँच के लिए खुफिया और जांच इकाइयाँ हैं। इसके अलावा, राजस्व इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DRI) की संपूर्ण भारत में उपस्थिति है, जो तस्करी विरोधी और चोरी-रोधी गतिविधियों में शामिल CBIC के तहत विशेष एजेंसियां हैं।

5. CBIC ने गश्त के लिए समुद्री जहाजों को तैनात करने के अलावा तस्करी की जांच करने के लिए X-Ray बैगेज इन्स्पेक्शन सिस्टम, कंटेनर स्कैनर्स और पैलेट स्कैनर्स स्थापित करके जांच की गैर-घुसपैठ देने वाली विधियों को गया है। भारतीय सीमा शुल्क ने समय-समय पर विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा आयोजित विभिन्न वैश्विक बहुपक्षीय प्रवर्तन कार्यों में भाग लिया है। डब्ल्यूसीओ एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 180 देशों के सीमा शुल्क प्रशासन शामिल हैं, जिसमें विश्व व्यापार का 98% शामिल है।

6. **जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर:** जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लाभों के बारे में नीचे चर्चा की गई है।

i. **निर्यातकों को लाभ:** जीएसटी में प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों की सदस्यता, इनपुट वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ण और व्यापक सेटऑफ और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से बाहर होने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में कर दरों और प्रक्रियाओं में एकरूपता भी अनुपालन लागत को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

- ii. **छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ:** जीएसटी ने छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए सीमा बढ़ा दी है। उन इकाइयों को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये (कुछ मामलों में 10 लाख रुपये) से अधिक है। माल के आपूर्तिकर्ता के मामले में 40 लाख (कुछ मामलों में 20 लाख रुपये) को जीएसटी के तहत पंजीकृत किया गया है। पहले अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के तहत कई पंजीकरणों के विपरीत, एक राज्य में जीएसटी के तहत एक एकल पंजीकरण की आवश्यकता है। कम्पोजिशन योजना के तहत एक अतिरिक्त लाभ माल और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के उन कारोबारियों को दिया जायेगा जिनका कुल वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रु. तक है (कतिपय मामलों में 75 लाख रु. है) और सेवाओं की आपूर्ति में 50 लाख रु. कुल वार्षिक टर्न ओवर है। देश भर में एक सहज राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के साथ, छोटे उद्यमों को न्यूनतम निवेश के साथ अपने राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।
- iii. **कृषि और उद्योग को लाभ:** जीएसटी से उद्योग, व्यापार और कृषि को अधिक राहत मिलेगी, इनपुट टैक्स सेट-ऑफ और सर्विस टैक्स सेट-ऑफ के अधिक व्यापक और व्यापक कवरेज के माध्यम से, जीएसटी में कई केंद्रीय और राज्य करों को कम करके और सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। पारदर्शी और सेट-ऑफ की पूर्ण श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप कर आधार का विस्तार होगा और कर अनुपालन बेहतर होगा, जिससे उद्योग, व्यापार और कृषि में एक औसत डीलर पर कर का बोझ कम होगा।
- iv. **आम उपभोक्ताओं के लिए लाभ:** जीएसटी लागू होने के साथ, CENVAT, राज्य वैट और सेवा कर के व्यापक प्रभाव को व्यापक रूप से निर्माता के बिंदु से रिटेलर के बिंदु तक सेट-ऑफ की निरंतर श्रृंखला के साथ हटा दिया जाएगा जो प्रचलित CENVAT और VAT शासन के तहत संभव था। कुछ प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा और सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा। अन्य चीजें पहले जैसे ही रहेंगी, माल पर कर का बोझ, सामान्य रूप से, जीएसटी के अंतर्गत आएगा और इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- v. **“मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देना:** जीएसटी विदेशी निवेश और “मेक इन इंडिया” अभियान को बढ़ावा देते हुए भारत के लिए एक समान साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह करों की कैस्केडिंग को रोक देगा और उत्पादों को सस्ता बना देगा, इस प्रकार सकल मांग को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप

कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों का सामंजस्य होगा। यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार उत्पन्न करेगा और इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंततः यह अधिक रोजगार और अधिक वित्तीय संसाधन पैदा करके गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा। विशेष रूप से निर्यात के लिए करों का अधिक कुशल न्यूनीकरण, जिससे हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया गया और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह देश में समग्र निवेश जलवायु में भी सुधार करेगा जो स्वाभाविक रूप से राज्यों में विकास को लाभान्वित करेगा। यूनिफॉर्म सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी दरों में पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर मध्यस्थता को समाप्त करने और अंतर-राज्य आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा। कंपनियों पर औसत कर बोझ कम होने की संभावना है जो कीमतों को कम करने की उम्मीद है और कम कीमतों का मतलब अधिक खपत है, जिसका अर्थ है कि अधिक उत्पादन जिससे उद्योगों के विकास में मदद मिलती है। यह भारत को “मैन्युफैक्चरिंग हब” बनाएगा।

- vi. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** करों की बहुलता में कमी के साथ कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था जो वर्तमान में हमारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को नियंत्रित करती हैं, सरलीकरण और एकरूपता की ओर ले जाएगी। अनुपालन लागत में कमी के रूप में कई करों के लिए कई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए, रिकॉर्ड बनाए रखने में संसाधनों और जनशक्ति में कम निवेश करना पड़ेगा। यह विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान के लिए सरल और स्वचालित प्रक्रियाओं में परिणाम देगा। सभी इंटरैक्शन सामान्य जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से होगा, इसलिए, करदाता और कर प्रशासन के बीच कम सार्वजनिक इंटरफ़ेस की आवश्यकता होगी। यह अनुपालन के वातावरण में सुधार करेगा, क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे, लेन-देन को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, लेनदेन के अधिक पेपर ट्रेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। करदाताओं के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रक्रियाएं, करों की वापसी, कर रिटर्न का एकसमान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करेगी।

#### 4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 06 सितम्बर, 2001 से इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। 27 मई, 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) कर दिया गया है।

## 5. वित्तीय सेवाएं विभाग

कार्य आबंटन नियमावली (एओबीआर) के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधार, विकास वित्त संस्थान आदि शामिल हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित कई मुख्य कार्यक्रमों/पहलों तथा सुधारों की निगरानी करता है। विभाग द्वारा इस समय चलाई जा रही मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), स्टैण्ड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवाई) शामिल हैं।

यह विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) और वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, आईएफसीआई, एक्विजम, आईआईएफसीएल आदि को नीतिगत दिशानिर्देशों, विधायी तथा अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों में नीतिगत सहायता उपलब्ध कराता है। यह इन पीएसबी, पीएसआईसी तथा एफआई के कार्य-निष्पादन की भी निगरानी करता है और भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करने का कार्य करता है। वित्तीय सेवाएं विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों जैसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के विधिक तथा अन्य मामलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संबंध में कुछेक विधायी मामलों के संबंध में भी कार्रवाई करता है।

बैंकों तथा बीमा कंपनियों की संख्या की नवीनतम जानकारी इस प्रकार है:

| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| सरकारी क्षेत्र के बैंक (आईडीबीआई सहित) *                 | 21         |
| निजी क्षेत्र के बैंक*                                    | 21         |
| लघु वित्त बैंक                                           | 7          |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक                                   | 53         |
| विदेशी बैंक                                              | 45         |
| <b>कुल</b>                                               | <b>147</b> |

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: \*1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन के कारण पीएसबी की संख्या 18 हो गई तथा आरबीआई के दिनांक 14.3.2019 के प्रेस रिलीज के अनुसार आईडीबीआई लि. को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दिनांक 1.4.2019 की स्थिति के अनुसार कुल एससीबी 145 थे।

बीमा कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:

|                                                                 | 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार |                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                 | निजी क्षेत्र                   | सार्वजनिक क्षेत्र | बीमाकर्ताओं की कुल सं. (सार्वजनिक तथा निजी) |
| जीवन बीमाकर्ता                                                  | 23                             | 1                 | 24                                          |
| साधारण बीमाकर्ता                                                | 21                             | 4                 | 25                                          |
| विशेषीकृत संस्थाएं                                              | -                              | 2                 | 2                                           |
| एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता                                         | 7                              | -                 | 7                                           |
| पुनर्बीमाकर्ता (विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं/ लॉयड इंडिया सहित) | 11                             | 1                 | 12                                          |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>62</b>                      | <b>8</b>          | <b>70</b>                                   |

उपर्युक्त नीतिगत मामलों के अलावा, यह विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों (आरबीआई, इरडाई तथा पीएफआरडीए) तथा पीएसबी, पीएसआईसी तथा वित्तीय संस्थानों के कार्य संचालन संबंधी कुछेक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य संचालन संबंधी मामला भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर, इरडाई तथा पीएफआरडीए के अध्यक्ष/सदस्य, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ), कार्यपालक निदेशक (ईडी), अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक (सीएमडी) जैसे मुख्य कार्यपालकों को नियुक्त करना है। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

# आर्थिक कार्य विभाग

## 1. आर्थिक प्रभाग

1.1 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और वैदेशिक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखता है और कृषि उद्योग तथा अर्थव्यवस्था में अवसंरचना क्षेत्र समेत बृहद्-प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है। अपने नियमित कार्यकलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केन्द्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है।

1.2 आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। इसमें हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन भी किया जाता है। पिछले वर्षों में आर्थिक समीक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक कार्यनिष्पादन का एक प्रामाणिक स्रोत और उपयोगी सार संग्रह का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करे और इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे। इस कवायद के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग संसद के समक्ष रखने के लिए प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही में मध्यवर्षीय समीक्षा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रभाग पहली और तीसरी तिमाही की समाप्ति पर एक वृहत्-आर्थिक पूर्वपीठिका विवरण तैयार करता है और तिमाही प्राप्तियों और व्यय की पुनरीक्षा में अंतर्विष्ट करने के लिए इसे बजट प्रभाग को उपलब्ध कराता है।

1.3 यह प्रभाग केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद के माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है। इसमें मुख्य कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा इसके विभागीय उपक्रमों की बचतों, सकल पूंजी निर्माण तथा विकास और उपभोग संबंधी व्यय के परिमाण का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 यह प्रभाग ‘‘मासिक आर्थिक रिपोर्ट’’ नामक सारांश भी तैयार करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर अवसंरचना क्षेत्र के निष्पादन और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, कर वसूली की प्रवृत्तियों, भुगतान शेष और मौद्रिक स्थिति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां भी तैयार की जाती हैं। यह साप्ताहिक आधार पर मूल्य-स्थिति को भी मॉनीटर करता है। इसके अलावा यह प्रभाग प्रमुख आर्थिक परिवर्ती घटकों के संबंध में अल्पावधिक पूर्वानुमान लगाने का कार्य भी करता है।

1.5 अपने सलाहकारी कार्यों के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां और

पृष्ठभूमि प्रलेख तैयार करता है और सरकार द्वारा गठित परामर्शदात्री समितियों और कार्य दलों की बैठकों के लिए सारांश भी तैयार करता है। आर्थिक प्रभाग के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व बैंक एवं डब्ल्यू.टी.ओ. आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आए हुए विभिन्न शिष्टमंडलों के साथ परामर्श में हिस्सा लेते हैं। यह प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उनके मंत्रालयों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय स्कंधों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है। आर्थिक प्रभाग द्वारा 22.07.2017 को सातवें दिल्ली इकॉनोमिक कॉन्फ्लेव (2017) नामक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तथा विदेश के अनुसंधानकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, उद्योग के प्रतिनिधियों, बैंकों एवं अर्थशास्त्रियों और अकादमीशियनों ने हिस्सा लिया।

1.6 आर्थिक प्रभाग का कार्य निम्नलिखित एककों के अंतर्गत किया जाता है-

- बृहत्
- लोक वित्त
- कृषि और खाद्य प्रबंधन
- उद्योग तथा अवसंरचना
- सामाजिक अवसंरचना रोजगार और मानव विकास
- व्यापार और भुगतान संतुलन एवं वैश्विक आर्थिक विकास
- विदेशी ऋण प्रबंधन
- सेवा क्षेत्र
- कीमतें
- मुद्रा बैंकिंग नीति
- जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण
- समन्वयन
- आईईएस कैडर यूनिट

## 1.7 बृहत् एकक

1.7.1 बृहत् एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है (क) भारत के बृहत्-आर्थिक मापदंडों (अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद, बचतों और निवेश आदि) का विश्लेषण करने उन पर नजर रखने; (ख) मासिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने, (ग) आईएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) के लिए देशगत समन्वय करने; (घ) अर्थव्यवस्था की नेशनल समरी डाटा पेज को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर वेब पोस्ट के लिए अद्यतन करना; (ङ) एसडीडीएस में मेटा डाटा का वार्षिक अद्यतन; (च) वर्तमान आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त नोट; (छ) जी-20, विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य बैठकों के लिए संक्षिप्त, तथ्य/भाषण की तैयारी करना;

**1.7.2 बजट संबंधी कार्य :** (क) केंद्रीय बजट के लिए प्रतिवर्ष वृहत आर्थिक ढांचा विवरण को तैयार करना; (ख) वित्तीय वर्ष की पहली/ दूसरी/तीसरी तिमाही के अंत में प्राप्तियों और व्यय के संबंध में रुझानों के त्रैमासिक समीक्षा के लिए वृहत आर्थिक पृष्ठभूमि का विवरण; (ग) बजट तैयारी से पहले बजट प्रभाग को देने के लिए जीडीपी का अनुमान लगाना और प्रत्येक वर्ष की तिमाही में बजट से संबंधित प्राप्तियां और व्यय के रुझानों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए वृहत आर्थिक विवरण बनाना।

## 1.8 लोक वित्त एकक

**1.8.1 लोक वित्त एकक निम्न के लिए उत्तरदायी है:** (क) यह केंद्र सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण, (ख) लोक वित्त संबंधी सांख्यिकी विवरण, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बजटीय लेनदेन के आंकड़ों का एल्बम; (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भेजने के लिए वार्षिक सरकारी वित्त आंकड़ों के लिए सूचना की तैयारी; (घ) यह राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, सकल व्यय, केंद्रीय आयोजना परिव्यय, संसाधनों और व्यय से संबंधित नीतियों जैसे केंद्रीय राजकोषीय मापदंडों की निगरानी करता है (ड.) केंद्रीय योजना परिव्यय संसाधन तथा व्यय संबंधी नीतियों की समीक्षा करता है। (च) यह एकक राजकोषीय स्थिति की समीक्षा और कर उपायों सहित अन्य राजकोषीय मुद्दों का विश्लेषण भी करता है। (छ) कर उपायों से संबंधित विश्लेषण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव/सुधार; (ज) प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के लिए वृहत आर्थिक ढांचा विवरण के लिए इनपुट तैयार करना।

## 1.9 कृषि और खाद्य प्रबंधन एकक

**1.9.1 कृषि और खाद्य प्रबंधन एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:** (क) कृषि और खाद्य प्रबंधन के मुद्दों और विषयों पर नीतिगत सलाह देना, (ख) मुख्य फसलों, बीमा नीति, अन्य कृषक नीति और अन्य चीजें जो कर ढांचे में परिवर्तन लाएं, के लिए जांचना/कैबिनेट की नियुक्ति/सीसीईए/सीओएस/ईएफसी और अन्य नीति टिप्पण को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए देखना, (ग) फार्म क्षेत्र के स्टॉक होल्डर से बजट पूर्व बैठक, (घ) संसदीय स्थायी समिति को कृषि संबंधित मुद्दों का विवरण देना, (ड.) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) प्राइवेट इंटरप्राइजेज गारंटी योजना से संबंधित में सहभागिता/सदस्यता (च) रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन और बोये गये क्षेत्र का विश्लेषण, (छ) विशिष्ट मुद्दों पर जब और तब आवश्यक समसामयिक समीक्षा/रिपोर्ट जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्यों से दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और संबंधित नीतियां, (ज) क्रॉप वैदर वॉच ग्रुप के आंकड़ों के प्रयोग से बोये गए क्षेत्र/मानसून/वर्षा का वितरण की प्रगति की आवधिक निगरानी (ते) खुले बाजार बिक्री योजना का विश्लेषण (पीडीएस), बफर स्टॉक नियम और खाद्य सुरक्षा और, खरीद के मौसम के दौरान अनेक बाजारों में एमएसपी से कम लागत पर बिक्री में एमएसपी का विश्लेषण। (ज) अन्य संबंधी क्षेत्रों जैसे डेयरी क्षेत्र, मत्स्य, वानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विषयों का विश्लेषण (झ) वार्षिक आर्थिक समीक्षा के लिए “कृषि और खाद्य प्रबंधन” पर अध्याय तैयार करना (खंड-1 और खंड-2) (ज) वीआईपी संसद/अन्य संदर्भों और कृषि एवं खाद्य प्रबंधन से

संबंधित प्राइवेट मेम्बर से संबंधित विधेयक का संचालन करना (ट) कृषि और खाद्य प्रबंधन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए टिप्पण देना/एमओयू/अंतर्राष्ट्रीय समझौते/आयकर संबंधी छूट कार्य।

## 1.10 उद्योग और अवसंरचना एकक

**1.10.1 उद्योग और अवसंरचना एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है** (क) औद्योगिक वृद्धि और विनिवेश की निगरानी (ख) औद्योगिक क्षेत्र के विकास का विश्लेषण, औद्योगिक विनिवेश/सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तपोषण और औद्योगिक रुग्णता (ग) उत्पादन प्रतिस्पर्धा और उद्योग से संबंधित औद्योगिक नीति के विषयों पर सलाह देना, (घ) सेवाओं और कोर आधारभूत उद्योगों के उत्पादन के रुझान की निगरानी रखना, (ड.) वित्तपोषण और विनिवेश आधारभूत नीति के विकास का विश्लेषण करना। (च) आधारभूत क्षेत्र नीति विषयों पर सलाह देना (छ) वार्षिक आर्थिक समीक्षा के लिए उद्योग और अवसंरचना पर अध्याय को प्रारूप और अंतिम रूप देना (ज) योजना कार्यक्रमों और क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा करना (ते) कैबिनेट पर टिप्पण उपलब्ध कराना, उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित सीओएस और जीओएम पर टिप्पण करना (झ) नीतिगत विश्लेषण की तैयारी करना (ज) बजट पूर्व बैठकों के लिए कार्यवृत्त तैयार करना।

## 1.11 सामाजिक अवसंरचना रोजगार और मानव विकास एकक

**1.11.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:** (क) सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास से संबंधित विषयों पर नीतिगत सलाह देना, (ख) श्रम मुद्दों, रोजगार रुझानों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों का विश्लेषण करना; (ग) रोजगार और बेरोजगारी की समीक्षा के परिणाम को जांचना और मूल्यांकन करना; (घ) श्रम और कौशल विकास जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक मुद्दे, ग्रामीण विकास इत्यादि सम्मिलित हैं, को जांचना/कैबिनेट नियुक्ति/सीओएस/ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी/सीईई जो कि आर्थिक कार्य विभाग के अन्य प्रभागों से प्राप्त होता है। (ड.) श्रमबल सांख्यिकी पर स्थायी समिति की सहभागिता/सदस्यता लेना; (च) वार्षिक आर्थिक समीक्षा के लिए सामाजिक अवसंरचना/रोजगार और मानव विकास पर अध्याय तैयार करना (खंड-1 और खंड 2); (छ) श्रम यूनियन/नागरिक समाज संगठन, स्वास्थ्य, कल्याण और महिला संगठनों/विशेषज्ञों इत्यादि के साथ बजट-पूर्व बैठकें; (ज) सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषयों के संदर्भ में वीआईपी/संसद/अन्य को चलाना; (झ) जब और तब आवश्यक विशिष्ट विषयों पर समसामयिक समीक्षा/रिपोर्ट तैयार करना; (ज) विशिष्ट विषयों पर कार्यशाला का आयोजन करना/अंतरविभागीय बैठके आयोजित करना।

## 1.12 व्यापार तथा भुगतान संतुलन और वैश्विक आर्थिक विकास

**1.12.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:** (क) विनिमय दर में परिवर्तन की निगरानी करना; (ख) भारत के वाणिज्य व्यापार की निगरानी करना; (ग) भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) घटनाक्रम की निगरानी करना, (घ) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की निगरानी करना (ड.) वैश्विक आर्थिक विकास की निगरानी करना (च) वस्तु संरचना और वाणिज्य

व्यापार की दिशा का विश्लेषण करना (छ) लघु आवधिक भुगतान संतुलन (एसटीबीओपी) निगरानी समूह के मामले (ज) आर्थिक समीक्षा के लिए विदेशी क्षेत्र नामक अध्याय का मसौदा तैयार करना और उसको अंतिम रूप देना; (ट) मंत्रिमंडल और मंत्रियों के समूह की टिप्पणियों पर अपने मत प्रकट करना।

### 1.13 विदेशी ऋण निगरानी

1.13.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है: (क) विदेशी ऋण के आंकड़ों के त्रैमासिक संग्रहण, निगरानी, संकलन और प्रकाशन और दो तिमाहियों के लिए विदेशी ऋण के आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में डालना; (ख) भारत के विदेशी ऋण के संबंध में एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना; (ग) प्रत्येक तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) और विश्व बैंक के तिमाही विदेशी ऋण सांख्यिकी (क्यूईडीएस) के लिए आंकड़े प्रदान करना; (घ) आर्थिक समीक्षा के लिए विदेशी ऋण के लिए अनुभागों का मसौदा तैयार करना और अंतिम रूप देना; (ड.) विदेशी ऋण और देश में समग्र विदेशी ऋण की स्थिति की निगरानी से संबंधित सभी मामले।

### 1.14 सेवा क्षेत्र एकक

1.14.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है: (क) आर्थिक समीक्षा के लिए अध्याय तैयार करना; (ख) सेवा व्यापार के प्रदर्शन की निगरानी; (ग) संसद के मामले देखना (ड.) सेवा व्यापार, विश्व व्यापार संगठन आदि से संबंधित टिप्पणियों पर अपनी राय भी प्रस्तुत करना है।

### 1.15 कीमत एकक

1.15.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है: (क) निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति की निगरानी करना; (i) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), आधार: 2011-12=100; (ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)- ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, आधार: 2012=100; (iii) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल), 1986-87=100 के आधार पर (iv) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) 1986-87=100 के आधार पर। (ख) कीमत/मुद्रास्फीति से संबंधित मामले: (i) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य व्यवहार से संबंधित मामले; (ii) मौसमी मूल्य से संबंधित मामले; (iii) मूल्य नीति और मुद्रास्फीति प्रबंधन से संबंधित मामले; (iv) मासिक मुद्रास्फीति रिपोर्ट तैयार करना; (v) बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा के लिए मूल्य सूचकांकों पर अध्याय तैयार करना। (ग) समिति/कार्यकारी समूहों: (i) विभिन्न मूल्य सूचकांकों (सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और आरईएसआईडीईएक्स); की समितियों में भाग लेना; (ii) आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत सूक्ष्म वित्तीय निगरानी समूह में भाग लेना; (iii) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति की बैठकों में भाग लेना।

### 1.16 मौद्रिक और बैंकिंग नीति एकक

1.16.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है: (क) मुद्रा बाजार में व्याप्त प्रवृत्तियों और मौद्रिक नीति में हो रहे घटनाक्रमों की निगरानी; (ख) ऋण प्रवाहों की समग्र प्रवृत्तियों को मानीटरिंग

करना; (ग) मौद्रिक मापदंडों का पाक्षिक विश्लेषण; (घ) सरकारी प्रतिभूतियां और राजकीय ऋणियों की निगरानी; (ड.) मांग मुद्रा दरों एवं नकदी समायोजित सुविधा के प्रचालनों में होने वाले उतार-चढ़ाव की निगरानी; (च) मौद्रिक नीति और आरबीआई तिमाही समीक्षा पर सावधिक अद्यतन।

### 1.17 जलवायु परिवर्तन वित्त एकक

1.17.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है: (क) आर्थिक समीक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर अध्याय तैयार करना और इसको अंतिम रूप देना; (ख) जलवायु वित्त गणना एवं विश्लेषण; (ग) वित्त मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में नोडल इकाई के रूप में कार्य करना; (घ) सभी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू जलवायु परिवर्तन के मामलों में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना; (ड.) यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत जलवायु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना; (च) जलवायु वित्त जी-20 परिचर्चाओं में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना और जी-20 सचिवालय को सूचना प्रदान करना; (छ) जलवायु परिवर्तन वित्त पर भारत सरकार की स्थिति के लिए सार और स्थिति दस्तावेज तैयार करना; (ज) एमओईएफसीसी को जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के लिए मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना (झ) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के सदस्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन वित्त विषयक जमा दस्तावेजों तक पहुंच बनाना (ञ) विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय बहसों का विश्लेषण; (ट) जलवायु परिवर्तन वित्त विषयक चालू घरेलू नीतियों जैसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान आदि पर सूचना प्रदान करना।

### 1.18 समन्वय एकक

1.18.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है: (क) आर्थिक प्रभाग में आंतरिक प्रशासन और समन्वय; (ख) विभिन्न हितधारकों के साथ बजट-पूर्व वित्त मंत्री की बैठकों का आयोजन करना; (ग) ओईसीडी बैठकों और अन्य बैठकों तथा कार्यशालाओं के लिए आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए नामांकन करना; (घ) आर्थिक समीक्षा के प्रकाशन और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक प्रभाग के सभी एककों के साथ समन्वय करना; (ड.) आर्थिक कार्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना (आर्थिक प्रभाग से संबंधित भाग); (च) विषयपरक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर दिल्ली इकॉनोमिक कांफ्रेंस को आयोजित करना; (छ) संसद कार्य, आरटीआई मामले, वीआईपी संदर्भों, लोक शिकायतों आदि के बीच समन्वय करना; (ज) आर्थिक प्रभाग के सभी प्रशासनिक मामले जैसे आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों के आर्थिक प्रभाग के अंदर स्थानांतरण/तैनाती।

### 1.19 आईईएस संवर्ग एकक

1.19.1 यह एकक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है: (क) अधिकारियों के करियर प्रबंधन और तैनाती; (ख) आईईएस में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती; (ग)



आईईएस परीक्षाओं के लिए परीक्षा नियम और पाठ्यक्रम; (घ) आईईएस के कनिष्ठ फीडर पदधारकों के वेतन मान (प्रविष्ट स्तर) की पदोन्नति; (ङ.) आईईएस से संबंधित आईईएस (सेवा) नियमों और नीतिगत मामलों को देखना; (च) विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन/व्यवस्था के माध्यम से पदोन्नति/अकार्यात्मक उन्नयन; (छ) प्रतिनियुक्ति, अध्ययन अवकाश और अन्य प्रकार के अवकाशों के लिए संवर्ग समाशोधन; (ज) विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों का पैनेल बनाना; (झ) आईईएस अधिकारियों की वरीयता सूची/सिविल सूची; (ञ) फीडर ग्रेड के अधिकारियों की वरीयता और प्रवेश आरक्षण का रोस्टर प्रबंधन; (ट) सेवारत अधिकारियों और प्रवीक्षाधीन अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण अपेक्षित मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना; (ठ) आईईएस के संवर्ग की समीक्षा और पुनर्गठन; (ड) आईईएस अधिकारियों के एपीएआर का रख-रखाव; (ढ) आईईएस संवर्ग का बजट और वार्षिक खाते आदि; (ण) न्यायलय मामले, निगरानी मामले और अनुशासनात्मक मामले; (त) आईईएस वेबसाइट का अनुसंधान।

## 2. बजट प्रभाग

### 2.1 उत्तरदायित्व

2.1.1 बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट, अनुदानों की पूरक मांगे और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केंद्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा लघु बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों को भी देखता है। कोषपाल, धर्मार्थ निधि से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.1.2 यह प्रभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केंद्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 25 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गईं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को विभिन्न निकायों की लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपने/पुनः सौंपने से संबंधित 52 मामले इस प्रभाग द्वारा निपटाए गए।

2.1.3 बजट प्रभाग "राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003" के प्रशासन हेतु भी जिम्मेदार है। इसे 5 जुलाई, 2004 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से लागू किया गया। राजकोषीय

नीति के विवरण, मध्यावधिक समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा और प्रकटीकरण विवरणों को एफआरबीएम अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

2.1.4 यह प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 'महिलोन्मुखी बजट व्यवस्था' आदि के भी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण/सुसाध्य करता है।

2.1.5 यह प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत रखे गए लेखाओं के स्वरूप संबंधी कार्य को देखता है। इस प्रभाग द्वारा सरकार की नई स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई लेखांकन प्रक्रिया और सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर सलाह भी दी जाती है।

### 2.2 पूरक मांगे

2.2.1 पूरक मांग अनुभाग को पूरक अनुदान मांगों, अतिरिक्त अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक संसदीय कार्य के समन्वय तथा प्रस्तुतिकरण से संबंधित कार्य सौंपा गया है। अनुभाग के अन्य कार्यकलाप भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुभाग को केंद्रीय सरकार की गारंटी से संबंधित समग्र नीति का कार्य भी सौंपा गया है

### 2.3 राष्ट्रीय लघु बचत

#### 2.3.1 लघु बचत योजना:

वर्तमान में चालू लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1,2,3 व 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII-निर्गम), लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र एवं सुकन्या समृद्धि खाता।

#### 2.3.2 लघु बचत संग्रहण

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹592710.36 करोड़ की जमा राशि की तुलना में, 2018-19 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमा राशियां ₹646117.24 करोड़ अनुमानित है। 2017-2018 में अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश राज्य और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को अन्तरित ₹9161.58 करोड़ की राशि की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को निवल लघु बचत संग्रहणों के हिस्से के रूप में, ₹12000 करोड़ (सं.अ.) की राशि अंतरित की जानी है।

#### 2.3.3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि

केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत समस्त मौद्रिक संव्यवहारों के हिसाब-किताब को एक स्थान पर लाने के लिए भारतीय लोक लेखा में 1 अप्रैल, 1999 से "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई थी। लघु बचत स्कीमों के अंतर्गत निवल संचयन को केंद्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों (विधानमंडल सहित) की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जा रहा था। तथापि, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 01.04.2016 से इच्छुक राज्यों को ही एनएसएसएफ ऋण दिए जाएंगे। तदनुसार, केवल चार राज्यों नामतः अरुणाचल

प्रदेश, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश, जिन्होंने एनएसएसएफ का विकल्प लिया है, को 2018-19 के दौरान ये ऋण दिए जाएंगे। इसके अलावा, एनएसएसएफ कोष को विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, एयर इंडिया आदि) में निवेश करने का निर्णय लिया गया है और इन एजेंसियों को ₹139636 करोड़ की धनराशि दी जानी है।

2.3.4. लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें:

- (i) लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों की दरों के बराबर किया गया है।  
(ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें नीचे दर्शायी गयी हैं:-

| लिखत                                        | 1.4.18 से 30.6.18 तक ब्याज की दर का प्रतिशत | 1.7.18 से 30.9.18 तक ब्याज की दर का प्रतिशत | 1.10.18 से 31.12.18 तक ब्याज की दर का प्रतिशत | 1.1.19 से 31.3.19 तक ब्याज की दर का प्रतिशत |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| बचत जमा राशि                                | 4.0                                         | 4.0                                         | 4.0                                           | 4.0                                         |
| 1-वर्षीय सावधि जमा                          | 6.6                                         | 6.6                                         | 6.9                                           | 7.0                                         |
| 2-वर्षीय सावधि जमा                          | 6.7                                         | 6.7                                         | 7.0                                           | 7.0                                         |
| 3-वर्षीय सावधि जमा                          | 6.9                                         | 6.9                                         | 7.2                                           | 7.0                                         |
| 5-वर्षीय सावधि जमा                          | 7.4                                         | 7.4                                         | 7.8                                           | 7.8                                         |
| 5-वर्षीय आवर्ती जमा                         | 6.9                                         | 6.9                                         | 7.3                                           | 7.3                                         |
| 5-वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) | 8.3                                         | 8.3                                         | 8.7                                           | 8.7                                         |
| 5-वर्षीय मासिक आय योजना (एमआईएस)            | 7.3                                         | 7.3                                         | 7.7                                           | 7.7                                         |
| 5-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) | 7.6                                         | 7.6                                         | 8.0                                           | 8.0                                         |
| लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)                    | 7.6                                         | 7.6                                         | 8.0                                           | 8.0                                         |
| सुकन्या समृद्धि खाता                        | 8.1                                         | 8.1                                         | 8.5                                           | 8.5                                         |
| किसान विकास पत्र                            | 7.3 (118 माह में परिपक्व हो जाएगी)          | 7.3 (118 माह में परिपक्व हो जाएगी)          | 7.7 (112 माह में परिपक्व हो जाएगी)            | 7.7 (112 माह में परिपक्व हो जाएगी)          |

## 2.4 सरकारी उधार

2.4.1 राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए केंद्र सरकार का साधारण उधार ब.अ. 2018-19 में ₹6,05,539 करोड़ (सकल) तथा ₹4,62,061 करोड़ (निवल) की बजट व्यवस्था की गई थी।

2.4.2 वर्ष के दौरान, सरकार ने अपनी प्रमुख उधार आवश्यकताओं के आधार पर छमाही निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेण्डर घोषणा की नीति को जारी रखा।

2.4.3 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए ₹5,71,000 करोड़ का उधार लिया है।

2.4.4 2018-19 (अप्रैल 2018 से मार्च, 2019) के दौरान, भारत औसत आय तथा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता क्रमशः 7.78% तथा 14.73 वर्ष थी, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की उसी अवधि में यह क्रमशः 6.97% तथा 14.12 वर्ष थी।

2.4.5 सरकार के मौजूदा ऋण और देयताओं का विस्तृत विश्लेषण 2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान वार्षिक ऋण दस्तावेजों में प्रकाशित किया गया है। (ये <http://dea.gov.in/documents-reports> पर उपलब्ध है)

## 2.5 नकद प्रबंधन

2.5.1 केंद्र सरकार में नकद प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन प्रणाली सहित एक आशोधित नकद प्रबंधन प्रणाली, 10 जनवरी, 2006 के इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 21(1)-पीडी/2005 के द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से केंद्रीय सरकार में 15 अनुदान मांगों के संबंध में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल, 2007 और 1 अप्रैल, 2012 से इस प्रणाली का विस्तार 23 और 46 अनुदान मांगों के लिए किया गया। इसे, मंत्रालय के 22 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21(1)-बी(पीडी)/2014 और 4 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(10)-डब्ल्यू एंड एम/2016 और 22 अगस्त, 2017 की फाइल सं. 15(39)-बी(आर)/2016 के द्वारा केन्द्र सरकार के सभी अनुदान मांगों के लिए लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यय प्रबंधन संबंधी वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों की बेहतर मॉनीटरिंग और अनुपालना के लिए सभी अनुदान मांगों को तैयार किया जाना और उनकी मासिक व्यय आयोजना (एमईपी) एवं त्रैमासिक व्यय आवंटन (क्यूईए) को नकद प्रबंधन प्रकोष्ठ में भेजा जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम माह में व्यय बजट अनुमानों के 33 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, बजट प्रभाग दिनांक 22 अगस्त, 2017 के का.ज्ञा. में

यथा उल्लिखित निर्धारित की गई तारीखों में थोक में भुगतान करने पर रोक लगाया गया है।

## 2.6 राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)

2.6.1 एफआरबीएम अनुभाग का मुख्य कार्य राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) 2003 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करना है। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के राजकोषीय प्रचालनों तथा मध्यावधिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति संचालित करने और उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक मामलों में और अधिक पारदर्शिता लाते हुए, केंद्रीय सरकार के उधारों, ऋण व घाटों को सीमित करने के माध्यम से राजकोषीय वहनीयता के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करते हुए राजकोषीय प्रबंधन तथा दीर्घावधिक वृहत आर्थिक स्थिरता हेतु परस्पर सर्जनात्मक साम्यता सुनिश्चित की जाए।

2.6.2 एफआरबीएम अधिनियम के संगत उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विवरण तैयार किए गए और संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए:-

### 1) राजकोषीय नीति के विवरण:-

- क) मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, 2018
- ख) राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण, 2018
- ग) वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2018
- घ) मध्यावधिक व्यय रूपरेखा (एम टी ई एफ) विवरण, 2018
- ङ) मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण, 2019 (अंतरिम)
- च) वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2019 (अंतरिम)

### 2) प्रकटन विवरण

केंद्रीय बजट 2018-19

- क) कर राजस्व एकत्रित परन्तु प्राप्त नहीं।
- ख) कर-भिन्न राजस्व का बकाया।
- ग) आस्ति रजिस्टर।
- घ) सरकार द्वारा दी गई गारंटी

केंद्रीय बजट 2019-20 (अंतरिम)

- क) कर राजस्व एकत्रित परन्तु प्राप्त नहीं।
- ख) कर-भिन्न राजस्व का बकाया।
- ग) आस्ति रजिस्टर।
- घ) सरकार द्वारा दी गई गारंटी

### 3) निम्नलिखित वित्त वर्ष के बजट से संबंधित प्राप्ति एवं व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा से संबंधित तिमाही/छमाही विवरण:-

- क) वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही

ख) वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही

ग) वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही

2.6.3 वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय संकेतक एवं सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 के लिए लक्ष्य नीचे दिए अनुसार हैं:-

(स. घ. उ. का %)

| राजकोषीय संकेतक/वर्ष | 2017-18 | 2018-19 (सं.अ.) | 2019-20 (ब.अ.) |
|----------------------|---------|-----------------|----------------|
| राजकोषीय घाटा        | 3.5     | 3.4             | 3.3            |
| केंद्र सरकार का ऋण*  | 49.5    | 48.4            | 48.0           |

टिप्पणी: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीडीपी ₹170.95 लाख करोड़ है।

\* "केंद्र सरकार का ऋण" में वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित विदेशी ऋण सहित उस तारीख की समाप्ति पर उपलब्ध नकद शेष को घटाकर भारत की संचित निधि तथा सभी लोक लेखा देयताओं के लिए केंद्र सरकार की सभी देयताएं शामिल हैं। ब.अ. 2019-20 में ईबीआर (पूर्णतया शोधित सरकारी बांड) भी शामिल हैं।

## 2.7 सार्वजनिक जमाराशि पर ब्याज

2.7.1 निम्नलिखित के लिए ब्याज दर का निर्धारण:

- (क) गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)
- (ख) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)
- (ग) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा अन्य इसी प्रकार की निधियां
- (घ) विशेष जमा योजना (एसडीएस)
- (ङ) नाविक भविष्य निधि (एसपीएफ)

## 2.8 लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी)

2.8.1 एक स्वायत्त ऋण प्रबंधन कार्यालय स्थापित करने के पहले कदम के रूप में मिडल आफिस की स्थापना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सितंबर, 2008 में की गई थी। इसके लिए ऋण प्रबंधन के क्रियाकलापों में कौशल और निपुणता विकसित करने की आवश्यकता थी, जिसमें काफी समय लगता है।

2.8.2 अप्रैल, 2015 में लोक सभा में वित्त मंत्री की घोषणा के परिणामस्वरूप, लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) की स्थापना करने हेतु आगे की कार्यनीति पर चर्चा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किए गए। यथा समय एक स्वतंत्र और सांविधिक पीडीएमए स्थापित करने से पहले शुरू में अंतरिम व्यवस्था के रूप में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सहमति हुई थी। इस अंतरिम व्यवस्था के तहत बाजार में अवरोध पैदा किए बगैर धीरे-धीरे और निरंतर तरीके से ऋण प्रबंधन क्रियाकलापों को आरबीआई से अलग करके पीडीएमए को देना अनुमत होगा।

2.8.3 मौजूदा कानूनी उपबंधों को देखते हुए, यह तय किया गया कि आरबीआई के सांविधिक क्रियाकलापों के साथ किसी विवाद से बचने के लिए इस पीडीएमसी को केवल परामर्श संबंधी कार्य समानुद्देशित किए जाएं। यह भी तय किया गया कि इस फ्रंट ऑफिस से संबंधित क्रियाकलाप जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली और बैंक ऑफिस, जिसमें निक्षेपागार और पंजीकरण सेवाएं शामिल हैं- पीएडीएमए के अस्तित्व में आने के बावजूद आरबीआई के साथ रहेंगी क्योंकि इसके लिए आरबीआई ने पर्याप्त मात्रा में अवसंरचना विकसित कर ली है और यह व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। इस संस्थापना के दोहरीकरण से परिहार्य व्यय से बचा जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत, आरबीआई के साथ लोक ऋण प्रबंधन अर्थात् एनडीएस तथा प्राथमिक और गौण विपणन संचालनों के लिए एनडीएस-ओएम और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निक्षेपागार बना रहेगा। तदनुसार, आर्थिक कार्य विभाग में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) 4 अक्तूबर, 2016 को गठित किया गया।

2.8.4 पीडीएमसी का गठन एक एजेंसी के अंतर्गत ऋण के सभी घटकों के समेकन की ओर पहला कदम था। एमओ की तुलना में विस्तारित आदेश के तहत सौंपे गए विभिन्न परामर्शी कार्यों के निष्पादन के अलावा पीडीएमसी सांविधिक पीडीएमए की संरचना के लिए कार्यरत है और इस बारे में एक स्वतंत्र ऋण डाटाबेस को तैयार करने और बाजार के विभिन्न भागीदारों के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाने जैसे कई आवश्यक कदम उठाए हैं।

2.8.5 ऋण प्रबंधन संचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना भारत सरकार का उद्देश्य है। भारत सरकार इस उद्देश्य से कई दस्तावेज प्रकाशित कर रही है जिसमें देश की समग्र ऋण स्थिति का ब्यौरा, लोक ऋण से संबंधित समेकित ऋण आंकड़े, केन्द्रीय सरकार के ऋण संबंधी ऋण प्रबंधन कार्यनीति आदि का ब्यौरा है। इन प्रकाशनों में सरकारी ऋण की वार्षिक प्रास्थिति दस्तावेज (2010 से), ऋण प्रबंधन कार्यनीति दस्तावेज (2015 से) और केन्द्रीय सरकार की ऋण सांख्यिकी की हस्तपुस्तिका (2013 से) शामिल है। सरकार ने अब सरकारी ऋण और इसके प्रबंधन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर लाने के लिए इन सभी प्रकाशनों को समेकित कर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। यह रिपोर्ट "सरकारी ऋण संबंधी प्रास्थिति दस्तावेज-सितंबर", वर्ष 2017-18 के लिए 18 जनवरी, 2019 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में देश की समग्र ऋण स्थिति, ऋण संपोषणीयता के पहलुओं का आकलन, विविध जोखिमों सहित ऋण प्रबंधन कार्यनीति आदि सरकारी ऋण के विविध पहलू शामिल हैं। नवीनतम प्रकाशन में ऋण प्रबंधन कार्यनीति के तहत लोक ऋण के सभी घटकों को शामिल किया गया है, जिससे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है।

## 2.9 हिन्दी शाखा

2.9.1 संसद में बजट संबंधी सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट दस्तावेजों के अतिरिक्त, हिन्दी अनुवाद शाखा ने अनुपूरक मांगों, आर्थिक वर्गीकरण रिपोर्ट, लोक सांख्यिकी रिपोर्ट और वैदेशिक ऋण की प्रास्थिति एफआरबीएम संबंधी तिमाही रिपोर्ट, जो संसद में रखी गई थीं, का भी अनुवाद कार्य किया है।

2.9.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के अनुवाद भी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हिन्दी शाखा द्वारा किए गए। इनमें विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ किए गए करार, मंत्रिमंडल टिप्पणियां, संसदीय प्रश्नोत्तर/आश्वासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति के कागजात, कृत कार्रवाई रिपोर्ट, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, शासकीय पत्र और विदेशी निधियन रिपोर्ट शामिल हैं।

## 3. वित्तीय बाजार प्रभाग

### 3.1 बाजार का निष्पादन

3.1.1 वित्त वर्ष 2018-19 में, एनएसई के बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 में 14.9 प्रतिशत और बीएसई के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 01 अप्रैल, 2017 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2018 तक के पिछले वित्त वर्ष में निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, बेंचमार्क सूचकांक ने अगस्त, 2018 में, अपनी निष्पादन अवधि की बंदी की सर्वोच्च ऊँचाइयों को छू लिया (जब सेंसेक्स 28 अगस्त, 2018 को 38896.63 पर बंद हुआ और निफ्टी 11738.5 पर बंद हुआ था)।

3.1.2 वित्त वर्ष 2018-19 अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाओं (भारत को छोड़कर) में इक्विटी के लिए ऋणात्मक वृद्धि का वर्ष था और भारतीय बाजारों का निष्पादन अन्य सर्वाधिक उभरते और विकसित बाजारों के निष्पादनों से बेहतर था जिसे चुनिंदा बड़े बाजार सूचकांकों के आशुचित्र (स्नैप्शॉट) वाली नीचे की सारणी में देखा जा सकता है। चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ताइवान, हांगसांग और सिंगापुर इन सभी में महत्वपूर्ण ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

विश्व के बड़े बाजारों का निष्पादन

| सूचकांक                    | 2016-17 का अंतिम दिवस (31.03.2017) | 2017-18 का अंतिम दिवस (31.03.2018) | 2018-19 का अंतिम दिवस (31.03.2019) | वित्त वर्ष 2017-18 में निष्पादन (वित्त वर्ष 2017-18 के विगत समापन की तुलना में 31.03.2018 को % परिवर्तन) | वित्त वर्ष 2018-19 में निष्पादन (वित्त वर्ष 2018-19 के विगत समापन की तुलना में 31.03.2019 को % परिवर्तन) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>भारतीय बाजार</b>        |                                    |                                    |                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |
| सेंसेक्स, भारत             | 29620.5                            | 32968.68                           | 38,672.91                          | 11.3%                                                                                                    | 17.3%                                                                                                    |
| निफ्टि, भारत               | 9173.75                            | 10113.7                            | 11623.9                            | 10.2%                                                                                                    | 14.9%                                                                                                    |
| <b>उभरते बाजार</b>         |                                    |                                    |                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |
| शंघाई कंपोजिट, चीन         | 3222.514                           | 3168.90                            | 3090.76                            | -1.7%                                                                                                    | -2.5%                                                                                                    |
| इंडिस बोवेस्पा, ब्राजील    | 64984.07                           | 85365.56                           | 95414.55                           | 31.4%                                                                                                    | 11.8%                                                                                                    |
| कोस्पि, दक्षिण कोरिया      | 2160.23                            | 2445.85                            | 2140.67                            | 13.2%                                                                                                    | -12.5%                                                                                                   |
| ताइवान टीएआईईएक्स, ताइवान  | 9811.52                            | 10919.49                           | 10641.04                           | 11.3%                                                                                                    | -2.6%                                                                                                    |
| <b>विकसित बाजार</b>        |                                    |                                    |                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |
| एस एंड पी 500, अमरीका      | 2362.72                            | 2460.87                            | 2834.40                            | 4.2%                                                                                                     | 15.2%                                                                                                    |
| डाउ जोन्स, अमरीका          | 20663.22                           | 24103.11                           | 25928.68                           | 16.6%                                                                                                    | 7.6%                                                                                                     |
| डैक्स, जर्मनी              | 12312.87                           | 12096.73                           | 11526.04                           | -1.8%                                                                                                    | -4.7%                                                                                                    |
| एफटीएसई 100, यू.के.        | 7322.92                            | 7056.61                            | 7279.19                            | -3.6%                                                                                                    | 3.2%                                                                                                     |
| सीएसी-40, फ्रांस           | 5122.51                            | 5167.3                             | 5350.53                            | 0.9%                                                                                                     | 3.5%                                                                                                     |
| एनआईकेकेईआई 225, जापान     | 18909.26                           | 21454.3                            | 21205.81                           | 13.5%                                                                                                    | -1.2%                                                                                                    |
| हैंग सेंग, हांगकांग        | 24111.59                           | 30093.38                           | 29051.36                           | 24.8%                                                                                                    | -3.5%                                                                                                    |
| स्ट्रेट्स टाइम्स, सिंगापुर | 3175.11                            | 3427.97                            | 3212.88                            | 8.0%                                                                                                     | -6.3%                                                                                                    |

स्रोत : कोर्गेंसिस

3.1.3 अगस्त, 2018 में उच्च रहने के बाद, बाजार में सितम्बर और अक्टूबर, 2018 में सुधार हुआ और नवम्बर, 2018 से इसने पुनः गति पकड़ ली। इन माहों के दौरान बेंचमार्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि अमेरिका-चीन व्यापार विवादों के चलते वैश्विक व्यापार के बदतर माहौल की आशंका तथा तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर रुपये पर दबाव बाजार की भावनाओं पर भारी पड़ा था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय परिस्थितियों की तंगी से उत्पन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्याप्त (स्पिल ओवर) जोखिम और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएस एंड एफएस), एक बड़ी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप-भिन्न स्वीकार करने वाली महत्वपूर्ण निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडी-एसआई) की चूक के पश्चात जारी चेतावनी ने भी शांत स्वभावों में अभिवृद्धि की। घरेलू मोर्च पर, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की

वृद्धि भी तीसरी तिमाही में गिरकर 6.6 प्रतिशत रह गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने वर्ष 2018-19 में 38,930 करोड़ रुपये मूल्य का निवेश वापस ले लिया। इसने म्यूचुअल फंडों में संवर्धित अंतर्वाहों के साथ काफी हद तक उल्टा कार्य किया।

| वित्त वर्ष | करोड़ रुपए |        |            |        |
|------------|------------|--------|------------|--------|
|            | इक्विटी    | ऋण     | हाईब्रिड्स | कुल    |
| 2011-12    | 43738      | 49988  | 0          | 93726  |
| 2012-13    | 140033     | 28334  | 0          | 168367 |
| 2013-14    | 79709      | -28060 | 0          | 51649  |
| 2014-15    | 111333     | 166127 | 0          | 277461 |
| 2015-16    | -14172     | -4004  | 0          | -18176 |
| 2016-17    | 55703      | -7292  | 0          | 48411  |

### जुटाई गई पूंजी की सीमा

3.1.4. पूंजी बाजार, ऋण और इक्विटी दोनों, भारत की विकास कथा के लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण हो चुका है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राथमिक बाजारों में 158 पब्लिक और राइट्स इश्यूज के जरिए कुल 54,915 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा चुकी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, पब्लिक इश्यू और कारपोरेट बांडों के निजी

नियोजन के जरिए जुटाई गई कुल राशि 6,46,996 करोड़ रुपए है जिसमें से 36,679 करोड़ रुपए की राशि 25 पब्लिक इश्यूज से आई। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) की राशि 23,79,663 करोड़ रुपए रही थी।

| प्राथमिक बाजार के जरिए जुटाई गई कुल राशि (इक्विटी, बांड, कॉम पेपर, करोड़ रुपए में) |          |         |              |        |              |        |                                 |        |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|--------|-------------|--------|
| वर्ष                                                                               | कुल राशि |         | श्रेणी-वार   |        |              |        | निर्गमकर्ता का प्रकार           |        |             |        |
|                                                                                    |          |         | पब्लिक इश्यू |        | राइट्स इश्यू |        | मौजूदा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा |        | नई कंपनियां |        |
|                                                                                    | सं.      | राशि    | सं.          | राशि   | सं.          | राशि   | सं.                             | राशि   | सं.         | राशि   |
| 2017-18                                                                            | 228      | 110,140 | 207          | 88,740 | 21           | 21,400 | 29                              | 26,366 | 199         | 83,774 |
| 2018-19                                                                            | 158      | 54,915  | 148          | 52,766 | 10           | 2,149  | 35                              | 38,828 | 123         | 16,087 |
| स्रोत: सेबी                                                                        |          |         |              |        |              |        |                                 |        |             |        |

| कारपोरेट बांड निर्गमन          |         |                        |         |                        |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|
| निर्गम प्रकार                  | 2017-18 |                        | 2018-19 |                        |
|                                | सं.     | धनराशि<br>(करोड़ रुपए) | सं.     | धनराशि<br>(करोड़ रुपए) |
| पब्लिक इश्यू (ऋण)              | 7       | 4953                   | 25      | 36,679                 |
| कारपोरेट बांडों का निजी नियोजन | 2,706   | 599,147                | 2,358   | 610,318                |
| कुल ऋण (सरकारी और निजी)        | 2,713   | 604,100                | 2,379   | 646,997                |
| स्रोत: सेबी                    |         |                        |         |                        |

| वर्ष/माह    | जुटाई गई कुल राशि |                |             | उन्मोचन      |                |             | निवल अंतर्वाह/वहिराह |                |          | अवधि के अंत में आस्तियां |
|-------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------|--------------------------|
|             | निजी क्षेत्र      | सरकारी क्षेत्र | कुल         | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | कुल         | निजी क्षेत्र         | सरकारी क्षेत्र | कुल      |                          |
| 2017-18     | 1,73,82,189       | 36,16,463      | 2,09,98,652 | 1,71,53,718  | 35,73,137      | 2,07,26,855 | 2,28,471             | 43,326         | 2,71,797 | 21,36,036                |
| 2018-19     | 1,96,52,989       | 47,41,374      | 2,43,94,362 | 1,95,91,483  | 46,93,178      | 2,42,84,661 | 61,505               | 48,196         | 1,09,701 | 23,79,663                |
| स्रोत: सेबी |                   |                |             |              |                |             |                      |                |          |                          |

### 3.2 नीतिगत घटनाक्रम

#### (क) प्राथमिक बाजार अनुभाग

निवेशक हितैषी प्रतिभूति बाजार के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार, विनियामक के परामर्श से अनेक कार्यापलट करने वाले कदम उठाती रही है जो निम्नवत हैं:

#### i. आईसीडीआर विनियमों की समीक्षा

सेबी ने केंद्रीय सरकार के परामर्श से अपने पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षा (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की समीक्षा की ताकि इसे आने वाले समय में बाजार की पद्धतियों और विनियामक माहौल में बदलावों के साथ अद्यतन किया जा सके। तदनुसार, 11 सितम्बर, 2018 को नया विनियम - पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षा विनियम, 2018 अधिसूचित किया गया था। नवीकृत आईसीडीआर विनियम को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप बना दिया गया है। सेबी ने प्रकटन अपेक्षा को काफी हद तक युक्तिसंगत बना दिया है। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सूचना पांच वर्षों की अवधि की बजाय तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाना, प्रवर्तक समूह की पहचान करने की न्यूनतम सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20

प्रतिशत किया जाना, समूह वाली कंपनियों की पहचान संबंधी मानदंड में बदलाव आदि शामिल हैं। निवेशकों द्वारा व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, प्रवर्तक अंशदान में कमी को फिलहाल वैकल्पिक निवेश निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों से, प्रवर्तक के रूप में श्रेणीबद्ध किए बिना, पूरा किया जा सकता है। यह समीक्षा अनावश्यक जटिलताओं को समाप्त करने और ऐसी सूचना, जो प्रासंगिक नहीं हो सकती, से बचने पर भी लक्षित रही है। साथ ही, इसमें इसका ध्यान रखा गया है कि जान-बूझकर चूक करने वालों और भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कोई आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर बाजारों की सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके अलावा, विगत पांच वित्त वर्षों में प्रवर्तकों के विरुद्ध अतीत की शास्तियों सहित अनुशासनात्मक कार्रवाईयों का अनिवार्य रूप से प्रकटन किया जाना शामिल है।

#### ii. म्यूचुअल फंडों की लागत को कम किया जाना

भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में विगत कुछ वर्षों में कई गुना वृद्धि हुई है। बड़ी किफायतों के लाभ का हिस्सा निवेशकों को प्रदान किए जाने के उद्देश्य से, सेबी

बोर्ड ने सितम्बर, 2018 में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए लागत कम करने, खर्चों के विनियोजन में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री और अनुचित लाभ कमाने को कम करने का निर्णय लिया है। सेबी ने इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं (क्लोज-एंडेड एंड इंटरवल स्कीम्स) के लिए कुल व्यय अनुपात (टीईआर) की अधिकतम सीमा 1.25 प्रतिशत और अन्य योजनाओं के लिए 1 प्रतिशत नियत की है। निधियों की निधि के लिए कुल व्यय अनुपात इक्विटी-उन्मुख योजनाओं के लिए 2.25 प्रतिशत तथा अन्य योजनाओं के लिए 2 प्रतिशत होगा। तथापि, इसने बी-30 (शीर्ष 30 से आगे) शहरों में बिक्री के लिए अतिरिक्त 30 आधार बिन्दुओं (बीपीएस) की अनुमति दे दी। इससे म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेशकों (संस्थागत तथा खुदरा निवेशक दोनों) की लागत में कमी आएगी। सेबी ने इस संबंध में दिनांक 22.10.2018 के परिपत्र के बाद दिनांक 25.03.2019 का एक परिपत्र जारी कर दिया है।

### iii. बड़े कारपोरेटों द्वारा कारपोरेट बांड जारी करने को प्रोत्साहित करना

बैंकिंग प्रणाली से कारपोरेट की उधारी के बोझ को कम करने के उद्देश्य से और 2018-19 की केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में, सेबी ने दिनांक 26.11.2018 का परिपत्र जारी किया है जो बड़े कारपोरेटों को अपनी 25 प्रतिशत वित्तीय जरूरतों की व्यवस्था कारपोरेट बांड बाजार से करने का निर्देश देता है।

### iv. आईपीओ में खुदरा निवेशकों के लिए भुगतान तंत्र के रूप में यूपीआई

आईपीओ में खुदरा निवेशकों के लिए भुगतान तंत्र के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का आशय किसी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात सूचीयन के लिए समयावधि को मौजूदा समय छः दिन से घटाकर तीन दिन करना है।

### v. सीआरए द्वारा गुणवत्ता प्रकटन

सरकार ने सेबी के परामर्श से सीआरए द्वारा किए गए प्रकटनों की गुणवत्ता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है। इसके अनुसरण में, सेबी ने अपने दिनांक 13.11.2018 के परिपत्र द्वारा रेटिंग कार्रवाईयों, रेटिंग संबंधी मानदंड की समीक्षा, औसत रेटिंग का प्रकटन, दीर्घावधिक लिखतों के लिए औसत रेटिंग ट्रांजिशन दर, सीआरए के निष्पादन का स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागार की वेबसाइट पर प्रकटन, सीआरए की आंतरिक लेखा परीक्षा, आदि के दृष्टिगत प्रकटन अपेक्षाओं में कतिपय परिवर्तन किए हैं।

### vi. एंजेल निवेशकों के लिए निवेश मानदंडों में छूट

स्टार्ट-अप या प्रारंभिक अवस्था वाले उद्यमों अथवा सामाजिक उद्यमों या एसएमई आदि के वर्ग में तेजी से वृद्धि के उद्देश्य से, सेबी ने एआईएफ विनियमों में कतिपय संशोधन किए हैं जिनका उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था वाले स्टार्ट-अप को गति प्रदान करना है। सेबी ने दिनांक 1 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत एंजेल निधियों द्वारा उद्यम पूंजी उपक्रमों में अधिकतम निवेश सीमा मौजूदा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। ऐसी

निधियों को स्वीकार करने से संबंधित अधिकतम समयावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करके एंजेल निवेशकों द्वारा न्यूनतम निवेश अपेक्षा में ढील दी गई है। सेबी में पंजीकृत होने के लिए किसी एंजेल निधि के लिए अपेक्षित संचित निधि आकार को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

### vii. ओएफएस तंत्र का विस्तार

ओएफएस तंत्र की उपलब्धता वाले कंपनी जगत का विस्तार करने के उद्देश्य से, सेबी बोर्ड ने यह अनुमोदित कर दिया है कि अब ओएफएस तंत्र 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा।

### viii. विशेष न्यायालय स्थापित करना

तीन प्रतिभूति अधिनियमों अर्थात् सेबी अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (एससीआरए), 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना/पदाभिधान है। इसे प्रतिभूति विधि संशोधन अधिनियम, 2014 के जरिए निगमित किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने अभी तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि में प्रतिभूति विधियों के अधीन विशेष न्यायालयों के रूप में 17 जिला सत्र न्यायालयों को पदाभिधानित किया है।

### ix. कारपोरेट अभिशासन पर कोटक समिति की रिपोर्ट को लागू करना

सेबी ने कारपोरेट अभिशासन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए श्री उदय कोटक की अध्यक्षता में जून, 2017 में एक समिति गठित की थी। इस समिति में आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (एफएम) ने किया था। कोटक समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 अक्तूबर, 2017 को प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने स्वतंत्र निदेशकों के मुद्दों, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा लेखांकन और लेखा परीक्षा पद्धतियों संबंधी मुद्दों, बोर्ड मूल्यांकन पद्धतियों की कारगरता में सुधार लाने, प्रकटन और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों आदि के संबंध में सिफारिशें की हैं। कोटक समिति की सिफारिशों की इस विभाग ने सेबी और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के घनिष्ठ परामर्श से जांच की थी। सेबी ने इस संबंध में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए 9 मई, 2018 में अधिसूचना द्वारा सेबी एलओडीआर विनियमन संशोधित कर दिया है।

### (ख) द्वितीयक बाजार अनुभाग

#### i. स्टाम्प शुल्क में सुधार - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन

प्रतिभूति बाजार लिखतों के स्टाम्प शुल्क के संग्रहण एवं आबंटन के योक्तिकीकरण के लिए 2018-19 के बजट के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उपयुक्त संशोधन तैयार किए थे। वित्त विधेयक, 2019 जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन करने की मांग की गई थी, फरवरी, 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया

गया था। भारत के राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी है। इसे भारत के राजपत्र में 21.02.2019 को अधिसूचित किया गया है और एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। अब, भारत सरकार सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के परामर्श से अपेक्षित नियमों को अधिसूचित करेगी।

**ii. स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों और निक्षेपागारों से संबंधित विनियमों और संबंधित परिपत्रों की समीक्षा ('बाजार अवसंरचना संस्थाएं')**

सेबी ने जनवरी, 2019 में सार्वजनिक हित निदेशकों को अधिक शक्तियां देकर ऐसे निकायों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों जैसी बाजार अवसंरचना संस्थाओं में विनियामक समितियों के संविधान को युक्तिसंगत बनाया है। सेबी ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने के बाद वह कम से कम 25 व्यापारिक सदस्यों के साथ व्यापार कार्य शुरू कर सकता है जिसमें पहले कम से कम 50 सदस्य होने आवश्यक थे। उसी प्रकार, कोई नया मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम अब कम से कम 10 समाशोधन सदस्यों के साथ समाशोधन एवं निपटान कार्य शुरू कर सकता है, जिसमें पहले कम से कम 25 सदस्य होने आवश्यक थे।

**iii. संस्थागत व्यापार मंच**

स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी-तंत्र में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए और संस्थागत व्यापार मंचों (आईटीपी) को अधिक सुलभ बनाने के लिए, सेबी बोर्ड ने उन निर्गमकर्ताओं जो अधिक मूल्य वाले उत्पाद, सेवाएं या व्यावसायिक मंच मुहैया कराने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, डाटा विश्लेषण तकनीक, जैव-प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का प्रचूर मात्रा में उपयोग करते हैं, पर ध्यान देते हुए, 12 दिसम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में इस मंच को निवेशक वृद्धि मंच (आईजीपी) के रूप में परिवर्तित करने का अनुमोदन किया है। उनके लिए किसी आईपीओ प्रक्रिया के बिना स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त उदार शर्तें रखी गई हैं।

**iv. इक्विटी व्युत्पन्नों का वास्तविक निपटान**

सेबी ने नगदी और व्युत्पन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर सहक्रिया लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इक्विटी व्युत्पन्नों का वास्तविक निपटान शुरू किया है और व्युत्पन्न क्षेत्र में स्टॉकों की शुरुआत करने के लिए पात्रता मानदण्ड का विस्तार किया है।

**v. समाशोधन निगमों में अंतरसंक्रियता**

सेबी ने निपटान निगमों के बीच अंतरसंक्रियता को सक्षम बनाया है जो उस स्टॉक एक्सचेंज जिसमें व्यापार किया जाता है, को ध्यान में रखे बिना एकमात्र सीसीपी पर भागीदारों के समाशोधन एवं निपटान कार्यों को समेकित करने की अनुमति देकर अनेक सीसीपी को लिंक करने की व्यवस्था करता है। यह समझा जाता है कि इस अंतरसंक्रियता से बाजार भागीदारों के लिए पूँजी का कुशल आबंटन होगा, जिससे लागत में बचत होगी और व्यापार का बेहतर निष्पादन होगा।

**vi. 'ए' रेटिंग वाले कारपोरेट बॉण्डों में निवेश करने के लिए निजी ट्रस्टों को सक्षम बनाना**

2018-19 के बजट की घोषणा के अनुसरण में, निजी ट्रस्टों को उन कारपोरेट बॉण्डों जिन्हें मौजूदा न्यूनतम 'एए' की रेटिंग निर्धारण की तुलना में 'ए' रेटिंग दी गई है, में निवेश करने की अनुमति देने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई थी।

**vii. लाभांश समायोजन नीति**

सेबी ने ऑप्शंस या फ्यूचर्स मूल्यों के समायोजन की सीमा 10% से घटाकर 5% करके जुलाई, 2018 में लाभांश समायोजन नीति में संशोधन किया।

**viii. इक्विटी व्युत्पन्न क्षेत्र में व्यापार करने के समय में बदलाव**

सेबी ने पण्य व्युत्पन्न क्षेत्र में व्यापार करने के समय के समान इक्विटी व्युत्पन्न क्षेत्र में व्यापार करने का समय 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.55 बजे अपराह्न के बीच करने के लिए 4 मई, 2018 को स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति दी।

**ix. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और कोलोकेशन/प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग संरचना को सुदृढ़ करने के उपाय**

सेबी ने 09 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के तहत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदत्त एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और कोलोकेशन/प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग सुविधा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए और एल्गोरिथमिक/कोलोकेटेड ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग के बीच एकसमान बाजार स्तर मुहैया कराने के लिए अनेक उपायों को जारी किया है। लघु एवं मध्यम आकार के व्यापारिक सदस्यों को सुविधा मुहैया कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को सुव्यवस्थित कोलोकेशन सेवाएं शुरू करने के लिए कहा गया है जिसमें विक्रेताओं को कुछ निःशुल्क सेवाएं मुहैया कराने के अलावा तकनीकी ज्ञान और अन्य प्रकार की दक्षता की सुविधा दी जाएगी।

**x. कंपनियों को निरस्त करने के लिए संशोधित संरचना**

सेबी ने मई, 2018 में अपनी मानक परिचालन प्रक्रिया व्यापक बनाने और सूचीबद्ध शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति को तुरंत संभालने में स्टॉक एक्सचेंजों को सक्षम बनाने के लिए कम्पनियों को निरस्त करने की अपनी रूपरेखा में संशोधन किया। वर्तमान में केवल 4 विनियमों के उल्लंघन की तुलना में सूचीबद्ध विनियमों में से 24 विनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। नई योजना के अंतर्गत जुर्माना उस तारीख तक लगेगा जिस तारीख को ट्रेडिंग को निरस्त किया गया हो। शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाली कम्पनियों को प्रामाणिक चेतावनी देने के लिए, निरस्त करने के बाद जुर्माने को सूची से अनिवार्यतः हटाने में बदल दिया जाता है। तदनुसार, एक्सचेंजों से हजारों कम्पनियों को सूची से हटाया गया है।

**xi. वार्षिक वैश्विक विवरण मुहैया कराने के लिए सदस्य/स्टॉक ब्रोकर**

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को सलाह दी है कि वे अपने सदस्यों/स्टॉक ब्रोकरों को निर्देश दें कि वे अपने ग्राहकों को वार्षिक



वैश्विक विवरण मुहैया कराएं जिसमें प्रति मात्रा समेकित खरीद मूल्य या प्रति मात्रा विक्रय मूल्य के साथ किसी वित्तीय वर्ष में किए गए सभी लेन-देनों का ब्यौरा दिया गया हो। इस विवरण से हुए लाभ या हानि सुनिश्चित करने में और आयकर विवरणी दर्ज करने में भी निवेशकों को मदद मिलेगी क्योंकि किसी विशेष अवधि में किए गए सभी लेन-देन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।

### (ग) पण्य व्युत्पन्न अनुभाग

#### i. एकीकृत एक्सचेंज

मध्यवर्तियों/ब्रोकरों के स्तर पर पण्य व्युत्पन्न बाजार का इक्विटी बाजार के साथ एकीकरण करने की अनुमति देने के बाद, अक्टूबर, 2018 से एक्सचेंजों के स्तर पर एकीकरण की व्यवस्था की गई है। अब, पण्य व्युत्पन्न खंड और इक्विटी खंड दोनों की प्रस्ताव एकल एकीकृत एक्सचेंज द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, अक्टूबर, 2018 से बीएसई और एनएसई में पण्य व्युत्पन्न में व्यापार शुरू हो गया है। बीएसई ने अभी तक सोना, चांदी, कच्चे तेल, तांबा, ग्वार गम, ग्वार बीज और कपास के लिए पण्य व्युत्पन्न संविदा देना शुरू कर दिया है और एनएसई ने सोना, चांदी और कच्चे तेल के लिए संविदा देना शुरू कर दिया है।

#### ii. पण्य व्युत्पाद बाजार में वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी) का यौक्तिकीकरण

भारतीय पण्य व्युत्पाद बाजार में कराधान संरचना को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से, सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए कृषि पण्य व्युत्पाद संव्यवहार को वित्त अधिनियम, 2018 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(5) में संशोधन करके गैर-सट्टे वाली स्थिति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पण्य व्युत्पादों में ऑप्शन का प्रयोग करने पर वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सीटीटी की दर 0.125 प्रतिशत से घटाकर 0.0001 प्रतिशत कर दी गई है।

#### iii. भारतीय पण्य बाजारों में वास्तविक पहुंच रखने वाले पात्र विदेशी निकायों (ईएफई) की पण्य व्युत्पाद बाजार में भागीदारी

विदेशी भागीदारों के लिए पण्य व्युत्पाद बाजार खोले जाने के प्रथम कदम के रूप में, सेबी ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय व्युत्पाद बाजारों में वास्तविक पहुंच रखने वाले विदेशी निकायों को घरेलू पण्य व्युत्पाद बाजारों में भागीदारी करने की अनुमति देने के लिए विनियामक संरचना अनुमोदित कर दी है। ऐसे निकायों को "पात्र विदेशी निकायों (ईएफई)" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उनकी भागीदारी का औचित्य निम्नवत है:

- भारत को/से आयात/निर्यात करने वाले विदेशी निकायों के लिए प्रतिरक्षा प्रतिबंधों में ढील देना। फिलहाल, ऐसे निकाय भारत में निवासी किसी सहायक निकाय की स्थापना करने के सिवाय भारतीय पण्य बाजारों के संबंध में अंतर्निहित मूल्य जोखिमों से प्रतिरक्षा नहीं कर सकते हैं।
- भारत में ही व्यापार किए जाने वाले पण्यों के लिए वैश्विक बैंचमार्क के अनुसार मूल्य निर्धारण।
- महीने से अधिक अवधि वाली संविदाओं में गहनता और तरलता विकसित करना तथा प्रतिरक्षा इसके बदले के लिए

विदेशी एक्सचेंजों पर पहुंच बनाने वाली भारतीय फर्मों को सीमित करना।

#### iv. सेबी द्वारा कृषि पण्य व्युत्पाद खंड में एक्सचेंजों से प्रभारित विनियामक शुल्क घटाना

कृषि पण्य व्युत्पाद खंड के संभावित लाभों को किसानों और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) तक पहुंचाने के उद्देश्य से, सेबी द्वारा कृषि पण्य व्युत्पाद खंड पर लगाए जाने वाले विनियामक शुल्क को युक्तिसंगत बना दिया गया है। फिलहाल, कृषि पण्य व्युत्पादों से उद्भूत कारबार पर निर्धारित कारबार आधारित स्लेब दरों पर विनियामक शुल्क लगाने के बजाय, प्रति एक्सचेंज 1,00,000 रुपये की एक समान दर पर मामूली विनियामक शुल्क लगाया जाएगा। विनियामक शुल्कों में प्रस्तावित कमी का परिणाम एक्सचेंजों के लिए बचतों के रूप में सामने आएगा जिनका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कृषि पण्य की प्रदायगी से संबंधित संव्यवहार लागतों को कम करने के लिए किया जाएगा।

#### v. पण्य व्युत्पाद बाजार में म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की अनुमति देना

पण्य व्युत्पन्न बाजार में संस्थागत भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को भारत में घरेलू विनियम व्यापार पण्य व्युत्पन्न में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में निर्णय 1 मार्च, 2019 को आयोजित सेबी बोर्ड की बैठक में लिया गया था। उसे वैधानिक रूप देने के लिए सेबी द्वारा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 और सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियमन, 1993 में आवश्यक संशोधन क्रमशः अप्रैल, 2019 और मई, 2019 को अधिसूचित किए गए थे। इस भागीदारी की अनुमति अनेक सुरक्षा उपायों जैसे संवेदनशील पण्यों में भाग नहीं लेने, खरीद से अधिक बिक्री नहीं देने, म्यूचुअल फंड योजनाएं 'ग्राहक के स्तर पर सीमित स्थितियों' अधीन होने आदि के अधधीन दी गई है।

#### (घ) विदेशी बाजार अनुभाग

##### i. नई विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से व्यापार करने को अधिक सुविधाजनक के लिए ईसीबी और रुपये मूल्यवर्ग के बान्डों के लिए मौजूदा संरचना को युक्तिसंगत बनाया है। तदनुसार, जनवरी, 2019 में एक नई ईसीबी नीति अधिसूचित की गई है। नई संरचना में महत्वपूर्ण उदारीकरण/यौक्तिकरण निम्नानुसार है:

- (क) मौजूदा संरचना में ट्रेक I (अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की ईसीबी) और II (दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की ईसीबी) को "विदेशी मुद्रा कोटि की ईसीबी" के रूप में विलय कर दिया गया है। उसी प्रकार, ट्रेक III (मुद्रा मूल्यवर्ग की ईसीबी) और मुद्रा मूल्यवर्ग की बान्ड संरचना को "मुद्रा मूल्यवर्ग की ईसीबी" संयुक्त कर दिया गया है। यह संरचना लिखत-तटस्थ है।
- (ख) पात्र उधारकर्ताओं की सूची बढ़ा दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले पात्र सभी संस्थाएं ईसीबी संरचना के अंतर्गत ऋण ले सकती हैं।
- (ग) कोई भी संस्था जो किसी देश की निवासी हो, जो

एफएटीएफ या आईओएससीओ के अनुकूल हो, को मान्यताप्राप्त ऋणदाता के रूप में माना जाएगा। यह बदलाव ऋणदाता के विकल्प में वृद्धि करता है और एएमएल/सीएफटी संरचना को सुदृढ़ करते हुए ईसीबी क्षेत्र में विभिन्न नए ऋणदाताओं को अनुमति देता है।

(घ) सभी ईसीबी के लिए वर्तमान में विभिन्न स्तर के एमएमपी के बदले ऋण की राशि को ध्यान में रखे बिना न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएमपी) 3 वर्ष रखी गई है जिसमें वे ऋण प्राप्तकर्ता शामिल नहीं हैं जिन्हें अल्प अवधि के लिए ऋण लेने के लिए परिपत्र में विशेष रूप से अनुमति दी गई थी।

(ङ) अब सभी पात्र उधार लेने वाले मौजूदा क्षेत्रवार सीमाओं के स्थान पर स्वचालित मार्ग के अधीन प्रति वित्त वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष तक ईसीबी जुटा सकते हैं।

(च) इन उल्लंघनों से छूट देने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए ईसीबी संरचना के अधीन विहित रिपोर्टिंग में विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क की शुरुआत करना।

## ii. एफपीआई निवेश सीमाओं की समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से अप्रैल, 2018 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण निवेश संबंधी वर्तमान विनियमों की विस्तृत समीक्षा की ताकि एफपीआई द्वारा निवेश को सुगम बनाया जा सके। तदनुसार, भारत सरकार से परामर्श के बाद, एफपीआई निवेश सीमाओं में निम्नानुसार संशोधन किए गए थे:

(क) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई निवेश के लिए सीमा में 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 5.5 प्रतिशत तक और 2019-20 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत तक करने के लिए प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

(ख) राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में एफपीआई निवेश के लिए सीमा प्रतिभूतियों के लिए स्टॉक के 2 प्रतिशत पर बिना किसी बदलाव के बनी रहेगी।

(ग) कारपोरेट बांडों में एफपीआई निवेश हेतु समग्र सीमा कारपोरेट बांडों के बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत पर नियत की गई।

## iii. अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र (आईएफएससी)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अनुमोदन दिया है। यह विधेयक राज्य सभा में 12 फरवरी, 2019 को पेश किया गया। आईएफएससी के लिए एक एकीकृत वित्तीय विनियामक स्थापित करने से व्यापार करने में सहूलियत की दृष्टि से बाजार भागीदारों के लिए

विश्वस्तरीय विनियामक माहौल उपलब्ध होगा। इससे भारत में आईएफएससी का और विकास करने के लिए और वित्तीय सेवाओं और कारोबार जिसे भारत में विदेशी वित्तीय केंद्रों में किया जाता है, को वापस लाने की प्रेरणा मिलेगी। इससे खासतौर पर भारत में आईएफएससी में और समग्र रूप से वित्तीय क्षेत्र में काफी रोजगार का भी सृजन होगा।

## iv. एफपीआई के लिए सामान्य आवेदन फार्म

वर्ष 2017 की बजट घोषणा के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग ने तारीख 21 अगस्त, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए भारत में एफपीआई द्वारा पंजीकरण, बैंक और डी-मेट खाता खोलने और पैन के लिए आवेदन करने के प्रयोजन हेतु विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सामान्य आवेदन फार्म अधिसूचित किया है।

## v. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की पात्रता शर्तें और निवेशों को समूहबद्ध करना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सरकार के परामर्श से 21 सितम्बर, 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की पात्रता शर्तों के संबंधित संशोधित परिपत्र जारी कर दिए हैं जिनमें एनआरआई/ओसीआई/निवासी भारतीयों (आरआई) को इस शर्त के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का घटक होने की अनुमति दी जाएगी कि एफपीआई की संचित राशि में उनके अंशदान व्यक्तिगत रूप से 25 प्रतिशत से कम और सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत से कम होने चाहिए। दिसम्बर, 2018 में, सेबी ने सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया कि पीएमएलए नियमों में लाभदायक स्वामित्व संबंधी मानदंड केवल केवाईसी के प्रयोजन के लिए लागू किए जाएंगे न कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेशों के समूहबद्धन। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश के समूहबद्धन की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक के सामान्य स्वामित्व के आधार पर या सामान्य नियंत्रण के आधार पर होगी। निवेश सीमाओं का उल्लंघन करने पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास अपनी धारिता को पांच कारोबारी दिवसों में घटाकर अपनी शेषधारिता को 10 प्रतिशत से कम करने या उक्त निवेशों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में माने जाने का विकल्प होगा।

## vi. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

01 मार्च, 2019 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय ऋण बाजारों में दीर्घावधिक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए "स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग" (वीआरआर) नामक एक पृथक योजना प्रारंभ की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कतिपय विनियामक अपेक्षाओं से छूटे के अतिरिक्त लिखत की पसन्दों के दृष्टिगत और अधिक प्रचालनात्मक लोचनीयता प्रदान की गई है। वीआरआर के तहत कुल निवेश सीमा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 40,000 करोड़ रुपए और कारपोरेट बांडों के लिए 35,000 करोड़ रुपए होगी। न्यूनतम प्रतिधारण अवधि तीन वर्ष होगी और इस अवधि के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत में आबंटित धनराशि की न्यूनतम 75 प्रतिशत धनराशि बनाए रखेंगे।

(ड) अंतर-राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग

i. भारत की सॉवरेन रेटिंग-

05 प्रमुख सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (एससीआरए) भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग करती हैं। ये हैं फिच रेटिंग्स, मूडीज इंवेस्टर्स

सर्विस, स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स (एस एण्ड पी), जेपनीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए), रेटिंग एण्ड इंवेस्टमेंट इंफोर्मेशन इंक, टोक्यो (आर एण्ड आई)। इन पांच एजेंसियों द्वारा जारी नवीनतम सॉवरेन रेटिंग निम्नानुसार हैं:-

| रेटिंग एजेंसी | रेटिंग अभिपुष्टि तारीख | विदेशी मुद्रा की                        | स्थानीय मुद्रा |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|               |                        | रेटिंग                                  | आउटलुक         |
| मूडीज         | 30.10.2018             | बीएए2                                   | स्थिर          |
| फिच           | 04.04.2019             | बीबीबी - (एलटी) एफ3 (एसटी) <sup>#</sup> | स्थिर          |
| एस एण्ड पी    | 21.12.2018             | बीबीबी - (एलटी) ए-3 (एसटी)              | स्थिर          |
| जेसीआरए       | 16.10.2017             | बीबीबी <sup>+</sup>                     | स्थिर          |
| आर एण्ड आई    | 29.10.2018             | बीबीबी (एलटी) ए-2 (एसटी)                | स्थिर          |

<sup>#</sup>एलटी-दीर्घावधिक, <sup>#</sup>एसटी-अल्पावधिक

(च) विनियामक स्थापना अनुभाग

i. विनियामक नियुक्तियाँ

विनियामक स्थापना अनुभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण की स्थापना से संबंधित मामलों पर कार्यवाई करता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सेबी और प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में निम्नलिखित नियुक्तियों की गई।

सेबी:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (i) श्री सन्तोष कुमार मोहंती    | पूर्णकालिक सदस्य                |
| (ii) श्री अनन्त बरुआ            | पूर्णकालिक सदस्य                |
| (iii) श्री आनन्द मोहन बजाज      | अंशकालिक सदस्य (सरकार के नामित) |
| (iv) सुश्री आरती सी. श्रीवास्तव | मुख्य सतर्कता अधिकारी           |

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण:

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (i) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)  | श्री तरुण अग्रवाल<br>पीठासीन अधिकारी |
| (ii) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) | श्री एम.टी. जोशी<br>न्यायिक सदस्य    |

इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण की एक अतिरिक्त पीठ की स्थापना में समर्थ बनाने के लिए, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तकनीकी सदस्य (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण) का एक पद सृजित किया गया है। इस पद के लिए भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा जैसे ही नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाता है वैसे ही प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण की प्रस्तावित दोनों पीठें कार्य करने लगेंगी।

ii. प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (सैट) का निष्पादन

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ट के तहत की गई

थी ताकि सेबी अधिनियम, 1992, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938 और तत्समय प्रवृत्त अन्य कानूनों के अंतर्गत अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग किया जा सके।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है अथवा उच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा पूरी की हो। इसके अलावा, 2 सदस्य होते हैं जो योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हों तथा जिन्होंने प्रतिभूति बाजार से जुड़ी समस्याओं से निपटने की योग्यता दिखाई हो और जिन्हें कारपोरेट विधि, प्रतिभूति विधि, वित्त, अर्थशास्त्र अथवा लेखांकन में पर्याप्त अर्हता एवं अनुभव हो। उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 15ड द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अध्यक्षीन, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है अपितु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होता है और इसके पास अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्तियां होती हैं जिनमें उन स्थानों को तय करने की शक्तियां भी होती हैं जहां यह सुनवाई करेगा।

अपीलकर्ता प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा प्राधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, लागत लेखाकारों अथवा विधि व्यवसायियों अथवा अपने किसी अधिकारी को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

सिविल न्यायालयों के पास ऐसे किसी मामले में किसी वाद या कार्यवाही को स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं होती है, जिनमें प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण को अभिनिर्धारण की शक्तियां प्राप्त हों तथा सेबी अधिनियम के तहत प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण को दी गई किसी शक्ति के अनुसरण में की गई अथवा की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में, किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जा सकता। प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के किसी निर्णय/आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। प्रतिभूति

अपीलीय अधिकरण को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने एकल सदस्यीय अधिकरण के रूप में 1997 में कार्य करना शुरू किया था और उसके बाद वर्ष 2003 में तीन सदस्यीय अधिकरण के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया।

30.04.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के पास 422 अपीलें लंबित हैं और इसका अवधि-वार विवरण निम्नानुसार है:

| माह और वर्ष | अधिनियम के तहत दायर अपीलें | लंबित कुल अपीलें | 3 माह से कम | 3 माह से अधिक | 6 माह से अधिक | 1 वर्ष से अधिक | 2 वर्ष से अधिक | 5 वर्ष से अधिक | 13 वर्ष से अधिक | कुल निपटान | नए मामले |
|-------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------|
| अप्रैल 2019 | सेबी                       | 416              | 72          | 75            | 140           | 91             | 38             | 0              | 01              | 52         | 69       |
|             | बीमा विधि                  | 4                | 0           | 0             | 0             | 01             | 03             | 0              | 0               | 0          | 0        |
|             | पीएफआरडीए                  | 2                | 2           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0          | 0        |

#### 4. वित्तीय स्थिरता एवं साइबर सुरक्षा

4.1 वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए तंत्र के सुदृढीकरण और सांस्थानीकरण, अंतर-विनियामक समन्वयन का संवर्धन करने और वित्तीय क्षेत्रक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय निकाय-वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का दिसम्बर, 2010 में गठन किया। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। इसके सदस्यों में आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रधान अधिकारी और भारत सरकार के चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, तारीख 23 मई, 2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा, एफएसडीसी की सदस्यता में विस्तार किया गया है और (i) आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री; (ii) सचिव, राजस्व विभाग (डीओआर); तथा (iii) सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी शामिल किया गया है।

4.2 यह परिषद बड़े वित्तीय उद्योग घरानों की कार्य प्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन से जुड़े मुद्दों सहित अंतर-विनियामक समन्वयन और वित्तीय क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है। वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा (एफएसएंडसीएस) प्रभाग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। सलाहकार (एफएसएंडसीएस), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय इस परिषद के सचिव हैं।

4.3 दिनांक 31 मार्च, 2019 तक, एफएसडीसी ने 19 बैठकें आयोजित की थीं। 19वीं बैठक 30 अक्तूबर, 2018 को आयोजित की गई थी। परिषद में वित्तीय क्षेत्र में कम्प्यूटर इमर्जेंसी रिसपॉन्स टीम (सीईआरटी-फिन) स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति, वित्तीय फर्मा एवं विनियामकों तथा पर्यवेक्षी प्राधिकरणों द्वारा रेगटेक एवं सुपटेक के प्रयोग के संबंध में बाजार संबंधी घटनाक्रमों और वित्तीय स्थिरता संबंधी निहितार्थों, क्रिप्टो आस्तियों/मुद्रा की

चुनौतियों और वितरक आयोग के सामान्य डाटा बेस एवं अग्रिम प्रकटीकरण के संबंध में सुमित बोस समिति की सिफारिशों को लागू करने सहित वर्तमान वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थिति, वास्तविक ब्याज दर, वर्तमान नगदी स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को सुदृढ करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

#### 4.4 एफएसडीसी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी)

4.4.1 एफएसडीसी की सहायता के लिए एक उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) है। इसकी अध्यक्षता गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। एफएसडीसी के अध्यक्ष और आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री को छोड़कर, एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी चार उप-गवर्नर तथा सचिव (एफएसडीसी) भी उप-समिति के सदस्य हैं। वित्तीय स्थिरता के प्रभारी अधिशासी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक इसके सदस्य सचिव हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता यूनिट (एफएसयू) उप-समिति का सचिवालय है। इस उप-समिति की 31 मार्च, 2019 तक 22 बैठकें हो चुकी हैं।

4.4.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएसडीसी-एससी ने 2 बैठकें आयोजित की थीं: 21वीं बैठक 14 जून, 2018 को और 22वीं बैठक 14 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में, उप-समिति ने देश की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले वैश्विक और घरेलू पहलुओं के संबंध में प्रमुख घटनाक्रमों की समीक्षा और अंतर-विनियामक समन्वयन तथा वित्तीय क्षेत्र घटनाक्रमों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) हेतु संरचना, वित्तीय क्षेत्र के लिए सामान्य मार्गनिर्देशात्मक संहिता, बहु-कार्यकलाप करने वाला एकल निकाय, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) की स्थिति, हालिया घटनाक्रम और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, मुद्रास्फीति सूचकांक बांड, भारत में कार्पोरेट क्षेत्र की निगरानी के लिए विभिन्न डाटाबेस को आपस में जोड़ना, वित्तीय रूप से बड़े उद्योग घरानों पर नजर रखना

शामिल है, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। उप-समिति ने कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की कार्य प्रणाली और इसके विभिन्न तकनीकी समूहों के कार्यकलापों, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ), मुखौटा (शैल) कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, सीमा-पार दिवालियापन हेतु विधिक संरचना और कंपनी अधिनियम के अधीन निक्षेपों की स्वीकार्यता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा भी की थी।

#### 4.5 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

4.5.1 एफएसबी एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक निर्धारित करने वाले निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को एक साथ मिलाकर जी-20 के तत्वावधान में अप्रैल, 2009 में की गई थी। एफएसबी सुभेद्यताओं के मूल्यांकन, नीतिगत विकास और समन्वयन, क्रियान्वयन संबंधी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है और यह सदस्यों की अधिकारिताओं में वित्तीय क्षेत्र विनियमन तथा सुधारों के लिए मानकों के सारसंग्रह के रूप में भी कार्य करता है। एफएसबी के सदस्यों में जी-20 देशों के साथ-साथ नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, स्विटजरलैंड, हांगकांग और बहुपक्षीय तथा मानक निर्धारितकर्ता निकाय जैसेकि आईएमएफ, विश्व बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), यूरोपीय आयोग, बैंकिंग पर्यवेक्षण बाज़ेल समिति (बीसीबीएस), अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संगम (आईएआईएस), अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ), अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी), वैश्विक वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (सीजीएफएस) और भुगतान तथा बाजार अवसंरचना संबंधी समिति (सीपीएमआई) शामिल हैं।

4.5.2 भारत 2008 के वित्तीय संकट के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षणीय संरचना के सुधारों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता आ रहा है। एफएसबी के सदस्य के रूप में, भारत ने, जहां आवश्यक था वहां पर स्थानीय परिस्थितियों का अंशांकन करके, चरणबद्ध तरीके से इन सुधारों को प्राथमिकता देने तथा अन्य सुधार क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। आर्थिक कार्य विभाग, एफएसबी के साथ समन्वयन हेतु भारत के लिए नोडल बिंदु है तथा विभिन्न एफएसबी प्रश्नावलियों, सर्वेक्षणों तथा रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते समय वित्तीय क्षेत्र विनियामकों (नामत: भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए और आईबीबीआई) के साथ परामर्श करके भारत से संबंधित सभी विशिष्ट सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। भारत अपने साथियों द्वारा की गई समीक्षाओं, बैठकों तथा एफएसबी की कॉन्फ्रेंस कॉल में भी भाग लेता है तथा सदस्य के रूप में अपने मत तथा अभिमत प्रस्तुत करता है।

4.5.3 आर्थिक कार्य विभाग के सचिव पूर्ण एफएसबी में, एफएसबी की चार स्थायी समितियों में से दो स्थायी समितियों, नामतः मानक क्रियान्वयन स्थायी समिति (एससीएसआई) और बजट तथा संसाधन स्थायी समिति (एससीबीआर) में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, सचिव (आर्थिक कार्य)

क्षेत्रीय एशिया परामर्शी समूह (आरसीजी एशिया) में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष (सेबी) और डीजी (आरबीआई) पूर्ण एफएसबी में और आरसीजी एशिया में भारत से दो अन्य सदस्य हैं। डीजी (आरबीआई) एफएसबी की अन्य दो स्थायी समितियों, नामतः सुभेद्यताओं के आकलन संबंधी स्थायी समिति (एससीएवी) और पर्यवेक्षणीय तथा विनियामक सहयोग स्थायी समिति (एसआरसी) में भारत से सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्ण एफएसबी निर्णय लेने वाली एक मात्र संस्था है, एससीएसआई सहमति दी गई एफएसबी नीतिगत पहलों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है तथा एससीबीआर चालू अधिदेश, कार्य संबंधी कार्यक्रम और उभरती मांगों को ध्यान में रखते हुए एफएसबी सचिवालय की संसाधन आवश्यकताओं के आकलन हेतु उत्तरदायी है। आरसीजी एशिया वर्ष 2011 में एफएसबी द्वारा स्थापित किए गए 6 क्षेत्रीय समूहों में से एक है, जिसका कार्य जी-20 की सदस्यता के अलावा एफएसबी के आउटरीच कार्यकलापों में विस्तार करना तथा इन्हें औपचारिक रूप देना और गैर-सदस्यों के साथ वार्ता के जरिए वित्तीय प्रणाली के वैश्विक स्वरूप को प्रतिबिम्बित करना है।

4.5.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, 25 जून, 2018 को बाज़ेल, स्विटजरलैंड में तथा 22 अक्टूबर, 2018 को ओटावा, कनाडा में पूर्ण एफएसबी की दो बैठकों का आयोजन किया गया था; 11 मई, 2018 को क्वालालापुर, मलेशिया और 5 नवम्बर, 2018 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में आरसीजी एशिया की दो बैठकों का आयोजन किया गया था; 2 अक्टूबर, 2018 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में और 1 फरवरी, 2019 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में एफएसबी एससीएसआई की दो बैठकों का आयोजन किया गया था। आमने-सामने बैठकर की गई इन बैठकों के अलावा, 3 पूर्ण एफएसबी बैठकें और 4 एससीएसआई बैठकें कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आयोजित की गई थीं।

4.5.5 एफएसबी क्रियान्वयन निगरानी समन्वयन संरचना (सीएफआईएम) अक्टूबर, 2011 में अपनाई गई थी जो सुधार के तरजीही क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। एससीएसआई इन दोनों क्षेत्रों में सहमति प्राप्त वित्तीय सुधारों के क्रियान्वयन की निगरानी का समन्वयन और पर्यवेक्षण करती है और पूर्ण एफएसबी को प्रगति के बारे में सूचना देती है, जो इसके बाद जी-20 को वार्षिक रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तरजीही क्षेत्रों में अधिक गहन निगरानी की जाती है और सावधिक प्रगति रिपोर्टों तथा देश-विशिष्ट साथी देशों की समीक्षाओं के जरिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। अन्य क्षेत्रों में सुधारों की प्रगति की निगरानी क्रियान्वयन निगरानी नेटवर्क (आईएमएन) सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है।

4.5.6 एफएसबी संकेतकों की 17 उप-श्रेणियों के माध्यम से सुधारों के 5 तरजीही क्षेत्रों में देश की प्रगति की निगरानी करता है। इन 17 में से, भारत ने 9 का अनुपालन किया है, भारत के मामले में एक संकेतक लागू नहीं होता है, 5 क्षेत्रों में क्रियान्वयन जारी है और केवल 2 क्षेत्रों में भारत के पास एफएसबी मानकों के अधीन यथा अपेक्षित कोई विनियामक व्यवस्था नहीं है। आईएमएन

सर्वेक्षण के माध्यम से निगरानी किए गए सुधारों के अन्य क्षेत्रों में, 22 क्षेत्रों में से अधिकतर में, भारत की प्रगति को "क्रियान्वयन पूर्ण" के रूप में दर्ज किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएसबी द्वारा निगरानी किए गए वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधार के तरजीही और अन्य क्षेत्रों में भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। तरजीही क्षेत्रों के अंतर्गत, भारत ने विशेष रूप से "क्षतिपूर्ति", "बीमाकर्ताओं हेतु अंतरण/ब्रिज/रन-ऑफ शक्ति" और "ओवर दा काउंटर डेरिवेटिव्स - ट्रेड रिपोर्टिंग एंड प्लेटफार्म ट्रेडिंग" जैसे क्षेत्रों में प्रगति की थी।

#### 4.6 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

4.6.1 एफएसएपी की शुरुआत 1999 में की गई थी। यह एक पंचवार्षिक कवायद है, जो विश्वभर में ऐसी 29 अधिकारिताओं में आईएमएफ तथा विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिन्हें आईएमएफ द्वारा "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण" वित्तीय क्षेत्रों के रूप अभिचिह्नित किया गया है। भारत जैसे विकासशील और उन्नतिशील बाजार वाले देशों में एफएसएपी विश्व बैंक और आईएमएफ कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाते हैं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केवल आईएमएफ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एफएसएपी किसी देश की वित्तीय स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र विकास का मूल्यांकन करने के लिए उसके वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। भारत में पहली एफएसएपी कवायद 2011-12 में और दूसरी 2017 में की गई थी। आर्थिक कार्य विभाग, संबंधित वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और मंत्रालयों/विभागों के सघन समन्वयन के साथ, एफएसएपी की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने सहित भारत हेतु आयोजित किए गए एफएसएपी से जुड़े सभी मामलों को सुलभ बनाता है तथा समन्वयन करता है।

4.6.2 वर्ष 2017 में एफएसएपी कवायद के बाद, आईएमएफ और विश्व बैंक ने कुछेक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्टें (डीएआर) और चुनिंदा शीर्षकों पर तकनीकी टिप्पणों के पश्चात्, वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट<sup>1</sup> (एफएसएसए) (आईएमएफ प्रेस विज्ञप्ति, बैंक पुनर्पूजीकरण संपूरक उपायों और आईएमएफ में भारत के ईडी के बफ विवरण के साथ) और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन<sup>2</sup> (एफएसए) रिपोर्ट सहित अपनी-अपनी संबंधित वेबसाइटों पर 21 दिसम्बर, 2017 को क्रमशः अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की थीं। इस कवायद की निरंतरता में, भारतीय बीमा क्षेत्र विनियामन और पर्यवेक्षण<sup>3</sup> के संबंध में एक तकनीकी टिप्पण प्रकाशित होना रह गया था, जो आईएमएफ द्वारा 2 अप्रैल, 2019 को प्रकाशित किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग, एफएसएपी में की गई सिफारिशों की जांच और उचित क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/विनियामकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

<sup>1</sup> <http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/21/India-Financial-System-Stability-Assessment-Press-Release-and-Statement-by-the-Executive-45497>

<sup>2</sup> <http://documents.worldbank.org/curator/en/704231513810603813/India-Financial-Sector-Assessment>

<sup>3</sup> <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/04/02/India-Financial-Sector-Assessment-Program-Insurance-Sector-Regulation-and-Supervision-45754>

#### 4.7 वृहत वित्तीय निगरानी समूह (एमएफएमजी)

4.7.1 किन्हीं विशिष्ट आकस्मिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में वृहत वित्तीय निगरानी समूह का गठन किया गया था, और आर्थिक कार्य विभाग में इसकी नियमित बैठक होती है तथा वित्त मंत्रालय के सभी विभागों से प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। आईएमएफ और वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्रतिनिधियों को आमतौर पर बैठकों के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। इस समूह का उद्देश्य समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर दृष्टि रखना, सुभेद्यताओं की पहचान करना और समयपूर्व चेतावनी संकेत प्रदान करना है। यह समूह उन वृहत वित्तीय मानीटरों पर चर्चा करता है, जो महत्वपूर्ण वृहतआर्थिक और वित्तीय अस्थिरताओं पर विभिन्न "महत्वपूर्ण प्रभागों" से अनिवार्यतया क्रमवार सूचना एकत्र करते हैं। इस समूह की 31 मार्च, 2019 तक 21 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, 1 जून, 2018 और 16 नवम्बर, 2018 को एमएफएमजी की दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

#### 4.8 वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी)

4.8.1 बजट भाषण 2016-17 में, माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत आंकड़ा समेकन और विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी) की स्थापना की घोषणा की थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, विधि और न्याय मंत्रालय तथा संबंधित विभागों के परामर्श से एक कानूनी निकाय के रूप में एफडीएमसी की स्थापना करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी और मसौदा एफडीएमसी विधयेक को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हुई है।

#### 4.9 वित्तीय क्षेत्र कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया दल (सीईआरटी-फिन)

4.9.1 बजट भाषण 2017-18 में यह घोषणा की गई थी कि "हमारे वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता के लिए सुरक्षा उपाय करने हेतु साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एक कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया दल (सीईआरटी-फिन) का गठन किया जाएगा। यह संस्था सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और अन्य हितधारकों के घनिष्ठ समन्वय से कार्य करेगी।" घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया दल (सीईआरटी-फिन) की स्थापना के जरिए साइबर सुरक्षा संरचना का अध्ययन करने और उसके सुदृढीकरण के लिए महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रियादल (आईसीईआरटी), इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यदल, जिसमें सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, गठित किया गया है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सीईआरटी-फिन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट और इसकी संस्तुतियों पर माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके बाद रिपोर्ट को जनता की टिप्पणियों के लिए विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया था। सीईआरटी-फिन के दायरे में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के

‘एमसीए 21’, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) आदि जैसी विभिन्न वित्तीय क्षेत्र एजेंसियों को लाकर इसका दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

4.9.2 सीईआरटी-फिन की रूपरेखाओं पर चर्चा करने के लिए 2018-19 में तीन बैठकों का आयोजन किया गया है। वित्त सचिव और सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में 27 मार्च, 2019 को आयोजित की गई पिछली बैठक में, सीईआरटी-इन के अंब्रेला के अधीन एक मजबूत और शक्तिशाली सीईआरटी-फिन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह सीईआरटी-इन को प्राप्त कानूनी शक्तियों का लाभ ले सके। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानूनी और प्रभावी सीईआरटी-फिन की स्थापना करने को संभव बनाने के लिए आईटी अधिनियम में संशोधन करने की सहमति दे दी है। कानूनी सीईआरटी-फिन के लंबित गठन को आरंभ करने के लिए सीईआरटी-फिन के कार्य संचालन के संबंध में प्रारंभिक कार्य करने के दिशा-निर्देश भी दिए गए थे, जिनमें सीईआरटी-फिन और वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के परामर्श से इसकी संचालनात्मक संरचना और मानव संसाधन नीति को अंतिम रूप देने को शामिल किया जा सकता है।

## 5. वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग

### 5.1 प्रस्तावना

5.1.1 वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्लेखन करने के लिए 24 मार्च, 2011 को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया गया था। इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 मार्च, 2013 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं: खंड I - शीर्षक ‘विश्लेषण और संस्तुतियां’ तथा खंड II - मसौदा भारतीय वित्त संहिता (आईएफसी) समावेशित शीर्षक ‘मसौदा विधि’। आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बेहतर अभिशासन और उत्तरदायित्व के लिए जहां कहीं आवश्यक हो मौजूदा विनियामक एजेंसियों की पुनर्संरचना करके और नई एजेंसियों का सृजन करके, वित्तीय क्षेत्र के लिए गैर-क्षेत्रीय, सिद्धान्त-आधारित विधायी संरचना की संस्तुति की थी।

5.1.2 एफएसएलआरसी रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर निम्नलिखित अधिदेश के साथ कार्रवाई करने के लिए एक नये प्रभाग नामतः एफएसएलआरसी प्रकोष्ठ का सृजन वर्ष 2013 में किया गया था:

- (क) सभी संबंधित हितधारकों, विनियामकों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और जनता के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एफएसएलआरसी की सिफारिशों पर सरकार के विचारों को सुदृढ़ बनाना;
- (ख) सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित एफएसएलआरसी की सिफारिशें लागू करना; और
- (ग) एफएसएलआरसी से जुड़े सभी प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों पर कार्रवाई करना।

5.1.3 सितंबर, 2017 में, (i) विधायी सुधार और (ii) वित्तीय क्षेत्र सुधार उप-प्रभागों के साथ वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधान (एफएसएलआरसी) प्रभाग के रूप में एफएसएलआरसी प्रभाग का नाम बदलने का निर्णय लिया गया था।

### 5.2 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग - मुख्य संस्तुतियां

5.2.1 एफएसएलआरसी की रिपोर्ट 28 मार्च, 2013 को पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत की गई थी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की विभिन्न बैठकों में इस रिपोर्ट की जांच और इस पर चर्चा की गई। एफएसएलआरसी की संस्तुतियों को मोटे तौर पर दो भागों-विधायी और गैर-विधायी में बांटा जा सकता है। संस्तुतियों के विधायी तथ्य एक गैर-क्षेत्रीय, सिद्धान्त-आधारित अवधारणा द्वारा और जहां कहीं आवश्यक हो, मौजूदा विनियामक एजेंसियों की पुनर्संरचना करके तथा नई एजेंसियों का सृजन करके वित्तीय क्षेत्र विनियामक संरचना की विधायी रूपरेखा में सुधार करने से संबंधित हैं।

### 5.3 वित्तीय विनियामक संरचना संबंधी संस्तुतियां

5.3.1 आयोग ने सात अभिकरण विनियामक संरचना नामतः भारतीय रिजर्व बैंक, एकीकृत वित्तीय अभिकरण, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान निगम, वित्तीय समाधान अभिकरण, लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण तथा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की सिफारिश प्रारूप विधि-भारतीय वित्तीय संहिता में अनेक विद्यमान विधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए की है। एफएसएलआरसी की अनुशंसाओं के गैर-विधायी पहलू मोटे तौर पर वित्तीय क्षेत्रक विनियामकों के कार्यकरण में सुदृढ़तर उपभोक्ता हित रक्षण तथा अधिक पारदर्शिता के सिद्धांतों को संवर्धित कर रहे अभिशासन के स्वरूप वाले हैं। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन समूह दिया गया है जो इसे कार्यान्वयन-योग्य बनाता है:

- (i) मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक का अस्तित्व बना रहेगा, यद्यपि इसके कार्य आशोधित किए जाएंगे;
- (ii) मौजूदा सेबी, वायदा बाजार आयोग, आईआरडीए और पीएफआरडीए का विलय नयी एकीकृत वित्तीय एजेंसी में किया जाएगा;
- (iii) मौजूदा प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) को एफएसएटी में समाविष्ट किया जाएगा;
- (iv) मौजूदा भारतीय निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को समाधान निगम में समाविष्ट किया जाएगा;
- (v) नयी वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) का सृजन किया जाएगा;
- (vi) नए पीडीएमए का सृजन किया जाएगा; और
- (vii) मौजूदा एफएसडीसी का अस्तित्व बना रहेगा, यद्यपि इसके कार्य आशोधित होंगे और इसकी पूर्णतः कानूनी संरचना होगी।

### 5.4 एफएसएलआरसी की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति

5.4.1 एफएसएलआरसी की संस्तुतियों के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति और अगले चरण निम्नानुसार हैं:

- (i) एफएसडीसी की बैठकों में यथा सहमत, वित्तीय क्षेत्र विनियामक एजेंसियां स्वैच्छिक आधार पर एफएसएलआरसी का अभिशासन वर्धन, गैर-विधायी संस्तुतियों का क्रियान्वयन कर रही हैं। प्रत्येक विनियामक/बोर्ड के लिए बेंचमार्क अनुपालन हेतु उपाय करने के लिए एक समुचित तंत्र की व्यवस्था करने हेतु वित्त मंत्री ने मई, 2015 में एक एमआईएस पोर्टल को विकसित और उद्घाटन किया। पोर्टल पर अनुपालन स्थिति अद्यतन करने में विनियामकों को आ रही अनेक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एमआईएस पोर्टल को विनियामकों के परामर्श से आशोधित किया गया है। विनियामकों ने एमआईएस पोर्टल पर अपनी अनुक्रियाएं प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है।
- (ii) तारीख 24 नवम्बर, 2015 को एसीसी के अनुमोदन से वित्तीय क्षेत्र विनियामक निकायों के बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए 'वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियोजन खोज समिति' (एफएसआरएएससी) का गठन किया गया है। एफएसआरएएससी का 09 जून, 2017 को पुनर्गठन किया गया है। इससे वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के बोर्ड के सदस्यों के चयन में लगभग एकरूपता आएगी, जो ऐसे विनियामकों की बोर्ड संरचना के संबंध में एफएसएलआरसी की एक संस्तुति थी।
- (iii) जहां तक उत्तरोत्तर सुधार प्रयास द्वारा संगठित कारोबार के लिए एकीकृत वित्तीय एजेंसी की स्थापना का संबंध है, वायदा बाजार आयोग का विलय 28 सितम्बर, 2015 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ कर दिया गया है ताकि प्रतिभूति बाजार और पण्य व्युत्पन्न बाजार के विनियमनों में समरूपता हासिल की जा सके। एफएमसी समाप्त कर दिया गया और वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 निरसित कर दिया गया है। तथापि, मौजूदा वित्तीय क्षेत्र विनियामकों का विलय किसी एकल एकीकृत वित्तीय एजेंसी में करने पर सहमति नहीं बनी है।
- (iv) मौजूदा प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) का रूपांतरण वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण (एफएसएटी) में करने और नई एजेंसियां नामतः, समाधान निगम (आरसी), लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) और वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र (एफडीएमसी) की स्थापना करने के लिए कार्यबलों का गठन 30 सितम्बर, 2014 को किया गया था। इन कार्यबलों ने अपनी रिपोर्टें जून, 2015 में प्रस्तुत कर दी थीं। जैसीकि बजट भाषण 2015-16 में घोषणा की गई थी, एक क्षेत्र-निष्पक्ष वित्तीय निवारण एजेंसी (एफआरए) का सृजन करने के लिए अन्य कार्यबल का गठन 5 जून, 2015 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 जून, 2016 को प्रस्तुत की थी। इसकी रिपोर्ट परीक्षाधीन है।
- (v) एफएसएलआरसी की रिपोर्ट और मसौदा आईएफसी के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित करने के अलावा, आर्थिक कार्य विभाग ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के साथ मिलकर मसौदे पर राय कायम करने के लिए

आईएफसी के विशिष्ट क्षेत्रों पर अनेक कार्यशालाएं और सेमिनारों का आयोजन किया था। आईएफसी को विधिक रूप से दोषरहित बनाने के लिए हितधारकों की टिप्पणियों को उचित रूप से शामिल कर मसौदा आईएफसी को और बेहतर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया और मसौदा आईएफसी में प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधन किया गया और इसे 8 अगस्त, 2015 तक हितधारकों से टिप्पणियों की मांग करते हुए 23 जुलाई, 2015 को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया। सम्यक विचार करने के पश्चात्-सम्पूर्ण रूप में एफएसएलआरसी द्वारा संस्तुत भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) को भेजने में समय लगने की संभावना है। आईएफसी के मुख्य पहलुओं पर निम्नानुसार तेजी से कार्य किया जा रहा है:

#### (क) वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) की क्षमता का उन्नयन/वर्धन करने के लिए, बीमा और पेंशन क्षेत्र से संबंधित अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी और अनेक पीठों का उपबंध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधन किया गया था। इससे वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण में जाना और अनेक पीठों की व्यवस्था करना सुविधाजनक होगा, जो सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए अपीलीय अधिकरण संस्थापित करने की संस्तुति थी। एफएम प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को एफएसएटी की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य सौंपा गया है।

#### (ख) वित्तीय क्षेत्र के लिए व्यापक समाधान संरचना की स्थापना

वित्तीय फर्मों के समाधान पर व्यापक संहिता तैयार करने के लिए और इसे 2016-17 के दौरान संसद में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बजट भाषण 2016-17 में घोषणा की गई थी। वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 (विधेयक) 10 अगस्त, 2017 को लोक सभा में पेश किया गया और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संसदीय संयुक्त समिति को प्रेषित कर दिया गया। इस विधेयक में वित्तीय क्षेत्र निकायों के लिए एक विशिष्ट समाधान व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इस विधेयक के अधिनियमन से संकटग्रस्त वित्तीय फर्मों का तीव्र और कार्यक्षम समाधान करके, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निक्षेप बीमा उपलब्ध कराकर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करके और वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं और सार्वजनिक निधियों की संभव सीमा तक संरक्षा करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और प्रतिरोध क्षमता में योगदान करने के लिए समाधान प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त होगी। एफआरडीआई विधेयक के कतिपय उपबंधों पर व्यापक पुनर्विचार और पुनर्जांच के संबंध में हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं के कारण एफआरडीआई विधेयक को व्यापक पुनर्जांच और पुनर्विचार के लिए लोक से 7 अगस्त, 2018 को वापिस ले लिया गया।



### (ग) स्वतंत्र वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में एक केन्द्रीय डाटा केन्द्र नामतः वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र (एफडीएमसी) की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसका प्रयोग वित्तीय स्थिरता और संबंधित मुद्दों के विश्लेषण के लिए किया जाएगा। सांविधिक वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र के सृजन के संबंध में एफएसएलआरसी की संस्तुति के पश्चात, सरकार ने सुबीर गोकर्ण की अध्यक्षता में एफडीएमसी संबंधी कार्य बल की स्थापना की, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, एक गैर-सांविधिक एफडीएमसी की स्थापना करने की संस्तुति की। एफएसएंडसीएस प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को एफडीएमसी की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाने का कार्य सौंप दिया गया है।

### (घ) स्वतंत्र सरकारी ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना

सरकारी ऋण और नकदी शेष आदि का प्रबंध करने के लिए एक स्वतंत्र सरकारी ऋण प्रबंधन अभिकरण (पीडीएमए) की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस आशय से, सरकार ने एक उचित समय पर स्वतंत्र और कानूनी ऋण प्रबंधन एजेंसी नामतः, भारतीय सरकारी ऋण प्रबंधन अभिकरण (पीडीएमए) की स्थापना करने से पूर्व अंतरिम व्यवस्था के रूप में 04 अक्तूबर, 2016 को सरकारी ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) की स्थापना की। इस अंतरिम व्यवस्था से ऋण प्रबंधन कार्य बाजार में बिना किसी रूकावट के क्रमिक और सुगम तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक से पीडीएमए को अंतरित हो जाएंगे। बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को पीडीएमए की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य सौंप दिया गया है।

### (ङ) संस्थागत और सांविधिक मौद्रिक नीति संरचना

i. एफएसएलआरसी ने नीति ब्याज दर निर्धारित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का सृजन करने सहित मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए सांविधिक और संस्थागत संरचना की स्थापना करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट) में विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मौद्रिक नीति समिति के लिए सांविधिक और संस्थागत संरचना का उपबंध करने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधन किया गया है। मौद्रिक नीति समिति को लक्षित स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए अपेक्षित बेंचमार्क नीति दर (रेपो दर) निर्धारित करने का कार्य सौंपा जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्धारण करने के लिए समिति-आधारित अवधारणा से मुद्रा संबंधी नीतिगत निर्णयों का महत्व बढ़ेगा और उनमें पारदर्शिता आएगी। मौद्रिक नीति समिति की एक वर्ष में कम-से-कम 4 बार बैठकें की जाएंगी और यह प्रत्येक ऐसी बैठक के बाद अपने निर्णयों को प्रकाशित करेगी।

ii. मौद्रिक नीति के अध्याय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों को 27 जून, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के चयन हेतु प्रक्रिया को अभिशासित करने वाले नियम और उनकी नियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तें तथा एमपीसी संरचना के अंतर्गत मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने

में विफलता का कारण बनने वाले कारक भी 27 जून, 2016 के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तारीख 5 अगस्त, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को निम्नानुसार अधिसूचित किया है:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| मुद्रास्फीति लक्ष्य : | चार प्रतिशत |
| ऊपरी छूट स्तर :       | छह प्रतिशत  |
| निम्न छूट स्तर :      | दो प्रतिशत  |

iii. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी के उपबंधों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से, तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से होंगे और मौद्रिक नीति समिति के अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। तारीख 29 सितम्बर, 2016 को गठित और भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित मौद्रिक नीति समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

- (क) बैंक का गवर्नर - अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) बैंक का उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति का प्रभारी - सदस्य, पदेन;
- (ग) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक बैंक अधिकारी - सदस्य, पदेन;
- (घ) श्री चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) - सदस्य
- (ङ) प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) - सदस्य
- (च) डा. रविंद्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद - सदस्य

iv. उपर्युक्त उप पैरा (घ) से (च) में दिए गए मौद्रिक नीति समिति के सदस्य चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे। मौद्रिक नीति समिति अब कार्यरत है।

v. एमपीसी का पूर्ण परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियमन 14 जुलाई, 2017 को तैयार एवं अधिसूचित किए गए। तत्पश्चात, ये विनियमन 04 अगस्त, 2017 को लोक सभा में और 08 अगस्त, 2017 को राज्य सभा में रखे गए।

### 5.5 अन्य विधायी सुधार

5.5.1 आपराधिक कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से पूर्व या उनके लंबित रहने के दौरान, आर्थिक आपराधियों के भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से भाग जाने के उदाहरण सामने आए हैं। भारतीय न्यायालयों से ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति से अनेक हानिकार परिणाम उत्पन्न होते हैं-प्रथम, इससे आपराधिक मामलों की जांच अवरुद्ध हो जाती है; द्वितीय, इससे न्यायालयों का कीमती समय बर्बाद होता है; और तृतीय, इससे भारत में विधिक शासन को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा, आर्थिक अपराध के ऐसे मामलों में बैंक ऋणों की गैर-अदायगी भी शामिल है जिसके कारण भारत में

बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय हालत बदतर हो रही है। पूर्व विद्यमान दीवानी और फौजदारी विधिक उपबंध इस समस्या की गंभीरता से निपटने में नाकाफी हैं।

5.5.2 उपर्युक्त को देखते हुए, बजट 2017-18 में यह घोषणा की गई कि सरकार भारत में समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में ऐसे व्यक्तियों के प्रस्तुत होने तक उनकी आस्तियां जब्त करने वाले विधायी परिवर्तन या नयी विधि भी पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है। इस घोषणा के अनुसरण में, 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक' ('विधेयक') नामक विधेयक का प्रारूप आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहते हुए भारतीय विधिक प्रक्रिया के वंचन से उन्हें भयविरत करने वाले उपाय विहित करने के लिए तैयार किया गया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 अधिनियमित और 1 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्वयं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उसके स्वामित्व वाली अपराध से प्राप्त आय और

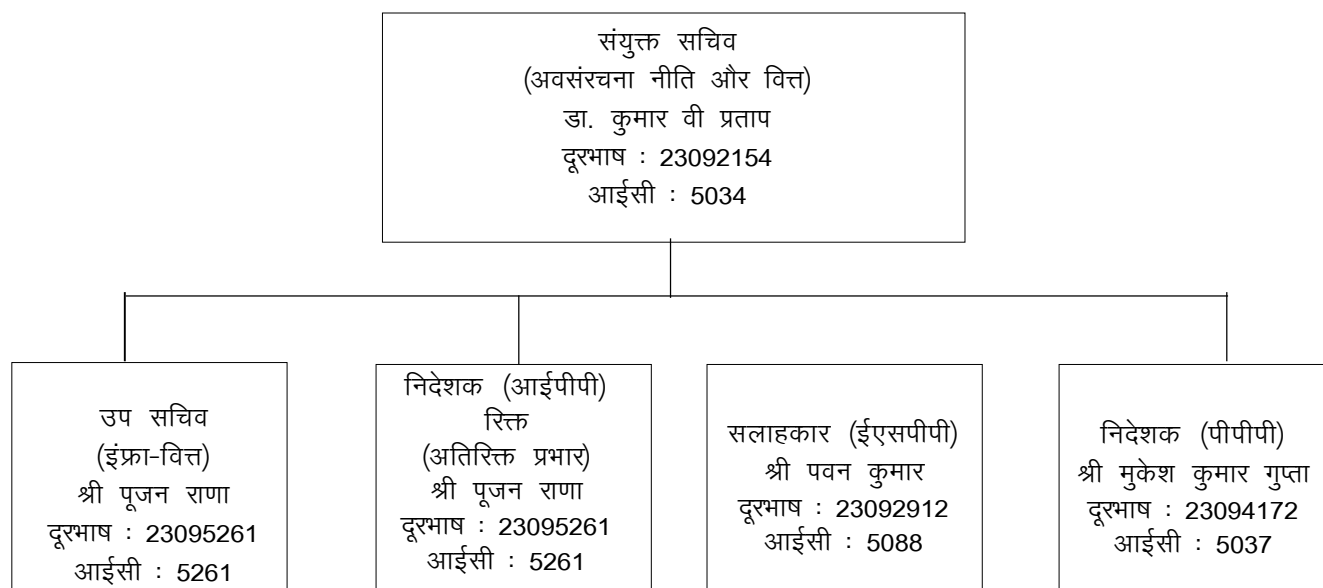
संपत्तियां या बेनामी संपत्ति की त्वरित जब्ती का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जहां विशेष न्यायालय किसी संपत्ति की जब्ती का आदेश देता है और ऐसी संपत्ति भारत से बाहर किसी संविदाकारी राष्ट्र में है, वहाँ विशेष न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए संविदाकारी राष्ट्र के न्यायालय या प्राधिकरण के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकता है।

## 6. अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग

डा० कुमार प्रताप, संयुक्त सचिव, अवसंरचना नीति और वित्त (आईपीएफ) प्रभाग के प्रमुख हैं। इस प्रभाग में निम्नलिखित इकाइयां हैं: अवसंरचना वित्त (इन्फ्रा-फिन), अवसंरचना नीति और कार्यक्रम (आईसीसी), ऊर्जा क्षेत्र नीति और कार्यक्रम (ईएसपीपी) और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)। प्रत्येक इकाई के प्रमुख सलाहकार/निदेशक उपसचिव हैं और उनकी सहायता अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा की जाती है।

प्रभाग की ई-गवर्नेंस पहलें: आईपीएफ प्रभाग के सभी अनुभाग ई-आफिस मोड (ई-फाइल्स, छुट्टी, अग्रिम, आदि) में अंतरित हो गए हैं।

### आईपीएफ प्रभाग का संगठनात्मक चार्ट



## 6.1 अवसंरचना वित्त इकाई

### 6.1.1 मुख्य कार्य :

अवसंरचना वित्त अनुभाग, अवसंरचना के वित्तपोषण और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और नई पहल करने सहित अवसंरचना के वित्तपोषण संबंधी जरूरतों का कार्य कर रहा है। यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

- अवसंरचना के वित्तपोषण तथा अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित मामले;
- अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ), स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी)/अवसंरचना निवेश न्यास (निवेशआईटी), म्यूनिसिपल बांड से संबंधित मामले और अवसंरचना वित्तपोषण और ऋण वृद्धि के प्रयोजनार्थ अन्य लिखतें;

- अवसंरचना के लिए नई साख रेटिंग प्रणाली से संबंधित मामले;
- अवसंरचना परियोजनाओं की साख वृद्धि के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) से संबंधित मामले;
- अवसंरचना वित्तपोषण (पीपीपी के अलावा) संबंधी सभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस;
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा म्यूनिसिपल बांड से संबंधित मामले;
- सड़क, पत्तन, विमानपत्तन इत्यादि जैसे क्षेत्रों के लिए आदर्श त्रिपक्षीय करार (एमटीए);
- विदेशी प्रभार - जीसीसी देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और यमन) टर्की, लेबनान, साइप्रस और जोर्डन;

- जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह (आईआईडब्ल्यूजी) के मामले;
- परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) से संबंधित सभी नीतिगत मामले तथा आर्थिक कार्य विभाग के भीतर इसका समन्वयन;
- आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित मामले क्योंकि संयुक्त सचिव (आईपीएफ) इसके निदेशक मंडल के सरकारी नामिती हैं;
- समन्वय तथा इस प्रभाग से संबंधित सामान्य मामले।

#### 6.1.2 प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धियां :

**6.1.2.1 अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफ):** भारत सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधिक ऋण के प्रवाह को तेज करने और बढ़ाने के लिए अवसंरचना ऋण निधि की संकल्पना की है ताकि बैंकों से निश्चित आय बाजारों में आस्तियों के प्रचालन के लिए परियोजना ऋणों के स्थानांतरण में मदद की जा सके। आशा है कि नवीन ऋण संवर्धन के जरिए आईडीएफ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कम लागत का दीर्घावधिक ऋण प्रदान करेगी।

आईडीएफ के अंतर्गत संभावित निवेशकों में अपतटीय संस्थागत निवेशक, अपतटीय उच्च निवल मूल्य व्यष्टि और अन्य संस्थागत निवेशक (बीमा निधियां, पेंशन निधियां, सॉवरेन संपत्ति निधियां, आदि) शामिल हैं। आईडीएफ की स्थापना प्रायोजक निकायों द्वारा एनबीएफसी के रूप में अथवा न्यास/म्यूचुअल फंड (एमएफ) के रूप में की गई है। अब तक, एनबीएफसी मार्ग के अंतर्गत चार आईडीएफ तथा एमएफ मार्ग के अंतर्गत तीन आईडीएफ प्रचालनरत हैं।

#### 6.1.2.2 स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी)/अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी)

ये न्यास आधारित ढांचे हैं जो कुल कर-अंतरण तथा बेहतर शासन ढांचे के जरिए अधिकतम प्रति लाभ देता है। 26 सितंबर, 2014 को सेबी द्वारा आईएनवीआईटी तथा आरईआईटी के लिए दिशानिर्देशों/नियामकों को अधिसूचित किया गया है।

आज की तारीख में तीन अवसंरचना निवेश न्यास सफलतापूर्वक शुरू किए गए हैं। पहले सड़क क्षेत्र के अवसंरचना निवेश न्यास ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है और दूसरे अवसंरचना निवेश न्यास ने विद्युत पारेषण क्षेत्र में आईपीओ के जरिए 2,250 करोड़ रुपये जुटाए हैं। तीसरे अवसंरचना निवेश न्यास ने अपनी ईकाईयों के निजी नियोजन के जरिए 2,790 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

मार्च, 2019 में, भारत का प्रथम स्थावर संपदा निवेश न्यास (आईआईटी) शुरू किया गया था और इसने आईपीओ के जरिए लगभग 4,750 करोड़ रुपये जुटाए हैं और इसे 1 अप्रैल, 2019 को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

#### 6.1.2.3 अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण वर्धन के लिए समर्पित निधि का सृजन

अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में यह भी घोषित किया गया कि अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण वर्धन

करने हेतु एक समर्पित निधि स्थापित की जाएगी। यह निधि अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने में मदद करेगी और दीर्घावधिक निवेशकों से निवेश सुसाध्य बनाएगी।

बजट घोषणा 2016-17 के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था कि अवसंरचना परियोजनाओं में ऋण वर्धन के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) एनबीएफसी-एसपीवी के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न सीपीएसई तथा अन्य सरकारी कंपनियां इक्विटी अंशदाता के रूप में होंगे। स्थापना व्यय समिति (सीईई) ने 13 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में विचार-विमार्श किया है तथा अवसंरचना परियोजनाओं में ऋण वर्धन के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। निधि की स्थापना मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अध्यक्षीन अग्रिम अवस्था में है।

#### 6.1.2.4 नगरपालिका उधार

सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यूलबी) की क्षमताएं निर्मित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है ताकि अब अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए पूंजी बाजारों के माध्यम से वित्तपोषण की व्यवस्था की जा सके। प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य यूलबी के लिए प्रतिकृति बनाने योग्य मॉडल और संबंधित दस्तावेजों को विकसित करना तथा सफल प्रायोगिक संव्यवहार के माध्यम से मॉडल को प्रदर्शित करना है। भारत में नगरपालिका बांडों को जारी करने के लिए दिशा-निर्देश सेबी द्वारा 2015 में अधिसूचित किए गए हैं। आर्थिक कार्य विभाग तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें विनियामक अनुपालनों को सुविधाजनक बनाना, परियोजना का पता लगाना तथा यूलबी को व्यापक सहायता देना शामिल है।

पिछले दो वर्षों में बहुत से म्यूनिसिपल बांड जारी किए हैं। प्रारंभ में पुणे नगर निगम जिसने जून 2017 में 200 करोड़ रुपये जुटाए थे, तत्पश्चात इंदौर नगर निगम जिसने जून, 2018 में 139 करोड़ रुपये जुटाए, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जिसने फरवरी, 2018 में 200 करोड़ रुपये तथा अगस्त, 2018 में 195 करोड़ रुपये जुटाए, ग्रेटर विशाखापटनम नगर निगम जिसने दिसम्बर, 2018 में 80 करोड़ रुपये जुटाए, अहमदाबाद नगर निगम जिसने जनवरी, 2019 में 200 करोड़ रुपये जुटाए, तथा सूरत नगर निगम जिसने मार्च, 2019 में 200 करोड़ रुपये जुटाए, आते हैं।

#### 6.1.2.5 जी20 में अवसंरचना कार्य समूह

जी20 निवेश तथा अवसंरचना कार्य समूह (जी20 आईडब्ल्यूजी) 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता में पुनर्जीवित किया गया था तथा इसने 2019 में जापान की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी मुद्दों पर जी20 के सदस्यों के विचारों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी जारी रखी है। वर्ष 2018 में, जी20 आईडब्ल्यूजी ने "आस्ति श्रेणी के रूप में अवसंरचना संबंधी रोड मैप" तथा जी20 "अवसंरचना परियोजना निर्माण चरण के लिए सिद्धांत" को अंतिम रूप देकर पृथक श्रेणी के रूप में अवसंरचना के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त किया।

इन दोनों दस्तावेजों का 2018 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में समर्थन किया गया। जी20 आईडब्ल्यूजी में भारत के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की तुलना में ब्राउनफील्ड आस्तियों को उनके तुलनात्मक रूप से जोखिम रहित स्वरूप पर विचार करते हुए पृथक आस्ति श्रेणी के रूप में विकसित करना क्योंकि ब्राउनफील्ड आस्तियां निर्माण अवस्था से पहले की हैं। भारत के हस्तक्षेप उन युक्तियों को स्पष्ट करते हैं जिनसे देश अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी पर्याप्त घाटे तथा प्रचालनात्मक दक्षता एवं उस सेवा गुणवत्ता में संभावित सुधारों से होने वाले लाभों जो प्रबंधन दायित्व को विशिष्ट तीसरे पक्ष के आस्ति प्रचालक को हस्तांतरित करने से उत्पन्न हो सकती हैं, को ध्यान में रखते हुए ब्राउनफील्ड आस्ति मुद्रीकरण का अन्वेषण करके लाभ ले सकते हैं।
- ii. निर्माण और कार्यान्वयन की अवस्थाओं में अवसंरचना परियोजनाओं के गुणात्मक पक्षों का सुधार करना ताकि निजी क्षेत्र, निवेश रूप से बचतों (पेंशन, बीमा और सरकारी धन निधि) के वैश्विक संस्थागत पूल द्वारा वित्तपोषण के लिए इनकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाया जा सके।
- iii. अवसंरचना अधिप्राप्ति के संबंध में पारदर्शिता, सततता तथा पूर्वानुमानता उपलब्ध कराने में संविदात्मक मानकीकरण/मानकीकृत दस्तावेजों की भूमिका को उजागर करना।
- iv. आंकड़ों से संबंधित पहलों में सहक्रिया लाने के लिए तथा निवेशकों के लिए लाभकारी सूचना का सृजन करते समय अवसंरचना के डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार के क्षेत्र में दोहरेपन को दूर करने की जरूरत का समर्थन करना।

## 6.2 ऊर्जा क्षेत्र नीति और कार्यक्रम (ईएसपीपी) ईकाई

6.2.1 अन्य बातों के साथ-साथ, ईएसपीपी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ऊर्जा क्षेत्र अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, परमाणु ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दे।
- मंत्रालय/विभाग: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कोयला, विद्युत।
- ऊर्जा क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों की व्यवहार्यता और औचित्य की जांच करना जिनमें मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीओएस/पीआईबी/ईएफसी के अनुमोदन की आवश्यकता है।
- ओएनजीसी लि., ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) और इंटरनेशनल सोलर अलायंस संबंधी मामले।
- प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) से जुड़े मामले।
- अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र प्रभार : ईरान, इराक और इजराइल
- अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि (ओएफआईडी) से संबंधित मामले
- राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात

## 6.2.2 प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धियां:

6.2.2.1 ऊर्जा क्षेत्र नीति और कार्यक्रम ईकाई प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए निगरानी समिति (एमसी) का सचिवालय है। निगरानी समिति का अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव है। इसने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) की 81 सिफारिशों से 66 यथावत स्वीकार की जा चुकी हैं और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तीन पुनः तैयार करके क्रियान्वयाधीन हैं। 1 सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।

6.2.2.2 शेष 11 सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके विभाग ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। भूमि से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता के अंतर्गत दो समितियों का गठन किया गया था:-

- (i) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित समूची सरकारी भूमि की वस्तु-सूची के केंद्रीकृत डाटा बैंक के सृजन के लिए कार्य समिति। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) सृजित की गई है। समिति द्वारा किए गए कार्य संबंधी एक संक्षिप्त नोट 24.4.2018 को मंत्रिमंडल सचिव को भेज दिया गया था।
- (ii) सरकार तथा सरकार नियंत्रित सांविधिक प्राधिकारी तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अधिकार में रखी गई भूमि के विनिमय, हस्तांतरण, पट्टे पर देना, लाईसेंस देना तथा विक्रय करने के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर व्यापक मार्गनिर्देशों के सुझाव के लिए समिति। इस समिति की रिपोर्ट विचारार्थ मंत्रिमंडल सचिव को भेज दी गई है।

6.2.2.3 वर्ष के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त बारह मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीओएस टिप्पणियों/प्रस्तावों की जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान चौदह पीआईवी प्रस्ताव और एक एसएफसी प्रस्ताव की जांच की गई है।

## 6.3 अवसंरचना नीति और कार्यक्रम (आईपीपी) ईकाई

### 6.3.1 प्रमुख कार्य:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग, पत्तन, पोत परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, रेलवे, दूरसंचार, नागर विमानन और शहरी विकास क्षेत्र से संबंधित निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं (गैर-पीपीपी) से संबंधित मामले।
- संचालन समिति, अंतर-मंत्रालयी समितियों, उच्च स्तरीय समितियों, सचिवों के समूह, अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची संबंधी संस्थागत कार्यप्रणाली को सेवा प्रदान करना।
- संबंधित मंत्रालय के क्षेत्रक प्रभार वाले प्रभाग को सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में पीआईएम/ईओआई को अंतिम रूप देने के लिए मूल्यांकन समिति से संबंधित मामले।

- संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त डीसीएन पर टिप्पणियां प्रदान करना।
- संस्थाएं: डीएमआईसीडीसी/एनआईसीडीआईटी, एलएचएआई, आईआरएफसी, आईआरएसडीसी, डिजीटल संचार आयोग
- बाह्य क्षेत्र प्रभार: शून्य
- मंत्रालय/विभाग: सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन (पत्तन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन), नागर विमानन, रेलवे, आवास और शहरी कार्य, दूरसंचार, डाक।
- राज्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।

### 6.3.2 प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धियां:

**6.3.2.1** संस्थागत तंत्र द्वारा निम्नलिखित उप-क्षेत्रों की सिफारिश की गई थी और इन्हें अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची में शामिल करने के लिए तदन्तर 2018 में वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था:

**6.3.2.1.1** विद्युत और सिग्नल प्रणाली, वर्कशॉप सहित रोलिंग स्टॉक, तथा संबद्ध अनुरक्षण सुविधाएं जो "परिवहन और लोजिस्टिक" श्रेणी के अंतर्गत उपश्रेणी "रेलवे ट्रैक, सुरंग, सेतु, पुल, स्टेशन और संलग्न वाणिज्यिक अवसंरचना सहित टर्मिनल अवसंरचना" को संशोधित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची में शामिल हैं। संशोधित श्रेणी इस प्रकार है:

- विद्युत और सिग्नल प्रणाली, सुरंग, सेतु, पुल सहित रेलवे ट्रैक;
- वर्कशॉप और संबद्ध अनुरक्षण सुविधाओं सहित रेलवे रोलिंग स्टॉक;
- स्टेशन और संलग्न वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना।

**6.3.2.1.2 भारी सामग्री ढुलाई पाइपलाइन:** भारी सामग्री ढुलाई पाइपलाइन "परिवहन और लोजिस्टिक" श्रेणी के अंतर्गत अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची में शामिल है जिसके साथ एक फुटनोट भी है जिसमें कहा गया है कि इसमें "तेल, गैस, स्लरी, जलापूर्ति और लौह अयस्क पाइपलाइन शामिल हैं" जिसका उद्देश्य स्लरी पाइपलाइनों में निवेश को बढ़ावा देना, खनिजों की ढुलाई की लोजिस्टिक लागत को कम करना, रेलवे का विस्तार करना तथा लौह-अयस्क ढुलाई को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। नई उप-श्रेणी में ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत "तेल पाइपलाइन" और "गैस पाइपलाइन" तथा "जल और स्वच्छता" श्रेणी के अंतर्गत "स्लरी पाइपलाइन" और "जलापूर्ति पाइपलाइन" शामिल होंगे।

**6.3.2.1.3** जब विशेष क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा, तो यह उस क्षेत्र को वर्धित सीमाओं में आसान शर्तों पर अवसंरचना उधार लेने, विदेशी वाणिज्यिक उधारों के रूप में निधियों की बड़ी राशियों तक पहुंच, बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों से दीर्घावधि निधियों तक पहुंच में समर्थ बनाएगा और उन्हें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) से उधार लेने का पात्र बनाएगा।

6.3.3 वर्ष के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सात

सीसीईए टिप्पणियों, बारह मंत्रिमंडल टिप्पणियों तथा ग्यारह पीआईबी टिप्पणियों की जांच की गई है।

### 6.4. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) इकाई

#### 6.4.1 मुख्य कार्य :

- पीपीपी नीति और कार्यक्रम;
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना;
- पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम;
- नवोन्मेषी कार्यक्रम और पीपीपी प्रायोगिक परियोजना पहल;
- शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों तथा आदेशों के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन;
- अवसंरचना में पीपीपी की वित्तीय सहायता की योजना-अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना;
- पीपीपी को मुख्यधारा में लाना जिसमें द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों की तकनीकी सहायता और कार्यक्रम तथा राज्य और स्थानीय सरकारों को सहायता शामिल है;
- पीपीपी और पीपीपी से संबंधित अन्य मामलों से अंतरराष्ट्रीय संपर्क;
- पीपीपी से संबंधित सूचना के प्रबंधन से संबंधित मामले।

**6.4.2** भारत सरकार ने अवसंरचना अंतराल को पूरा करने तथा उच्च प्राथमिकता वाली सरकारी अवसंरचना तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी के जरिए अवसंरचना में निजी क्षेत्र निवेश के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से शुरू किया है। पीपीपी ईकाई सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए सचिवालय तथा अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता की आर्थिक कार्य विभाग की योजना (अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ)) के जरिए वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं हेतु अधिकार-प्राप्त संस्था (ईआई)/ अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) के रूप में कार्य करती है।

#### 6.4.3 मुख्य नीतिगत पहलें/ उपलब्धियां:

##### 6.4.3.1 सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्थापना पीपीपी पर योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने, परियोजनाओं के त्वरित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने, विलंब को समाप्त करने, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों को स्वीकार करने, तथा मूल्यांकन तंत्र और मार्गनिर्देशों में एकरूपता लाने के लिए की गई थी। केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्ताव पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने के लिए पीपीपीएसी की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाती है जिसमें व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग, नीति आयोग तथा प्रायोजक मंत्रालय/ विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होते

हैं। अप्रैल, 2018 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान, 9730 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) से 8 परियोजनाएं पीपीपीएसी द्वारा अनुशंसित की गई हैं।

#### 6.4.3.2 अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता (अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण योजना)

अवसंरचना परियोजनाएं अपने जन कल्याणकारी स्वरूप, पर्याप्त विफल निवेश और कम प्रतिफल के कारण प्रायः वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। तथापि, ये आर्थिक रूप से आवश्यक बनी रहेंगी। तदनुसार, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता की योजना (अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण योजना) तैयार की गई थी जो सरकारी निजी भागीदारी के जरिए प्रारंभ की गई अवसंरचना परियोजनाओं को एककालिक अथवा आस्थगित अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जाए। योजना कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक को कुल अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण प्रदान करती है। सरकार अथवा संविधिक निकाय जिसके पास परियोजना का स्वामित्व है, यदि वह निर्णय लेता है, तो वह कुल परियोजना लागत का बीस प्रतिशत तक के लिए अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर सकता है। योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण परियोजना निर्माण की अवस्था में सामान्यतः पूंजी अनुदान के रूप में होता है। 2018-19 की अवधि के दौरान, अधिकार-प्राप्त संस्था ने 1,136 करोड़ रुपए की टीपीसी वाली 1 परियोजना को सिद्धांत रूप में अनुमोदन तथा 26.57 करोड़ रुपए की टीपीसी वाली 1 परियोजना को अनुमोदन तथा 5.31 करोड़ रुपये का वीजीएफ प्रदान किया है।

#### 6.4.3.3 भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)

हालांकि, विकासशील सुसंरचित, द्रव्य के मूल्य वाली सरकारी निजी भागीदारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण सलाहकारी सेवाएं मूलभूत होती हैं, पीपीपी अधिप्राप्त करने की लागत और खासकर लेनदेन सलाहकारों का खर्च महत्वपूर्ण होते हैं। सुदृढ़ वित्तीय संरचना वाली ठोस परियोजनाओं का विकास और परियोजनाओं के संबंध में बाजार की प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए इष्टतम जोखिम आवंटन महत्वपूर्ण होता है। 'भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि' (आईआईपीडीएफ) की स्कीम शुरू की गई है ताकि पीपीपी परियोजनाओं के विकास पर होने वाली लागत का वित्तपोषण किया जा सके। आईआईपीडीएफ परियोजना विकास व्यय के 75 प्रतिशत अंश का सहयोग करती है।

#### 6.4.3.4 पीपीपी की संरचना हेतु टूलकिट

पीपीपी व्यवसायियों की सहायता करने के लिए टूलकिट बनाए गए हैं ताकि विकसित की जा रही पीपीपी की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु पीपीपी परियोजना चक्र के महत्वपूर्ण चरणों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके। यह टूलकिट ऑन-लाइन और वेब-आधारित हैं जो पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, मूल्यांकन, विकास, अधिप्राप्ति और मॉनीटरिंग को सुसाध्य बनाते हैं। हालांकि, सामान्य संरचना में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराएं समाविष्ट की गई हैं, फिर भी भारत में पीपीपी व्यवसायियों के

लिए सुसंगत संसाधन बनाना सुनिश्चित करने के लिए भारत में वर्तमान में विद्यमान परियोजनाओं की अधिप्राप्ति व अनुमोदन हेतु विशिष्ट प्रस्तावों पर टूलकिट का निर्माण किया गया है। टूलकिटों का ऑनलाइन स्वरूप विद्यमान निर्माण व इसमें परिवर्तन के प्रस्तावों को थोड़े से समय में शीघ्रता से संसाधनों को अद्यतन करना सुनिश्चित करता है। ये टूलकिट चार सेक्टर अर्थात् राजमार्ग, पत्तन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन को कवर करते हैं। यह टूलकिट आर्थिक कार्य विभाग की पीपीपी ईकाई की वेबसाइट [www.pppinindia.gov.in](http://www.pppinindia.gov.in) के जरिए व्यवसायियों को उपलब्ध होती है।

#### 6.4.3.5 पीपीपी व्यवसायी गाइड

पीपीपी व्यवसायियों हेतु व्यापक मार्गदर्शन करने के लिए 'व्यवसायियों हेतु पीपीपी गाइड' शीर्षक वाली पुस्तक बनी है जो पंचाट-पूर्व चरण सहित पीपीपी परियोजना की जीवन चक्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में क्रमशः जानकारी देने के लिए है। यह पीपीपी के विकास और कार्यान्वयन में पारदर्शिता, स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायियों द्वारा अपनायी जाने वाली सर्वोत्तम परंपराओं को दर्शाती है। आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ की वेबसाइट अर्थात् [www.pppinindia.gov.in](http://www.pppinindia.gov.in) पर उपलब्ध गाइड 17 माड्यूलमें बांटी गई है जिसमें पीपीपी परियोजना निर्माण प्रक्रिया में चरणों अथवा अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। यह गाइड उदाहरणों, महत्वपूर्ण निकासियों, वेब लिंक्स और मामला अध्ययनों से अलंकृत है।

#### 6.4.3.6 आकस्मिक देनदारी प्रबंधन टूल

संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा प्रायोजित पीपीपी से उत्पन्न आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रबंधन के लिए एक एप्लीकेशन टूल विकसित किया गया है। यह टूल ब्राउजर आधारित एप्लीकेशन है जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर पीपीपी परियोजनाओं पर आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें आकस्मिक देनदारी का अंतर्निर्मित फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाएगा जो रियायती करारों में निर्धारित समान जोखिमों एवं समापन भुगतानों से संबंधित विभिन्न उपबंधों के समनुरूप बनाया गया है। यह टूलकिट आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ की वेबसाइट अर्थात् [www.pppindia.gov.in](http://www.pppindia.gov.in) के जरिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

#### 6.4.3.7 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल बांड वित्तपोषण के उपयोग संबंधी मार्गदर्शन

पीपीपी प्रकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग ने एक मार्गदर्शन नियम-पुस्तिका तैयार की है जो अवसंरचना परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल बांड वित्तपोषण के उपयोग के बारे में व्यावसायियों और नीति निर्माताओं के लिए तत्काल संदर्भ के रूप में कार्य करती है और यह आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ की वेबसाइट-[www.pppinindia.gov.in](http://www.pppinindia.gov.in) पर उपलब्ध है। यह पहल अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार के जरिए धन जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमताओं का निर्माण करने हेतु की गई है। मार्गदर्शन पुस्तिका तैयारी

कार्यवाहियों, नियामक ढांचे और बांड निर्गमन संबंधी की जाने वाली कार्यवाहियों की कदमवार जानकारीयें उपलब्ध कराती है।

#### 6.4.3.8 गुवाहाटी में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

आर्थिक कार्य विभाग ने मई, 2018 के दौरान गुवाहाटी, असम में असम सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पीपीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था (जो भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा संचालित किया गया था)। इस कार्यक्रम में असम सरकार के 15 विभागों के 30 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण से फायदा उठाया। सहभागियों से प्राप्त समग्र फीडबैक से यह पता चलता है कि उन्होंने केवल पीपीपी के बारे में ही नहीं बल्कि सामान्य रूप से सरकारी नीति के बारे में भी मूल्यवान जानकारी प्राप्त की।

#### 7. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समापन और समन्वय संबंधी कार्य उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को स्थानांतरित किए जाने से लेकर, एफडीआई नीति संबंधी स्पष्टीकरणों और उनसे संबंधित मामलों, आर्थिक कार्य विभाग को सौंपे गए "अन्य वित्तीय सेवाएं" क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में, के अतिरिक्त, विदेशी निवेश नीतियों के संबंध में नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए इस अनुभाग के कार्य का आकार छोटा कर दिया गया है। मूल रूप से यह अनुभाग विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों पर डीपीआईआईटी के साथ समन्वय करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के मुताबिक एफडीआई नीति में किसी संशोधन के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव भी देता है। यह एफडीआई नीति के संदर्भ में भारत में निवेश संबंधी माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी सुझाता है। यह अनुभाग एफडीआई संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करते समय वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, आदि से जानकारी भी लेता है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है जो पारदर्शी, पूर्व अनुमान लगाने योग्य और आसानी से समझ में आने योग्य है। लघु ऋणात्मक सूची के सिवाय, अधिकतर क्षेत्र स्वतः मार्ग के

अधीन 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोल दिए गए हैं। स्वतः मार्ग के अधीन एफडीआई के लिए भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होता है। निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को केवल दस्तावेज अधिसूचित और प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। सरकारी अनुमोदन मार्ग के अधीन, एफडीआई प्रस्तावों से संबंधित आवेदनों पर विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुकर बनाने के लिए निवेशकों हेतु भारत सरकार के नए ऑनलाइन एकल बिन्दु केंद्र, पर संबंधित विषयगत मंत्रालयों द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग ने 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 6419.32 करोड़ रुपये के अंतर्वाह वाले "अन्य वित्तीय सेवाओं" से संबंधित तीस एफडीआई प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।

#### विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का समापन:

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2017-18 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को 2017-18 में समाप्त किए जाने की घोषणा की थी। तदनुसार, 24.05.2017 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और डीआईपीपी द्वारा दिनांक 29.06.2017 को जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार एफडीआई के अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया 11 प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों को सौंप दी गई है। इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी और अधिकतम अभिशासन और न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

#### तारीख 03.05.2000 की फेमा अधिसूचना 20 का

**यौक्तिकीकरण:** मौजूदा विनियमों को युक्तिसंगत, उदार और सरल बनाने के उद्देश्य से, संशोधित फेमा अधिसूचना 20 (सं.) राजपत्र में 07.11.2017 को अधिसूचित कर दी गई थी।

#### निवेशकारी कंपनियों में विदेशी निवेश: तारीख 23.01.2018

के प्रेस नोट 2018 का 1 के तहत, समग्र विनियमित होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत निवेशकारी कंपनियों में स्वतः मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

#### एफडीआई आकर्षित करने के लिए व्यवसाय के माहौल को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम

| संकेतक                         | कार्यान्वित किए गए सुधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यवसाय प्रारंभ करना           | <ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन के लिए सरल प्रपत्र (एसपीआईसीई) – 5 सेवाओं अर्थात् नाम आरक्षण, डीआईएन, निगमन, पैन और टैन को मिलाकर कंपनियों का एक कार्यदिवस के भीतर निगमन संभव करना।</li> <li>मूल्य वर्धित कर (वेट) पंजीकरण संबंधी कार्रवाई ऑनलाइन की जाती है।</li> <li>मुम्बई में, दुकान स्थापना के अधीन पंजीकरण – ऑनलाइन कर दिया गया।</li> <li>कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण – सभी भौतिक प्रक्रियाएं समाप्त करके पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है।</li> </ul> |
| निर्माण अनुमति संबंधी कार्रवाई | <ul style="list-style-type: none"> <li>किसी इमारत के निर्माण चक्र के दौरान विभिन्न अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाले समय को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है।</li> <li>इमारत योजना अनुमोदन, निरीक्षण और अधिष्ठाता-सह-पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान करने की गति में तेजी लाने के लिए जोखिम आधारित वर्गीकरण को प्रारंभ कर दिया गया है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्युत प्राप्त करना                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युत संबंधी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है।</li> <li>कोई विद्युत कनेक्शन लेने में लगने वाले समय को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।</li> <li>मुम्बई और दिल्ली में 100 केवीए से अधिक के कनेक्शनों से संबंधित आवेदन अनिवार्यतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| संविदाएं परिवर्तित करना              | <ul style="list-style-type: none"> <li>माध्यस्थम कार्यवाहियों में लगने वाले समय को कम करने के लिए माध्यस्थम एवं संराधन अधिनियम, 2015 को संशोधित कर दिया गया है।</li> <li>आम जनता के लिए 19 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) खोल दिया गया। एनजेडीजी पूरे देश में जिला स्तरीय न्यायालयों तक मामलों के पंजीकरण, वाद सूची मामले की स्थिति और न्यायालय के आदेशों/निर्णयों सहित मामले के डाटा के लिए एक राष्ट्रीय डाटा भांडागार है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कर अदायगी                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य संगठन के लिए अंशदान की अदायगी को अनिवार्यतः ऑनलाइन अदायगी कर दिया गया है।</li> <li>भविष्य निधि से संबंधित प्रशासनिक प्रभार 1.10 प्रतिशत से घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिए गए हैं।</li> <li>अपील का ई-मूल्यांकन, ई-प्रोसेसिंग और अधिदेशित ई-फाइलिंग प्रारंभ कर दी गई है।</li> <li>वित्त वर्ष 2015-16 में 500 मिलियन भारतीय रुपए से कम के कारोबार वाली घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।</li> <li>01 जुलाई, 2017 को माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू कर दिया गया है, जिससे सभी अप्रत्यक्ष कर एक कर में ही समाविष्ट हो गए हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋण प्राप्त करना                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>जांच पूरा करने की समय-सीमा 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है।</li> <li>प्रतिभूति ब्याज के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इसके दायरे का सभी प्रकार के लेनदारों तक विस्तार करने के लिए प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली विधि एवं विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन (संशोधन) अधिनियम 2016 ने एसएआरएफआईएसआई एक्ट, 2002 को संशोधित कर दिया है।</li> <li>ऐसा उपबंध प्रारंभ किया गया जिसके द्वारा संरक्षित लेनदारों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी अन्य ऋणों और राजस्वों, करों, उपकरणों और अन्य द्रव्यों में प्राथमिकता दी जाती है।</li> <li>एनसीएलटी द्वारा पुनर्संरचना संबंधी आवेदन एकबार स्वीकार कर लिए जाने पर संरक्षित लेनदारों के लिए अधिकतम 180 दिन की राहत और अधिस्थगन अवधि का स्पष्ट आधार प्रदान करके संरक्षित लेनदारों के अधिकार संरक्षित किए जाते हैं।</li> <li>कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए21) डाटाबेस और सीईआरएसआई आंकड़ा आधार का दो तरीकों से एकीकरण।</li> </ul> |
| अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षित करना | <ul style="list-style-type: none"> <li>इच्छुक पक्षकारों के साथ लेनदेन का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम सीमा संशोधित कर दी गई है। वर्तमान में, किसी कंपनी की 10 प्रतिशत या इससे अधिक आस्तियों के लेनदेन के लिए हितधारकों का अनुमोदन अपेक्षित होगा।</li> <li>एनसीएलटी की स्थापना के साथ, अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार अनेक संशोधन किए गए हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सीमा पार व्यापार करना                | <ul style="list-style-type: none"> <li>आयात और निर्यात संबंधी घोषणाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनिवार्य डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन कर दी गई है।</li> <li>सभी 4 टर्मिनलों पर पार्किंग प्लाजा का सृजन करके जेएनपीटी पत्तन पर अवसंरचना विकास। इसके अतिरिक्त, अंतः-टर्मिनल प्रक्रिया में इस सुधार से प्रदूषण में कमी आयी है, ईंधन की बचत हुई है, ट्रकों के टीएटी और हैंडलिंग लागत में कमी आयी है।</li> <li>19 समुद्री पत्तनों और 17 हवाई कार्गो परिसरों में 24x7 सीमा शुल्क अनुमति सुविधा उपलब्ध है। जनवरी, 2017 से, पत्तन में कार्मिक पालियों में 24x7 कार्य कर रहे हैं।</li> <li>कंटेनरकृत कार्गो के लिए मेट रिसीट समाप्त कर दी गई है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का रुझान

| क्र.सं.                                | वित्त वर्ष<br>(अप्रैल-मार्च) | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह |               |                 |              |               |          |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
|                                        |                              | इक्विटी अंतर्वाह                |               | पुनर्निवेशित आय | अन्य पूंजी   | कुल एफडीआई    | वृद्धि % |
|                                        |                              | एफआईपीबी                        | अनिगमित निकाय |                 |              |               |          |
| 1                                      | 2013-14                      | 24.30                           | 0.97          | 8.98            | 1.79         | 36.05         | 5        |
| 2                                      | 2014-15                      | 30.93                           | 0.98          | 9.99            | 3.25         | 45.15         | 25       |
| 3                                      | 2015-16                      | 40.01                           | 1.11          | 10.41           | 4.03         | 55.56         | 23       |
| 4                                      | 2016-17<br>(अ.)              | 43.48                           | 1.23          | 12.34           | 3.17         | 60.22         | 8        |
| 5                                      | 2017-18<br>(अ.)              | 44.86                           | 0.67          | 12.54           | 2.91         | 60.98         | 1        |
| 6                                      | 2018-19<br>(अ.)              | 44.37                           | 0.69          | 13.57           | 5.75         | 64.37         | 6        |
| <b>2000 से भारत में संचयी अंतर्वाह</b> |                              | <b>422.9</b>                    | <b>15.46</b>  | <b>140.01</b>   | <b>31.45</b> | <b>609.84</b> |          |

#### अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और संरचना:

अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और संरचना अनुभाग का मुख्य कार्य 16 दिसंबर, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, संशोधित मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (बिट) पाठ के आधार पर अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता करना और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना है। नए बिट पाठ का उद्देश्य, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय पूर्वउदाहरणों और परंपराओं के आलोक में, निवेशकों के अधिकारों और सरकारी बाध्यताओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए, भारत में विदेशी निवेशकों और विदेशों में भारतीय निवेशकों को समुचित संरक्षण मुहैया कराना है। नए भारतीय मॉडल बिट पाठ से यह आशा की जाती है कि वह मौजूद बीपा का स्थान लेने और नए करार करवाने के लिए आधार पाठ होगा। गत वर्ष निम्नलिखित कदम उठाए गए/पहलें की गईं:

- I. भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर मॉस्को में 24.09.2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- II. भारत गणराज्य की सरकार और रिपब्लिक ऑफ कोलम्बिया की सरकार के बीच संयुक्त निर्वचनात्मक घोषणा (जेआईडी) पर बोगोटा में 04 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- III. ताईपेई में भारत ताईपेई संघ और भारत में ताईपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर ताईपेई में 18 दिसम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- IV. यूक्रेन, स्विटजरलैंड, यूएई, मोरक्को, ताईवान, ईरान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर 2018 के दौरान द्विपक्षीय आमने-सामने वार्ताएं आयोजित की गईं।
- V. 2019 में, इजरायल के साथ फरवरी, 2019 में आमने-सामने की वार्ता आयोजित की गई।
- VI. आईआईटीएफ अनुभाग ने आरसीईपी बैठकों के 23वें, 24वें और 25वें चक्रों में निवेश संबंधी कार्य समूह (डब्ल्यूजीआई) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

VII. आर्थिक कार्य विभाग और व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) द्वारा 8 मार्च, 2019 को आईआईएफटी भवन, नई दिल्ली में सरकारी कार्मिकों के लिए निवेश संधियों तथा निवेशक राज्य विवाद समाधान (आईएसडीएस) प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की गई ताकि, निवेश संधि से संबंधित मुद्दों और निवेश विवादों में भारत को बचाने और इसका बचाव करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा क्षमता के विकास के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान की जा सके।

#### विदेश व्यापार अनुभाग

##### 1. स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम

देश में परिवारों और संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को जुटाने और इस स्वर्ण को उत्पादक उपयोग में लगाने तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्वर्ण आयातों पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने 5 नवम्बर, 2015 को स्वर्ण मुद्राकरण योजना प्रारंभ की थी।

स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम में, विलयित 'पुनर्संचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम' और 'पुनर्संचित स्वर्ण धातु ऋण' स्कीम शामिल हैं। इसमें किसी भी समय 30 ग्राम कच्चे स्वर्ण (छड़े, सिक्के, रत्नों और अन्य धातुओं को छोड़कर आभूषण) का न्यूनतम निक्षेप किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत निक्षेप की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसमें निक्षेपकर्ता निक्षेप के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं:

- अल्पावधिक बैंक निक्षेप (1-3 वर्ष)
- मध्यावधिक और दीर्घावधिक सरकारी निवेश (5-15 वर्ष)

31 मार्च, 2019 तक, स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम के तहत कुल लगभग 16273 किलोग्राम स्वर्ण निक्षेप किया जा चुका है।

विगत तीन वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त संचयी स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम के आंकड़े निम्नवत हैं:

| क्र.सं. |                                        | 31.3.2017 तक | 31.3.2018 तक | 31.3.2019 तक |
|---------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | स्वर्ण की संचयी मात्रा (ग्राम में)     | 6532413.47   | 13510633.33  | 16273752.91  |
|         | क. अल्पावधिक बैंक निक्षेप (बैंक स्कीम) | 4752210.77   | 6340903.28   | 6629659.70   |
|         | ख. दीर्घावधिक स्वर्ण निक्षेप (सरकार)   | 1164202.39   | 2017001.10   | 3055219.53   |
|         | ग. मध्यावधिक स्वर्ण निक्षेप (सरकार)    | 616000.31    | 5152728.95   | 6588873.68   |
| 2       | भागीदार बैंकों की संख्या               | 10           | 10           | 10           |
| 3       | निक्षेपकर्ताओं की संख्या               | 718          | 1212         | 1795         |

## 2. भारतीय स्वर्ण सिक्का

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 स्वर्ण स्कीमों नामतः, स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम (जीएमएस), सावरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) और भारतीय स्वर्ण सिक्का (आईजीसी) में से एक स्कीम के रूप में 5 नवम्बर, 2015 को भारतीय स्वर्ण सिक्का प्रारंभ किया था। भारतीय स्वर्ण सिक्का स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम और मेक इन इंडिया दोनों ही योजनाओं को प्रोत्साहित करता है। इसे घरेलू

स्वर्ण (जीएमएस के तहत) विनिर्मित किया जाता है और इसे घरेलू तौर पर विनिर्मित (मेक इन इंडिया) मानक स्वर्ण सिक्कों/छड़ों के रूप में भिन्न-भिन्न मूल्यों वर्गों में विनिर्मित किया जाता है जो आयातित सिक्कों का स्थान ले सकता है।

28 मार्च, 2019 तक, कुल 724.405 किग्रा. वजन के भारतीय स्वर्ण सिक्के बेचे जा चुके हैं जिनका सार निम्नवत है:

| भारतीय स्वर्ण सिक्कों की बिक्री का ब्यौरा (5 नवम्बर, 2015 से 28 मार्च, 2019 तक) |                     |                            |                             |                                    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                 | कारोबार (करोड़ में) | बेचा गया भार (किग्रा. में) | बेची गई मात्रा (संख्या में) | मूल्य वर्ग-वार ब्यौरा (संख्या में) |          |          |
|                                                                                 |                     |                            |                             | 5 ग्राम                            | 10 ग्राम | 20 ग्राम |
| कुल जोड़                                                                        | 235.876             | 724.405                    | 78260                       | 31411                              | 36963    | 9886     |

3. संभावित भागीदार देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग में निवेश अध्याय के साथ अनेक मुक्त व्यापार करारों के संबंध में वार्ता की जा रही है। ऐसे करारों के निवेश अध्याय के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 2018-19 में बीआईएमएसटीईसी और एपीटीए के संदर्भ में एफटी उप प्रभाग में वार्ता की जा रही है।

## घरेलू निवेश

### क. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि-

1. बजट सत्र में तारीख 28.02.2015 को घोषणा किए जाने के बाद, अवसंरचना विकास से संबंधित अवरुद्ध परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों, में निवेश करने के लिए सरकार के अंशदानों को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक पूंजी के साथ मिलाकर राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 ("एआईएफ" विनियम) के अधीन श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि ("एआईएफ") के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") के पास पंजीकृत एक न्यास के रूप में की गई है। एनआईआईएफ की प्रस्तावित संचित राशि 40,000 करोड़ रुपए (लगभग 6 बिलियन अमरीकी डालर) है। इस संचित निधि में एआईएफ के रूप में स्थापित प्रत्येक निकाय में सरकार का अंशदान/हिस्सा 49 प्रतिशत होगा और इसे न तो इससे आगे बढ़ाया जाएगा, न 49 प्रतिशत से कम करने की ही अनुमति होगी। संपूर्ण 49 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार द्वारा सीधे ही किया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि न्यासी लिमिटेड ("एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड"), जो एक 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी है, एनआईआईएफ की न्यासी है और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ("एनआईआईएफ") फिलहाल भारत सरकार की

49 प्रतिशत इक्विटी के साथ कंपनी की निवेश प्रबंधक है। एनआईआईएफ की स्थापना देश में अवरुद्ध परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों, में अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्रोतों से इक्विटी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है।

2. **एनआईआईएफ लिमिटेड:** निधि प्रबंधक को अवसंरचना क्षेत्र में उचित निवेशों द्वारा एनआईआईएफ निधियों का प्रबंध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान में एनआईआईएफएल के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र.सं. | शेयरधारक                          | नामिती                                                                                              |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | भारत सरकार                        | 1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, वित्त सचिव<br>2. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग |
| 2.      | अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) | श्री संजय विजय भंडारकर                                                                              |
| 3.      | एचडीएफसी बैंक                     | श्री दीपक शांतिलाल पारेख                                                                            |
| 4.      | स्वतंत्र निदेशक                   | श्री इशात हुसैन                                                                                     |
| 5.      | एमडी तथा सीईओ एनआईआईएफएल          | श्री सुजॉय बोस                                                                                      |

एनआईआईएफ लिमिटेड की संविदागत व्यवस्थाओं में यह प्रावधान है कि एनआईआईएफ लिमिटेड की 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले प्रत्येक निवेशक को बोर्ड में एक सदस्य नामित करने का अधिकार होगा। घरेलू वित्तीय निवेशक बोर्ड की एक सीट साझा करते हैं और स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किए जाते हैं। निवेश प्रबंधक को निवेशों और विनिवेशों सहित निधियों के कार्य करने के लिए एक निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3. **न्यासी कंपनी-एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड:** एक न्यासी कंपनी है और फिलहाल इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

- श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, वित्त सचिव एवं सचिव, आर्थिक कार्य
- श्री देवाशीष पांडा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
- श्री के. राजारामन, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
- श्री समीर खरे, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

#### 4. एनआईआईएफ न्यासों की शासी परिषद

एनआईआईएफ की संचित राशि के निवेश, निवेश प्रबंधकों/सलाहकारों की नियुक्ति और कार्यनिष्पादन संबंधी मानकों सहित अनेक मामलों पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 27.10.2015 को एनआईआईएफ न्यास की एक शासी परिषद की स्थापना की गई थी। यह एनआईआईएफ के लिए एक परामर्शी परिषद के रूप में कार्य करती है। अभी तक इस शासी परिषद की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसमें सरकार के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और अवसंरचना संबंधी व्यावसायिक शामिल हैं और इसमें अन्य निवेशक शामिल किए जा सकते हैं। शासी परिषद के सदस्य निम्नवत हैं:-

| क्र.सं. | नाम/पदनाम                                    | भूमिका  |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 1.      | वित्त मंत्री                                 | अध्यक्ष |
| 2.      | सचिव, आर्थिक कार्य विभाग                     | सदस्य   |
| 3.      | सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग                   | सदस्य   |
| 4.      | श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक | सदस्य   |
| 5.      | श्री हेमन्त कोठारी                           | सदस्य   |
| 6.      | श्री टी.वी. मोहनदास पै                       | सदस्य   |

#### 5. एनआईआईएफ निवेशों की चालू स्थिति

भारत सरकार सहित सभी निवेशकों द्वारा निवेश: (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

| निधि               | पूँजी प्रतिबद्धताएं (करोड़ भारतीय रुपए) | वास्तविक निवेश <sup>1</sup> (करोड़ भारतीय रुपए) | निधि सह-निवेश (करोड़ भारतीय रुपए) | डाउनस्ट्रीम सह-निवेश प्रतिबद्धताएं <sup>2</sup>            |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| मास्टर निधि        | 5,514                                   | 778                                             | 6,936                             | डीपी वर्ल्ड: 13,000<br>रोडिज: 7,500<br>सीडीसी: 1,164       |
| निधियों की निधि    | 3,938                                   | 446 <sup>3</sup>                                | -                                 | एडीआईए एंड एचडीएफसी: 3,630<br>डीएफआईडी एंड एवरसोर्स: 1,260 |
| कार्यनीतिक निधि    | 14,050                                  | 517                                             | -                                 | -                                                          |
| कुल                | 23,502                                  | 1,741                                           | 6,936                             | 26,554                                                     |
| कुल प्रतिबद्धताएं  | 30,438 <sup>4</sup>                     |                                                 |                                   | 26,554                                                     |
| कुल वास्तविक निवेश | 1,741                                   |                                                 |                                   | 3,579                                                      |

\* मास्टर निधि द्वारा मंगाई गई राशि और निवेशित तथा एचकेयर-2 औरसीजीआईएफ द्वारा निवेशों हेतु निधियों की निधि से मंगाई गई राशि दर्शाता है।

# एनआईआईएफ निधियों में सीधे ही किए गए निवेशकों (भारत सरकार सहित) के सह-निवेश शामिल हैं और इसमें एनआईआईएफ निवेशकों द्वारा अनेक डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं/अर्जनों में सीधे ही किए गए निवेश डाउनस्ट्रीम का हिसाब नहीं रखा जाता है।

+ ये सह-निवेश एनआईआईएफ भागीदारों द्वारा एनआईआईएफ द्वारा संचालित कंपनियों या निवेशग्राही निधियों में प्रत्यक्ष रूप से निवेश प्रतिबद्धताएं दर्शाता है।

^ निवेशकों से निवेशों के लिए राशि 514 करोड़ रुपए।

#### 6. निधि जुटाना:

एनआईआईएफ की निधि-जुटाने की रणनीति निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिसका भारत में निवेश करने में बहुत कम अनुभव है या कोई अनुभव नहीं है या जिसने अवसंरचना आस्ति श्रेणी में निवेश नहीं किया है, सहित विदेशी निवेशक का भरोसा बनाने की रही है। एनआईआईएफ ने सबसे पहले सावरेन संपदा निधि (एसडब्ल्यूएफ), जो भारत में निवेश करने के लिए अधिक प्रसिद्ध है और एडीआईए और टेमासेक के साथ सफलता का अनुगमन कर रही है, पर ध्यान केंद्रित किया। फिलहाल एनआईआईएफ ने वैश्विक पेंशन निधियों (जीपीएफ), जो भारत में कम प्रसिद्ध हैं, पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि यह क्रमिक और धीमी है क्योंकि इन निकायों के वित्तपोषण संबंधी निर्णय राष्ट्रीय नीतियों और ग्राहक के परिप्रेक्ष्यों के अधीन होते हैं - लेकिन इसमें तीव्र गति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, ऐसे निवेशकों द्वारा इन आईआईएफ में निवेश इसके ट्रेक रिकॉर्ड पर निर्मित ब्रांड मूल्य में विश्वास और भरोसे पर आधारित होते हैं। क्षेत्रीय प्लेटफार्मों में हालिया शुरुआतों की सफलताओं ने एनआईआईएफ के रिकॉर्ड को बढ़ा प्रोत्साहन दिया है। आर्थिक कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय और एनआईआईएफएल के संयुक्त विपणन प्रयासों के चलते, भारत के प्रति उपर्युक्त निवेशक श्रेणी की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है।

जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एनआईआईएफ लिमिटेड के साथ मिलकर 17-18 जनवरी, 2019 को वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत और विदेश से महत्वपूर्ण निवेशक और सावरेन संपदा निधियों और पेंशन निधियों के शीर्ष पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता किए गए इस सम्मेलन में भाग लिया।

भारत में सउदी अरब के क्राउन प्रिंस की यात्रा के दौरान 20 फरवरी, 2019 को किंगडम ऑफ सउदी अरब की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7. एनआईआईएफ-मास्टर निधि की दूसरी बिक्री: राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) ने 5 सितम्बर, 2018 को टेमासेक, वैश्विक निवेश कंपनी जिसका मुख्यालय सिंगापुर में अवस्थित है के साथ मास्टर निधि की दूसरी बिक्री की घोषणा की और 400 मिलियन अमरीकी डालर तक के निवेशों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए जिसमें एनआईआईएफ के साथ भावी संभावित सह-निवेश शामिल किया जा सकता है।

8. एनआईआईएफ की तीसरी निधि की शुरुआत: एनआईआईएफ की तीसरी निधि नामतः राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि-II ("कार्यनीतिक निधि") की स्थापना परियोजनाओं और कंपनियों में इक्विटी और इक्विटी - सहबद्ध साधनों में निवेश करने के लिए अक्टूबर, 2018 में की गई। एनआईआईएफ-II ऐसी विकसित कंपनियों/आस्तियों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सक्रिय हित को संरक्षित करने पर केंद्रित होगी, जिनके उत्पाद और सेवाएं घरेलू भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं और आगामी दशक में स्थिर वृद्धि रहने की संभावना है।

9. एनआईआईएफ निधि की निधियां-I की पहली बिक्री: दिनांक 30 मार्च, 2019 को एनआईआईएफ निधि की निधियां-I (एफओएफ) में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की पहली बिक्री हुई। एआईआईबी ने पहले अंश के रूप में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य के लिए वचनबद्धता की है और बिक्री की समाप्ति पर समान धनराशि के दूसरे अंश की वचनबद्धता की जानी है।

10. अयाना रिन्यूएबल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना इंडिया): एनआईआईएफ ने ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) के साथ-साथ अयाना इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफॉर्म में 51 प्रतिशत हितधारिता (प्रत्येक 25.5 प्रतिशत हितधारिता) का अर्जन किया है। 29 मार्च, 2019 को इसका कार्य पूरा हो गया है जिसके अनुसरण में एनआईआईएफ ने अयाना में 970 मिलियन रुपये का निवेश किया है। वर्तमान में, अयाना इंडिया 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है और प्रचालनरत नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं का समेकन करने के लिए संभाव्य अवसरों का मूल्यांकन कर रही है।

11. सड़क प्लेटफॉर्म: एनआईआईएफ ने अपने सड़क प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए रोडिज, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के साथ भागीदारी करके पारिभाषिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में विशालतम सड़क प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म की संरचना संयुक्त रूप से 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक के इक्विटी निवेश के लक्ष्य के साथ सह-नियंत्रित संरचना के रूप में तैयार की गई है। यह प्लेटफॉर्म टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) अवसरों सहित प्रचालनरत टोल सड़कों के समेकन, हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (एचएएम) क्षेत्र में प्रथम कार्य नीति, परियोजनाओं और संकटग्रस्त आस्तियों के अंतिम चरण में निधियन सहित सड़क क्षेत्र में विशाल अवसरों पर ध्यान देगा। प्लेटफॉर्म कंपनी के सृजन, अपेक्षित नीतियों के अंगीकरण, संगठनात्मक संरचना योजना आदि सहित संव्यवहार के लिए शर्तें निर्धारित करने का कार्य प्रगति पर है।

12. एनआईआईएफ निधि की निधियां-I का दूसरा निवेश: एनआईआईएफ निधि की निधियां-I ने अक्टूबर, 2018 में एचडीएफसी कैपिटल अफार्डैबल रियल एस्टेट निधि-2 (एचसीएआरई-2) के लिए 660 करोड़ रुपये की वचनबद्धता की है। एचसीएआरई-2 के लक्ष्य क्षेत्र प्रमुख बड़े शहरों में मध्यवर्गीय आय और सस्ता आवासन हैं। एचसीएआरई-2 के पोर्टफोलियो में 20 से अधिक परियोजनाएं हैं जो लगभग 50 मिलियन वर्ग फुट में रिहायशी आवासों का निर्माण कर रही हैं।

13. इन्फ्रा ऋण प्लेटफॉर्म: राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना

निधि-II (एनआईआईएफ-II) ने आईडीएफसी के अवसंरचना ऋण निधि व्यवसाय में लगभग 800 करोड़ रुपये के प्रतिफल वाले लगभग 81.5 प्रतिशत इक्विटी हित का अर्जन करने के लिए करार किया है। एनआईआईएफ-२ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण की कमी को पूरा करने के लिए अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म का सृजन कर रही है। इस कार्य नीति की तर्ज पर, एनआईआईएफ-II ने आईडीएफसी के आईडीएफ में नियंत्रक हितधारिता का अर्जन करने के लिए वचनबद्धता की है। आईडीएफ की वर्तमान ऋण बुक में 4,500 करोड़ रुपये की 50+ आस्तियां शामिल हैं और अनर्जक आस्तियां शून्य हैं। बिक्री के समापन के बाद, एनआईआईएफ बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से दीर्घावधिक ऋण निधियन पेशकश प्राप्त करने की कोशिश भी करेगी, अतः यह भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में अधिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आकर्षित कर रही है।

## ख. फिनटेक-

1. फिनटेक संबंधी संचालन समिति: एमएसएमई की वृद्धि में मदद करने के लिए भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन करने की आवश्यकता के संबंध में 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग ने फिनटेक संबंधी विनियमों को अधिक लचीला बनाने और ऐसे क्षेत्र, जहां भारत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक मजबूत है, में वर्धित उद्यमिता का सृजन करने के उद्देश्य से भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्यों में एमएमई, एमईआईटीवाई, डीएफएस, सीबीईसी, यूआईडीएआई, आरबीआई, सेबी और इन्वेस्ट इंडिया शामिल हैं। समिति ने इस पर चर्चा की कि एमएसएमई के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार फिनटेक जुटाया जा सकता है। इस समिति के अधीन एक उप-समूह का भी गठन किया गया ताकि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रणाली के माध्यम से उधारदाताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले 'विश्वसनीय बीजक' के निक्षेपागार का सृजन करने हेतु माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डाटाबेस का उपयोग करके प्रभाव आधारित उधारी को समर्थ बनाया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

2. भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक संबंधी कार्य समूह: भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक संबंधी मुद्दों के संबंध में सिंगापुर और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10.04.2018 को फिनटेक संबंधी संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। 31 मई से 02 जून, 2018 के बीच सिंगापुर में माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 01.06.2018 को आर्थिक कार्य विभाग और मोनेटरी अथॉर्टी ऑफ सिंगापुर के बीच फिनटेक संबंधी संयुक्त कार्य समूह के गठन के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फिनटेक संबंधी संयुक्त कार्य समूह: आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार और एचएम ट्रेजरी यूके के बीच 08 जनवरी, 2019 को दोनों देशों द्वारा प्रगति किए गए क्षेत्रों में अनुभव को साझा करने के लिए फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग संबंधी संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया गया।

## 8. फंड बैंक एवं एडीबी प्रभाग

### 8.1 प्रस्तावना

8.1.1 एफबी और एडीबी प्रभाग विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं तथा संबंधित संस्थाओं के नीतिगत मामलों से संबद्ध है। एमआई प्रभाग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (समूचे भारत की केंद्रीय तथा राज्य परियोजनाएं) को सुकर बनाने तथा निगरानी करने का नोडल बिंदु है जो बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य संबंधित न्यास निधियों/ऋणों/अनुदानों के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह वैक्सीन और टीकाकरण हेतु वैश्विक संधि (गावी), एड्स से निपटने के लिए वैश्विक निधि, टीबी और मलेरिया (जीएफएटीएम), और वैश्विक आपदा न्यूनीकरण एवं राहत सुविधा (जीएफडीआरआर) को संचालित करता है।

### 8.2 भारत और विश्व बैंक समूह

8.2.1 विश्व बैंक ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पादों और (गैर-उधार) विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर गरीबी से लड़ने और विकासशील देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक मिशन के साथ दुनिया की अग्रणी विकास संस्थाओं में आता है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। विश्व बैंक निरंतर रूप से चली आ रही गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।

8.2.2 भारत विश्व बैंक की चार संस्थाओं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए) का सदस्य है। भारत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक (विशेषकर आईबीआरडी और आईडीए के माध्यम से) से धन प्राप्त कर रहा है। विश्व बैंक समूह से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने तथा विश्व बैंक (आईबीआरडी) की सहायता से परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में विश्व बैंक समूह की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने के लिए एफबी और एडीबी प्रभाग प्रभाग, भारत का मुख्य केंद्र बिंदु है।

### 8.3 भारत और विश्व बैंक समूह

8.3.1 पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) की पूंजी वृद्धि (1 अक्टूबर, 2018 को अपनाया गया) के संकल्प में भारत को (सामान्य पूंजी वृद्धि और चयनात्मक पूंजी वृद्धि के माध्यम से) अतिरिक्त 15,252 शेयर आवंटित किए गए थे। भारत 3.00% की वोटिंग पावर के साथ आईबीआरडी में 7वां सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। संकल्प प्रावधान करता है कि सदस्यों के पास अपने आवंटित शेयरों का अंशदान करने के लिए संकल्प को अपनाने की तारीख से 5 वर्ष होंगे।

### 8.4 विश्व बैंक भारत पोर्टफोलियो

8.4.1 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, विश्व बैंक पोर्टफोलियो में 27.2 बिलियन अमरीकी डालर के असंवितरित शेष के साथ

लगभग 16.4 बिलियन अमरीकी डालर राशि की लगभग 98 परियोजनाएं शामिल हैं। विश्व बैंक परियोजनाएं शहरी परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं, सिंचाई, जलापूर्ति, पर्यटन, सुशासन, पर्यावरण और वन आदि जैसे क्षेत्रों में फैली हुई विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्वच्छ भारत मिशन सहायता अभियान हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, कौशल भारत मिशन ऑपरेशन आदि हैं।

### 8.5 2018-19 में विश्व बैंक से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ

8.5.1 ऋण पर हस्ताक्षर और संवितरण: संपूर्ण 13 वर्ष 2018 के दौरान वर्ल्ड बैंक असिस्टेड (आईबीआरडी) प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी राशि 2.6 बिलियन अमरीकी डालर थी सहायता की। वर्ष 2018 के दौरान हस्ताक्षरित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना चरण-II के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत ऊर्जा दक्षता स्केलअप कार्यक्रम आदि हैं। जनवरी से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए कुल संवितरण लगभग 2.3 बिलियन अमरीकी डालर (आईबीआरडी) लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डालर) था।

8.5.2 विश्व बैंक पोर्टफोलियो की निगरानी: त्रि-पक्षीय समीक्षा बैठकों चल रही परियोजनाओं के लिए और पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन समीक्षा बैठकों जैसीनियमित समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप के परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो प्रदर्शन में सुधार हुआ है। बैठकें भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती हैं और इसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक और विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जनवरी-दिसंबर 2018 के दौरान, 7 जून 2018 और 20 अगस्त, 2018 को दो पाइपलाइन समीक्षा बैठकें और 15-16 फरवरी 2018, 23-24 अगस्त 2018 और 28-29 नवंबर, 2018 को तीन त्रि-पक्षीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

8.5.3 आईडीए के लिए भारत दाता के रूप में: आईडीए 18 पुनःपूर्ति बैठक के दौरान भारत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह आईबीआरडी संसाधनों के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक समूह को वरीयता देगा तथा इसलिए पारगमन सहायता के रूप में भारत को प्रदान किए गए आईडीए संसाधनों का हिस्सा अन्य आईडीए पक्षकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के हिस्से की प्रतिबद्धता के रूप में, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने, दुर्बलता कम करने और सभी देशों के बीच समुत्थानशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने आईडीए 17 पुनःपूर्ति के 200 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान से आईडीए का दाता बनने का निर्णय किया है। आईडीए देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए भारत ने आईडीए- 18 पुनःपूर्ति के प्रति अपने योगदान के रूप में 12.25 बिलियन रुपए के संकल्प की घोषणा की है। आईडीए- 18 की भारत के योगदान की पहली किस्त

के लिए 4,083,330,000 भारतीय रुपये के पहले योगदान का भुगतान जनवरी, 2018 में किया गया। आईडीए -18 एमटीआर (मिड टर्म रिव्यू) बैठक 12-15 नवंबर, 2018 से जाम्बिया में आयोजित की गई थी। आईडीए 18 वितरण, अंशांकन और संक्रमण की समीक्षा, आईडीए 18 विषयों और नीति प्रतिबद्धताओं, प्रस्तावित आईडीए 19 कार्यनीतिक मार्गनिर्देश, आईडीए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों के बारे में तीन दिन से अधिक चर्चा आयोजित की गई थी।

## 8.6 फंड बैंक की बैठकें

**8.6.1 आईएमएफ/विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग** अन्य संबंधित बैठकें संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 से 21 अप्रैल, 2018 तक आयोजित की गईं। वित्त मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने किया था, जिसमें संयुक्त सचिव (एमआई) और अन्य अधिकारी शामिल थे। डॉ० उर्जित पटेल, गवर्नर, (भा.रि.बैंक) और भा.रि.बैंक के अन्य अधिकारी भी स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। विकास समिति (डीसी) की पूर्ण बैठक, जो विकास के मुद्दों पर अंतर सरकारी सहमति बनाने के लिए विश्व बैंक समूह की मंत्री-स्तरीय फोरम और आईएमएफ है- 22 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गई थी। कार्य सूची की मदों में सतत विकास के लिए सतत वित्त पोषण स्प्रिंग मीटिंग 2018 में अंशधारिता पर गवर्नर की एक रिपोर्ट; विश्व बैंक समूह संचालन में मुख्य धारा आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट; भावी कार्यान्वयन अद्यतन; और विश्व बैंक समूह के कार्यकारी बोर्ड में लैंगिक विविधता पर गवर्नर को अपडेट शामिल था।

**8.6.2** सचिव, आर्थिक विभाग ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी, श्री बोमन, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच, सुश्री क्रिस्टालिनाआई। जॉर्जीवा, सीईओ, आईबीआरडी, विश्व बैंक, राज्य सचिव, फ्रांस यूएसआईबीसी, श्री रॉजरवूरहिस, ईडी, ग्लोबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सुश्री नाओकोइशी, सीईओ, जीईएफ, सुश्री केइको होंडा, सीईओ, मीगा, सुश्री रेनॉड बैसो, ट्रेजरी, फ्रांस के जनरल डायरेक्टर, श्री डेविडमैलाग, अवर सचिव, यूएस, बेल्जियम के वित्त मंत्री, श्री निक डायर, आर्थिक विकास के महानिदेशक, डीएफआईडी। के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

**8.6.3 आईएमएफ/विश्व बैंक की 2018 वार्षिक बैठकें** और अन्य संबद्ध बैठकें बाली, इंडोनेशिया में 12 से 14 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित की गईं। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने की जिसमें अतिरिक्त सचिव (एफबी एंड एडीबी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक बैठकों में गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया।

**8.6.4** विश्व बैंक की पूर्ण विकास समिति की 98वीं बैठक में मानव पूंजी परियोजना विश्व के लिए एक परियोजना; विघटनकारी प्रौद्योगिकियां और विश्व बैंक समूह - अवसरों का सृजन, जोखिम को कम करना, बाली फिनटेक एजेंडा; और उभरती और कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में ऋण कमजोरियों पर चर्चा हुई।

**8.6.5** 13 अक्टूबर, 2018 को सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने श्री एजेजांड्रो रिवेरा, खजाना इतालवी विभाग के महानिदेशक, श्री मार्कोबूटी, डीजी, ईसीएफआईएन, यूरोपीय आयोग, श्रीडेविडमालपास, संयुक्त राज्य अमेरिका अवर सचिव, वित्त के लिए जापानी उप मंत्री, श्री असाकावा साथ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी के स्थायी सचिव श्री मैथ्यू रीक्रॉफ्ट, क्रिस्चियन क्रिस्टीना जॉर्जीवा, सीईओ, आईबीआरडी, ट्रेजरी के सचिव, गिनी बिसाऊ, श्री गेब्रियलमख्नौफ, ट्रेजरी सचिव, न्यूजीलैंड, श्रीजिंगडोंगहुआ, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष (वीपीटी), आईएफसी के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया।

## 8.7 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

**8.7.1** अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), जो विश्व बैंक समूह का सदस्य है, पूर्णतया विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है। वर्ष 1956 में स्थापित, आईएफसी के 184 सदस्य हैं। भारत आईएफसी का संस्थापक देश है। आईएफसी भारत के लिए देश में स्थित निजी क्षेत्र में सलाह देने तथा वित्तपोषण के संचालन में महत्वपूर्ण विकासवात्मक भागीदार है। भारत की अंशधारिता 4.01 प्रतिशत है जो कि रूसी परिसंघ के साथ छठी सबसे बड़ी है। भारत के पास 3.82 प्रतिशत का मताधिकार है। भारत के कार्यकारी निदेशक 4.56 प्रतिशत मतदान अधिकार के समकक्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईएफसी में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश अर्थात् बांग्लादेश, भूटान और श्री लंका हैं। आईएफसी ने 1958 से भारत में 20 बिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता की है। फिलहाल, आईएफसी निवेश भारत में लगभग 200 से अधिक ग्राहकों में फैला हुआ है। मई, 2019 के अनुसार, भारत में आईएफसी का वचनबद्ध पोर्टफोलियो लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर था जो भारत को इसके वैश्विक पोर्टफोलियो के 9 प्रतिशत के लिए आईएफसी का सबसे बड़ा निष्पादन करने वाला देश बनाता है। आईएफसी का भारत में निवेश महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे अवसंरचना, विनिर्माण, वित्तीय बाजार, कृषि कारोबार, एसएमई तथा नवीकरणीय ऊर्जा में फैला हुआ है। भारत में विश्व बैंक समूह की देशगत साझेदारी रणनीति के साथ अनुरूपता बनाते हुए, आईएफसी अपने निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग आर्थिक विकास के लिए करता है जो समावेशी, उत्पादक और टिकाऊ है। वित्तीय वर्ष 18 (जुलाई, 2017-जून, 2018) अवधि के दौरान आईएफसी की भारत प्रतिबद्धता अभी तक की सबसे अधिक 2.6 बिलियन (वित्त जुटाने सहित) अमरीकी डालर थी। वित्त वर्ष 2018 तथा इस वित्त वर्ष में अब तक कुल 39 अनुच्छेद III अधिसूचनाएं अनुमोदित की गईं। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय रुपये समतुल्य में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर आईएफसी निवेश के लिए 23 अनुच्छेद III अधिसूचनाएं प्राप्त की गईं तथा अनापत्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य विभाग ने जुलाई, 2018 से छः एवं जुलाई, 2017 तथा जून, 2018 के बीच आईएससी के बीच पांच सलाहकार संबद्धता हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

## 8.8 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

**8.8.1** भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है, जिसे एक सहकारी और स्थायी वैश्विक आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। फिलहाल, 189 राष्ट्र आईएमएफ के

सदस्य हैं। जब से आईएमएफ को संस्थापित किया गया है, तब से इसके उद्देश्य नहीं बदले हैं परंतु इसके प्रचालन- जिनमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल हैं- विकासोन्मुखी विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गये हैं। आईएमएफ के शासी मंडल में प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल है। भारत की ओर से, वित्त मंत्री आईएमएफ के शासी मंडल के पदेन गवर्नर हैं। आईएमएफ में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश नामतः बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत की ओर से वैकल्पिक गवर्नर हैं।

**8.8.2 शासी मंडल की बैठकें:** शासी मंडल संबंधित संस्थानों नामतः आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग बैठकों और वार्षिक बैठकों के कार्य पर चर्चा करने के लिए प्रायः एक वर्ष में दो बार बैठकें बुलाता है। मुख्य केंद्र बिंदु आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी में भारत का प्रतिनिधित्व माननीय वित्त मंत्री ने किया) और संयुक्त विश्व बैंक - आईएमएफ विकास समिति, जो आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्य की प्रगति पर चर्चा करती है, की बैठकें रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2018 की स्प्रिंग बैठक 16-22 अप्रैल, 2018 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 12-14 अक्तूबर, 2018 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी।

**8.8.3 भारत और आईएमएफ:** कोष की सदस्यता आईएमएफ को मजबूत कोटा आधारित तथा पर्याप्त संसाधन सहित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आईएमएफ के कुल संसाधनों में वर्तमान निम्न शामिल हैं:

- क. **कोटा:** उधार देने के लिए वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत
- ख. **उधार की नई व्यवस्था (एनबीए)** रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में कार्य करती है अर्थात् तदनुपरांत कोटा संसाधन समाप्तप्रायः हो जाए।
- ग. **द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए)** रक्षा की तृतीय पंक्ति प्रदान करती है।

**क.) भारत का कोटा एवं रैंकिंग :** वर्ष 2010 का आईएमएफ कोटा और अभिशासन सुधार (कोटा सुधार की 14वीं सामान्य समीक्षा) 26 जनवरी, 2016 से प्रभावी हो गए हैं। परिणामस्वरूप, भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा 2.75 प्रतिशत की शेरधारिता के चलते एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) 13,114.40 मिलियन है। कोटा धारिता के संदर्भ में आईएमएफ में भारत का आठवां स्थान है। आईएमएफ में कोटा बढ़ोत्तरी के परिणाम से भारत ने रिजर्व परिसंपत्ति भाग (25 प्रतिशत कोटा बढ़ोत्तरी) के लिए भारत की एसडीआर धारिताओं के जरिए एसडीआर 1,823,225,000 के रूप में कोटे की 14वीं सामान्य समीक्षा के अंतर्गत एसडीआर 7292.9 मिलियन की कोटा बढ़ोत्तरी के लिए तथा निर्व्याज, अपराक्रम्य भारत सरकार रुपया प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए स्थानीय करेंसी भाग (75 प्रतिशत कोटा बढ़ोत्तरी) के लिए एसडीआर 5,469,675,000 प्रदान किए हैं।

**ख.) नई उधार व्यवस्था (एनबीए) में भारत का अंशदान:** अप्रैल, 2009 में जी-20 ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया में सहायता देने के लिए आईएमएफ के पास उपलब्ध संसाधनों में 500 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि करने पर सहमति दर्शायी थी (जो लगभग 250 बिलियन अमरीकी डालर के कुल पूर्व-संकट उधार संसाधनों को तीन गुना कर देगी)। ऐसा आईएमएफ के सदस्य देशों से द्विपक्षीय वित्तपोषण प्राप्त करके; और इस वित्तपोषण को उधार की नई विस्तारित और अधिक लचीली व्यवस्था में शामिल करके किया जाना था। वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के प्रयास के हिस्से के रूप में अप्रैल 2009 में जी-20 की अर्थव्यवस्थाओं ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों में विकास को सहायता देने के लिए आईएमएफ के पास उपलब्ध 500 बिलियन डालर संसाधन के बढ़ाने के लिए सहमति दी है। यह बढ़ोत्तरी (i) आईएमएफ सदस्यों से द्विपक्षीय वित्तपोषण में बढ़ोत्तरी, (ii) व्यापक और अधिक लचीली एनबीए में इस वित्तपोषण के समायोजन के जरिए की गई। संशोधित एनबीए, जो 11 मार्च, 2011 से प्रभावी है, ने एनबीए के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की अधिवल्लभ राशि को 34 बिलियन एसडीआर से बढ़ाकर 370 बिलियन एसडीआर कर दिया है।

14वीं कोटा बढ़ोत्तरी समीक्षा की प्रभाविता के अनुसरण में एनबीए 370 बिलियन एसडीआर से कम करके 182 बिलियन एसडीआर कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण अनुपात में (एनबीए: कोटा) 3.1 से 1.1 तक की गिरावट आ गई है। तथापि, एनबीए स्थायी सुविधा के रूप में बनी रही और वापस लिए गए एनबीए संसाधन की समग्र उधार देने की क्षमता के प्रति महत्वपूर्ण बनी रही। चूंकि एनबीए व्यवस्था 16 नवम्बर, 2016 को समाप्त हो गई है भारत पांच और वर्षों अर्थात् 2022 तक की अवधि के लिए एनबीए नवीनीकरण करने के प्रस्ताव पर सहमत हुआ है।

**ग.) द्विपक्षीय उधार व्यवस्था में भारत की भागीदारी (बीबीए):** बीबीए कोटा तथा एनबीए संसाधनों के काफी हद तक समाप्त प्रायः होने के पश्चात रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 2012 में लास कोबोस जी-20 सम्मेलन पर आईएमएफ सी तथा जी-20 को अस्थायी द्विपक्षीय ऋण के जरिए संकट रोकथाम एवं समाधान के लिए आईएमएफ संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से बुलाया गया था। इसमें ब्रिक्स देश शामिल हैं तथा इस संसाधन को जुटाने के लिए भारत, ब्राजील और रूस प्रत्येक द्वारा 10 बिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया गया। भारत की 10 बिलियन अमरीकी डालर अंशदान करने की प्रतिबद्धता भारतीय रिजर्व बैंक और आईएमएफ के बीच नोट क्रय करार के तंत्र के जरिए क्रियान्वित की जाती है।

भारत 10 अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता करने के लिए सहमत हुआ है। बीबीए 2016 को प्रभावित करने के लिए आईएमएफ तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एनपीए पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

**8.8.4 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी):** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत के बीच समझौता ज्ञापन पर

11 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। 13 फरवरी, 2017 को केंद्र का अधिकारिक उद्घाटन कर दिया गया। एसएआरटीटीएसी छह सदस्य देशों - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को सेवा देगा। यह वृहत आर्थिक नीति, वृहत और सूक्ष्म विवेक विनियम, वित्तीय क्षेत्र पर्यवेक्षण एवं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और पूर्वानुमान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और लोक संस्थानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।

भारत 32.8 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान के लिए वचनबद्धता की है जिसमें से 17.8 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त एसएआरटीटीएसी को अगस्त, 2016 में अदा कर दी गई थी तथा नवंबर, 2017 में शेष 17.8 मिलियन अमरीकी डालर अदा कर दिया गया है।

**8.8.5 अनुच्छेद IV परामर्श अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों के अनुच्छेद IV के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए, आमतौर पर प्रति वर्ष, अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करता है। अनुच्छेद IV परामर्श सामान्यतया दो चरणों में किए जाते हैं। इस कवायद के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिशन भारतीय रिजर्व बैंक और केद्र सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करता है। अनुच्छेद IV परामर्श वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी मंडल की बैठक के साथ समाप्त होते हैं जिसमें अनुच्छेद IV रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मध्यावधिक अनुच्छेद IV मिशन 8-22 मई, 2018 के दौरान आयोजित किया गया। इसके बाद आईएमएफ कर्मचारियों की यात्रा 26-30 नवम्बर, 2018 के दौरान आयोजित की गई थी।**

## 8.9 एशियाई विकास बैंक

**8.9.1 एडीबी की सदस्यता:** भारत 1966 में संस्थापक सदस्य के रूप में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का सदस्य बना। यह बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। इस कार्य को करने के लिए यह जिन मुख्य साधनों का प्रयोग करता है, वे हैं:- ऋण देना और इक्विटी निवेश, विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, अन्य सलाहकारी सेवाएं, गारंटियां, अनुदान और नीतिगत संवाद।

**8.9.2 एडीबी के (49 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) 68 सदस्य हैं इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में हैं। एडीबी का अधिकृत एवं अभिदत्त पूंजी स्टॉक 163.12 बिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से भारत का अभिदान 10.3 बिलियन अमरीकी डालर है। भारत के पास एडीबी में कुल 672,030 शेयरों (12063.5 अमरीकी डालर पर प्रति शेयर की दर से) के साथ शेयरों का 6.33 प्रतिशत है। भारत के पास 5.36 प्रतिशत मताधिकार है। जापान और संयुक्त राज्य अमरीका प्रत्येक 15.61 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे बड़े शेयरधारक हैं। चीन और भारत क्रमशः तीसरे (6.44 प्रतिशत) और चौथे (6.33 प्रतिशत) सबसे बड़े शेयरधारक हैं।**

**8.9.3 भारत जुलाई, 2014 से एशियाई विकास कोष (एडीएफ) का दाता बना तथा एडीएफ के 11वें प्रतिपूर्ति के लिए 30 मिलियन डालर का अंशदान कर दिया है। एडीबी XII के लिए भारत ने 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की प्रतिज्ञा की है। सहमत मानदंड के आधार पर एडीबी कम विकसित सदस्य देशों को एडीएफ के जरिए रियायती वित्त देने का प्रावधान करता है।**

**8.9.4 एशियाई विकास बैंक में शासी मंडल (बीओजी), निदेशक मंडल (बीओडी), अध्यक्ष, छह उपाध्यक्ष और अन्य आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी हैं। अन्य सदस्यों की तरह भारत भी शासी मंडल में एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। भारत के वित्त मंत्री भारत के नामित गर्वनर है। बैंक की सभी शक्तियां शासी मंडल में निहित है। शासी मंडल निदेशक मंडल की सहायता से, जिसे विशिष्ट प्रकार्यों के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, अपनी शक्तियों और प्रकार्यों का प्रयोग करता है। निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशक की सहायता भारत से दो सलाहकारों और एक कार्यकारी सहायक के जरिए की जाती है।**

**8.9.5 शासी मंडल (बीओजी) की वार्षिक बैठकें प्रतिवर्ष मई की शुरुआत में सदस्य देश में आयोजित की जाती हैं। वार्षिक बैठकें एडीबी के प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्देशों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एडीबी सदस्यों के गर्वनरों के लिए सांविधिक अवसर है। बैठकें सदस्य सरकारों को एडीबी स्टाफ, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया तथा प्रेक्षक देशों के प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अकादमियों और निजी क्षेत्र के साथ संपर्क साधने के अवसर प्रदान करती है। एडीबी की 46वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी 2-5 मई, 2013 के दौरान को नई दिल्ली में भारत द्वारा की गई थी। एडीबी की 52वीं वार्षिक बैठक 1-4 मई, 2019 के दौरान फिजी में आयोजित की गई।**

**8.9.6 भारत को एडीबी सहायता 1986 में शुरू हुई। भारत में एडीबी की वार्षिक संप्रभु ऋण देने की अवधि कैलेंडर वर्ष 2018 में 3.03 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर तक बढ़ गई। भारत में एडीबी परियोजनाओं (संप्रभु ऋण) के चल रहे पोर्टफोलियो में 14.2 बिलियन अमरीकी डालर की कुल प्रतिबद्धता के साथ 80 ऋण शामिल हैं। भारत में एडीबी के निजी क्षेत्र के निवेश में अक्षय ऊर्जा, वित्तीय समावेशन, रेलवे, स्वास्थ्य आदि परियोजनाएं शामिल हैं। एडीबी ने भारत में अपने निजी क्षेत्र के निवेश के लिए 2018 में 577 मिलियन डॉलर का निवेश किया।**

**8.9.7 भारत को एडीबी सहायता सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं, उदीयमान केंद्रित क्षेत्रों तथा प्रमुख पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एडीबी की भारत देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) भारत में एडीबी के प्रचालकों के लिए अति महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। भारत सरकार के दिशानिर्देश करने वाले उन सिद्धांतों के क्रम में जिसमें कि बहुपक्षीय विकास साझेदार मूर्त निवेश से परे मूल्य जोड़ती है। एडीबी जानकारी को प्रयोग में लाता है, क्षमता विकास में सहायता करता है तथा अपने प्रचालनों में नवीन तथा सर्वोत्तम परिपाटियों को शामिल करता है। 2018-22 की अवधि के**



लिए भारत हेतु एडीबी की देश साझेदार रणनीति (सीपीएस) को सितम्बर, 2017 में अंतिम रूप दिया गया था।

8.9.8 भारत में एडीबी का हस्तक्षेप प्रचालन के इन 6 क्षेत्रों में हैं: परिवहन; ऊर्जा, शहरी अवसंरचना तथा सेवाएं, वित्त, कौशल और कृषि और प्राकृतिक संसाधन।

- एडीबी परिवहन क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य संपर्क और अभिगम्यता को सुधारना, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिपाटियों का संवर्धन करना तथा अंतर्देशीय और उप-क्षेत्रीय व्यापार कोरीडोरों और सुविधाओं में बढ़ोतरी करना है।
- ऊर्जा क्षेत्र की पहले भारत में विद्युत पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने में योगदान देती हैं। एडीबी समर्थित पहलों का उद्देश्य सभी को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना है और कम कार्बन उत्सर्जन तथा सौर ऊर्जा के नवीकरण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।
- शहरी क्षेत्र कार्यक्रम शहरी जीवन की गुणवत्ता को सुधाने के लिए मूलभूत सेवाओं के वक्त, गुणवत्ता व निरंतरता का विस्तार करने पर ध्यान देता है। यह भारत सरकार की तीन प्रमुख शहरी पहलों के समर्थन का पक्षधर है।
- वित्त क्षेत्र कार्यक्रम ऋण तथा इक्विटी वित्त, निवेश निधियों, ऋण श्रृंखलाओं तथा गारंटियों के जरिए अवसंरचना हेतु वित्त को बढ़ाने में सहायता करने का प्रयास करता है।
- एडीबी के कृषि और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के हस्तक्षेप जल प्रयोग दक्षता और जलवायु प्रतिस्क्रंदन के प्रमुख क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं।
- एडीबी का कौशल विकास कार्यक्रम उद्योगों को योग्य श्रमिकों की आपूर्ति तथा विकास के लिए जरूरी सेवाओं में वृद्धि में योगदान देने का प्रयास करता है। कार्यक्रम में गुणवत्ता और परिणामों पर ध्यान देते हुए कौशल विकास में राज्य स्तरीय प्रयासों का समर्थन शामिल है।

8.9.9 एडीबी क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण पर भारत सरकार के विजन को साझा करता है। दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम परियोजना आधारित साझेदारी में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यानमार, नेपाल एवं श्रीलंका को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एडीबी 13 वर्षों से अधिक समय से दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सदस्य देशों के साथ सीमा पार पावर लाइनों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए नीतिगत उपायों को प्रारंभ करने के लिए तथा वस्तुओं एवं लोगों की आवाजाही हेतु सड़कों को जोड़ने के लिए सार्क के उप-समूह के साथ कार्य कर रहा है। एसएएसईसी देश दक्षिण एशिया में अंतराक्षेत्रीय व्यापार एवं सहयोग बढ़ाने की आम धारणा साझा करता है जबकि म्यानमार में से पूर्वी एशिया को तथा वैश्विक बाजार दक्षिण पूर्व एशिया से सम्पर्क एवं व्यापार भी विकसित कर रहा है। एसएएसईसी विजन अप्रैल, 2017 में नई दिल्ली में एसएएसईसी वित्त मंत्रियों के दौरान शुरू किया गया।

8.9.10 भारत का एडीबी की सहायता में प्रमुख तत्व विभिन्न निष्पादनकारी एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना रहा है। एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन में क्षमता विकास संसाधन केंद्र स्थापित किया गया था। यह भारत में एडीबी प्रचालनों से संबंधित प्रचालनात्मक मामलों तथा तकनीकी एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर निष्पादनकारी एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को विकसित करने तथा उन्हें प्रदान करने के लिए अग्रणी विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करता है।

8.9.11 तकनीकी सहायता (टीए) कार्यक्रम ऋण कार्यक्रम के अनुकूल विकसित हुआ है। टीए सहायता का प्रयोग क्षमता निर्माण, परियोजना तत्परता और कार्यान्वयन में सुधार तथा कार्यक्षेत्र अध्ययन और ज्ञान उत्पाद प्रारंभ करने के लिए किया जा रहा है।

8.9.12 एडीबी ने परियोजनाओं के निरूपण, डिजाइन और कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण विकास के लिए विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता विशेष निधि (टीएएसएफ) स्थापित की है ताकि विदेशी वित्तपोषण के प्रभावी उपयोग को सुगम बनाया जा सके। भारत वर्ष 1970 से स्वैच्छिक रूप से टीएएसएफ में अंशदान कर रहा है।

#### 8.10 वैक्सीन और प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (गावी सहयोग)

8.10.1 गावी सहयोग (पूर्ववर्ती वैश्विक टीकाकरण और प्रतिरक्षण सहयोग) की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी ताकि जीवन रक्षक टीकों तक पहुंच के पारंपरिक अंतराल को कम किया जा सके और बच्चों की मृत्यु दर घटाई जा सके। गावी का मिशन गरीब देशों में बच्चों के जीवन बचाना और प्रतिरक्षण तक पहुंच बढ़ाकर व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। गावी ने 2016 तक लगभग 12 बिलियन अमरीकी डालर के अंशदान से अनुमानतः अतिरिक्त 500 मिलियन बच्चों के टीकाकरण और लगभग सात मिलियन भावी मृत्युओं को रोकने में योगदान किया है।

8.10.2 भारत गावी सहयोग का प्राप्तकर्ता ही नहीं बल्कि अंशदाता भी है। भारत सरकार एवं गावी के बीच हस्ताक्षरित "अंशदान करार" के अनुसार भारत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक गावी सहयोग को प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर अंशदान करने के लिए वचनबद्ध है।

8.10.3 अगले पुनः पूर्ति चक्र 2017-21 में गावी भारत का अंशदान बढ़ाने के लिए 2017 में एमओएचएफडब्ल्यू का प्रस्ताव प्राप्त किया गया। यह प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग में जांचा गया तथा माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया कि भारत गावी को 2 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष अर्थात गावी के 4 वर्षों के अगले पुनः पूर्ति चक्र के लिए 8 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगा। 2017-18 के लिए गावी में भारत के (2 मिलियन अमरीकी डालर) योगदान का भुगतान मार्च, 2018 में किया गया था। सरकार की दूसरी किस्त 2018-19 के लिए गावी में भारत के (2 मिलियन अमरीकी डालर) योगदान का भुगतान जनवरी, 2019 में किया गया है।

### 8.11 एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया रोकने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम)

8.11.1 एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया रोकने के लिए वैश्विक निधि (वैश्विक निधि/जीएफएटीएम) अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जो एचआईवी और एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से बचने और इनका उपचार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने व संवितरित करने पर लक्षित है। यह संगठन सरकारी निजी भागीदारी पर है तथा इसका सचिवालय जिनेवा, स्वीटजरलैंड में है। इस संगठन ने जनवरी, 2002 में अपने कार्य शुरू किए। जीएफएटीएम समर्पित कार्यक्रमों ने 2002 से अनुमानतः 17 मिलियन जीवन बचाए हैं।

8.11.2 भारत सरकार, जीएफएटीएम और आईबीआरडी (वैश्विक निधि की न्यास के न्यासी) के बीच 27 जनवरी, 2014 को 'बहु-

वर्षीय अंशदान करार' के अनुसार भारत ने चौथी पुनः पूर्ति 2013-2016 की अवधि के लिए जीएफएटीएम को 16.50 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता की है।

8.11.3 वित्त मंत्री के अनुमोदन से निम्नलिखित सूची (i) 2017 में 6 मिलियन अमरीकी डालर तथा (ii) 2018 एवं 2019 में 7 मिलियन अमरीकी डालर, पांचवी स्वैच्छिक पुनः पूर्ति चक्र 2017-19 के दौरान वैश्विक कोष 20 मिलियन अमरीकी डालर के भारत के अंशदान के लिए 05.12.2016 को भारत और जीएफएटीएम के बीच बहुवर्षीय अंशदान करार हस्ताक्षरित हुआ है। वर्ष 2018 के लिए भारत का (7 मिलियन अमरीकी डालर) योगदान जून, 2018 में भुगतान किया गया है। वर्ष 2019 के लिए पिछला योगदान (7 मिलियन अमरीकी डालर) जून, 2019 के महीने में भुगतान किया जाएगा।

### एटीएन की स्थिति - आईएमएफ अनुभाग

#### (एफबी और एडीबी प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग)

| क्र. सं. | वर्ष | पैरा/ पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर एटीएन की लेखा परीक्षा द्वारा विधिस्था करने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किया गया है। | पैरा/ पीएका ब्यौरा जिस पर एटीएन लंबित हैं                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                                                                                     | मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या। | भेजे गए एटीएन की संख्या लेकिन अवलोकन के लिए वापिस भेजी गई तथा मंत्रालय द्वारा इनके पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए लेखा परीक्षा प्रतीक्षित है। | एटीएन की संख्या जो कि अंतिम रूप से लेखा परीक्षा द्वारा विधिस्था किया गया है परंतु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। |
| 1        | 2014 | रिपोर्ट 1 की 2014, मांग संख्या 32, पैरा 3.16 (अनुबंध 3.14, मद 23 से 25)                                             | -                                                         | -                                                                                                                                       | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |
| 2        | 2014 | 2014 की रिपोर्ट नंबर 1, मांग संख्या नंबर 32, पैरा 3.16 (अनुबंध 3.14)                                                | -                                                         | -                                                                                                                                       | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |
| 3        | 2015 | 2015 की रिपोर्ट नंबर 1, मांग संख्या 33, पैरा 3.12 (अनुलग्नक 3.10 और 3.15, अनुबंध 3.13)                              | -                                                         | -                                                                                                                                       | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |
| 4        | 2016 | 2016 की रिपोर्ट संख्या 34, मांग संख्या 34, पैरा 3.16 (अनुलग्नक 3.13, मद 21), पैरा 3.17 (अनुबंध 3.14, मद 6)          | -                                                         | -                                                                                                                                       | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |
| 5        | 2016 | 2016 की रिपोर्ट संख्या 34, मांग संख्या 34, पैरा 3.18 (सारणी 3.9, मद 3)                                              | -                                                         | -                                                                                                                                       | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |
| 6        | 2017 | 2017 की रिपोर्ट संख्या 44, मांग संख्या 29, पैरा 3.15 (अनुलग्नक 3.12, मद नंबर: 13), पैरा 3.17 (अनुबंध 3.14, मद 4)    |                                                           |                                                                                                                                         | प्रस्तुत कर दी गई।                                                                                                                    |

## 9. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग

9.1 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर कार्य करता है। आईईआर प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:-

1. जी-20
  2. जी-7
  3. जी-24
  4. ब्रिक्स
  5. सार्क, एसडीएफ
  6. आसियान, कैरेबियाई संघ
  7. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)
  8. विदेशी व्यापार गैट, विश्व व्यापार संगठन, टीपीपी आदि से संबंधित कार्य
  9. ओईसीडी, एससीओ, जीपीएफआई
  10. एशिया-यूरोप बैठक (एसेम)
  11. विदेशी प्रभार —
- (क) दक्षिण एशिया (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) दक्षिण पूर्व एशिया (ब्रुनेई, बर्मा, कम्बोडिया, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, वियतनाम) पूर्वी एशिया (मंगोलिया, हांगकांग, ताइवान) मध्य एशिया (तुर्की)

- (ख) उत्तरी अमेरिका (मेक्सिको) से संबंधित मामले,
- (ग) सीआईएस देशों (अरमेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, मालदोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान) से संबंधित मामले ।

### 12. क्षेत्रीय प्रभार—

- (क) रक्षा मंत्रालय
- (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय

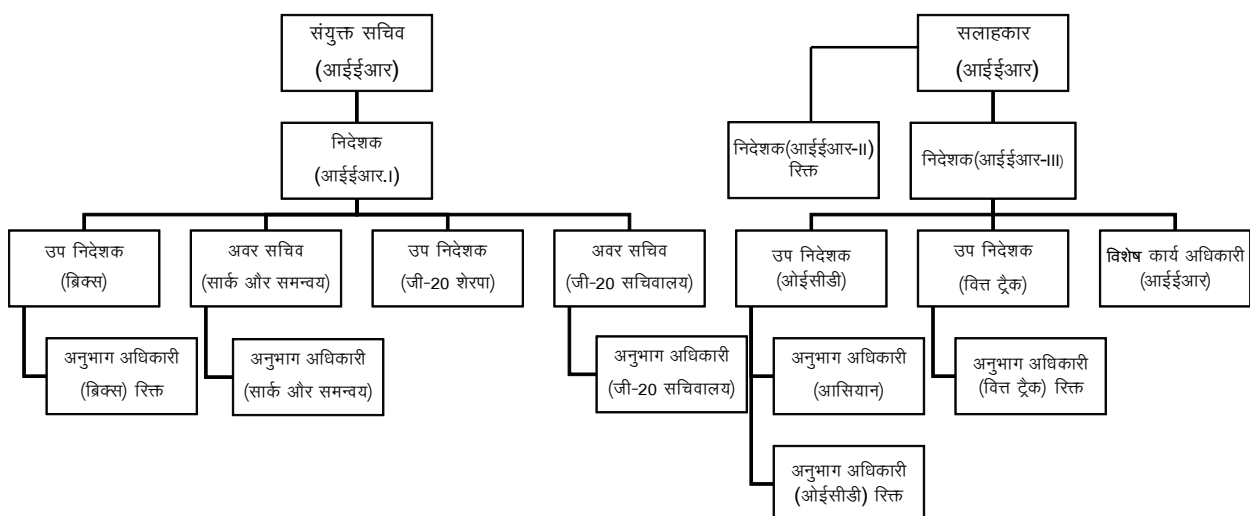
### जी-20 के मुद्दों संबंधी शीर्ष परिषद

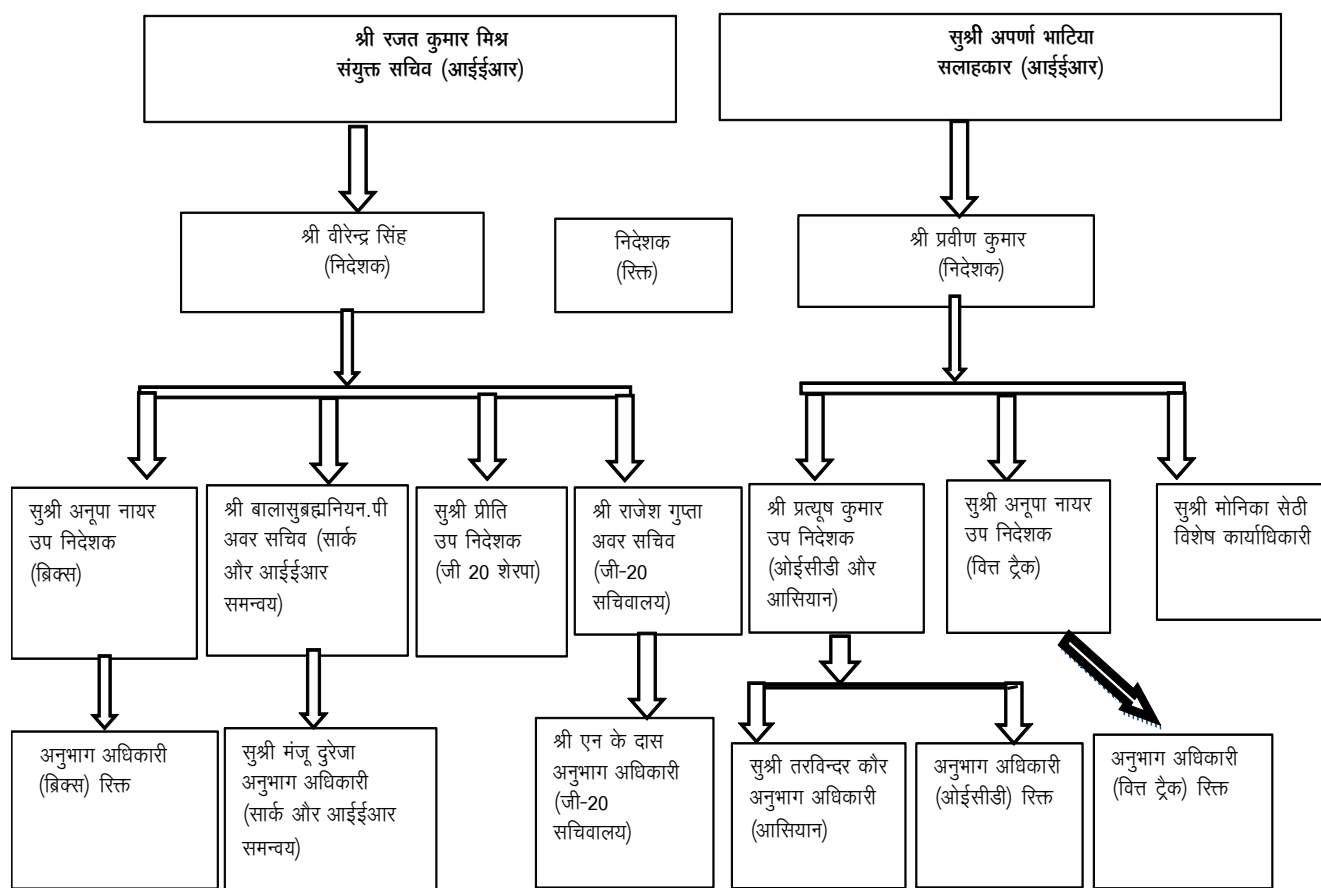
वर्ष 2010 में, जी-20 के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पर्यवेक्षण तंत्र के रूप में शीर्ष परिषद का गठन माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहली बार किया गया था। परिषद के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

- (i) नीति तैयार करने के लिए दिशानिर्देश देना और जी-20 में परिकल्पित मुद्दों पर देश की प्रतिक्रिया तथा यथाअपेक्षित प्रधानमंत्री को सलाह देना और
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना या ऐसे मुद्दे जिनमें व्यापक नीतिगत जटिलताएं हैं, उन्हें आर्थिक कार्य विभाग द्वारा शीर्ष परिषद को भेजा जाता है।

वर्ष विशेष के लिए जी-20 में प्राथमिकताओं और संकेंद्रन को ध्यान में रखते हुए साधारणतः शीर्ष परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष में परिषद की बैठक जी-20 के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के पहले आयोजित की जाती है। 21 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा परिषद का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया है। बाद में दो नए सदस्य अर्थात् सचिव, एमएचआरडी और सचिव एमएसएमई को शीर्ष परिषद में नवंबर 2016 में जोड़ा गया, जिससे परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 29 हो गई।

### अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग की संगठनात्मक संरचना





### ई-शासन:

जहां तक ई-शासन का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग दिसंबर, 2016 से सभी फाइलों पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से कार्रवाई कर रहा है। दिसंबर, 2018 में सभी वास्तविक फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में परिवर्तित कर दिया गया है।

I. जी-20

1. जी-20 का गठन 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के एक फोरम के रूप में इस तथ्य को को स्वीकार करने के लिए किया गया था कि उन्नत अर्थव्यवस्था का बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभार में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तथापि, जी-20 की प्रसिद्धि 2008 में तब बढ़ी जब यह 2008 के विश्वव्यापी वित्तीय संकट का प्रभावी समाधान निकालने और विश्व को भारी आर्थिक क्षति से बचाने के लिए वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के फोरम ऊपर उठकर जी-20 राष्ट्रों का प्रतिनिधि बन गया।

2. जी-20 का प्रथम शिखर सम्मेलन नवंबर, 2008 में युद्धकाल के बाद भारी वित्तीय संकट की स्थिति में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। उसके बाद बारह शिखर सम्मेलन, लंदन (अप्रैल, 2009), पिट्सबर्ग (सितम्बर, 2009), टोरंटो (जून, 2010), सियोल (नवम्बर, 2010), केन्स (नवंबर, 2011), लॉस कैबोस (जून, 2012), सेंट पिट्सबर्ग (सितंबर, 2013), ब्रिस्बेन (नवंबर, 2014), अन्टालिया (नवम्बर, 2015), हांगझू (सितंबर, 2016),

हैमबर्ग (जुलाई, 2017) और ब्यूनर्स आयर्स (दिसंबर, 2018) में आयोजित किए गए। 14वां जी-20 शिखर सम्मेलन जापान की अध्यक्षता में, ओसाका जापान में 28-29 जून, 2019 में आयोजित होगा।

3. भारत 2022 में जी-20 अध्यक्षता की मेजबानी करने का प्रस्ताव करता है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में होगा। जी-20 का अध्यक्षता का कार्य सामान्यतः विभिन्न बैठकों (अनेक नीतिगत मुद्दों पर) का एक वर्ष लंबा चलने वाला कार्यक्रम होता है, जिसका समापन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन से होता है। एक संपूर्ण अध्यक्षता (अर्थात् दिसंबर (प्रथम सप्ताह) से शुरू होकर नवंबर (आगामी वर्ष के अंतिम वर्ष सप्ताह तक) के लिए सामान्यतः वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 बैठकें, शेरपाओं की 3-4 बैठकें और जी-20 के विभिन्न कार्य दलों की 80 बैठकें होती हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जी-20 की बैठकों में केवल वैश्विक महत्व के नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है, परंतु यह आयोजक देश के लिए अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार और आर्थिक कुशलता को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी होता है जिससे पर्यटन राजस्व में हुई वृद्धि के रूप में प्लवन प्रभाव पड़ता है।

## जी-20 वित्त मार्ग

4. जी-20 के मुद्दों पर दो समानांतर मार्गों अर्थात् वित्त मार्ग एवं शेरपा मार्ग के माध्यम से विचार किया जाता है। वित्त मार्ग के

अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, अवसंरचनात्मक वित्तपोषण, दीर्घकालिक एवं समावेशी वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वित्तीय क्षेत्र के विनियमन जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है। वित्त जी-20 वित्त मार्ग के अंतर्गत सर्वोच्चस्तरीय बैठक **जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीजीबी) की बैठक** होती है जिसका आयोजन एक वर्ष में दो बार या तीन बार किया जाता है। जी-20 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। प्रत्येक एफएमसीजीबी बैठक के पहले, एफएमसीजीबी बैठक की तैयारी के लिए वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सचिव (आर्थिक कार्य) भारत के वित्त प्रतिनिधि होते हैं। तकनीकी स्तर की चर्चाएं कार्य-समूह की बैठकों के माध्यम से की जाती हैं।

5. वित्त मार्ग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा मुख्यतः चार कार्य दलों में की जाती है, जो निम्नानुसार हैं:

- क. **संरचना कार्य समूह (एफडब्ल्यूजी)** में वर्तमान वैश्विक वृहत आर्थिक मुद्दों, विकास संबंधी कार्यनीतियों और संरचनात्मक सुधार पर चर्चा होती है। भारत इस कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है।
- ख. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना** कार्य समूह में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, आईएमएफ का कोटा सुधार, अन्य देशों में ऋण धारणीयता से संबंधित कार्य होते हैं।
- ग. **अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी)** में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेशों, खास तौर पर अवसंरचनात्मक निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में नवाचार पर विचार-विमर्श किया जाता है।
- घ. **वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई)** में विश्व स्तर पर वित्तीय समावेशन बढ़ाने से संबंधित कार्य होते हैं।

#### ब्यूनस आयर्स शिखर सम्मेलन 2018 के परिणाम

6. **सुदृढ़, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी वृद्धि** — जी-20 के प्रतिनिधियों ने सुदृढ़, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी वृद्धि हासिल करने और नकारात्मक पहलुओं के जोखिम से बचाने के लिए सभी नीतिगत उपायों का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने पुनः दोहराया कि मौद्रिक नीति आर्थिक कार्यों का समर्थन करती रहेगी और मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित करती रहेगी और यह कि आर्थिक नीति, जहां आवश्यक हो, प्रतिरोधक बननी चाहिए, इसका उपयोग लचीलेपन से होना चाहिए और इसे वृद्धि के अनुकूल होना चाहिए।

7. **कार्य की भावी दशा** — कार्य की भावी दशा न केवल चुनौतियां पैदा करती है बल्कि यह अनेक अवसर भी प्रदान करती है। परिवर्तनकारी तकनीकी से अनेक आर्थिक अवसर प्राप्त होने की उम्मीदें होती हैं जिनमें नए एवं बेहतर नौकरी और बेहतर जीवन स्तर शामिल है। प्रतिनिधियों ने कार्य की भावी दशा के लिए ऐसे अनेक नीतिगत विकल्पों की स्वीकृति दी जिससे वृद्धि एवं उत्पादकता को सुदृढ़ करने की तकनीकी का लाभ उठाने और

परिवर्तन के दौरान लोगों की सहायता करने तथा वितरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं को नीतिगत विकल्प प्राप्त होते हैं।

8. **अवसंरचनात्मक वित्तपोषण** — जी-20 के प्रतिनिधियों ने मौजूदा अवसंरचनात्मक वित्तपोषण कमी का समाधान करने के लिए अवसंरचनात्मक निवेश में अधिक निजी पूंजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिनिधियों ने एक अलग आस्ति श्रेणी, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश जुटाने की क्षमता हो, के रूप में अवसंरचना का विकास करने के लिए एक अवसंरचना श्रेणी के रूप में अवसंरचना के लिए रूपरेखा की पुष्टि की है।

9. **दीर्घकालिक वित्तपोषण** — प्रतिनिधियों ने दीर्घकालिक वित्त जुटाने के लिए अपना समर्थन दिया और निरंतर वित्त संकलन रिपोर्ट, 2018 का स्वागत किया जो निरंतर निजी पूंजी के विकास का समर्थन करने का ऐच्छिक विकल्प प्रस्तुत करता है।

10. **वित्तीय समावेशन** — प्रतिनिधियों ने वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की मांग की और जी-20 वित्तीय समावेशन नीति दिशा-निर्देश को स्वीकृति दी जो देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐच्छिक नीतिगत सिफारिश करती है।

11. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना** — प्रतिनिधियों ने सीमापार धन प्रवाह की निरंतर निगरानी करने और कम आय वाले देशों में ऋण अरक्षितता का समाधान करने की सहमति दी।

12. **मुक्त एवं लचीली वित्तीय प्रणाली** — प्रतिनिधियों ने वित्तीय प्रणाली में भावी जोखिम एवं अरक्षितता पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने तथा सतत विनियामक एवं पर्यवेक्षी समन्वय के माध्यम से विखण्डन का समाधान करने की सहमति दी। प्रतिनिधियों ने काले धन को वैध बनाने के कार्य को रोकने और एफएटीएफ मानकों के अनुरूप आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए गुप्त आस्तियों को विनियमित करने की भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

13. **निष्पक्ष, दीर्घकालिक और आधुनिक करारोपण प्रणाली** — प्रतिनिधियों ने ओईसीडी/जी-20 बीईपीएस पैकेज को संपूर्ण विश्व में लागू करने की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली पर अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के प्रभाव का समाधान करने के लिए सहमति के आधार पर समाधान तलाश करने के लिए एक साथ काम करते रहने की सहमति दी।

#### शिखर सम्मेलन में भारत का योगदान

14. भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लोग जो आर्थिक अपराध करते हैं, उन्हें विश्व में कहीं भी कोई शरण न मिले, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए, 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता वाली जी-20 में अथक प्रयास किया। दिसंबर, 2018 में जी-20 प्रतिनिधियों के शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पर एक नौ सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत

किया गया, जिसे जी-20 के 19 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों में व्यापक स्वीकृति मिली। अंततः, जी-20 के प्रतिनिधियों ने जैसाकि उन्होंने अपनी ब्यूनर्स आयर्स घोषणा में व्यक्ति किया था, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों और चोरी की गई आस्तियों को लौटाने के संबंध में सहयोग करने पर सहमति दी।

#### जापान की अध्यक्षता में 2019 में होने वाले जी-20 की प्राथमिकताएं

15. 2019 में, जापान ने अपनी जी-20 अध्यक्षता में तीन मुख्य प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत जी-20 वित्त मार्ग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है:

**प्राथमिकता 1: वैश्विक अर्थव्यवस्था: जोखिम एवं चुनौतियां** (वैश्विक असंतुलन एवं परिपक्व होने के निहितार्थ)

**प्राथमिकता 2: सुदृढ़ विकास के लिए कार्य** (बेहतर अवसंरचना निवेश, प्राकृतिक आपदाओं का प्रतिरोध, विकासशील देशों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज वित्तपोषण और एलआईसी की ऋण स्थायित्व एवं पारदर्शिता)

**प्राथमिकता 3: नवाचार एवं वैश्वीकरण के कारण हुए संरचनात्मक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया** (अंतर्राष्ट्रीय करारोपण, वित्तीय बाजार की अखंडता और वित्तीय नवाचार: अवसर एवं चुनौतियां)

#### जी-20 शेरपा ट्रैक

16. जी-20 जापानी अध्यक्षता के अंतर्गत जी-20 शेरपा ट्रैक में नौ कार्य समूहों अर्थात् (i) कृषि प्रतिनिधियों की बैठक (ii) रोजगार कार्य समूह (iii) स्वास्थ्य कार्य समूह (iv) डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य बल (v) भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (vi) व्यापार एवं निवेश कार्य समूह (vii) विकास कार्य समूह (viii) ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह (ix) जलवायु निरंतरता कार्य समूह के अंतर्गत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके साथ ही, इस्पात आधिक्य क्षमता के वैश्विक फोरम (जीएफएसईसी) के अंतर्गत अत्यधिक इस्पात क्षमता के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाता है।

#### ब्यूनर्स आयर्स शिखर सम्मेलन के परिणाम:

17. **रोजगार:** प्रतिनिधियों ने मर्यादित कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करके एक समावेशी, निष्पक्ष एवं स्थायी कार्य दशा तैयार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और राष्ट्रीय कानून एवं परिस्थितियों के अधीन श्रम को औपचारिक रूप देने और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ एवं सरल बनाने पर जोर दिया। जी-20 प्रतिनिधियों ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार और उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतियों पर विशेष जोर दिया।

18. **डिजिटलीकरण:** प्रतिनिधियों ने डिजिटल नीतियों के जी-20 संग्रह को साझा करने और नवोन्मेष डिजिटल व्यवसाय मॉडल को अपनाने को प्रोत्साहित करने का स्वागत किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई तकनीक तथा नए व्यावसायिक प्लेटफार्मों पर कार्य करते रहने की सहमति दी।

19. **सतत विकास:** जी-20 के प्रतिनिधियों ने बदलाव को सतत विकास की दिशा में ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस

लक्ष्य और जी-20 कार्य योजना को आगे बढ़ाने की रूपरेखा के रूप में 2030 एजेंडा का समर्थन किया। प्रतिनिधियों ने ईसीडी के बहुआयामी दृष्टिकोण, अफ्रीका के साथ समझौता तथा अन्य संगत कार्यों सहित जी-20 अफ्रीकी भागीदारी का समर्थन किया।

20. **कृषि:** प्रतिनिधियों ने परिवार तथा छोटे भूमिधारक किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, स्थायी मृदा, जल तथा नदीतट प्रबंधन के महत्व को स्वीकार किया: प्रतिनिधियों ने खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

21. **जलवायु:** जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधियों ने ऐसी अवसंरचना जो अत्यंत खराब मौसम और आपदाओं के अनुकूल हो, में निवेश करने सहित व्यापक अनुकूलन नीति के महत्व स्वीकार किया: प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते तथा दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्त साधन के महत्व को रेखांकित किया और जलवायु वित्त साधन के समान होने के महत्व पर बल दिया।

22. **ऊर्जा:** प्रतिनिधियों ने परिभाषा "परिवर्तन" के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली हासिल करने के लिए मिश्रित ऊर्जा और विभिन्न संभव राष्ट्रीय उपायों में सभी ऊर्जा स्रोतों तथा तकनीकियों की भूमिका को स्वीकार किया। प्रतिनिधियों ने नवीकरणीय, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना सहित स्वच्छ एवं स्थायी ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाकर नवाचार, विकास और रोजगार सृजन के अवसरों को स्वीकार किया।

23. **व्यापार और निवेश:** जी-20 प्रतिनिधियों ने वृद्धि, उत्पादकता, नवाचार, रोजगार सृजन और विकास के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के महत्व पर बल दिया। इसके अलावा, प्रतिनिधियों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के योगदान की भी सराहना की और विश्व व्यापार संगठन में आवश्यक सुधार का समर्थन किया।

24. **स्वास्थ्य:** जी-20 प्रतिनिधियों ने वन-हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (एएमआर) संबंधी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय कार्य योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने बाल्यावस्था में अधिक वजन और मोटापे पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय-आधारित और सहयोगात्मक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण के विरुद्ध भी लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय संदर्भों और प्राथमिकताओं के अनुरूप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की दिशा में बढ़ने हेतु स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के प्रति बेहतर पहुंच हासिल करने और अपनी गुणवत्ता और वहन करने के सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए कृपायती तथा साक्ष्य आधारित उपाय उपलब्ध कराते हुए सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया।

#### सम्मेलन में भारत का योगदान

25. श्रमिकों को जुटाने और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के विषय में लंबे समय से जारी जी-20 के मुद्दों के

अनुरूप, भारत ने सामाजिक सुरक्षा की ऐसी व्यवस्थाओं के महत्व पर बल दिया जिससे सामाजिक सुरक्षा की सुवाह्यता और समग्रता सुनिश्चित होती हैं।

26. प्राथमिकता क्षेत्र-स्वास्थ्य एजेंडा के अंतर्गत कुपोषण और मोटापे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के अंतर्गत भारत ने प्रकाश डाला कि मोटापा जीवनशैली से संबंधित बीमारी है जिसके लिए दवाई की पारंपरिक पद्धतियों तथा योग के माध्यम से जीवनशैली प्रबंधन उपाय करने की जरूरत है। प्रतिनिधियों की सरकारी रिपोर्ट में दवाइयों की पारंपरिक पद्धतियों तथा योग के संबंध में भारत के इस प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया और दवाइयों की पारंपरिक एवं प्रशंसनीय पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए अपनी जरूरत को पुनः स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधियों ने एचआईवी/एड्स, तपेदिक तथा मलेरिया को समाप्त करने और वर्ष 2019 में वैश्विक निधि की सफलतापूर्वक प्रतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

27. जलवायु संबंधी चर्चाओं के अंतर्गत, कुछ देशों द्वारा पेरिस समझौते के किसी भी संदर्भ के विषय में प्रतिरोध के बावजूद, भारत, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम घोषणापत्र में पेरिस समझौते तथा सामान्य किंतु विभिन्न दायित्वों के सिद्धांत को शामिल किया जा सके। विकासशील देशों के अनुकूलन और शमन के प्रयासों के समर्थन में विकसित देशों की प्रतिबद्धता पर भी भारत द्वारा बल दिया गया ताकि इसे घोषणापत्र में शामिल किया जा सके।

28. भारत द्वारा जोर दिए जाने पर, वर्ष 2018 के ब्यूनस आयर्स में प्रतिनिधियों के घोषणापत्र में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मुद्दे को भी स्वीकार किया गया, जिसका उल्लेख इस प्रकार किया है: "हम अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं और देश की कानून व्यवस्था के अनुरूप ऐसे अपराधों और चुराई गई आस्तियों के अभ्यर्पण हेतु सहयोग करने सहित भ्रष्टाचार तथा अन्य आर्थिक अपराधों के बीच की कड़ियों तथा उनसे निपटने के तरीकों का पता लगाएंगे।"

#### जापान की अध्यक्षता

29. जापान की अध्यक्षता के अंतर्गत शेरपा ट्रैक के प्रत्येक कार्य क्षेत्र के तहत रेखांकित प्राथमिकताएं निम्नवत हैं:

**रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी):** जनसंख्या संबंधी बदलाव, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कार्य के नए रूप।

**स्वास्थ्य कार्य समूह (एचडब्ल्यूजी):** व्यापक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने, वृद्ध समाज के प्रति अनुक्रिया, स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा, एएमआर के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना शामिल हैं।

**व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी):** वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटनाक्रम, दीर्घकालिक और समावेशी विकास के लिए व्यापार और निवेश, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार करार में हालिया विकास, डिजिटल व्यापार, बाजार विकृति हटाने के उपायों के द्वारा एकसमान कारोबार क्षेत्र सुनिश्चित करना।

**डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य बल (डीईटीएफ):** सोसायटी 5.0 उभरती प्रौद्योगिकियां जिसमें एआई, विश्वास के साथ आंकड़ों और सूचना का निर्बाध प्रवाह, समावेशिता को बढ़ावा, एसडीजी के लिए एसटीआई शामिल है।

**जलवायु धारणीयता कार्य समूह (सीएसडब्ल्यूजी):** राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान का कारगर क्रियान्वयन तथा दीर्घावधिक कार्यनीतियों की अभिकल्पना अंगीकरण उपायों और लचीली अवसंरचना के बीच सामंजस्य, जलवायु संबंधी व्यापार के अवसर और नवाचार, अंगीकरण कार्य कार्यक्रम 2018-2019 के तहत शामिल किए गए मुद्दों पर चर्चा।

**ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी):** 3ई+एस अर्थात ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सक्षमता और पर्यावरण (3ई) तथा सुरक्षा (एस) कार्बन रिसाइक्लिंग, नाभिकीय, डिजिटलीकरण और नवीकरणीय, समुद्री प्लास्टिक कचरा सहित हाइड्रोजन, सीसीयूएस जैसे ऊर्जा परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवाचार हासिल करना।

**विकास कार्य समूह (वीडब्ल्यूजी):** गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश, मानव पूंजी निवेश, 2030 एजेंडा, जवाबदेही, एसडीजी के लिए एसटीआई।

**भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी):** अवसंरचना विकास सचेतक संरक्षण में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना, विदेशी घूसखोरी को अपराध करार देने और ओईसीडी घूसखोरी-रोधी सम्मेलन की संभावित अनुपालना के लिए वचनबद्धता पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

**कृषि प्रतिनिधियों की बैठक:** नवोन्मेष मानव संसाधनों और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, खाद्य मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान, किसानों और अन्य एफवीसी हितधारकों के लाभ को सुसाध्य बनाना, एसडीजी हासिल करने के लिए यथासंभव योगदान देना।

#### II ब्रिक्स:

30. आर्थिक कार्य विभाग, भारत में ब्रिक्स के आर्थिक और वित्तीय सहयोग का समन्वयन करता है। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की तीन बैठकें तथा ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की दो बैठकें आयोजित की गई थीं। ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:

- वित्त मंत्रालय के तहत मुद्दे
  - क. न्यू डेवलपमेंट बैंक
  - ख. अवसंरचना संबंधी सहयोग
  - ग. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी
- केंद्रीय बैंक के तहत मुद्दे
  - क. ब्रिक्स आकस्मिक प्रारक्षित व्यवस्था का परीक्षण
  - ख. ब्रिक्स फिनटेक स्टॉकएक्चेंज कार्य
  - ग. ब्रिक्स बांड फंड

31. दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण परिणामों में से एक परिणाम यह था कि सदस्यता विस्तार संबंधी प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एनडीबी निदेशक मंडल को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा सक्रिय रुचि ली जाने लगी। एनडीबी की 2017 की वार्षिक बैठक समाप्त होने पर, बैंकों के गवर्नर-मंडल ने नए सदस्यों के प्रवेशाधिकार के लिए निबंधनों एवं शर्तों को अनुमोदित किया। वर्ष 2018 में, सदस्यता और श्रेयधारिता रूपरेखा के विस्तार के लिए निदेशक-मंडल द्वारा मानदंड अंगीकार करने के साथ, बैंक ने इस कार्य की गति बढ़ा दी; जिससे नई सदस्यता खोलने की संभावना के प्रति आवश्यक कदम उठाने की दिशा में बैंक और नजदीक पहुंच जाएंगे। आशा है कि ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान नवम्बर, 2019 में उन कुछ नए सदस्यों की सूची की घोषणा हो जाएगी, जो बैंक में शामिल होंगे।

32. जनवरी, 2019 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण कर ली गई। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के तहत जारी मुद्दों के अतिरिक्त जिन दो नए मुद्दों की पहचान ब्राजील की अध्यक्षता में की गई, वे हैं-अंतर्राष्ट्रीय रूप से भुगतान करने की प्रणाली (स्पिन) तथा प्राधिकृत आर्थिक प्रचालनकर्ता। स्पिन एक नवप्रवर्तक भुगतान और निपटान पद्धति है जिसमें बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है, संव्यवहार में पारदर्शिता आती है, लागत कम होती है और निपटान तेजी से होता है। भुगतान प्रणालियों/अथवा जोखिम प्रबंधन और साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों से युक्त एक तकनीकी कार्यसमूह की स्थापना की गई है, जो स्पिन की स्थापना का विश्लेषण करेगा और इस पहल तथा इससे संबंधित जोखिमों की जानकारी बढ़ाएगा। तकनीकी कार्यसमूह की रिपोर्ट तैयार हो रही है। इस विशेषज्ञ समूह में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय रिजर्व बैंक करता है। **प्राधिकृत आर्थिक प्रचालनकर्ता (ईओ)** के अंतर्गत, ब्राजीली अध्यक्षता में अन्य सदस्य देशों के बीच ईओ को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया। एकसमान आवश्यकताओं का निर्धारण करने तथा परस्पर मान्यता करार के लाभार्थ ईओ एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम हो सकता है। वर्तमान में, ब्रिक्स परिपाटी सहयोग समिति ब्रिक्स एमएमआरए के आम और स्पष्ट उद्देश्यों की परिभाषा तथा संयुक्त कार्य योजना विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिसके कार्यान्वयन की पद्धतियां और समय-सीमा निर्धारित होगी। ब्राजीली अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि आशय पत्र में इन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए जिस पर ब्रिक्स देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरित बहुपक्षीय ब्रिक्स परस्पर मान्यता करार संयुक्त आशय पत्र नवम्बर 2019 में आगामी ब्रिक्स सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाना है।

### III जी-24

33. जी-24 की स्थापना 77 देशों के समूह (जी-77) द्वारा 1971 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कार्य एवं विकास पर चौबीस अंतर-सरकारी समूह (जी-24) ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन (बीडब्ल्यूआई) के संबंध में विचार-विमर्श करने और निर्णय में मौद्रिक और विकास संबंधी समस्याओं पर विकासशील देशों की स्थिति में

सहयोग करता है। विशेष तौर पर, जी-24 अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) और विकास समिति (डीसी) के कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान देता है।

34. जी-24 के शासी निकाय की बैठक वर्ष में दो बार, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति तथा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की संयुक्त विकास निधि की वसंत ऋतु एवं शरद ऋतु से पूर्व होती हैं। संपूर्ण जी-24 की बैठकों का संबोधन आईएमएफ और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रणाली के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मुद्दों पर प्रतिनिधियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और एक दस्तावेज का मंत्रियों द्वारा अनुमोदन करके अंत किया जाता है जो सदस्य देशों की सहमति दर्शाता है। उस मंत्रालयीन दस्तावेज का बैठकों के अंत में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में एक सरकारी विज्ञप्ति के रूप में विमोचन किया जाता है। जी-24 में सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

35. जी-24 की पिछली मंत्रालयी बैठक वाशिंगटन डी.सी. में 11 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी। जी-24 मंत्रियों की अगली बैठक वाशिंगटन डी.सी. में अक्तूबर, 2019 में आयोजित होने की आशा है।

### IV ओईसीडी

36. ओईसीडी लगभग प्रत्येक दो वर्षों में एक बार सदस्य देशों का आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज जारी करता है। ओईसीडी ने अभी तक 2007, 2011, 2014 और 2017 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। अगला सर्वेक्षण 2019 के अंत तक जारी किए जाने की संभावना है।

### V सार्क एवं एसडीएफ:

37. **सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली प्रक्रिया की रूपरेखा:**

"सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली प्रक्रिया की रूपरेखा" भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2012 को अनुमोदित की गई। इस रूपरेखा को अल्पकालीन विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के वित्तपोषण का माध्यम मुहैया कराने या दीर्घकालीक व्यवस्था किए जाने तक अथवा अल्प अवधि में इस मुद्दे का समाधान किए जाने तक भुगतान शेष के संकट को दूर करने के इरादे से तैयार किया गया था। इस सुविधा के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक सार्क सदस्य देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) को उनके दो माह की आयात आवश्यकताओं के आधार पर और अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपया में कुल 2 बिलियन से अनधिक के विभिन्न आकार के अदला-बदली का प्रस्ताव करता है। अभी तक भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस रूपरेखा की वैधता पहली बार नवंबर, 2015 में 2 वर्षों की अवधि के लिए 14 नवंबर, 2017 तक और दूसरी बार और 2 वर्षों की अवधि के लिए 13 नवंबर, 2019 तक बढ़ाई गई। सार्क अदला-बदली रूपरेखा के



अंतर्गत प्रत्येक देश के लिए निर्धारित वर्तमान सीमा से अधिक अदला-बदली राशि प्राप्त करने की सार्क सदस्य देशों के अनुरोध की प्रतिक्रिया में और इसलिए, रूपरेखा में आवश्यक ढील देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 जनवरी, 2019 को अनुमोदित सार्क अदला-बदली रूपरेखा के भीतर 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की "आरक्षित अदला-बदली" की स्वीकृति दी गई।

### 38. सार्क विकास निधि (एसडीएफ) के आर्थिक एवं अवसंरचना विंडो (ई एंड आई) का प्रचालन:

माले, मालदीव में 1 से 3 दिसंबर, 2014 के दौरान एसडीएफ के निदेशक मंडल ने अपनी 20वीं बैठक के दौरान निर्णय लिया कि सदस्य राष्ट्रों के पूंजी अंशदान में से निधि के आबंटन को 5%, इकोनॉमिक विंडों में 47.5% और इंफ्रास्ट्रक्चर विंडों में 47.5% होगा। वर्तमान में एसडीएफ की 12 चालू सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। एसडीएफ के निदेशक मंडल ने थिम्फू, भूटान में 20-22 दिसंबर, 2017 के दौरान आयोजित अपनी 28वीं बोर्ड बैठक में एसडीएफ की क्रेडिट नीति एवं ई एंड आई नीति से संबंधित दिशा-निर्देश अनुमोदित किया जिसके फलस्वरूप निधियन परियोजना के लिए ई एंड आई विंडों चालू हुआ। अनुमोदित नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार एसडीएफ के निदेशक मंडल ने नई दिल्ली में 19-20 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजित अपनी 30वीं बैठक में एक इकोनॉमिक और दो अवसंरचना विंडों परियोजनाएं अनुमोदित की।

### 10. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग (एएएडी):

10.1 आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों के वित्तीय प्रतिज्ञापत्र क्रियान्वित करता है। इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले प्रमुख कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों (पीआईए) से प्राप्त दावों पर कार्रवाई, विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण द्वारा कमी की व्यवस्था, भारत-सरकार की ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन करना शामिल है। इसके अलावा, इस प्रभाग का दायित्व ऋण-रिकार्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी का रख-रखाव, विभिन्न प्रबंध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन तथा विदेशी सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के अनुमानों को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के तहत निर्यात संवर्धन हेतु कार्यालयों द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है। यह प्रभाग विदेशी सहायता से संबंधित अपने कार्यों के लिए 2007 से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

### 10.2 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

10.2.1 कुल 1347 सक्रिय ऋण/खाते हैं जिन्हें अपडेट किया जा रहा है। कुल 473 ऋण/अनुदान खाते हैं जिनसे संवितरण हो रहा है। सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण संबंधी आंकड़ों का रखरखाव करता है। फिलहाल 144 सक्रिय ऋण हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। इन प्रत्याभूत ऋणों में से 35 संवितरण प्रणाली में हैं।

10.2.2 वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान सरकारी लेखा में ₹47667/- करोड़ की विदेशी प्राप्तियां हैं और नकद अनुदान के रूप में सहायता ₹816/- करोड़ की थी। इसी अवधि के दौरान ऋण की अदायगी के रूप में ₹30,739 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान/भुगतान किया गया था।

(₹ करोड़)

| क्र. सं. | वर्णन                   | 2017-18 | 2018-19 |
|----------|-------------------------|---------|---------|
| 1        | प्राप्तियां             | 45515   | 47667   |
| 2        | भुगतान (मूलधन और ब्याज) | 32636   | 38888   |
| 3.       | निवल अंतरण              | 12879   | 8779    |

### 10.3 ई-गवर्नेंस

10.3.1 सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग के कार्यकलापों को अप्रैल, 1999 से पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। "एकीकृत कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आईसीएस)" नामक साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसमें ऋण चक्र अर्थात प्राप्ति और भुगतान के लिए विदेशी सहायता हेतु अनुमान तैयार करने, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका तैयार करने, दावों की प्रक्रिया, ऋण के पुनः भुगतान और ऋण रिकार्ड रखने के सभी कार्यकलाप कवर किए जाते हैं। इस प्रभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी इस प्रणाली के कार्य से पूरी तरह से अवगत हैं। इस प्रभाग में की जा रही कंप्यूटरीकृत प्रणाली में कुछ अतिरिक्त विशेषताओं की जरूरत है ताकि रिपोर्टिंग को अधिक मजबूत बनाया जा सके। संसदीय प्रश्नों आदि के उत्तरों की तैयारी के लिए जानकारी/ आंकड़े प्रदान करने हेतु अधिक चयन के प्रयोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रणाली को अद्यतन किया गया है। नए प्रपत्र, अधिक चयन का प्रयोग करते हुए विभिन्न रिपोर्टों को सृजित करने की अनुमति देते हैं। संसद प्रश्नों आदि के उत्तरों की तैयारी हेतु अधिक चयन के विकल्प का प्रयोग करते हुए इनपुट/डाटा प्रदान करने के लिए प्रणाली को अद्यतन किया गया है।

10.3.2 आर्थिक कार्य विभाग के ऋण प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों, विदेशी एजेंसियों, आम जनता व अन्य हितधारकों आदि के लाभार्थ इस प्रभाग में विभिन्न कार्यकलापों की प्रास्थिति सहित प्राप्त हुई विदेशी सहायता और किए गए भुगतान संबंधी आंकड़ों के प्रसार के लिए एक व्यापक वेबसाइट <http://aaad.gov.in> प्रचालन में है। यह वेबसाइट प्रतिदिन अद्यतन की जाती है और यह (24 घंटे के अंतराल में) वास्तविक आंकड़े उचित समय पर उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, इस वेबसाइट पर विदेशी सरकारी उधारों के संबंध में संवितरित और बकाया ऋणों के व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं। इस प्रभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका की साफ्ट कापियां सभी हितधारकों के सुलभ संदर्भ के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10.3.3 इस प्रभाग ने विभिन्न पीआईए से दावों के आहरण द्वारा कमी को स्वीकार करने तथा प्रस्तुत करने/भेजने के लिए ई-गवर्नेंस की पहल की है। ई- दावों को प्रस्तुत करने के लिए जहां पीआईए को साफ्टवेयर की सहायता उपलब्ध कराई गई है, वे इस प्रभाग को ई-दावे (विश्व बैंक और एडीबी दावे) प्रस्तुत करते हैं। पीआईए ऐसे साफ्टवेयर का अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं। ई- दावों के संदर्भ में, एसओई/अंतरिम लेखापरीक्षित न की गई वित्तीय रिपोर्ट (आईयूएफआर), पीआईए से दावे तथा शीघ्र संवितरण विश्व बैंक के मामले में विश्व बैंक साफ्टवेयर/क्लाइंट संपर्क के जरिए इस प्रभाग से विश्व बैंक से जुड़े हुए दावों पर ई-संवितरण प्रक्रिया में कार्रवाई की जाती है।

#### 10.4 प्रशिक्षण

10.4.1 पीआईए के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों से समय-समय पर इस प्रभाग द्वारा ई-प्रस्तुतीकरण पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न पीआईए के 70 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रभाग द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष में ई- प्रक्रिया के जरिए इस प्रभाग में पीआईए से 744 दावे प्राप्त हुए हैं।

10.4.2 यह कार्यालय कार्यात्मक और अभिशासन व प्रशासन में नीति शास्त्र जैसे अन्य सरकारी क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु अपने अधिकारियों को आईएसटीएम और अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस कार्यालय ने पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर निरंतर पारस्परिक संपर्क से अन्योन्य ज्ञान का उत्कृष्ट केन्द्र विकसित किया है।

#### 10.5 सेवा सुपुर्दगी में मानक और सुधार

10.5.1 इस प्रभाग की सभी गतिविधियां श्रेणीबद्ध ढंग से आयोजित की जाती हैं तथा प्रत्येक स्तर पर समयावधि के संदर्भ में उनको पूरा करने के लिए मानक परिभाषित किए गए हैं। निर्धारित मानक सघन निगरानी में रखे हैं। इस प्रभाग के उपयोगकर्ता सुपरिभाषित हैं तथा उनके तीन बड़े समूह हैं अर्थात् पीआईए, निधियन एजेंसियाँ तथा अन्य हितधारक हैं। इन समूहों को दी जाने वाली सेवा भी सुपरिभाषित है अर्थात् ऋणों/अनुदानों का सुचारु और शीघ्र संवितरण, समयबद्ध ऋण शोधन तथा जब कभी जरूरत पड़े, तो प्रबंधन सूचना प्रदान करना।

10.5.2 निष्पादन मानकों में सतत सुधार सुनिश्चित करने के लिए तिमाही प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां निष्पादन की रणनीतिक रूप से समीक्षा की जाती है और सेवा सुपुर्दगी मानकों के रख-रखाव/सुधार के तरीकों/सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

#### 10.6 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के लिए प्रचालनरत विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं

10.6.1 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के भाग के रूप में कुल 23 विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं प्रचालनरत हैं। इनमें

से 22 परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तथा 1 परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ये परियोजनाएं मुख्यतः अवसंरचना के विकास (सड़क और विद्युत उत्पादन), पर्यावरण और वन, शहरी विकास, जल संसाधन, आदि के लिए हैं। अप्रैल-मार्च, 2019 दौरान उपयोग की गई कुल राशि ₹1128.00 करोड़ थी।

#### 10.7 निर्यात संवर्धन के अंतर्गत लेखा-परीक्षा

10.7.1 सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग 23 स्थानों पर स्थित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2159 लाख की राशि वसूल की गई है। लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के अलावा मामले न्याय निर्णयन हेतु बने थे। इन मामलों में ₹27,668/-लाख की राशि शामिल है। इन मामलों में आवश्यक वसूल आदेश जारी किए गए थे। विगत छः वित्त वर्षों के दौरान की गई वसूलियों की तुलनात्मक सारणी नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष    | राशि |
|---------|---------|------|
| 1       | 2013-14 | 1338 |
| 2       | 2014-15 | 1851 |
| 3       | 2015-16 | 1901 |
| 4       | 2016-17 | 1281 |
| 5       | 2017-18 | 1925 |
| 6.      | 2018-19 | 2159 |

#### 11. प्रशासन प्रभाग

##### 11.1 कार्य

11.1.1 प्रशासन प्रभाग कार्मिक और कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, सहायता अनुदान, सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन अनुसूची, महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न पर शिकायत समिति आदि हेतु उत्तरदायी है।

##### 11.2. स्टाफ संख्या

11.2.1 आर्थिक कार्य विभाग और उसके संलग्न/उप कार्यालय/वैधानिक निकायों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों की सूची सहित संपूर्ण स्टाफ संख्या क्रमशः अनुलग्नक I और II में दी गई है। प्रशासन III के संबंध में पीएसी पर लंबित एटीएन से संबंधित सूचना शून्य है।

##### 11.3. महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

11.3.1 कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों के यौन-उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति इस विभाग में काम कर रही है।

#### 11.4. कर्मचारी सदस्यों का प्रशिक्षण

11.4.1 आर्थिक कार्य विभाग अपने कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजता है ताकि उनके काम की गुणवत्ता में उनकी क्षमता के अनुरूप और सुधार लाया जा सके। 1.1.2018 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान, इस विभाग के कुल 50 कर्मचारियों/ अधिकारियों को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और अन्य संस्थानों में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया था।

#### 11.5. लोक शिकायतों का निपटान:

11.5.1 सरकार के अधीन एक केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान और निगरानी तंत्र प्रचालनाधीन है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित सभी सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई होती है। वर्ष 2018 के दौरान पिछले वर्ष की 849 शिकायती मामलों को शामिल करने के अतिरिक्त विभाग में सार्वजनिक शिकायतों से जुड़े कुल 1799 नए मामले प्राप्त हुए। इन 2648 मामलों में से वर्ष के दौरान 2577 मामलों का निपटान किया गया।

11.5.2 अपर सचिव (प्रशासन) को आर्थिक कार्य विभाग के लोक शिकायत अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। उनका संपर्क विवरण पीजीआरएम पोर्टल पर (<http://pgportal.gov.in>) दर्शाया गया है।

#### 11.6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

11.6.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना के प्रसार में सुगमता लाने के उद्देश्य से आर्थिक कार्य विभाग ने निम्नांकित कार्यों की शुरुआत की है:

- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी/सार्वजनिक प्राधिकरणों को आवेदनों का एकत्रण, उनका हस्तांतरण करने हेतु और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की केंद्रीय सूचना आयोग तक प्राप्ति और प्रेषण के संबंध में तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग में एक आरटीआई अनुभाग प्रचालनाधीन है।
- आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन वांछित अनुसार विभिन्न विभागों के कार्यों सहित उनके अधिकारियों आदि के बारे में विवरण विभाग के अधिकारियों के वेबपोर्टल ([www.dea.gov.in](http://www.dea.gov.in)) पर उपलब्ध कराया गया है।
- सभी अवर सचिवों/उप निदेशकों/सहायक निदेशक/वरिष्ठ लेखा अधिकारियों और आर्थिक अधिकारी स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।
- सभी उप सचिवों/निदेशकों/अपर आर्थिक सलाहकारों को उनके अधीन कार्य कर रहे अवर सचिव/उप सचिव/सहायक निदेशक और आर्थिक अधिकारी और सीपीआईओ के रूप

में नामित के संदर्भ में अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) की शर्तों पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

- आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट में दर्शक और आरटीआई आवेदकों की सुविधा के लिए समय-समय पर सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी की सूची अद्यतन और अपलोड की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों की प्राप्ति में सुगमता लाने के लिए विभाग के गेट नं. 8 के सुविधा काउंटर पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान है जहां आरटीआई सेल स्थानांतरित किया जा चुका है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त करके उन्हें संबंधित सीपीआईओ सार्वजनिक प्राधिकरणों को आगे अग्रेषित किया जाता है।
- आरटीआई आवेदन [www.rtionline.gov.in](http://www.rtionline.gov.in) के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। आरटीआई आवेदक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति जिसमें उनके प्रश्नों का उत्तर भी शामिल है, को सुगमता से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदनों का हस्तांतरण भी ऑनलाइन किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप आरटीआई आवेदन की प्रोसेसिंग में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है।
- जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान विभाग में 473 आरटीआई आवेदन और 130 अपील/सीआईसी/सुनवाई/शिकायत और 3699 ऑनलाइन आवेदन और 170 अपीलें प्राप्त हुईं। आरटीआई अधिनियम के तहत 11958 रुपए (ग्यारह हजार नौ सौ अठ्ठावन रुपए मात्र) आरटीआई शुल्क और दस्तावेज शुल्क के रूप में एकत्र किए गए।

#### 11.7. राजभाषा कार्यान्वयन सामग्री

11.7.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती रही है।

11.7.2 संसद में सभी दस्तावेज द्विभाषी प्रस्तुत किए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया। वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग में अनेक कदम उठाए गए:

- राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए परिचालित वार्षिक कार्यक्रम विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सभी प्रभागों/अनुभागों को उपलब्ध कराया गया और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए;
- सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस पर हिंदी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की झिझक दूर करने और उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी नियमों और

अन्य निर्देशों की जानकारी देने के लिए दिनांक 15.05.2018, 17.05.2018 और 29.10.2018 को 03 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं;

- iii. माननीय वित्त मंत्री जी ने 14 सितंबर, 2018 को हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर अपने "संदेश" में वित्त मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज हिंदी में करने की अपील की;
- iv. विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु दिनांक 01 सितंबर, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक "हिंदी माह" का आयोजन किया गया;
- v. इस विभाग में आर्थिक विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत लेखकों को प्रथम पुरस्कार ₹50,000, द्वितीय पुरस्कार ₹40,000 तथा तृतीय पुरस्कार ₹30,000 दिए जाते हैं। योजना प्रतिवर्ष जारी रहती है;
- vi. विभाग की वेबसाइट आंशिक रूप से द्विभाषी है। अन्य सामग्रियों के साथसाथ, सभी बजट दस्तावेज, आर्थिक समीक्षा व अन्य प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण परिपत्र आदि अंग्रेजी व हिंदी में साथसाथ अपलोड किए जाते हैं;
- vii. राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के कुछ अनुभागों का निरीक्षण किया गया; और
- viii. विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और इनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा लिए गए निर्णयों पर समुचित कार्रवाई की गई।

### 11.7.3 हिन्दी अनुवाद बजट सामग्री

11.7.3.1 संसद में बजट संबंधी सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट दस्तावेजों के अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद शाखा द्वारा आर्थिक समीक्षा, अनुपूरक मांगों, आर्थिक वर्गीकरण रिपोर्ट, वैदेशिक ऋण की प्रास्थिति और लोक सांख्यिकी रिपोर्ट, एफआरबीएम संबंधी तिमाही रिपोर्ट जो संसद में रखी गई थीं, का भी अनुवाद कार्य किया गया।

11.7.3.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों का अनुवाद भी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हिन्दी शाखा द्वारा किया गया। इसमें विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ किए गए करार, मंत्रिमंडल टिप्पणियां, संसदीय प्रश्नोत्तर/आश्वासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति के कागजात, कृत कार्रवाई रिपोर्टें, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, शासकीय पत्र, विदेशी सहायता रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

### 11.8 वित्त पुस्तकालय एवं प्रकाशन अनुभाग - 2018-19

11.8.1 वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत एवं विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

11.8.2 दिनांक 2 अप्रैल, 1959 के का.ज्ञा. सं. एफ 1(1)-एलवाई/59 के माध्यम से एक प्रकाशन सैल सृजित किया गया और बाद में उसे पुस्तकालय के साथ एकीकृत कर वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग बनाया गया।

11.8.3 वित्त पुस्तकालय को व्यय विभाग के तारीख 24.07.1990 के का.ज्ञा.सं. 19(1) आईसी/85 के आधार पर श्रेणी-III पुस्तकालय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

#### 11.8.4 संग्रह

11.8.4.1 पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों पर लगभग दो लाख दस्तावेजों का विशिष्ट संग्रह है और इसमें प्रति वर्ष 800 से अधिक पीरियोडिकल/समाचार-पत्र मंगाए जाते हैं और एग्रीवाच इंडस्ट्री आउटलुक और इंडियास्टेट जैसे डाटाबेस उपलब्ध हैं। जेएसटीओआर के माध्यम से ई-जर्नल और बैक-फाईल्ड कलेक्शन तक पहुँच भी उपलब्ध है।

#### 11.8.5 सेवाएँ

11.8.5.1 पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे किताबें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय उधार, परामर्श, रेप्रोग्राफी, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का परिचालन, संदर्भ सेवा, "वीकली बुलेटिन" के जरिए ताजा घटनाओं के संबंध में जानकारी देना तथा ई-मेल के जरिए सेवाएं प्रदान करना और साथ ही ई-गवर्नेन्स की सेवाएं भी प्रदान की हैं। वित्त पुस्तकालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों को राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत तथा विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को वितरित करने का कार्य भी करता है।

11.8.5.2 पुस्तकालय द्वारा इंटरनेट पर एक उपयोगी लिंक भी प्रदान किया गया है जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के पूरे पाठ एवं डाटा ढूंढने एवं डाउनलोड करने में पाठकों को मदद देता है।

#### 11.8.6 प्रकाशन

11.8.6.1 वित्त पुस्तकालय दो (मुद्रण+ऑनलाइन) प्रकाशन यथा "वीकली बुलेटिन" और ताजा सामग्रियां संकलित करता है।

#### 11.8.7 डिजिटल रिकार्ड

11.8.7.1 आर्थिक और वित्तीय विषय (स्वतंत्रता के बाद से केंद्र एवं

राज्य) से संबंधित भारतीय सरकारी दस्तावेजों और वर्ष 1955 से 1990 तक की वित्त मंत्रालय की भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) (साधारण) में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचनाओं को डिजिटलीकृत किया गया। अब तक, लगभग 03 टीबी डाटा को डिजिटलीकृत किया गया है और यह डिजिटल फोरमेट में उपलब्ध है।

### 11.8.8 कंप्यूटरीकरण

11.8.8.1 यह पुस्तकालय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया गया है। यह डाटाबेस प्रबंधन, रिट्राइवल, पुस्तकालय ऑटोमेशन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए लिबसिस लाइब्रेरी पैकेज का प्रयोग करता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

11.8.8.2 जहां तक ऑनलाइन डाटा की पहुंच का संबंध है, वित्त मंत्रालय में ई-गवर्नेंस प्रदान की गई है। पुस्तकालय संबंधी जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए इंटरनेट की साइट “finance.nic in” से लिंक उपलब्ध कराया गया है।

### 11.8.9 अन्य कार्य:

- (i) पुस्तकालय द्वारा आधुनिकीकरण और अवसंरचना सुधार का कार्य किया गया और 95% कार्य पूरा कर लिया गया।
- (ii) आर्थिक कार्य विभाग के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रतिपूरक का कार्य भी वित्त मंत्रालय द्वारा देखा जाता है।
- (iii) यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

## 12. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

### 12.1 द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति

12.1.1 भारत केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास और भारतीय राष्ट्रियों के ज्ञान/कौशल के वर्धन के लिए ऋणों, अनुदानों और तकनीकी सहायता के रूप में द्विपक्षीय भागीदारों से बाह्य सहायता स्वीकार करता रहा है। इस विभाग द्वारा 2005 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, द्विपक्षीय विकास सहायता सभी जी-8 देशों, नामतः यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी परिसंघ के अलावा यूरोपीय आयोग से स्वीकार की जा सकती है। जी-8 से बाहर के यूरोपीय संघ के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता उपलब्ध करा सकते हैं बशर्ते वे 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की न्यूनतम वार्षिक विकास सहायता की वचनबद्धता करें।

12.1.2 द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु सरकारी विकास सहायता के संबंध में, दिसंबर 2015 में संशोधित मार्गनिर्देशों का एक सेट जारी किया गया था। **संशोधित दिशानिर्देशों के निर्गमन**

के बाद, दक्षिण कोरिया गणतंत्र को इससे सरकारी विकास सहायता स्वीकारने के लिए द्विपक्षीय साझेदार देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

### 12.2 जर्मनी के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.2.1 जर्मनी अपने आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के माध्यम से वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी दोनों ही प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। 2008 में जर्मन पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं आणविक सुरक्षा मंत्रालय (बीएमयूबी) ने भी जर्मन सरकार के “अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण पहल (आईकेआई)” के अंतर्गत सहायता देना आरंभ किया था, जो सरकारी विकास सहायता के मौजूदा स्रोतों के अलावा एवं उसे कम किए बिना जर्मन सरकार का अतिरिक्त साधन है। सहयोग के तरजीही क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं: ऊर्जा, सतत शहरी विकास और पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।

सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

- (क) सौर ऊर्जा के भलीभांति प्रयोग के जरिए ऊर्जा सृजन के रूपांतरण के लिए इंडो-जर्मन सौर भागीदारी।
- (ख) इंडो-जर्मन ऊर्जा फोरम:- ग्रिड में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के एकीकरण के लिए परेषण अवसंरचना के वित्तपोषण और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर।
- (ग) चुनौतियों का समाधान करने के लिए और सतत जीवन जीने का माहौल बनाने के लिए शहरों में बदलाव के लिए दीर्घावधिक विकास। स्मार्ट शहरी मिशन में भारतीय शहरों और उनकी जनसंख्या के लिए हरित, आधुनिक अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने की कल्पना की गई है।

12.2.2 द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत संयुक्त सचिव/अपर सचिव के स्तर पर दो वार्षिक बैठकों अर्थात् इंडो-जर्मन वार्षिक परामर्श और इंडो-जर्मन वार्षिक वार्ता आमतौर पर क्रमशः वर्ष की दूसरी तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान आयोजित की जाती हैं। वार्षिक परामर्श में, नीतिगत मुद्दों के अलावा, चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है। वार्षिक वार्ताओं के दौरान, जर्मनी सरकार नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त निधियन हेतु वचनबद्धता करती है। पिछली इंडो-जर्मन वार्षिक वार्ता 28 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वर्ष 2018 के दौरान, जर्मनी पक्ष ने एफसी और टीसी दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 765.02 मिलियन यूरो धनराशि की वचनबद्धता की थी। वर्ष 2018 तक तकनीकी और वित्तीय सहयोग दोनों के लिए वचनबद्धता की कुल राशि 17.74 (लगभग) बिलियन यूरो है।

12.2.3 जर्मनी में 29-30 मई, 2017 को आयोजित अंतर-सरकारी परामर्श के दौरान, भारत गणराज्य के वित्त मंत्रालय तथा जर्मन संघीय गणतंत्र के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के बीच उनके सफल सहयोग को जारी रखने के लिए भारत-

जर्मनी विकासपरक सहयोग की संयुक्त आशय घोषणा पर भारत की सुधार-कार्यसूची एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में सहमत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसरण में भारत के विकास की चुनौतियों का सामना करने और भारत-जर्मनी विकासपरक सहयोग के प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों: ऊर्जा, सतत शहरी विकास एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर किए गए।

12.2.4 जर्मनी अपने वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को **केएफडब्ल्यू**, जर्मन सरकार का विकास बैंक के जरिए क्रियान्वित करती है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम **जीआईजेड** (पूर्व में जीटीजेड) - जर्मनी सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला निगम, के जरिए क्रियान्वित किए जाते हैं। वित्तीय सहायता, मानक ऋण (आईडीए-पैटर्न ऋण), कम ब्याज ऋण (ईयूआरआईबीओआर-आधारित ऋण) और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है। तकनीकी सहायता, परियोजना अनुदान और विशेषज्ञों द्वारा सेवाओं के रूप में प्रदान की जाती है।

### 12.3 एएफडी, फ्रांस के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.3.1 फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से विकास सहायता प्रदान करती आ रही है। तथापि, फ्रांस सहायता की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह फ्रांस से माल और सेवा की आपूर्ति से जुड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त, फ्रांसिसी विकासपरक सहायता की धनराशि काफी कम थी। वास्तव में, 2001-02 से औसत वार्षिक संवितरण काफी कम मात्र ₹28 करोड़ रहा था।

12.3.2 वर्ष 2006 में, फ्रांस सरकार ने फ्रैंच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से भारत की एकीकृत विकास सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इस संबंध में, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकारों की भारत में आधिकारिक यात्रा के दौरान 25.01.2008 को दोनों सरकारों के बीच अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर-सरकारी करार के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच 29.09.2008 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन को वर्ष 2012 में संशोधित निबंधनों और शर्तों के साथ संशोधित किया गया।

12.3.3 भारत में एएफडी वित्तपोषण हेतु तरजीही क्षेत्र निम्न हैं: ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल, आदि) और जैव विविधता का संरक्षण।

12.3.4 विकासपरक सहयोग कार्यक्रम के अधीन संयुक्त सचिव/अपर सचिव (द्विपक्षीय सहयोग) के स्तर पर दो वार्षिक बैठकें, अर्थात् डीईए-एएफडी वार्षिक परामर्श और डीईए- एएफडी वार्षिक वार्ता आमतौर पर क्रमशः वर्ष की दूसरी तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान आयोजित की जाती हैं। वार्षिक परामर्श में, नीतिगत मुद्दों के अलावा चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है तथा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। वार्षिक वार्ताओं में, एएफडी नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए निधियों की वचनबद्धता करता है। वर्ष 2018 तक एएफडी की निवल संचयी वचनबद्धता 1.8 बिलियन यूरो है। वर्ष 2018 तक 1443 मिलियन यूरो की कुल धनराशि के ऋण

करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछली डीईए-एएफडी वार्षिक वार्ता बैठक 12 सितम्बर, 2018 को पेरिस में आयोजित की गई थी।

12.3.5 विकासपरक सहयोग के अलावा, फ्रांस सरकार एएएएसईपी सुविधा योजना के रूप में तकनीकी सहायता भी मुहैया कराती है। एएएएसईपी सुविधा का प्रबंधन आर्थिक, वित्त और उद्योग के फ्रांस मंत्रालय के राजकोष और आर्थिक नीति महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इस सुविधा के अधीन, अवसंरचना परियोजनाओं (जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट, पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

### 12.3.6 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्रालय, फ्रांस सरकार के बीच वार्षिक द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता।

12.3.6.1 भारत में माननीय फ्रांसिसी राष्ट्रपति का 14-15 फरवरी, 2013 के दौरे के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में यथानिर्धारित दोनों वित्त मंत्रालयों के बीच आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के संबंध में इंडो-फ्रेंच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। ईएफडी की पहली बैठक फ्रांस के पेरिस शहर में 29 अक्टूबर, 2013 को अपर सचिव के स्तर पर आयोजित की गई थी। ईएफडी का आयोजन एक बार भारत में और एक बार फ्रांस में किया जाता है। ईएफडी की दूसरी बैठक 27 मार्च, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में भारत, फ्रांस और यूरोप में वृहद-आर्थिक स्थिति; वैश्विक आर्थिक और वित्तीय अभिशासन तथा द्विपक्षीय कारोबार और निवेश को बढ़ाने और अवसंरचना में दीर्घावधिक निवेशों का वित्तपोषण करने और फ्रांस में भारतीय बैंकिंग प्रचालन के लिए उपायों सहित अन्य मुद्दे शामिल थे। फ्रांस सरकार के अनुरोध पर इस बैठक का स्तर बढ़ाकर वित्त मंत्री के स्तर का कर दिया गया है।

### 12.4 भारत-यूके द्विपक्षीय विकासपरक सहयोग कार्यक्रम

12.4.1 यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को विकासपरक सहायता उपलब्ध करा रहा है। यू.के. से विकासपरक सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, मलिन बस्ती विकास आदि के क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए प्राप्त की जाती है।

12.4.2 यू.के. से सहायता, इसके अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के जरिए, वित्तीय और तकनीकी सहायता के रूप में परस्पर रूप से सहमत सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए होती है। वर्तमान में, डीएफआईडी द्वारा तीन राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

### 12.4.3 वर्ष 2008 से हस्ताक्षर किए गए/हस्ताक्षर किए जाने वाले करार

12.4.3.1 वर्ष 2018 में भारत सरकार और डीएफआईडी/एफसीओ के बीच तकनीकी सहायता वाले निम्नलिखित 8 नए करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं/विचार किया जा रहा है।

| क्र.सं. | यू. के. सरकार की किस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए गए | परियोजना का नाम                                                                                      | धनराशि                                                               | करार/या हस्ताक्षर करने की तारीख | समाप्ति की तारीख |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1.      | डीएफआईडी                                            | विस्तार - गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले के लिए कार्य हेतु कौशल बाजार का निर्माण कार्यक्रमों | जीबीपी 12 मिलियन                                                     | 12 अप्रैल, 2018                 | 31 मार्च, 2022   |
| 2.      | डीएफआईडी                                            | एनआईआईएफ के अधीन भारत - यू.के. ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड                                               | डीसीआई (विकास पूंजी निवेश) - जीबीपी 120 मिलियन; टीए-जीबीपी 10 मिलियन | 10 जुलाई, 2018                  | मार्च, 2030      |
| 3.      | डीएफआईडी                                            | यू.के.-भारत फास्ट ट्रेक स्टार्ट-अप निधि (एफएसएफ) - तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी है।                | डीसीआई-जीबीपी 28 मिलियन; टीए- जीबीपी 10 मिलियन                       | 10 जनवरी, 2019                  | 31 मार्च, 2032   |
| 4.      | डीएफआईडी                                            | विस्तार-जलवायु परिवर्तन और नवाचार कार्यक्रम (सीसीआईपी) - तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी है।          | जीबीपी 12 मिलियन                                                     | नवम्बर, 2018                    | 31 मार्च, 2019   |
| 5.      | डीएफआईडी                                            | विस्तार - अवसंरचना तकनीकी सहयोग सुविधा परियोजना (आईटीसीएफ)- तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी है।       | जीबीपी 10 मिलियन                                                     | 25 अक्तूबर, 2018                | मार्च, 2022      |
| 6.      | एफसीओ                                               | भारत - यूके वित्तीय सेवाएं तकनीकी सहायता कार्यक्रम                                                   | जीबीपी 6 से 8 मिलियन                                                 | 10 जनवरी, 2019                  | दिसम्बर, 2023    |
| 7.      | एफसीओ                                               | साझा समृद्धि हेतु स्थायी शहर (एससीएसपी)                                                              | जीबीपी 9.5-10.5 मिलियन                                               | 10 जनवरी, 2019                  | मार्च, 2023      |
| 8.      | डीएफआईडी                                            | विस्तार-ओडिशा शहरी अवसंरचना सहायता (ओएसयूआई) तकनीकी सहयोग                                            | जीबीपी की धनराशि में 6800 की धनराशि में वृद्धि। कुल जीबीपी 5,006,800 | 1.1.2019                        | 28.2.2019        |

## 12.5 भारत यूरोपीय संघ विकासपरक सहयोग का सार

12.5.1 यूरोपीय संघ (ईयू) भारत को अनुदानों के रूप में विकासपरक सहयोग प्रदान करता आ रहा है। इसकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और शिक्षा।

12.5.2 2013 के पश्चात यूरोपीय संघ द्वारा कोई नया अनुदान प्रदान नहीं किया गया है। जबकि तकनीकी सहयोग और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का विनिमय 3 क्षेत्रों (i) भागीदारी लिखत के माध्यम से पारस्परिक हित के क्षेत्रों में, (ii) सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के प्रासंगिक क्षेत्रों में और (iii) वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जारी रहेगा।

## 12.6 यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) द्वारा भारत में निवेश

12.6.1 यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसकी स्थापना रोम की संधि (1957) के अंतर्गत, पूंजीगत निवेश

के वित्तपोषण के लिए 1958 में की गई थी। ईआईबी के सदस्य, यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र होते हैं जो सभी बैंक की पूंजी के अभिदाता होते हैं। यूरोपीय संघ के बाहर, ईआईबी के वित्त पोषण संबंधी क्रियाकलाप मुख्यतः बैंकों के अपने संसाधनों से, किन्तु संघ अथवा सदस्य देशों के बजटीय संसाधनों के अधिदेशन के अंतर्गत भी किए जाते हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, ईआईबी की निधियों का प्रयोग, यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करार करने वाले हस्ताक्षरकर्ता देशों में निवेश के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

## 12.7 भारत में ईआईबी

12.7.1 भारत में ईआईबी क्रियाकलाप, यूरोपीय संघ और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की संयुक्त कार्यवाई योजना (जेएपी) से उद्भूत होते हैं। ईआईबी का उद्देश्य एफडीआई, प्रौद्योगिकी और तकनीकी-ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से मुख्यतः पर्यावरणीय संपोषणीयता और बृहद अवसंरचना परियोजना पर केंद्रित रहते हुए,

अपने उधार देने के क्रियाकलापों को बढ़ाना है। भारत में ईआईबी निवेशों का अभिशासन वित्तीय सहयोग के फ्रेमवर्क करार द्वारा किया जाता है। भारत और ईआईबी के बीच 25 नवम्बर, 1993 को ब्रूसेल्स में भारत के प्रभारी राजदूत द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेमवर्क करार शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध था तथा बाद में इसे दिनांक 24 नवम्बर, 1998 के संशोधन के अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।

## 12.8 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान हस्ताक्षर किए गए ईआईबी ऋण

12.8.1 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक के बीच नई दिल्ली/ब्रूसेल्स में 28 सितम्बर, 2018 को बेंगलूर मैट्रो रेल परियोजना चरण-II हेतु 200 मिलियन यूरो की वित्तीय संविदा ख पर हस्ताक्षर किए गए।

## 12.9 जापान-सरकारी विकास सहायता

12.9.1 जापान वर्ष 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी सरकारी विकास सहायता ऋण सहायता, सहायता अनुदान तथा तकनीकी सहयोग के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए), जापान के माध्यम से प्राप्त होती है, जापान भारत को सहायता देने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

12.9.2 जापान सरकार ने 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक भारत की 14 परियोजनाओं हेतु 571.173 बिलियन जापानी येन (लगभग ₹35413 करोड़) की प्रतिबद्धता की है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, जापानी ऋण सहायता के साथ 69 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध ऋण राशि 2570.291 बिलियन जापानी येन (लगभग ₹142697 करोड़) है। प्रतिबद्धता आधार पर 31 दिसम्बर, 2018 तक भारत को सरकारी विकास सहायता ऋण की संचयी प्रतिबद्धता 5815.178 बिलियन जापानी येन हो गई है।

12.9.3 दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक भारत को ओडीए ऋण संवितरण 236.053 बिलियन जापानी येन (₹14600.96 करोड़) था।

12.9.3.1 जनवरी 2019 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए: इस अवधि के दौरान जेआईसीए के साथ 55.074 बिलियन जापानी येन (₹4078 करोड़ लगभग) की कुल राशि हेतु दो ऋण करार हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस अवधि में चल रहे जेआईसीए ऋण में और अधिक संवितरण ₹123.358 करोड़ (₹7790.25 करोड़) का था।

## 12.10 सहायता-अनुदान

12.10.1. जापान सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों और मानदंड वाले क्षेत्रों में भारत को सहायता अनुदान प्रदान करती है:

- (i) मानदण्ड:
  - (क) विकास प्रभाव;
  - (ख) जापानी तकनीक/जानकारी का उपयोग और अन्य क्षेत्रों में होने वाले प्रसार की संभाव्यता।

(ii) क्षेत्रक:

- (क) परिवहन क्षेत्र, इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग कर रही परियोजनाएं और ढाल सुरक्षा उपायों सहित सड़क परियोजनाएं शामिल हैं (संभावित संबंधित मंत्रालयों जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आदि शामिल हैं)।
- (ख) विद्युत क्षेत्र इसमें लघु पैमाने वाली जल-विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं (संभावित संबंधित मंत्रालयों में विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आदि शामिल हो सकते हैं)।

12.10.2 दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के दौरान, 2 प्रस्तावों अर्थात् (क) को बेंगलूर में उन्नत सूचना और प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु परियोजना (ख) वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केन्द्र का निर्माण (चरण-II) के संदर्भ में अनुदान करार पर जापान सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए।

## 12.11 तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

12.11.1 तकनीकी सहयोग का उद्देश्य मानव संसाधनों को विकसित करने और उन्हें सुधारने के प्रयास में प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का अंतरण करना है और इस प्रकार भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना है। तकनीकी सहयोग में आधारभूत मानव आवश्यकताओं से लेकर कृषि और औद्योगिक विकास के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं।

12.11.2 तकनीकी सहयोग के प्रमुख संघटक ये हैं (i) परियोजना किस्म की तकनीकी सहयोग परियोजनाएं; (ii) विकास अध्ययन; (iii) विशेषज्ञों को भेजना; (iv) जापानी विदेशी सहयोग स्वयंसेवक (जेओसीवी) कार्यक्रम; (v) अनुवर्ती सहयोग कार्यक्रम; (vi) भारतीय सरकारी कार्मिकों का प्रशिक्षण; (vii) तीसरी दुनिया के देशों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें अलग-अलग देशों के कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण देना शामिल है।

12.11.3. तकनीकी सहयोग और विकास अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 16 परियोजनाएं चल रही हैं।

## 12.12 जेओसीवी कार्यक्रम

12.12.1 जेआईसीए के स्वयंसेवी कार्यक्रम जैसे कि जापान विदेशी सहयोग स्वयंसेवी (जेओसीवी) और वरिष्ठ स्वयंसेवी (एसवी) कार्यक्रम जापानी नागरिकों के व्यापक स्थानीय कार्यकलापों को सहायता उपलब्ध कराते हैं जो आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ विकासशील देशों के पुनर्निर्माण में सहयोग करने के इच्छुक हैं। इस सहयोगात्मक कार्यकलापों के माध्यम से प्रतिभागी स्वयंसेवी भागीदार देशों के विकास में योगदान ही नहीं करते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सदभाव, आपसी समझ तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों के संदर्भों में महत्वपूर्ण अनुभव भी हासिल करते हैं।

12.12.2 दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान, जापान दूतावास को 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और 7 स्वयंसेवकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया।



### 12.13 जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम

12.13.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में गैर सरकारी संगठनों के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम (जेपीपी) वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। जेपीपी एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर विकासशील देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए, जापान में भागीदार जैसेकि एनजीओ, विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार और जनहित निगमों के सहयोग से जेआईसीए द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जेपीपी हेतु आवेदन करने के दौरान भारतीय एनजीओ को सलाह दी जाती है कि स्कीम में भाग लेने के लिए किसी जापानी भागीदार को शामिल करें। इसके दो घटक हैं:-

1. जेआईसीए के माध्यम से, जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार, जापानी विशेषज्ञों, उपकरणों और एफसीआरए मार्ग के जरिए वित्तीय सहायता से भारतीय संगठन की सहायता करेंगी।
2. जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार, जेआईसीए के माध्यम से, जापान में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

12.13.2 दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान एक जेपीपी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

### 12.14 आधारिक वित्तपोषण

12.14.1 जापान सरकार आधारिक वित्तपोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर एफसीआरए मार्ग से भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को लघु अनुदान सहायता भी प्रदान करती है।

12.14.2 दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों के 6 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं।

### 12.15 हरित सहायता योजना

12.15.1 जापान सरकार (आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय) एमएटीआई के एक संगठन- नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास संगठन (एनईडीओ) जैसे अभिकरणों के माध्यम से हरित सहायता योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। सहयोग के क्षेत्र हैं- जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पुनर्चक्रीकरण और ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। संबंधित मंत्रालय-आर्थिक कार्य विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एनईडीओ द्वारा हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर आदर्श परियोजनाएं एनईडीओ द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। एनईडीओ जापानी विशेषज्ञों को भारतीय संगठनों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजता है और जापान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है।

### 12.16 दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.16.1 प्रधानमंत्री के 18-19 मई, 2015 के दौरान दक्षिण कोरिया के दौर में विशेष भागीदारी किए जाने पर सहमति बनी, जिसके संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विशेष कार्य

नीति की भागीदारी में समुन्नत करने और विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार करने पर सहमति हुई थी। भारत तदनुसार, अक्तूबर, 2016 के दौरान विकासात्मक सहयोग के लिए कोरिया गणराज्य को द्विपक्षीय भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। दिनांक 14-17 जून, 2017 के दौरान वित्त मंत्री के दक्षिण कोरिया दौर के दौरान आयोजित भारत-दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रियों की पांचवी बैठक में भारत को 1 बिलियन अमरीकी डालर की सरकारी वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार और दक्षिण कोरिया गणराज्य के बीच आर्थिक विकास सहयोग निधि (ईडीसीएफ) करार पर हस्ताक्षर किए गए। दो परियोजनाओं अर्थात (i) मुंबई- नागपुर सुपर कम्प्युनिकेशन एक्सप्रेसवे आईटीएस परियोजना तथा (ii) बांद्रा (ई) सरकारी कालोनी के पुनर्विकास की परियोजना को आवर्ती योजना में शामिल किया गया है और इस परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार से अनुरोध किया गया है।

### 12.17 संयुक्त राज्य अमरीका

#### 12.17.1 अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी)

12.17.1.1 भारत को अमरीकी द्विपक्षीय विकास सहायता, 1951 में शुरू हुई थी और इसका संचालन मुख्यतया यूएसएआईडी के जरिए किया जाता है। इसकी प्रतिबद्धता के समय से, यूएसएआईडी ने भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान की है। वर्तमान में, भारत सरकार के साथ साझेदारी में यूएसएआईडी द्वारा निम्नलिखित सात परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

- (i) कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए एक साझेदारी अनुबंध
- (ii) संधारणीय वन एवं जलवायु अनुकूल कार्यक्रम के लिए एक साझेदारी अनुबंध,
- (iii) जल, सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता के लिए साझेदारी अनुबंध (वाश),
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण एवं नवाचार के लिए साझेदारी अनुबंध,
- (v) आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना, और
- (vi) ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण एवं नवाचार परियोजना के लिए साझेदारी अनुबंध।

#### 12.17.2 संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसी (यूएसटीडीए)

12.17.2.1 परियोजनाओं की आयोजना और कार्य निष्पादन में अमरीकी कारोबार की भागीदारी सुसाध्य बनाकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का संवर्धन करती है। एजेंसी के उद्देश्यों में व्यापार के लिए अवसंरचना निर्माण में सहायता करना, विदेशी विकास जरूरतों के साथ अमरीकी प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का मिलान करना और संयुक्त राज्य तथा उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थायी कारोबारी भागीदारी के सृजन में सहायता प्रदान करना है।

12.17.2.2 भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग के जरिए) तथा अमरीकी सरकार (यूएसटीडीए के जरिए) के बीच नवंबर, 2005 में एक सहयोग संबंधी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस रूपरेखा

के अंतर्गत यूएसटीडीए परियोजना तैयार करने, व्यापार क्षमता निर्माण, निवेश विश्लेषण, प्रशिक्षण और क्षेत्र विकास जैसी गतिविधियों के लिए भारत सरकार के निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। 1992 से, यूएसटीडीए ने सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रायोजकों के साथ भारत में 100 से ज्यादा प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं की सहायता की है। भारत के साथ यूएसटीडीए की संबद्धता के लिए प्राथमिकताएं अर्थात् अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ अवसंरचना आयोजित क्षेत्रों में हैं जैसे नागरिक विमानन, स्मार्ट सिटीज, तेल और गैस, स्मार्ट ग्रिड, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ कोयला।

12.17.2.3 वर्ष 2018 के दौरान, भारत सरकार के निकायों के साथ अनुदान करारों के लिए आर्थिक कार्य विभाग ने यूएसटीडीए के निम्नलिखित तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए थे;

- i. 500,000 अमरीकी डालर के लिए रिफायनरी ऑफ-गैसिस टू ईथेनॉल फीजीबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट हेतु इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (आईओसीएल) के साथ यूएसटीडीए अनुदान करार;
- ii. 422,512 अमरीकी डालर के लिए कार्यकारी निकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के साथ यूएसटीडीए अनुदान करार;
- iii. 1,547,517 अमरीकी डालर के लिए संचार, नौवहन और निगरानी/ हवाई यातायात प्रबंधन (सीएनएस/एटीएम) आधुनिकीकरण रोडमैप के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ यूएसटीडीए अनुदान करार;

12.17.2.4 उपर्युक्त के अलावा, यूएसटीडीए की वैश्विक अधिप्राप्ति पहल के अंतर्गत मूल्य-आधारित अधिप्राप्ति नीतियों के संवर्धन के लिए इस अवधि के दौरान यूएसटीडीए और महाराष्ट्र की राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

## 12.18 भारत कनाडा गतिविधियाँ

### 12.18.1 कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईआरडीसी) से सहायता

12.18.1.1 आईडीआरसी जो कनाडा का शीर्ष निगम है, कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। चालू और भावी वैश्विक तथा स्थानीय घटनाक्रम संबंधी चुनौतियों का निवारण करने के लिए "कार्यक्रम आधारित अनुसंधान सहायता" शुरू करने के लिए भारत सरकार और आईआरडीसी के बीच 22 फरवरी, 2018 को संयुक्त सचिव (बीसी), आर्थिक कार्य विभाग और डॉ.जीन लेबेल, आईआरडीसी के अध्यक्ष के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

12.18.1.2 वर्ष 1972 से, आईआरडीसी ने भारत में संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए 159 मिलियन कनाडाई डालर की 551 अनुसंधान गतिविधियों को वित्तपोषित किया है। वर्ष 2018 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग ने 1.28 मिलियन कनाडाई डालर (12,85,000 कनाडाई डालर) के आठ (8) आईआरडीसी अनुदान प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है।

## 12.19 विकासशील देशों को प्रदान की गई ऋण श्रृंखलाएं

12.19.1 ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) भारत की कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण घटक है तथा ये सद्भावना सृजित करने और दीर्घावधिक भागीदारियों का निर्माण करने में बहुत उपयोगी रही हैं। यह योजना भारत को विकासशील देशों के लिए उभरती आर्थिक शक्ति, निवेशक देश और भागीदार के रूप में स्थापित करके विदेशों में भारत के रणनीतिक, राजनैतिक और आर्थिक हित के संवर्धन का भी प्रयास करती हैं। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस), जिसे प्रारंभ में 'भारत विकास पहल' (आईडीआई) के रूप में जाना जाता था, वित्त वर्ष 2003-04 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा से शुरू हुई। भारत सरकार 2005-06 से आईडीईएस के अंतर्गत विकासशील देशों को स्वीकृत अधिकतम ऋण प्रदान कर रही है। शुरुआत में यह योजना 2005-06 से 2009-10 तक 5 वर्ष तक संचालित की जानी प्रस्तावित थी, जिसका विस्तार पहली बार वर्ष 2010 में 2010-11 से 2014-15 तक किया गया। कार्यक्षमता सुधारने तथा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों के साथ इस योजना का दूसरा विस्तार वर्ष 2015 में और पांच वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-2020 तक के लिए किया गया। विकासशील देशों के ब्याज दर और ऋण चुकाने की अवधि को और अधिक आकर्षक बनाया गया है।

12.19.2 आईडीईएस योजना के अंतर्गत, विदेश मंत्रालय कूटनीतिक महत्व और विभिन्न विकासशील देशों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं का चयन करता है। प्रस्तावों पर स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग और विदेश मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। विदेश मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विदेश मंत्रालय प्रस्तावों को वित्त मंत्री के अनुमोदन हेतु आर्थिक कार्य विभाग को भेजने की सिफारिश करता है। उसके बाद आर्थिक कार्य विभाग ऋण श्रृंखला के अनुमोदन को संप्रेषित करने के लिए औपचारिक पत्र जारी करता है।

12.19.3 ऋण श्रृंखलाएं भारतीय आयात-निर्यात बैंक के जरिए प्रचालित की जा रही है जो बाजार में से संसाधन जुटाता है तथा प्राप्तकर्ता सरकारों को रियायत दर पर ऋण श्रृंखलाएं प्रदान करता है। भारत सरकार उधारदाता बैंक के पक्ष में गारंटी करार के जरिए ऋण श्रृंखलाओं का समर्थन करती है ताकि उधारदाता बैंक को ब्याज और मूलधन की अदायगी में उधार लेने वाली सरकार द्वारा होने वाली चूक से बचाया जा सके। भारत सरकार उधारदाता बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) भी प्रदान करती है ताकि उसे रियायती निबंधनों पर उधार देने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

12.19.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (अर्थात् 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) कुल 2,586.03 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखलाएं अनुमादित की गई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

| क्र.सं.                     | देश                            | राशि<br>(मिलियन<br>अमरीकी<br>डालर) | प्रयोजन                                                                                                                                                                                            | आर्थिक कार्य<br>विभाग की<br>संसूचना की<br>तारीख |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| क.                          | अफ्रीकी देश                    |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| 1.                          | इथोपिया                        | 147.43                             | मेकेल इंडस्ट्रीयल पार्क 400 केवी विद्युत पारेषण परियोजना के                                                                                                                                        | 18.4.2018                                       |
| 2.                          | मारीशस                         | 100.00                             | रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति के लिए                                                                                                                                                                    | 19.4.2018                                       |
| 3.                          | रवांडा                         | 66.60                              | बेस-बुटारो-किडोना सड़क परियोजना के लिए (हुगा-किबेहो-न्मोना-मुनीनी सड़क परियोजना के लिए प्रदान की गई 80 मिलियन अमरीकी डालर की विद्यमान ऋण श्रृंखला में से 66.6 मिलियन अमरीकी डालर का पुनर्निर्देशन) | 19.4.2018                                       |
| 4.                          | चाड                            | 6.12                               | ब्याज की अतिदेय राशि का पूंजीकरण                                                                                                                                                                   | 20.4.2018                                       |
| 5.                          | उगांडा                         | 64.5                               | कृषि और डेरी क्षेत्र के लिए अवसंरचना के विकास हेतु                                                                                                                                                 | 29.5.2018                                       |
| 6.                          | उगांडा                         | 141.5                              | ग्रिड सुदृढ़ीकरण और विस्तार परियोजना के लिए                                                                                                                                                        | 29.5.2018                                       |
| 7.                          | सैंट्रल<br>अफ्रीकन<br>रिपब्लिक | 7.00                               | अतिरिक्त स्थगन अवधि तक ब्याज और अन्य वित्तीय देय का वित्तपोषण                                                                                                                                      | 7.6.2018                                        |
| 8.                          | इथोपिया                        | 133.70                             | इथोपिया और जीबूती के बीच न्यू 230 केवी इंटरकनेक्शन, 230 केवी कोम्बोल्वा II -सेमेरा, नागाड और कोम्बोल्वा II में संबद्ध सब स्टेशन विस्तार के साथ सेमेरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए                       | 6.7.2018                                        |
| 9.                          | जिम्बाम्बे                     | 19.5                               | डेका पंपिंग स्टेशन तथा नदी जल अंतर्ग्रहण प्रणाली के उन्नयन के लिए 19.5 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला                                                                                  | 13.7.2018                                       |
| 10.                         | रवांडा                         | 100.00                             | दो एसईजेड के विकास तथा किगाली एसईजेड के विस्तार के लिए                                                                                                                                             | 13.7.2018                                       |
| 11.                         | रवांडा                         | 100.00                             | कृषि परियोजनाओं के लिए                                                                                                                                                                             | 13.7.2018                                       |
| 12.                         | जिम्बाम्बे                     | 23.00                              | बुलावायो ताप विद्युत संयंत्र के नवीकरण/उन्नयन के लिए अतिरिक्त ऋण श्रृंखला-230 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला का विस्तार                                                                | 16.8.2018                                       |
| 13.                         | बुरुंडी                        | 161.36                             | नई संसद और दो मंत्रालय भवनों के निर्माण के लिए                                                                                                                                                     | 1.10.2018                                       |
| 14.                         | डीआर कांगो                     | 33.29                              | कारावा प्रोविस-नार्थ उबांगी, डीआर कांगो में 15 एमडब्ल्यू सोलर फोटोवोल्टायिक पावर प्रोजेक्ट की संस्थापना के लिए                                                                                     | 7.12.2018                                       |
| 15.                         | डीआर कांगो                     | 25.27                              | लुसांबो प्रोविस, डीआरसी में 10 एमडब्ल्यू सोलर फोटोवोल्टायिक पावर प्रोजेक्ट की संस्थापना के लिए                                                                                                     | 7.12.2018                                       |
| 16.                         | मोजाम्बिक                      | 95.00                              | लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित रेलवे रोलिंग स्टॉक की अधिप्राप्ति के लिए                                                                                                                               | 27.12.2018                                      |
| 17.                         | डीआर कांगो                     | 24.55                              | म्बांडा प्रोविस-इक्वेटर, डीआर कांगो में 10 एमडब्ल्यू सोलर फोटोवोल्टायिक पावर प्रोजेक्ट की संस्थापना के लिए                                                                                         | 24.12.2018                                      |
| 18.                         | मलावी                          | 215.68                             | दक्षिणी क्षेत्र जल बोर्ड के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए                                                                                                                                   | 21.1.2019                                       |
| 19.                         | सूरीनाम                        | 11.13                              | डी केल्कसैंट्रल एनवी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के पुनर्वास और उन्नयन के लिए                                                                                                                         | 21.1.2019                                       |
| 20.                         | ईरीट्रिया                      | 5.00                               | जुलाई 2023 तक ब्याज अतिदेय राशि और भावी ब्याज का पूंजीकरण                                                                                                                                          | 31.1.2019                                       |
| 21.                         | एस्वाटिनी<br>(स्वाजीलैंड)      | 10.40                              | आपदा राहत स्थल के निर्माण के लिए                                                                                                                                                                   | 27.3.2019                                       |
| <b>अफ्रीकी जोड़ (क)</b>     |                                | <b>1,491.03</b>                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| ख.                          | गैर-अफ्रीकी देश                |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| 1.                          | सीरिया                         | 16.00                              | 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला का वित्तपोषित ब्याज सीरिया को प्रदान किया गया।                                                                                                               | 20.4.2018                                       |
| 2.                          | सीरिया                         | 4.00                               | 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला का वित्तपोषित ब्याज सीरिया को प्रदान किया गया।                                                                                                                | 20.4.2018                                       |
| 3.                          | उज्बेकिस्तान                   | 200.00                             | आवास और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए                                                                                                                                                         | 28.12.2018                                      |
| 4.                          | क्यूबा                         | 75.00                              | 75 एमडब्ल्यूपी फोटोवोल्टायिक सोलर पार्कों की संस्थापना के लिए                                                                                                                                      | 9.1.2019                                        |
| 5.                          | मालदीव                         | 800.00                             | विकास परियोजनाओं के लिए                                                                                                                                                                            | 20.3.2019                                       |
| <b>गैर-अफ्रीकी जोड़ (ख)</b> |                                | <b>1,095.00</b>                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| <b>कुल जोड़ (क+ख)</b>       |                                | <b>2,586.03</b>                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |

## 12.20. विदेशी प्रशिक्षण

12.20.1 आर्थिक कार्य विभाग द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ द्विपक्षीय भागीदार देशों तथा कुछ बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत लघु अवधि के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए नोडल बिंदु है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, अभिशासन, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, कृषि, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, आदि जैसे सेक्टरों की विभिन्न गतिविधियों के दायरों / क्षेत्रों में अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना है। सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। नामांकनों की जांच आर्थिक कार्य विभाग की चयन समिति द्वारा की जाती है तथा उसके बाद उन्हें स्वीकृति के लिए प्रायोजक सरकार/एजेंसी को संस्तुत किया जाता है।

## 13 एकीकृत वित्त प्रभाग

### 13.1 यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यों की लिए उत्तरदायी है:

- (i) आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग और इनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् सुखा अपीलीय अधिकरण (एसएटी)/राष्ट्रीय बचत संस्थान/जी-20 सचिवालय/पंद्रहवां वित्त आयोग/विशेष न्यायालय का कार्यालय, मुंबई/अभिरक्षक का कार्यालय/ ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता के संबंध में व्यय वाले प्रस्तावों की वित्तीय सलाह और सहमति प्रदान करना।
- (ii) व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसरण में व्यय नियंत्रण एवं

- (iii) यह प्रभाग अनुदान की दो ब्यौरेवार मांगों अर्थात् अनुदान सं. 27-आर्थिक कार्य विभाग और अनुदान सं. 29-वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासन संबंधी कार्य भी देखता है। इसमें बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देना/अंतिम आवश्यकताओं का अनुमान लगाना/बचतों का अभ्यर्पण शीर्ष-वार विनियोग लेखों का पुनर्विनियोजन और विधीक्षा शामिल है।
- (iv) संसद में वित्त मंत्रालय की अनुदान की ब्यौरेवार मांगों का समन्वय, संकलन, मुद्रण और प्रस्तुतीकरण।
- (v) वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुदान की ब्यौरेवार मांगों की जांच से संबंधित सभी मामलों का समन्वय।
- (vi) लोक लेखा समिति/सीएंडएजी के लंबित लेखापरीक्षा पैराओं की निगरानी।
- (vii) स्थायी समिति की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा/राज्य सभा में नियम-73ए के संदर्भ में यथा अपेक्षित, माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों का समन्वय, संकलन, मुद्रण और प्रस्तुतीकरण।
- (viii) प्रभाग द्वारा प्रशासित अनुदानों से संबंधित बजट की स्थिति निम्नानुसार है:

### 13.2 अनुदानों का बजटीय आवंटन (निवल आधार पर)

( ₹ करोड़)

| अनुदान                 |            | ब.अ.2018-19     | सं.अ.2018-19    | ब.अ.2019-20     |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27- आर्थिक कार्य विभाग | राजस्व     | 4359.64         | 2562.95         | 2727.69         |
|                        | पूंजी      | 8383.20         | 9491.79         | 11583.96        |
|                        | <b>कुल</b> | <b>12742.84</b> | <b>12054.74</b> | <b>14311.65</b> |
| 29- वित्तीय सेवा विभाग | राजस्व     | 1739.05         | 1237.02         | 1305.15         |
|                        | पूंजी      | 4838.01         | 4478.00         | 3385.04         |
|                        | <b>कुल</b> | <b>6577.06</b>  | <b>5715.02</b>  | <b>4690.19</b>  |

प्रभावी व्यय नियंत्रण के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम विधियां:-

- (क) संबंधित सचिवों के साथ मुख्य शीर्षवार/योजनावार ब्यौरे के साथ व्यय की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की गई।
- (ख) वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पर डाले गए बजट अनुमान के आंकड़ों की तुलना में मुख्य शीर्षवार और योजनावार व्यय की प्रगति।
- (ग) आंतरिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण

- (घ) तंत्र को सुदृढ़ करना।
- (घ) परिणाम बजट में शामिल विभाग की मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों की मासिक निगरानी।
- (ङ) नियमित और गहन निगरानी के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान सी एंड एजी लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) के अनेक मामलों का निपटान किया गया।

सीएंडएजी के लेखापरीक्षा रिपोर्टों के पैरा - आर्थिक कार्य विभाग के पास लंबित कृत कार्रवाई संबंधी नोट के लेखापरीक्षा पैराओं का ब्यौरा और उनके निपटान की स्थिति - 31.03.2019 की स्थिति तक

मंत्रालय/विभाग का नाम : वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

| क्र.सं. | रिपोर्ट की संख्या और वर्ष                    | पैरा/पीए रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखा-परीक्षा द्वारा जांच के पश्चात की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया | पैरा/पीए रिपोर्टों के ब्यौरे जिनकी की गई कार्रवाई टिप्पणियां लंबित हैं | मंत्रालय द्वारा एक बार भी न भेजी गई की गई कार्रवाई टिप्पणियों की संख्या | की गई कार्रवाई टिप्पणियों की संख्या जिन्हें भेजा गया परंतु जिन्हें प्रेक्षकों एवं लेखापरीक्षा करके वापस लौटाया गया तथा मंत्रालय द्वारा उनको पुनः प्रस्तुत किया जाना प्रतीक्षारत है। | की गई कार्रवाई टिप्पणियों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम जांच की गई परंतु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 2018 की 20 (एफआरबीएम पर अनुपालन लेखापरीक्षा) | शून्य                                                                                                                                                | पूर्ण रिपोर्ट                                                          | ---                                                                     | ---                                                                                                                                                                                 | ---                                                                                                                                                 |

## 14. करेंसी एवं सिक्का प्रभाग

### 14.1 करेंसी अनुभाग

14.1.1 करेंसी नोटों / बैंक नोटों के डिजाइन, रूप और सामग्री से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दे और मामले जिसमें सुरक्षा विशेषताएं, करेंसी नोटों की छपाई की उत्पादन योजना और अन्य सुरक्षा दस्तावेज शामिल हैं। अन्य में करेंसी से संबंधित कानून, बैंक नोट उत्पादन वस्तुओं का स्वदेशीकरण, बैंक नोटों की छपाई की सामग्री की आपूर्ति के संबंध में वितरण/शिकायत और अन्य सुरक्षा उत्पाद, विस्तार, प्रेस के उन्नयन और को आधुनिकीकरण, पेपर मिल्स, इंक फैक्ट्री, डाक टिकट राजस्व स्टाम्प, एनजेएसपी, पासपोर्ट, बैंक नोट्स और डाक टिकटों, सीडब्ल्यूबीएन/सुरक्षा कागज और करेंसी सम्मेलन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में मुद्रा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में सचिव (आ.का.) और सदस्य के रूप में सचिव (डीएफएस) और डिप्टी गवर्नर (आर.बी.आई.) को मिलाकर एक कार्य बल समिति का गठन 14 अप्रैल, 2018 को किया गया था।

14.1.2 दृष्टि बाधित लोगों द्वारा पहचान सुकर बनाने के लिए बैंक नोटों एवं सिक्कों की डिजाइन में बदलाव: कम दृष्टि वाले लोगों को सुकर बनाने के लिए तेज विशिष्ट रंग के साथ बैंक नोट की डिजाइन को बदला गया है। 100 रुपये तथा इससे ऊपर के मूल्यवर्ग में ब्रेल जैसे चिन्ह शुरू किए गए हैं। दृष्टि बाधित लोगों द्वारा सिक्कों की अच्छी पहचान करने के लिए अनुशंसा देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा इस विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

14.1.3 ₹100 के नए बैंक नोट की शुरुआत: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी (नई श्रृंखला) में 100 रुपये मूल्यवर्ग के नये बैंक नोट शुरू किये गए हैं। नए मूल्यवर्ग के पृष्ठ भाग में "रानी की वाव" का रूपांकन है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। नोट के दोनों अग्र एवं पृष्ठ भाग में सभी रंग योजना के साथ अन्य डिजाइन, ज्यमितीय प्रतिरूप हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहचान सुकर बनाने हेतु महात्मा गांधी चित्र की, अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह का उभरा हुआ

मुद्रण अथवा इंटैग्लियों सूक्ष्म अक्षर '100' के साथ नोट का आधार रंग हल्का बैंगनी, त्रिकोणीय पहचान चिन्ह, दाहिने एवं बाये पक्ष दोनों ओर 4 कोणीय ब्लिड लाइन रखी गई है।

14.1.4 विदेशी मुद्रा प्रबंधन में संशोधन (मुद्रा का निर्यात और आयात): सरकार ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के साथ ₹200, ₹500 और ₹2000 के नए बैंक नोट शुरू किए हैं। भारत ने नेपाल या भूटान जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए, सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे व्यक्ति ₹200 और / या ₹500 के मूल्यवर्ग में ₹25000/- की कुल सीमा तक महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के भारतीय रिजर्व बैंक के नोट ले जा सकते हैं।

14.1.5 भारत (नोट वापसी नियम, 2009) रिजर्व बैंक में संशोधन: ₹10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के बैंक नोटों की नई श्रृंखला शुरू की है। सरकार ने कटे-फटे, फटे, जले हुए बैंक नोटों को बदलने के लिए व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए नोट रिफंड नियम, 2009 में संशोधन किया है। कटे-फटे नोटों का मूल्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बैंक नोटों के आकार, अनुपात के आधार पर पूर्ण, आंशिक या बिना किसी दावे के वापस किया जा सकता है। इसका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 05 सितंबर, 2018 की और भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन दिनांक 25 सितंबर, 2019 (उनकी वेबसाइट में उपलब्ध) अधिसूचना में बताया गया है।

14.1.6 बैंक नोट का उत्पादन: इस अनुभाग द्वारा बीआरबीएनएमपीएल एवं एसपीएमसीआईएल द्वारा बैंक नोटों के उत्पादन पर कड़ाई तथा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। सचिव (आर्थिक कार्य) एवं संयुक्त सचिव (सीएंडसी) की अध्यक्षता में कार्यनीति योजना समिति (एसपीसी) तथा उत्पादन योजना समिति (पीपीसी) की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की गई। 2018-19 के दौरान एसपीसी एवं पीपीसी की बहुत सारी बैठकें बैंक नोटों के मांग पत्र एवं उत्पादन पर समीक्षा करने हेतु आयोजित की गई। इन बैठकों में जैसा तय किया गया है ₹10 और ₹20 के मूल्यवर्ग का बैंक नोट का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। वर्ष 2018 तथा 2019 के दौरान बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा नोटों का मासिक उत्पादन क्रमशः सारणी क एवं सारणी ख में नीचे दिया गया है:

| तालिका क: एमपीसीएस में नोट्स के मासिक उत्पादन पर आंकड़े - बीआरबीएनएमपीएल |                         |            |            |             |             |             |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| महीना वर्ष                                                               | विमुद्रीकरण वार उत्पादन |            |            |             |             |             |              |              |              |               |
|                                                                          | ₹ 1 का नोट              | ₹ 2 का नोट | ₹ 5 का नोट | ₹ 10 का नोट | ₹ 20 का नोट | ₹ 50 का नोट | ₹ 100 का नोट | ₹ 200 का नोट | ₹ 500 का नोट | ₹ 2000 का नोट |
| जनवरी, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 747.33      | 0.00        | 36.68       | 410.47       | 163.87       | 20.29        | 0.00          |
| फरवरी, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 1,221.27    | 10.98       | 238.73      | 32.82        | 39.30        | 0.00         | 0.00          |
| मार्च, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 1,296.63    | 8.13        | 702.84      | 0.16         | 104.62       | 37.66        | 0.00          |
| अप्रैल, 2018                                                             | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 362.43      | 0.00        | 482.95      | 0.00         | 3.43         | 489.82       | 18.43         |
| मई, 2018                                                                 | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 130.00      | 0.00        | 2.63        | 0.00         | 8.58         | 1,315.45     | 28.26         |
| जून, 2018                                                                | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 340.59      | 0.00        | 333.10      | 0.00         | 102.90       | 792.89       | 0.00          |
| जुलाई, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 743.07      | 0.00        | 428.73      | 90.38        | 112.18       | 326.67       | 0.00          |
| अगस्त, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 518.79      | 0.00        | 554.03      | 312.33       | 86.99        | 296.76       | 0.00          |
| सितंबर, 2018                                                             | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 439.73      | 0.00        | 355.18      | 507.68       | 89.13        | 350.21       | 0.00          |
| अक्टूबर, 2018                                                            | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 164.52      | 0.00        | 10.98       | 219.23       | 276.85       | 765.31       | 0.00          |
| नवंबर, 2018                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 129.31      | 0.00        | 14.17       | 121.05       | 380.73       | 836.59       | 0.00          |
| दिसंबर, 2018                                                             | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 6.99        | 0.00        | 1.04        | 128.38       | 527.36       | 925.18       | 0.00          |
| जनवरी, 2019                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 2.77        | 0.00        | 0.17        | 1,191.43     | 351.38       | 125.91       | 0.00          |
| फरवरी, 2019                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 17.08       | 0.00        | 0.00        | 1,481.02     | 64.42        | 0.00         | 0.00          |
| मार्च, 2019                                                              | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 15.36       | 0.00        | 39.58       | 1,464.55     | 69.57        | 60.05        | 0.00          |

स्रोत: बीआरबीएनएमपीएल

| तालिका ख: एमपीसीएस में नोट्स के मासिक उत्पादन पर आंकड़े - एसपीएमसीआईएल |                         |         |             |             |             |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| महीना वर्ष                                                             | विमुद्रीकरण वार उत्पादन |         |             |             |             |              |              |              |               |
|                                                                        | ₹ 1 नोट                 | ₹ 5 नोट | ₹ 10 का नोट | ₹ 20 का नोट | ₹ 50 का नोट | ₹ 100 का नोट | ₹ 200 का नोट | ₹ 500 का नोट | ₹ 2000 का नोट |
| जनवरी, 2018                                                            | 6.000                   | 3.51    | 156.749     | 106.976     | 31.15       | 140.59       | 276.97       | 0            | 0             |
| फरवरी, 2018                                                            | 0.000                   | 0       | 149.12      | 188.36      | 0           | 195.44       | 111.53       | 0            | 0             |
| मार्च, 2018                                                            | 0.000                   | 0.02    | 217.99      | 166.05      | 47.5        | 211.11       | 25.32        | 20.85        | 0             |
| अप्रैल, 2018                                                           | 0.000                   | 0       | 53.571      | 42.7        | 218.9       | 16.259       | 146.2        | 74.375       | 0             |
| मई, 2018                                                               | 0.000                   | 0       | 0.35        | 0           | 288.2       | 15.088       | 92.896       | 492.262      | 0             |
| जून, 2018                                                              | 0.000                   | 0       | 71.95       | 3.607       | 293.7       | 7.03         | 207.195      | 354.605      | 0             |
| जुलाई, 2018                                                            | 0.000                   | 0       | 255.5       | 0           | 368.4       | 29.61        | 143.423      | 130.043      | 0             |
| अगस्त, 2018                                                            | 0.000                   | 0       | 245.74      | 0           | 291.1       | 235.5        | 0            | 93.553       | 0             |
| सितंबर, 2018                                                           | 0.000                   | 0       | 202.83      | 0           | 163.9       | 354.88       | 0            | 223.014      | 0             |
| अक्टूबर, 2018                                                          | 0.000                   | 0       | 112.56      | 0           | 122.3       | 133.03       | 0            | 484.563      | 0             |
| नवंबर, 2018                                                            | 16.56                   | 0       | 86.48       | 0           | 18.2        | 0.75         | 2.974        | 628.667      | 0             |
| दिसंबर, 2018                                                           | 95.1                    | 0       | 21.06       | 0           | 16.35       | 0.24         | 17.368       | 825.391      | 0             |
| जनवरी, 2019                                                            | 67.34                   | 0       | 11.19       | 0           | 17.25       | 55.46        | 0            | 742.702      | 0             |
| फरवरी, 2019                                                            | 0.000                   | 0       | 1.69        | 0           | 152.05      | 30.54        | 0            | 732.075      | 0             |
| मार्च, 2019                                                            | 0.000                   | 0       | 0           | 0           | 100.45      | 220.665      | 11.802       | 641.168      | 0             |

स्रोत: एसपीएमसीआईएल

14.1.7 परिचालन में करेंसी (एनआईसी): एनआईसी में रुझानों वर्ष की तुलना में 31.03.2019 को एनआईसी ₹3,06,471 करोड़ की कड़ाई से निगरानी की जाती है। 2016 के विमुद्रीकरण के बढ़ गई है। 2014 से 31.03.2019 तक एनआईसी का ब्योरा सारणी पश्चात, एनआईसी में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। पिछले एक ग में नीचे दिया गया है।

| सारणी ग: परिचालन में नोट (एनआईसी) ₹ करोड़ में |           |         |                                |         |           |         |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| (31.3.2019): की स्थिति के अनुसार              | 21,10,892 |         | 1 दिन पहले (28.03.2019): *     |         | 21,14,930 |         |
|                                               |           |         | 1 सप्ताह पहले (25.03.2019): ** |         | 21,26,351 |         |
|                                               |           |         | 1 महीने पहले (28.02.2019):     |         | 20,79,458 |         |
|                                               |           |         | 31.03.2018 को:                 |         | 18,03,709 |         |
|                                               |           |         | 1 साल पहले (28.03.2018): @     |         | 18,04,421 |         |
|                                               |           |         | 31.03.2017 को:                 |         | 13,10,193 |         |
| माह का अंत / वर्ष                             | 2014      | 2015    | 2016 <sup>^</sup>              | 2017    | 2018      | 2019    |
| जनवरी                                         | 1254641   | 1385378 | 1561455                        | 1003644 | 1713528   | 2035373 |
| फरवरी                                         | 1271215   | 1406569 | 1607935                        | 1158354 | 1760671   | 2079458 |
| मार्च                                         | 1283747   | 1428895 | 1641571                        | 1310193 | 1803709   | 2110892 |
| अप्रैल                                        | 1327831   | 1474105 | 1698278                        | 1409165 | 1881826   |         |
| मई                                            | 1347646   | 1490890 | 1713703                        | 1465947 | 1906875   |         |
| जून                                           | 1344527   | 1473244 | 1707714                        | 1506329 | 1922678   |         |
| जुलाई                                         | 1330777   | 1455026 | 1701685                        | 1518192 | 1897371   |         |
| अगस्त                                         | 1320534   | 1463802 | 1703396                        | 1538035 | 1902346   |         |
| सितंबर                                        | 1324245   | 1464352 | 1704618                        | 1563263 | 1899958   |         |
| अक्टूबर                                       | 1348575   | 1495415 | 1766441                        | 1610247 | 1940081   |         |
| नवंबर                                         | 1350191   | 1536673 | 1071784                        | 1635288 | 1970128   |         |
| दिसंबर                                        | 1363293   | 1538203 | 899,979                        | 1667127 | 1996824   |         |
| स्रोत: आरबीआई                                 |           |         |                                |         |           |         |

\*: 28.03.2018 को 1 दिन पूर्व के रूप में लिया गया। \*\*: 25.03.2019 को 1 सप्ताह पहले के रूप में लिया गया।

## 14.2 सिक्का अनुभाग

14.2.1 अन्य बातों के साथ-साथ, इस अनुभाग के कार्य रूप रेखा में सिक्कों के उचित मूल्य को तय करने सहित परिचालन सिक्कों के डिजाइन, बनावट तथा आकार से संबंधित नीति निर्धारण, सिक्कों से संबंधित कानून तथा स्मारक सिक्कों को जारी करना शामिल है। इसके अलावा सिक्कों की उत्पादन योजना तथा सिक्कों की मांग पत्र का निर्धारण शामिल है। इस अनुभाग द्वारा बैंक नोटों के मामले

जैसेकि सिक्कों के उत्पादन तथा मांग पत्र भी कार्य नीति योजना समिति (एसपीसी) तथा उत्पादन योजना समिति (पीपीसी) के जरिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

14.2.2 परिचालन में सिक्के (सीआईसी): सीआईसी में रुझानों की कड़ाई से निगरानी की जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में 04.04.2019 को सीआईसी ₹243 करोड़ बढ़ गया। सीआईसी का ब्योरा सारणी घ में नीचे दिया गया है

| सारणी-घ: परिचालन में सिक्के (सीआईसी) करोड़ ₹ में |        |                            |        |                           |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|
| (4.4.2019) की स्थिति के अनुसार                   | 25,142 | 1 दिन पहले: 03.04.2019     | 25,141 | सीआईसी में बदलाव:         |
|                                                  |        | 1 सप्ताह पहले: 28.03.2019  | 25,148 | 1 दिन पहले : (अ) 1 (Ag)   |
|                                                  |        | 1 महीने पहले: 05.03.2019 * | 25,111 | 1 सप्ताह पहले: (-) 6 (Ag) |
|                                                  |        | 31.03.2018 को              | 24,909 | 1 महीना पहले: (अ) 31 (I)  |
|                                                  |        | 1 साल पहले: 04.04.2018     | 24,899 | 31.03.2018 अ 234 (I)      |
|                                                  |        | 31.03.2017 को              | 24,342 | 1 वर्ष पहले (अ) 243 (I)   |
|                                                  |        |                            |        | 31.03.2017: (+) 800 (I)   |

स्रोत आरबीआई

14.2.2 परिचालन सिक्कों के लिए वर्ष 2011-12 से तथा स्मारक सिक्कों के लिए 2012-13 से एसपीएमसीएल द्वारा सिक्कों का उत्पादन सारणी ड तथा च में नीचे दिया गया है। सरकार ने समाज इत्यादि के प्रति अद्वितीय, टिकाऊ तथा उत्कृष्ट योगदान करने वाली

महान विभूतियों के अवसरों को महत्व देने तथा घटनाओं को याद करने, जिनका महान ऐतिहासिक महत्व था, के लिए 2014 से 34 स्मारक सिक्के (सारणी छ) जारी किए हैं ।

### सारणी ड. :परिचालन सिक्कों के आंकड़े

| अवधि                    | स्थापित क्षमता | उपयोग क्षमता                         | अतिरिक्त क्षमता | सिक्कों का उत्पादन | आरबीआई द्वारा प्राप्त | प्राप्त नहीं किया गया स्टॉक |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2011-12                 | 5954           | 6282                                 | 0               | 6282               | 6094                  | 208                         |
| 2012-13                 | 5954           | 6707                                 | 0               | 6707               | 6877                  | 34                          |
| 2013-14                 | 5954           | 7651                                 | 0               | 7651               | 7676                  | 9                           |
| 2014-15                 | 7400           | 7929                                 | 0               | 7929               | 7907                  | 30                          |
| 2015-16                 | 7400           | 9254                                 | 0               | 9254               | 9257                  | 27                          |
| 2016-17                 | 7400           | 9681                                 | 0               | 9681               | 9691                  | 17                          |
| 2017-18                 | 7750           | 6703                                 | 1047            | 6703               | 5572                  | 1148                        |
| 2018-19                 | 7750           | 5331                                 | 2419            | 5331               | 6132.53               | 346.65                      |
| 2019-20 (25.04.2019 तक) | 7750           | 3400 (19-20 के लिए आरबीआई का इंडेंट) | 4350            | 195                | 0                     | 542                         |

### सारणी च: गैर-परिचालन स्मारक सिक्कों के आंकड़े

| अवधि    | उपयोग क्षमता | उत्पादन | बिके हुए अदद | बिना बिके अदद |
|---------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 2012-13 | 224,478      | 224,478 | 101,736      | 112,338       |
| 2013-14 | 225,621      | 225,621 | 139,807      | 65,970        |
| 2014-15 | 74,934       | 74,934  | 77,254       | 67,594        |
| 2015-16 | 152,029      | 152,029 | 123,093      | 81,666        |
| 2016-17 | 99,860       | 99,860  | 191,304      | 83,574        |
| 2017-18 | 104,990      | 104,990 | 138,442      | 89,956        |
| 2018-19 | 83,838       | 83,838  | 74,194       | 74,624        |
| 2019-20 | 77,238       | 77,238  | 2408         | 49,734        |

स्रोत: एसपीएमसीआईएल

सारणी छ: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के लिए स्मारक सिक्कों की सूची (अब तक)

| वर्ष 2014 |                                                                                                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.        | डायमंड जुबली कॉयर बोर्ड                                                                             | 60 रुपये, 10 रु     |
| 2.        | कोमागाटामारु का शताब्दी समारोह                                                                      | 5 रु 100 रुपये      |
| 3.        | बेगम अख्तर जन्म शताब्दी                                                                             | 5 रु 100 रुपये      |
| 4.        | जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती                                                                      | 125 रु, 5 रु        |
| 5.        | बीएचईएल- इंजीनियरिंग उत्कर्ष के 50 वर्ष                                                             | 5 रु 50 रुपये       |
| 6.        | जमशेदजी टाटा की 175वीं जयंती                                                                        | 5 रु 100 रुपये      |
| 7.        | शताब्दी स्मरणोत्सव -दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी                                        | 10 रु 100 रुपये     |
| वर्ष 2015 |                                                                                                     |                     |
| 8.        | स्वामी चिन्मयानंद का जन्म शताब्दी समारोह                                                            | 10 रु 100 रुपये     |
| 9.        | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून                                                                      | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| 10.       | रानी गाइदिन्त्यु की जन्म शताब्दी                                                                    | 5 रु 100 रुपये      |
| 11.       | डॉ0 एस राधाकृष्णन                                                                                   | 10 रु, 125 रु       |
| 12.       | भारत-पाक युद्ध का 50 <sup>वाँ</sup>                                                                 | 50 रु               |
| 13.       | इंडिया अफ्रीका फोरम समिट (आईएफएस) -III                                                              | 500 रुपये, 10 रुपये |
| 14.       | डॉ0 बीआर अंबेडकर की 125 <sup>वाँ</sup> जयंती वर्ष                                                   | 10 रु 125 रुपये     |
| 15.       | लालालाजपतराय की 150 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                            | 150 रुपये, 10 रु    |
| 16.       | तात्या टोपे की 200 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                             | 200 रु, 10 रु       |
| 17.       | महाराणा प्रताप की 475वीं                                                                            | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| वर्ष 2016 |                                                                                                     |                     |
| 18.       | श्री बीजूपटनायक                                                                                     | 5 रु 100 रुपये      |
| 19.       | भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार                                                                        | 125 रुपए, 10 रुपये  |
| 20.       | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                  | 150 रुपए, 5 रुपये   |
| 21.       | श्रीकृष्ण चैतन्यमहाप्रभु के वृंदावन आने की 500 <sup>वाँ</sup> जयंती                                 | 500 रुपये, 10 रुपये |
| 22.       | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी का शताब्दी समारोह                                                | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| 23.       | मैसूर विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह                                                               | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| 24.       | पं0 दीनदयालउपध्याय की जन्म शताब्दी                                                                  | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| वर्ष 2017 |                                                                                                     |                     |
| 25.       | श्रीमदराज की 150 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                               | 150 रुपए, 10 रुपये  |
| 26.       | नबाकलेबारा महोत्सव 2015                                                                             | 1000 रुपये, 10 रु   |
| 27.       | डॉ0 एमएस सुबुलक्ष्मी की जन्म शताब्दी                                                                | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| 28.       | डॉ0 एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी                                                                  | 100 रुपए, 10 रुपये  |
| वर्ष 2018 |                                                                                                     |                     |
| 29.       | गुरु गोविंद सिंह जी की 350 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                     | 350 रुपये           |
| 30.       | पीसी महालनोबिस की 125 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                          | 125 रु, 5 रुपये     |
| 31.       | नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराने की 75 <sup>वाँ</sup> वर्षगांठ | 75 रुपये            |
| 32.       | पाइका विद्रोह की 200 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                           | 200 रुपये           |
| 33.       | स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती                                                        | 100 रुपये           |
| वर्ष 2019 |                                                                                                     |                     |
| 34.       | योगानंद परमहंस की 125 <sup>वाँ</sup> जयंती                                                          | 125 रुपये           |

14.2.3 नई श्रृंखला के सिक्के जो कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए अनुकूल हैं: वर्ष 2011 में जारी सिक्कों की वर्तमान श्रृंखला आम जनता के साथ-साथ दृष्टि बाधित लोगों द्वारा विभिन्न मूल्य वर्ग को पहचानने में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में व्यापक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह प्रासंगिक रूप से नोट किया जाए कि 2011 श्रृंखला के सिक्कों की बनावट और आकार दृष्टि बाधितों व्यक्तियों की जरूरत एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किए गए थे। परिचालन सिक्कों के 2011 श्रृंखला के साथ दृष्टि बाधितों के सामने आ रही कठिनाइयों में शामिल हैं: विभिन्न मूल्य वर्गों के बीच आसानी से अंतर करने के लिए इन सिक्कों की श्रृंखला में बनावट तथा आकार के प्रतिरूप निश्चित नहीं थे; दो रुपये के सिक्के का आकार पिछली श्रृंखला के एक रुपये के सिक्के (25 एमएम) के बिल्कुल बराबर है; एक रुपये के सिक्के

का आकार पिछली श्रृंखला के 50 पैसे के सिक्के (22 एमएम) के बिल्कुल बराबर है; एक रुपये तथा दो रुपये की सामग्री (एफएसएस) तथा मोटाई पिछले सिक्कों के समदृश्य है। दृष्टि बाधित लोग पुराने और नई श्रृंखला के ₹1, ₹2 के सिक्कों को पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को परिचालन सिक्कों के विभिन्न मूल्य वर्गों में अंतर करने तथा भेद पता करने में मदद करने के लिए सिक्कों की नई श्रृंखलामें निम्नलिखित विशेषताएं (सारणी छ) शामिल हैं:

- इन सिक्कों में निम्न से उच्च मूल्यवर्ग के आकार (अर्थात व्यास) में वृद्धि होती है।
- सिक्कों का वजन भी निम्न से उच्च मूल्यवर्ग में बढ़ते क्रम में होता है।



- (iii) सिक्कों की नई श्रृंखला में ₹20 सिक्का हाल ही में शामिल किया गया है।
- (iv) नई श्रृंखला में सेरेशन पैटर्न वैकल्पिक है, अर्थात् 1 रुपये के लिए कोई सेरेशन नहीं है, ₹2 में किनारे पर सेरेशन हैं, ₹5 के लिए कोई सेरेशन नहीं है जबकि ₹10 के किनारे पर सेरेशन हैं। इसके अलावा, ₹20 के किनारे पर कोई भी सेरेशन नहीं है।
- (v) जबकि अन्य सभी मूल्यवर्ग के सिक्के गोल आकार में हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा ₹20 के सिक्के की आसानी से पहचान के लिए इसे 12 किनारे वाला सिक्का बनाया गया है।
- (vi) नई श्रृंखला के सिक्कों पर 'कृषि' विषय को सिक्कों के पृष्ठ भाग पर फसल के दानों के साथ प्रदर्शित किया गया है। इन दानों को दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से महसूस कर सकता है जो सिक्कों की नई श्रृंखला को समझने में उसकी मदद करेगा।
- (vii) यह पता चला है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने नेत्रहीन लोगों के लिए इस तरह के परिचालन सिक्कों को डिजाइन और विकसित किया है। 16.01.2019 को एसपीएमसीआईएल में एक बैठक के दौरान कंफेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी।

**सारणी ज: दृष्टिबाधितों हेतु नई श्रृंखला के परिचालन के सिक्के 2019 विशेषताएं:**

| मूल्यवर्ग | सामग्री                                                                                                      | व्यास (मिमी)<br>बढ़ता क्रम | वजन<br>(ग्राम) | एज सेरेशन                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 रुपये   | लौह -83%, क्रोमियम -17% युक्त फेरिटिक स्टेनलेस स्टील                                                         | 20                         | 3.09           | सादा किनारा।<br>कोई घराबी नहीं |
| 2 रुपये   | लौह -83%, क्रोमियम -17% युक्त फेरिटिक स्टेनलेस स्टील                                                         | 23                         | 4.07           | पूर्ण परिधि पर 50 व्यापक खंड   |
| 5 रुपये   | निकल पीतल:<br>तांबा: 75%, जस्ता: 20%, निकल: 05%                                                              | 25                         | 6.74           | सादा किनारा।<br>कोई घराबी नहीं |
| 10 रुपये  | वलय: निकल पीतल<br>तांबा: 75%, जस्ता: 20%, निकल: 05%<br>कोर: निकल सिल्वर<br>तांबा: 65%, जस्ता: 15S, निकल: 20% | 27                         | 7.74           | पूर्ण परिधि पर 100 व्यापक खंड  |
| 20 रुपये  | वलय: निकल चांदी<br>तांबा: 65%, जस्ता: 15S, निकल: 20%<br>कोर: निकल पीतल<br>तांबा: 75%, जस्ता: 20%, निकल: 05%  | 27<br>(12 पक्षीय बहुभुज)   | 8.54           | प्लेन एज।<br>कोई अधर्म नहीं    |

स्रोत: एसपीएमसीआईएल

**14.2.4 गैर-स्वीकृति, कमी और संबंधित मामलों जैसे सिक्कों से संबंधित मुद्दे:** हाल ही में, सिक्कों विशेषकर 10 रुपये के सिक्कों की अस्वीकृति के संबंध में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से मुख्य रूप से कई लोक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह आरोप लगाया गया है कि छोटे व्यापारी और छोटे विक्रेता ₹10 / - के सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि परिचालन में इस तरह के सिक्के नकली हैं। अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 के सिक्के 14 डिजाइनों में जारी किए हैं और जनता को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। ये सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं और लेनदेन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। सरकारी टकसालों द्वारा लगाए गए सिक्कों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विभिन्न विषयों को प्रतिबिंबित करने के लिए विशिष्ट विशेषताएं हैं और समय-समय पर परिचालन में लाए गए हैं। यहां तक कि रिजर्व बैंक को भी बैंक शाखाओं द्वारा सिक्कों के स्वीकार न करने की शिकायतें मिलती रही हैं। इनकी सेवाओं की ऐसी अस्वीकृति, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों आदि की ओर से इनकार करने, सिक्कों को वस्तुओं को बेचने के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करने, के बदले में जनता को मुख्य रूप से हो रही असुविधाओं की खबरें आ रही हैं।

तदनुसार, आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपनी सभी शाखाओं को तुरंत अपने काउंटरों पर या तो विनिमय के लिए या खातों में जमा करने के लिए सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करें।

**14.3. अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ**

**14.3.1 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम:** भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में उपयुक्त संशोधन के लिए मेईटी, आरबीआई, यूआईडीएआई के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (आ.का.) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट को माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

**14.3.2 ब्लॉक श्रृंखला प्रौद्योगिकी के प्रयोग:** वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी और वितरित खाता बही तकनीक के बारे में 2018-19 के अपने बजट भाषण के पैरा 112 में नीति वक्तव्य दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि "सरकार क्रिप्टो-मुद्राओं को वैध मुद्रा या सिक्का नहीं मानती है और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण या भुगतान प्रणाली के हिस्से के रूप में इन क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के उपयोग को

समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेगी। सरकार डिजिटल इकोनॉमी में पहुंच बनाने के लिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के उपयोग का पता लगाएगी।'' जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, एसपीएमसीआईएल और मेईटी के सदस्यों के साथ संयुक्त सचिव (सी एंड सी) के तहत एक समिति 15.02.2018 गठित की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग के दायरे का पता लगाने के लिए काम कर रही है। इसके बाद, बीसीटी की बैठकों में नीति अयोग और एनआईसी को भी आमंत्रित किया जाता है। इसमें शामिल तकनीकी मुद्दों को देखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में यह विभाग बीबीसीटी / डीएलटी के उपयोग का पता लगाएगा, हालांकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बीसीटी के व्यापक उपयोग पर, बीसीटी / डीएलटी के प्रौद्योगिकी पहलू पर मेईटी को नोडल मंत्रालय होने के नाते, उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में, विभिन्न राज्य अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग पर परीक्षण अथवा काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में ब्लॉक श्रृंखला का उपयोग कर रहा है, जबकि कर्नाटक ई-गवर्नेंस पर काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य भी भूमि रिकॉर्ड, सड़क परिवहन आदि में इसके प्रयोग का पता लगा रहे हैं।

**14.3.3 डिजिटल भुगतान:** आर्थिक कार्य विभाग को नीतियों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है ताकि डिजिटल भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए समर्थकारी परिवेश बनाया जा सके। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आर्थिक कार्य विभाग इस उद्देश्य के साथ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन करने के लिए काम कर रहा है। "डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना" कारोबार नियमों में एमआईटीआई के तहत आता है। भारत सरकार डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, स्मार्ट शहरों, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रही है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजीधन मिशन स्थापित किया गया है। डिजिटल भुगतान ऐप 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी)' 30 दिसंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था। भीम के उपयोग सहित विभिन्न प्रकार की प्रणालियों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन आदि द्वारा कैशलेस / डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, भीम / यूपीआई / क्यूआर-कोड/ रुपये कार्ड के साथ ऑन-लाइन भुगतान पोर्टल्स से जुड़ने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं तथा सरकार की पहल के साथ डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

#### 1) भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे का विस्तार

- पूरे भारत में अधिक से अधिक पीओएस मशीनें लगाई गई हैं।
- भीम आधार पे बिना स्मार्टफोन के नागरिकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करने में समर्थ बनाता है। यह सुविधा व्यापारियों को प्रदान की गई है।

- सभी व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से भारत क्यू आर सुविधा दी जा रही है।
- अधिकतर व्यापारी संख्या बैंकों के ऐप आधारित यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हैं।

#### 2) प्रोत्साहन योजनाएँ

- एमडीआर की प्रतिपूर्ति का उद्देश्य व्यापारियों, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों, द्वारा डिजिटल भुगतान को अपनाना है।
- भीम ऐप के माध्यम से भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए 'भीम कैशबैक स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स' शुरू किया गया है।
- भीम आधार पीओएस उपकरणों की तैनाती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से सरकार ने प्रत्येक भीम आधार पीओएस की खरीद पर एक योजना शुरू की है।

#### 3) बैंकों के साथ समन्वय

- एमआईटीआई द्वारा बैंकों के कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से मॉनीटर और मूल्यांकन किया जाता है।

#### 14.3.4 भारत में क्रिप्टो आस्तियों की नीति और विनियमन:

आभासी विभागों और क्रिप्टोकॉइन्स से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो आस्तियों पर प्रतिबंध लगाने / विनियमित करने सहित विभिन्न विकल्पों की जांच, समिति द्वारा की जा रही है। आईएमसी की रिपोर्ट पर उसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

#### 14.3.5 स्टाम्प ड्यूटी का संग्रह और मौजूदा प्रणालियों को कैसे बेहतर बनाया जाए:

परंपरागत रूप से स्टाम्प ड्यूटी को पेपर-आधारित भौतिक मुद्रांकन प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जाता है। दिल्ली राज्य को छोड़कर पूरे भारत में कागज आधारित भौतिक स्टाम्पिंग प्रचलित है। ई-स्टाम्पिंग प्रणाली प्रदान करते समय अधिकांश राज्यों ने पारंपरिक कागज-आधारित भौतिक स्टाम्पिंग प्रणाली को भी बनाए रखा है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जैसे उत्तर-पूर्व के राज्यों में मुख्य रूप से कागज आधारित भौतिक स्टाम्पिंग प्रणाली का प्रावधान है। भौतिक स्टाम्पिंग प्रणाली को बनाए रखने का मुख्य कारण मौजूदा प्रणाली के साथ लेनदेन करने वाले व्यक्तियों की अच्छी जानकारी होना है। भौतिक स्टाम्प की कमियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली की शुरुआत की। ई-स्टाम्पिंग एक कंप्यूटर-आधारित एप्लीकेशन और दस्तावेजों को सुरक्षित करने का एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। देश में ई-स्टाम्पिंग की शुरुआत करते हुए, भारत सरकार ने एसएचसीआईएल की विभिन्न

शाखाओं और बैंकों के माध्यम से ई-स्टैंपिंग की सुविधा के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड-रखने वाली एजेंसी (सीआरए) के रूप में कार्य करने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) की नियुक्ति की थी। हाल ही में, सरकार ने भौतिक स्टाम्प और ई-स्टैंपिंग की वर्तमान प्रणाली की जांच के लिए एक समूह का गठन किया है, और समूह को निम्नलिखित लक्ष्य सौंपे गए हैं: -

- (i) भौतिक स्टाम्प पेपर और ई-स्टैंपिंग की वर्तमान प्रणाली, और सीमाओं / कमियों की जांच करना;
- (ii) ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग सहित भौतिक स्टाम्प पेपर और ई-स्टैंपिंग की वर्तमान प्रणाली को सुधारने पर विचार करना;
- (iii) भारत सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा करें के संग्रह में उपयोग की जाने वाली नवीनतम प्रणालियों का अध्ययन करना ताकि स्टाम्प शुल्क के संग्रह के लिए एक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जा सके।

#### 14.4. भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

**14.4.1 आर्थिक कार्य विभाग** एसपीएमसीआईएल का प्रशासनिक विभाग है और एसपीएमसीआईएल में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी मुद्दों तथा एसपीएमसीआईएल की नौ इकाइयों के अवशिष्ट स्थापना संबंधी सभी मामलों को देखता है। अन्य मामलों में एसपीएमसीआईएल बोर्ड की बैठकों का समन्वय; एसपीएमसीआईएल पेंशन निधि न्यास; एसपीएमसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन; एसपीएमसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना; टकसालों और प्रतिभूति कागज कारखाना का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

**14.4.2 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल),** एक मिनी रत्न श्रेणी-I, अनुसूची- 'क' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) को भारत सरकार की चार टकसालों, दो करेंसी मुद्रणालयों, दो प्रतिभूति मुद्रणालयों तथा एक प्रतिभूति कागज कारखाना, जो कि पहले भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के सीधे प्रबंधन में थे, के प्रबंधन हेतु 13 जनवरी, 2006 को शामिल किया गया था। दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार ₹2500 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा ₹1064.24 करोड़ की अभिदत्त शेयर पूंजी के साथ इस निगम का सारा स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है।

**14.4.3 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निगम** के दो करेंसी मुद्रणालयों अर्थात् बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास और करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक द्वारा आपूर्ति करेंसी नोटों का ग्राहक है। विदेश मंत्रालय (एमईए) तथा गृह मंत्रालय (एमएचए) पासपोर्ट और वीजा स्टीकरों के ग्राहक हैं तथा राज्य सरकारें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों और संबद्ध स्टाम्पों की ग्राहक हैं और डाक विभाग निगम की दो प्रतिभूति प्रेसों यथा प्रतिभूति मुद्रण प्रेस

(एसपीपी), हैदराबाद और भारत प्रतिभूति प्रेस (आईएसपी) द्वारा आपूर्ति डाक लेखन सामग्री का ग्राहक है। यह प्रतिभूति प्रेस प्रतिभूति संबंधी विभिन्न वस्तुओं जैसे चेकों, रेलवे वारंट, आयकर विवरणी, आर्डर, प्ररूपों, बचत लिखतों, स्मारक टिकट आदि का भी उत्पादन विभिन्न ग्राहकों के लिए करती हैं। आर्थिक कार्यक विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा स्थित कंपनी के चार भारत सरकार के टकसालों (आईजीएम) द्वारा आपूर्ति सिक्कों के परिचालन हेतु ग्राहक हैं। कंपनी का होशंगाबाद में एक प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम) है जो करेंसी/ प्रतिभूति प्रेसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिभूति कागज का विनिर्माण करता है। कंपनी का देवास में एक स्याही कारखाना है जिसमें एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल की प्रेसों द्वारा प्रयोग करने के लिए ऑफसेट स्याही यूवी स्याही और क्विकसेट इंटग्लियो स्याही का विनिर्माण होता है।

**14.4.4** कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति कागज, पासपोर्ट, सुरक्षा स्याही और अन्य प्रतिभूति उत्पादों के उत्पादन में लक्ष्य प्राप्त किया था। उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करते समय, कंपनी ने प्रति कर्मचारी उत्पादकता में काफी वृद्धि की थी। कंपनी ने वर्ष 2017-2018 के दौरान 9219 मिलियन अदद बैंकों नोटों का उत्पादन किया और आरबीआई को 8594 मिलियन अदद बैंक नोटों की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष अर्थात् 2016-17 दौरान किए गए 8785 मिलियन अदद बैंक नोटों के उत्पादन की तुलना में 4.94 प्रतिशत अधिक है। 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी द्वारा किए गए 2.48 मिलियन अदद बैंक नोटों के उत्पादन की अपेक्षा 2017-18 में यह उत्पादन बढ़कर 2.72 मिलियन अदद प्रति कर्मचारी हो गया।

**14.4.5** कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान 6703 मिलियन अदद परिचालन सिक्कों का उत्पादन किया और 5571 मिलियन अदद परिचालन सिक्कों की आपूर्ति की। यह वर्ष 2016-17 के दौरान 9681 मिलियन अदद सिक्कों के उत्पादन की अपेक्षा 30.76 प्रतिशत कम है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी 3.37 मिलियन अदद सिक्कों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2017-18 में सिक्कों का प्रति कर्मचारी उत्पादन कम होकर 2.55 मिलियन अदद हो गया। वर्ष 2017-18 में परिचालन सिक्कों के उत्पादन/उत्पादकता में कमी जुलाई, 2017 में आरबीआई द्वारा परिचालन सिक्कों के मांगपत्र में पर्याप्त कमी के कारण थी।

**14.4.6** कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान 5779 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया था और 4657 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज प्रिंटिंग प्रेसों को आपूर्ति किया था। यह वर्ष 2016-17 के दौरान 3200 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज के उत्पादन की अपेक्षा 80.60% अधिक था। प्रति कर्मचारी प्रतिभूति कागज का उत्पादन पिछले वर्ष के 2.74 मीट्रिक टन के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर 5.16 मीट्रिक टन हो गया था। कंपनी ने स्याही कारखाना, देवास में 2017-18 में 579 मीट्रिक टन सुरक्षा स्याही का उत्पादन किया था। इस उत्पादन में सभी चार एसपीएमसीआईएल प्रेसों की पूरी आवश्यकता शामिल है, जो लगभग 500 मीट्रिक टन थी और

मैसूर और सालबोनी में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) की मुद्रण प्रेस को ज्यादा स्याही की आपूर्ति की गई थी।

14.4.7 वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी की बिक्री टर्नओवर पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान ₹5842.15 करोड़ के मुकाबले ₹4347.29 करोड़ था जो पिछले साल की तुलना में 25.59% की कमी दर्शाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति कर्मचारी बिक्री वर्ष 2016-17 के दौरान ₹56.42 लाख से 20.05% घटकर ₹45.11 लाख हो गई है। कंपनी के प्रचालनों से प्राप्त राजस्व 2017-18 में पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान ₹5966.02 करोड़ से घटकर ₹4445.16 करोड़ हो गया था। बिक्री और अन्य राजस्व में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2017-18 के दौरान परिचालन सिक्कों की बिक्री में गिरावट थी जो वर्ष 2016-17 में ₹2707.25 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹1426.43 करोड़ हो गई थी। वर्ष 2017-18 के लिए कुल व्यय वर्ष 2016-17 के ₹5189.50 करोड़ के मुकाबले ₹4015.89 करोड़ था जो भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित मांगपत्र के अनुसार परिचालन सिक्कों के उत्पादन में कमी के कारण माल की खपत लागत में कमी के कारण पिछली अवधि के मुकाबले 22.62% की कमी दर्शाता है। सतत प्रचालनों से वर्ष 2017-18 का कर से पहले लाभ (पीबीटी) वर्ष 2016-17 के लिए ₹914.44 करोड़ के मुकाबले ₹629.94 करोड़ था जो मुख्यतः 2017-18 में परिचालन सिक्कों की बिक्री में कमी के कारण 31.11% की कमी दर्शाता है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 में ₹615.68 करोड़ के एक कुल व्यापक आय (टीसीआई) के मुकाबले में ₹663.77 करोड़ की कुल व्यापक आय हासिल की है। वर्ष 2017-18 में समेकित टीसीआई वर्ष 2016-17 में ₹745.80 करोड़ की समेकित टीसीआई के मुकाबले संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के 50% शेयर को ध्यान में रखने के बाद, बढ़कर ₹779.65 करोड़ हो गई थी। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से 11.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वाले ₹1135 करोड़ के आवधिक ऋण के फरवरी, 2017 में पूर्व भुगतान के विवेकपूर्ण निर्णय के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय लागतों में भारी बचत हुई थी।

14.4.8 सीपीएसई की पूंजी पुनर्संरचना पर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, एसपीएमसीआईएल के निदेशक मंडल ने 29.11.2017 को आयोजित अपनी 80<sup>वीं</sup> बैठक में ₹38.50 प्रति शेयर के बही मूल्य पर भारत सरकार द्वारा (पूरी तरह से भुगतान किए गए) ₹10/- प्रति शेयर के 11,82,49,000 इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने का अनुमोदन प्रदान किया था। शेयरों की पूर्वोक्त वापसी खरीद के कारण कुल निर्गम प्रयोज्य कर जमा ₹455.26 करोड़ था। पूर्वोक्त वापस खरीद के लिए क्षतिपूर्ति दिनांक 05.01.2018 को भारत सरकार को भुगतान की गई थी।

14.4.9 कंपनी ने सीपीएसई की पूंजीगत पुनर्संरचना पर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किए गए

दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार को वर्ष 2017-18 के लिए 5 प्रतिशत के निवल मूल्य की दर से कंपनी का अंतिम लाभांश भुगतान कर दिया था जो कुल मिलाकर प्रयोज्य लाभांश वितरण कर जमा ₹204.87 करोड़ था। कंपनी को वर्ष 2017-18 के लिए अपने समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा 'अच्छी' रेटिंग प्रदान की गई है।

14.4.10 वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि की बहुत सी पहलें की थी। सीएनपी, नासिक ने नुमेरोटा मशीन पर कम्प्यूटरीकृत रैंडम नंबरिंग (सीआरएन) की दो प्रणालियां स्थापित की थी। बीएनपी, देवास ने प्लास्टिरोटा III सीडी मशीन, प्लासीमिक्स पीएम 11-मिक्सर एंड स्पेशल फिनिशिंग मशीन पर काम करना शुरू कर दिया था। स्याही कारखाना, देवास में प्रेस-आउट उपकरणों के साथ पांच टीआरएम और दो हैवी ड्यूटी शाफ्ट मिक्सर लगाए गए हैं तथा उन पर काम करना शुरू किया गया था। आईजीएम, मुंबई की तकनीकी टीम ने पिकलिंग एंड पॉलिशिंग लाइन्स (पीपीएल) के सभी 10 बैरल्स को संशोधित किया था ताकि उन्हें सैटेलाइट बॉल्स के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। इस संशोधन के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाएं और आवश्यक ऑटोमेशन, आईजीएम, मुंबई की तकनीकी टीम द्वारा इस परिसर में ही संपन्न किए गए थे। आईजीएम, नोएडा ने काउंटरों तक सिक्कों को स्वतः भेजने तथा उन्हें अपने आप छोट-बड़े थैलों में पैक करने के लिए कंवेनशनल काउंटिंग और पैकेजिंग लाइन (बॉश लाइन-I और बॉश लाइन-II) को उन्नत बनाया था। वेहिंग ब्रिज और डिजिटल हार्डनेस टेस्टर का संस्थापन, इस पर काम की शुरुआत और इसका परीक्षण आईजीएम, नोएडा में किया गया था। आईएसपी, नासिक ने एपीएमएस सेक्शन में फाइनल फिनिशिंग मशीन नंबर 4 के संबंध में पुस्तिका परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाया था। संपूर्ण प्रणाली परिसर में ही निरूपित, विनिर्मित और कार्यान्वित की गई थी। आईएसपी, नासिक ने यूएनओ ई-पासपोर्ट मशीन और एपीएमएस पासपोर्ट मशीन नंबर 4 में पूर्ण पुस्तिका छिद्रण (पहले 4 पेज को छोड़कर) को भी आधुनिक बनाया था। संपूर्ण कार्यप्रणाली परिसर में ही निरूपित, विनिर्मित और कार्यान्वित की गई थी जिससे संशोधन लागत में भारी बचत हुई, जिसकी ओईएम से वसूली जानी थी। आईएसपी, नासिक ने रेपिडा मशीन के नंबरिंग बॉक्स को उन्नत और संशोधित करके विद्यमान छह अंकों की संख्या से सात अंकों की संख्या का बनाया था। एसपीपी, हैदराबाद ने ओल्ड ग्रेफा मशीन डिलीवरी यूनिट का पुनः निरूपण और पुनर्संज्जीकरण का कार्य पूरा किया था। एसपीएम, होशंगाबाद में, ईटीपी पर बहिःस्त्राव में कमी लाने के लिए और सुरक्षा वस्तुओं (जैसे एम-फ्रीचर और सुरक्षा फाइबर) और अन्य रसायनों की पुनः बहाली के लिए पेपर मशीन पहुंच प्रवाह प्रणाली में अस्वीकृत पद्धति (रिजेक्ट लाइन) में परिसर में ही संशोधन किया गया था। खराब कागज से फाइबर को पुनर्प्राप्त करने के लिए नई गिलोटिन मशीन स्थापित की गई है, जिससे प्रति एमटी कागज के कच्चे माल की लागत कम हो जाएगी।

14.4.11 करेंसी, पासपोर्ट और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करने के लिए सीएनपी, नासिक में अत्याधुनिक कार्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया गया है। जाली मुद्रा निवारण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, सामग्री निरूपण प्रयोगशाला (ऑप्टिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं माइक्रोस्कोपी), रसायन विश्लेषण प्रयोगशाला, प्रायोगिक संयंत्र जैसी अवसंरचना आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए विकसित की गई है। आईएसपी, नासिक में विभिन्न उपकरणों के लिए एक नया अनुसंधान और विकास ढांचा बनाया गया था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान डिजिटल टियर रेसिस्टेंस टेस्टर, कॉब टेस्टर, डिजिटल टेन्साइल स्ट्रेंथ टेस्टर, डिजिटल रफनेस / पोरोसिटी टेस्टर, डिजिटल फोल्डिंग एंड्योरेंस टेस्टर, ब्राइटनेस / ओपेसिटी एंड कलर टेस्टर, क्रम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल बर्सटिंग स्ट्रेंथ टेस्टर संस्थापित और चालू किए गए थे। कागज, लुगदी आदि के लिए एक पूर्ण अनुसंधान और विकास केन्द्र एसपीएम, होशंगाबाद में स्थापित किया गया था। अनुसंधान और विकास केन्द्र में नवीनतम परीक्षण उपकरण और मशीनरी अधिप्राप्त करके सफलतापूर्वक संस्थापित की गई थी। आईजीएम, मुंबई में भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड अर्थात् भारतीय निर्देशांक द्रव्य (बीएनडी), 999.99 शुद्धता का गोल्ड सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड (सोना जो 99.99% शुद्ध है) विकसित किया गया था। आईजीएम, हैदराबाद ने सिक्के की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिकलिंग और पॉलिशिंग कंपाउंड के विकास की एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसने आयातित रासायनिक केएच-50 के प्रतिस्थापन के रूप में स्वदेशी निर्माण विधि का विकास किया। इसके लिए एनआईसीडीब्ल्यू (पेटेंट नं. सीएचई नं. 201741036100) के साथ पेटेंट पंजीकृत किया गया था। आईजीएम, हैदराबाद ने टूल्स पर पीवीडी कोटिंग के लिए पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकसित अनुसंधान केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। बीएनपी, देवास ने स्वदेशी संशोधन यानि इंटरालियो मशीन नं. 9 पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष विधि में ओवीआई का अनुप्रयोग करके ओवीआई की खपत दर में कमी की थी। इससे लगभग 0.5 किग्रा/एमपीसीसी ओवीआई स्याही की बचत हुई थी। स्याही कारखाना, देवास ने क्यूएसआई स्याही का उन्नत संस्करण विकसित किया था। इसने करेंसी नोटों को डिजाइन करने के लिए व्यापक मात्रा में पैन्टोन शेड स्याही विकसित की थी।

14.4.12 कंपनी में 31-03-2018 की स्थिति तक जनशक्ति कम होकर 9638 रह गई है, जिनमें 349 कार्यपालक, 1100 पर्यवेक्षक और 8189 कामगार 9 इकाइयों तथा कारपोरेट कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर्मचारियों की संख्या 10,354 थी। कर्मचारियों के कार्यात्मक कौशल और विशेषज्ञता तथा साथ साथ उनके व्यावहारिक कौशल और सामूहिक गतिशीलता का उन्नयन करने के लिए कंपनी कर्मचारियों के प्रशिक्षण व पुनर्प्रशिक्षण पर बल देती है। वर्ष 2017-2018 के दौरान, एसपीएमसीआईएल की सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और मधुर बने रहे।

**14.4.13 स्वदेशीकरण:** प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में 6000 एमटी क्षमता की एक नई प्रतिभूति पेपर लाइन मई, 2015 में प्रारंभ की गई थी। कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा.लि. (बीएनपीएमआईपीएल) के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल) के साथ अक्टूबर, 2010 में 50:50 का संयुक्त उद्यम स्थापित किया है जो प्रत्येक 6000 एमटी प्रतिवर्ष की क्षमता की अत्याधुनिक प्राद्योगिकी की दो पेपर लाइनें तैयार करने के लिए 12000 एमटी प्रतिवर्ष की क्षमता वाले बैंक नोट कागज कारखाने की ग्रीनफील्ड परियोजना कार्यान्वित करेगा। उपर्युक्त सभी पेपर लाइनों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूबीएन कागज की जरूरत का स्वदेशी उत्पादन करेंगी जिससे आयात प्रतिस्थापन से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इसके अलावा, भारत को बैंक नोटों के कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगी।

14.4.14 वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्नलिखित स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं:

- (i) पुरी जगन्नाथ मंदिर के संबंध में नवकलेबर महोत्सव
- (ii) श्रीमद रामचंद्र की 150वीं जन्मशती
- (iii) डॉ० एम एस सुब्बुलक्ष्मी की जन्मशती
- (iv) पं० दीनदयाल उपध्याय की जन्मशती

**14.4.15 आरटीआई अधिनियम:** एसपीएमसीआईएल ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। आवेदक को वांछित जानकारी समय पर प्रदान की जाती है। आरटीआई, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें की गई थीं: -

- आरटीआई अधिनियम को बेहतर रूप से समझने के लिए सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
- आरटीआई आवेदन के निपटान सहित बेहतर संचालन के लिए, विभाग वार सीपीआईओ और एफएएस को नामित किया गया है।
- सीपीआईओ को प्रशिक्षण देने के लिए बाहरी एजेंसियों (जैसे आईएसटीएम आदि) में भी भेजा गया था।
- आरटीआई आवेदन की पारदर्शिता और उसके त्वरित निपटान के लिए, हमारी वेबसाइट यानी [www.spmcil.com](http://www.spmcil.com) पर खुलासे किए जाते हैं।

## 15. यू.एन. प्रभाग

15.1 संयुक्त राष्ट्र उप-प्रभाग बीसी और एएस प्रभाग के अंतर्गत आता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), और सस्टेनेबल फाइनेंस के अलावा संयुक्त राष्ट्र के समन्वय संबंधी कार्य

को देखता है। संयुक्त राष्ट्र उपप्रभाग से इन संस्थाओं के प्रबंधन और शासन के मामलों में कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

**15.2 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम:** यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो मानव विकास, प्रणालियों और संस्थागत मजबूती, समावेशी विकास और स्थायी आजीविका, टिकाऊ ऊर्जा, पर्यावरण और प्रतिस्कन्दन के क्षेत्रों में काम कर रही है।

15.3 यूएनडीपी का नेतृत्व कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जो यूएनडीपी गतिविधियों के पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अंतर-सरकारी समर्थन प्रदान करता है। बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ जैसा हो; यूएनडीपी के प्रदर्शन की निगरानी में देशीय कार्यक्रमों सहित; कार्यक्रमों को मंजूरी; और प्रशासनिक एवं वित्तीय योजनाओं और बजट पर निर्णय लेना इस अधिदेश को कार्यान्वित करता है। बोर्ड 36 देशों के प्रतिनिधियों से बना है जो बारी-बारी के आधार पर सेवा करते हैं। वर्तमान में, भारत उस बोर्ड का सदस्य है जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

15.4 यूएनडीपी में भारत का वार्षिक योगदान 4.5 मिलियन अमेरिकी डालर था। यह राशि संयुक्त राष्ट्र प्रतिज्ञा सम्मेलन में वार्षिक आधार पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी की जाती है जो हर साल नवंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है। इस अंशदान के अलावा, भारत, सरकारी स्थानीय कार्यालय अंशदान ( जीएलओसी) की ओर यूएनडीपी को स्थानीय कार्यालय व्यय का भुगतान करता है। इस राशि की गणना आय समूह पर भारत के वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। भारत में यूएनडीपी द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत 40 से अधिक परियोजनाएं हैं।

15.5 आर्थिक कार्य विभाग, भारत में यूएनडीपी और किसी भी अन्य राष्ट्रीय या उप-राष्ट्रीय अधिकारियों और एजेंसियों के बीच इंटरफेस का बिंदु है। आर्थिक कार्य विभाग यूएनडीपी में स्वैच्छिक अंशदान पर निर्णय लेता है तथा स्थानीय कार्यालय अंशदान देता है। भारत में यूएनडीपी द्वारा कार्यान्वित सभी परियोजनाओं को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र उप प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त राष्ट्र के संबंधित मामलों के लिए समन्वय बिंदु भी है।

**15.6 वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** यह 1992 के रियो अर्थ शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह की सबसे अधिक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए स्थापित की गई थी। जीईएफ सचिवालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जीईएफ राष्ट्रीय स्थायी विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक सामाजिक संगठनों ( सीएसओ) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 183 देशों को एकजुट करता है। जीईएफ जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक अपशिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल और भूमि क्षरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

15.7 जीईएफ असेम्बली सभी 183 सदस्य देशों से बना सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, या प्रतिभागी है। यह मंत्री स्तर पर हर तीन से चार साल में सामान्य नीतियों की समीक्षा करने के लिए काउंसिल को प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर जीईएफ के संचालन की समीक्षा और मूल्यांकन सुविधा की सदस्यता की समीक्षा और सर्वसम्मति से अनुमोदन के लिए विचार करने, के लिए, पुनर्निर्मित जीईएफ की स्थापना के लिए दस्तावेज संशोधन साधन परिषद द्वारा सिफारिशों के आधार पर मिलता है।

15.8 जीईएफ परिषद जीईएफ का मुख्य शासी निकाय है। इसमें जीईएफ के सदस्य देशों के निर्वाचित क्षेत्रों से नियुक्त 32 सदस्य (विकसित देशों से 14, विकासशील देशों से 16 और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं से 2) शामिल हैं। सदस्य । परिषद के सदस्यों और प्रत्याशियों की सूची - हर तीन साल में या जब तक निर्वाचन क्षेत्र एक नया सदस्य नियुक्त नहीं होता तब तक बारी-बारी से आते हैं। परिषद, जोकि सालाना दो बार बैठक करती है, जीईएफ-वित्तपोषण गतिविधियों के लिए परिचालन नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, करती, अपनाती है और उनका मूल्यांकन करती है। यह कार्य कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है।

15.9 जीईएफ एजेंसियां जीईएफ की परिचालन शाखा हैं। वे जीईएफ वित्तपोषण परियोजनाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के प्रस्तावकों - सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसायटी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हैं जीईएफ, 18 एजेंसियों जैसे आईबीआरडी, आईएफएडी, यूएनडीपी के साथ काम करता है।

15.10 भारत जीईएफ का संस्थापक सदस्य है। भारत उस निर्वाचन क्षेत्र का एक सदस्य है जिसमें अन्य दक्षिण एशियाई देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। विश्व बैंक समूह में भारत के कार्यकारी निदेशक द्वारा जीईएफ में दक्षिण एशियाई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जीईएफ में भारत का प्रतिनिधित्व आर्थिक कार्य विभाग और विदेश विभाग और सीसी क्रमशः राजनीतिक फोकल प्वाइंट ( पीएफपी) और ऑपरेशनल फोकल प्वाइंट ( ओएफपी) होने के नाते किया जाता है। पीएफपी जीईएफ के वित्तपोषण ढांचे का कार्य करता है जिसके अनुसार निधियां सदस्य देशों द्वारा दी जाती हैं। ओएफपी एक देश के भीतर सभी जीईएफ से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। ओएफपी विचारों, पात्रता मानदंड के विरुद्ध जाँच की समीक्षा करता है परियोजना और सुनिश्चित करता है कि नई परियोजना विचार मौजूदा प्रोजेक्ट नकल नहीं होंगे।

15.11 भारत जीईएफ का एक दाता और साथ ही प्राप्तकर्ता सदस्य है। भारत ने 1991 में अपनी शुरुआत के बाद से जीईएफ के लिए लगभग 78 मिलियन अमेरिकी डालर का अंशदान दिया है। वर्तमान पुनरावृत्ति चक्र के तहत, यानी जीईएफ -7 जो 2018-2022 तक चलता है, भारत ने जीईएफ के लिए 15,000,000 अमेरिकी डालर की प्रतिज्ञा की है। अब तक, जीईएफ ने 732.9 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल जीईएफ अनुदान समर्थन के

साथ भारत में 102 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है (इनमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ-साथ वैश्विक / क्षेत्रीय परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें भारत एक हिस्सा है)। जीईएफ -7 के अंतर्गत, भारत को तीन केन्द्रीय क्षेत्रों जैसे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के लिए कुल 85.61 मिलियन अमरीकी डालर का आवंटन प्राप्त हुआ है।

15.12 जीईएफ के लिए राजनीतिक केंद्र बिंदु होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग जीईएफ में स्वैच्छिक अंशदान का फैसला करता है। राजनीतिक केन्द्र बिन्दु के रूप में आर्थिक कार्य विभाग जीईएफ के कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और इस तरह बोर्ड में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए विश्व बैंक समूह में भारत के कार्यकारी निदेशक सहायता करता है।

**15.13 हरित जलवायु कोष :** जीसीएफकी स्थापना 2010 में 194 देशों द्वारा की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकार हैं। यूएनएफसीसीसी, जिसे 1992 में आयोजित रियो अर्थ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य ढांचे के रूप में कार्य करता है। कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को "एक स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित (मानव प्रेरित) हस्तक्षेप को रोक देगा।" यह बताता है कि "इस तरह के स्तर को पारिस्थितिक तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय-सीमा के भीतर हासिल किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा नहीं है, और आर्थिक विकास को स्थायी रूप से आगे बढ़ने के लिए सक्षम किया जाए।"

15.14 सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन से निपटने करने के तरीके का नेतृत्व करने के लिए विकसित देशों पर जोर देता है। यह विचार है कि, चूंकि वे सबसे पुराने और वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्रोत हैं, इसलिए औद्योगिक देशों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने यहां उत्सर्जन में कटौती करें और विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करें।

15.15 वित्तीय सहायता के इस प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, सम्मेलन ने विकासशील देश पक्षकारों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक वित्तीय तंत्र की स्थापना की। वित्तीय तंत्र के संचालन का काम ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी और जीसीएफ को सौंपा गया है। जबकि जीईएफ ने 1994 में सम्मेलन प्रवेश के बाद से वित्तीय तंत्र के संचालन निकाय के रूप में कार्य किया है, जीसीएफको 2011 में एक संचालन ईकाई के रूप में नामित किया गया था।

15.16 गवर्निंग दस्तावेज को अपनाने के बाद, जीसीएफ बोर्ड की स्थापना विकासशील और विकसित देश पार्टियों के बराबर सदस्यों

के साथ की गई थी। वर्ष 2013 में, कोष ने सोंगडो, कोरिया गणराज्य में अपना स्थायी मुख्यालय स्थापित किया। नीचे विभिन्न जीसीएफ निकायों और उनके संबंधी प्रतिनिधित्व है। बोर्ड में 24 सदस्य शामिल हैं (प्रत्येक एक वैकल्पिक सदस्य के साथ) विकासशील और विकसित राष्ट्रों से समान प्रतिनिधित्व के साथ। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, एशिया-प्रशांत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्थित विकासशील देशों के सदस्य हैं, जिसमें कम से कम एक सदस्य अविकसित देश (एलडीसी) और एक छोटे द्वीप विकासशील राज्य से है। बोर्ड के शीर्ष पर, दो सह-अध्यक्ष बैठते हैं - विकसित और विकासशील देशों में से प्रत्येक - जो बैठकों को पूरा करते हैं और प्रक्रिया के नियमों को सुरक्षित करते हैं। वे एक वर्ष के लिए अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं। बोर्ड साल में तीन बार बैठक करता है और सीओपी के प्रति जवाबदेह होता है।

15.17 जीसीएफ परियोजनाओं में निवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों का उपयोग करता है। इनमें अनुदान, रियायती ऋण वित्तपोषण, इक्विटी और गारंटी शामिल हैं। इसके अलावा, जीसीएफ के पास निजी क्षेत्र का समर्थन है जिसमें वित्तीय बाजारों का दोहन करने के लिए सहायक संस्थाएं शामिल हैं।

15.18 भारत से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नामित प्राधिकारी है और जीसीएफ के साथ मुख्य संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करता है। अब तक, भारत की तीन परियोजनाओं को जीसीएफ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

## 16. आर्थिक कार्य विभाग के बारे में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

**2019 की रिपोर्ट संख्या 2 - संघ सरकार (सिविल)- संघ के लेख (वित्तीय लेखापरीक्षा)**

**संसद में 12 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत**

### अध्याय-1

➤ सीआईएसएफ ने ₹329 करोड़ की प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि (दिसंबर 2017 तक) मुख्य शीर्ष-0055 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज की, और इस प्रकार लोक लेखा में जमा शीर्षों के अंतर्गत यथा प्रतिबिंबित सरकार की देयताओं को कम करके बताया।

(पैरा 1.2 (ख))

### अध्याय-2

➤ 36 मुख्य शीर्षों में ₹11,801 करोड़ के कुल व्यय और प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि लघु शीर्ष - 800 अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई थी, इस प्रकार लेखाओं का अस्पष्ट प्रतिपादन किया गया।

(पैरा 2.2)

- माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के अंतर्गत संगृहीत ₹94,036 करोड़ की राशि प्रक्रिया के विपरीत भारत की संचित निधि में बहाल रखी गई थी, जबकि राशि को इस प्रयोजन के लिए सृजित निधि में रखा जाना चाहिए था।

(पैरा 2.3(ग))

### अध्याय-3

- 2017-18 के दौरान, विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत ₹2,50,228 करोड़ (कुल प्राधिकृत राशि का 2.77 प्रतिशत) कुल सकल बचत (आधिक्य पर विचार किए बिना) हुई थी। इन कुल बचतों में से, ₹2,47,227 करोड़ (कुल बचतों का 98.80 प्रतिशत) की ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचतें 54 अनुदानों के 72 सेगमेंटों में हुई थीं।

(पैरा 3.3)

- 2017-18 के दौरान, 15 अनुदानों के 18 मामलों में संपूर्ण नकद अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा। ₹11,017 करोड़ के नकद अनुपूरक वाले 11 ऐसे मामलों में, वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

(पैरा 3.4)

- कुल ₹1156.80 करोड़ का कुल अधिक व्यय 2017-18 के दौरान, संसद के पूर्व अनुमोदन लिए बगैर किया गया क्योंकि वित्त मंत्रालय ने नई सेवा/सेवा के नए लिखत के संबंध में उपयुक्त तंत्र नहीं बनाया था।

(पैरा 3.7)

- दो मामलों में, प्रयोजन-शीर्ष 'गुप्त सेवा व्यय' के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने के लिए आदेशों को देने से पहले सीएजी के पूर्वानुमोदन के संबंध में वित्त मंत्रालय ने स्वयं अपने अनुदेशों का उल्लंघन किया।

(पैरा 3.10)

### 2018 की रिपोर्ट संख्या 20 - संघ सरकार (सिविल) - राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन संसद में 8 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत

समय-समय पर यथा संशोधित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 का अधिनियमन राजकोषीय प्रबंधन में पीढ़ी दर पीढ़ी साम्यता और दीर्घावधिक बृहत् - आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए किया गया था। एफआरबीएम अधिनियम में अपेक्षित है कि केंद्र सरकार पर्याप्त राजस्व अधिशेष और उधारों, ऋण और घाटों पर सीमा निर्धारित करने के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने का कार्य करे। राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधिक रूपरेखा में एक राजकोषीय नीति का होना भी एफआरबीएम अधिनियम के उद्दिष्ट उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एफआरबीएम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों में राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा नामक तीन राजकोषीय संकेतकों को हटाने के

संबंध में लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए गए हैं और गारंटियों तथा अतिरिक्त देनदारियों की सीमा निर्धारित की गई है।

मौजूदा रिपोर्ट में एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के उपबंधों और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संघ सरकार द्वारा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने बजट से इतर वित्तपोषण के कुछेक मामलों की जांच की है और इन कृत्यों से समग्र राजकोषीय प्रचालनों पर प्रभाव का विश्लेषण किया है।

### वर्ष 2016-17 के लिए एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धि

| राजकोषीय संकेतक | राजस्व घाटा | राजकोषीय घाटा | प्रभावी राजस्व घाटा |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| लक्ष्य          | 2.1         | 3.3           | 0.9                 |
| उपलब्धि         | 2.1         | 3.5           | 1.0                 |

### प्रमुख प्रेक्षण

अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य संगत मुद्दों का अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को नीचे विस्तारपूर्वक बताया गया है:

सरकार ने बजट 2016-17 में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा के लक्ष्य को जीडीपी के क्रमशः 2.3, 3.5 और 1.2 प्रतिशत पर नियत किया था। वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा के एफआरबीएम लक्ष्य जीडीपी के क्रमशः 2.1, 3.3 और 0.9 प्रतिशत थे। इनके संबंध में वास्तविक उपलब्धि जीडीपी की क्रमशः 2.1, 3.5 और 1.0 प्रतिशत थी।

हालांकि, प्रभावी राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संबंध में 2016-17 में हासिल किया गया वार्षिक लक्ष्य 2015-16 में प्रचलित आधार के मुताबिक नहीं था। मार्च 2017 के अंत तक प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 2015-16 में हुए विपथन के साथ-साथ 2015-17 के लिए संचयी वार्षिक कमी लक्ष्य को ध्यान में रखने के पश्चात् जीडीपी के क्रमशः 1.0 और 3.5 प्रतिशत होने के बजाय 0.9 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत होता।

(पैरा 2.1, 3.1.1 और 3.3.1)

देनदारी लक्ष्यों के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों तथा एफआरबीएम नियमों के अंतर्गत तदनुसारी उपबंधों के बीच मेल नहीं है। अधिनियम में कुल वार्षिक देयता पर सीमा स्वीकृत किए जाने की बात कही गई है, जबकि नियमों में कुल देयता के बजाय वार्षिक अतिरिक्त देयता की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, नियमों में मार्च 2014 के अंत में एक सूर्यास्त बिन्दु शामिल किया गया है जिसके पश्चात् कोई अतिरिक्त देयता स्वीकार नहीं की जाएगी। तथापि, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में सरकार द्वारा स्वीकार की गई अतिरिक्त देयता जीडीपी की क्रमशः 4.1, 4.7 और 3.2 प्रतिशत थी।

(पैरा 2.2)



मध्यावधि राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के लक्ष्य में 2004-05 में 45 प्रतिशत से 2012-13 में 60 प्रतिशत और 2015-16 में 70 प्रतिशत की दो बार छूट दिए जाने के बाद भी सरकार वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान के 70 प्रतिशत के इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। इसके अलावा, व्यय और प्राप्ति की तुलना में इस विपथन के लिए जिम्मेदार कारकों तथा विशिष्ट सुधारात्मक उपायो, जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष में किया जाना था, उन्हें संसद को प्रस्तुत विवरण में शामिल नहीं किया गया।

**(पैरा 2.3)**

सरकार राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए बारंबार बजटेतर वित्तपोषण का सहारा ले रही है। राजस्व व्यय के संदर्भों में, बजटेतर वित्तपोषण विशेष बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से उर्वरक बकायों/हुंडियों के आस्थगन; उधारों के माध्यम से भारतीय खाद्य नियम की खाद्य सब्सिडी हुंडियों/बकायों तथा दीर्घावधिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत नाबार्ड से उधार लिए जाने के माध्यम से सिंचाई स्कीम (एआईबीपी) के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया गया था। पूंजीगत व्यय के संदर्भों में, आईआरएफसी के उधारों के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं का बजटेतर वित्तपोषण और पीएफसी के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण बजटीय नियंत्रण में नहीं था। इस प्रकार का बजटेतर वित्तपोषण राजकोषीय बाध्यताओं के बावजूद राजकोषीय संकेतकों के परिकलन का भाग नहीं होता है।

**(पैरा 3.1.2 और 3.7)**

लोक लेखा की देनदारी ₹7,63,280 करोड़ कम बताई गई, इस बात को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर केन्द्र सरकार की कुल देनदारी ₹76,69,545 करोड़ होगी, जो एमटीएफपी विवरण 2016-17 में 47.10 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में जीडीपी के 45.5 प्रतिशत के बजाय 50.5 प्रतिशत है।

**(पैरा 3.4.2)**

व्यय के गलत वर्गीकरण, भारत की समेकित निधि में से लोक लेखा में अभिचिह्नित निधियों को उदग्रहण/उपकर का कम अंतरण/अंतरण न किए जाने के फलस्वरूप कम से कम ₹50,999 करोड़ का राजस्व

व्यय कम करके बताया गया और इसलिए इसी राशि का राजस्व घाटा कम करके बताया गया।

**(पैरा 4.3 और 4.4)**

सकल कर राजस्व, बकाया देनदारियों और विनिवेश के संबंध में वर्ष 2016-17 के वास्तविक आंकड़े 2014-15 के बजट के साथ प्रस्तुत मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में शामिल वित्त वर्ष 2016-17 के अनुमानों से भिन्न थे।

**(पैरा 5.1)**

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न व्यय शीर्षों के अंतर्गत 2016-17 के संशोधित अनुमान/वास्तविक आंकड़े 2015 में रखे गए मध्यावधिक व्यय की रूपरेखा के विवरणों से भिन्न थे।

**(पैरा 5.2, अनुबंध 5.1)**

लेखापरीक्षा द्वारा (क) बजट का सार तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों/संघ सरकार के वित्त लेखों में वर्णित घाटे के आंकड़े; (ख) व्यय बजट/बजट का सार तथा संघ सरकार के वित्त लेखों के बीच पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों पर वास्तविक व्यय के प्रकटीकरण; तथा (ग) प्राप्ति बजट और संघ सरकार के वित्त लेखों के माध्यम से दर्शाई गई वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में भिन्नता नोट की गई।

**(पैरा 6.1)**

₹1,72,894 करोड़ की वापसियां (करों की वापसी राशि पर ब्याज सहित) वित्त वर्ष 2016-17 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहणों में से की गई थीं लेकिन सरकारी लेखों में तदनुरूपी प्रकटीकरण नहीं किया गया।

**(पैरा 6.2)**

एफआरबीएम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत अधिदेशित तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत प्रकटीकरण विवरणों में कर-भिन्न राजस्व और आस्तियों के प्रकटीकरण के संबंध में असंगति प्रतिबिंबित हुई।

**(पैरा 6.3)**

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य)  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह                                   | कर्मचारियों की संख्या |          |             |           | गत कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |             |           |              |          |             |     |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----|----------------|-------------|
|                                        |                       |          |             |           | सीधी भर्ती से                                             |          |             |           | प्रोन्नति से |          |             |     | अन्य तरीकों से |             |
|                                        | कुल                   | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल                                                       | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल          | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | कुल | अनु. जा.       | अनु. ज. जा. |
| 1                                      | 2                     | 3        | 4           | 5         | 6                                                         | 7        | 8           | 9         | 10           | 11       | 12          | 13  | 14             | 15          |
| समूह क                                 | 540                   | 97       | 40          | 76        | 7                                                         | 2        | 1           | 4         | 11           | 3        | 12          | 10  | 1              | 0           |
| समूह ख                                 | 264                   | 35       | 30          | 31        | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 29           | 4        | 0           | 1   | 0              | 0           |
| समूह ग                                 | 234                   | 82       | 6           | 30        | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 4   | 0              | 0           |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी<br>को छोड़कर) | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी)              | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| कुल जोड़                               | 1038                  | 214      | 76          | 137       | 7                                                         | 2        | 1           | 4         | 40           | 7        | 12          | 15  | 1              | 0           |

अनुबंध-II

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य)  
निःशक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| सीधी भर्ती |                       |        |         |       |                     |         |       |     |                       |         |       | प्रोन्नति |                     |       |     |        |                       |       |  |  |
|------------|-----------------------|--------|---------|-------|---------------------|---------|-------|-----|-----------------------|---------|-------|-----------|---------------------|-------|-----|--------|-----------------------|-------|--|--|
| समूह       | कर्मचारियों की संख्या |        |         |       | आरक्षित             |         |       |     | की गई                 |         |       |           | आरक्षित             |       |     |        | की गई                 |       |  |  |
|            |                       |        |         |       | रिक्तियों की संख्या |         |       |     | नियुक्तियों की संख्या |         |       |           | रिक्तियों की संख्या |       |     |        | नियुक्तियों की संख्या |       |  |  |
|            | कुल                   | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा.              | श्र.वि. | अ.वि. | कुल | दृ.बा.                | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा.    | श्र.वि.             | अ.वि. | कुल | दृ.बा. | श्र.वि.               | अ.वि. |  |  |
| 1          | 2                     | 3      | 4       | 5     | 6                   | 7       | 8     | 9   | 10                    | 11      | 12    | 13        | 14                  | 15    | 16  | 17     | 18                    | 19    |  |  |
| समूह क     | 540                   | 0      | 0       | 3     | -                   | -       | 1     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | -   | -      | -                     | -     |  |  |
| समूह ख     | 264                   | 0      | 3       | 4     | -                   | -       | -     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | 1   | -      | -                     | 1     |  |  |
| समूह ग     | 234                   | 0      | 0       | 3     | -                   | -       | -     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | -   | -      | -                     | -     |  |  |
| समूह घ     | 0                     | 0      | 0       | 0     | -                   | -       | -     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | -   | -      | -                     | -     |  |  |
| जोड़       | 1038                  | 0      | 3       | 10    | -                   | -       | 1     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | 1   | -      | -                     | 1     |  |  |

राष्ट्रीय बचत संस्थान, नई दिल्ली  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह                                | कर्मचारियों की संख्या |          |             |           | गत कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |             |           |              |          |             |     |                |             |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----|----------------|-------------|
|                                     |                       |          |             |           | सीधी भर्ती से                                             |          |             |           | प्रोन्नति से |          |             |     | अन्य तरीकों से |             |
|                                     | कुल                   | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल                                                       | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल          | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | कुल | अनु. जा.       | अनु. ज. जा. |
| 1                                   | 2                     | 3        | 4           | 5         | 6                                                         | 7        | 8           | 9         | 10           | 11       | 12          | 13  | 14             | 15          |
| समूह क                              | 6                     | 2        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| समूह ख                              | 18                    | 2        | 2           | 3         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 1              | 0           |
| समूह ग                              | 37                    | 11       | 4           | 12        | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 1            | 1        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी को छोड़कर) | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी)           | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |
| कुल जोड़                            | 61                    | 15       | 6           | 15        | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 1            | 1        | 0           | 0   | 1              | 0           |

अनुबंध-II

राष्ट्रीय बचत संस्थान, नई दिल्ली  
निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (पीडब्ल्यूडी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |         |          |        | गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |        |     |                       |          |        |         |                     |        |     |         |                       |        |
|--------|-----------------------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------|--------|-----|-----------------------|----------|--------|---------|---------------------|--------|-----|---------|-----------------------|--------|
|        |                       |         |          |        | सीधी भर्ती                                           |          |        |     | प्रोन्नति             |          |        |         |                     |        |     |         |                       |        |
|        |                       |         |          |        | आरक्षित                                              |          |        |     | की गई                 |          |        |         | आरक्षित             |        |     |         | की गई                 |        |
|        |                       |         |          |        | रिक्तियों की संख्या                                  |          |        |     | नियुक्तियों की संख्या |          |        |         | रिक्तियों की संख्या |        |     |         | नियुक्तियों की संख्या |        |
|        | कुल                   | दृ. बा. | श्र. वि. | अ. वि. | दृ. बा.                                              | श्र. वि. | अ. वि. | कुल | दृ. बा.               | श्र. वि. | अ. वि. | दृ. बा. | श्र. वि.            | अ. वि. | कुल | दृ. बा. | श्र. वि.              | अ. वि. |
| 1      | 2                     | 3       | 4        | 5      | 6                                                    | 7        | 8      | 9   | 10                    | 11       | 12     | 13      | 14                  | 15     | 16  | 17      | 18                    | 19     |
| समूह क | 6                     | 0       | 0        | 0      | -                                                    | -        | -      | -   | -                     | -        | -      | -       | -                   | -      | -   | -       | -                     | -      |
| समूह ख | 18                    | 0       | 0        | 0      | -                                                    | -        | -      | -   | -                     | -        | -      | -       | -                   | -      | -   | -       | -                     | -      |
| समूह ग | 37                    | 0       | 0        | 0      | -                                                    | -        | -      | -   | -                     | -        | -      | -       | -                   | -      | -   | -       | -                     | -      |
| समूह घ | 0                     | 0       | 0        | 0      | -                                                    | -        | -      | -   | -                     | -        | -      | -       | -                   | -      | -   | -       | -                     | -      |
| जोड़   | 61                    | 0       | 0        | 0      | -                                                    | -        | -      | -   | -                     | -        | -      | -       | -                   | -      | -   | -       | -                     | -      |

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, मुंबई  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह                                   | कर्मचारियों की संख्या |         |           |         | गत कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |         |           |         |              |         |           |     |                |           |
|----------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|-----|----------------|-----------|
|                                        |                       |         |           |         | सीधी भर्ती से                                             |         |           |         | प्रोन्नति से |         |           |     | अन्य तरीकों से |           |
|                                        | कुल                   | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल                                                       | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल          | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | कुल | अनु.जा.        | अनु.ज.जा. |
| 1                                      | 2                     | 3       | 4         | 5       | 6                                                         | 7       | 8         | 9       | 10           | 11      | 12        | 13  | 14             | 15        |
| समूह क                                 | 3                     | 0       | 0         | 1       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |
| समूह ख                                 | 8                     | 1       | 0         | 0       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |
| समूह ग                                 | 12                    | 2       | 0         | 4       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी<br>को छोड़कर) | 0                     | 0       | 0         | 0       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी)              | 0                     | 0       | 0         | 0       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |
| कुल जोड़                               | 23                    | 3       | 0         | 5       | 0                                                         | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0   | 0              | 0         |

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, मुंबई  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |         |       |        | गत कैलेण्डर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |       |     |        |                     |       |        |         |                       |     |        |         |       |    |
|--------|-----------------------|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------------------|-------|--------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|-------|----|
|        |                       |         |       |        | सीधी भर्ती                                                 |       |     |        |                     |       |        |         | प्रोन्नति             |     |        |         |       |    |
|        | आरक्षित               |         |       |        | की गई                                                      |       |     |        | आरक्षित             |       |        |         | की गई                 |     |        |         |       |    |
|        | रिक्तियों की संख्या   |         |       |        | नियुक्तियों की संख्या                                      |       |     |        | रिक्तियों की संख्या |       |        |         | नियुक्तियों की संख्या |     |        |         |       |    |
| कुल    | दृ.बा.                | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा. | श्र.वि.                                                    | अ.वि. | कुल | दृ.बा. | श्र.वि.             | अ.वि. | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि.                 | कुल | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. |    |
| 1      | 2                     | 3       | 4     | 5      | 6                                                          | 7     | 8   | 9      | 10                  | 11    | 12     | 13      | 14                    | 15  | 16     | 17      | 18    | 19 |
| समूह क | 3                     | 0       | 0     | 0      | -                                                          | -     | -   | -      | -                   | -     | -      | -       | -                     | -   | -      | -       | -     | -  |
| समूह ख | 8                     | 0       | 0     | 1      | -                                                          | -     | -   | -      | -                   | -     | -      | -       | -                     | -   | -      | -       | -     | -  |
| समूह ग | 12                    | 0       | 0     | 0      | -                                                          | -     | -   | -      | -                   | -     | -      | -       | -                     | -   | -      | -       | -     | -  |
| समूह घ | 0                     | 0       | 0     | 0      | -                                                          | -     | -   | -      | -                   | -     | -      | -       | -                     | -   | -      | -       | -     | -  |
| जोड़   | 23                    | 0       | 0     | 1      | -                                                          | -     | -   | -      | -                   | -     | -      | -       | -                     | -   | -      | -       | -     | -  |

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह         | कर्मचारियों की संख्या |         |           |         | गत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्थात् 2018 में की गई नियुक्तियों की संख्या |         |           |         |              |         |           |                |         |           |
|--------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
|              |                       |         |           |         | सीधी भर्ती से                                                         |         |           |         | प्रोन्नति से |         |           | अन्य तरीकों से |         |           |
|              | कुल                   | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल                                                                   | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल          | अनु.जा. | अनु.ज.जा. | कुल            | अनु.जा. | अनु.ज.जा. |
| 1            | 2                     | 3       | 4         | 5       | 6                                                                     | 7       | 8         | 9       | 10           | 11      | 12        | 13             | 14      | 15        |
| अधिकारी      | 697                   | 95      | 42        | 189     | 24                                                                    | 2       | 0         | 3       | 83           | 13      | 5         | 0              | 0       | 0         |
| सचिव         | 82                    | 2       | 0         | 4       | 0                                                                     | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0              | 0       | 0         |
| कनिष्ठ सहायक | 2                     | 0       | 0         | 1       | 0                                                                     | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0              | 0       | 0         |
| मैसेंजर/कुक  | 2                     | 1       | 0         | 0       | 0                                                                     | 0       | 0         | 0       | 0            | 0       | 0         | 0              | 0       | 0         |
| कुल जोड़     | 783                   | 98      | 42        | 194     | 24                                                                    | 2       | 0         | 3       | 83           | 13      | 5         | 0              | 0       | 0         |

अनुबंध-II

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (पीडब्ल्यूडी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह    | कर्मचारियों की संख्या |        |         |       |        |         |                       |     |        |         |       |        |                     |       |     |        |         |       |                       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|-------|--------|---------------------|-------|-----|--------|---------|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|         | सीधी भर्ती            |        |         |       |        |         |                       |     |        |         |       |        | प्रोन्नति           |       |     |        |         |       |                       |  |  |  |  |  |
|         | आरक्षित               |        |         |       |        |         | की गई                 |     |        |         |       |        | आरक्षित             |       |     |        |         |       | की गई                 |  |  |  |  |  |
|         | रिक्तियों की संख्या   |        |         |       |        |         | नियुक्तियों की संख्या |     |        |         |       |        | रिक्तियों की संख्या |       |     |        |         |       | नियुक्तियों की संख्या |  |  |  |  |  |
|         | कुल                   | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि.                 | कुल | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा. | श्र.वि.             | अ.वि. | कुल | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. |                       |  |  |  |  |  |
| 1       | 2                     | 3      | 4       | 5     | 6      | 7       | 8                     | 9   | 10     | 11      | 12    | 13     | 14                  | 15    | 16  | 17     | 18      | 19    |                       |  |  |  |  |  |
| अधिकारी | 697                   | 10     | 5       | 11    | 2      | 2       | 0                     | 24  | 1      | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0     | 83  | 1      | 1       | 0     |                       |  |  |  |  |  |
| सचिव    | 82                    | 1      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0                     | 0   | 0      | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0     | 0   | 0      | 0       | 0     |                       |  |  |  |  |  |
| कनिष्ठ  |                       |        |         |       |        |         |                       |     |        |         |       |        |                     |       |     |        |         |       |                       |  |  |  |  |  |
| सहायक   | 2                     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0                     | 0   | 0      | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0     | 0   | 0      | 0       | 0     |                       |  |  |  |  |  |
| मैसेंजर | 2                     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0                     | 0   | 0      | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0     | 0   | 0      | 0       | 0     |                       |  |  |  |  |  |
| जोड़    | 783                   | 11     | 5       | 11    | 2      | 2       | 0                     | 24  | 1      | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0     | 83  | 1      | 1       | 0     |                       |  |  |  |  |  |

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| समूह                                | कर्मचारियों की संख्या |          |             |           | गत कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |             |           |              |          |             |     |                |             |  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----|----------------|-------------|--|
|                                     |                       |          |             |           | सीधी भर्ती से                                             |          |             |           | प्रोन्नति से |          |             |     | अन्य तरीकों से |             |  |
|                                     | कुल                   | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल                                                       | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | अ. पि. व. | कुल          | अनु. जा. | अनु. ज. जा. | कुल | अनु. जा.       | अनु. ज. जा. |  |
| 1                                   | 2                     | 3        | 4           | 5         | 6                                                         | 7        | 8           | 9         | 10           | 11       | 12          | 13  | 14             | 15          |  |
| समूह क                              | 339                   | 55       | 20          | 62        | 11                                                        | 4        | 0           | 3         | 63           | 0        | 0           | 3   | 0              | 1           |  |
| समूह ख                              | 1048                  | 157      | 86          | 153       | 34                                                        | 5        | 3           | 8         | 95           | 15       | 7           | 0   | 0              | 0           |  |
| समूह ग                              | 7531                  | 1488     | 664         | 941       | 13                                                        | 1        | 1           | 2         | 1273         | 361      | 124         | 3   | 0              | 0           |  |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी को छोड़कर) | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |  |
| समूह घ<br>(सफाई कर्मचारी)           | 0                     | 0        | 0           | 0         | 0                                                         | 0        | 0           | 0         | 0            | 0        | 0           | 0   | 0              | 0           |  |
| कुल जोड़                            | 8918                  | 1700     | 770         | 1156      | 58                                                        | 10       | 4           | 13        | 1431         | 376      | 131         | 6   | 0              | 1           |  |

अनुबंध-II

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)  
निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (पीडब्ल्यूडी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों  
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| सीधी भर्ती |                       |        |         |       |                     |         |       |     |                       |         |       | प्रोन्नति |                     |       |     |        |                       |       |  |  |
|------------|-----------------------|--------|---------|-------|---------------------|---------|-------|-----|-----------------------|---------|-------|-----------|---------------------|-------|-----|--------|-----------------------|-------|--|--|
| समूह       | कर्मचारियों की संख्या |        |         |       | आरक्षित             |         |       |     | की गई                 |         |       |           | आरक्षित             |       |     |        | की गई                 |       |  |  |
|            |                       |        |         |       | रिक्तियों की संख्या |         |       |     | नियुक्तियों की संख्या |         |       |           | रिक्तियों की संख्या |       |     |        | नियुक्तियों की संख्या |       |  |  |
|            | कुल                   | दृ.बा. | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा.              | श्र.वि. | अ.वि. | कुल | दृ.बा.                | श्र.वि. | अ.वि. | दृ.बा.    | श्र.वि.             | अ.वि. | कुल | दृ.बा. | श्र.वि.               | अ.वि. |  |  |
| 1          | 2                     | 3      | 4       | 5     | 6                   | 7       | 8     | 9   | 10                    | 11      | 12    | 13        | 14                  | 15    | 16  | 17     | 18                    | 19    |  |  |
| समूह क     | 339                   | 0      | 1       | 3     | 0                   | -       | 1     | 11  | -                     | -       | 1     | -         | -                   | -     | 0   | 0      | -                     | 0     |  |  |
| समूह ख     | 1048                  | 1      | 0       | 12    | 0                   | -       | 2     | 0   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | 50  | 0      | -                     | 1     |  |  |
| समूह ग     | 7531                  | 26     | 58      | 144   | 7                   | -       | 9     | 0   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | 679 | 1      | -                     | 3     |  |  |
| समूह घ     | 0                     | 0      | 0       | 0     | 0                   | -       | -     | -   | -                     | -       | -     | -         | -                   | -     | -   | -      | -                     | -     |  |  |
| जोड़       | 8918                  | 27     | 59      | 159   | 7                   | -       | 12    | 11  | -                     | -       | 1     | -         | -                   | -     | 729 | 1      | -                     | 4     |  |  |



### व्यय विभाग

#### 1. कार्मिक प्रभाग

1.1 कार्मिक प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के विनियमन, पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों और पदों के सृजन और उन्नयन के माध्यम से सरकारी स्थापनाओं की स्टाफ व्यवस्था और संवर्ग समीक्षाओं जैसे कार्मिक मामलों से संबंधित नियमों और विनियमों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली आदि जैसे विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

1.2 यह प्रभाग सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अन्य लाभों में बदलाव के ऐसे प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है जिनका आवर्ती वित्तीय निहितार्थ काफी अधिक होता है। किफायत उपायों और उपयोग प्रमाणपत्रों के माध्यम से व्यय की गुणता में सुधार जैसे उपायों के साथ-साथ व्यय प्रबंधन के संबंध में व्यापक अनुदेश कार्मिक प्रभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

1.3 यह प्रभाग सामान्य वित्तीय नियमावली और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली लागू करता है और उससे संबंधित स्पष्टीकरण/संशोधन जारी करता है, तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों के साथ समन्वय करता है। सामान्य वित्तीय निहितार्थ वाले सभी विधायी प्रस्तावों की जांच कार्मिक प्रभाग में की जाती है।

1.4 यह प्रभाग भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित सेवा मामलों पर कार्रवाई करता है। कार्मिक प्रभाग द्वारा वित्त मंत्री के कार्यालय को प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाती है।

1.5 यह प्रभाग व्यय विभाग के सम्पूर्ण प्रशासन का कार्य देखता है और समग्र रूप से वित्त मंत्रालय के संसदीय कार्य तथा आरटीआई मामलों के समन्वय के अलावा वित्त मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों/ निजी सचिवों के स्तर तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सभी संवर्ग भी नियंत्रित करता है।

#### 1.6 व्यय प्रबंधन आयोग

व्यय प्रबंधन आयोग का गठन, लोक व्यय की दक्षता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने, केन्द्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करने और राजकोषीय अनुशासन से समझौता किए बगैर विकास संबंधी व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राजकोषीय गुंजाइश सृजित करने के उपाय सुझाने के अधिदेश के साथ 04.09.2014 को किया गया था। आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जनवरी, 2015 में, अंतिम रिपोर्ट का भाग-I सितम्बर, 2015 में, भाग-II दिसम्बर, 2015 में और भाग-III मार्च, 2016 में प्रस्तुत किया था।

आयोग द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र हैं - राजकोषीय प्रबंधन, रक्षा व्यय, विद्यालयी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुकर बनाना, सार्वजनिक प्रापण, प्रयोक्ता प्रभार, उपकरणों को युक्तिसंगत बनाना, ब्याज व्यय, प्रशासनिक व्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, स्वायत्त निकाय, एलपीजी, केरोसीन, खाद्य एवं उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता तथा डीबीटी के माध्यम से बेहतर लक्ष्य प्राप्ति। ईएमसी से कहा गया है कि ऐसे क्षेत्रों का पता करें जहां कुशलता सुधार के लिए प्रक्रियाओं को सुकर बनाया जा सकता हो और जहां प्रदायगी व्यवस्था के पुनः संचालन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षमता का लाभ लिया जा सके।

आयोग की सिफारिशों को 20 मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया गया था जिनमें कार्यान्वयन हेतु व्यय विभाग भी शामिल है। आयोग की सिफारिश के अनुसार, भारत सरकार को देय गैर-कर प्राप्तियों को ऑनलाइन जमा कराने के लिए गैर-कर राजस्व पोर्टल की स्थापना की गई है। सरकारी क्रेताओं द्वारा सामान्य प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए आद्योपांत प्रापण प्रणाली के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल की स्थापना की गई है। खरीद के संबंध में प्राधिकार-पूर्व प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए पीएफएमएस प्रणाली तैयार की गई है और संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 जारी कर दी गई है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों के डिजिटिकरण, यूरिया के इतर प्रयोग को रोकने के लिए यूरिया की नीम कोटिंग, मध्य-कालिक ऋण प्रबंधन रणनीति को अंतिम रूप देने, राज्यों को पीएफएमएस के जरिए सटीक समय पर निधि जारी करने, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को तर्कसंगत बनाने, उपकरण प्राप्तियों को युक्तिसंगत बनाने, योजना तथा गैर-योजना व्यय के वर्गीकरण के बीच भेद को दूर करने, बच्चों के दाखिले तथा उपस्थिति पर नजर रखने के लिए स्कूल डाटाबेस का उन्नयन, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना की तत्काल निगरानी के लिए स्वचालित निगरानी प्रणाली, निःशुल्क दवाई नीति की अधिसूचना, स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों (डीएचएस) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के बीच बेहतर समन्वय की रूपरेखा, समृद्ध उपभोक्ताओं के एलपीजी राज-सहायता से निष्कासन और केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए कार्रवाई की है।

आयोग की सिफारिश के अनुसार, व्यय विभाग की वेबसाइट में स्वायत्त निकायों से संबंधित डाटाबेस स्थापित किया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों से संबंधित डाटा अपलोड किया है। वित्त वर्ष 2017-18 से स्वायत्त निकायों को दी गई सहायता संबंधी विवरण व्यय प्रोफाइल में दिया गया है। नए स्वायत्त संगठनों की स्थापना, स्वायत्त निकायों के प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा, स्वायत्त निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र तथा स्वायत्त निकायों और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित विवरण जारी कर दिया गया है।



नीति आयोग ने केन्द्र सरकार के तहत सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (एसआरए), 1860 के अंतर्गत निगमित स्वायत्त निकायों की समीक्षा की है और मंत्रालय/विभाग नीति आयोग समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार स्वायत्त निकायों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

### 1.7 सातवां वेतन आयोग और वेतन एवं भत्तों से संबंधित मुद्दे:

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बल कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों आदि के संबंध में वेतन और पेंशन से संबंधित मामलों के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की 19 नवम्बर, 2015 को सरकार को प्रस्तुत सिफारिशें जुलाई, 2016 में सरकार ने स्वीकार कर ली थीं। सरकार ने मई, 2017 में पेंशन के पुनरीक्षण के मुद्दे के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत सूत्र को उपांतरित करके निर्धारित कल्पित वेतन सूत्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया था। विभिन्न भत्तों पर आयोग की सिफारिशों को 01.07.2017 से कार्यान्वित किया गया है।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चयों से सशस्त्र बलों के कार्मिकों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए जिनमें सशस्त्र बल कार्मिकों सहित लगभग 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

### 1.8 कर्मचारी निरीक्षण एकक:

कर्मचारी निरीक्षण एकक वर्ष 1964 से कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य पदों को युक्तिसंगत बनाने और कार्य निष्पादन मानक एवं कार्य मानदंड विकसित करने के लिए निरीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी स्थापनाओं/संगठनों की स्टाफ-व्यवस्था की समीक्षा करना है। कर्मचारी निरीक्षण एकक, दक्षता का त्याग किए बगैर संगठनात्मक दक्षता सुधारने की दृष्टि से कार्य को सरल बनाने की भी जांच करता है। कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा गठित समिति के मुख्य सदस्य के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों का अध्ययन किया जाता है। वित्त सलाहकार कर्मचारी निरीक्षण एकक और मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों के बीच की मुख्य कड़ी हैं। कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा स्टाफिंग अध्ययन के सभी अनुरोध संबंधित वित्त सलाहकार के माध्यम से भेजे जाते हैं। अध्ययन रिपोर्टें उस संगठन, जिसका अध्ययन किया गया है, के प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद जारी की जाती हैं और इन्हें संबंधित संगठन द्वारा लागू किए जाने के लिए अनिवार्य समझा जाता है।

### 1.9 वेतन अनुसंधान एकक:

वेतन अनुसंधान एकक की स्थापना 1968 में की गई थी और यह मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्तों पर किए गए वास्तविक व्यय तथा इन कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।

यह एकक केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का विश्लेषण करता है और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों के संबंध में वेतन तथा महंगाई भत्ते, मकान किराए भत्ते, परिवहन भत्ते, समयोपरि भत्ते, प्रतिपूरक भत्ते आदि जैसे विभिन्न प्रकार के भत्तों पर किए गए व्यय के संबंध में सांख्यिकीय सूचना तैयार करता है। यह स्वीकृत पदों और पदधारकों की मंत्रालय/विभाग-वार और समूहवार संख्या भी उपलब्ध कराता है।

### 1.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी निष्ठा से लागू किया जाता है और इस अधिनियम के तहत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हैं और अपील प्राधिकारी अपीलों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को तिमाही विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार, स्व-प्रेरणा से प्रकटन अनिवार्य बना दिया गया है।

2. वर्ष 2018-19 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भौतिक रूप से प्राप्त 1941 आवेदनों और 92 अपीलों तथा ऑनलाइन प्राप्त 4095 आवेदनों और 310 अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया गया था।

## 2. लोक वित्त-राज्य प्रभाग

### 2.1 विशेष सहायता:

केन्द्रीय बजट 2017-18 (ब.प्रा.) में वित्त मंत्रालय की मांग सं.40 "राज्यों को अंतरण" के तहत व्यय विभाग के 'विशेष सहायता' शीर्ष के तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट आबंटन प्रदान किया गया था। इसमें से 2018-19 के दौरान 4,685.81 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वर्ष 2018-19 में जारी की गई धनराशि में बिहार राज्य को 'बिहार के लिए विशेष योजना (राज्य घटक)' अब 'बिहार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज 2015' के तहत 739.47 करोड़ रुपए, जम्मू और कश्मीर राज्य को प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 85 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश राज्य को कुंभ मेले के आयोजन के लिए 1200 करोड़ रुपए, त्रिपुरा राज्य को प्रमुख निर्माण कार्यों में निवेश करने के लिए 1500 करोड़ रुपए और नगालैण्ड राज्य को 50% से अधिक भौतिक प्रगति वाली प्रमुख परियोजनाएं पूरी करने के लिए 226.80 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के ब्याज भुगतानों की प्रतिपूर्ति के रूप में 15.81 करोड़ रुपए, तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत 9 पिछड़े जिलों के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए, राजस्थान राज्य को रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी की औद्योगिक बहिस्साव प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन के लिए 146 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश राज्य को ईटानगर में होल्लोंगी स्थित ग्रीनफील्ड विमानपत्तन परियोजना के

भूमि संबंधी सभी निवेश-पूर्व कार्यकलापों के लिए 309.73 करोड़ रुपए और उत्तराखण्ड राज्य को मसूरी करबे की जल आपूर्ति स्कीम के लिए 8.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय को एक प्राधिकार पत्र जारी करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान ग्रामीण सड़क के उन्नयन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को 5.00 करोड़ रुपए और हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

## 2.2 विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, सामान्य श्रेणी के राज्यों को उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर हस्तांतरित कर दी जाती है जिन पर ये ऋणदाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होते हैं। तथापि, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें वे विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में अनुदानःऋण सहायता प्राप्त करते हैं। सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2018-19 के दौरान (मार्च, 2019 तक) राज्य सरकारों को 27300.84 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन (2018-19) की तुलना में 26598.18 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

## 2.3 राज्यों को वित्त आयोग के अनुदान

वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, वित्त आयोग के अनुदानों के माध्यम से भी राज्यों की सहायता की जाती है। 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ 24.02.2015 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। वर्ष 2018-19 चौदहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का चतुर्थ वर्ष है।

चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 32% से काफी बढ़ाकर 42% करते हुए, राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने; स्थानीय निकाय (ग्रामीण और शहरी, दोनों स्थानीय निकाय) अनुदानों; और राज्य आपदा मोचन कोष के लिए अनुदानों को पूरा करने के लिए 2015-20 की अवधि के लिए कुल 5.38 लाख करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से 1,94,821 करोड़ रुपए का अनुदान ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का राजस्व घाटा पूरा करने के लिए हैं और 2,87,436 करोड़ रुपए का अनुदान सभी राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों

दोनों के लिए मूल अनुदान (2,49,978 करोड़ रुपए) और निष्पादन अनुदान (37,458 करोड़ रुपए) के रूप में हैं।

सभी राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष की समग्र निधि के तौर पर 75% और विशेष दर्जे के राज्यों को 90% के केन्द्र सरकार के हिस्से के साथ अधिनिर्णय अवधि के लिए कुल 61,219 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है।

वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर 1,06,128.78 करोड़ रुपए के कुल बजट प्रावधान में से वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (34,582.00 करोड़ रुपए), स्थानीय निकाय अनुदान (49,463.45 करोड़ रुपए) और राज्य आपदा मोचन कोष में केन्द्र का हिस्सा (9,658.13 करोड़ रुपए) शीर्षों के तहत कुल 93,703.58 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बाद राज्यों द्वारा राहत और तत्काल बहाली उपाय शुरू किए जाने के लिए, राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 10,000.00 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, संविधान के भाग XI और XIक में शामिल न किए गए क्षेत्रों, जिन पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में विचार नहीं किया गया था, के लिए भी 475.29 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

## 2.4 राज्यों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन:

14वें वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए देश में राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए दूरगामी बदलाव किए हैं। परिणामस्वरूप, राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि और अपनी जरूरतों के अनुसार धनराशि का उपयोग करने के लिए अधिकाधिक स्वायत्ता मिली है। राज्यों को कुल अंतरण 2017-18 के 10.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 (सं.प्रा.) में 12.4 लाख करोड़ रुपए तथा 2019-20 (ब.प्रा.) में और बढ़ाकर 13.6 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं।

14वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा शून्य रखने और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखने के उद्देश्य से राज्यों के लिए एक संशोधित राजकोषीय रूपरेखा तैयार की है। राज्यों को अपना ऋण और जीएसडीपी अनुपात 25% के अंदर तथा ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति अनुपात 10% के अंदर बनाए रखने तथा पिछले वर्ष में भी राजस्व घाटा शून्य रखने की शर्त पर 3% की सामान्य सीमा के ऊपर जीएसडीपी के 0.5% तक के अतिरिक्त ऋण का विकल्प दिया गया है।

राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति इस प्रकार है:

| मद                                                    | 2016-17 (एफए)          | 2017-18 (सं.प्रा.) | 2018-19 (ब.प्रा.) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                       | जीडीपी के % के रूप में |                    |                   |
| राजस्व घाटा*                                          | 0.3                    | 0.4                | -0.2              |
| राजकोषीय घाटा (2016-17 के दौरान 'उदय' ऋणों को छोड़कर) | 3.5                    | 3.1                | 2.6               |
| बकाया ऋण और अन्य देयताएं                              | 23.8                   | 24.0               | 24.3              |

\*(-) राजस्व अधिशेष दर्शाता है।

(स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक)

## 2.5 ऋण

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की ऋण सीमाएं प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार पथ के अनुसार तय की जाती हैं। राज्यों को वर्ष 2018-19 के लिए 7.32 लाख करोड़ रुपए के सकल ऋणों (5.58 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण सहित निवल ऋण सीमा) की तुलना में 6.79 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण लेने की अनुमति दी गई थी। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए संस्तुत अतिरिक्त ऋण सहित वार्षिक ऋण सीमा 2017-18 के लिए 4.99 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 5.58 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है।

## 3. लोक वित्त केन्द्रीय प्रभाग

3.1 लोक वित्त (केन्द्रीय) प्रभाग मुख्यतः भारत सरकार की केन्द्रीय योजना से संबंधित सभी मुद्दे देखता है। इस प्रभाग में दो एकक हैं; लोक वित्त (केन्द्रीय-I) और लोक वित्त (केन्द्रीय-II)।

3.2 इस प्रभाग को सभी लोक वित्तपोषित स्कीमों और केन्द्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित कार्य सौंपा गया है। विकास स्कीमों और परियोजनाओं के संबंध में, बेहतर स्कीम/परियोजना निरूपण, निर्गमों, प्रदेय सेवाओं, प्रभाव आकलन और समाभिरूपता दृष्टिकोण पर बल देते हुए विकास व्यय की गुणता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम और केन्द्रित उपयोग के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों को पुनर्गठित करने का सतत् प्रयास किया जाता है।

3.3 लोक वित्त (केन्द्रीय) प्रभाग, "सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्संरचना ब्यूरो" (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना का कार्य देखता है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता के तौर-तरीके तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई. एंड ई.बी.आर. जेनरेशन की मात्रा के निर्धारण, उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने का कार्य भी करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के केपैक्स और आईईबीआर की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

3.4 यह प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित विभिन्न मुद्दे भी देखता है, जिनमें हितधारकों के लिए सहायता की मात्रा का निर्धारण एवं उसका प्रदान किया जाना शामिल है। यह प्रभाग, सरकार की सब्सिडी नीति तैयार करने में संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है ताकि सरकार पर न्यूनतम भार के साथ इसे सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके।

3.5 लोक वित्त (केन्द्रीय) प्रभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के साथ समन्वय करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लाभार्थियों के डाटा बेस को 'आधार' से जोड़े जाने और लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के

उपयोग से संबंधित मुद्दों पर भी कार्रवाई करता है ताकि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों, राजसहायता में शामिल सभी केन्द्रीय व्यय और अन्य व्यय के संबंध में आद्योपांत डिजिटिकृत सूचना उपलब्ध हो सके।

3.6 यह प्रभाग वर्ष 2020 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारपोरेट क्षेत्र से 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व' धनराशि और व्यक्तियों तथा लोकोपकारियों से अंशदान प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत कोष का रख-रखाव भी करता है।

3.7 यह प्रभाग नीति आयोग के परामर्श से सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परिणाम बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह निर्गम-परिणाम रूपरेखा, संगत मध्यावधि रूपरेखा में अभिनिर्धारित परिमेय परिणामों से संबंधित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए होगी तथा भौतिक एवं वित्तीय निर्गमों का लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर रखा जाता है। वर्ष 2018-19 के बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में एक समेकित परिणाम बजट 2018-19 संसद में पेश किया गया था।

3.8 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 3,82,758.30 करोड़ रुपए के 82 निवेश प्रस्तावों/स्कीमों की सिफारिश की।

3.9 इसी अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 56,407.98 करोड़ रुपए के 16 प्रस्तावों पर विचार किया और उनकी संस्तुति की।

3.10 मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईएफसी/पीआईबी/एसएफसी/डीआईबी प्रस्ताव अपलोड करने, संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त करने, बैठकों की तारीखें निर्धारित करने और अनुमोदन के बाद कार्यवृत्त प्रेषित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल अगस्त, 2017 से कार्य कर रहा है।

## 4. लोक प्रापण प्रभाग

4.1 लोक प्रापण समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और नियम तैयार किए जाने एवं केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना जैसे संबंधित मामलों के लिए इस विभाग में जून, 2011 में लोक प्रापण प्रकोष्ठ (पीपीसी) की स्थापना की गई थी। इस प्रकोष्ठ को धीरे-धीरे सुदृढ़ किया गया और प्रापण नीति प्रभाग नामक एक प्रभाग बनाया गया।

### 4.2 लोक प्रापण प्रभाग के कार्य

बाद में, लोक प्रापण प्रभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। यह प्रभाग अब निम्नलिखित कार्य देखता है:-

- (i) लोक प्रापण कानून एवं नियम, अधिसूचनाएं, उनके अंतर्गत आदेश;
- (ii) माल एवं सेवाओं के प्रापण और संविदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के

प्रशासन सहित लोक प्रापण संबंधी नीतियां; अनिवार्य अथवा अधिमान्य प्रापण संबंधी नीतियां;

- (iii) प्रापण संबंधी दस्तावेजों के मानकीकरण से संबंधित मामले;
- (iv) लोक प्रापण संबंधी सूचना प्रकाशित करने के लिए स्थापित केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल से संबंधित सभी मामले;
- (v) इलेक्ट्रॉनिक प्रापण संबंधी मामले;
- (vi) प्रापण का कार्य देखने वाले अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्यावसायिक मानक और इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण एवं प्रमाणन अपेक्षाएं;
- (vii) लोक प्रापण संबंधी मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ इंटरफेस।

#### 4.3 केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

- (i) लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और इसे [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पर देखा जा सकता है। इस समय, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण का इस पोर्टल पर ई-प्रकाशन 01 जनवरी, 2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है।
- (ii) इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण कार्यान्वित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों को 2 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण प्रारंभ करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ई-प्रापण के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ी है और प्रापण में अधिक दक्षता आई है। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिली है।
- (iii) इस समय, केन्द्रीय लोक प्रापण सुविधा का उपयोग करते हुए प्रति माह लगभग 1,10,000 निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप केवल केन्द्रीय लोक प्रापण के माध्यम से ही प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का प्रापण होता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे जैसे प्रापण संगठनों, ओनजीसी, भेल आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास अपने स्वयं के ई-प्रापण पोर्टल हैं।

#### 4.4 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस:

जीईएमके उन आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं, जो जीईएम के माध्यम से गैर-पीएफएमएस संगठनों/एजेंसियों/संस्थाओं (एनपीआई) को माल/सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, के लिए त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने

के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी एनपीआई, जो जीईएम पर आ जाएंगे, जीईएम पूल खाता नामक एक विशेष प्रयोजन खाता खोलेंगे और उसे संचालित करेंगे।

#### 4.5 क्षमता निर्माण:

यह आवश्यक है कि लोक प्रापण प्रक्रिया में लगे कार्यपालकों/अधिकारियों को लोक प्रापण के सभी संगत नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी हो। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से लोक प्रापण के संबंध में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्नत लोक प्रापण के संबंध में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि संबंधित कार्यपालकों/अधिकारियों को लोक प्रापण के सभी संगत नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके और उनसे उन्हें अवगत कराया जा सके। प्रतिवर्ष लगभग 2000 अधिकारी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

### 5. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

5.1 व्यय विभाग का हिंदी अनुभाग समय-समय पर यथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह अनुभाग केन्द्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समिति और केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रयोग के संबंध में दिए गए सुझावों और निर्देशों पर अनुवर्ती कार्यवाई के समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना, हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के नामांकन संबंधी कार्य में सहायता और हिंदी सप्ताह पखवाड़ा/दिवस का आयोजन करना भी इसके अन्य कार्यों में शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में विभाग के अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों के साथ मिलकर प्रयास किए जाते हैं।

5.2 विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाते हैं। वर्ष 2018 में, 2 कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

5.3 अन्य कार्यालयों/व्यक्तियों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों को परिपत्र जारी किए गए। 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में मूल हिंदी पत्राचार क्रमशः 68.6%, 59.2% और 37.1% था।

5.4 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें क्रमशः 20 जून, 2018, 30 अक्टूबर, 2018 और 26 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विभाग के अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर चर्चा की गई। जहां कमियां पाई गईं, उन्हें इन

कर्मियों को दूर करने और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का परामर्श दिया गया।

5.5 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से 28 मार्च, 2019 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 'हिंदी में कंप्यूटरों पर काम कैसे किया जाए' और 'कैसे सरल और उपयुक्त हिन्दी शब्दों का उपयोग किया जाए' विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इन दोनों कार्यशालाओं में 14-14 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों के लिए ये कार्यशालाएं बहुत उपयोगी रहीं।

5.6 जनवरी, 2019 में विभाग में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/संबद्ध कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से 8 अनुभागों और एक संबद्ध कार्यालय का निरीक्षण किया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद, संयुक्त सचिव (का.) के अनुमोदन से निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित अनुभागों को भेजी गईं जिनमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने/सुधारने के विभिन्न उपाय सुझाए गए।

5.7 इस विभाग के अनुभागों/कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त की गईं। 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए विभाग के कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टें (भाग-I और II) की राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा की गई और ये समीक्षा रिपोर्टें अनुवर्ती और आवश्यक कार्रवाई के लिए महालेखानियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को भेजी गईं।

5.8 संसद सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का तत्परता से उत्तर दिया गया और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

5.9 वर्ष 2018 के दौरान विभाग में 14 से 24 सितम्बर, 2018 तक "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया। "हिन्दी सप्ताह" के दौरान विभिन्न

प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें हिन्दी निबंध, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, राजभाषा हिंदी और सामान्य ज्ञान, हिंदी टंकण, विभागीय शब्दावली ज्ञान, श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिताएं शामिल थीं। इनके अतिरिक्त 01 से 30 सितम्बर, 2018 के दौरान अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने (न्यूनतम 2000 शब्द) के लिए एक अभियान चलाया गया। विभाग के 110 अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं/अभियान में उत्साह से भाग लिया।

5.10 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों के उत्तरों, विभाग के वेतन अनुसंधान एकक द्वारा प्रकाशित वेतन एवं भत्तों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर किया गया। वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर गुणतापूर्वक संपन्न किया गया।

## 6. एकीकृत वित्त एकक

6.1 एकीकृत वित्त एकक, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है और यह अनुदान संख्या 30 - व्यय विभाग के तहत व्यय और बजट से संबंधित प्रस्तावों पर काम करता है जिनमें (i) व्यय विभाग, महालेखानियंत्रक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, लागत लेखा शाखा और मुख्य लेखा नियंत्रक के लिए संस्थापना बजट को शामिल करते हुए सचिवालयी सामान्य सेवाएं; (ii) शासकीय लेखा और वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय निकाय (ए.जी.ए.ओ.ए.) हेतु अंशदान तथा नई पेंशन स्कीम के लिए केन्द्रीय रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी को सेवा प्रभारों के भुगतान से संबंधित बजट; और (iii) लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के लिए बजट को शामिल करते हुए अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

6.2 यह एकक अनुदान संख्या 36 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग और अनुदान संख्या 39 - पेंशन; के तहत व्यय की मॉनिटरिंग भी करता है।

संबंधित अनुदानों के अंतर्गत किया गया आबंटन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

| अनुदान सं.                             | बजट प्राक्कलन 2018-19 |       |          | संशोधित प्राक्कलन 2018-19 |       |          |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|----------|---------------------------|-------|----------|
|                                        | राजस्व                | पूंजी | जोड़     | राजस्व                    | पूंजी | जोड़     |
| 30 - व्यय विभाग                        | 413.33                | 0.00  | 413.33   | 341.02                    | 0.00  | 341.02   |
| 36 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग | 4630.12               | 0.00  | 4630.12  | 4826.01                   | 0.00  | 4826.01  |
| 39 - पेंशन                             | 47430.00              | 0.00  | 47430.00 | 47430.00                  | 0.00  | 47430.00 |

6.3 एकीकृत वित्त एकक ने व्यय विभाग से संबंधित वित्तीय और व्यय प्रस्तावों की शीघ्र जांच कर उनका निपटान किया है जिसमें परामर्शदाताओं की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति,

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों का यथोचित अनुपालन शामिल है।

6.4 अनुदान सं. 30, 36 और 39 के व्यय की प्रवृत्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है और सरकारी व्यय पर कड़ाई से नियंत्रण किया जा रहा है। एक समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से मासिक आधार पर सचिव (व्यय) को प्रस्तुत की जाती है।

## 7. मुख्य सलाहकार लागत

7.1 मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रभाग है। यह कार्यालय लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देता है तथा उनकी ओर से लागत जांच कार्य करता है। इसके कर्मचारी लागत लेखाकार/चार्टर्ड लेखाकार होते हैं।

7.2 मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, लागत निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए अध्ययनों, उपभोक्ता प्रभारों के संबंध में अध्ययनों, परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण, लागत कटौती के संबंध में अध्ययनों, लागत दक्षता, लाभप्रदता विश्लेषण तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखांकन से संबंधित आधुनिक प्रबंधन साधनों के अनुप्रयोग के मामले देखता है।

7.3 मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएस) का संवर्ग नियंत्रक कार्यालय भी है और आईसीओएस अधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण/तैनाती और समय से पदोन्नति का कार्य भी देखता है। यह कार्यालय भिन्न-भिन्न प्रतिभागी संगठनों में कार्यरत आईसीओएस अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के अलावा अधिकारियों के ज्ञान और कौशल में लगातार वृद्धि करने के लिए उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें भी देखता है।

7.4 मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय के कार्यकलापों में व्यापक रूप से ये शामिल हैं i) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को जटिल मूल्य/लागत संबंधी और अन्य वित्तीय मुद्दों पर परामर्श देना; ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आपूर्तिकर्ताओं के बीच क्रय करारों से उत्पन्न दावों की जांच/सत्यापन; iii) सरकार को आपूर्ति किए गए उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना ताकि सरकारी विभाग आपूर्तिकर्ता संगठनों के साथ मूल्य तय कर सकें; iv) लागत/उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए अध्ययन करना तथा उत्पादों और सेवाओं के लिए उचित मूल्यों/दरों की सिफारिशें करना तथा प्रभासित मूल्यों, शुल्क संरचना आदि का औचित्य भी निर्धारित करना; v) लागत/वित्त तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों में सरकार/भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में कार्य करना; vi) राज्य और केंद्र सरकार द्वारा हानियां साझा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीमों और मूल्य समर्थन स्कीमों के तहत सब्सिडी का निर्धारण एवं दावों का सत्यापन करना; vii) विभागीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए लागत लेखांकन प्रणाली विकसित करना; viii) प्रमुख परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि का अध्ययन करना।

7.5 जनवरी से दिसम्बर, 2018 के दौरान मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा 53 अध्ययन/रिपोर्टें पूरी की गईं। इस वर्ष

के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों में नीचे दिए क्षेत्र व्यापक रूप से शामिल हैं:

- **प्रणाली अध्ययन:** भारत सरकार के चंडीगढ़, मैसूर, राष्ट्रपति भवन, नीलोखेड़ी, कोयम्बतूर, मिंटो रोड, कोराती और टेम्पल स्ट्रीट, कोलकाता स्थित मुद्रणालयों के संबंध में विभिन्न वर्षों के लिए सामान्य प्रति घंटा दरों और उपरिव्यय प्रतिशत का निर्धारण।
- **उत्पादों/सेवाओं का उचित बिक्री मूल्य जहां सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम उत्पादक/सेवा प्रदाता के साथ-साथ प्रयोक्ता भी है:** वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा भिलाई स्टील प्लांट से भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई रेलवे पटरी के उचित मूल्य का निर्धारण; वर्ष 2015-16 के लिए एनजीएडीयू के लिए गणना का उचित मूल्य; वर्ष 2016-17 के दौरान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को यूरेनियम कंसन्ट्रेट की आपूर्ति के लिए देय मुआवजे का निर्धारण; वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा निर्मित/क्रय की गई साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली 'सहेली/नोवेक्स' का लागत अध्ययन; वर्ष 2014-15 के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य का निर्धारण, बैंक नोट प्रेस, देवास द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त बैंक नोटों के उचित मूल्य का निर्धारण; और मूल्य समर्थन स्कीम से मूल्य स्थिरीकरण कोष में स्थानांतरित दालों की अनंतिम लागत का पुनरीक्षण।
- **किसी अन्य की ओर से किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों का निर्धारण:** वर्ष 2016-17 के लिए नगालैंड में आलू की खरीद के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत दावों का पुनरीक्षण; वर्ष 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत दावों का पुनरीक्षण; वर्ष 2016-17 के लिए तमिलनाडु में ऑयल पाम ताज़े फलों के गुच्छों की खरीद के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत दावों का पुनरीक्षण; वर्ष 2015-16 में आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम ताज़े फलों के गुच्छों की खरीद के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत दावों का पुनरीक्षण और वर्ष 2016-17 की फसल के लिए राजस्थान में लहसुन की खरीद के लिए बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत दावों का पुनरीक्षण।
- **सब्सिडी निर्धारण:** विभिन्न फसलों/वस्तुओं के लिए मूल्य समर्थन स्कीम के तहत हानियों की प्रतिपूर्ति और लाभों की वसूली के लिए नेफेड के दावों का पुनरीक्षण; वर्ष 2016-17 के लिए संसद भवन परिसर और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उत्तर रेलवे केटरिंग यूनिटों को सब्सिडी का भुगतान।

- **प्रयोक्ता प्रभार:** भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा सीडब्ल्यूसी को वर्ष 2016-17 के लिए देय भण्डारण प्रभारों का पुनरीक्षण।
- **विभागीय विनिर्माण इकाइयों के मामले में उपचय लेखांकन सिद्धांतों के संबंध में तुलन- पत्र:** टियर स्मोक यूनिट, सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर (ग्वालियर) का वर्ष 2017-18 के तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा का पुनरीक्षण।
- **अन्य अध्ययन:** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र योजना के तहत कार्यशील पूंजी फार्मूला का अध्ययन; भारत इलेक्ट्रॉनिक लि., इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और आईटीआई लि. द्वारा चलाई जा रही सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी-2011) परियोजना पर लगे अतिरिक्त लागत के पुनरीक्षण की रिपोर्ट; बीएसएफ-एसआरओ, नई दिल्ली के लिए खराब बुलेट प्रूफ वाहनों की डी-बुलेट प्रूफिंग के लिए लागत निर्धारण; मैसर्स एनएचपीसी लि. द्वारा कार्यान्वित यूरी-II एचईपी, सेवा-II एचईपी तथा मैसर्स एसजेवीएन लि. द्वारा कार्यान्वित रामपुर एचईवी-II के संबंध में अधिक समय और लागत का औचित्य; बाइमेर-सलाया-भोगत पाइपलाइन-ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 की लागत में संशोधन/वृद्धि की जांच; वित्त वर्ष 2010-11 से 2015-16 के लिए हल्दिया और एन्नोर में एलपीजी आयात सुविधा के लिए ओएमसी द्वारा इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लि. को भुगतान किए जाने वाले टर्मिनल शुल्क का निर्धारण; कोलम्बाइट-टेंटलाइट की आपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूला और पर्वतपुर सेंट्रल कोल माइन के लिए 'भूमि से इतर खान अवसंरचना' के लिए कोयला ब्लॉक के पूर्व आबंटि को देय मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन।

#### 7.6 संशोधित लागत प्राक्कलन समितियों में प्रतिनिधित्व

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 5 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24(35) पीएफ-II/2012 के अनुसरण में मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की लागत प्राक्कलनों में संशोधन संबंधी समितियों में प्रतिनिधित्व किया है। इस कार्यालय की संशोधित लागत समिति में परस्पर सक्रिय भूमिका ने संशोधित लागत प्राक्कलनों को तर्कसंगत बना दिया है।

#### 7.7 अन्य प्रमुख समितियों में प्रतिनिधित्व

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय के अधिकारियों ने लागत निर्धारण/वित्त/वाणिज्यिक लेखांकन में अपनी विशेषज्ञता के नाते बहु-विषयक अंतर-मंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष/ सदस्यों के रूप में भी कार्य किया है जैसे - राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण

प्राधिकरण; औषध विभाग, गवर्नर मंडल और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद की सोसाइटी। टीयर स्मोक यूनिट, बीएसएफ, टेकनपुर (ग्वालियर) की शासकीय निकाय; डाक विभाग, संचार मंत्रालय में "भारतीय डाक में लागत निर्धारण प्रणाली का आधुनिकीकरण" संबंधी समिति; केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समन्वित बड़ी/मध्यम, बाढ़ नियंत्रण और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय - नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में विशेष समिति; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय - बड़ी और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति; औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत विशेषज्ञों की स्थायी समिति; प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित 18 मासिक जर्नल के मौजूदा बिक्री मूल्य में वृद्धि के लिए समिति; (1) प्रिंट मीडिया (2) प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों (3) प्राइवेट सी एंड एस टीवी चैनलों, और (4) सोशल मीडिया के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन विज्ञापन दरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दर संरचना समिति; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय- एफएम रेडियो फेस-III के तहत प्राइवेट एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टर के साथ साझा की गई प्रसार भारती की भूमि, भवन और टॉवर अवसंरचना की किराया पुनर्विलोकन समिति और विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में ईएफसी/पीआईवी बैठकें।

### 8. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

#### 8.1 एनआईएफएम का परिचय

एनआईएफएम की स्थापना 1993 में एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। केन्द्र के वित्त मंत्री एनआईएफएम सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव (व्यय) इसके गवर्नर मंडल के अध्यक्ष हैं।

इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य 6 संगठित लेखाओं और वित्त सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों (परिवीक्षार्थियों) को प्रशिक्षण देना था। तथापि, गत वर्षों में इस संस्थान ने चार दीर्घावधि कार्यक्रमों और सक्रिय लघु अवधि कार्यक्रमों के साथ अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है। कुछ कार्यक्रमों का सार नीचे दिया गया है। इस प्रक्रिया में, एनआईएफएम लोक वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त करने में वित्त मंत्रालय के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाने में सफल हुआ है।

#### 8.2 मुख्य उपलब्धियां

एनआईएफएम उन कुछ स्वायत्त निकायों में से एक है जो वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर है। पिछले 3 वर्षों में एनआईएफएम के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

## वित्तीय कार्य-निष्पादन सारांश

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

|                                                       | 2016-17      | 2017-18         | 2018-19<br>(अनंतिम) | 2017-18 की तुलना<br>में वृद्धि |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>कुल राजस्व</b>                                     | <b>28.06</b> | <b>27.95</b>    | <b>36.76</b>        | <b>41%</b>                     |
| जिसमें से                                             |              |                 |                     |                                |
| लघु अवधि के प्रबंधन विकास कार्यक्रमों से राजस्व       | 15.88        | 15.50           | 26.02               | 68%                            |
| दीर्घावधि पाठ्यक्रमों और प्रायोजित अध्ययनों से राजस्व | 10.15        | 10.55           | 10.74               | 2%                             |
| मंत्रालय से अनुदान                                    | 0.70         | कोई अनुदान नहीं | कोई अनुदान नहीं     |                                |
| ब्याज + विविध                                         | 1.33         | 1.89            | 1.98                |                                |
| <b>निवल अधिशेष</b>                                    | <b>1.95</b>  | <b>1.98</b>     | <b>3.70</b>         | <b>87%</b>                     |

वर्ष 2016-17 और 2017-18 में दो कार्य हुए। एक कार्य 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन था जिसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय में वृद्धि हुई। दूसरा कार्य मंत्रालय के अनुदान में दो स्तरीय कटौती (वर्ष 2015-16 में 1.4 करोड़ रुपए से वर्ष 2017-18 में शून्य) करना था। यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के प्रभावों को दूर किया गया और राजस्व के साथ-साथ दर्शाए गए अधिशेष में काफी वृद्धि हुई। ऐसा विशेष रूप से अभिकल्पित अनेक प्रबंधन विकास कार्यक्रम के चलाए जाने से संभव हुआ जिन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

एनआईएफएम द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और संस्थान को अधिक से अधिक कार्य सौंपा जा रहा है। एनआईएफएम को एक प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय और नीतिगत मुद्दों के सभी क्षेत्रों में अपने अनुसंधान के सहयोग के माध्यम से पीएफएम में एक विचार मंच बनाने की परिकल्पना की गई है। एनआईएफएम द्वारा चलाए जा रहे प्रायोजित अध्ययनों में आर्थिक कार्य विभाग के लिए एनआईएफएम अनुसंधान कार्यक्रम, लोक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन जिसमें 15वें वित्त आयोग के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के राज्य वित्तों का अध्ययन तथा कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित संकल्प परियोजना के लिए वित्तीय मैनुअल तैयार करना शामिल है।

### 8.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईएफएम चार दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाता है। ये हैं:-

- विभिन्न लेखा और वित्त सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (छह माह की अवधि)।
- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा सशस्त्र बलों के मध्यम-स्तरीय अधिकारियों के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

ग) पीजीडीएम (वित्तीय बाजार): वित्तीय बाजार पर यह हाल ही में शुरू किया गया कार्यक्रम है और यह मुख्यतः निजी क्षेत्र से भागीदारों को आकर्षित करता है।

घ) डीजीआईए (सरकारी लेखे और आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा): सिविल लेखा विभाग के समूह-ख अधिकारियों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम।

अपने दीर्घावधि कार्यक्रमों के अलावा, एनआईएफएम वित्त एवं लोक वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। भागीदारों में राज्यों और केन्द्र के सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सशस्त्र बलों, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। कार्यक्रमों में विशिष्ट विषय शामिल हैं और इन्हें भागीदारों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका दृष्टिकोण बहु-आयामी है।

### 8.4 परिणामों को मापने का तरीका

एनआईएफएम को तत्काल मापने का तरीका है (क) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और (ख) अर्जित राजस्व। एनआईएफएम ने पिछले वर्ष प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि के साथ-साथ राजस्वों में भी काफी वृद्धि हासिल की है।

### 8.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में की गई पहलें

यद्यपि एनआईएफएम द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में समग्र देश से भागीदार आते हैं, एनआईएफएम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए भी विशेष प्रयास करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान एनआईएफएम द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कोहिमा और दीमापुर, नगालैंड में जीएसटी पर 10-12 जुलाई, 2018 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें भागीदारों की संख्या 100 थी।



2. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, गोमती त्रिपुरा के लिए पलातना, त्रिपुरा में 29 अक्तूबर, 2018 से 2 नवंबर, 2018 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें भागीदारों की संख्या 40 थी।
3. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों ने एनआईएफएम में खरीद, जीएसटी तथा बजटिंग एवं लेखांकन पर प्रत्येक माह आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया।

#### 8.6 दिव्यांग/विकलांग और अ.जा./अ.ज.जा. के साथ-साथ समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की गई पहलें

एनआईएफएम परिसर दिव्यांगों के अनुकूल है और अ.जा./अ.ज.जा. के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत पर विधिवत कार्रवाई की जाती है।

#### 8.7 जेंडर बजटिंग और महिलाओं का सशक्तिकरण

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को क्षमता निर्माण और अनुसंधान कार्य के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए केन्द्रीय नोडल केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जेंडर बजटिंग एक ऐसी स्कीम है जिसमें विकास योजना और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर जेंडर दृष्टिकोण तथा संवेदनशीलता शामिल है। यह महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जेंडर वचनबद्धताओं को बजटीय प्रावधानों में बदलने का एक साधन है। जेंडर समानता और सशक्तिकरण लाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट क्षेत्रों के साथ-साथ स्थानीय सरकारों के अधिकारियों के बीच जेंडर बजटिंग की धारणा और साधनों का प्रचार करने की जरूरत है। इस दिशा में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों में जेंडर बजट प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न नीतियों में वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होती है। वित्त मंत्रालय के व्यय बजट के विवरण 13 में उल्लिखित नीति निर्माण में जेंडर बजटिंग के लिए दो प्रकार के प्रावधान हैं। पहला है 100% महिला विशिष्ट स्कीम और दूसरा है 30% से 99% तक महिला उन्मुख स्कीम।

इस दिशा में एनआईएफएम ने वर्ष 2018-19 में जेंडर बजटिंग की तैयारी के लिए पक्ष समर्थन और विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए ठोस कदम उठाए थे।

1. इंडिया हेबिटेट सेंटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ-साथ कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारियों को दिसम्बर, 2018 में अपने मंत्रालय में अपने मंत्रालय में जेंडर बजटिंग कार्यक्रमों और स्कीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
2. अक्तूबर, 2018 में वी वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3. राज्य सरकारों के लिए जेंडर बजटिंग में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किए गए। निम्नलिखित राज्य इस प्रयास में शामिल थे:

- क) तेलंगाना
- ख) बिहार
- ग) उत्तराखंड

4. पीटीसी और डीजीए एंड आईए जैसे दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के साथ-साथ लघु-अवधि पाठ्यक्रमों के लिए जेंडर बजटिंग का सत्र उनके क्लासरूम सत्रों में सम्मिलित किया गया ताकि महिला सशक्तिकरण के प्रति उभरती अवधारणाओं और साधनों के रूप में जेंडर बजटिंग की महत्ता से उनका परिचय कराया जा सके। हाशिए पर छोटे क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

5. जेंडर रिसर्पोसिव बजटिंग पहल में तत्काल अनुसंधान की आवश्यकता है जिसमें मूल्यांकन डाटा पृथक्करण के साथ-साथ प्रभाव मूल्यांकन शामिल है। एनआईएफएम के पास अपने एफपीएम कार्यक्रम के तहत जेंडर मुद्दों पर कार्य करने के लिए एक अनुसंधान सहायक है।

#### 8.8 ई-गवर्नेंस पर इनपुट

**सरकार की नई पहलों पर ज्ञान का प्रचार:** जब कभी केन्द्र सरकार ने नई पहलों की शुरुआत की है, एनआईएफएम को सभी सरकारी इकाइयों को शामिल करते हुए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करने के लिए अधिदेश दिया गया है। इस अधिदेश की पूर्ति में एनआईएफएम ने जीईएम पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं।

**डिजिटल गवर्नेंस:** एनआईएफएम, एनईजीडी के तहत एक पार्टनर संस्थान है और यह सरकारी कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए ई-गवर्नेंस में सफलतापूर्वक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। एनआईएफएम में चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में निरपवाद रूप से ई-गवर्नेंस से संबंधित घटक शामिल है।

#### 9. महालेखानियंत्रक

9.1 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखांकन सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

9.2 महालेखानियंत्रक का कार्यालय, केन्द्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, ऋणों और विभिन्न राजकोषीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। वार्षिक विनियोजन लेखे (सिविल) और केन्द्रीय वित्त लेखे, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दस्तावेजों के साथ-साथ लेखे एक नज़र में नामक एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है और माननीय संसद सदस्यों को परिचालित की जाती है।

**9.3 कार्य:** केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, स्वरूप और प्रक्रिया से संबंधित नीतियां बनाना; केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, आय और लेखांकन प्रक्रिया का संचालन करना; सरकार की राजकोषीय नीतियों के

प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से केन्द्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार, समेकित एवं प्रस्तुत करना; कुशल नकदी प्रबंधन एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से मंत्रालयों/विभागों में प्रबंधन लेखांकन प्रणालियां शुरू करने में समन्वय एवं सहायता करना; सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करना तथा केन्द्र सरकार के नकद शेष के मिलान हेतु केन्द्रीय बैंक के साथ बातचीत करना; भारतीय सिविल लेखा सेवाओं के अंदर पर्यवेक्षण और प्रचालन दोनों स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और करियर प्रोफाइल में सुधार के लिए एक सुदृढ़ मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।

**9.4 वित्तीय रिपोर्टिंग - मासिक एवं वार्षिक:** महालेखानियंत्रक का कार्यालय केन्द्र सरकार के लेखाओं के मासिक समेकन के लिए जिम्मेदार है, आय, भुगतान, घाटे और इसके वित्तपोषण के स्रोतों के मासिक रुझानों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रति माह केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पिछले कुछ समय में यह दस्तावेज, बजट संबंधी अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन और निर्णय लेने के लिए एक एमआईएस संदर्भ के रूप में उभरा है। लोक कार्यपद्धति में पारदर्शिता लाने की सरकार की नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार के लेखाओं का सारांश भी प्रति माह इंटरनेट पर जारी किया जाता है। यह सामग्री वेबसाइट <http://www.cga.nic.in> पर देखी जा सकती है। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ इस कार्यालय ने शीघ्र प्रबंधन निर्णय लिए जाने के एक साधन के रूप में आय, भुगतान और घाटे के फ्लैश आंकड़े वित्त मंत्रालय को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न वित्तीय मानदंडों और लक्ष्यों पर निगरानी रखे जाने के लिए दैनिक फ्लैश आंकड़े मार्च महीने में उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रेष्ठतम पद्धतियों में विकास के साथ, महालेखानियंत्रक का कार्यालय वित्त वर्ष की समाप्ति के दो माह के अंदर भारत सरकार के अनंतिम लेखे भी तैयार करता है। पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त उच्च परिशुद्धता के स्तर से स्पष्ट है कि ये लेखे किस पेशेवर अंदाज में तैयार किए जाते हैं क्योंकि अनंतिम लेखाओं और अंतिम संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के बीच मामूली अंतर ही देखने में आए हैं; वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्र सरकार का वित्त एवं विनियोजन लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद में 12 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया था।

#### 9.5 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली का प्रारंभ वर्ष 2008 में हुआ था, जब केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 2008 के अपने बजट भाषण में पूर्व योजना आयोग की योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए विस्तृत निर्णय सहायक और प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में एक केन्द्रीय योजना निगरानी तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य योजना-वार और राज्य-वार जारी की जाने वाली धनराशि का सृजन करना और उसकी निगरानी करना है।

इसका मूलभूत उद्देश्य मजबूत आर्थिक विकास हासिल करना है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, जिला/ब्लॉक स्तर की एजेंसियों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित बड़ी धनराशि के लिए प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन और लेखांकन प्रणाली निर्धारित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य परिव्यय के अलावा परिणाम और वित्तीय लक्ष्यों के साथ-साथ भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर पर्याप्त ध्यान देना है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के लिए कोष प्रबंधन और ई-भुगतान हेतु एक वेब आधारित ऑनलाइन लेन-देन प्रणाली है।

2009 में इसके प्रारंभ से ही, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली ने तेजी से विकास किया है। आज लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली केन्द्रीय बजट के 60 प्रतिशत से अधिक के भुगतान की प्रोसेसिंग करता है, जिसमें मुख्यतः रक्षा और ब्याज भुगतान शामिल नहीं हैं। संक्षेप में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- |      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i    | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में शामिल योजनाओं की संख्या: 1131                                           |
| ii   | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत एजेंसियों की संख्या: 29,03,219                                  |
| iii  | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत बैंकों की संख्या: 264                                         |
| iv   | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीमों की संख्या: 417                              |
| v    | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में किए गए लेन-देन की संख्या: 208 करोड़                                           |
| vi   | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान की गई धनराशि: 4.76 लाख करोड़ |
| vii  | लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत बाह्य प्रणालियों की संख्या: 21                                |
| viii | किसी एक दिन में हुए अधिकतम लेन-देन: 64.06 लाख (18.03.2019)                                            |
| ix   | अब तक रोजकोष एकीकरण की स्थिति: 31 राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र                                              |

#### 9.6 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

➤ **साख-पत्र मोड के माध्यम से राजकोषीय एकल खाता (टीएसए):** सरकारी उधार की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों को धनराशि प्रदान करने की दक्षता को बढ़ाने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा सभी स्वायत्त निकायों को राजकोषीय एकल खाता (टीएसए) प्रणाली के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक बगैर किसी

एजेंसी बैंक को शामिल किए निर्दिष्ट सीमाओं, जो संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से निर्दिष्ट की गई हैं, जिस सीमा तक केवल किसी स्वायत्त निकाय द्वारा ही व्यय किया जा सकता है, वाले समनुदेशन लेखा के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों हेतु राजकोषीय एकल खाता के लिए प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करेगा। किसी स्वायत्त निकाय की मासिक व्यय योजना (एमडीपी), जैसा कि कार्यक्रम प्रभाग और आईएफडी द्वारा स्वीकृत किया गया हो, स्वायत्त निकाय में योजनाओं के कार्यान्वयन की गति और उक्त योजना के लिए स्वायत्त निकाय के पास उपलब्ध शेष अनुदान, उस स्वायत्त निकाय को ठीक समय पर धनराशि जारी करने का आधार बनाएगा और इस प्रकार ठीक समय पर धनराशि जारी करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा जो लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तावित प्रक्रिया और इस संबंध में हुई कार्रवाई का परिणाम है अपरिवर्तनीय साख-पत्र जो व्यय के संबंध में मंत्रालय के अधिकृत बैंक द्वारा स्वायत्त निकायों के बैंकर को जारी किया जाता है और जिसके संबंध में मंत्रालय को फिर लेखांकन सूचना भेजी जानी होती है। प्रायोगिक तौर पर इस प्रणाली की शुरुआत आईसीएमआर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2018 में की गई थी।

- **कर्मचारी वेतन निधि प्रणाली (ईपीएस):** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए विभाग द्वारा विकसित एचआरएमआईएस के पूरक के रूप में एक व्यापक कर्मचारी वेतन-पत्रक प्रणाली की संकल्पना की गई है और महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में इसे विकसित किया जा रहा है। अद्वितीय कर्मचारी पहचान संख्या का सृजन और प्राप्त करने से ऐसे किसी भी व्यक्ति जिस पर वित्तीय प्रभाव पड़ रहा हो, से प्रत्येक संबंधित मानव संसाधन घटना स्वतः इस एप्लीकेशन में प्रारंभ से लेकर सेवा की समाप्ति तक दर्ज हो जाएगी। समवर्ती केन्द्रीकृत सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना के लिए पेंशन अंशदान और संपूर्ण पेंशन प्राधिकार प्रोसेसिंग को व्यय प्रबंधन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के भाग II के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एचआरएमएस पैकेज के साथ एकीकरण को सुनिश्चित करते हुए इस एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस एप्लीकेशन को 3 स्तरीय संरचना (वेब स्तर, व्यवसाय स्तर और डाटाबेस स्तर) के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें उच्च कार्यनिष्पादन, मापन, उन्नत आंकड़ा एकीकरण, विकसित सुरक्षा, उच्च स्तरीय छूट और भविष्य में बड़ी संख्या में आंकड़ों पर कार्रवाई करने, विशेषकर गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के आहरण एवं संवितरण कार्यालयों जिनके अंतर्गत 8 लाख से अधिक कर्मचारी हैं को शामिल किया जाएगा। मंत्रालयों/विभागों के अतिरिक्त,

केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालय और सांविधिक एवं स्वायत्त संगठन भी अपने सभी मानव-संसाधन से संबंधित वित्तीय गतिविधियों को पूरा करने के लिए इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सुविधा को कार्यान्वित कर सकेंगे।

- **केन्द्रीकृत ऑनलाइन सामान्य भविष्य निधि प्रणाली:** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के प्रबंधन को पीएफएमएस में एक केन्द्रीकृत प्लेटफार्म पर संचालित कर दिया गया है जिससे अंशदाताओं को अपने खातों का संचालन करने में कोई परेशानी न हो। इसी प्रकार इस प्रणाली में किसी कर्मचारी का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर सामान्य भविष्य निधि शेष का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अंतरण करने की अपेक्षाओं को हटा दिया गया है। अंशदाताओं को प्रणाली पर मात्र एक बटन को दबाने से अपनी सामान्य भविष्य-निधि खाता की जानकारी और स्थिति प्राप्त हो जाती है।
- **केन्द्रीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग तंत्र:** भारत सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों में विकसित और कार्यान्वित यह प्रणाली न सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन प्रोसेसिंग और निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करती है, बल्कि इस व्यवस्था में उपयुक्त स्तर पर पेंशन प्रारंभ करने वाले विभाग से लेकर पेंशन संवितरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक संपूर्ण पणधारकों को जोड़ने का काम करती है।

## 9.7 मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ

वर्ष 2018-19 के दौरान एपीएमएस पोर्टल के माध्यम से लोक सभा (पीएसी शाखा) को निम्नलिखित सीएजी लेखापरीक्षा पैरा/पीएसी पैरा/विवरणात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:-

| क्र.सं. | विषय                        | प्रस्तुत/निपटाए गए पैरा |
|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 1.      | सी एवं एजी लेखापरीक्षा पैरा | 725                     |
| 2.      | पीएसी पैरा                  | 301                     |
| 3.      | ईएन                         | 68                      |

निगरानी प्रकोष्ठ के अलावा महालेखा नियंत्रक के कार्यालय ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के परामर्श से मौजूदा एपीएमएस पोर्टल को पूर्णतः ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपग्रेड कर दिया है जिससे स्कैनिंग कार्य या भौतिक प्रस्तुति से बचा जा सके। वर्ष 2018-19 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) व्यय विभाग के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सार के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

## 9.8 शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इन्फो), महालेखानियंत्रक, भारत सरकार की प्रशिक्षण शाखा है। शुरू-शुरू में इसे कर्मचारी

प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था। फरवरी, 1992 में इसकी स्थापना लेखांकन, प्रशासनिक मामलों तथा वित्तीय प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अपने प्रारंभ से लेकर अब तक यह संस्थान शासकीय लेखांकन और लोक वित्त प्रबंधन के क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के चेन्नै, कोलकाता, आइजोल और मुंबई में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसी) हैं।

इन्फो द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विषय इस प्रकार हैं:

- लेखांकन
- चेक-पूर्व भुगतान की प्रक्रिया
- लेखा का समेकन एवं एकीकरण
- पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया
- विदेशी सेवा के कारण वसूली, भुगतान एवं लेखांकन कार्य
- ऋण, अग्रिम, सहायता-अनुदान, गारंटी और निवेश
- आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु दिशानिर्देश
- सामान्य वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण
- धन का व्यय एवं भुगतान
- सेवा मामले
- सतर्कता और अभियोग संबंधी मामले
- व्यक्तिगत दावों पर पाठ्यक्रम
- विविध मामले जैसे, सरकारी खरीद, माल-भाड़ा और संविदा प्रक्रिया, बयाना राशि और प्रतिभूति जमा, भूमि एवं भवन, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- विनिर्माण लेखांकन
- राजस्व/व्यय खाता और बैंक समाधान

## 10. मुख्य लेखा नियंत्रक

**10.1** मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय की भुगतान और लेखांकन संरचना के समग्र प्रभारी हैं तथा 3 लेखा नियंत्रक, 1 उप लेखा नियंत्रक, 2 सहायक लेखा नियंत्रक, 36 वरिष्ठ लेखा अधिकारी और विभिन्न स्तरों के लगभग 300 अन्य स्टाफ सदस्य उनकी सहायता करते हैं।

### 10.2 मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन के कार्य

- आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की बजट संबंधी पांच अनुदानों के कार्य मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय से जुड़े हैं।

- मुख्य लेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय में पांच विभागों अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की निगरानी करते हैं।
- मुख्य लेखा नियंत्रक का एक अन्य मुख्य कार्य मुख्य लेखांकन अधिकारी (अर्थात् संबंधित विभाग के सचिव) और महालेखानियंत्रक को वित्तीय सूचना देना है। पांच विभागों के मासिक और वार्षिक लेखे जिनमें वित्त मंत्रालय की 8 मांगे/विनियोजन शामिल हैं, भारत सरकार के लेखाओं में समेकन के लिए महालेखानियंत्रक के कार्यालय को भेजे जाते हैं।
- लेखाओं की विभागीकरण योजना में एक लेखा प्रबंधन प्रणाली की परिकल्पना की गई है। मुख्य लेखा नियंत्रक विभागों में सचिवों की सूचना के लिए आय एवं व्यय की मासिक एवं तिमाही समीक्षा तैयार करते हैं। सार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं।
- आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक की जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध सभी आहरण और संवितरण कार्यालयों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों जिनमें सार्वजनिक भविष्य निधि, विशेष जमा योजनाएं और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी सरकारी योजनाओं का कार्य देखने वाले बैंक शामिल हैं, की लेखापरीक्षा का कार्य भी करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में लगभग 145 आहरण और संवितरण कार्यालय आते हैं।
- सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक को स्टाफ सहायता उपलब्ध करवाना।
- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होने वाले, स्वायत्त सेवानिवृत्ति मांगने वाले कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों के परिवारों/पेंशनभोगियों को पेंशन नियमों के तहत पेंशन का प्राधिकार देना।
- श्रीलंका, सिंगापुर, यूके और बर्मा की ओर से भारत में रहने वाले विदेशी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान।
- दूसरे देशों को दिए गए ऋणों का लेखांकन और निगरानी।
- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के तहत समग्र केन्द्र सरकार में कुल आय और भुगतान का लेखांकन तथा इस योजना की बचत निधि और बीमा निधि, दोनों घटकों में भारत सरकार की ब्याज देयता की गणना और लेखांकन।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा पैरा के निपटान की निगरानी।
- भारत की समेकित निधि के लिए धनराशि के अंतरण और भारत की समेकित निधि से लोक खातों में धनराशि

का अंतरण। आर्थिक कार्य विभाग में ऐसे 14, राजस्व विभाग में 2 और व्यय विभाग में एक कोष है।

- भारतीय लोक खाते में अनुरक्षित धनराशि के संबंध में विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण।
- एसपीएमसीआईएल के कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय इकाइयों और मंत्रालय में प्रशासनिक प्रभाग के साथ समन्वय रखते हुए टकसालों और मुद्रणालयों के निगमीकरण के पश्चात् एसपीएमसीआईएल के आमेलित कर्मचारियों के मिश्रित पेंशन, यथानुपात पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान संबंधी मामलों, 2016-पूर्व के पेंशन संशोधन मामलों आदि का निपटान।

### 10.3 महत्वपूर्ण कार्यों की मुख्य-मुख्य बातें

#### 10.3.1 : आंतरिक ऋण लेखांकन और रिपोर्टिंग:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई विस्तृत सूचना के आधार पर नए ऋण जारी करने के मामले से संबंधित सभी लेन-देन को ध्यान में रखते हुए नए ऋण जारी करना।
- अदा किए गए ऋणों का लेखांकन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यालय की बही में ऋण बकाया का भारतीय रिजर्व बैंक की बही के साथ मिलान और विवरण (14ए) तैयार किया जाना और बाद में महालेखानियंत्रक के कार्यालय के वित्त लेखा अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना शामिल है।
- रुपए ऋणों के समेकित सार का संकलन (ऋणों से संबंधित लेन-देन जिन पर आंतरिक ऋण एवं लेखा-अनुभाग में कार्य किया जाता है, उनका इस सार के तहत वर्णन किया जाता है)।
- खरीदी गई अथवा नकद शेष में अन्यथा रखी गई प्रतिभूतियों, शेयर आदि का लेखांकन; ब्याज या उन पर लाभांश।
- यहां उल्लिखित सभी ऋणों के संबंध में मूलधन और ब्याज के समय से भुगतान पर निगरानी रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई सभी प्रतिभूतियों का लेखांकन आदि।
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष से किए गए निवेश के लिए जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का लेखांकन।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां/बांड, तेल कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक कंपनियों को जारी किए गए भारत सरकार के विशेष बांड और सार्वजनिक खातों में रखे जाने वाले

डाक जीवन बीमा के तहत बकाया राशि की सुरक्षा के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का लेखांकन।

- भारत सरकार की विभिन्न बचत योजनाओं का लेखांकन।
- महालेखानियंत्रक के वित्त लेखा अनुभाग में प्रस्तुत किए जाने के लिए आंतरिक ऋण शेष का तिमाही और वार्षिक विवरण तैयार करना।
- सभी प्रतिभूतियों, ऋणों, विशेष प्रतिभूतियों, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड आदि के संबंध में मूलधन और ब्याज के समय से भुगतान की निगरानी रखना और डीजीबीए, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई से प्राप्त तिमाही विवरणों के साथ उनका मिलान करना।
- सार्वजनिक ऋण कार्यालय, मुम्बई और डीजीबीए, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई से प्राप्त मासिक और तिमाही विवरणों के साथ सभी कोषागार बिलों और नकद प्रबंधन बिलों का मिलान करना।
- केन्द्र सरकार के पूंजीगत परियोजना पर प्रभार्य ब्याज की औसत दर की गणना करना।

#### 10.3.2 वित्त मंत्रालय से राज्य सरकारों को धनराशि के अंतरण की निगरानी व्यवस्था

- महालेखानियंत्रक के तत्वावधान में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) के तहत राज्यों को जारी स्कीम-वार योजना राशि पीएसएमएस के पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस प्रणाली के तहत, "ऑशन" पोर्टल पर योजना वित्त-। प्रभाग से संस्वीकृतियां प्राप्त की जाती हैं। ये संस्वीकृतियां ऑशन पोर्टल पर स्वीकार की जाती हैं और निपटाई जाती हैं, जहां से यह डाटा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर भेजा जाता है।
- संस्वीकृतियां (हार्ड प्रतियों में) लोक वित्त राज्य (पीएसएमएस-1) प्रभाग सहित विभिन्न विभागों से प्राप्त होती हैं। इन संस्वीकृतियों पर पीएसएमएस पोर्टल पर कार्रवाई की जाती है। 29 राज्यों के संबंध में अंतर सरकारी परामर्श तैयार किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को फैक्स से भेज दिए जाते हैं। सिक्किम और दिल्ली राज्य सरकार के संबंध में अंतर सरकारी परामर्श विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली को भेजे जाते हैं।
- राज्य सरकार को पीएसएमएस पोर्टल के माध्यम से 111488.19 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान जारी किया गया था।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान (31.12.2018 तक) राज्य सरकार को 19463.86 करोड़ रुपए के ऋण (ब्लॉक ऋण एवं बैंक-टू-बैंक ऋण) जारी किए गए थे।

ड पीएफएमएस पोर्टल के लिए ई-लेखा कार्य की संस्वीकृतियों की प्रोसेसिंग के बीच समय अंतराल घटाकर एक दिन कर दिया गया है और इससे कार्य तत्समय आधार पर हो रहा है।

च. मूलधन और ब्याज की अदायगी में राज्य सरकार की किसी चूक की स्थिति में यह राशि इस कार्यालय के परामर्श पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित राज्य की समेकित निधि से काट ली जाती है।

### 10.3.3: 2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक) के दौरान राज्यों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा)

(दिसम्बर, 2018 तक)

(करोड़ रुपए)

| क्र. सं. | राज्यों का नाम  | 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष | 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अंतशेष | दिसम्बर, 2018 तक प्रदान किया गया कुल ऋण | दिसम्बर, 2018 तक अदा किया गया मूलधन | दिसम्बर, 2018 तक ब्याज | दिसम्बर, 2018 तक अंतशेष |
|----------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | 2               | 3                                            | 4                                     | 5                                       | 6                                   | 7                      | 8                       |
| 1        | आंध्र प्रदेश    | 10276.93                                     | 9311.99                               | 1656.44                                 | 823.79                              | 340.77                 | 10144.64                |
| 2        | अरुणाचल प्रदेश  | 93.66                                        | 166.25                                | 0.00                                    | 1.69                                | 9.02                   | 164.56                  |
| 3        | असम             | 735.42                                       | 1168.67                               | 82.15                                   | 98.89                               | 66.99                  | 1151.93                 |
| 4        | बिहार           | 10814.09                                     | 10165.50                              | 2052.67                                 | 662.43                              | 329.37                 | 11555.75                |
| 5        | छत्तीसगढ़       | 2472.05                                      | 2348.72                               | 555.65                                  | 143.44                              | 107.39                 | 2760.93                 |
| 6        | गोवा            | 655.60                                       | 1066.00                               | 60.05                                   | 52.15                               | 10.96                  | 1073.89                 |
| 7        | गुजरात          | 6515.00                                      | 5927.90                               | 1697.62                                 | 497.60                              | 281.85                 | 7127.92                 |
| 8        | हरियाणा         | 2201.09                                      | 2099.00                               | 99.17                                   | 122.67                              | 66.86                  | 2075.49                 |
| 9        | हिमाचल प्रदेश   | 1070.10                                      | 1075.61                               | 50.21                                   | 59.19                               | 60.62                  | 1066.62                 |
| 10       | जम्मू और कश्मीर | 1025.49                                      | 1027.63                               | 3.30                                    | 82.05                               | 57.26                  | 948.88                  |
| 11       | झारखण्ड         | 1569.14                                      | 2223.53                               | 242.98                                  | 123.74                              | 87.64                  | 2342.77                 |
| 12       | कर्नाटक         | 15034.05                                     | 14532.78                              | 1172.70                                 | 934.89                              | 502.92                 | 14770.59                |
| 13       | केरल            | 7197.20                                      | 7466.62                               | 355.54                                  | 458.56                              | 210.91                 | 7363.60                 |
| 14       | मध्य प्रदेश     | 15009.71                                     | 14707.30                              | 3035.39                                 | 837.18                              | 536.78                 | 16905.51                |
| 15       | महाराष्ट्र      | 7958.62                                      | 7048.47                               | 305.44                                  | 643.46                              | 288.98                 | 6710.46                 |
| 16       | मणिपुर          | 351.27                                       | 321.84                                | 0.00                                    | 29.81                               | 15.97                  | 292.03                  |
| 17       | मेघालय          | 168.57                                       | 165.50                                | 15.79                                   | 13.37                               | 9.21                   | 167.91                  |
| 18       | मिजोरम          | 213.27                                       | 206.86                                | 9.04                                    | 15.16                               | 11.95                  | 200.74                  |
| 19       | नगालैंड         | -343.80                                      | 116.66                                | 3.22                                    | 13.49                               | 6.38                   | 106.40                  |
| 20       | ओडिशा           | 7821.97                                      | 7575.65                               | 775.31                                  | 537.55                              | 212.47                 | 7813.41                 |
| 21       | पंजाब           | 3909.89                                      | 3992.68                               | 1292.77                                 | 309.87                              | 142.90                 | 4975.58                 |
| 22       | राजस्थान        | 12530.08                                     | 12024.36                              | 2287.98                                 | 506.17                              | 340.70                 | 13806.18                |
| 23       | सिक्किम         | -186.26                                      | 98.25                                 | 3.73                                    | 6.01                                | 5.50                   | 95.96                   |
| 24       | तेलंगाना        | 7906.68                                      | 8237.14                               | 346.84                                  | 340.21                              | 152.37                 | 8243.77                 |
| 25       | तमिलनाडु        | 16899.36                                     | 16049.95                              | 1507.02                                 | 905.68                              | 389.54                 | 16651.28                |
| 26       | त्रिपुरा        | -857.63                                      | 198.10                                | 0.30                                    | 19.92                               | 11.09                  | 178.48                  |
| 27       | उत्तराखंड       | 731.26                                       | 724.87                                | 92.82                                   | 30.17                               | 43.54                  | 787.52                  |
| 28       | उत्तर प्रदेश    | 13414.67                                     | 12733.01                              | 682.65                                  | 1108.47                             | 525.53                 | 12307.19                |
| 29       | पश्चिम बंगाल    | 5915.29                                      | 14017.57                              | 1077.09                                 | 780.84                              | 533.94                 | 14313.83                |
|          | <b>योग</b>      | 159464.98                                    | 156798.42                             | 19463.86                                | 10158.46                            | 5359.40                | 166103.82               |

**10.3.4 2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक) के दौरान व्यय विभाग द्वारा राज्यों को जारी किए गए सहायता-अनुदान का ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्यों का नाम  | अनुदान          |
|---------|-----------------|-----------------|
| 1.      | आंध्र प्रदेश    | 4952.21         |
| 2.      | अरुणाचल प्रदेश  | 230.06          |
| 3.      | असम             | 983.75          |
| 4.      | बिहार           | 2341.04         |
| 5.      | छत्तीसगढ़       | 1014.86         |
| 6.      | गोवा            | 47.11           |
| 7.      | गुजरात          | 2744.34         |
| 8.      | हरियाणा         | 549.06          |
| 9.      | हिमाचल प्रदेश   | 7315.70         |
| 10.     | जम्मू और कश्मीर | 10081.60        |
| 11.     | झारखण्ड         | 793.57          |
| 12.     | कर्नाटक         | 2324.30         |
| 13.     | केरल            | 4227.53         |
| 14.     | मध्य प्रदेश     | 2613.66         |
| 15.     | महाराष्ट्र      | 3409.06         |
| 16.     | मणिपुर          | 1559.23         |
| 17.     | मेघालय          | 314.42          |
| 18.     | मिजोरम          | 2042.03         |
| 19.     | नगालैंड         | 3193.65         |
| 20.     | ओडिशा           | 2839.67         |
| 21.     | पंजाब           | 506.92          |
| 22.     | राजस्थान        | 3014.14         |
| 23.     | सिक्किम         | 138.76          |
| 24.     | तेलंगाना        | 2099.30         |
| 25.     | तमिलनाडु        | 1213.54         |
| 26.     | त्रिपुरा        | 1599.85         |
| 27.     | उत्तराखंड       | 6191.86         |
| 28.     | उत्तर प्रदेश    | 1375.25         |
| 29.     | पश्चिम बंगाल    | 2230.72         |
|         | <b>योग</b>      | <b>71947.19</b> |

राजस्व विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता-अनुदान।

राजस्व के लिए राज्य सरकार को प्रदत्त मुआवजा 39541.00 करोड़ रुपए

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को चरणबद्ध ढंग से हटाने के कारण घटा

राज्य को जारी कुल सहायता अनुदान - 111488.19 करोड़ रुपए

**10.3.5: आंतरिक ऋण के मुख्य घटक के तहत शेष राशि (मुख्य लघु बचत एवं विशेष जमा राशि सहित)**  
(करोड़ रुपए)

| क्र.सं.          | स्कीम का नाम                                                                             | 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार शेष | जनवरी 17 से दिसम्बर 17 तक निवल वृद्धि | 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शेष | जनवरी 18 से दिसम्बर 18 तक निवल वृद्धि | 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार शेष |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                        | 3                                  | 4                                     | 5                                  | 6                                     | 7                                  |
| (करोड़ रुपए में) |                                                                                          |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |
| <b>क</b>         | <b>आंतरिक ऋण</b>                                                                         |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |
| 1                | बाजार ऋण                                                                                 | 4666033                            | 359443                                | 5025476                            | 366496                                | 5391972                            |
| 2                | अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को जारी विशेष प्रतिभूतियां                                      | 108525                             | -4401                                 | 104124                             | -4487                                 | 99637                              |
| 3                | क्षतिपूर्ति और अन्य बॉण्ड्स                                                              | 14161                              | 26772                                 | 40933                              | 5514                                  | 46447                              |
| 4                | 14 दिवसीय राजकोषीय बिल                                                                   | 106775                             | 42827                                 | 149602                             | -8226                                 | 141376                             |
| 5                | 91 दिवसीय राजकोषीय बिल                                                                   | 186766                             | 20698                                 | 207464                             | -28753                                | 178711                             |
| 6                | 182 दिवसीय राजकोषीय बिल                                                                  | 94456                              | -20611                                | 73845                              | 64419                                 | 138264                             |
| 7                | 364 दिवसीय राजकोषीय बिल                                                                  | 156534                             | -21545                                | 134989                             | 82107                                 | 217096                             |
| 8                | राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूतियां                                        | 310953                             | 119615                                | 430568                             | 97967                                 | 528535                             |
| 9                | विशेष प्रतिभूतियों के बदले जारी विक्रय प्रतिभूतियां                                      | 64818                              | -5000                                 | 59818                              | -12130                                | 47688                              |
| 10               | पीएलआई निधि से जारी विशेष प्रतिभूति                                                      | 20894                              | 0                                     | 20894                              | 0                                     | 20894                              |
| 11               | सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना, 2015                                                           | 0                                  | 6548                                  | 6548                               | 576                                   | 7124                               |
| 12               | स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015                                                             | 0                                  | 0                                     |                                    | 2450                                  | 2450                               |
| 13               | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां                             | 0                                  | 0                                     | 0                                  | 131533                                | 131533                             |
| <b>क</b>         | <b>कुल आंतरिक ऋण</b>                                                                     | <b>5729915</b>                     | <b>524346</b>                         | <b>6254261</b>                     | <b>697466</b>                         | <b>6951727</b>                     |
| <b>ख</b>         | <b>मुख्य लघु बचत योजनाएं</b>                                                             |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |
| 1.               | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के तहत शेष (केवल बैंक के माध्यम से संग्रहण)                 | 27270                              | 20436                                 | 47706                              | 25426                                 | 73132                              |
| 2.               | सुकन्या समृद्धि खाता                                                                     | 2564                               | 3292                                  | 5856                               | 4629                                  | 10485                              |
| 3.               | पीपीएफ-1968 स्कीम के तहत राशि का संग्रहण (केवल बैंक के माध्यम से संग्रहण)                | 329815                             | 56179                                 | 385994                             | 58146                                 | 444140                             |
| <b>ग</b>         | <b>विशेष जमा राशि एवं खाते</b>                                                           |                                    |                                       |                                    |                                       |                                    |
| 1                | विशेष जमा अधिवर्षिता और उपदान निधि - 1975 के तहत शेष                                     | 102960                             | -243                                  | 102717                             | -556                                  | 102161                             |
| 2                | राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां                                     | 9996                               |                                       | 9996                               |                                       | 9996                               |
| 3                | पेट्रोलियम बांड 10.5% तेल कम्पनी जी.ओ.आई.एस.बी. 2006                                     | 130923                             |                                       | 130923                             |                                       | 130923                             |
| 4                | परिसम्पति स्थिरीकरण निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां                                | 4486                               | -140                                  | 4346                               | -120                                  | 4226                               |
| 5                | भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां                                       | 16200                              |                                       | 16200                              |                                       | 16200                              |
| 6                | खाद सब्सिडी के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में खाद कम्पनियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां | 15705                              |                                       | 15705                              |                                       | 15705                              |
| 7                | आरईसी/यूटीआई/आईडीबीआई एवं अन्य को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां                          | 1546                               | 81                                    | 1627                               | 204                                   | 1831                               |
| <b>ग</b>         | <b>कुल विशेष जमा राशि और खाते</b>                                                        | <b>281816</b>                      | <b>-302</b>                           | <b>281514</b>                      | <b>-472</b>                           | <b>281042</b>                      |
|                  | <b>जोड़ (क+ख+ग)</b>                                                                      | <b>6371380</b>                     | <b>603951</b>                         | <b>6975331</b>                     | <b>785195</b>                         | <b>7760526</b>                     |



### 10.3.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

- क. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वित्त सलाहकारों के संशोधित चार्टर में मुख्य लेखा नियंत्रक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सार्वजनिक भविष्य निधि, विशेष जमा योजना और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना जैसी सरकारी स्कीमों में संचालित करने वाले बैंकों सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण कार्यालयों की लेखापरीक्षा पर ध्यान देती है। इसमें अलग-अलग स्कीम का मूल्यांकन, निगरानी और आकलन, सामान्य तौर पर आंतरिक नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन और विशेष तौर पर वित्तीय व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता और वित्तीय एवं लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आकलन शामिल है। जोखिम कारकों (परिणाम बजट में निहित कारकों सहित) की पहचान और निगरानी। वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक 39 इकाइयों (लगभग) की लेखापरीक्षा की गई।
- ख. ऐसी सभी प्रेषित धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है जो नियत समय-सीमा अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए टी+1 दिवस (अवकाश को छोड़कर) और टी+1 दिवस (निजी बैंकों के लिए अवकाश सहित) में

केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में सरकारी खाते में जमा नहीं कराई जाती। बैंकों को अपनी ग्राही शाखा में इस राशि के प्राप्त होने की तारीख से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक(सीएएस) नागपुर में भुगतान की तारीख तक की संपूर्ण अवधि के लिए दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना होता है।

### 10.3.7: उपलब्धियां

- 1) एनएसआई और भारतीय आर्थिक सेवा का कर्मचारी सूचना प्रणाली में पंजीयन।
- 2) बैंकों से बकाया दंडात्मक ब्याज की वसूली

पीपीएफ- 1968 और एससीएसएस-2004 स्कीम का संचालन करने वाले बैंकों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखानियंत्रक (वित्त) के कार्यालय द्वारा यह जांच करने के लिए की जाती है कि क्या सभी बैंक सीएएस, नागपुर में पीपीएफ और एससीएसएस स्कीमों के संबंध में संग्रहण नियत समय-सीमा में जमा करा रहे हैं या नहीं। यदि बैंक समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे तो उन पर दण्ड लगाया जाता है, "अनुमत अवधि से अधिक विलंब के मामले में (निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अवकाश सहित और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अवकाश को छोड़कर टी+1 दिन में) ऐसे विलंबित प्रेषण पर प्रत्यायित बैंकों द्वारा देय जुर्माना, 30 दिन तक विलंब के मामले में जमाकर्ता को देय ब्याज की लागू दर +0.5% और 30 दिन से अधिक विलंब के मामले में +1% होगा।

| पीपीएफ और एससीएसएस के संबंध में सभी बैंकों के विलंबित दण्डात्मक ब्याज का ब्यौरा (22.01.2019 की स्थिति के अनुसार) |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (रुपए में)                                                                                                       | (राशि रुपए में) |                 |                  |
|                                                                                                                  | पीपीएफ          | एससीएसएस        | जोड़             |
| <b>31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया</b>                                                                      | <b>7935897</b>  | <b>29541433</b> | <b>37477330</b>  |
| 2017-18 के दौरान लगाया गया                                                                                       | 779715          | 192432          | 972147           |
| 2017-18 के दौरान वसूला गया                                                                                       | -1785542        | 5180710         | 3395168.2        |
| 2017-18 के दौरान अमान्य और छोड़े गए                                                                              | 0               | 0               | 0                |
| <b>31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया</b>                                                                  | <b>10501154</b> | <b>24553155</b> | <b>35054309</b>  |
| 2018-19 के दौरान लगाया गया (22.01.2019 तक)                                                                       | 42937069        | 59990754        | 102927823        |
| <b>22.01.2019 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया</b>                                                                  | <b>53438223</b> | <b>84543909</b> | <b>137982132</b> |
| 2018-19 के दौरान वसूला गया (22.01.2019 तक)                                                                       | -302892         | 63626607        | 63323715         |
| 2018-19 के दौरान अमान्य और छोड़े गए (22.01.2019 तक)                                                              | 1032122         | 536724          | 1568846          |
| <b>22.01.2019 तक कुल बकाया</b>                                                                                   | <b>52708993</b> | <b>20380578</b> | <b>73089571</b>  |

- 3) लघु बचत योजनाओं में भाग लेने के लिए बैंक की शाखाओं को प्राधिकार प्रदान करना।

वित्त मंत्रालय की लघु बचत योजनाओं को चलाने के लिए किया गया है।

## 11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)

**11.1:** केन्द्रीय (सिविल) पेंशनभोगियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि को पेंशन के भुगतान और लेखांकन के लिए 01 जनवरी,

1990 को केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय महालेखानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसे अधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों (सिविल) के लिए पेंशन भुगतान की स्कीम के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:-

- पेंशन संवितरण बैंकों के केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्रों (सीपीपीसी) के नए तथा पेंशन संशोधन के मामलों में पेंशन

- के भुगतान के लिए अधिकृत करते हुए विशेष सील प्राधिकार (एसएसए) जारी करना;
- पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसका लेखांकन करना;
  - पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी की लेखापरीक्षा करना;
  - पीपीओ और संशोधन प्राधिकारों में उल्लिखित पूरे विवरण के साथ केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों के डाटा बैंक रखना।
  - केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों की शिकायतों पर कार्रवाई करना; और
  - एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर, वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, नई पेंशन स्कीम में शामिल पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को अनंतिम पेंशन का भुगतान।
- 11.2: उपलब्धियां:** केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पेंशन के नए और संशोधन के मामलों में बैंकों के केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्रों को विशेष सील प्राधिकार जारी करता है। वित्त वर्ष 2018-19 में पेंशन के नए और संशोधन मामलों में क्रमशः 45,400 और 2,82,887 प्राधिकार जारी किए गए थे।
- 11.3: सार्वजनिक सेवाओं की डिलिवरी में सुधार के प्रयासों सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं/लिए गए नीतिगत निर्णय**
1. इलेक्ट्रॉनिक - पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) परियोजना - पेंशन के लिए केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से 24 प्राधिकृत बैंकों के 39 केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्रों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-विशेष सील प्राधिकार को कागज - रहित बनाने का अभियान चल रहा है और सभी सीपीपीसी नए और संशोधन पेंशन मामलों में सीधे अपने एसएफटीपी सर्वरों में विशेष सील प्राधिकार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करवा रहे हैं।
  2. बारह डिजिट पेंशन भुगतान आदेश के नम्बर का ऑनलाइन आबंटन: 1 जनवरी, 2016 से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पीपीओ नम्बर के पेपर आधारित आबंटन से बचने के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए सीपीएओ की वेबसाइट पर पीपीओ नम्बर के ऑनलाइन आबंटन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे पेपरवर्क में कमी आई है और इस प्रक्रिया में पहले से अधिक तेजी आई है। इससे समय और डाक व्यय की बचत हुई है।
  3. शिकायत तंत्र - शिकायत निवारण तंत्र अब पूरी तरह से कार्य कर रहा है और कोई पेंशनभोगी टेलीफोन पर ट्रोल फ्री नंबर, वेबसाइट, ई-मेल, पत्र या निजी दौरे के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। पेंशनभोगियों के प्रश्नों और शिकायतों पर योग्य कार्मिकों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 में, प्राप्त कुल 90,550 शिकायतों का निपटान किया गया।
4. पेंशनभोगियों को सीपीएओ द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए सीपीएओ की वेबसाइट से विशेष सील प्राधिकार को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों को जारी की गई उनकी एसएसए की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अलग से सीपीएओ नहीं जाना पड़ता। यह सुविधा पेंशनभोगियों के लिए रिकॉर्ड की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
5. सभी बैंकों ने लगभग 9.10 लाख पेंशनभोगियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए पेंशन और बकाया के संशोधन का भुगतान सुनिश्चित किया है। सीपीएओ बैंकों से प्राप्त ई-स्कॉल के आधार पर सूचना का अलग से संकलन भी कर रहा है।
6. सीपीएओ ने वित्त वर्ष 2018-19 में 17 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की। वित्त वर्ष के दौरान कुल 677 लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा पैराओं का निपटान किया गया और उसी वित्त वर्ष में 407 नए लेखापरीक्षा पैराओं को प्रस्तुत किया गया।
- 11.4: सीपीएओ की ई-गवर्नेंस पहल**
- सीपीएओ पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कार्यालय है। पेंशन प्राधिकार, लेखांकन और शिकायत समाधान को सरल एवं कारगर बनाने के लिए इस कार्यालय में अनेक सॉफ्टवेयर/ पैकेज विकसित/कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
- (i) **पेंशन प्राधिकार, पुनःप्राप्ति एवं लेखांकन प्रणाली (पारस):-** प्राप्ति से प्रेषण तक सभी पेंशन प्रक्रमण कार्य पारस के माध्यम से किए जाते हैं। पारस का वेब इंटरफेस पेंशनभोगियों; भुगतान और लेखा कार्यालयों/मंत्रालयों और बैंकों को संबंधित सूचना प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा लगभग 13 लाख केन्द्रीय सिविल पेंशन मामलों पर कार्रवाई की गई है जिससे इन पेंशनभोगियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार हुआ है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा निगरानी प्रयोजनों के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें भी तैयार की जाती है।
  - (ii) **वेब प्रतिक्रियाशील पेंशनभोगी सेवा:-** भारत सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार लाकर, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर या तकनीक के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने को महत्व देता है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। माननीय केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने 14 सितंबर, 2016 को सीपीएओ की "वेब प्रतिक्रियाशील पेंशनभोगी सेवा" और 01 मार्च 2018 को इलेक्ट्रॉनिक

पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) का शुभारम्भ किया। यह सीपीआईओ के लिए केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों की सक्षम और प्रभावी रूप से सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक उपलब्धि है।

अब पेंशनभोगी पीपीओ संख्या, जन्म तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख के माध्यम से सीपीआईओ की वेबसाइट पर पंजीकरण करके निम्नलिखित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं:

**क) पेंशनभोगी प्रोफाइल:** पेंशनभोगी अपना मूल ब्यौरा और बैंक और पेंशन एवं लेखा कार्यालय का ब्यौरा भी देख सकते हैं। वे मोबाइल नं., ई-मेल और आधार नं. जैसा अपना सम्पर्क विवरण अद्यतन/प्रदान कर सकते हैं।

**ख) पेंशन और संशोधन आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड:** पेंशनभोगी पीपीओ एवं एसएसए संख्या और सीपीआईओ से बैंकों को भेजे जाने की तारीख जैसे विवरण के साथ पेंशन के भुगतान को अधिकृत करते हुए सीपीआईओ से बैंकों को भेजे गए सभी पेंशन भुगतान और संशोधन आदेशों की सूची देख सकते हैं।

**ग) पेंशन/बैंकों को भेजे गए संशोधन आदेशों को डाउनलोड करने की सुविधा:** पेंशनभोगी सीपीआईओ की वेबसाइट से बैंकों को भेजे गए पेंशन/संशोधन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं।

**घ) पेंशन प्रक्रमण स्थिति का पता लगाना:** सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी सीपीआईओ में अपने मामलों की प्राप्ति की तारीख और सीपीआईओ से बैंक को भेजे जाने की तारीख जैसे नए और संशोधन मामलों में अपने पेंशन मामलों की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

**ङ) मासिक पेंशन भुगतान विवरण:** पेंशनभोगी पेंशन के मासिक भुगतान, जो बैंक द्वारा उनके खातों में जमा किया जाता है, का विवरण अर्थात् अपनी मूल पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा भत्ता, बकाया भुगतान आदि देख सकते हैं। यह जानकारी बैंकों से प्राप्त मासिक स्क्राल से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें पिछले छह भुगतान लेन-देन का विवरण दिखाया जाता है।

**च) शिकायत निवारण:** डेस्कटॉप कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, पेंशनभोगी अब अपने मोबाइल से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस खंड के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं/पता लगा सकते हैं। सीपीआईओ वेबसाइट पर अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के अतिरिक्त, पत्र, फैक्स, ई-मेल, टोल-फ्री नम्बर के जरिए और निजी तौर पर मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति का पता लगाने की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। पेंशनभोगियों से शिकायतें प्राप्त करने के बाद, सीपीआईओ निवारण के लिए उन्हें बैंकों और

क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन अग्रेषित कर रहा है और पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर इसकी स्थिति अद्यतन की जाती है।

**छ) एसएमएस सुविधा:** पेंशनभोगियों को अब सीपीआईओ जाती है।

**ज) जीवन प्रमाण, भविष्य और सीपीआईएनजी आरएमएस पोर्टल के लिए लिंक:** पेंशनभोगियों को नवम्बर माह में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सुविधा हेतु सीपीआईओ वेबसाइट पर जीवन प्रमाण पोर्टल के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है। शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल के साथ एक लिंक स्थापित किया गया है ताकि वे अपने पेंशन मामलों की स्थिति का, मामलों के सीपीआईओ में पहुंचने से पहले ही पता लगा सकें। सीपीआईएनजीआरएमएस (केन्द्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के लिए भी एक लिंक प्रदान किया गया है ताकि यदि पेंशनभोगी चाहें तो सीपीआईएनजीआरएमएस में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और स्थिति का पता लगा सकें।

**झ) डैशबोर्ड:** निगरानी की दृष्टि से, निम्नलिखित को सार्थक एमआईएस रिपोर्टों के साथ डैशबोर्ड सुविधा प्रदान की गई है:

**पेंशनभोगी:** पेंशनभोगियों के डैशबोर्ड में, व्यक्तिगत और पेंशन विवरण, पिछले छह भुगतान लेन-देन देखने, एसएसए देखने और डाउनलोड करने, शिकायतों के पंजीकरण और पता लगाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

**बैंक:** बैंक डैशबोर्ड में, बैंकों को पेंशनभोगियों की अग्रेषित शिकायतों के संबंध में विस्तृत सूचना और उनके निपटान की स्थिति सीपीपीसी और सरकारी लेखांकन प्रभागों/सरकारी कार्य इकाइयों के प्रमुखों को उपलब्ध कराई गई है।

**मंत्रालय/विभाग:** अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायतों की स्थिति का पता लगाने और शिकायतों के निपटान के लिए समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से भुगतान और लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा नियंत्रक और संयुक्त सचिव (प्रशासन) के लिए डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की तिमाही सूची अपलोड किए जाने के विवरण पर भी डैशबोर्ड प्रदान किया जा रहा है ताकि वे इन सूचियों को उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति और प्रक्रमण के लिए लम्बित ऐसे मामलों का पता लगा सकें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची की स्थिति वित्तीय सलाहकारों के डैशबोर्ड में भी उपलब्ध है।

**ज) सीपीआईओ की सोशल मीडिया पर उपस्थिति -** पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान

करने और उनकी शिकायतें दायर करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर केन्द्रीय लेखा पेंशन कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट का सृजन किया गया है। यह पेंशनभोगियों को सीपीएओ के साथ संपर्क और संचार स्थापित किए जाने के लिए उपलब्ध नवीनतम साधनों के अतिरिक्त है। पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों के लिए डब्ल्यूआरपीएस सुविधा, ई-संशोधन उपयोगिता के बेहतर उपयोग के लिए विभिन्न अनुदेशात्मक विडियो बनाए गए हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य पेंशन डिलीवरी तंत्र की दक्षता और प्रभाविता को बढ़ाने के लिए पेंशन वितरण के समेकित प्रक्रमण और लेखांकन स्थापित करना है।

(क) **ई-पीपीओ/ई-संशोधन:-** इस तंत्र का विकास, पेंशनभोगियों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से बैंकों के सीपीपीसी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार ऑनलाइन भेजे जाने के लिए किया गया है। इस समय, इस परियोजना के तहत सीपीएओ से सीपीपीसी को डिजिटली हस्ताक्षरित संशोधन प्राधिकार भेजे जा रहे हैं।

(ख)

**शिकायत निवारण प्रबंधन सॉफ्टवेयर:-** एनआईसी, सीपीएओ ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जहां पेंशनभोगियों से प्राप्त शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उन पर व्यवस्थित रूप में कार्रवाई की जाती है।

(ग)

**ई-स्कॉल सॉफ्टवेयर:-** सीपीएओ में त्वरित लेखांकन तथा समाधान के लिए सीपीपीसी से भुगतान एवं पावती स्कॉलों और भारतीय रिजर्व बैंक से 'पुट थू स्टेटमेंट' पर कार्रवाई करने के लिए यह सॉफ्टवेयर हाल ही में विकसित किया गया है और इसकी शुरुआत की गई है।

(घ)

**डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर:-** यह सॉफ्टवेयर पेंशनभोगियों के बैंक के डाटाबेस का सीपीएओ के डाटाबेस के साथ मिलान करने के लिए विकसित किया गया है और दोनों स्थानों पर डाटाबेस को हटाने तथा पूर्णतः एक-समान डाटाबेस तैयार करने के लिए एक्स्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।

व्यय विभाग  
अनु.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

| समूह   | अ.जा./अनु.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) |       |         |         |      |             |       |         |         |      | पिछले कैलन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |       |         |         |      |     |       |         |         |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|-------------|-------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|-----|-------|---------|---------|------|
|        | सीधी भर्ती से                                                                           |       |         |         |      | पदोन्नति से |       |         |         |      | अन्य तरीकों से                                          |       |         |         |      |     |       |         |         |      |
|        | कुल                                                                                     | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अन्य | कुल         | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अन्य | कुल                                                     | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अन्य | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अन्य |
| 1      | 2                                                                                       | 3     | 4       | 5       | 6    | 7           | 8     | 9       | 10      | 11   | 12                                                      | 13    | 14      | 15      | 16   | 17  | 18    | 19      | 20      | 21   |
| समूह क | 412                                                                                     | 62    | 26      | 66      | 258  | 08          | -     | 02      | 06      | -    | 27                                                      | 08    | 02      | -       | 17   | 01  | -     | -       | -       | 01   |
| समूह ख | 679                                                                                     | 120   | 34      | 85      | 440  | -           | -     | -       | -       | -    | 51                                                      | 07    | 02      | -       | 42   | 13  | 02    | -       | -       | 11   |
| समूह ग | 348                                                                                     | 84    | 14      | 82      | 168  | 30          | 04    | 01      | 11      | 14   | -                                                       | -     | -       | -       | -    | -   | -     | -       | -       | -    |
| योग    | 1439                                                                                    | 266   | 74      | 233     | 866  | 38          | 04    | 03      | 17      | 14   | 78                                                      | 15    | 04      | -       | 59   | 14  | 02    | -       | -       | 12   |

अनुबंध-II

व्यय विभाग  
दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

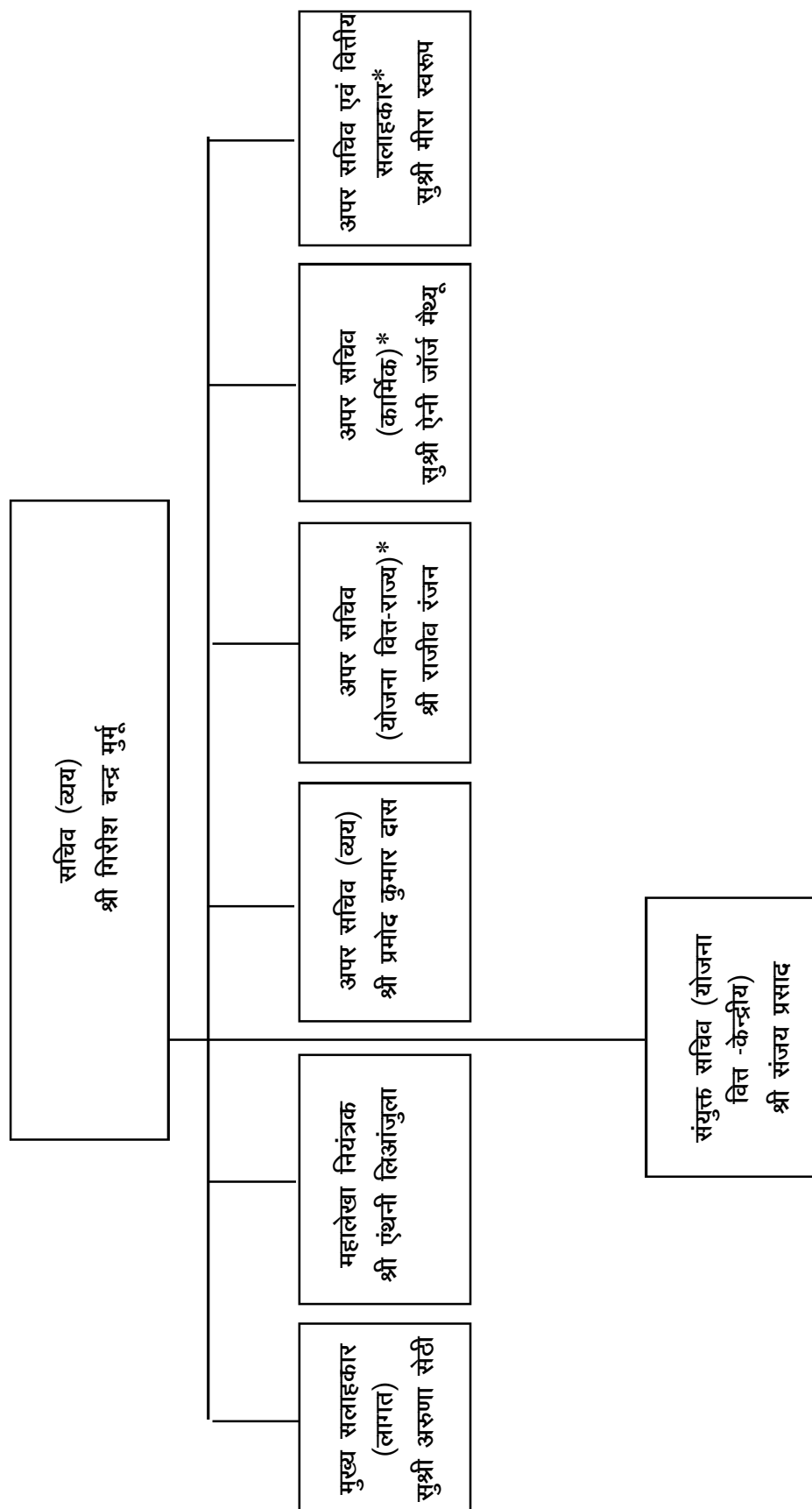
| समूह   | वीएच/एचएच/ओएच का प्रतिनिधित्व<br>(01.01.2019 की स्थिति के अनुसार) |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | पिछले कैलन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |      |     |      |     |      |      |     |      |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|--|--|
|        | की गई नियुक्तियों की संख्या                                       |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | पदोन्नति                                                |      |     |      |     |      |      |     |      |  |  |
|        |                                                                   |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | की गई नियुक्तियों की संख्या                             |      |     |      |     |      |      |     |      |  |  |
|        | आरक्षित रिक्तियों की संख्या                                       |      |      |     |      |     |      |      |     |      |     | की गई नियुक्तियों की संख्या                             |      |     |      |     |      |      |     |      |  |  |
|        | कुल                                                               | वीएच | एचएच | ओएच | अन्य | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | अन्य | कुल | वीएच                                                    | एचएच | ओएच | अन्य | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | अन्य |  |  |
| 1      | 2                                                                 | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8    | 9    | 10  | 11   | 12  | 13                                                      | 14   | 15  | 16   | 17  | 18   | 19   | 20  | 21   |  |  |
| समूह क | 412                                                               | 01   | 01   | 02  |      | 01  | -    | -    | 01  | -    | 03  | 01                                                      | 01   | 01  | -    | -   | -    | -    | -   | -    |  |  |
| समूह ख | 679                                                               | 01   | 01   | 07  |      | -   | -    | -    | -   | -    | -   | -                                                       | -    | -   | -    | 01  | -    | -    | 01  | -    |  |  |
| समूह ग | 348                                                               | 02   | 05   | 02  | -    | -   | -    | -    | -   | -    | -   | -                                                       | -    | -   | -    | -   | -    | -    | -   | -    |  |  |
| योग    | 1439                                                              | 04   | 07   | 11  | -    | 01  | -    | -    | 01  | -    | 03  | 01                                                      | 01   | 01  | -    | 01  | -    | -    | 01  | -    |  |  |

अनुबंध-III

वर्ष 2018-19 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) के लिए व्यय विभाग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सारांश के संबंध में 'कृत कार्रवाई नोट' की स्थिति

| क्र.सं. | वर्ष | पैराओं/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या<br>जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद पी.ए.सी. को कृत कार्रवाई नोट प्रस्तुत किए गए हैं | पैराओं/पी.ए.सी. रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके कृत कार्रवाई नोट लंबित हैं<br>मंत्रालय द्वारा पहली बार भी मंत्रालय द्वारा भेजे गए किंतु अभ्युक्तियों के कृत कार्रवाई नोट की संख्या, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांच कर ली गई है, लेकिन मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 2018 | 0                                                                                                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## व्यय विभाग का संगठन चार्ट



\*टिप्पणी : संयुक्त सचिव (कार्मिक), संयुक्त सचिव (पीएफ-राज्य) और संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के पदों को एसीसी द्वारा अपर सचिव

## अध्याय III

### 1. संगठन और प्रकार्य

**1.1.** राजस्व विभाग, सचिव( राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों की उगाही करने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों की उगाही करने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। प्रत्येक बोर्ड में छह-छह सदस्य स्वीकृत हैं।

**1.2** राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है:-

- i. आयकर अधिनियम, 1961;
- ii. काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम, 2015;
- iii. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
- iv. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति संव्यवहार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII;
- v. वित्त अधिनियम, 2005 (बैंकिंग नकद संव्यवहार कर से संबंधित) का अध्याय VII;
- vi. वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर से संबंधित) का अध्याय V;
- vii. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले;
- viii. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
- ix. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- x. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975;
- xi. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985
- xii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
- xiii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
- xiv. तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्हरण) अधिनियम, 1976;

- xv. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो);
- xvi. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974;
- xvii. धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 ; और
- xviii. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ;
- xix. संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- xx. माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017;
- xxi. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 2017;
- xxii. राज्य माल एवं सेवा कर, 2017;
- xxiii. एकीकृत माल एवं सेवाकर, 2017

**1.3** यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-

- i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
- ii. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
- iii. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
- iv. प्रवर्तन निदेशालय;
- v. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;
- vi. मुख्य कारखाना नियंत्रक;
- vii. सफेमा के अंतर्गत अपील अधिकरण;
- viii. आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
- ix. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग;
- x. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
- xi. अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण (आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए);
- xii. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति;
- xiii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्हरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;



## वार्षिक रिपोर्ट | 2018-2019

- xiv. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड);
- xv. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
- xv. पुनरीक्षण आवेदन इकाई

**1.4** 2017-18 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2018-19 (अप्रैल से दिसम्बर) की अवधि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है:

**1.5** राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-IV पर दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

| क्रम सं. | करों का स्वरूप                                   | राशि संगृहीत                           |                                          |                                  |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                  | 2017-18                                | 2018-19                                  | गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का % |
| 1.       | निगमित आय कर                                     | 571202                                 | 663524                                   | 16.2%                            |
| 2.       | व्यक्तिगत आयकर (एस टी टी, एवं डब्ल्यूटी छोड़ कर) | 408003                                 | 461613                                   | 13.1%                            |
| 3.       | अन्य कर (एसटीटी और डब्ल्यू टी)                   | 22832                                  | 12520                                    | -45.2%                           |
| 4.       | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क                           | 258834                                 | 232008*                                  | -10.4%                           |
| 5.       | सीमा शुल्क                                       | 129030                                 | 130211*                                  | 0.9%                             |
| 6.       | सेवा कर                                          | 81,228                                 | 6,997*                                   | -91.4%                           |
| 7.       | माल एवं सेवा कर                                  | 740650 (अगस्त, 2017 से मार्च, 2018 तक) | 1177369 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक) | **                               |

\*आंकड़े अनंतिम हैं।

i. 2018-19 के आंकड़े अनंतिम हैं (सीबीडीटी)

ii. 2017-18 के अन्य करों के आंकड़ों में घोषित आयकर योजना, 2016 के तहत 10,888 करोड़ रु. का कर संग्रहण किया गया है (सीबीडीटी)।

iii. \*\* वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संपूर्ण वर्ष के लिए संग्रहित किये गये जीएसटी के उपलब्ध न होने पर प्रतिशत वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है।

## 2. राजस्व प्रशासनिक मुख्यालय

### 2.1 प्रशासन

राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम) (फोम) (अधिनियम), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम, 1974 का संरक्षण (कोफेपोसा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रशासन तथा विभाग के निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों से संबंधित कार्य देखता है:-

i) प्रवर्तन निदेशालय

ii. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीबीईसी)

iii. सफेम (फोम) क और एनडीपीएसए के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी

iv. मुख्य कारखाना नियंत्रक

v. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो

vi. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)

vii. सफेम के अंतर्गत अपील अधिकरण

viii. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (सी सी ई एस सी)

ix. आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)

x. आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर प्राधिकरण के लिए एडवांस रूलिंग्स;

- xi. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति (एन सी पी एस ई डब्ल्यू)
- xii. भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू- इंड)
- xiii. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण

#### मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता है:

है:

#### I. निम्नलिखित की नियुक्ति-

- ✓ के.उ.शु. एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा के.प्र.कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सीस्टेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सी.शु. तथा के.उ.शु. समझौता आयोग तथा आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सी.शु./के.उ.शु. तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सीईआईबी का महानिदेशक
- ✓ प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक
- ✓ सक्षम प्राधिकारी (सफेम (एफओपी) ए तथा एन डी पी एस अधिनियम
- ✓ निदेशक (एफआईयू-आईएनडी)
- ✓ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य
- ✓ सफेम (फोप) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य
- ✓ सी वी ओ, सीबीडीटी/सीबीईसी की नियुक्ति

#### II. विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना करना

#### III. विभाग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण और विदेशों में कार्य के लिए भेजना।

#### IV. केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा किसी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में भारतीय राजस्व सेवा/ भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामलों पर कार्रवाई करना।

#### V. सीमा शुल्क सहयोग परिषद, ब्रूसेल्स (बेल्जियम) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को वार्षिक अंशदान के भुगतान हेतु स्वीकृति जारी करना।

### 2.2 आर्थिक सुरक्षा (ईएस)

#### 2.2.1 आर्थिक सुरक्षा प्रकोष्ठ धन शोधन निवारण अधिनियम,

(पीएमएलए), 2002 के प्रशासन और क्रियान्वयन को देखता है। पीएमएलए के आधार पर, आर्थिक सुरक्षा (ईएस) प्रकोष्ठ, समय - समय पर, 'अपने ग्राहक को जानो' (के वाई सी मानदंडों), पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय के गठन, पीएमएलए की धारा 66- प्राधिकारी जिन तक सूचना प्रचारित करनी होती है, इत्यादि से संबंधित मामलों पर पीएमएलए नियम बनाने/संशोधन का कार्य भी करता है। ईएस प्रकोष्ठ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से संबंधित मुद्दों को भी निपटाता है।

**2.2.2** पीएमएलए को 17 जनवरी, 2003 को अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई, 2005 को प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है - धनशोधन को रोकना और धन शोधन से अर्जित या इसमें संलिप्त संपत्ति को जब्त करना तथा इससे जुड़े या इससे प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है। इस अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं :

- धन शोधन को अपराध घोषित करना और धनशोधन में संलिप्त संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और जब्ती के लिए प्रावधान करना [प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रियान्वित] ; और
- 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी), रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टें बेजने के संबंध में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के दायित्वों को निर्धारित करना [वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू - भारत) द्वारा क्रियान्वित]

**2.2.3** कमियों को दूर करने और एफएटीएफ द्वारा यथा निर्धारित धन-शोधन रोधी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पीएमएलए को 2005, 2009, 2012, 2015 और 2016 में संशोधित किया गया।

#### 2.2.4 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ)

**2.2.4.1** वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एफएटीएफ एक अंतर - सरकारी निकाय है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है और - नीतियों को तैयार करता है और उनका संवर्धन करता है।

**2.2.4.2** एफएटीएफ की चालीस सिफारिशों में आपराधिक न्याय प्रणाली और कानून प्रवर्तन, वित्तीय प्रणाली व इसका विनियमन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सम्मिलित करते हुए धनशोधन, आतंक के वित्तपोषण को रोकने और इसके प्रसार के विरुद्ध प्रति-उपायों का एक संपूर्ण ढांचा दिया गया है। कई अंतरराष्ट्रीय निकायों ने इन सिफारिशों को धन शोधन और आतंक के वित्तपोषण से लड़ने के अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में मान्यता, समर्थन दिया है अथवा अपनाया है। भारत जून, 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) का सदस्य बना है।

#### 2.2.5 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण:

**2.2.5.1** धनशोधन और इससे संबंधित गतिविधियों को रोकने, अपराध के आगम के समपहरण और धनशोधन से निपटने के लिए समन्वित उपायों हेतु एजेंसियों और कार्यप्रणाली की स्थापना के लिए संसद द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को लागू किया गया था।

**2.2.5.2** निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक के रूप में

पदनामित किया गया है और धनशोधन में शामिल तथाकथित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए उन्हें अस्थायी तौर पर प्राधिकृत भी किया गया है। धनशोधन के अनुसूचित अपराधों या धन शोधन के अपराध से आय के संबंध में चल रहे मुकदमों के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए अपराध में संलिप्त संपत्ति का निपटान हो, न्यायनिर्णय प्राधिकरण संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि/राहत देने के लिए सशक्त है।

**2.2.5.3 न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।** अध्यक्ष और सदस्य का पद पूर्ववर्ती नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद का कार्यकाल है। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को वर्ष के दौरान 210 अनंतिम कुर्कीयां और 210 मूल शिकायतों प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से जब्त दस्तावेजों के 116 मूल आवेदन प्राप्त हुए हैं। अंतिम आदेश 307 मामलों में सुनाए गए हैं, 57 मामलों को छोड़कर जहां माननीय अदालतों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों/मूल आवेदनों के संबंध में स्टे दिया है।

**2.2.5.4 इस प्राधिकरण में तैनात स्टाफ प्रतिनियुक्ति आधार पर है और ये सभी पद संवर्ग बाह्य पद हैं।** पिछले कैलेंडर वर्ष में न सीधी बर्ती से और न ही पदोन्नति से कोई नियुक्ति हुई है।

**2.2.5.5 वर्तमान में एक अध्यक्ष, दो सदस्य, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक सहायक पद पर हैं और शेष सभी छह पद खाली पड़े हैं।**

## 2.3 पुनरीक्षण आवेदन एकक

### 2.3.1 पुनरीक्षण आवेदन एकक की स्थापना और प्रचालन

पुनरीक्षण आवेदन एकक का अधिदेश न्याय प्रदान करता है। 10.10.1982 तक प्रचालित योजना के तहत केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क के आयुक्तों (उस समय समाहर्ता कहलाए जाते थे) के आदेशों के विरुद्ध अपील केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष रखी जाती थी जहां तक समाहर्ताओं (अब आयुक्त कहलाए जाते हैं) के रैंक के नीचे के प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों का संबंध है, उन्हें सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय समाहर्ताओं के समक्ष दाखिल की जाती थी। इससे पूर्व, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 131 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 36 ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी थी कि केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा अपीलीय समाहर्ताओं द्वारा उनके अपीलीय क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए पारित आदेशों की पुनरीक्षा कर सकती है। सरकार के स्तर पर जहां सचिव (राजस्व) अथवा विशेष सचिव केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षा आवेदनों का निपटान किया वहीं सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपीलीय समाहर्ताओं और कार्यकारी समाहर्ताओं द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षा आवेदनों का निपटान अपर सचिव या संयुक्त सचिव द्वारा किया गया। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 में अपीलीय अधिकरण की स्थापना कर एक नई प्रणाली को शुरू करने की मांग की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अपीलीय क्षेत्राधिकार और केंद्रीय सरकार के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को कुछेक शेष अवस्थापरिवर्तनकालिक उपबंधों को छोड़कर दिनांक 11.10.1982 से समाप्त कर दिया गया तथा 11.10.1982 से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क

और स्वर्ण अपीलीय अधिकरण (अब सीस्टैट) का गठन किया गया। वित्त अधिनियम, 1984 में विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों में केंद्रीय सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों को पुनर्जीवित किया। सीमा शुल्क के मामले में, अधिनियम की धारा 129 (क) के परन्तुक के साथ पठित धारा 129 घ घ ने केंद्रीय सरकार को आयुक्त सीमा शुल्क (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की पुनरीक्षा करने हेतु शक्ति प्रदान की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ख की उपधारा (ii) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित धारा 35 ड ड ने केंद्रीय सरकार को आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित आदेशों की पुनरीक्षा करने हेतु उन्हें पुनरीक्षा एवं पुनरीक्षण शक्ति प्रदान की।

**2.3.1.2 सेवा कर के मामले में वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 117 (14.5.2015 से प्रभावी) के माध्यम से वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 86 की उप धारा (1) में अन्तःस्थापित किए गए दो परन्तुकों में यह नियम बनाया गया कि जहां निर्यात होने वाली किसी सेवा के संबंध में कोई आदेश धारा 85 के अंतर्गत पारित किया गया हो और ऐसी सेवा उपलब्ध कराने में निविष्टि सेवा के रूप में सेवा कर में छूट अथवा निविष्टियों पर संदत्त शुल्क पर छूट प्रदान करने से संबंधित मामले में ऐसे आदेश पर कार्यवाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ड.ड. के उपबंधों के अनुसरण में की जाएगी। ऐसे मामलों में अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी अपीलों भी हस्तांतरित की जाएगी और उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ड. ड. के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा।**

**2.3.1.3 आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षा आवेदनों पर विचार और निर्णय अपर सचिव (आरए) द्वारा ही किया जाता है चाहे वह पक्षों द्वारा दाखिल की गई हो या विभाग द्वारा।** ऐसे पुनरीक्षण और समीक्षा मामलों में केंद्रीय सरकार उच्चतम प्राधिकारी है और अपर सचिव (आर ए) द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं। अपर सचिव द्वारा पारित पुनरीक्षा आदेशों से असंतुष्ट याचिकर्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

**2.3.1.4 पुनरीक्षण आवेदन एकक प्रत्यक्ष रूप से सचिव (राजस्व) के प्रति उत्तरदायी होती है।**

### 2.3.2 क्षेत्राधिकार

**2.3.2.1 सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार** सीमा शुल्क, 1962 की धारा 129 (1) के परन्तुक के साथ पठित धारा 129 घ घ ने केंद्रीय सरकार को आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की पुनरीक्षा या समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि ऐसे आदेश का संबंध निम्नलिखित से है:-

- क) सामान के रूप में आयातित और निर्यातित कोई माल;
- ख) कोई माल जिसे भारत में आयात करने हेतु वाहन में लादा गया परन्तु जिसे भारत में उसके लक्षित स्थान पर उतारा नहीं गया अथवा ऐसे लक्षित स्थान पर ऐसे माल की अत्यधिक मात्रा उतारी नहीं गई अथवा लक्षित स्थान पर उतारी जाने वाली अपेक्षित मात्रा से कम मात्रा उतारी गई हो

ग) अध्याय X में किए गए प्रावधानानुसार और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार वापसी का भुगतान

**2.3.2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकार** - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ख (1) के परन्तुक के साथ पठित धारा 35 ड.ड. केंद्रीय सरकार को आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की पुनरीक्षा या समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है यदि ऐसा आदेश निम्नलिखित से संबंध रखता है तो:-

(क) माल की हानि का मामला, जहां हानि किसी कारखाने से किसी भंडारगृह या किसी दूसरे कारखाने या एक भंडारगृह से दूसरे भंडारगृह में ले जाने के दौरान या किसी भंडारगृह या स्टोरेज में माल के प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान हुई हो चाहे किसी कारखाने में या किसी भंडारगृह में;

(ख) किसी भी देश या भारत के बाहर के क्षेत्र में निर्यातित माल पर लागने वाले शुल्क में छूट अथवा किसी देश या भारत के बाहर के क्षेत्र में निर्यातित माल के विनिर्माण में इस्तेमाल उत्पाद शुल्क लगने वाली सामग्री पर छूट

शुल्क के भुगतान के बगैर भारत से बाहर (नेपाल या भूटान के अलावा) निर्यातित सामान

**2.3.2.3 सेवा कर क्षेत्राधिकार** - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ड.ड. के उपबंध जो केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षा से संबंधित है, को सेवा कर से संबंध रखने वाले वित्त अधिनियम, 1944 के अध्याय V पर लागू कर दिए गए हैं। वित्त अधिनियम, 2015 में धारा 86 को संशोधित किया गया है ताकि यह विहित किया जा सके कि सेवा कर में छूट से संबंधित किसी मामले में आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उपचार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 ड.ड. के संबंध में प्रस्तुत होगी। ऐसे मामलों में आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन का अपर सचिव (आरए) के सम्मुख दाखिल होना अपेक्षित होता है।

**2.3.2.4 आई ए टी टी अधिकार क्षेत्र** - अंतर्देशीय वायु यात्रा कर (आई ए टी टी) नियमावली, 1989 का नियम 13 केंद्र सरकार को आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की समीक्षा या पुनरीक्षा करने हेतु शक्ति प्रदान करता है यदि ऐसा आदेश आईएटीटी के भुगतान से संबंधित होता है।

**2.3.2.5 एफटीटी क्षेत्राधिकार** - विदेश यात्रा कर (एफटीटी) नियमावली, 1979 का नियम 15 केंद्र सरकार को आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की पुनरीक्षा या समीक्षा करने हेतु शक्ति प्रदान करता है। यदि ऐसे आदेश का संबंध विदेश यात्रा कर के भुगतान से होता है।

### 2.3.3 प्रक्रिया

पुनरीक्षण आवेदन एकक द्वारा पुनरीक्षण आवेदन विहित प्रपत्र ईए-8/सीए-8 में विभाग तथा पक्षों दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे आवेदन को दाखिल करने का निर्धारित समय आर्डर-इन-अपील के पत्राचार की तारीख से 90 दिनों को होता है। उपयुक्त मामलों में केंद्र सरकार द्वारा

90 दिनों तक का विलम्ब को माफ किया जा सकता है। पुनरीक्षण आवेदन इकाई पुनरीक्षण आवेदनों के प्राप्त होने पर आवेदक को अभाव ज्ञापन, यदि कोई है तो, के साथ पावती बेजता है। इसके साथ-साथ विहित प्रारूप में एक चेक-लिस्ट भी तैयार की जाती है। प्रत्युत्तर देने के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद, वरिष्ठता के क्रम में मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की जाती है की गई है। बिना बारी की सुनवाई केवल योग्य मामलों में ही की जाती है जैसे भारी राजस्व वाले मामले, बार-बार उठने वाले मुद्दे जिनके कारण मामले अधिक हो जाते हैं, ब्याज देनदारी के मामले, मामले जो बिल्कुल नए नहीं हैं, सवारी के विदेश जाने के मामले और वित्तीय समस्याओं के मामले। सुनवाई पूर्ण होने के बाद अग्रिम पुनरीक्षण आदेश अपर सचिव (आरए) द्वारा जारी किया जाता है।

### 2.3.4 नवीनतम विकास

पूर्व में पुनरीक्षण आवेदन इकाई की अध्यक्षता आयुक्त और पदेन संयुक्त सचिव द्वारा होती थी। इस गठन के कार्यकलाप पर पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसका समर्थन किया गया जहां यह निदेश दिया गया कि संयुक्त सचिव से उच्चतर रैंक के अधिकारी की यहां नियुक्ति की जानी चाहिए क्योंकि यहां आयुक्त (अपील) के आदेशों की पुनरीक्षा की जाती है और उसी रैंक के अधिकारी द्वारा इन आदेशों की पुनरीक्षा नहीं की जा सकती है। तदोपरान्त, अगस्त, 2017 में प्रधान आयुक्त के रैंक के अधिकारी और पदेन अपर सचिव की नियुक्ति की गई और अपर सचिव (आर.ए) का एक अतिरिक्त कार्यालय मुंबई में खोला गया ताकि रोक की अवधि के दौरान लंबित मामलों को निपटाया जा सके। दिल्ली में स्थित कार्यालय उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र के मामले देखता है जब कि मुंबई स्थित इकाई दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित मामलों को देखता है।

### 2.3.5 निष्पादन

अगस्त, 2017 में अपर सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही इकाई के कामकाजी में तीव्रता आयी है और अगस्त, 2017 से नवम्बर, 2017 यानि तीन महीनों में अकेले दिल्ली इकाई द्वारा 347 पुनरीक्षा आवेदनों का निपटान किया गया है।

### 2.4 स्वापक नियंत्रण (एनसी) प्रभाग

स्वापक नियंत्रण प्रभाग स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) को लागू करता है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण, उत्पादन, इसको अपने कब्जे में रखने, इसकी बिक्री करने, खरीद करने, परिवहन करने, भण्डारण करने, प्रयोग करने, उपबोग करने, अंतर्राज्यीय आयात करने, अंतर्राज्यीय निर्यात करने, भारत में आयात करने या भारत से निर्यात करने या ट्रांशिपमेंट करने को निसिद्ध किया गया है। इस प्रकार सरकार की नीति का उद्देश्य स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के प्रयोग को चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य उसका गलत कामों के लिए होने वाले प्रयोग को रोकना भी है। तथा इसके अवैध व्यापार और दुरुपयोग को भी निषिद्ध करना है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी

पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत इसके वैध क्रियाकलाप के लिए शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन भी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 9 में उन विभिन्न क्रियाकलापों की सूची दी गई है जिनको कि केन्द्र सरकार कानून बनाकर विनियमित कर सकती है। जबकि धारा 10 में उन कार्यों की सूची दी गई है जिन पर केन्द्र सरकार नियम बनाकर उनको विनियमित कर सकती है। तदनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 को केन्द्र सरकार ने तैयार किया है। जिसके अंतर्गत अफीम की खेती, इसके विनिर्माण, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के आयात/निर्यात को विनियमित किया जाता है। इसके अलावा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का और इसके पूर्ववर्ती रसायनों का अन्य किसी उद्देश्य में प्रयोग होने के लिए रोकने, इसके बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग को रोकने तथा इसके अवैध उत्पादन को रोकने के लिए एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 9 के अंतर्गत एक स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 को भी तैयार करके जारी किया गया है।

#### 2.4.1 केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) के कार्यकलाप/कामकाज

##### 2.4.1.1 संगठनात्मक संरचना

स्वापक आयुक्त केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) का प्रमुख होता है और इस ब्यूरो का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। स्वापक आयुक्त अफीम पोस्ट की खेती जो कि इस समय तीन राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनिंदा अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है, पर नियंत्रण और निगरानी रखता है। अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस देने खेतों का मापन करने और परीक्षण करने तथा अफीम की खरीद करने के कार्यों के अलावा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो कुछ निवारक तथा नियंत्रणपरक कार्य भी करता है ताकि अफीम का अवैध कार्यों के लिए प्रयोग न किया जा सके और साथ ही यह स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का प्रवर्तन भी करता है।

##### 2.4.1.2 उत्तरदायित्व और कर्तव्य

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के प्रमुख कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं :

- सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 के अंतर्गत भारत की ओर से राष्ट्रीय अफीम एजेंसी का कार्य करना ताकि एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 5 (2) के अनुसार देश में अफीम पोस्ट की वैध खेती पर निगरानी रखी जा सके।
- पूरे देश में अफीम पोस्ट की अवैध खेती का सर्वेक्षण करना उसका पता लगाना और उखाड़ फेंकवाना।
- एनडीपीएस ऐक्ट, 1985 के प्रावधानों को लागू करना ताकि

स्वापक औषधियों, मानःप्रभावी पदार्थों और अधिसूचित पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध व्यापार को रोका जा सके। इस प्रकार के कार्यों में तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, जांच के कार्य, नशीली दवाओं के अपराधियों के अभियोजन का कार्य नशीली दवाओं के व्यापारियों के उस सम्पत्ति को जब्त करने के कार्य जो कि उन्होंने इन दवाओं के अवैध व्यापार करके अर्जित किया है, आते हैं।

- संश्लेषित स्वापक औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना।
- स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के आयात/ निर्यात के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र और आयात प्रमाणपत्र जारी करने और 1961, 1971 और 1988 के यूएन कन्वेंशन, जो कि स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रसायनों/ पदार्थों, जो कि इन दवाओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं से संबंधित हैं, के अंतर्गत पूर्ववर्ती रसायनों के आयात/ निर्यात के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी की भूमिका निभाना।
- 1988 के कन्वेंशन के अनुसार सभी देशों के सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारियों (सीएनए) से ये अपेक्षा की जाती है कि वे आईएनसीबी तथा संबंधित देशों के सक्षम प्राधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोका जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य बाहरी देशों के सक्षम प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क कायम करना जिससे कि स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ और इनके पूर्ववर्ती रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- अन्य प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, राज्य पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क और विभिन्न अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

##### 2.4.1.3 उपलब्धियां: -

वर्ष 2018-19 के दौरान और 01.04.2018 से 31.11.2018 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती रसायनों के निर्यात/आयात के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए 01.01.2019 से 31.03.2019 तक अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित कामकाज और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

| जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की सं.               | 01.04.2018 से 31.12.2018 तक | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| नियंत्रित पदार्थों के निर्यात के लिए (पूर्ववर्ती रसायन) | 1089                        | 362                         |
| नियंत्रित पदार्थों के आयात के लिए (पूर्ववर्ती रसायन)    | 712                         | 358                         |
| निर्यातपूर्व अधिसूचनाओं (PEN) की सं.                    | 826                         | 297                         |
| पूर्ववर्ती रसायनों की रोकी गई शिपमेंट्स की सं.          | 5                           | 2                           |

स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) ने एक ऑनलाइन पीईएन सिस्टम तैयार किया है जिसके द्वारा सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान किया जा सकता है। सीबीएन ने विभिन्न आयातकर्ता देशों के सक्षम प्राधिकारियों को 1123 पीईएन (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) जारी किए हैं। इससे वे संव्यवहारों की वैधता का सत्यापन कर सकते हैं। सी भी एन द्वारा की गयी शुरुआत के तहत पी ई

एन सेस्टम के माध्यम से सी भी एन ने उन पूर्ववर्ती रसायनों का पता लगाया है और उनको रोका है जिनके बारे में संदेह था की उनका अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।

पिछले और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निर्यात प्राधिकारपत्र और आयात प्रमाणपत्र से संबंधित कामकाज/ उपलब्धियां और स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ के निर्यात/ आयात के लिए प्रक्षेपण-

| ब्योरा                                          | मनः प्रभावी पदार्थ          |                             | स्वापक पदार्थ               |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                 | 01.04.2018 से<br>31.12.2018 | 01.01.2019 से<br>31.03.2019 | 01.04.2018 से<br>31.12.2018 | 01.01.2019 से<br>31.03.2019 |
| जारी किए गए निर्यात-<br>प्राधिकार पत्रों की सं. | 3139                        | 1115                        | 219                         | 60                          |
| जारी किए गए आयात<br>प्राधिकार पत्रों की सं.     | 406                         | 140                         | 117                         | 14                          |

संश्लेषित स्वापक औषधियों के उत्पादन के लिए जारी/ नवीनीकृत उत्पादन लाइसेंसों की संख्या और पोस्ट बीज के आयात के लिए जारी पंजीकरणों की संख्या :

| ब्योरा                                    | 01.04.2018 से 31.12.2018 | 01.01.2019 से 31.03.2019 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| पोस्ट बीज के बिक्री अनुबंध के लिए पंजीकरण | 28                       | 0                        |
| जारी किए गए विनिर्माण लाइसेंसों की सं.    | 11                       | 23                       |
| आवंटित स्वापक पदार्थों का कोटा            | 287                      | 178                      |
| आवंटित संश्लेषित स्वापक पदार्थों का कोटा  | 29                       | 25                       |

एनडीपीएस रूल्स, 1985 के नियम 67 ड के तहत सी भी एन ने 2019 में स्वापक औषधियों का आवंटन किया है। इसने मुख्य रूप से 51806.43421 किग्रा. मात्रा के लिये 75 कंपनियों को कोडीन फास्फेट का आवंटन किया है जबकि 45 कंपनियों को 7943.51 किग्रा. औषधिक अफीम का आवंटन किया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के साथ थोक तथा संमिश्रणों दोनों के लिए, स्वापक औषधियों के विनिर्माण तथा थोक विक्रेताओं के ऑन लाईन पंजीकरण हेतु एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली से देश भर में स्वापक औषधियों के विनिर्माण, उपयोग, भंडारण, आयात, निर्यात, विक्रय क्रय तथा उपयोग से संबंधित आंकड़े सुलभ होंगे।

इस प्रणाली से संकलित किए गए आंकड़ों से मनःप्रभावी पदार्थों के बारे में सामयिक, सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी जैसे कि पी फार्म, ए/पी फार्म, भी/पी फार्म। ये रिपोर्टें एमआईएस रिपोर्टों के अतिरिक्त होंगी तथा इनसे देश में मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण और उपयोग का प्रबोधन किया जा सकेगा।

सरकार ने स्वापक औषधियों के विनिर्माताओं और डीलरों का केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में पंजीकरण कराने और देश में स्वापक औषधियों के उत्पादन, उपभोग, भण्डारण, व्यापार और खपत के बारे में आंकड़े देने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इस

ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) वियना को प्रस्तुत किए जाने के लिए भारत से संबंधित फार्म ग को तैयार करने हेतु स्वापक औषधियों के विनिर्माण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना है। इस कार्यालय ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) नई दिल्ली के साथ बातचीत शुरू की है। हालांकि केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में स्वापक औषधियों के विनिर्माता और डीलरों का पंजीकरण करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन व्यवस्था को तैयार करने पर काम चल रहा है।

#### 2.4.1.4 एन डी पी एस एक्ट, 1985 का प्रवर्तन-

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार को रोकने की कार्रवाई करता है। यह नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करने ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित नशीले पदार्थ के व्यापारियों की गैर कानूनी सम्पत्ति को पकड़ने और जब्त करने की भी कार्रवाई करता है।

01.04.2018 से 31.12.2018 तक और 01.04.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान इन औषधियों के हुए निपटान का ब्योरा **अनुबंध क** में दिया गया है

01.04.2018 से 31.12.2018 और 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान इन दवाओं की जब्ती का ब्योरा अनुबंध ख में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीबीएन मामलों में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा दोष सिद्ध/दोष मुक्त करार दिये गये व्यक्तियों की स:

| वित्तीय वर्ष | उन व्यक्तियों की कुल सं. जिन पर अभियोजन चलाया गया | दोषी करार दिये गये कुल व्यक्तियों की संख्या | दोषमुक्त किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या | दोष सिद्ध की दर (%) |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 2018-19      | 60532*                                            | 17                                          | 4                                          | 80.95%              |

\*विदेशी

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों की संख्या:

| वित्तीय वर्ष | निर्णीत वादों की संख्या | उन वादों की कुल सं. जिनमें दोष सिद्ध करार दिया गया। | उन वादों की कुल सं. जिनमें अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया | दोषसिद्ध की दर (%) |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2018-19      | 17                      | 14                                                  | 3                                                               | 82.35%             |

#### 2.4.1.5 निःशक्त वर्ग, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्य

मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय स्वापक औषधि ब्यूरो में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के हित, प्रतिनिधित्व और कल्याण के लिए उप स्वापक आयुक्त, नीमच को संपर्क अधिकारी बनाया गया है। उप स्वापक आयुक्त, ग्वालियर को पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के हित, प्रतिनिधित्व और कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी बनाया गया है।

#### 2.4.1.6 महिला संबंधी मुद्दे/ महिलाओं की अधिकारिता:

कार्य स्थल पर महिलाओं के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के संबंध में कामकाजी महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इकाई के मुख्यालयों और ग्वालियर मुख्यालय कार्यालय में एक शिकायत समिति गठित की गई है।

#### 2.4.1.7 वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए प्रमुख कार्य और हासिल उपलब्धिया:

फसल वर्ष 2017-18 के दौरान 290 मीट्रिक टन की मात्रा में अफीम, जिसकी सांद्रता 70 डिग्री थी की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से फसल वर्ष 2017-18 के संबंध में प्राप्त अनंतिम परिणामों के आधार पर 70 डिग्री की सघनता वाले औसत पैदावार क्रमशः 31.34, 62.81 और 54.48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान 70 डिग्री की सघनता पर पैदावार की अखिल भारतीय औसत 61.96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। ये आंकड़े फसल वर्ष 2018-19 के संबंध में हैं क्योंकि अफीम की खेती का फसल चक्र अगले वर्ष के अक्टूबर से सितम्बर तक होता है। फसल वर्ष 2018-19 के संबंध

में निपटान/लाइसेंसिंग कार्यों को दिसम्बर, 2018 के दौरान पूरा कर लिया गया है। और इसके परिणाम स्वरूप 69456 किसानों और 6943.60 हेक्टेयर क्षेत्रफल का समाधान किया गया।

फसल वर्ष 2012-13 से भुगतान की एक नयी प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसके पहले बाको से बड़ी राशि को निकालने में, इसे मापन केन्द्रों तक ले जाने में, संबंधित किसानों/लंबरदारों को इसका वितरण करने में, और देर शाम किसानों को इसको मापन केन्द्रों से अपने घर ले जाने में भारी जोखिम का सामना करना पड़ता था। अफीम के उत्पादन वाले क्षेत्रों में भाकिंग अवसंरचना में सुधार किया गया है, और दिन प्रति दिन इसमें सुधार हो रहा है। इन सभी कारकों पर विचार कराते हुये अफीम की कीमत/कमीशन का भुगतान मापन कार्य के दौरान ही किसानों के खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे कर दिया जा रहा है। सरकारी अफीम कारखाने से कंप्यूटेड चलान मिल जाने पर सेटलमेंट का इंतेजार किए बिना किसानों को अंतिम तौर पर भुगतान कर दिया जाता है।

औषधि दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर केन्द्रीय स्वापक औषधि ब्यूरो ने 26 जून, 2018 से 28 जून, 2018 तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

i. **मोटर साइकिल रैली :-** दिनांक 26 जून, 2018 को लगभग 100 स्वयं सेवकों का एक रोड शो/ मोटर साइकिल रैली आयोजित की गई। कर्मचारियों ने आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए औषधिक दुरुपयोग के संबंध में टैक्सी ड्राइवरों, आटो रिक्शा ड्राइवरों और आम जनता को आकर्षक स्टीकर भांटे। शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर स्टीकर चिपकाए गए और आकर्षक बैनर लगाए गए।

ii. **सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान:** इन नसीली दवाओं के बढ़ते खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 26 जून, 2018 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया।

iii. **स्वास्थ्य जांच कैम्प :-** दिनांक 27.06.2018 को बिरला

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर और रतन ज्योति नेत्रालय, ग्वालियर के डॉक्टरों द्वारा कार्यालय परिसर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैम्प आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य जांच में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया:

- रक्तचाप;
- सुगर की जांच;
- आँखों की जांच

डॉक्टरों ने मरीजों को समुचित आहार तथा स्वास्थ्य जीवन से संबंधित अन्य बातों के बारे में सलाह दी।

**iv. पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता :** दिनांक 27.06.2018 को कार्यालय परिसर में एक खुली पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का थीम था “नशा एक अभिशाप” युवा लड़कों और लड़कियों सहित कई व्यक्तियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तथा कैनवास पर अपने विचारों को प्रतिबिम्बित किया। प्राप्त प्रविष्टियों की एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा छंटनी की गई तथा पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कोटा, लखनऊ और नीमच की मुख्यालय इकाईयों में, ग्वालियर और कोटा में नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, स्लोगन और वाद-विवाद प्रतियोगिता सहित इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

## 2.4.2 सरकारी अफीम एवं एल्कलायड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू)

### 2.4.2.1 मुख्य नियंत्रक फैक्ट्रीज (सीसीएफ)

सरकारी अफीम एवं एल्कलायड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) निर्यात

के लिए कच्ची अफीम के प्रसंस्करण में तथा अपनी दो फैक्ट्रियों अर्थात् सरकारी अफीम एवं एल्कलायड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) गाजीपुर (उ0प्र0) एवं नीमच (म0प्र0) के माध्यम से ओपाइड अल्कलायड के विनिर्माण में लगे हैं। जीओएडब्ल्यू में तैयार उत्पादों का प्रयोग मुख्य रूप से भारतीय औषधि उद्योग द्वारा किया जाता है। सरकारी अफीम एवं एल्कलायड फैक्ट्रीज उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जिसे प्रबंधन समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा 1970 में अधिसूचित की गई थी। अपर सचिव (राजस्व) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त स्तर का अधिकारी, फैक्ट्री का मुख्य नियंत्रक होता है जो संगठन का प्रमुख होता है तथा इन दोनों फैक्ट्रियों, जो नीमच एवं गाजीपुर में स्थित है का प्रबंधन, अपर आयुक्त / निदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। फैक्ट्रियों का विपणन एवं वित्त एकक, नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक फैक्ट्री में दो इकाइयां होती हैं- अफीम फैक्ट्री एवं एल्कलायड फैक्ट्री। अफीम फैक्ट्रियां खेतों से अफीम प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा निर्यात व देशीय उपयोग के लिए उसके प्रसंस्करण का काम करती है। एल्कलायड वर्क्स, कच्ची अफीम को फार्मस्यूटिकल ग्रेड के अल्कलायड में बदलने के काम में लगे हैं, जिससे कि भेषज उद्योग की देशीय मांग को पूरा किया जा सके। जीओएडब्ल्यू के दो अपने ओपियम और एल्कोलायड प्लांटों में कुल 650 व्यक्ति नौकरी करते हैं। इस कार्यबल में संघ लोक सेवा आयोग से सीधे चयनित अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक औषधि ब्यूरो, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला से अधिकारी एवं कर्मचारी लिए जाते हैं। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जो गृह मंत्रालय का एक अर्द्ध सैनिक बल है, द्वारा देखी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के GOAF के सकल कामकाज/उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है:

## I. जीओएडब्ल्यू का वित्तीय वर्ष 2018-19 का कामकाज

(अन्तिम)

| क्रम सं. | ब्यौरा                                | इकाई    | वास्तविक उत्पादन अप्रैल से दिसम्बर, 2018 | जनवरी से मार्च-2019 तक अनुमानित उत्पादन |
|----------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ए        | उत्पादन                               |         |                                          |                                         |
| 1        | 90ओC पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना | किग्रा. | शून्य                                    | शून्य                                   |
| 2        | क) माफीन सल्फेट                       | किग्रा. | 318                                      | 242                                     |
|          | ख) कोडीन फास्फेट (सी.पी.)             | किग्रा. | 10084                                    | 5433                                    |
|          | ग) शुद्ध थेबाइन                       | किग्रा. | 664                                      | 368                                     |
|          | घ) नासकेपाइन बीपी                     | किग्रा. | 699                                      | 1322                                    |
|          | ड.) फोल्कोडाइन                        | किग्रा. | 0                                        | 0                                       |
|          | च) आईएमओ पाउडर                        | किग्रा. | 8900                                     | 1500                                    |
|          | छ) आईएमओ केक                          | किग्रा. | 3500                                     | 4500                                    |
|          | घरेलू बाजार के लिए सीपी आयात          | किग्रा. | 316                                      | 421                                     |
| 3.       | उत्पादन                               |         | 12500                                    | 0                                       |



| क्रम सं. | व्योरा                                | बिक्री अप्रैल से दिसम्बर-<br>20178 |                         | बिक्री जनवरी से मार्च-19   |                         |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|          |                                       | मात्रा<br>(किलो ग्राम में)         | राशि<br>(करोड़ रु. में) | मात्रा<br>(किलो ग्राम में) | राशि<br>(करोड़ रु. में) |
| ख        | बिक्री                                |                                    |                         |                            |                         |
| 1        | 90ओC पर निर्यात के लिए अफीम को सुखाना | 0                                  | 0                       | 0                          | 0                       |
| 2        | क) कोडीन सल्फेट                       | 42                                 | 0.38                    | 0                          | 0                       |
|          | ख) मॉर्फिन सल्फेट                     | 326                                | 1.22                    | 200                        | 0.75                    |
|          | ग) कोडीन फास्फेट (घरेलू आयातित)       | 21613                              | 91.86                   | 6643                       | 28.23                   |
|          | घ) डायोनिन                            | 70                                 | 0.85                    | 0                          | 0                       |
|          | ड.) शुद्ध थेबाइन                      | 1072                               | 4.06                    | 275                        | 1.04                    |
|          | च) नासकेपाइन बीपी                     | 455                                | 1.63                    | 203                        | 0.73                    |
|          | छ) फोल्कोडाइन                         | 23                                 | 0.12                    | 0                          | 0                       |
|          | ज) आईएमओ पाउडर (घरेलू बिक्री निर्यात) | 7089                               | 7.37                    | 2923                       | 3.11                    |
|          | झ) आईएमओ केक (घरेलू बिक्री निर्यात)   | 3807                               | 3.54                    | 830                        | 0.77                    |
|          | ञ) पापवरीन एस.आर.                     | 102                                | 0.03                    | 0                          | 0                       |
|          | कुल 2 (क से ज तक)                     | 34599                              | 111.05                  | 11074                      | 34.64                   |
|          | सकल योग (1+2)                         | 34599                              | 111.05                  | 11074                      | 34.64                   |

ग. (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक), के 90ओC अफीम (आईएमओ पाउडर और केक को छोड़कर) का देशवार निर्यात

(मात्रा किग्रा में)

|   | यूनिट   | यूएसए | फ्रांस | जापान | ईरान  | कुल   |
|---|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | गाजीपुर | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | नीमच    | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |
|   | कुल     | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |

(ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 (जनवरी से मार्च, 2019), के 90ओC अफीम (आईएमओ पाउडर और केक को छोड़कर) का देशवार निर्यात का अनुमान

(मात्रा किग्रा में)

|   | यूनिट   | यूएसए | फ्रांस | जापान | ईरान  | कुल   |
|---|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | गाजीपुर | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | नीमच    | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |
|   | कुल     | शून्य | शून्य  | शून्य | शून्य | शून्य |

घ. (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक) तक राजस्व की प्राप्ति (वसूली के आधार पर)

(करोड़ रु. में)

|   |         | ओपियम फैक्ट्री | अल्कलायड वर्क्स | कुल    |
|---|---------|----------------|-----------------|--------|
| 1 | गाजीपुर | 0.10           | 32.52           | 32.62  |
| 2 | नीमच    | 0.08           | 81.72           | 81.80  |
|   | कुल     | 0.18           | 114.24          | 114.42 |

(ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 (जनवरी से मार्च, 2019 तक) की राजस्व प्राप्तियां (अनुमानित आधार पर)

(करोड़ रु. में)

|   |         | ओपियम फैक्ट्री | अल्कलायड वर्क्स | कुल   |
|---|---------|----------------|-----------------|-------|
| 1 | गाजीपुर | 0.03           | 6.52            | 6.55  |
| 2 | नीमच    | 0.02           | 28.84           | 28.86 |
|   | कुल     | 0.05           | 35.06           | 35.11 |

II. दिसम्बर, 2018 तक सीसीएफ संगठन की उपलब्धि और पिछले वर्ष 2017 की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े:

अनंतिम

| क्र. सं. | ब्यौरे                                | इकाई    | वास्तविक उत्पादन, अप्रैल से दिसम्बर |         | % पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि |
|----------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
|          |                                       |         | 2017-18*                            | 2018-19 |                                    |
| (1)      | (2)                                   | (3)     | (4)                                 | (5)     | (6)                                |
| A.       | उत्पादन                               |         |                                     |         |                                    |
| 1        | निर्यात के लिए अफीम को 90ओC पर सुखाना | किग्रा. | शून्य                               | शून्य   | शून्य                              |
| 2        | औषधियों का विनिर्माण :                |         |                                     |         |                                    |
|          | क) माफीन सल्फेट                       | किग्रा. | 409                                 | 318     | -22%                               |
|          | ख) कोडीन फास्फेट                      | किग्रा. | 4513                                | 10084   | 123%                               |
|          | ग) शुद्ध थेबाइन                       | किग्रा. | 31                                  | 664     | 2042%                              |
|          | घ) नास्कोपाइन बीपी                    | किग्रा. | 70                                  | 699     | 899%                               |
|          | घ) फोल्कोडीन                          | किग्रा. | 5500                                | 8900    | 62%                                |
|          | ड.) आईएमओ पाउडर                       | किग्रा. | 1191                                | 3500    | 194%                               |
|          | च) आईएमओ केक                          | किग्रा. | 18                                  | 316     | 1655%                              |
|          | छ) पापावरीन एस.आर                     | किग्रा. | 11732                               | 24482   | 109%                               |
|          | कुल (2)                               |         |                                     |         |                                    |
| 3.       | कोडीन फास्फेट का आयात                 |         |                                     |         |                                    |
|          | i) घरेलू बाजार के लिए                 | किग्रा. | 11000                               | 12500   | 14%                                |

(\*) दोनों ही कारखाने अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 तक उन्नयन कार्य के लिए बंद रहे

| ख. <u>बिक्री</u> |                                           | अनंतिम                       |                   |                              |                   |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| क्रम सं.         | ब्यौरे                                    | 2017-18<br>अप्रैल से दिसम्बर |                   | 2018-19<br>अप्रैल से दिसम्बर |                   |
|                  |                                           | मात्रा<br>(किग्रा में)       | (रुपये करोड़ में) | मात्रा<br>(किग्रा में)       | (रुपये करोड़ में) |
| (1)              | (2)                                       | (3)                          | (4)               | (5)                          | (6)               |
| 1                | संग्रहण के आधार पर अफीम का निर्यात        | 1569                         | 0.82              | शून्य                        | शून्य             |
| 2                | औषधि की घरेलू बिक्री : (वास्तविक आधार पर) |                              |                   |                              |                   |
|                  | क) कोडीन सल्फेट                           | 62                           | 0.55              | 42                           | 0.38              |
|                  | ख) माफीन सल्फेट                           | 422                          | 1.60              | 326                          | 1.22              |
|                  | ग) कोडीन फास्फेट (स्वदेशी एवं आयातित)     | 21679                        | 92.13             | 21613                        | 91.86             |
|                  | घ) डायोननि                                | 108                          | 1.31              | 70                           | 0.85              |
|                  | ड.) शुद्ध थेबाइन                          | 679                          | 2.56              | 1072                         | 4.06              |
|                  | च) नास्कोपाइन बीपी                        | 1425                         | 5.11              | 455                          | 1.63              |
|                  | छ) पापावरीन एस.आर.                        | 20                           | 0.01              | 103                          | 0.03              |
|                  | ज) फोल्कोडीन                              | 42                           | 0.23              | 23                           | 0.12              |
|                  | झ) आईएमओ पाउडर(घरेलू बिक्री + निर्यात)    | 6427                         | 6.33              | 7089                         | 7.37              |
|                  | ञ) आईएमओ केक(घरेलू बिक्री + निर्यात)      | 2704                         | 2.55              | 3807                         | 3.54              |
|                  | <b>कुल (2)</b>                            | <b>33568</b>                 | <b>112.39</b>     | <b>34599</b>                 | <b>111.05</b>     |
|                  | <b>सकल योग (132)</b>                      | <b>35137</b>                 | <b>113.21</b>     | <b>34599</b>                 | <b>111.05</b>     |

ग. 90ओC पर अफीम का तुलनात्मक देशवार निर्यात (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक)

(मात्रा किग्रा में) 90जC

| इकाई           | यूएसए      | फ्रांस      | हंगरी     | जापान     | ईरान      | कुल         |
|----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>2017-18</b> |            |             |           |           |           |             |
| गाजीपुर        | --         | --          | --        | --        | --        | --          |
| नीमच           | 569        | 1000        | --        | --        | --        | 1569        |
| <b>कुल</b>     | <b>569</b> | <b>1000</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>1569</b> |
| <b>2018-19</b> |            |             |           |           |           |             |
| गाजीपुर        |            |             |           |           |           |             |
| नीमच           |            |             |           |           |           |             |
| <b>कुल</b>     |            |             |           |           |           |             |

घ. संग्रहण आधार पर तुलनात्मक राजस्व प्राप्ति (वित्तीय वर्ष के प्रत्येक नवम्बर माह तक)

(करोड़ रु. में)

| यूनिट          | (अनंतिम)    |               |               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                | अफीम        |               | क्षारोद       |
|                | फैक्ट्रीज   |               | वर्क्स        |
| <b>2017-18</b> |             |               |               |
| गाजीपुर        | 0.09        | 36.39         | 36.47         |
| नीमच           | 0.82        | 68.01         | 68.84         |
| <b>कुल</b>     | <b>0.91</b> | <b>104.40</b> | <b>105.31</b> |
| <b>2018-19</b> |             |               |               |
| गाजीपुर        | 0.10        | 32.51         | 32.61         |
| नीमच           | 0.08        | 81.72         | 81.80         |
| <b>कुल</b>     | <b>0.18</b> | <b>114.23</b> | <b>114.41</b> |

**2.4.2.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का विकास:** सी सी एफ संगठन, जिसमें जी ओ ए डब्ल्यू भी आते हैं, केवल उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हैं, अतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में किए गए विकास कार्य तथा सिक्किम प्रोजेक्ट्स स्कीम के बारे में विशेष कुछ बहिन कहना है।

**2.4.2.3 ई-गवर्नेंस क्रियाकलाप:** फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक के संगठन ने अपनी स्वयं की वेबसाइट जारी की है जिसमें संगठन के बारे में पूर्ण सूचना, इसके क्रिया-कलाप, सम्पर्क के विवरण इत्यादि हैं। सामग्री व सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सभी निविदाएं निर्माताओं/आपूर्ति कर्ता की जानकारी तथा सहभागिता के लिए समय से वेबसाइट पर डाली जाती हैं। संगठन ने इंटरनेट के जरिए औषधियों के उत्पादन, बिक्री इत्यादि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की है। संबंधित प्राधिकारियों को अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और इसे इंटरनेट के माध्यम से शीघ्र भेजे जाने की संभावना है।

**2.4.2.4 शिकायत निवारण तंत्र :** सीसीएफ संगठन में लोक शिकायत निपटान का कार्य तत्परता से किया जाता है। श्रमिकों की समस्याओं को भी शीघ्र निपटाया जाता है तथा इस अवधि के दौरान प्रबंधकों तथा कामगारों के बीच सौहार्द संबंध बने रहे।

**2.4.2.5 जैंडर बजटिंग तथा महिलाओं को सशक्त बनाना :** सीसीएफ

संगठन में महिलाओं को समान अवसर / स्टेटस प्रदान किया जाता है। यदि महिलाओं के खिलाफ/ उनको परेशान किए जाने की कोई सूचना मिलती है तो गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों का समाधान किए जाने के लिए जीओएडब्ल्यू नीमच और गाजीपुर में आंतरिक शिकायत समिति का पहले ही गठन कर लिया गया है। मुख्यालय में, चूंकि केवल 3 महिला कर्मचारी हैं (दो दिल्ली में और 1 ग्वालियर में) अतः यहां शिकायत समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि मुख्यालय की शिकायत का समाधान मंत्रालय की उस शिकायत समिति द्वारा किया जा सकता है जो कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को देखती है।

**2.4.2.6 विकलांग वर्ग एवं अ0ज0/अ0ज0ज0 और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए क्रियाकलाप :** मुख्य नियंत्रक फैक्टरी संगठन (सीसीएफ) विकलांग, अनु0 जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याण और विकास के लिए विनिर्दिष्ट नियमों एवं विनियमनों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे वर्गों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की गई है। जिसमें इन वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए रोस्टर रजिस्टर भी बनाए जा रहे हैं।

अनुबंध-क

वर्ष 2018 के दौरान निपटान किए गए ड्रग्स (01.04.18 से 31.12.18 तक) और 2019 (31.03.19 तक)

| Narcotics Drugs / Psychotropic Substances/ Precursor | 01.04.18 से 31.12.18 तक |                   | 01.01.19 से 31.03.19 तक |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                      | मामलों की सं.           | मात्रा किग्रा में | मामलों की सं.           | मात्रा किग्रा में |
| अफीम                                                 | 71                      | 543.876           | 06                      | 98.215            |
| हेरोइन                                               | 35                      | 25.520            | 09                      | 3.380             |
| मॉर्फिन                                              | 04                      | 6.000             | -                       | -                 |
| चरस                                                  | 02                      | 19.700            | 02                      | 06.020            |
| पॉप्पी स्ट्राव/पॉप्पी हस्क                           | 13                      | 3617.900          | 05                      | 5926.420          |
| अल्पराजोलम                                           | 01                      | 50.140            | 01                      | 111000            |
| गांजा                                                | 02                      | 09.080            | 01                      | 03.450            |
| एसिटिक एन्हाइड्राइड                                  | 03                      | 106.450           | 01                      | 42.000            |
| पॉप्पी कैप्सूल                                       | -                       | 4.400             | -                       | -                 |
| अवैध अफीम प्लांट                                     | 01                      | 0.300             | -                       | -                 |
| निट्रोजेन                                            | -                       | -                 | 01                      | 02.475            |

वर्ष 2018 के दौरान सीबीएन द्वारा की गई जब्ती (01.04.18 से 31.12.18 तक) और 2019 (31.03.19 तक)

| औषधि/ पदार्थ का प्रकार  |                        | 2018 (01.04.18 से 31.12.18 तक) | 2019 (31.03.19 तक) |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| अफ्रीम                  | मात्रा (किलोग्राम में) | 1.935                          | 119.95             |
|                         | मामले                  | 1                              | 3                  |
|                         | पी.ए.                  | 0                              | 6                  |
| अफ्रीम का सत्व          | मात्रा (किलोग्राम में) | 0.800                          | -                  |
|                         | मामले                  | 1                              | -                  |
|                         | पी.ए.                  | 1                              | -                  |
| हेरोइन                  | मात्रा (किलोग्राम में) | 1.560                          | 0.380              |
|                         | मामले                  | 3                              | 1                  |
|                         | पी.ए.                  | 7                              | 1                  |
| चरस                     | मात्रा (किलोग्राम में) | 3.670                          | -                  |
|                         | मामले                  | 1                              | -                  |
|                         | पी.ए.                  | 1                              | -                  |
| पोपी स्ट्रॉ / पोपी भूसी | मात्रा (किलोग्राम में) | 277.830                        | 2356.580           |
|                         | मामले                  | 9                              | 3                  |
|                         | पी.ए.                  | 10                             | 3                  |
| डायजेपाम                | मात्रा (किलोग्राम में) | -                              | -                  |
|                         | एन.ओ.                  | 1400 गोलियाँ 3 380 इन्जक्शन।   | -                  |
|                         | मामले                  | -                              | -                  |
| बुप्रेनॉर्फाइन          | मात्रा (किलोग्राम में) | -                              | -                  |
|                         | इंजक्शन की सं.         | 6050 इन्जक्शन।                 | -                  |
|                         | मामले                  | -                              | -                  |
| पेन्टाजोसिन             | मात्रा                 | 3194 इन्जक्शन।                 | -                  |
|                         | मामले                  | -                              | -                  |
| कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप   | मात्रा (किलोग्राम में) | 10402 गोलियाँ।                 | -                  |
|                         | मामले                  | 3                              | -                  |
|                         | पी.ए.                  | 4                              | -                  |
| अफ़राज़ोलम टैब          | मात्रा                 | 207715 गोलियाँ।                | -                  |
| ज़ोलपिडेम टाब्लेट       | मात्रा                 | 300 गोलियाँ।                   | -                  |
| क्लोनाज़ेपम             | मात्रा                 | 3190 गोलियाँ।                  | -                  |
| नाइट्राज़ेपाम           | मात्रा                 | 22055 गोलियाँ।                 | -                  |
| ट्रामाडोल               | मात्रा                 | 132522 गोलियाँ।                | -                  |
| ट्रामाडोल इंज।          | मात्रा                 | सं. 245 (0.490 किग्रा)         | -                  |
|                         | मामले                  | 1                              | -                  |
|                         | पी.ए.                  | 1                              | -                  |
| क्लोरडिया-पेपॉक्साइड    | मात्रा                 | 7800। गोलियाँ                  | -                  |
| लोरेज़ेपम               | मात्रा                 | 31260। गोलियाँ                 | -                  |
| फाइकोट्रोपिक पदार्थ     | मात्रा (किलोग्राम में) | 0.125                          | -                  |
|                         | मामले                  | 1                              | -                  |
|                         | पी.ए.                  | 1                              | -                  |

## 2.5. राज्य कर

राजस्व विभाग में दो राज्य कर अनुभाग हैं:

(क) राज्य कर-I

(ख) राज्य कर-II

### राज्य कर-I अनुभाग

राजस्व विभाग का राज्य कर-I अनुभाग माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 जैसे कानूनों के साथ महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखने वाले केंद्रीय अधिनियमों से संबंधित विधायी कार्य को संभालता है। इसके साथ ही जीएसटी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मंच उपलब्ध कराने हेतु लाए गए माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) विशेष प्रयोजन वाहन के संबंध में प्रशासनिक एवं बजटीय मामलों को भी देखता है। उपर्युक्त से इतर संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 और जीएसटी निधि समाधान नियम, 2017 अनुभाग के अन्य विषय हैं। अन्य संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं:

#### 2.5.1 माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

देश में माल एवं सेवा कर व्यवस्था को शुरू करना भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में होने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राज्यीय करों को एकल कर में बदलने का लक्ष्य प्रमुख तौर पर कैसकेडिंग को दूर करने या दोहरे कराधान को दूर करने तथा समान राष्ट्रीय बाजार हेतु मार्ग प्रशस्त करना था। देश में जीएसटी व्यवस्था को शुरू करने से पहले राज्य वित्त मंत्रालयों की अधिकार प्राप्त समिति, राज्य सभा की प्रवर समिति और संसदीय वित्त स्थायी समिति द्वारा मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। लंभी और विस्तृत चर्चा के उपरांत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम को 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति द्वारा 08 सितंबर, 2016 को सहमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम और माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम को अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी व्यवस्था को 01 जुलाई, 2017 से सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके।

#### 2.5.2 संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी):

जिस प्रकार राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधायी के साथ अधिनियमित किया गया है ताकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर के सभी लेन-देनों पर कर की उगाही और संग्रहण किया जा सके उसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 को विशिष्ट रूप से गैर विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी की उगाही एवं संग्रहण किया जा सके।

#### 2.5.3 माल एवं सेवा कर निधि समाधान नियमावली- 2017:

माल एवं सेवा कर निधि समाधान नियमावली, 2017 को भी 27 जुलाई, 2017 को अधिनियमित किया गया जिसमें आईजीएसटी अपोर्शनमेंट और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच निविष्टि कर क्रेडिट के अंतर-उपयोग के कारण केंद्र और राज्यों के बीच निधि के समाधान हेतु प्रक्रिया को विहित किया गया है। अप्रैल, 2018 और मार्च, 2019 के बीच आईजीएसटी से कुल 3,74,507 करोड़ रु. की राशि का समाधान किया गया है और केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी) को जारी किया गया। इसमें 1,74,512 करोड़ रु. की आईजीएसटी राशि और केंद्र (सीजीएसटी) को 1,99,995 करोड़ रु. की राशि सम्मिलित है।

#### 2.5.4 माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) हेतु विशेष प्रयोजन वाहन:

माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का गठन केंद्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आयकर अवसंरचना और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 28 मार्च, 2013 को एक गैर-सरकारी, बिना लाभ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था ताकि माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जा सके। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटीएन को एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

#### 2.5.5 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899:

2.5.5.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एक राजकोषीय कानून है, जिसके तहत लेन-देन अभिलिखित करने वाले लिखतों पर स्टाम्प के रूप में लगाए जाने वाले कर संबंधी कानून निर्धारित किए गए हैं। संविधान में उपबंधित की गई स्टाम्प शुल्क संबंधी योजना को विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

I. अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों (अर्थात् विनिमय बिलों, चेकों, वचन पत्रों, लदान पत्रों, साख पत्रों, भीमा पॉलिसियों, शेयरों, डिबेंचरों, प्रोक्सियों एवं रसीदों के हस्तांतरणों) पर स्टाम्प शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, वहीं अनुच्छेद 268 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य, जिसमें यह लगाया गया, में ही उसका संग्रहण करता है और इससे होने वाली आय को अपने पास रखता है (केवल संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर जिनके मामले में इससे होने वाली आय भारत की समेकित निधि का हिस्सा होती है)। वर्तमान में चैकों को छोड़कर इन सभी दस्तावेजों पर यह शुल्क लगाया जाता है।

II. संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 63 की वजह से, ऊपर दिए गए दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क, राज्यों द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है।

III. शुल्क की दरों से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 44 के तहत संघ और राज्यों, दोनों के विधायी अधिकार में आते हैं।

#### 2.5.5.2 केन्द्र सरकार द्वारा सितंबर, 2008 में डिबेंचर और वचन पत्र के

संबंध में स्टॉप शुल्क की दरों का पुनर्गठन किया गया है। वित्त अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन किया गया है।

### 2.5.6 वर्ष के दौरान प्रमुख कार्य निष्पादन और उपलब्धियाँ

संसद द्वारा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया और 30.08.2018 को अधिसूचित किया गया।

#### राज्य कर-II अनुभाग

राजस्व विभाग का राज्य कर-II अनुभाग, राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क वाले केंद्रीय अधिनियमों से संबंधित विधायी कार्य देखता है जैसे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017। यह अनुभाग राज्य मूल्य वर्धित कर प्रणाली के कंप्यूटरीकरण में सहयोग द्वारा राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर को सुगम बनाने का कार्य करता है।

### 2.5.7 राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में "द्वंद्वII (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत "किसी राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर" राज्य का विषय है। राज्यों की पूर्व बिक्री कर प्रणालियों के स्थान पर राज्य वैट को लागू करना अप्रत्यक्ष कर के संबंध में किया गया एक महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय है। संघ शासित क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वैट लागू किया गया है। बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, का राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ने केवल वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाई है। कराधान केंद्र, केरल और सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता नामक दो संस्थानों का राष्ट्रीय स्तर के लोक वित्त एवं नीति संस्थान के रूप में उन्नयन और उनकी संस्थागत क्षमता को विकसित करने के हमारे प्रयास के एक हिस्से के रूप में इन्हें अब तक क्रमशः 22.00 करोड़ रुपये और 14.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराधान अध्ययन केंद्र, केरल को 4.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

### 2.5.8 केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)

क) सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 92क वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को देती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 269(3) संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त तैयार करने का अधिकार देता है कि अन्तरराज्यीय व्यापार के वाणिज्य के दौरान कब वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद होती है। इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 286 (2) संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त बनाने का अधिकार देता है कि किसी राज्य के बाहर अथवा भारत से आयात अथवा निर्यात के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कब होती है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 286(3) संसद को अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में कानून के जरिये संसद द्वारा घोषित की गई विशेष महत्व की वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर राज्यों द्वारा कर लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत करता है।

ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर लगाता है और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सिद्धान्त निर्धारित करता है तथा प्रतिबंध लगाता है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियमावली, 1957 तैयार की है। यद्यपि, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एक केन्द्रीय अधिनियम है फिर भी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के आगम को संग्रहित करती हैं और प्रतिफल का विनियोग करती हैं।

ग) तथापि, केन्द्रीय बिक्री कर उद्गम आधारित गैर-छूट प्राप्त कर होने के कारण प्रस्तावित माल और सेवा कर (जीएसटी) की अवधारणा के अनुरूप नहीं है जो कि गंतव्य आधारित कर है। केन्द्रीय बिक्री कर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था और 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया था।

घ) केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के पैकेज को स्वीकृति दे दी गई थी। राज्यों को राजस्व संवर्धक उपायों और बजटीय सहायता दोनों के संयुक्त माध्यम से प्रतिपूर्ति दी गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए उपायों के रूप में और इसके द्वारा राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति देने के लिए सरकारी विभागों द्वारा प्रपत्र-घ के बदले केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दरों पर अंतरराज्यीय खरीद की सुविधा को 01.04.2007 से वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्यों को केंद्रीय करों के अंतरण के किसी अंश का नुकसान हुए बिना उनके लिए तंभाकू और तंभाकू उत्पादों पर मूल्यवर्द्धित कर लगाने के लिए सक्षम प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अवशिष्ट हानियों के लिए, केन्द्र सरकार ने दावा वर्षों 2007-08, 2008-09, 2009-10 के लिए केंद्रीय बिक्री कर की दर में कटौती करने के कारण राज्यों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को 26406.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

ड) चूंकि माल एवं सेवा कर को 01 अप्रैल, 2010 से लागू नहीं किया जा सका था, राज्यों ने यह मांग रखी कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भी केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति दी जाए। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति हेतु दिशा-निर्देशों के अंतिम रूप दिए जाने तक, वित्तीय वर्ष 2010-11 की क्षतिपूर्ति देते समय, वैट की दर को 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हुए राजस्व में लाभ को हिसाब में लिया गया था और तदनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को "स्वीकार्य दावों" में से उस राशि को घटा दिया गया। पहले, 22 अगस्त, 2008 के दिशा-निर्देश के अनुसार देय राशि में से वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने से राज्यों को होने वाले लाभ को घटाकर वर्ष 2010-11 के लिए देय क्षतिपूर्ति की राशि की 50 प्रतिशत राशि राज्यों 10 फरवरी, 2011 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के अनुमोदनानुसार दी गई थी। उसके बाद, प्रधानमंत्री के अनुमोदन के पश्चात वर्ष 2010-11 के लिए देय शेष 50 प्रतिशत राशि भी राज्यों को दे दी गई थी। तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 6393.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

च) तथापि, राज्य/संघ शासित क्षेत्र यह मांग कर रहे हैं कि वैट की दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने से राज्यों को राजस्व में हुई वृद्धि को हिसाब में लिए बिना उन्हें केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति दी जाए। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि देश में अब तक माल एवं सेवा कर लागू न होने के कारण उन्हें वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए भी केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति दी जाए। 28-29 जनवरी, 2013 में भुवनेश्वर में हुई अपनी बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने निम्नलिखित दो सिफारिशें की:-

- वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति का परिकलन 22 अगस्त, 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

- वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति निम्नलिखित तरीके से अदा की जानी चाहिए।

- 2010-11 : वर्ष 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिकलित राशि का 100%
- 2011-12 : वर्ष 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिकलित राशि का 75%
- 2012-13 : वर्ष 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिकलित राशि का 50%

छ) केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर लागू होने तक अधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 17 मार्च, 2015 को हुई अपनी बैठक में 22 अगस्त, 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति, वर्ष 2011-12 के लिए 75% केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति और वर्ष 2012-13 के लिए 50% क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्णय लिया है।

ज) तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए शेष केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की 10724.08 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 2015 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई और इस प्रकार वर्ष 2010-11 के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के लिए 17118.93 करोड़ रुपये की कुल राशि (जिसमें पहले जारी की गई 6393.94 करोड़ रुपये की राशि शामिल है) जारी की गई है। और वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति हेतु 16315.25 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो किश्तों में जारी की जाएगी। वर्ष 2012-13 के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए बजट अनुमान 2016-17 में 10469.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से, 5854.73 करोड़ रुपये की पहली किश्त जुलाई, 2016 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी कर दी गई है और 5854.69 करोड़ रुपये की शेष राशि को मार्च, 2017 के अंत में जारी करने का प्रस्ताव है। तथापि इस संबंध में 1284.94 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि का अपेक्षित बजट प्रावधान वित्त

वर्ष 2016-17 के अतिरिक्त निधि के अंतिम बैच के शीर्ष 3601 में नहीं किया गया। अतः माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि शीर्ष 3601 एवं 3602 के अंतर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार सभी राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि को यथानुपात आधार पर जारी कर दिया जाएगा (अर्थात् वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि 74.74 प्रतिशत और संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि) तदनुसार मार्च, 2017 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4469.75 करोड़ रु. की दूसरी किस्त जारी की गई। दिनांक 17.03.2015 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार तथा वित्त मंत्री द्वारा राज्यों/संघ राज्यों से किए गए वायदे के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए सीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 1284.94 करोड़ रु. की बकाया राशि सभी राज्यों को और 2007-08 से 2009-10 के लिए गोवा को सीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 99 करोड़ रु. भी मार्च, 2018 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

## 2.5.9 माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति

माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 लोकसभा द्वारा 29 मार्च, 2017 को पारित किया गया ताकि माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण राज्यों को उत्पन्न हो रही राजस्व हानि हेतु संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंध के अनुसरण में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। तदनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 को अधिनियमित किया गया है जिसमें जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली हानि हेतु क्षतिपूर्ति के लिए विस्तृत तंत्र का प्रावधान है। जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम) 2017 के अनुसार द्विमासिक आधार पर जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए 48178 करोड़ रु. तथा अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2019 तक की अवधि के लिए 62243 करोड़ रु. जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई है।

## 2.6 सक्षम प्राधिकरण

### 2.6.1 सफेम के तहत अपील अधिकरण

**2.6.1.1** यह अपील अधिकरण तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समहहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम) के तहत गठित किया गया है। इसने 03.01.1977 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। यह सफेम/एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पीएमएलए, फेमा और बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्याय-निर्णयन के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की भी सुनवाई करता है।

**2.6.1.2** यह अपील अधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष होता है (जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है अथवा रहा हो) और चार सदस्य होते हैं। अन्य चार सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के नीचे के अधिकारी नहीं होते हैं।

**2.6.1.3** दिनांक 01.01.2018 से 20.12.2018 की अवधि के दौरान कुल 1027 अपील (639 पी एम एल ए के अधीन, 37 एन डी पी एस के अधीन और 26 सफेम, 113 फेमा और 212 पीबीडीटी के अधीन) दायर की गई थी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान 1813 विविध याचिकाएं (पी एम



एल ए के तहत 1249, एन डी पी एस के तहत 24 और सफेम के तहत 80, फेमा के तहत 289 और पीभीडीटी के तहत 171) दायर की गई थी। उक्त अवधि के दौरान कुल 364 अपीलें (पी एम एल ए के अधीन 126 और एन डी पी एस के अधीन 12, सफेम के अधीन 84, फेमा के अधीन 93 और पीभीडीटी के अधीन 49) का निपटारा किया गया।

## 2.6.2 सफेम/एनडीपीएस के तहत सक्षम प्राधिकरण

**2.6.2.1** तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम (फोप)) में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए प्रावधान किया गया है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) में, इसी अधिनियम के अंतर्गत या किसी दूसरे देश के किसी समनुरूपी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों, और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के तहत अवैध व्यापार के निवारण तथा जम्मू एवं कश्मीर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अवैध व्यापार के लिए नजरबंद व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से अभिगृहीत

सम्पत्ति का पता लगाने, खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, जब्ती और समपहरण के लिए प्रावधान है।

**2.6.2.2** गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण का कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति हेतु तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रावधान है। वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई में स्थित है और एक यूनिट अहमदाबाद में है। सफेम (फोप) अधिनियम में तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति अपीलों को सुनने के लिए एक अपीलीय फोरम, नामतः अपील अधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

**2.6.2.3** वर्ष 2000-2001 से 2018-2019 तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या, जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य, समपहरण के लिए जारी किए गए आदेशों की संख्या और इसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य और बेची गई सम्पत्ति से आगम के मूल्य का वर्ष-वार विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है :

### अनुबंध-क

| एनडीपीएस अधिनियम तथा सफेम (फोप) अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति का समपहरण |                                                  |                                                                             |                       |                                                                     |                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| वित्तीय वर्ष                                                                                                          | प्रवर्तन अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या | समपहरण के लिए जारी किए गए नोटिसों की संख्या व उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य |                       | जारी किए गए समपहरण आदेशों की संख्या व उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य |                       | बेची गई सम्पत्ति से आगम का मूल्य (लाख रु. में) |
|                                                                                                                       |                                                  | संख्या                                                                      | मूल्य (लाख रुपये में) | संख्या                                                              | मूल्य (लाख रुपये में) |                                                |
| 1                                                                                                                     | 2                                                | 3                                                                           | 4                     | 5                                                                   | 6                     | 7                                              |
| 2000-2001                                                                                                             | 491                                              | 159                                                                         | 2755                  | 103                                                                 | 1662                  | 201                                            |
| 2001-2002                                                                                                             | 228                                              | 89                                                                          | 7223.12               | 50                                                                  | 3202.39               | 107                                            |
| 2002-2003                                                                                                             | 995                                              | 72                                                                          | 1269.22               | 53                                                                  | 2498.60               | 18                                             |
| 2003-2004                                                                                                             | 1180                                             | 97                                                                          | 1547.75               | 25                                                                  | 977.01                | 51.6                                           |
| 2004-2005                                                                                                             | 1357                                             | 162                                                                         | 3251.64               | 25                                                                  | 650.93                | 73.67                                          |
| 2005-2006                                                                                                             | 607                                              | 214                                                                         | 10074.59              | 91                                                                  | 744.60                | 153.27                                         |
| 2006-2007                                                                                                             | 514                                              | 243                                                                         | 3017.27               | 112                                                                 | 868.57                | 2.63                                           |
| 2007-2008                                                                                                             | 507                                              | 210                                                                         | 12784.31              | 24                                                                  | 551.10                | 366.97                                         |
| 2008-2009                                                                                                             | 99                                               | 39                                                                          | 2065.88               | 28                                                                  | 1115.33               | 121.30                                         |
| 2009-2010                                                                                                             | 48                                               | 21                                                                          | 178.5                 | 20                                                                  | 2153.20               | शून्य                                          |
| 2010-2011                                                                                                             | 128                                              | 19                                                                          | 1394.06               | 22                                                                  | 45.57                 | 1123.49                                        |
| 2011-2012                                                                                                             | 112                                              | 17                                                                          | 690.85                | 22                                                                  | 391.58                | 191.27                                         |
| 2012-2013                                                                                                             | 40                                               | 13                                                                          | 3091.48               | 10                                                                  | 101.10                | 1294.28 लाख रुपये +3400 अमरीकी डालर            |
| 2013-2014                                                                                                             | 61                                               | 5                                                                           | 73.55                 | 3                                                                   | 118.73                | 608.37                                         |
| 2014-2015                                                                                                             | 54                                               | 24                                                                          | 643.90                | 18                                                                  | 3253.55               | 166                                            |
| 2015-2016                                                                                                             | 92                                               | 22                                                                          | 1553.81               | 12                                                                  | 308.93                | 11.52                                          |
| 2016-2017                                                                                                             | 45                                               | 22                                                                          | 1232.95               | 19                                                                  | 2.35                  | 778.44 और 443783.19 अमरीकी डॉलर                |
| 2017-18                                                                                                               | 40                                               | 7                                                                           | 77.92                 | 3                                                                   | 39.47                 | 1641.45                                        |
| 2018-19 (जनवरी-दिसंबर, 2018)                                                                                          | 115                                              | 50                                                                          | 6425.04               | 11                                                                  | 226.67                | 721.44                                         |

## 2.7. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)

### 2.7.1 संगठन के कार्य एवं प्रकार्य

**2.7.1.1** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (पूर्व में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण) का सृजन किया गया था। अब सेवा कर अपील भी अब अधिकरण के समक्ष वित्त अधिनियम, 1994 के तहत दायर की जाती है। प्रतिपाटन मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी अधिकरण के पास है और अध्यक्ष, सीस्टेट की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ, वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनती है। अधिकरण का मुख्यालय व प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है और इसकी अन्य क्षेत्रीय पीठें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। अपीलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए तथा वादियों और विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की सुविधा के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना 7/2013 द्वारा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई प्रत्येक में स्थित एक-एक पीठ के अतिरिक्त, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण की छह अतिरिक्त पीठों के सृजन को अधिसूचित किया है। इलाहाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद की अतिरिक्त पीठों को स्थापित कर दिया गया है और इन्होंने क्रमशः 01.10.2015, 01.12.2015 और 14.12.2015 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

**2.7.1.2** प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है। 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये) तक के वित्तीय दावे वाले छोटे मामलों जिनमें शुल्क की दर या मूल्यन संबंधी प्रश्न का कोई मामला शामिल नहीं है, के शीघ्र निपटान के लिए एक एकल सदस्य पीठ का गठन भी किया गया है। यह अधिकरण एक अपील अधिकरण है जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर के आयुक्तों के आदेशों तथा आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होती है। वर्गीकरण और मूल्यन, मामलों में अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी जाती हैं।

**2.7.1.3** अधिकरण की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करते हैं जो किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। सदस्य (न्यायिक) के 16 पद हैं और सदस्य (तकनीकी) के 16 पद हैं। वर्तमान में तकनीकी सदस्य के 8 पद और न्यायिक सदस्य के 3 पद रिक्त पड़े हैं।

### 2.7.2 वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्य व उपलब्धियाँ

**2.7.2.1** सदस्यों व अपेक्षित स्टाफ की अनेक रिक्तियों सहित विभिन्न बाधाओं के बावजूद अपीलों के निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दाखिल की गई और निपटाई गई अपीलों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार है:-

| वर्ष                         | दाखिल की गई अपीलें | रोकी गई | निपटाई गई अपीलें | रोकी गई |
|------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------|
| जनवरी 2018 से मार्च, 2019 तक | 31318              | 1371    | 29857            | 1099    |

**2.7.2.2** एनआईसी द्वारा अपीलों को ऑनलाइन दायर करने और अपील शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकरण की वेबसाइट पर सूचना डाल दी जाती है। न्यायपीठ द्वारा ली गई मर्दों की संख्या के वास्तविक समय प्रदर्शन के साथ-साथ अधिकरण के सभी आदेश भी अपलोड किए जाते हैं जो वेबसाइट और परिसर में लगे बोर्डों दोनों पर उपलब्ध हैं।

**2.7.2.3** संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र को कोलकाता पीठ के न्यायाक्षेत्र के अधीन सुविधापूर्वक रखा गया है।

**2.7.2.4** निःशक्तजन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों के संबंध में सरकार द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाओं का सख्ती से पालन किया जाता है और योग्य अभ्यर्थियों/स्टाफ को भी सुविधा दी जाती है।

**2.7.2.5** डीओपीटी के दिनांक 8.7.2009 के का. झा. सं. 13018/4/2009-स्था(एल) के अनुसार इस अधिकरण की महिला कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए माननीय रचना गुप्ता, सदस्य (जे), सीस्टेट की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अब तक समिति को कोई शिकायत नहीं मिली है।

**2.7.2.6** एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक निर्धारित प्रपत्र-अनुबंध - I से II संलग्न है। आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए इन वर्गों के अभ्यर्थियों के चयन हेतु एसएससी/यूपीएससी को मांग बेजी जाती है। उच्च पदों पर पदोन्नति भी आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करते हुए की जाती है।

**2.7.2.7** एनआईसी की मदद से जनवरी, 2017 में शुरू की गई गतिशील वेबसाइट पूर्ण रूप से क्रियाशील है और इसकी सुविधा अब सभी आठ क्षेत्रीय पीठों को दी जा रही है। वाद-सूची साप्ताहिक आधार पर और दैनिक आदेश दैनिक आधार पर अपलोड की जाती है। अंतिम आदेशों को सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अपलोड किया जाता है। डीओपीटी के दिनांक 15/04/2013 के का. झा. सं. 1/6/2011 द्वारा अपेक्षित अधिकरण से संबंधित सभी सूचना उपलब्ध है। एनआईसी ने अपील को ऑनलाइन दायर करने का कार्य शुरू किया है जो अधिकरण में अपनी तरह का पहला कार्य है। इसके साथ-साथ अपील शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी किया जाता है।

**2.7.2.8** अधिकरण एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन का प्रयास कर रहा है। सभी खर्च अधिकरण के लिए आवंटित बजट तक सीमित है। अधिकरण के सदस्यों को अन्य पीठों में सरकारी दौरे पर भेजा जा रहा है जहां रिक्त पद हैं। हालांकि वे बिजनेस क्लास फ्लाइट में यात्रा के पात्र हैं, सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इकोनोमी क्लास से यात्रा करें और जहां संभव हो सरकारी गेस्ट हाऊस में ठहरें। विभिन्न मर्दों/सेवाओं और अतिरिक्त पीठों के कार्यकरण, के मूल्य में वृद्धि के बावजूद खर्च के अनुमोदित सीमा तक सीमित रखा जाता है। खर्च को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्तता और औचित्य सहित ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

## 2.8 अग्रिम विनिर्णय प्रभाग हेतु प्राधिकरण

### 2.8.1 सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग

#### 2.8.2 संगठन के कार्य एवं प्रकार्य

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के अंतर्गत दिनांक 9.6.99 की अधिसूचना सं0 40/99-सी0एक्स(एन टी) और 41/99-सी0एक्स(एन टी) के तहत सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग का गठन किया है। आयोग की नई दिल्ली स्थित एक प्रधान पीठ है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में तीन अतिरिक्त पीठें हैं जिनकी अध्यक्षता

उपाध्यक्ष करते हैं व प्रत्येक पीठ में 2 सदस्य हैं। आयोग राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

समझौता आयोग की स्थापना न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में फंसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व की वसूली में तेजी लाने के लिए की गई है। यह करदाताओं, जिन्होंने शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है, को अपवंचन कबूलने के लिए एक अवसर देता है। समझौता आयोग को जुर्माने और मुकदमों में उनमुक्ति प्रदान करने की शक्ति भी दी गई है जिससे करदाता को अपने विवाद से शीघ्र निपटने का एक अवसर मिलता है।

#### 2.8.1.2 वर्ष के दौरान आयोग के विशिष्ट कार्य-निष्पादन तथा उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

| अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या | अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या | अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान निपटाया गया शुल्क (करोड़ रु. में) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 535                                                      | 490                                                              | 291.06                                                                 |

#### 2.8.1.3 समझौता आयोग का वर्ष-वार कार्य निष्पादन/उपलब्धियां:-

| वर्ष       | प्राप्त आवेदनों की सं0 | रद्द किए गए आवेदनों की सं0 | निपटान<br>निपटाए गए आवेदनों की सं0 | निपटाया गया शुल्क<br>(₹ करोड़ में) |
|------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1999-2000  | 3                      | 1                          |                                    |                                    |
| 2000-01    | 327                    | 28                         | 146                                | 21.28                              |
| 2001-02    | 559                    | 63                         | 153                                | 26.64                              |
| 2002-03    | 656                    | 105                        | 365                                | 187.51                             |
| 2003-04    | 753                    | 141                        | 431                                | 114.04                             |
| 2004-05    | 1273                   | 205                        | 1143                               | 181.25                             |
| 2005-06    | 1587                   | 283                        | 1207                               | 129.09                             |
| 2006-07    | 1960                   | 219                        | 1434                               | 239.02                             |
| 2007-08    | 1596                   | 369                        | 2274                               | 597.92                             |
| 2008-09    | 857                    | 124                        | 569                                | 125.43                             |
| 2009-10    | 723                    | 68                         | 599                                | 67.36                              |
| 2010-11    | 885                    | 103                        | 770                                | 114.33                             |
| 2011-12    | 959                    | 247                        | 702                                | 462.48                             |
| 2012-13    | 1610                   | 74                         | 934                                | 198.06                             |
| 2013-14    | 1623                   | 156                        | 1680                               | 482.99                             |
| 2014-15    | 1525                   | 353                        | 1469                               | 74.32                              |
| 2015-16    | 1262                   | 208                        | 1154                               | 654.31                             |
| 2016-17    | 844                    | 174                        | 814                                | 1037.13                            |
| 2017-18    | 563                    | 116                        | 488                                | 428.95                             |
| 2018-19    | 535                    | 73                         | 417                                | 291.06                             |
| <b>कुल</b> | <b>20100</b>           | <b>3110</b>                | <b>16749</b>                       | <b>6012.17</b>                     |

#### 2.8.2 आयकर समझौता आयोग

**2.8.2.1** आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी) की स्थापना वान्चू समिति (1971) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1.4.1976 को की गई थी। यह प्रत्यक्ष कर क्षेत्र के भीतर आयकर और धनकर मामलों के निपटान हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ए0डी0आर0) निकाय है। इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजस्व हित में मामलों के निपटान को सांविधिक आधार प्रदान करना था। समझौता आयोग को मुकदमेबाजी के स्थान पर मध्यस्थता के मंच के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य परस्पर विरोधी पार्टियों को न्याय की सामान्य प्रक्रिया में निहित

टकराव की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करने के बजाए उन्हें एक आम सहमति के अंतर्गत लाना है। इसे सांविधिक मध्यस्थता हेतु एक संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था।

**2.8.2.2** इस संस्थान के पीछे उद्देश्य को वान्चू समिति की रिपोर्ट से अक्सर उद्धृत अंश में समुचित रूप से सार में प्रस्तुत किया गया है जोकि निम्न प्रकार है:

"तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी दुष्कर करदाता के साथ समझौते का रास्ता सदा के लिए बंद रहना चाहिए। राजकोषीय कानूनों के प्रशासन में, जिसका मूलभूत उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना है,

निपटान और समझौते के लिए कोई स्थान नहीं है। कड़ा रुख किसी पुराने कर अपवंचक या अनबिप्रेत चूककर्ता को अपने कार्यों को परिमार्जन करने में न केवल अवरोध डालेगा भल्कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ाने और संग्रहण को रोकने में राजस्व को संदेहपूर्ण लाभ के मामलों में विभाग के जांच पड़ताल संबंधी संसाधनों को भी अनावश्यक क्षति पहुंचाएगा।"

### 2.8.2.3 समझौता आयोग की निम्नलिखित सात पीठ हैं:-

- नई दिल्ली में स्थित एक प्रधान पीठ तथा दो अतिरिक्त पीठें
- मुम्बई में दो अतिरिक्त पीठें
- कोलकाता में एक अतिरिक्त पीठ
- चेन्नई में एक अतिरिक्त पीठ

**2.8.2.4** आयोग में ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर व व्यापार लेखा से संबंधित समस्याओं की विशेष जानकारी व अनुभव रखने वाले ईमानदार व उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों में से चुनकर नियुक्त किया जाता है।

**2.8.2.5** प्रत्येक पीठ में तीन सदस्य होते हैं। प्रधान पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष और प्रत्येक अतिरिक्त पीठ की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव रैंक का होता है। उपाध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक के होते हैं। आयोग के सदस्य आयकर के कार्यरत मुख्य आयुक्तों अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधान पीठ को छोड़कर प्रत्येक अन्य पीठ में वरिष्ठतम सदस्य उस पीठ का उपाध्यक्ष कहलाता है। प्रधान पीठ का अध्यक्ष

आयोग के अध्यक्ष पद की रिक्ति अधिसूचित होने की तारीख को कम से कम छह माह शेष सेवा वाले आयोग के कार्यरत सदस्यों में से नियुक्त किया है।

**2.8.2.6** किसी भी कर-निर्धारिती को अपने मामले के निपटान हेतु निर्धारित प्रपत्र में समझौता आयोग को आवेदन करना होता है। उसे कर-निर्धारण अधिकारी के सामने वह अतिरिक्त आय प्रकट करनी होती है, जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की गई है तथा तालाशी के मामलों में अतिरिक्त आय पर देय अतिरिक्त कर 50 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। आवेदकों को समझौता आयोग में आवेदन को फाइल करने से पहले ब्याज सहित अतिरिक्त कर का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके बाद आयोग आवेदन की स्वीकार्यता पर निर्णय लेता है और स्वीकृत आवेदनों के मामले में दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करते हुए एक समय-बद्ध तरीके से समझौता/निपटान की प्रक्रिया को पूरा करता है। समझौता आयोग को आवेदन फाइल करने की तारीख से 18 माह के भीतर आवेदन का निपटान करना होता है। आयोग के पास आयकर अधिनियम, 1961 और धनकर अधिनियम, 1957 के तहत जुर्माने और अभियोजन, से छूट प्रदान करने की व्यापक शक्ति है जिसमें सामान्यतः विभाग व करदाता के बीच लंबी मुकदमेबाजी शामिल है। आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम एवं निर्णायक होता है। वर्तमान में कोई भी करदाता जिसने अपना आवेदन 01 जून, 2007 को या इसके बाद दिया हो, जीवन में एक बार समझौता की प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। आयोग के संबंध में अन्य विवरण इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### 2.8.2.7 दर्ज और निपटाए गए आवेदनों की संख्या को दर्शानेवाला विवरण निम्नानुसार है:-

धारा 245 घ(4) के तहत मामलों के निपटान और लंबन की स्थिति

| वित्त वर्ष | लंबन (वर्ष के दौरान प्रारंभ प्राप्त किए गए) | निपटान | शेष | निपटान की प्रतिशतता |
|------------|---------------------------------------------|--------|-----|---------------------|
| 2016-17    | 1117                                        | 541    | 576 | 48.4                |
| 2017-18    | 1055                                        | 384    | 670 | 36.39               |
| 2018-19    | 1073                                        | 461    | 612 | 42.96               |

### 2.8.3 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

**2.8.3.1** अनिवासियों (साथ ही निवासियों की विशिष्ट श्रेणियां भी) के मामले में आयकर देयता के मूल्यांकन के संबंध में विवाद से बचने के लिए, आयकर अधिनियम के अध्याय - XIX - में अग्रिम विनिर्णय की एक योजना शामिल की गई है। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) अनिवासियों/निवासियों के आवेदनों पर निर्णय लेता है और ऐसे निर्णय आवेदक और आयकर विभाग दोनों पर बाध्यकारी है। इस प्रकार आवेदक कानून के किसी प्रश्न या तथ्य पर महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी से बच सकता है जो सामान्य आयकर मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न हो सकती है। अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में अध्याय - V - ख में समान प्रावधान निहित हैं। अग्रिम विनिर्णय की योजना योग्य व्यक्तियों को किसी विशेष कर योग्य गतिविधि में शुरू करने से पहले करदेयता पर स्पष्टता तलाशने की अनुमति देती है। वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के तहत

गठित एएआर, सीमा-शुल्क कानूनों के लिए एएआर के रूप में कार्य कर रहा है। तथापि, वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सृजित अग्रिम विनिर्णय हेतु सीमा शुल्क प्राधिकरण के नाम से नए प्राधिकरण द्वारा पारित सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्णय हेतु इस प्राधिकरण को अपीलीय प्राधिकरण में परिवर्तित कर दिया है।

**2.8.3.2** प्राधिकरण की तीन पीठ हैं- दिल्ली में प्रधान पीठ जिसका अधिकार क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रहने वाली आवेदकों और उन अनिवासियों पर जिनका कार्यालय भारत में नहीं है, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पीठ जिसका अधिकार क्षेत्र उत्तरी और पूर्वी राज्यों पर है तथा मुम्बई पीठ जिसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र केंद्रीय और दक्षिणी राज्यों पर है।

**2.8.3.3** अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 क के अंतर्गत आने वाले अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी दिनांक 17.3.2005 (दिनांक 7.6.2005 की अधिसूचना द्वारा

यथा संशोधित) की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया है। इसने दिनांक 01.03.2006 से केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था।

**2.8.3.4** प्रधान पीठ के अध्यक्ष का रिक्त पद जुलाई, 2018 में भरा गया था और सदस्य (राजस्व) प्रधान पीठ में नवंबर, 2018 माह में शामिल हुए। तत्पश्चात आयकर और जीएसटी से संबंधित लंबित मामलों के निपटान के प्रयासों में तेजी लाई गई है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पीठ

एएआर का प्रश्न है सदस्य (विधि) ने 04.01.2019 को कार्यभार ग्रहण किया और सदस्य (राजस्व) ने 01.05.2019 को पीठ का कार्यभार ग्रहण की। एएआर की मुम्बई पीठ में सदस्य (राजस्व) ने 01.05.2019 को कार्यभार ग्रहण किया। एएआर की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पीठ में उपाध्यक्ष के रिक्त पद को भरने के प्रयास चल रहे हैं। ये सभी प्रयास प्राधिकरण में आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए हैं। लंबित मामलों की स्थिति तालिका 1, 2, और 3 के अनुसार है:-

तालिका-1

**31 दिसंबर, 2018 को लंबित आयकर मामलों की स्थिति**

| कार्यालय का नाम     | वित्त वर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्त आवेदन | कुल<br>किए गए | निपटान | सी/एफ |
|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| प्रधान पीठ + एनसीआर | 2018-19    | 141           | 25            | 166           | 10     | 156   |
| मुम्बई              | 2018-19    | 260           | 3             | 263           | 28     | 235   |

तालिका-2

**31 दिसंबर, 2018 को लंबित आयकर मामलों की स्थिति**

| वित्त वर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्त आवेदन | कुल | निपटान किए गए | सी/एफ |
|------------|---------------|---------------|-----|---------------|-------|
| 2018-19    | 114           | 21            | 158 | 03            | 132   |

तालिका-3

**31 दिसंबर, 2018 को (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) लंबित आयकर मामलों की स्थिति**

| वित्त वर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्त आवेदन | कुल | निपटान किए गए | सी/एफ |
|------------|---------------|---------------|-----|---------------|-------|
| 2018-19    | 47            | शून्य         | 47  | शून्य         | 47    |

**2.8.4. राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)**

**2.8.4.1** राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान लोक अर्थव्यवस्था एवं मैक्रो वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान, नीति सिफारिश, और क्षमता निर्माण कार्यवाहियाँ करने वाला प्रमुख अनुसंधान संगठन है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 1976 में स्थापित इस संस्थान ने भारत सरकार के सभी स्तरों पर नीति सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समष्टि अर्थशास्त्र, राजकोषीय नीति और अंतर-सरकारी वित्त पर अनुसंधान, सलाह एवं क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है। संस्थान की परिकल्पना “मजबूत एवं स्थायी विकास को बढ़ावा देना” है।

**2.8.4.2** शासी निकाय के अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होते हैं और वर्तमान में डा. विजय केलकर, जनवाणी के अध्यक्ष, पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के उपाध्यक्ष इस शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। सचिव (राजस्व), सचिव (आर्थिक कार्य) और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासी निकाय में तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और फिक्की और एसोचैम के प्रतिनिधि हैं। निदेशक को सलाह देने हेतु एक अकादमिक समिति है।

**2.9 केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो**

**2.9.1 संगठन एवं कार्य**

**2.9.1.1** केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना के लिए एक नोडल एजेंसी है। वर्ष 1985 में इसका गठन आर्थिक आसूचना तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाइयों के समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया था।

**2.9.1.2** ब्यूरो के अध्यक्ष महानिदेशक हैं जिनकी सहायता दो अपर-महानिदेशक (संयुक्त सचिव के समकक्ष), संयुक्त सचिव (कोफेपोसा), अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (उप सचिव/निदेशक के समकक्ष), अवर सचिव, उप निदेशक (अवर सचिव के समकक्ष) और अन्य स्टाफ करता है। ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 113 है। वर्तमान में इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या केवल 65 है।

**2.9.1.3** केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के मौजूदा चार्टर के अनुसार यह निम्नलिखित कार्य करता है -

(क) आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य;

(ख) आर्थिक आसूचना (इकोइंट) के समन्वयक कार्य और निधान के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और

(ग) केंद्र सरकार के स्तर पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

#### 2.9.1.4 अधिदेश के भाग के रूप में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:-

- आर्थिक अपराधियों और अपराधों का डाटाबेस रखता है।
- विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करता है तथा मैक्रो स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण करता है।
- ब्यूरो क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (क्षे.आ.आ.प.) के पर्यवेक्षीय और मानीटरिंग संबंधी कार्य करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर समन्वयक निकाय हैं, और जिनमें आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न केन्द्र और राज्य प्रवर्तन एवं जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- राजस्व विभाग के अधिकारियों/क्षे0आ0आ0प0 की सदस्य एजेंसियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- वैश्विक प्रविष्टि कार्यक्रम (जीईपी) के तहत आवेदनों की संवीक्षा करता है।

**2.9.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ब्यूरो द्वारा किए गए मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:-**

#### 2.9.2.1 एजेंसियों के प्रमुख (एच ओ ए):

एजेंसियों के प्रमुख की समिति में राजस्व विभाग के अंतर्गत आसूचना और जांच एजेंसियों के प्रमुख आते हैं तथा यह समिति आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रही आसूचना की प्रवृत्ति के विषय में विचार-विमर्श करती है। यह सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, आयकर, हवाला, ड्रग्स तथा भारतीय मुद्रा के जाली नोटों (एफआईसीएन) के क्षेत्रों में कार्यनीतिक आसूचना का भी आदान-प्रदान करती है तथा संयुक्त और/या समन्वित कार्रवाई के लिए एजेंसी के पारस्परिक विस्तार के साथ-साथ अन्य मामलों की पहचान करती है।

#### 2.9.2.2 आर्थिक आसूचना दल (जी ई आई):

आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) से दिनांक 23.11.2005 की इनकी बैठक से मिले निर्देशों के अनुसार 01.12.2005 से आर्थिक आसूचना दल (जीईआई) का गठन किया गया था। सूचना प्राप्त करने और साझा करने के बिंदु के रूप में जीईआई में विभिन्न एजेंसियों और कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी होते हैं।

आर्थिक आसूचना दल सदस्य एजेंसियों के बीच आसूचना को साझा करने के लिए एक समन्वयकारी मंच उपलब्ध कराता है। इस मंच के जरिए जानकारी को साझा करने से आर्थिक अपराधों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उपायों को जुटाने में सहायता मिलती है, जिनमें से कुछ आर्थिक अपराधों में प्रतिपादित अपराध भी बनते हैं, और व्यापार आधारित धन शोधन पर इस प्रकार एकत्र आसूचना धन शोधन निवारण

अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत मुकदमें दर्ज करने में सहायक होती है। ब्यूरो, स्वयं के स्तर पर भी आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में जानकारी बढ़ाता है तथा आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें उपयुक्त आसूचना व प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करता है।

**वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित आर्थिक आसूचना दल का गठन किया गया था:**

#### (i) नकली चालान के उपयोग द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी और कर अपवंचन:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीजीजीआई, डीआरआई, डीएफएस, आरबीआई, सीबीडीटी, डीजीएफटी, एफआईयू, आईबी, राज्य कर दिल्ली सीबीआईसी सदस्य एजेंसियों सहित महानिदेशक, सीईआईबी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक आसूचना दल द्वारा नकली/बोगस चालानों के उपयोग द्वारा वाणिज्यिक धोखाधड़ी/धोखाधड़ी इनपुट कर क्रेडिट का मामला उठाया गया। दल की बैठक 11.01.2019 को हुई और लिए गए निर्णयों पर क्रियान्वयन हेतु उच्च प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा रहा है।

#### (ii) हीरे और बहुमूल्य रत्न के आयात में अति-मूल्यांकन के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) पर आर्थिक आसूचना दल:

हीरे और बहुमूल्य रत्न के आयात में अति-मूल्यांकन के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल का मामला, ईडी, सीबीआई, डीजीजीआई, सीबीडीटी, आरबीआई, डीएफएस और एफआईयू सदस्य एजेंसियों सहित महानिदेशक, सीईआईबी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक आसूचना दल (जीईआई) द्वारा लिया गया। जीईआई की बैठक 06.03.2019 को आयोजित की गई। दल अपनी शिफारिशों को शीघ्र अंतिम रूप देगा।

#### 2.9.2.3 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) की कार्यप्रणाली का समन्वयन:

आरईआईसी मंच दो माह में मिलता है और आर्थिक अपराधों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करते हैं। ब्यूरो सभी 30 आरईआईसी के निष्पादन की निगरानी करता है। यह आरईआईसी के संयोजकों के सम्मेलनों का भी आयोजन करता है। ब्यूरो उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरईआईसी को बार-बार चेतावनी/परिपत्र/दिशानिर्देश परिचालित करता है। ब्यूरो सभी आरईआईसी के निष्पादन की समीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर करता है। वित्त वर्ष 2018-19 में 30 आरईआईसी में कुल 153 बैठकों का आयोजन किया गया। 2018-19 के दौरान आरईआईसी में सूचना के आदान-प्रदान के आधार पर 124.5 करोड़ रु. के अतिरिक्त राजस्व की वसूली की गई और 1093 मामलों को साझा किया।

ब्यूरो द्वारा 24.04.2018 और 25.02.2019 को संबंधित आरईआईसी के सभी 30 संयोजकों और पदनामित सदस्यों के साथ दो वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता वित्त/राजस्व सचिव द्वारा की गई और इसमें विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों ने भी भाग लिया जिसमें उच्च स्तर पर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चिंता जाहिर की गई कि आरईआईसी अपनी प्रभावशीलता वापिस प्राप्त कर सके।

### 2.9.2.4 समन्वय

#### क. अफीम पोस्ट की अवैध खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के संबंध में समन्वय

विभिन्न राज्यों में अफीम की अवैध खेती तथा उसे नष्ट करने से जुड़ी सूचना हेतु ब्यूरो क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। लोक लेखा समिति द्वारा "स्वापक पदार्थों का प्रबंधन" पर सौंपी गई छियान्ची रिपोर्ट में निहित उनकी सिफारिश कि ऐसी सुविधा का प्रावधान करने जिसके माध्यम से कोई भी अवैध खेती के स्थान की फोटो को अपलोड कर सके के अनुसरण में सीईआईबी द्वारा एक व्हट्सऐप संपर्क नम्बर (+919868505002) उपलब्ध कराया गया है ताकि नागरिकों से अवैध खेती के स्थानों की तस्वीरें प्राप्त हो सकें। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस मामले पर जानकारी देंगे और इस व्हट्सऐप संपर्क संख्या पर अफीम खेती की तस्वीरें/सूचना भी साझा करेंगे।

#### ख. सुरक्षित सूचना विनिमय नेटवर्क (एसआईईएन)

2007 में ईआईसी के निर्णय के अनुसार ब्यूरो में आसूचना और सूचना के ऑनलाइन विनिमय हेतु एक सुरक्षित नेटवर्क मंच पूरी तरह से काम कर रहा है जहां 14 सदस्य एजेंसियां एक सुरक्षित माहौल में आपस में संवाद कर सकती हैं। एसआईईएन का विस्तार समूचे देश में करने के लिए एसआईईएन का एकीकरण आसूचना ब्यूरो के एमएसी के साथ करने की प्रक्रिया चल रही है।

### 2.9.2.5 ब्यूरो के अध्ययन और अंतर-मंत्रालयी समूहों की रिपोर्टें:

#### क. बैंक धोखाधड़ी :

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के अधिदेश के अनुसार सीईआईबी को वित्त वर्ष 2018-19 में पीएसबी से बैंक धोखाधड़ी/एफआईआर प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं जो कि ऐसे मामलों के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से का कारण है। यह महसूस किया गया है कि न केवल धोखाधड़ी की मात्रा अत्यधिक है बल्कि यह छोटे कर्जदारों और किसानों आदि के लिए अन्यापूर्ण होने के अलावा इससे देश की अर्थव्यवस्था, सरकार और सामाजिक कल्याण पर भी क्षयकारी प्रभाव पड़ा। यह भी गौर किया गया है इन बैंकों की धोखाधड़ियों से अपराधों का पता लगाने के लिए अन्य एलईए तक पहुंचा जा सकता है। इन अपराधों में मूल्यहास (बहियों में प्रविष्टि नहीं की गई परिसंपत्तियों पर) के छलपूर्ण दावों से उद्भूत होने वाले कर्जों के अपवंचन अथवा कर्ज ली गई निधि पर दावा किए गए ब्याज (जबकि वास्तविकता में इन निधियों को गैर-व्यापारिक प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल में लाया गया था) या बहियों से बाहर बिक्री, विदेशी मुद्रा में हेर-फेर, निधि के निस्तारण, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन और अधिकारियों की अभियोज्यता आदि शामिल हैं। और अपराधों को रोकने हेतु संबंधित आसूचना/जांच एजेंसियों के बीच समन्वय अपेक्षित होता है और ब्यूरो ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। पीएसबी द्वारा शिकायत दर्ज होने के लंबे समय बाद तक सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र के दाखिल होने में विलम्ब होने से जुड़े मुद्दों को बैंकों, डीएफएस और सीबीआई के मुख्य सर्तकता अधिकारियों के साथ उठाया गया है। "बैंक धोखाधड़ियों का समय पर पता लगाने और उससे बचने पर 73 पृष्ठों वाली रिपोर्ट को तैयार किया गया तथा सचिव (राजस्व), सीवीसी, एन एस ए, सचिव, डीएफएस, निदेशक सीबीआई और अध्यक्ष के.प्र.क. बोर्ड को सौंपी गई। रिपोर्ट में बैंकों द्वारा सूचित किए

गए धोखाधड़ी के 146 मामलों का विश्लेषण, विभिन्न प्रारूपों और अपराधियों द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली की चर्चा की गई। "

ख. सीईआईबी का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केवाईसी/एएमएल उल्लंघनों (आरबीआई द्वारा एफआई यू के साथ साझा किए गए अनुसार) और फेमा उल्लंघनों (प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा किए गए अनुसार) के साझा करने पर समझौता ज्ञापन हुआ है। इस संबंध में, यह गौर किया कि आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की देखरेख के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने से केवाईसी/एएमएल उल्लंघनों की विशेष घटनाओं को दर्ज किए बगैर ही काम चला लिया गया था। तथापि, यह एफएटीएफ की दूसरी सिफारिश के विरुद्ध था यानि सदस्य देशों में एएमएल/सीएफटी नीतियों को सूत्रबद्ध करने (समय-समय पर पहचाने गए समकालीन जोखिमों पर ध्यान देते हुए) एक संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए और उसके संचालन एवं कार्यान्वयन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तदनुसार, सीईआईबी ने आरबीआई से एकपक्षीय निर्णय पर पुनः विचार करने और एससीबी के उनके निरीक्षणों के दौरान केवाईसी/एएमएल/सीएफटी को शामिल करने का अनुरोध किया। सीसीबी में केवाईसी/एएमएल उल्लंघनों के व्यक्तिगत खाते का ब्यौरा दर्ज करने की प्रणाली आरबीआई के समीक्षाधीन है।

ग. सीईआईबी ने भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 6/आरबी/-2000 दिनांक 03.05.2000 और परिपत्र सं. ए.पी. (डीआईआर-सीरीज़) 45/2015-16 दिनांक 04.02.2016 का पैरा ख के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्रियों को असीमित विदेशी मुद्रा के वैयक्तिक सामान को सभी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क के रैड चैनल काउन्टर पर ऐसी सभी मुद्राओं के अधीन अनुमत करने की वर्तमान नीति में उपयुक्त संशोधन करने के सुझाव को आरबीआई और डीएफएस के साथ साझा किया है। ब्यूरो में उपलब्ध मामलों में से ऐसी घटनाओं को उजागर किया गया ताकि इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित हो सके कि असीमित नकदी मुद्रा की बेरोकटोक आवाजाही पीएमएल, यूएपीए जैसे कानूनों की मूल भावना के प्रभाव को कम करने के अलावा धनशोधन, आतंक पोषण, जालसाजी और अन्य ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का सरल साधन उपलब्ध करा सकती है। मामला आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के विचाराधीन है।

घ. ब्यूरो में प्राप्त हुई जानकारीयों से बैंकों द्वारा आरबीआई का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी/अनियमितताओं/ऋण खातों का दुरुपयोग आदि जिसमें उचित केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानदंडों को न मानना और सीमा शुल्क सम्यक तत्परता (सीडीडी) शामिल हैं, के बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। मामले का अध्ययन किया गया और आरबीआई तथा डीएफएस को सुझाव दिए गए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानदंडों/सीडीडी के अनुपालना न होने पर उपयुक्त मामलों में राजकोषीय जुर्माने अधिरोपित करने के साथ आपराधिक देनदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किया जा सके।

ड. मौजूदा वर्ष के दौरान, ब्यूरो द्वारा विकसित आसूचना जानकारी के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी को आगे कार्रवाई हेतु सदस्य एजेंसियों को दिया जाएगा। इस सूचना में विभिन्न क्षेत्रों जैसे एफआईसीएन नशीली दवाओं, हवाला तंत्रों, सीमा शुल्क धोखाधड़ी, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपवंचन, आयकर अपवंचन, बैंक ऋण धोखाधड़ी, अवैध खनन, बहु-स्तरीय विपणन अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट और संदिग्ध गतिविधियों तथा कंपनियों द्वारा गुप्त आय को वापिस जुटाना, आदि शामिल हैं।

विचार विमर्श किए गए/निगरानी किए गए अन्य मामले थे:-

- i महत्वपूर्ण अपराधियों की सूचना
- ii दस्तावेजी स्थिति
- iii जांच हेतु विभिन्न मामलों की पहचान करना जैसे गैर-कानूनी आयात, नकली बिलों/जाली चालानों का उपयोग, एमएलएम योजनाएं, सीमा पार काले धन को वैध बनाना आदि।

आर्थिक अपराधों की जांच/विश्लेषण से संबंधित उपर्युक्त सभी कार्य बड़े सतर पर फैले हैं जिसमें अवैध निर्यात/आयात, काले धन को वैध बनाना, नकली बरतीय मुद्रा की पहचान करना, नकली बिलों/जाली चालानों का उपयोग, वित्तीय माध्यमों जैसे वाणिज्यिक बैंकों, बीमा, एनबीएफसी आदि का दुरुपयोग शामिल है, जो सीआईबी द्वारा उजागर किए गए नीतिगत अंतरालों को सामने लाते हैं। इन आंकड़ों और कार्य प्रणाली को राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

#### 2.9.2.6. आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) की बैठक:

ईआईसी के अंतर्गत 18 सदस्य एजेंसियां (सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, एमएचए, एसडबीई, आरबीआई, डीईए, राजस्व सचिव, डीसीए, एनएमसीएस, सीईआईबी, एनसीबी, डीआरआई, डीजीजीआई, अपर सचिव, राजस्व विभाग, डीजीएफटी एवं एफआईयू) आती हैं। ईआईसी ने विशेष अतिथि के रूप में डीजीएनआईए, निदेशक आईबी, निदेशक सीबीआई, डीजीबीएसएफ, सचिव एमईए और सचिव राँ होते हैं। सीईआईबी, ईआईसी के सचिवालय की भूमिका निभाता है। डेढ़ वर्ष के अंतराल के बाद, ईआईसी की अंतिम बैठक 15.11.2018 को संपन्न हुई थी। बैठक के दौरान (i) ईआईसी और कार्यकारी समूह की पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाईयों की समीक्षा की गई, (ii) आसूचना एकत्र करने और समन्वय स्थापित करने से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई, (iii) एजेंसियों के बीच उचित समन्वय को सुधारने तथा समय पर कार्रवाई करने हेतु समुचित निर्देश दिए गए।

#### 2.9.2.7 ब्यूरो द्वारा संचालित किए गए कुछ प्रमुख मामलों का सम्बन्ध निम्न से है

##### (i) ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों से चुने मामलों का प्रचार-प्रसार

(क) किसी संस्था द्वारा धन शोधन से जुड़ी किसी सूचना का डीआरआई द्वारा साझा किए गए ब्यूरो में से चुना गया और उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ साझा किया गया। सूचना के अनुसार, संस्था शुल्क-रहित आयातित स्वर्ण को विशेष आर्थिक जोन से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में लाने, छल/धोखेभाजी से बैंक ऋण को संदिग्ध रूप से दूसरे कार्य में इस्तेमाल करने और आयातित स्वर्ण आभूषण हेतु 129,207,970 अमरीकी डॉलर (840 करोड़ रुपये) की राशि का आयात विप्रेषित धन की गैर-वसूली में शामिल थी। ब्यूरो द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ क्षेत्रीय ईकाई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है। ब्यूरो की सूचना के आधार पर सीबीआई ने ऋणदाताओं के संघ के सभी सदस्यों, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया है कि कंपनी की आपराधिकता के पहलू की जांच करें क्योंकि ऋण खातों को अभी कपटपूर्ण

घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, नौएडा एसईजैड प्राधिकरण ने एसईजैड में काम शुरू करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। डीएफएस को इन सभी भातों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(ख) ब्यूरो द्वारा मुम्बई की किसी एफएफएमसी कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन से संबंधित सूचना साझा करने के प्रत्युत्तर में आरबीआई ने कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है और उसके बाद केवाईसी/एमएल दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए उक्त कम्पनी और ऐसी ही गतिविधियों में संलिप्त अन्य 4 एफएफएमसी कम्पनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा यह सूचित किया गया है कि 5 अन्य एफएफएमसी कम्पनियों के भी इसी तरीके से निर्यातकों को विदेशी मुद्रा दिए जाने में संलिप्त होने की आशंका है। इन पांच एफएफएमसी कम्पनियों के संबंध में आरबीआई के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ग) पोंजी योजनाओं द्वारा लोगों से लगभग 7500 करोड़ रुपये ठगने के बाद निवेशकों को धन लौटाने के बजाए धन की बड़ी राशि को अपनी सहयोगी कंपनियों में डालने वाली एक कंपनी द्वारा सेवा कर के अपवंचन से जुड़ी आसूचना जानकारी साझा किए जाने को ब्यूरो ने विभिन्न एजेंसियों के बीच संचालित किया। इस मामले में, डीजीजीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ 900 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। कम्पनी के दो निदेशकों को भी मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

(घ) महाराष्ट्र के एक समूह द्वारा 5000 से अधिक जमाकर्ताओं से लगभग 260 करोड़ रुपये ठगने से संबंधित सूचना ईडी, सीबीआई एवं सीबीडीटी के साथ साझा की गई।

(ङ) (i) उचित प्राधिकरणों यानि आय कर/सेवा कर आदि के पास 3,07,95,12/-रु. के अविवादित सांविधिक देय कर जमा न होना, (ii) फेमा का उल्लंघन, वैश्विक जमा रसीदों का दुरुपयोग और जीडीआर के निर्गम के बाद शेयर मूल्य में हेर-फेर ताकि वापस खरीद को सस्ता बनाया जा सके एवं (iii) किसी संस्था द्वारा वित्तीय छेड़छाड़ और बही खातों के दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी को आरबीआई, ईडी, सेभी, डीजीसीओए, एसएफआईओ, डीजीजीआई एवं सीबीडीटी को उनके द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई हेतु साझा किया गया है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार छुपायी गई राशि लगभग 316 करोड़ रुपये है। बाद में, ब्यूरो के पास नेपाल के आयकर और अवैध प्राधिकरणों को देय असंदत देय से संबंधित जानकारी नेपाली दूतावास से प्राप्त हुई है और ब्यूरो ने इसे ऊपर सभी एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया।

(च) ब्यूरो द्वारा तेलंगाना के एक कम्पनी समूह के माल के वास्तविक स्थानान्तरण न करके माल के वृत्ताकार व्यापार, बैंक से और अधिक निधि लेने के लिए लाभ में हेर-फेर और अन्य कानूनों के उल्लंघन में कथित रूप से संलिप्त होने से संबंधित विवरण साझा किया गया था। इसके अलावा, (i) सहयोगी संस्था द्वारा लगभग ₹ 71.46 करोड़ (आंध्रा बैंक) के बैंक घोखाधड़ी के लिए सीबीआई मामले, ₹ 133.3 करोड़ (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) और 108.5 करोड़ रु. (कॉरपोरेशन बैंक) एवं (ii) समूह के मालिक द्वारा कम से कम 120 शैल-कम्पनियों के प्रचालन से जुड़ी सूचना को एमसीए, सीबीआईसी, सीबीडीटी, डीजीजीआई ईडी और आरबीआई के साथ साझा किया गया। एमसीए ने अपने क्षेत्रीय



निदेशालय का एक समूह कंपनी के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 (4) के अंतर्गत जांच करने तथा दूसरी समूह कंपनी के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के तहत निरीक्षण करने का निदेश दिया है।

(छ) किसी कॉरपोरेट समूह और उसकी घटक कंपनियों द्वारा 350 करोड़ रु. से ज्यादा की कुल राशि की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी (पीएसबी और एनबीएफसी) से संबंधित जानकारी को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और फिर एसबीआई, आईडीबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझा की गई ताकि इस मामले में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हितों की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाए जा सकें।

(ज) किसी भारतीय नागरिक द्वारा वित्तीय अनियमितताओं, विदेशी निवेशकों से फरेब और शैल कंपनियों का जाल बिछाकर धन को वैयक्तिक बैंक खातों में पहुंचाने, और उधार लेने के उद्देश्य से इन राशियों को प्राप्य दिखाने और निधि के स्रोत को छुपाने से जुड़ी जानकारी को एमसीए और राँ के साथ साझा किया गया। जानकारी के अनुसार संलिप्त राशि 75 करोड़ रु. है जो कि फरेब की गई कुल राशि का एक अंश ही है।

(झ) (i) 94.5 करोड़ रु. के कम भाजार प्रतिफल वाली भूमि का लगभग 3000 करोड़ रु. का कपटपूर्ण आबंटन और (ii) गुरुग्राम की एक मनोरंजन पार्क कंपनी द्वारा निवेशकों से इकट्ठी की गई लगभग 400 करोड़ रु. को अन्य परियोजनाओं में लगाकर उन्हें ठगने से संबंधित जानकारी को ईडी और सेबी के साथ साझा किया गया।

(ञ) करनाल के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बैंक अधिकारी द्वारा बचत खाता खोलने और उसके प्रचालन में अनियमितताओं और केवाईसी मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी को एफआईयू, डीएफएस और आरबीआई के साथ साझा किया गया। आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त बैंक के निरीक्षण से केवाईसी कमियों और खातों में लेन-देन के खराब संचालन की भात उजागर हुई है तथा आरबीआई मामले में उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर रहा है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है अनियमित खातों के संदिग्ध लाभार्थियों की सूचना भी दी है और इसे आयकर विभाग को भी बताया गया है। आरबीआई ने आगे पीएनबी को निर्देश दिया है कि शाखा का विस्तार से केवाईसी लेखा-परीक्षा करायी जाए जो कि प्रक्रियाधीन है। लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष पीएनबी के निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तावित है जिससे कर्मचारियों की जवाबदेही सहित सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(ट) ब्यूरो द्वारा किसी भारतीय कम्पनी के मुम्बई पत्तन (जेएनपीटी) और आईसीडी, तुगलकाबाद द्वारा बियर के विभिन्न ब्रैंड के आयात पर सीमा शुल्क के अपवंचन से संबंधित सूचना साझा किए जाने के आधार पर सीबीआईसी के विभिन्न आयुक्तालयों ने ₹ 2 करोड़ से अधिक की अंतरिम मांग की गई। क्योंकि इस मामले से राज्य कर पर असर पड़ सकता था अतः इसे दिल्ली एवं महाराष्ट्र राज्य कर प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया है।

(ठ) मुम्बई के एक समूह द्वारा शुल्क-रहित आयातित माल को विपणित कर 750 करोड़ रु. के लगभग के सीमा शुल्क के अपवंचन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, ₹4375 करोड़ के लगभग के बकाए ऋण और

₹ 4.23 करोड़ के सेवा कर के अपवंचन से जुड़ी आसूचना को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), डीजीएफटी, ईडी, आरईआईसी, मुंबई और डीजीआईटी (जांच), मुम्बई के साथ साझा किया गया।

(ड) गुजरात के एक समूह द्वारा (i) केंद्रीय उत्पाद कर का अपवंचन जिसमें मुख्यतः ₹ 130 करोड़ से अधिक राशि के सेनवैट (एस ई एन वी ए टी) क्रेडिट को धोखाधड़ी से लेना शामिल है और (ii) ₹ 2654 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी (11 बैंकों का संघ) से जुड़ी जानकारी को डीजीएफटी, डीजीसीओ, डीजीआईटी, डीएफएस, ईडी, आरईआईसी एवं डीआरआई के साथ साझा किया गया।

(ढ) ब्यूरो द्वारा सूचना के साझा करने के उपरान्त गृह मंत्रालय (एफसीआरए प्रभाग) ने एक राजनीतिक पार्टी को लाल पताका (Red Flag) की श्रेणी के तहत डाल दिया है।

(ण) ब्यूरो द्वारा एक सूचीगत संस्था द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं, बैंक धोखाधड़ी और वस्तु व्यापार से जुड़े आसूचना का विकास किया और उसे संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आरबीआई के साथ साझा किया गया। आरबीआई ने बैंक के कम से कम 9 ऋण खातों को लाल पताका (Red Flag) श्रेणी के अंतर्गत रखा है और संघ के समक्ष कुल खुलासा ₹ 6606 करोड़ का है। बाद में, एलईए से ब्यूरो को प्राप्त होने वाली जानकारी से यह बात सामने आयी कि 14 अन्य कम्पनियों के साथ यह कम्पनी धोखे से निविष्टि कर क्रेडिट पने हेतु जाली चालान जारी प्राप्त करने में भी संलिप्त थी जिससे सार्वजनिक खज़ाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। ब्यूरो द्वारा इस मामले को संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वित रूप से उठाया जा रहा है।

(त) कलकत्ता की एक कंपनी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता (विदेश में कम्पनियों को खरीदने में लगभग 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधि का कथित रूप से निस्तारण) के मामले में अतिरिक्त आसूचना का विकास किया गया और उसे संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया गया। मामले का संचालन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

(थ) ब्यूरो द्वारा ऐसी कंपनी द्वारा आयकर के कथित अपवंचन से संबंधित आसूचना इकट्ठी की गई जो एक भारतीय कम्पनी की सहायक कम्पनी है और ऊपरी तौर पर तो सिंगापुर से कम्पनी चला रही है किन्तु वास्तविकता में उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पीओईएम) भारत में है, इस तरह से वह प्रभावी प्रबंधन के स्थान (पीओईएम) का उल्लंघन कर रही है। यह कंपनी लोहे के चूरे के व्यापार (लोहे, और लौहेतर, क्रोम आदि) में है। सारे निर्णय और निर्णयों का कार्यान्वयन भारत स्थित कार्यालय से ही किया जाता है। मार्च, 2018 में कम्पनी का कुल लाभ 100 मिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया। सूचना को आवश्यक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग, दिल्ली के साथ साझा किया गया।

(द) ब्यूरो ने किसी आखिल-भारत आधारित समूह द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सूचना के साझा करने में विभिन्न एलईए के साथ समन्वय स्थापित किया। समूह की प्रमुख कम्पनियां और संरक्षक बड़े झूठे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दिखाकर, व्यय (पूँजी और राजस्व) में अनुचित महँगाई दिखाकर ऋण/उधार सुविधा के रूप में बैंक/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त बड़ी मात्रा की निधि को किसी और प्रयोजन हेतु इस्तेमाल करने में संलिप्त थे। आगे, इस बात का खुलासा हुआ इस तरह से विपणित धन को

मुख्य कंपनियों/पूर्ण स्वामित्व वाली निवेश कंपनियों/अवास्तविक नाम वाली उधार देने वाली कम्पनियों में शेयर पूँजी के रूप में गिरवी रख दिया गया और इसका एक हिस्सा संरक्षकों के वैयक्तिक खातों में छूट आय के रूप में डाला गया। जांच से यह इंगित हुआ कि धन का इस तरह विपथन ही ऋणों को बेकार बनाने के पीछे कारण है जिसके कारण इसकी पुनर्संरचना की आवश्यकता हुई और बाद में बैंक/वित्तीय संस्थानों ने ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जिसके कारण जनता के धन को नुकसान हुआ। बैंकों ने अब समूह कंपनियों की अदालती लेखा-परीक्षा करानी शुरू की है जो चल रही है। जांच के दौरान झूठे दीर्घकालिक लाभ और झूठी शेयर पूँजी की राशियाँ क्रमशः ₹ 1245.6 करोड़ और ₹ 4090 करोड़ (लगभग) अनुमानित की गईं। करोड़ों के झूठे चालानों के आधार पर समूह झूठे सैनवेट क्रेडिट का दावा करने में भी संलिप्त पाया गया।

(घ) किसी यात्री (जम्मू एवं कश्मीर निवासी) द्वारा 95000 यूरोस की विदेशी मुद्रा के संबंध में सीमा शुल्क मुद्रा घोषणा प्रपत्र (सीडीएफ) से मिली जानकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आसूचना ब्यूरो के साथ साझा किया गया। प्रत्युत्तर में आसूचना ब्यूरो द्वारा यह सूचित किया गया है कि उपर्युक्त व्यक्ति वर्तमान समय में अपने चाचा के साथ रह रहा है जो कि उस व्यक्ति के करीब है जिसे दिल्ली पुलिस के विशेष सैल द्वारा ₹ 55 लाख के हवाला धन के साथ गिरफ्तार किया था और जो अभी फरार है और मिली जानकारी क अनुसार दुबई में रह रहा है। इसके चाचा उन मुख्य हवाला ऑपरेटरों/माध्यमों में से एक थे जो कालीन के निर्यात के कारोबार की आड़ में 1990 के दशक में अलगाववादियों तक पैसा पहुँचाते थे। सूचना को डीआरआई, एनआईए, मंत्रिमण्डल सचिवालय, डीईए, आरबीआई और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के साथ साझा किया गया।

(न) जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने हेतु हवाला सहित विभिन्न अवैध माध्यमों द्वारा अलगाववादी नेताओं द्वारा घरेलू तौर पर और विदेश में पैसा बढ़ाने, लेने और इकट्ठा करने के संबंध में ईसीआईआर (प्रवर्तन निदेशालय) से सूचना निकाली गई।

(प) किसी कम्पनी द्वारा ₹ 149.91 की बैंक धोखाधड़ी का मामला डीजीसीओए, आरईआईसी हैदराबाद, सीबीडीटी, ईडी और पीएसपी के सीबीओ के साथ साझा किया है। प्रत्युत्तर में, एमसीए ने डीजीसीओए को कम्पनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 (5) के अंतर्गत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है।

(फ) ब्यूरो ने ₹ 3000 करोड़ की कार्पोरेट धोखाधड़ी के संबंध में सूचना साझा की जिसमें उक्त कंपनी ने पुराने बिजनेस भागीदार के साथ मिलकर एनसीएलटी के निर्देशाधीन विघटन के दौरान नीलामी प्रक्रिया को नाकाम कर दिया और आयकर विभाग, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय प्रतियोगिता आयोग को विघटन कंपनी की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक कम राशि का उद्धार किया।

(ब) सीबीआई/ बैंकों से प्राप्त 222 बैंक धोखाधड़ी के मामलों का अन्य कानूनों के उल्लंघन के कोण से अध्ययन किया गया और तदनुसार सीबीडीटी, ईडी, आरईआईसी, डीआरआई व डीजीसीओए आदि के साथ साझा किया गया। साथ प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त 564 प्रवर्तन शिकायत सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का भी उल्लंघन के कोण से अध्ययन किया गया और तदनुसार क्षेत्राधिकार संबंधी आरईआईसी, डीजीआईटी और डीजीसीओए आदि के साथ साझा किया गया।

(ii) वर्ष के दौरान एलईए के प्राप्त 28 सूचना साझा की गई जबकि सूची विस्तृत है, कुछ मामले मिसाल के तौर पर निम्नानुसार हैं:

क) एक कंपनी अपनी सात अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ अन्य कंपनियों के फर्जी खर्च की समायोजन प्रविष्टियाँ उपलब्ध करा रही थी। लाभार्थी कंपनियों ने भी कथित संविदात्मक नौकरियों, विशेष रूप से मिट्टी, मलभा आदि की आपूर्ति के लिए कुछ कोलकाता स्थित कंपनियों को भारी भुगतान किया। इसके अलावा ये कंपनियाँ कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही थी बल्कि विभिन्न अन्य कंपनियों के उप अनुबंध पर कार्य किया था। ये सभी कंपनियाँ जिन्हें उप-अनुबंध कार्य दिया गया था, वे कागजी/ शैल कंपनियाँ पाई गईं। लाभार्थी कंपनियों ने स्रोत पर कर काटा ताकि लेनदेन को प्रामाणिकता का रंग दिया जा सके। परंतु संविदात्मक कंपनियों ने पावा करते हुए स्रोत पा कर नहीं काटा कि लेन देन "संविदात्मक" नहीं थे बल्कि केवल खरीद थे। ब्यूरो ने एमसीए के साथ आसूचना साझा की जिसने परिणामस्वरूप 08 मामलों में आगे जांच के आदेश दिए।

ख) सीबीडीटी ने नागपुर स्थित एक कंपनी की तलाशी का सार साझा किया है जिसके परिणामस्वरूप 19 लाख रु. नकदी और 108.15 लाख रु. के आभूषणों की जब्ती की गई। इस तलाशी के परिणामस्वरूप माल/तारों के मात्रा से अधिक उत्पादन के कारण अनियमितता के साक्ष्यों का खुलासा हुआ है। वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2018-2019 तक की अवधि में अत्यधिक उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगभग 35 करोड़ था। इसके अलावा बिक्री आयोग और पैकेजिंग सामग्री के लिए लगभग 20 करोड़ रु. के फर्जी खर्च के दावे का मामला भी पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा पुस्तक उत्पादन और बिक्री से अर्जित अनुमानित राशि को ध्यान में रखे बिना अघोषित आय की मात्रा लगभग 42 करोड़ रु. थी। सीबीडीटी की रिपोर्ट के निष्कर्षों के सीजीएसटी नागपुर से साझा किया गया।

ग) सेबी को पता चला कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, मुम्बई में पंजीकृत एक विनिर्माण कंपनी ने लेखांकन मानकों के सभी नियमों के विपरीत, लघु अवधि की उद्यारी के बदले ऋण और अग्रिमों का समायोजन किया और साथ ही उधार ली गई निधि को सराछा बाजार में व्यापार करने वाली कंपनियों तथा अचल संपत्ति प्रयोजनों के लिए स्थानांतरित किया है जो निधि का व्यपवर्जन है चूंकि यह मूल कारोबार से संबंधित नहीं है। विभिन्न बैंकों द्वारा दायर शिकायतों पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह जांच परिणाम सीबीडीटी के साथ इस अनुरोध से साझा किए गए कि एओ यह जांच करे कि क्या गैर कारोभारी प्रयोजनों हेतु उधार निधि के व्यपवर्जन का तथ्य सेबी के आदेशानुसार है और वित्त वर्ष 2011-12 से उपर्युक्त मामले में सीबीआई का आरोप पत्र, आयकर अधिनियम की धारा 36(i) (iii) के तहत विनिर्दिष्ट व्यय न होते हुए, ब्याज को अस्वीकृत करेगा।

घ) सेबी ने आदेश जारी किया जिसमें मुम्बई स्थित मुख्यालय वाली एक कंपनी को मौजूदा/नई योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से धन एकत्रित करने से मना यिका गया। सेबी को मालूम हुआ कि कंपनी ने अपनी विभिन्न छुट्टी की योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से काफी धन एकत्रित किया है। यह संदेह है कि परिपक्वता पर निवेशकों धन वापिस करने के बजाय बहुत बड़ी धनराशि अन्य कंपनियों में बेज दी। 'टाईम शेयर- होलीडेप्लस के नाम पर 2056 करोड़ रु. से अधिक और कानूनी ढंग से जुटाने के लिए सेबी ने कंपनी पर चार वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया।

ब्यूरो ने यह सूचना महानिदेशकों पुलिस, महाराष्ट्र, सीबीआई और डीजीसीआई के साथ साझा की है। इसके फलस्वरूप ईओडब्ल्यू महाराष्ट्र ने कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने कंपनी के निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है।

ड) सेबी ही सूचनाएं प्राप्त हुई कि संबद्ध समूह होते हुए, इकाइयां/व्यक्ति, विगत कारोबार कीमत से अधिक मूल्य पर लगातार अत्यंत कम मात्रा में किसी विशेष कंपनी के कारोबार में लगे थे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयर मूल्य में कपटपूर्ण हेरफेर (उच्च) किया गया। जांच के विश्लेषण ने कुछ चिन्हित लाभार्थियों द्वारा विशाल फर्जी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित करने की ओर इशारा किया। यह सूचना आगे उचित कार्रवाई हेतु सीबीडीटी के साथ साझा की गई।

### 2.9.2.8 बैंक धोखाधड़ी:

ब्यूरो में बैंक ऋणों के दुरुपयोग और ₹ 3000 करोड़ से अधिक की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) पर सूचना और एक ग्रुप कंपनी द्वारा विभिन्न अधिनियमों के उल्लंघन दर्ज और विकसित किए गए थे। 18 कंपनियों के इस समूह ने जबरन/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ₹ 3000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त की और इस धन को परियोजनाओं में निवेश करने की बजाए इसका 95 प्रतिशत से अधिक भाग निम्नलिखित कामों में लगाया

- देश भर में विभिन्न स्थानों पर भूमि/फ्लैट/भिल्डिंग/मालों को खरीदने में;
- शेयर खरीदने में;
- सूचित कंपनियों के शेयरों की कीमतों को उठाने में;
- धन को विदेशों में लगाना।

ब्यूरो द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर ब्यूरो, आयकर विभाग ने ₹ 1377.95 करोड़ की धनराशि की मांग की है और कुल कर देयता ₹ 169.41 करोड़ है। सीबीआई ने 8 मामलों में आरोप पत्र दायर किए हैं जो सुनवाई के अलग-अलग स्तर पर हैं। सीईआईभी इन मामलों की निगरानी और समन्वयन जारी रख रहा है। इसके अलावा समूह द्वारा बैंक ऑफ राजस्थान के धोखाधड़ी से अधिग्रहण और बैंक ऑफ राजस्थान और आईसीआईसीआई बैंक के धोखाधड़ी से विलयन के संबंध में अतिरिक्त सूचना एकत्रित की गई और आरबीआई, सेबी, सीबीआई, व डीएफएस के साथ साझा की गई। इस समूह की कंपनियों के विरुद्ध सीबीआई से प्राप्त हुई 6 एफआईआर की जांच की गई और चूंकि विभिन्न कानूनों का उल्लंघन पाया गया। इन्हें संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों व संबंधित आरईआईसी के साथ साझा किया गया।

### 2.9.2.9 सीईआईभी से मांगी गई सूचना

सीईआईबी को आइबी, एफआईयू, एसएफआईओ, आरबीआई, सीबीडीटी और डीजीसीआई जैसी एजेंसियों की ओर से आर्थिक अपराधियों/अपराधों पर सूचना संबंधी अनुरोध प्राप्त होते हैं जिनका तुरंत जवाब दिया जाता है। ब्यूरो ने सीईआईभी में उपलब्ध सूचना पर आरईआईसी के माध्यम से देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों को सुग्राही बनाया है और इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है।

इसके अतिरिक्त, 50 करोड़ रु. से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में पता लगाने, रिपोर्ट करने, पृष्ठछाछ इत्यादि पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं पर सीईआईभी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। सीईआईभी द्वारा जैसे ही और जब भी बैंकों से संदर्भ प्राप्त होते हैं ये रिपोर्टें बेज दी जाती हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 2492 अनुरोध (एनपीए-1537, ताजा क्रेडिट/नवीकरण-955) संदर्भों का उत्तर दिया गया।

### 2.9.2.10 ब्यूरो द्वारा किए गए अन्य उपाय:

#### (i) अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आसूचना एवं समन्वयन वेंडर (एसएआरआईसीसी-टीओटी):

एसएआरआईसीसी-टीओएस, दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय अपराधिक आसूचना साझा करने हेतु मंच की स्थापना के लिए कोलंबो में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के बीच एक समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है। एसएआरआईसीसी-टीओसी के साथ देश में सूचना और समन्वयन आदान-प्रदान हेतु राष्ट्रीय समन्वयन निकाय केंद्र बिन्दु होगा। आर्थिक आसूचना/अपराधों से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयन निकाय में सीईआईभी को बतौर राष्ट्रीय केंद्र बिंदु नियुक्त करने के लिए राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की समाचार रिपोर्ट से यह पता चला कि अफगानिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया से तस्करी के गुट भारत में सक्रिय हैं और दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया और ₹ 350 करोड़ मूल्य की 83 कि. ग्रा. हेरोइन जब्त की। इसके अलावा, भीएसएफ से प्राप्त सूचना से उनके काम करने का ढंग और बहुमूल्य सूचना ली गई और डीआरआई, एनसीबी, सीबीएन, एनआईए, डीओआर और बिहार, असम व मणिपुर के पुलिस महानिदेशकों के साथ साझा की गई।

(iii) राजस्व बचाने और आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रारूप विधेयकों/रिपोर्टों/योजनाओं पर अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा जब और जैसी राय/सुझाव/टिप्पणियां मांगी जाती हैं; ब्यूरो उपलब्ध कराता रहता है।

ब्यूरो द्वारा अवधि के दौरान निम्नलिखित पर सूचना उपलब्ध कराई गई:

- (क) आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के संभावित दुरुपयोग पर वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सूचना मांगी गई।
- (ख) आम चुनाव 2019 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित आर्थिक आसूचना बहुविषयक केंद्र का सदस्य; ब्यूरो में निर्वाचन आसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है;
- (ग) गृह मंत्रालय से प्राप्त 2018 और 2019 के पद्म पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर कार्रवाई की;
- (घ) गृह मंत्रालय में गठित आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला समिति में सदस्य एजेंसी;
- (ड) आरबीआई द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के लिए राज्य स्तरीय समन्वयन समिति का सदस्य; (अब तक केवल नई दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लिया)

(च) ब्यूरो में आतंवाद वित्तपोषण रोधि प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(छ) आसूचना ब्यूरो से बहुएजेंसी केंद्र (एमएसी) की सदस्यता मांगी है;

(ज) एनएसए से बहु विषयक अन्वेषण दल में सदस्यता मांगी है।

(iv) खुफिया जानकारी साझा करना विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों हेतु समन्वयन एजेंसी के रूप में ब्यूरो जनता और ओएसआईएनटी (मुक्त आसूचना) से सूचनाएं प्राप्त करता है और ऐसी खुफिया जानकारी का उपयोग करता है जिनमें आर्थिक अपराध के अनेकों पहलु शामिल होते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, समन्वयन अनुभाग ने विभिन्न एमईए/व्यक्तियों से प्राप्त ऐसी 539 सूचनाओं का निपटान किया और उन्हें साझा किया। विभिन्न एलईए के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के कुल 456 पत्र भेजे गए।

(v) जानकारी साझा करने का प्रोटोकॉल: डब्ल्यू जीआईए में लिए गए निर्णय के आधार पर, एलईए से सुझाव प्राप्त करने हेतु एक प्रारूप आईएसपी के परिचालन के पश्चात, सीआईबी द्वारा एक सूचना सहभाजन प्रोटोकॉल (आईएसपी) को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सूचना के साथ-साथ उस समय-सीमा का वर्णन हो जिसके भीतर एलईए को अनिवार्य रूप से सीआईबी को सूचना साझा करनी होगी। इसके डब्ल्यूजीआईए के एलईए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थानों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों तथा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 35 पुलिस महानिदेशकों को अनुपालनार्थ परिचालित किया गया था। आईएसपी के क्रियान्वयन के पश्चात, खुफिया जानकारी की प्राप्ति में तेजी आ गई है। वित्त वर्ष 2017-18 में प्राप्त कुल 3435 सूचनाओं की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 14,851 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

#### 2.9.2.11 राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना नेटवर्क (एनईआईएन) डाटाबेस

सीआईबी देश भर में कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्थिक अपराधियों/संदिग्ध कर अपराधियों के डोजियर के डाटाबेस का रख-रखाव करता है। सीआईबी के पास अब तक 8500 डोजियर हैं। ब्यूरो आवधिक रूप से डोजियरों की समीक्षा करता है और डाटाबेस को अद्यतन और सुसंगत रखने के लिए संबंधित सदस्य एजेंसियों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करता है। ब्यूरो के पास विभिन्न एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए 58,000 से अधिक अपराधी मामलों के ब्यौरे भी हैं। प्रणाली को मजबूत और आसान बनाने के लिए हार्डवेयर और प्रचालन प्रणाली को उन्नत बनाया गया है।

जांच/आसूचना विकास के दौरान सुरक्षित सूचना विनियम तंत्र (एसआईईएन) की सदस्य एजेंसियों को राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना तंत्र (एनआईईएन) के उपयोग हेतु समकालिक सुलभता प्रदान की गई है।

#### 2.9.3 जाली भारतीय मुद्रा के नोट (एफआईसीएन)

मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) को, जाली भारतीय मुद्रा के नोटों से संबंधित नतीजों का पता लगाने और संबंधित एजेंसियों को सचेत करने का कार्य सौंपते हुए, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को मंत्रिमंडल सचिवालय (एनएससीएस) यू.ओ.सं.0 सी-183/1/2001/एनएससीएस (सीएस) दिनांक 22 मई, 2001 के तहत निदेश दिया गया था कि वह जाली भारतीय मुद्रा

के नोटों के मुद्रण, तस्करी और परिचलन से संबंधित नतीजों के बारे में एनएससीएस को सतत आधार पर सूचित रखने के लिए कदम उठाए। तदनुसार सभी संबंधित एजेंसियों से मुद्रण, तस्करी और परिचलन पर एक अर्द्धवार्षिक राष्ट्रव्यापी परिषद सचिवालय को बेजा जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सीबीआई, आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना विभाग और देश के विभिन्न भागों में प्रचालन कर रही क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के साथ साझा किया जाता है। जाली भारतीय मुद्रा नोट पर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 27.11.2018 को परिचालित की गई थी।

#### 2.9.4 विदेश मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 कोफेपोसा अधिनियम का प्रशासन :

विदेशी मुद्रा की तस्करी, इसके व्यापार और संबद्ध गतिविधियों व उल्लंघनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव पड़ता है और इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संकट से निपटने के लिए, विदेश मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा अधिनियम) को अधिनियमित किया गया है ताकि तस्करों और विदेशी मुद्रा के धोखेबाजों को इन हानिकर गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के लिए निवारक नज़रबंदी कानून के लिए उपबंध किए जा सकें। इस विभाग का केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधीन कार्यरत कोफेपोसा प्रभाग इस अधिनियम को प्रशासित करता है। वर्ष 2018 के दौरान, 51 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक नज़रबंदी आदेश पारित किए गए थे और 44 व्यक्तियों (पिछले वर्ष के नज़रबंद आदेशों से भागे हुए कुछ व्यक्तियों सहित) को कोफेपोसा अधिनियम के तहत नज़रबंद किया गया था।

#### 2.9.5 वित्त आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-इंड) के साथ समन्वय :

वित्त आसूचना एकक - भारत से नियमित जानकारी आ रही हैं जिन्हें सम्यक प्रक्रिया के बाद ब्यूरो द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए विश्लेषित और प्रसारित किया जाता है। ये जानकारी आर्थिक आसूचना के लिए उपयोगी होती हैं। एफआईयू-आईएनडी ने हाल ही में सीआईबी डेटाबेस में उपलब्ध सूचनाओं की सराहना की है।

#### 2.9.6 राजस्व विभाग हेतु आसूचना और संगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण

राजस्व विभाग के अधिकारियों की अन्वेषणात्मक कुशलता को बढ़ाने और आसूचना एकत्र करने की तकनीक के लिए ब्यूरो विभिन्न विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ब्यूरो ने राजस्व विभाग/आरईआईसी की सदस्य एजेंसियों के तहत अधिकारियों की क्षमता और कौशल के उन्नयन हेतु विभिन्न विषयों पर विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन का कार्य शुरू लिया है। वर्ष, 2018-19 में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 1) राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, "कानूनी पहलूओं/न्यायालय मामला"
- 2) स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद में "बैंकिंग आपरेशन और राजकोषीय कानून प्रवर्तन"

- 3) एनआईएसएम, मुंबई में "प्रतिभूति बाजार में आर्थिक अपराध की जांच"
- 4) मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव में "आसूचना एकत्रीकरण और आसूचना ट्रेडक्राफ्ट"
- 5) आसूचना ब्यूरो केंद्रीय प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली में "आसूचना एकत्रीकरण और आसूचना ट्रेडक्राफ्ट"
- 6) स्टेट बैंक उपभोक्ता बैंकिंग संस्थान, हैदराबाद में व्यापार आधारित धनशोधन। (क्रम सं. 1 और 6 का आयोजन वित्त वर्ष 2018-19 में दो बार किया गया)

### 2.9.7 सार्वभौमिक प्रविष्टि कार्यक्रम (जीएफपी)

जीईपी यूएस का सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) कार्यक्रम है जो यूएस एयरपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों की निकासी में तेजी लाने के लिए है जिसे माननीय प्रधान मंत्री के पिछले यूएस दौरे के दौरान भारत के लिए शुरू किया गया था और भारत 11वाँ ऐसा देश बन गया है जिसके नागरिक अजेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के साथ इस कार्यक्रम में नामांकन कराने के पात्र हैं। किसी आवेदक को जीईपी की सदस्यता प्रदान करने से पूर्व, यूनाइटेड स्टेट्स आवेदक की पृष्ठभूमि की जांच में हमारे देश से सहयोग मांगता है चूंकि इस संबंध में समझौता ज्ञापन पूर्ण जांच प्रक्रिया की जरूरत बल देता है।

जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए, विदेश मंत्रालय (एमईए) वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से रिपोर्ट मांगता है। एमईए को निकासी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से अपर महानिदेशक (ईआई), सीईआईभी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जीईपी आवेदनों की निकासी में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन जीईपी निकासी प्रणाली विकसित की गई है जिसे कुछ एलईए के आंचलिक कार्यालयों तक विस्तारित किया है। यह प्रणाली क्लाउड आधारित प्रणाली है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो ने एमईए को 7100 से अधिक जीईपी आवेदनों के संबंध में निकासी रिपोर्ट उपलब्ध कराई है।

### 2.10. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति

**2.10.1** भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35कग के तहत अधिसूचना हेतु केन्द्र सरकार को न्यासों/संस्थाओं की ओर से खेलों को बढ़ावा देने, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए परियोजनाओं की सिफारिश देने के लिए 1992 में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। अनुमोदित परियोजनाओं का निधिपोषण दान के माध्यम से होता है जिसमें दानकर्ता आयकर कानून के तहत 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र हैं।

**2.10.2** सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य होते हैं। सरकार, भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को समिति के अध्यक्ष और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लोक महत्व के 13 अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। अब तक 9 ऐसी समितियां गठित की गई हैं, सभी की अध्यक्षता भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है।

**2.10.3** इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 35कग में व्यवस्था है कि 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में इस धारा के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती का लाभ किसी परियोजना या योजना का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा पहले से स्वीकृत संगठन या संस्था को किए गए भुगतान के संबंध में 31.3.2017 को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष (कर-निर्धारण वर्ष 2017-18) के लिए ही उपलब्ध था और इसलिए 31.3.2017 (वित्त वर्ष) के बाद धारा 35कग के तहत कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।

**2.10.4** उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, 9वीं सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन किया गया और तत्पश्चात् 31 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया और बढ़ाई गई कार्यावधि अगस्त, 2019 तक है। समिति की संरचना निम्नवत है:-

| क्र. सं. | समिति के सदस्यों के नाम                                        | पदनाम   | स्थान                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1.       | न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश | अध्यक्ष | नोएडा, उत्तर प्रदेश      |
| 2.       | श्री अमरदीप सिंह चीमा                                          | सदस्य   | बटाला, पंजाब             |
| 3.       | श्री अमिय कुमार शर्मा                                          | सदस्य   | गुवाहाटी, असम            |
| 4.       | श्री बलदेव चौधरी                                               | सदस्य   | लखनऊ, उत्तर प्रदेश       |
| 5.       | श्रीमती चेतना सिन्हा                                           | सदस्य   | सतारा, महाराष्ट्र        |
| 6.       | श्री डी. आर. मेहता                                             | सदस्य   | जयपुर, राजस्थान          |
| 7.       | श्री एनरिको पिपेरनो                                            | सदस्य   | कोलकाता, पश्चिम बंगाल    |
| 8.       | श्री हबीब ए. फकिह                                              | सदस्य   | मुंबई, महाराष्ट्र        |
| 9.       | प्रो. नलादी समुयेलू                                            | सदस्य   | गुंटूर, आंध्र प्रदेश     |
| 10.      | डा. नरेश गुप्ता                                                | सदस्य   | नई दिल्ली                |
| 11.      | श्री संजीव कुमार अरोड़ा                                        | सदस्य   | नई दिल्ली                |
| 12.      | श्रीमती शमीमा रैना                                             | सदस्य   | श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर |
| 13.      | श्रीमती शशिकला वामनन                                           | सदस्य   | चेन्नई, तमिलनाडु         |
| 14.      | श्री विनायक लोहनी                                              | सदस्य   | कोलकाता, पश्चिम बंगाल    |

**2.10.5** राष्ट्रीय समिति के कार्य तथा प्रक्रियाएं आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11-च से 11-ण द्वारा प्रशासित होते हैं। आयकर नियमावली,

1962 के नियम 11-ठ तथा 11-ड में आवेदनों को भरने की प्रक्रिया तथा तरीके के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय समिति आवेदनों

पर विचार करती है तथा निर्णय लेती है। राष्ट्रीय समिति द्वारा संस्तुत और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं/संगठनों की परियोजनाओं/योजनाओं को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। यदि राष्ट्रीय समिति योजना या परियोजना को अनुमोदन के लिए सिफारिश नहीं करती है तो राष्ट्रीय समिति के सचिवालय के माध्यम से आवेदकों को राष्ट्रीय समिति के निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है।

## 2.11 प्रवर्तन निदेशालय

### 2.11.1 संगठन एवं कार्य:

**2.11.1.1** प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारियों में विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधि सलाहकार, उप निदेशक, सहायक विधि सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इनकी सहायता के लिए अन्य लिपिकीय कर्मचारी हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए, निदेशालय की जनशक्ति को मार्च, 2011 में सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया।

**2.11.1.2** निदेशालय एक अन्वेषणात्मक एजेंसी के लिए आवश्यक जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मद्देनजर नए कार्यालयों को खोलने और चरणबद्ध तरीके से पदों को भरने की प्रक्रिया में है। निदेशालय का नई दिल्ली में एक मुख्यालय कार्यालय तथा 19 जोनल कार्यालयों और 15 उप-जोनल कार्यालयों के अलावा नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा चंडीगढ़ में 05 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

निदेशालय में कुल संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या अब 2067 है, जो कि निम्नवत है:-

| पद                                  | स्वीकृत संख्या | तैनात (30.11.2017 की स्थिति के अनुसार) |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| कार्यकारी                           | 1227           | 743                                    |
| लिपिकीय                             | 384            | 205                                    |
| कम्प्यूटर कर्मचारी/राजभाषा कर्मचारी | 55             | 13                                     |
| प्रचालन कर्मचारी                    | 375            | 145                                    |
| विधि कर्मचारी                       | 26             | 09                                     |
| <b>कुल</b>                          | <b>2067</b>    | <b>1115</b>                            |

### (I) कार्यकारिणी स्कंध के कार्य:

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) को लागू करता है। दिनांक 01-06-2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरस्त फेरा, 1973 के अंतर्गत बचे हुए कार्यों को भी पूरा कर रहा है। निदेशालय कोफेपोसा, 1974 के उपबंधों को भी लागू करता है।

निदेशालय के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:-

- फेमा के उल्लंघन से संबंधित आसूचना को एकत्र, विकास व प्रसार करना। आसूचना निविष्टियां विभिन्न स्रोतों जैसे केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, शिकायतों, अधिकारियों द्वारा एकत्रित सूचना आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

- 'हवाला', विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन, निर्यात से होने वाली आय की गैर-प्राप्ति, विदेशों में बैंक खातों सहित धन का अनधिकृत प्रतिधारण, विदेशों में अचल सम्पत्ति का अनधिकृत अभिग्रहण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से संबंधित उल्लंघन, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंक (एफसीसीबी) आदि जैसी गतिविधियों से संबंधित फेमा के उपबंधों के संदेहास्पद उल्लंघनों की जांच करना।
- पूर्व फेरा, 1973 और फेमा, 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन।
- न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों की समाप्ति पर अधिरोपित शास्तियों की वसूली।
- फेमा के अंतर्गत अपीलों का निपटान।
- पूर्व फेरा, 1973 के अंतर्गत अपीलों और अभियोजन के मामलों का निपटान।
- फेमा के अंतर्गत उल्लंघनों के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के तहत कार्रवाई करना तथा नजरबंदी के मामलों की सिफारिश करना।
- धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करना कि अपराध से आय संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज अनुसूचित अपराध से हुई है या नहीं और इस प्रकार की आय को शोधित किया गया है या नहीं। यदि प्रथम दृष्टि में धन शोधन का मामला बनता है तो निदेशालय इसकी अंतिम जब्ती के लिए अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करता है।
- पीएमएलए के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के लिए निर्दिष्ट पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन हेतु शिकायत दर्ज करना।
- अपराध से आय की कुर्की/जब्ती के साथ-साथ पीएमएलए के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में संविदाकारी राष्ट्रों को/से परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना तथा लेना।
- धन शोधन-रोधी (एएमएल) प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना।
- आर्थिक अपराधियों की संपत्तियां और आस्तियां जप्त करना जो एफईओए के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों के न्यायक्षेत्र से बाहर रहते हुए मुकदमों से बचते हैं, यदि ऐसा अपराध या अपराधों में शामिल कुल धनराशि एक सौ करोड़ या अधिक है।

## II. विधि स्कंध के कार्य

- प्रवर्तन निदेशालय में विधि स्कंध के प्रमुख अपर निदेशक (अभियोजन) हैं जो रिक्त हैं और वर्तमान में उप विधि सलाहकार इस प्रकार के सभी कार्य/कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उप विधि सलाहकार की सहायता के लिए मुख्यालयों और जोन में सहायक विधि सलाहकार और सहायक निदेशक, विधि हैं।
- विधि स्कंध के अधिकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय

अधिकरणों के समक्ष मामले प्रस्तुत करने के साथ-साथ विधि सहायता और सलाहकार संबंधी कार्य निष्पादित करते हैं। विधि स्कंध महत्वपूर्ण मामलों में निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम वकीलों की सेवाओं का उपयोग करता है। विधि स्कंध के अधिकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, विदेशी मुद्रा हेतु अपीलीय अधिकरण, पीएमएलए के अधीन अपीलीय अधिकरण, विशेष न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, कानून अधिकारी न्यायनिर्णयन और न्यायिक आदेशों की समीक्षा करते हैं और कानून के अनुसार उपयुक्त रास्ता सुझाते हैं।

- (iii) निदेशालय के विधि स्कंध के अधिकारी से पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायतों, अपीलों, एलआर और अन्य दस्तावेजों की कानूनी नजरिए से विधीक्षा करते हैं।
- (iv) विधि स्कंध फेरा और फेमा के अंतर्गत अभियोजन मामलों की प्रगति और शीघ्र निपटान की निगरानी भी करता है। विधि स्कंध के अधिकारी जब भी आवश्यक हो मामला दर मामला आधार पर वरिष्ठ काउन्सेलों, विद्वत् एएसजी, एसजी और एजी को निदेश भी देते हैं।
- (v) विधि स्कंध पीएमएलए/उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/अपीलीय अधिकरण से संबंधित पीएमएलए मामलों के प्रभावी रूप से तथा शीघ्र निपटान हेतु इसके रोजाना अपडेट हेतु विधिक मामला निगरानी प्रणाली (एलसीएमएस) की निगरानी करता है।

#### 2.11.2 वर्ष 2018 (1 जनवरी-31 दिसंबर) के दौरान कार्य-निष्पादन और उपलब्धियों के मुख्य अंश:

- (i) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत कुल 2437 मामलों का निपटान किया गया और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत 295 मामलों का निपटान किया गया। निपटान प्रतिशत फेमा में 29 प्रतिशत से 36.40 प्रतिशत तक बढ़ा और पीएमएलए में 25 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसके अलावा फेमा के तहत 852 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और फेरा/फेमा के तहत 721 मामलों पर निर्णय लिया गया। फेरा/फेमा के अंतर्गत ₹44078.28 लाख का जुर्माना लगाया गया और वर्ष के दौरान 1918.34 लाख रु. का जुर्माना वसूल किया गया। पीएमएलए के अंतर्गत कुल 213 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं, 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 199 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए जिनमें ₹ 1521950.43 लाख की शास्तियां अनंतिम रूप से जब्त की गईं। वर्ष के दौरान 187 पीएओ की पुष्टि हुई जिनमें ₹1191830.68 लाख की राशि की पुष्टि की गई।
- (ii) आतंकवाद वित्तपोषण मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष के दौरान 212 करोड़ रु. की अपराध आय की पहचान की गई और हाफिज मोहम्मद सईद, सैय्यद सलाहुद्दीन, डॉ. जाकिर नाईक, शमीर शाह के मामलों व जम्मू और कश्मीर के अन्य

आतंकवाद वित्तपोषण मामलों में पीएमएलए के अंतर्गत 59.5 करोड़ रु. की शास्तियां जब्त की गई थीं। जांच पूरी होने के पश्चात, 12 मामलों में अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं और 2 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया और पीएमएलए के तहत सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई। फेमा के तहत सैयद अली शाह गिलानी पर 10,000 अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की जब्ती के साथ-साथ ₹ 14.40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और जहूर शाह अहमद वटाली पर ₹ 62.93 लाख का जुर्माना लगाया गया।

- (iii) नक्सलवादियों द्वारा धन शोधन, अभिकेंद्रित जांच का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्ष के दौरान शीर्ष के नौ नक्सल नेताओं के विरुद्ध आठ मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें छह सीपीआई (माओवादी) और झारखंड के तीन नक्सल नेता शामिल हैं। जांच के परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ की शास्तियों की अनंतिम जब्ती की गई (विनिर्णय प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा तीन मामलों में कुर्की की पुष्टि हो चुकी है) और तीन मामलों में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

- (iv) इसके अलावा 15/02/2019 और 16/02/2019 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों के 26वें तिमाही सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) के दौरान, क्षेत्रीय विशेष निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) ने मादक पदार्थों के खतरों और मादक पदार्थ धन के आतंकवाद वित्तपोषण के गठजोड़ के मसले को उठाया। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश का भी उल्लेख किया गया जहां सभी मादक पदार्थ मामलों में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज होना आवश्यक है; तदनुसार, कुल 9800 मामले उत्तरी क्षेत्र में ही चिह्नित और चुने गए। साथ ही, जम्मू और कश्मीर में हाल की घटनाओं के आलोक में, यह महसूस किया गया कि मादक पदार्थों के मामलों और आतंकवाद वित्तपोषण से संबद्ध मादक पदार्थ धन पर युद्ध स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नक्सल वित्त पोषण के मामलों में शुरु की गई समान पहल में प्राप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए, 20.03.2019 को निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में विशेष निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया। विशेष कार्यबल का मुख्य उद्देश्य, अपराध आय का पता लगाने और पहचान करने के लिए मादक पदार्थों के मामलों में जांच केंद्रित करना तथा नापाक गठजोड़ को उजागर करना है। विशेष कार्यबल नशीली दवाओं की तस्करी के खतरे से प्रभावित विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन से संबंधित मामलों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। विशेष कार्यबल भारत अगर विदेश में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर संगठित नशीले पदार्थ के सिंडिकेट को लक्षित करते हुए बेहतर समन्वयन प्रदान करना है।

- (v) वर्ष 2018 के दौरान निदेशालय के कार्य निष्पादन और उपलब्धियों का विवरण अनुबंध 'क' (फेमा और फेरा के संबंध में) तथा अनुबंध 'ख' (पीएमएलए के संबंध में) के अनुसार भी संलग्न है। 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान निदेशालय का कार्य निष्पादन और उपलब्धियां अनुबंध "क" (फेमा और फेरा के संबंध में) तथा अनुबंध 'ख' (पीएमएलए के संबंध में) में संलग्न हैं।

**2.11.3 पिछले वर्ष (2017-18) तक कार्य-निष्पादन/उपलब्धियां**

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशालय का कार्य-निष्पादन/उपलब्धियां अनुबंध 'ग' (फेमा और फेरा के संबंध में) के अनुसार हैं। वित्त

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशालय का कार्य-निष्पादन और उपलब्धियां अनुबंध 'घ' (पीएमएलए के संबंध में) के अनुसार हैं।

वर्ष 2017 की सदृश अवधि के मुकाबले मामलों के निपटान की तुलना निम्नवत है:-

वर्ष 2017 की सदृश अवधि के मुकाबले मामलों के निपटान की तुलना निम्नवत है:-

| फेमा | जांच के अधीन मामले        |          |                    |      |                         |      |             |            |                                            |       |
|------|---------------------------|----------|--------------------|------|-------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------|
|      | वर्ष के प्रारंभ में लंबित |          | वर्ष के दौरान दर्ज |      | वर्ष के दौरान निपटाए गए |      | लंबित मामले |            | लंबित मामलों के संबंध में निपटान प्रतिशतता |       |
|      | 01.01.18                  | 01.01.17 | 2018               | 2017 | 2018                    | 2017 | 31.12.2018  | 31.12.2017 | 2018                                       | 2017  |
|      | 6855                      | 4707     | 2826               | 3986 | 2437                    | 3945 | 6703        | 6855       | 36.40                                      | 29.00 |

| पीएमएलए | जांच के अधीन मामले        |          |                    |      |                         |      |             |            |                                            |       |
|---------|---------------------------|----------|--------------------|------|-------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------|
|         | वर्ष के प्रारंभ में लंबित |          | वर्ष के दौरान दर्ज |      | वर्ष के दौरान निपटाए गए |      | लंबित मामले |            | लंबित मामलों के संबंध में निपटान प्रतिशतता |       |
|         | 01.01.18                  | 01.01.17 | 2018               | 2017 | 2018                    | 2017 | 31.12.2018  | 31.12.2017 | 2018                                       | 2017  |
|         | 1053                      | 1155     | 152                | 159  | 295                     | 261  | 824         | 1053       | 36.00                                      | 25.00 |

01.01.2019 से 31.03.2019 तक जांच के अधीन मामले फेमा/पीएमएलए डेटा

| फेमा | 01.01.2019 को वर्ष के आरंभ में लंबित | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक पंजीवृत्त | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक निपटाए गए | 31.03.2019 को लंबित मामले |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|      | 6703                                 | 750                                   | 874                                   | 6669                      |

| फेमा | 01.01.2019 को वर्ष के आरंभ में लंबित | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक पंजीवृत्त | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक निपटाए गए | 31.03.2019 को लंबित मामले |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|      | 824                                  | 50                                    | 33                                    | 865                       |

**2.11.4 शिकायत निवारण तंत्र लोक/कर्मचारी शिकायतों** के निवारण के लिए निदेशालय के मुख्यालय कार्यालय तथा जोनल/उप-जोनल कार्यालयों में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

**2.11.5 लैंगिक बजट/महिला सशक्तीकरण**

वर्ष 2018 के दौरान कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई नया मामला दर्ज नहीं है।

**2.11.6 अशक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए की गई गतिविधियां**

निदेशालय द्वारा सरकार द्वारा निरूपित नियमों और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया जाता है।

**2.11.7 प्रवर्तन निदेशालय में अन्य पहल**

प्रवर्तन निदेशालय में आरंभ की गई गतिविधियां अर्थात् स्वच्छ भारत अभियान, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रवर्तन निदेशालय और गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी व नेटग्रिड का उल्लेख अनुबंध 'ड' में है।



जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 के सांख्यिकीय आंकड़े

| क    | तलाशियां और जब्तियां                    | फेमा                |   |                     |          |
|------|-----------------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------|
| 1.   | संचालित तलाशियां                        | 149                 |   |                     |          |
| 2.   | जब्त की गई विदेशी मुद्रा (रुपए लाख में) | 510.24              |   |                     |          |
| 3.   | जब्त भारतीय मुद्रा (रुपए लाख में)       | 1167.07             |   |                     |          |
| ख.   | जांच                                    | फेमा                |   |                     |          |
| 1.   | आरंभ की गई                              | 2826                |   |                     |          |
| 2.   | निपटाई गई                               | 2437                |   |                     |          |
| 3.   | लम्बित                                  | 6703                |   |                     |          |
| 4.   | जारी किए गए कारण बताओ नोटिस             | 852                 |   |                     |          |
| ग    | न्यायनिर्णयन                            | फेरा                |   | फेमा                | कुल      |
| 1.   | न्यायनिर्णित मामले                      | 60                  | + | 661                 | 721      |
| 2.   | न्यायनिर्णयन के लिए लंबित मामले         | 113                 | + | 1085                | 1198     |
| 3.   | विदेशी मुद्रा की जब्ती (रुपए लाख में)   | 0                   | + | 90.63               | 90.63    |
| 4.   | भारतीय मुद्रा की जब्ती (रुपए लाख में)   | 0                   | + | 628.99              | 628.99   |
| घ    | शास्त्रियां                             | फेरा                |   | फेमा                | कुल      |
| 1.   | लगाई गई (रुपए लाख में)                  | 135.17              | + | 43943.11            | 44078.28 |
| 2.   | वसूली गई (रुपए लाख में)                 | 206.55              | + | 1711.79             | 1928.34  |
| 3.   | वसूली के लिए लम्बित (रुपए लाख में)      | 937727              | + | 288292              | 1225919  |
| ड.   | कोफेपोसा                                | फेरा                |   | फेमा                | कुल      |
| 1.   | जारी किए गए आदेश                        | 0                   | + | 4                   | 4        |
| 2.   | नजरबंद किए गए                           | 0                   | + | 3                   | 3        |
| च    | अभियोजन                                 | धारा 56 के तहत फेरा |   | धारा 57 के तहत फेरा | कुल      |
| 1.   | निपटान                                  | 28                  | + | 207                 | 235      |
| i)   | दोषसिद्धि                               | 13                  | + | 1                   | 14       |
| ii)  | रिहाई                                   | 6                   | + | 0                   | 6        |
| iii) | मुक्त                                   | 24                  | + | 232                 | 256      |
| iv)  | वापिस लिए गए                            | 0                   | + | 1                   | 1        |
| v)   | अन्यथा निपटाए गए                        | 1                   | + | 19                  | 20       |
| vi)  | कम किए गए मामले                         | 0                   |   | 0                   | 0        |
| 2.   | लंबित                                   | 1152                |   | 664                 | 1816     |

जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक पीएमएलए के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े

| क्र. सं. | कार्रवाई                                                                                                   | माह के अंत में कुल संख्या |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | ईसीआईआर की संख्या                                                                                          | 152                       |
| 2.       | जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                 | 199                       |
| 3.       | कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)                                                          | 1521950.43                |
| 4.       | पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                       | 187                       |
| 5.       | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में) | 1191830.68                |
| 6.       | अधिकरण के समक्ष अपीलों की संख्या                                                                           |                           |
|          | (क) पक्ष द्वारा दायर                                                                                       | 338                       |
|          | (ख) निदेशालय द्वारा दायर                                                                                   | 12                        |
|          | कुल:                                                                                                       | 350                       |
| 7.       | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या                                                                       | 30                        |
| 8.       | मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई                                                          | 213                       |

अनुबंध क1  
(फेरा और फेमा)

जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के सांख्यिकीय आंकड़े

| क    | तलाशियां और जब्तियां                    | फेमा                |   |                     |           |
|------|-----------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------|
| 1.   | संचालित तलाशियां                        | 18                  |   |                     |           |
| 2.   | जब्त की गई विदेशी मुद्रा (लाख रुपए में) | 643.89              |   |                     |           |
| 3.   | जब्त भारतीय मुद्रा (लाख रुपए में)       | 17.76               |   |                     |           |
| ख.   | जांच                                    | फेमा                |   |                     |           |
| 1.   | आरंभ की गई                              | 750                 |   |                     |           |
| 2.   | निपटाई गई                               | 784                 |   |                     |           |
| 3.   | लम्बित                                  | 6669                |   |                     |           |
| 4.   | जारी किए गए कारण बताओ नोटिस             | 259                 |   |                     |           |
| ग    | न्यायनिर्णयन                            | फेरा                |   | फेमा                | कुल       |
| 1.   | न्यायनिर्णित मामले                      | 10                  | + | 187                 | 197       |
| 2.   | न्यायनिर्णयन के लिए लंबित मामले         | 104                 | + | 1118                | 1222      |
| 3.   | विदेशी मुद्रा की जब्ती (लाख रुपए में)   | 0                   | + | 10.58               | 10.58     |
| 4.   | भारतीय मुद्रा की जब्ती (लाख रुपए में)   | 0                   | + | 8.35                | 8.35      |
| घ    | शास्तियां                               | फेरा                |   | फेमा                | कुल       |
| 1.   | लगाई गई (लाख रुपए में)                  | 147                 | + | 160529.85           | 160676.85 |
| 2.   | वसूली गई (लाख रुपए में)                 | 4.8                 | + | 829.26              | 834.06    |
| 3.   | वसूली के लिए लम्बित (लाख रुपए में)      | 0                   | + | 0                   | 0         |
| ड.   | कोफेपोसा                                | फेरा                |   | फेमा                | कुल       |
| 1.   | जारी किए गए आदेश                        | 0                   | + | 14                  | 14        |
| 2.   | नजरबंद किए गए                           | 0                   | + | 0                   | 0         |
| च    | अभियोजन                                 | धारा 56 के तहत फेरा |   | धारा 57 के तहत फेरा | कुल       |
| 1.   | निपटान                                  | 31                  | + | 53                  | 84        |
| i)   | दोषसिद्धि                               | 01                  | + | 01                  | 02        |
| ii)  | रिहाई                                   | 01                  | + | 00                  | 01        |
| iii) | मुक्त                                   | 29                  | + | 39                  | 68        |
| iv)  | वापिस लिए गए                            | 00                  | + | 00                  | 00        |
| v)   | अन्यथा निपटाए गए                        | 00                  | + | 13                  | 13        |
| vi)  | कम किए गए मामले                         | 0                   | + | 0                   | 00        |
| 2.   | लंबित                                   | 1121                | + | 611                 | 1732      |

जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक पीएमएलए के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े

| क्र. सं. | कार्रवाई                                                                                                   | माह के अंत में कुल संख्या |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | ईसीआईआर की संख्या                                                                                          | 50                        |
| 2.       | जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                 | 53                        |
| 3.       | कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)                                                          | 303949.70                 |
| 4.       | पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                       | 43                        |
| 5.       | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में) | 218227.44                 |
| 6.       | अधिकरण के समक्ष अपीलों की संख्या                                                                           |                           |
|          | (क) पक्ष द्वारा दायर                                                                                       | 398                       |
|          | (ख) निदेशालय द्वारा दायर                                                                                   | 4                         |
|          | कुल:                                                                                                       | 402                       |
| 7.       | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या                                                                       | 03                        |
| 8.       | मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई                                                          | 20                        |

अनुबंध-ग  
(फेरा और फेमा)

जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2017 तक के सांख्यिकीय आंकड़े

| क    | तलाशियां और जब्तियां                    | फेमा      |   |           |           |
|------|-----------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.   | संचालित तलाशियां                        | 138       |   |           |           |
| 2.   | जब्त की गई विदेशी मुद्रा (लाख रुपए में) | 574.97    |   |           |           |
| 3.   | जब्त भारतीय मुद्रा (लाख रुपए में)       | 915.90    |   |           |           |
| ख.   | जांच                                    | फेमा      |   |           |           |
| 1.   | आरंभ की गई                              | 3986      |   |           |           |
| 2.   | निपटाई गई                               | 1945      |   |           |           |
| 3.   | लम्बित                                  | 6855      |   |           |           |
| 4.   | जारी किए गए कारण बताओ नोटिस             | 689       |   |           |           |
| ग    | न्यायनिर्णयन                            | फेरा      |   | फेमा      | कुल       |
| 1.   | न्यायनिर्णित मामले                      | 40        | + | 1126      | 1166      |
| 2.   | न्यायनिर्णयन के लिए लंबित मामले         | 390       | + | 1084      | 1474      |
| 3.   | विदेशी मुद्रा की जब्ती (लाख रुपए में)   | 0.18      | + | 221.71    | 221.89    |
| 4.   | भारतीय मुद्रा की जब्ती (लाख रुपए में)   | 34.6      | + | 553.04    | 587.64    |
| घ    | शास्तियां                               | फेरा      |   | फेमा      | कुल       |
| 1.   | लगाई गई (लाख रुपए में)                  | 1320.44   | + | 5480.15   | 6800.59   |
| 2.   | वसूली गई (लाख रुपए में)                 | 224.67    | + | 1273.38   | 1498.05   |
| 3.   | वसूली के लिए लम्बित (लाख रुपए में)      | 753466.82 | + | 117535.99 | 871002.81 |
| ड.   | कोफेपोसा                                | फेरा      |   | फेमा      | कुल       |
| 1.   | जारी किए गए आदेश                        | 0         | + | 0         | 0         |
| 2.   | नजरबंद किए गए                           | 0         | + | 0         | 0         |
| च    | अभियोजन                                 | फेरा      |   |           | कुल       |
| 1.   | निपटान                                  | 263       |   |           | 263       |
| i)   | दोषसिद्धि                               | 20        |   |           | 20        |
| ii)  | रिहाई                                   | 10        |   |           | 10        |
| iii) | मुक्त                                   | 218       |   |           | 218       |
| iv)  | वापिस लिए गए                            | 0         |   |           | 0         |
| v)   | अन्यथा निपटाए गए                        | 15        |   |           | 15        |
| vi)  | कम किए गए मामले                         | 0         |   |           | 0         |
| 2.   | लंबित                                   | 2111      |   |           | 2111      |

जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2017 तक पीएमएलए के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े

| क्र. सं. | कार्रवाई                                                                                                   | माह के अंत में कुल संख्या |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | ईसीआईआर की संख्या                                                                                          | 159                       |
| 2.       | जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                 | 201                       |
| 3.       | कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)                                                          | 587495.38                 |
| 4.       | पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या                                                                       | 181                       |
| 5.       | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में) | 1080025.85                |
| 6.       | अधिकरण के समक्ष अपीलों की संख्या                                                                           |                           |
|          | (क) पक्ष द्वारा दायर                                                                                       | 293                       |
|          | (ख) निदेशालय द्वारा दायर                                                                                   | 17                        |
|          | कुल:                                                                                                       | 310                       |
| 7.       | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या                                                                       | 43                        |
| 8.       | मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई                                                          | 104                       |

अनुबंध - ड करने में मदद करेंगे।

**प्रवर्तन निदेशालय में अन्य पहल:**

1. **बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली** मुख्यालय सहित निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों में संस्थापित की गई है जहां इसे अक्टूबर, 2014 के दौरान संस्थापित की गई। सॉफ्टवेयर में दर्ज परिभाषित निविष्टियों/शिकायतों और कर्मचारियों द्वारा नियमों और विनियमों से किसी विपथन के लिए इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।

2. प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2018 के दौरान निदेशालय द्वारा **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** का आयोजन किया गया ताकि एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज प्राप्त हो सके।

3. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस निदेशालय के सभी कार्यालयों द्वारा 21 जून, 2018 को मनाया गया। निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मिकों ने उत्साह और जोश से भाग लिया।

4. प्रवर्तन निदेशालय और गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (जीएफएसयू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि दोनों एजेंसियों के बीच तकनीकी समन्वयन किया जा सके। जीएफएसयू देश में मुख्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला होने के नाते साइबर प्रयोगशाला के तकनीकी व प्रक्रियात्मक पहलुओं संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगी। वे निदेशालय में क्षमता निर्माण संबंधी कार्य शुरू करेंगे और हमें 79 क प्रमाणन प्राप्त

5. नेटग्रिड का एक सर्वर मुख्यालय कार्यालय में स्थापित किया गया है जो विभिन्न एजेंसियों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ही सभी निवेदन उपलब्ध कराएगा। परियोजना अभी शुरुआती स्तर पर है और मुख्यालय कार्यालय में स्थापित सर्वर को नेटग्रिड अधिकारियों द्वारा स्थापित सर्वर/सॉफ्टवेयर पर न्यावहारिक व क्रियाशील जानकारी मिलेगी।

**2.12. वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-इंड)****2.12.1. एफआईयू-इंड की पृष्ठभूमि एवं कार्यकलाप**

वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंड) की स्थापना भारत सरकार द्वारा धन शोधन तथा उससे संबंधित अपराधों से निपटने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रहण तथा आदान-प्रदान को समन्वित तथा मजबूत करने हेतु की गई थी।

2.12.2 एफआईयू-इंड के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले शामिल हैं

क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रिपोर्टकर्ता इकाइयों से प्राप्त सूचना/रिपोर्टों का विश्लेषण तथा आगे की कार्रवाई हेतु अधिकृत घरेलू एजेंसियों को उनका प्रसार करना।

ख) पीएमएलए के उपबंधों को लागू करना, जहां तक इसका संबंध एफआईयू-इंड से है।

ग) एगमोट ग्रुप तथा विदेशी एफआईयू से सूचना का आदान-प्रदान।

घ) एएमएल/सीएफटी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण सहित रिपोर्टकर्ता इकाइयों और उनके विनियामकों तथा आईएफयू-इंड से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत घरेलू एजेंसियों के साथ परस्पर संपर्क।

### 2.12.3 वर्ष 2018-19 (मार्च 2019 तक) के दौरान प्रमुख कार्य-निष्पादन/ उपलब्धियां

#### ➤ सूचना का संग्रहण:-

- 13504487 नकद संयवहार रिपोर्ट (सीटीआर) प्राप्त किया गया।
- 1013918 संदिग्ध संयवहार रिपोर्ट (एसटीआर) प्राप्त किया गया।
- 319663 जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) प्राप्त किया गया।
- 649716 एनपीओ संयवहार रिपोर्ट (एनटीआर) प्राप्त किया गया।

#### ➤ सूचना का विश्लेषण तथा प्रसार:-

- 89646 एसटीआर प्रोसेस किया गया।
- 80793 एसटीआर प्रसारित किया गया।

#### ➤ घरेलू कानून प्रवर्तन तथा आसूचना एजेंसियों के साथ सहयोग:-

- नियमित बातचीत एवं सूचना का आदान-प्रदान।
- आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना हेतु 1709 अनुरोध प्राप्त हुए।
- एजेंसियों के अनुरोध पर 1398 मामलों में सूचना प्रदान की गई।

#### ➤ क्षेत्रीय और वैश्विक एएमएल/सीएफटी प्रयास:-

- 1.1.2018 से 31.03.2019 के दौरान विदेशी एफआईयू से 102 अनुरोध प्राप्त हुए।
- 1.1.2018 से 31.03.2019 के दौरान विदेशी एफआईयू को 273 अनुरोध किए गए।

#### ➤ धन शोधन तथा आतंकी वित्तपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है:-

- ✓ आरई के प्रशिक्षण हेतु 22 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 967 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ✓ एफआईयू-इंड में 17 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

✓ एनईए के प्रशिक्षण हेतु 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 803 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

✓ एलईए के साथ 15 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 568 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

✓ 02 दिवसीय 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन इसमें 290 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दूसरे दिन का सत्र नामित चिकित्सकों के लिए आयोजित किया गया था जिसमें 28 कार्यकारी निदेशक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ-साथ उद्योग-वार 04 और सत्रों में विभिन्न रिपोर्टिंग इकाइयों के कुल 221 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

#### ➤ विधायी और विनियामक ढांचे का सुदृढीकरण:-

- राजस्व विभाग और विनियामकों के साथ नियमित बातचीत।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2005 में संशोधन के लिए पणधारकों से या राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त सुझावों का समाधान किया गया।
- जोखिम आधारित दृष्टिकोण को विकसित करने तथा राष्ट्रीय एमएल/टीएफ जोखिम आकलन के निरूपण के लिए एएमएल संचालन समिति की कार्यवाहियों में सहभागिता।

#### ➤ सूचना प्रौद्योगिकी जानकारी का सुदृढीकरण:-

- डाटा के प्रमाणीकरण का सुदृढीकरण ताकि विभिन्न रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा सूचित डाटा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार फाइनैक्स में उपयोक्ता अनुकूल विशेषताओं की शुरुआत करना।
- परियोजना फिननेट 2.0 का डिजाइन बनाने के लिए सलाहकार की नियुक्ति।

### 2.12.4 सूचना प्रौद्योगिकी जानकारी

2.12.4.1 एफआईयू-इंड द्वारा धन शोधन तथा उससे संबंधित अपराधों से निपटने हेतु बहुमूल्य वित्तीय सूचना के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और समुचित प्रौद्योगिकी को अपनाने के उद्देश्य से फिननेट 2006 परियोजना आरंभ की गई।

2.12.4.2 पहला चरण मार्च, 2007 में शुरू हुआ जिस दौरान फिननेट परियोजना के कार्यात्मक और तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और प्रणाली समाकलक (एसआई) के चयन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव के लिए अनुरोध को भी अंतिम रूप दिया गया।

2.12.4.3 25 फरवरी, 2010 को एसआई के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के साथ दूसरा चरण शुरू हुआ। परियोजना के कार्यान्वयन के सभी चरण पूरे कर लिए गए हैं और गेटवे पोर्टल 20 अक्टूबर, 2012 को शुरू हो गया।

2.12.4.4 विधिक और प्रचालनात्मक ढांचे में बदलावों ने प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का पुनःआकलन आवश्यक कर दिया। इसके मद्देनजर एफआईयू-

इंड ने फिननेट 2.0 का डिजाइन शुरू कर दिया है। फिननेट 2.0 की आरएफपी को अंतिम रूप दे दिया है और निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है और चल रही है।

2.12.4.5 फिननेट 2.0 में परिकल्पित मुख्य व्यावहारिकताएं निम्नवत हैं:

➤ **उन्नत मामला विश्लेषण सामर्थ्य**

- ✓ उन्नत विश्लेषण
- ✓ डाटा की अनुकूल प्रोसेसिंग
- ✓ ओपन सोर्स आसूचना का एकीकरण
- ✓ कार्यनीतिक विश्लेषण मॉड्यूल
- ✓ अलर्ट मॉड्यूल संवर्धन
- ✓ मशीन लर्निंग
- स्वचालित मामला नियतन और समीक्षा
- विश्लेषित और प्रसारित मामलों के इतिहास से सीखने के लिए प्रोसेसिंग मॉड्यूल
- तीव्रतर मामला विश्लेषण और उसके बाद प्रसारण
- पूर्व में मामला विश्लेषण के स्वरूप के विसंवेतन के लिए कलन विधि और इस परख का मामला प्रसारण को तेज करने के लिए उपयोग

➤ **फिननेट परितंत्र का विस्तार**

- मोबाइल अनुप्रयोग
- ✓ फिननेट उपयोक्ताओं के लिए सुरक्षित मोबाइल परितंत्र
- ✓ इकाइयों के बीच निर्बाध और वास्तविक समय की सूचना
- ✓ व्यापक नोटिफिकेशन तंत्र (ईमेल, मोबाइल, एसएमएस)
- ✓ एफआईयू को स्वचालित रिपोर्टिंग
- एपीआई एकीकरण

➤ **अनुपालन सुनिश्चित करना**

लर्निंग मॉड्यूल

**3. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

**3.1 संगठन और कार्य**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का कार्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने और उनकी वसूली करने से संबंधित नीति तैयार करना, तस्करी और शुल्कों के अपवंचन की रोकथाम करना और सीमा शुल्क और माल एवं सेवा कर कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में नीति तैयार करना है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों नामतः सीमा

शुल्क, और जीएसटी मंडलों, सीमा शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालयों तथा निदेशालयों की सहायता से विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी तथा घरेलू यात्रा पर करों का अधिशासन कानून के अनुसार किया जाता है और संग्रहण अभिकरण, संग्रहित करों को सरकारी खजाने में तत्परता से जमा करवाते हैं।

**3.1.1 जीएसटी, सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के जोन**

जीएसटी व्यवस्था में सीबीईसी (अब सीबीआईसी) में क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16.06.2017 को कार्यालयों के बीच संशोधित संवर्ग संख्या के आबंटन हेतु अनुमोदित किया गया है, इसके ब्यौरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

**क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन:**

| क्र०.सं०. | कार्यालय                                        | संख्या |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 1         | जीएसटी जोन की सं०                               | 21     |
| 2         | जीएसटी आयुक्तालय की सं०                         | 107    |
| 3         | जीएसटी लेखापरीक्षा आयुक्तालय की सं०             | 48     |
| 4         | जीएसटी अपील आयुक्तालय की सं०                    | 49     |
| 5         | सीमा शुल्क जोन की सं०                           | 11     |
| 6         | सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (पी) आयुक्तालयों की सं० | 58     |
| 7         | सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय                       | 9      |
| 8         | सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय की सं०.        | 3      |
| 9         | महानिदेशालयों / निदेशालयों की सं०               | 22     |

(i) **माल और सेवा कर कार्यालय:** इसमें 21 समेकित केंद्रीय माल और सेवा कर जोन, 107 जीएसटी आयुक्तालय और 48 जीएसटी लेखापरीक्षा आयुक्तालय हैं।

निम्नलिखित माल एवं सेवा कर जोन और आयुक्तालय हैं:

जीएसटी जोन (जिनका प्रमुख प्रधान मुख्य आयुक्त होता है): अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता।

जीएसटी जोन (जिनका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है): भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, मेरठ, नागपुर, पंचकुला, पुणे, रांची, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, विशाखापत्तनम।

जीएसटी आयुक्तालय (जिनका प्रधान आयुक्त होता है): चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पूर्व, गुडगांव, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बंगलुरु ईस्ट, बंगलुरु वेस्ट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई नॉर्थ, कोयंबटूर, पटना- I, रांची, कोलकाता नॉर्थ, भुवनेश्वर, जयपुर, अहमदाबाद दक्षिण, वडोदरा I, मुंबई पूर्व, मुंबई दक्षिण, पुणे I, नागपुर I, भोपाल, रायपुर, गुवाहाटी,

(ii) सीमा शुल्क कार्यालय: मंत्रालय के पत्र फा.सं०. ए-11019/15/2017-प्रशा.IV दिनांक 12.01.2018 और 28.03.2018 के द्वारा

पुनर्गठन और पुनःआबंटन के पश्चात् ग्यारह (11) सीमा शुल्क जोन और साठ (60) सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय और (9) सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय तथा (3) सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय हो गए हैं। उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और इसके सहायक अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना, जिनमें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सीमा शुल्क को लगाना और उसकी वसूली करना तथा प्रवर्तन कार्य करना भी शामिल है।

(ख) तटीय तथा भू-सीमा पर निगरानी रखना जिससे तस्करी के क्रियाकलापों को रोका जा सके। बोर्ड में समुद्री और दूर संचार विंग भी है जो कि तस्करी विरोधी कार्यों संवेदनशील तटीय रेखा पर निगरानी करने में इन आयुक्तालयों की मदद करता है।

जोन और आयुक्तालयों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

**सीमाशुल्क जोन (जिसका प्रमुख प्रधान मुख्य आयुक्त होता है):** मुंबई-I,

**सीमाशुल्क जोन (जिसका प्रमुख मुख्य आयुक्त होता है):** दिल्ली, मुंबई-II, मुंबई-III, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, दिल्ली सीमाशुल्क (पी), पटना सीमाशुल्क (पी), तिरुचिरापल्ली सीमाशुल्क (पी), कोच्चिन सीमाशुल्क (पी), अहमदाबाद।

**सीमाशुल्क आयुक्तालय (जिसका प्रमुख प्रधान आयुक्त होता है):** एसीसी (आयात) दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद दिल्ली, दिल्ली सीमाशुल्क (पी) मुंबई जनरल, न्हावा शेवा-I, न्हावा शेवा-II, मुंबई हवाई अड्डे, मुंबई एसीसी आयात, मुंबई निवारक, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता हवाई अड्डे और एसीसी, चेन्नई-I हवाई अड्डे, चेन्नई-III, चेन्नई VII एसीसी, बंगलौर हवाई अड्डे और एसीसी, अहमदाबाद, मुंद्रा, हैदराबाद, नोएडा, विशाखापट्टनम।

**सीमाशुल्क आयुक्तालय (जिसका प्रमुख आयुक्त होता है):** दिल्ली जनरल, दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली एसीसी निर्यात, आईसीडी तुगलकाबाद निर्यात, आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, मुंबई आयात I, मुंबई-आयात II, मुंबई निर्यात-I, मुंबई निर्यात-II, न्हावा शेवा III, न्हावा शेवा-IV, न्हावा शेवा-V, न्हावा शेवा जनरल, मुंबई सीमा शुल्क I (हवाई अड्डा), मुंबई सीमा शुल्क II (एपीएससी), मुंबई सीमा शुल्क III (एसीसी आयात), मुंबई सीमा शुल्क IV (एसीसी निर्यात), मुंबई सीमा शुल्क V (जनरल), पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क (पी), चेन्नई-II, चेन्नई-IV, चेन्नई VIII जनरल, बंगलौर सिटी, मंगलौर, दिल्ली सीमा शुल्क (पी), अमृतसर सीमा शुल्क (पी), जोधपुर सीमा शुल्क (पी), लुधियाना, पटना सीमा शुल्क (पी), लखनऊ सीमा शुल्क (पी), तिरुचिरापल्ली सीमा शुल्क (पी), तूतीकोरिन, तिरुवनंतपुरम सीएच, तिरुवनंतपुरम सीमा शुल्क (पी), जामनगर सीमा शुल्क (पी), कांडला, शिलांग सीमा शुल्क (पी), भुवनेश्वर सीमा शुल्क (पी), विजयवाड़ा सीमा शुल्क (पी), पुणे, गोवा, इंदौर सीमा शुल्क (पी), नागपुर सीमा शुल्क (पी)।

(iii) **जीएसटी और सीमा शुल्क जोनों में लेखा परीक्षा संरचना को मजबूत बनाना:** गैर हस्ताक्षेपकारी अप्रत्यक्ष कर के वर्तमान प्रशासन में इस विभाग की लेखा परीक्षा संरचना को मजबूत किया जाना आवश्यक

था जिससे कि उन रास्तों को बंद किया जा सके जिनसे राजस्व का नुकसान होता है। तदनुसार, 45 लेखा परीक्षा आयुक्तालय बनाए गए हैं जिन पर जीएसटी लेखा परीक्षा करने और सीमाशुल्क में क्लैयरेंस-पर्यन्त लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

**जीएसटी लेखापरीक्षा आयुक्तालय (जिनका प्रमुख आयुक्त होता है):** चेन्नई-I, चेन्नई-II, दिल्ली-I, दिल्ली-II, कोलकाता-I, कोलकाता-II, दुर्गापुर, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलुरु-I, बेंगलुरु-II, मैसूर, बेलगावी, भोपाल, इंदौर, रायपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, लुधियाना, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, जयपुर, जोधपुर, मेरठ, नोएडा, देहरादून, मुम्बई-II, मुंबई-III, मुंबई-III, ठाणे, रायगढ़, नागपुर, नासिक, पुणे-I, पुणे-II, पटना, रांची, शिलांग, पंचकुला, गुडगांव, लखनऊ, कानपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद-I, हैदराबाद-II

सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय (जिनका प्रमुख आयुक्त होता है): दिल्ली सीमा शुल्क, मुंबई सीमा शुल्क, चेन्नई सीमा शुल्क।

(iv) **महानिदेशालय / निदेशालय:** विभाग की प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं में निदेशालयों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिनका पैन-इंडिया क्षेत्राधिकार है तथा वे सीबीआईसी को नीति निर्धारण में सहयोग करते हैं। सेवा कर महानिदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, प्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, सतर्वत्ता महानिदेशालय और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स (नासिन) के सुदृढ़ीकरण के पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया गया है।

निम्न तालिका क्षेत्रीय संरचनाओं के पुनर्गठन को समाहित करती है:

(v) **अपीलीय और कर वसूली तंत्र:** इस समय, जीएसटी और सीमाशुल्क (अपील) के 58 आयुक्त हैं। आयुक्त (अपील) से युक्त अपीलीय तंत्र, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवाकर कानूनों के अंतर्गत सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त से कम रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों पर कार्य करता है।

(vi) सीबीआईसी में आयुक्त: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के 6 आयुक्त हैं, जो विभिन्न नीतिगत मामलों में बोर्ड की सहायता करते हैं। सीबीआईसी में आयुक्तों को कार्मिक प्रबंधन महानिदेशालय की 4 अपर/संयुक्त आयुक्तों और 22 उप/सहायक आयुक्तों की स्वीकृत संख्या द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(vii) आयुक्त (न्यायनिर्णयन): इस समय अखिल भारतीय प्रसार और उच्च राजस्व मूल्य वाले मामलों का निर्णय करने के लिए 4 आयुक्त (न्याय-निर्णयन) (डीजीआरआई और डीजीसीआई में दो-दो) के पद हैं। ये आयुक्त जीएसटी के साथ-साथ सीमा शुल्क के मामले भी देखेंगे।

(viii) **संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय:** प्रशासनिक और कार्यपालक कार्यों के निष्पादन में, पुनर्गठित ढांचे में, निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड की सहायता करते हैं:

- (क) जीएसटी आसूचना महानिदेशालय
- (ख) राजस्व आसूचना महा निदेशालय
- (ग) कार्यनिष्पादनप्रबंधन महानिदेशालय
- (घ) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय
- (ङ) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी
- (च) सतर्कता महानिदेशालय
- (छ) प्रणाली और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय
- (ज) लेखापरीक्षा महानिदेशालय
- (झ) मुनाफाखोरी-विरोधी महानिदेशालय
- (ञ) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय
- (ट) माल एवं सेवा कर महानिदेशालय
- (ठ) मूल्यांकन महानिदेशालय
- (ड) डीजी एआरएम
- (ढ) करदाता सेवाएं निदेशालय
- (ण) संभार तंत्र निदेशालय
- (त) विधिक कार्य निदेशालय
- (थ) मुख्य आयुक्त का कार्यालय (एआर)
- (द) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
- (ध) अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले निदेशालयों, मुख्य विभागीय प्रतिनिधि कार्यालय एवं केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

#### क. जीएसटी आसूचना महानिदेशालय

- (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना,
- (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए प्रवण वस्तुओं के मूल्य संरचना, विपणन प्रतिमानों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना,
- (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना,
- (घ) अंतर-आयुक्तालय/ विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और
- (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की तरकीबों के बारे में सलाह देना तथा बच निकालने के रास्तों को बन्द करने की दृष्टि से उचित उपचार परक उपायों, प्रक्रियाओं तथा रीतियों के संबंध में बोर्ड

और आयुक्तालयों को सलाह देना ।

#### ख. राजस्व आसूचना महानिदेशालय:

- (क) तस्करी के बारे में आसूचना का अध्ययन एवं इसका प्रसार करना;
- (ख) तस्करी के संगठित गिरोहों तथा तस्करी के लिए प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना, उनके विरुद्ध आसूचना एकत्र करना तथा उनकी गतिशीलता रोकना;
- (ग) आसूचना को एकत्र करने तथा अंतःआयुक्तालयों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महत्वपूर्ण मामलों की गहराई से जांच करने के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना तथा प्रवर्तन कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना;
- (घ) संदिग्ध व्यक्तियों तथा निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करना, तस्करी के सामयिक तथा संभावित तरीकों का अंदाजा लगाना;
- (ङ.) मंत्रालय को तस्करी रोधी उपायों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना तथा कमियों को दूर करने की दृष्टि से कानूनों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को तैयार करना या इन्हें संशोधित करना; और;
- (च) ऐसे अन्य सभी मामलों के बारे में कार्यवाही करना, जो मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा निदेशालय को कार्रवाई/जांच के लिए सौंपे गए हों ।

#### ग. कार्य निष्पादन प्रबंधन महा-निदेशालय

- i. देश में, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागीय तंत्र के कार्यकरण का अध्ययन करना
- ii. इसकी कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा निरीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण कमियां दूर करने के उपाय सुझाने तथा कारगर कार्यकरण के लिए प्रक्रियाएं विहित करना ।
- iii. यह निर्धारित करने के लिए निरीक्षण करना कि क्या फील्ड कार्यालयों का कार्य, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं के अनुरूप है तथा प्रक्रियात्मक कर्मियों, यदि कोई हों, के संबंध में सिफारिशें करना ।
- iv. फील्ड कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना ।
- v. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संकलन के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले क्षेत्रों में फील्ड कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना
- vi. बोर्ड की अधिसूचना अथवा संधि की शर्तों के अनुसार छूट के दावों पर कार्रवाई करना ।
- vii. फील्ड कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करना ।



viii. प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्य करना ।

ix. पूर्व मुख्य आयुक्त के कार्य और जिम्मेवारियाँ निभाना पिछला बकाया कर के भुगतान की वसूली अर्थात केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के राजस्व के पिछले भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना तथा लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से पिछली बकाया राशि को प्राप्त करने की रणनीति को अंतिम रूप देना और कार्यावित्त करना ।

घ. मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

I. एचआरएम स्कन्ध :

(क) कैडर प्रबंधन प्रभाग:

क) विभाग के लक्ष्यों और अनुमान के अनुरूप सीबीआईसी की मानव संसाधन योजनाओं को तैयार कर उनकी रूपरेखा बनाना;

(ख) भर्ती नियमावली का विश्लेषण और उनमें परिवर्तनों का प्रस्ताव देना;

(ग) विभिन्न पदों के लिए कार्यो का चार्टर तैयार करना और उनकी आवधिक समीक्षा करना;

(घ) वार्षिक भर्ती योजना (एआरपी) तैयार करने अथवा सीधी भर्ती में सीबीआईसी की सहायता करना;

(ङ.) भर्ती नीति तैयार करने तथा इसका कार्यान्वयन करने के मामले में सीबीआईसी की सहायता करना;

(च) उन प्रस्तावों सहित मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करना जिनमें पदों को एक कार्यात्मक क्षेत्र से दूसरे कार्यात्मक क्षेत्र से अस्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है;

(छ) प्रशिक्षण, पदस्थापना, कौशल उन्नयन तथा उत्तराधिकार आयोजना हेतु मानव संसाधन सूचना प्रणाली को तैयार रखना और इसका रख-रखाव करना;

(ज) वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के हिस्से के रूप में अधिकारियों की पदस्थापना तथा स्थानांतरण के लिए सीबीआईसी को आंकड़ों की सहायता प्रदान करना;

(झ) स्थानांतरण नीति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए इसे सीबीआईसी को बेजना;

(ञ) कैडर समीक्षा और बदलते आर्थिक परिदृश्य और आवश्यकताओं के संदर्भ में विभाग के पुनर्गठन में सीबीआईसी को सहायता प्रदान करना ;

(ट) अधिकारी/कर्मचारी संघों के साथ आवधिक विचार-विमर्श में सीबीआईसी को सहायता देना ;

(ठ) मानव संसाधन प्रबन्धन/ प्रशासन संबंधी मामलों पर नियम पुस्तिका और संदर्भ साहित्य को तैयार करना; तथा

(ड) देशभर में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकरण की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता/समरूपता लाने में सीबीआईसी को

सहायता प्रदान करना ।

(ख) कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग:

क) वैयक्तिक निष्पादनों को देखने और मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को विकसित करना ;

ख) जनशक्ति और अवसंरचना की कमी पर विचार करते हुए लक्ष्य निर्धारण के आधार पर संगठन, वर्ग और व्यक्तिगत पदों के लिए निष्पादन सूचकों का विकास ;

ग) वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली और निष्पादन माप स्कीम आदि की रूपरेखा तैयार करना;

घ) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकनों को समेकित करना;

ङ.) पुरस्कारों को निष्पादन के साथ जोड़ना और उपयुक्त पुरस्कार नीति की रूपरेखा तैयार करना;

च) सहायता प्राप्त करने और व्यक्तिगत निष्पादन की मानीटरिंग करने तथा जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु "बाहरी परामर्शदाताओं" के साथ संपर्क बनाना; तथा

छ) सभी संवर्गों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन तथा समय-समय पर इसमें अर्थपूर्ण परिवर्तन सुझाना;

(ग) क्षमता निर्माण और स्ट्रेटेजिक विजन प्रभाग:

क) सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाना तथा प्रशिक्षण आवश्यकता इन्वेन्टरी बनाना;

ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में सूचना का प्रसार;

ग) डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से सेवा अंतरालों (अर्थात 6-9 वर्षों की सेवा, 10-16, 17-19 और 20-30 वर्षों की सेवा) पर देश के अंदर और बाहर स्थित संस्थाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण संस्थाओं के परामर्श से समन्वय स्थापित करना;

घ) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण की रूपरेखाएं आदि के व्यावहारिक मॉडलों के विकास में मंत्रालय की सहायता करना तथा डीजी, एनएसीईएन के परामर्श से प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करना;

(ङ.) वर्तमान समय में एनएसीईएन द्वारा संचालित किए जा रहे बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर विदेशी प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की सिफारिश करना;

(च) उर्ध्वगामी संबंधों (अनुक्रम के अंतर्गत) और महिलाओं के हितार्थ, महिलाओं के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न पर रोक सहित संगठनात्मक संबंधों के प्रबंधन में सीबीआईसी को सहायता प्रदान करना;

(छ) सीबीआईसी के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण में

परिवर्तनों को सुव्यवस्थित करना;

(ज) स्ट्रैटेजिक विजन ग्रुप का गठन जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी एवं बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों;

(झ) भावी विकासों का अनुमान बताना और उसके प्रति कार्य करने हेतु संगठन, कार्मिक एवं प्रक्रिया में परिवर्तनों का सुझाव देना ; तथा

(ञ) भारत सरकार की घरेलू धन जमा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में मंत्रालय की सहायता करना;

## II. आधारभूत संरचना और कल्याण स्कन्ध:

### (घ) आधारभूत संरचना प्रभाग:

क) क्षेत्रीय कार्यालयों से इस प्रभाग को सीधे प्राप्त सभी आधारभूत संरचना प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों सहित सीबीआईसी/ मंत्रालय को बिजवाना;

ख) भूमि के खरीदने और बेचने, भवन के खरीदने और बेचने आवास किराये पर लेने और पहले से ही किराए पर लिए गए आवास को जारी रखने, कार्यालयी और आवासीय भवनों को किराए पर लेने, विभाग के भवनों, आवासीय परिसरों इत्यादि की मरम्मत/ रख रखाव/ नवीनीकरण/ संशोधन/ प्रतिस्थापन/ परिवर्तन सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों के अनुमोदन और मंजूरी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करना;

ग) परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाने, उसका रख-रखाव करने और उसका नियमित अद्यतन करके सीबीआईसी की परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा रखना और प्रलेखन करना;

घ) सीबीआईसी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बने बनाए कार्यालय स्थान और आवास की बजटीय अपेक्षा को समेकित करना और दर्शाना;

ड.) नीतिगत दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आधारभूत संरचना प्रस्तावों, (चाहे प्रक्रिया में हो या स्वीकृत हो) की उनकी मंजूरी के संबंध में अनुरूपता सुनिश्चित करना;

च) प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां/ प्रश्न/ अनुमोदन/ मंजूरी से फील्ड कार्यालयों को अवगत करवाते हुए सीबीआईसी और फील्ड कार्यालयों में लिंक स्थापित करना ।

### (ड.) कल्याण प्रभाग:

क) सीबीआईसी को कल्याणकारी उपायों की पहचान और अनुशंसा करने के लिए;

ख) कल्याण निधि के शासी निकाय द्वारा निधि की मंजूरी के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करना;

ग) कल्याण निधि और विशेष उपकरण निधि के बीच आवंटित किए जाने वाले निधियों के लेखाकरण के लिए रसद और प्रिंसिपल सीसीए कार्यालय के निदेशालय के साथ समन्वय करना;

घ) अपने मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय पहलुओं के बारे में विशेषकर (एनएसीआईएन और / या बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के लिए अधिशेष के कगार पर तैयार करने और सेवानिवृत्ति लाभ के प्रबंधन के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करके) कर्मचारियों के अधिशेष का प्रबंधन करने के लिए;

ड) सेवानिवृत्त अधिकारियों के विशेषज्ञता क्षेत्रों और कौशल की एक सूची तैयार करने और बनाए रखने के लिए, और उन्हें मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खोज के भार में सलाह दें, जो कि उनके संबंधित ज्ञान और अनुभव के क्षेत्र से जुड़ा है; तथा

च) अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सीबीआईसी द्वारा प्रचारित/ कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं / उपायों के विषय में सूचना का प्रसार करना ।

## III. व्यय प्रबंधन प्रकोष्ठ:

क) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित बजट परिपत्र को जारी करना;

ख) अनुदान राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/ एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच-पड़ताल;

ग) बजट कवायद के प्रत्येक स्तर पर स्थिति का समेकन करना अर्थात् बजट आकलन, संशोधित आकलन और अंतिम अपेक्षा और इसे आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को प्रस्तुत करना;

घ) मद शीर्षवार अनुमोदित प्रावधानों को संबंधित बजट नियंत्रक प्राधिकारियों को आवंटित करना;

ड) संगत बजट दस्तावेजों में शामिल किए जाने के लिए बजट आकलन का विवरण तैयार करना;

च) व्यय की मंजूर अनुदान राशि की तुलना में हुई प्रगति की निगरानी करना तथा आगे की कार्रवाई के लिए एफ.ए. (वित्त) को मासिक और तिमाही व्यय समीक्षा प्रस्तुत करना;

छ) सक्षम अधिकारी की सहमति/ अनुमोदन के लिए एफए (वित्त) को पुनः विनियोजन आदेश, बचत के अभ्यर्पण इत्यादि का प्रस्ताव करना;

ज) प्रधान सीसीए, सीबीआईसी के परामर्श से विनियोजन लेखा को अंतिम रूप देना तथा इसे सहमति के लिए एफ.ए. (वित्त) को प्रस्तुत करना;

झ) अनुदान-मांगों की विवरणी स्थायी वित्त समिति की जांच-पड़ताल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना;

ञ) व्यय मामलों में लेखा परीक्षा संदर्भों के संबंध में कार्रवाई करना, उदाहरण के तौर पर लेखा-परीक्षा पैरा/ पीएसी पैरा इत्यादि के संबंध में की गई कार्रवाई/ टिप्पणियां

ट) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मामला ।

## ड. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा नार्कोटिक्स अकादमी

(क) सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।

(ख) सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने में सहायता करना तथा अध्ययन संबंधी योजनाएं और पाठ्यक्रम तैयार करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना;

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना।

## च. सतर्कता महानिदेशालय

(क) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की मानीटरिंग करना;

(ख) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की उचित निगरानी रखना; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना एवं सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी महानिदेशालय के साथ घनिष्ठ तालमेल रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी कार्यक्रम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स कार्यालयों के सभी आयुक्तालयों में क्रियान्वित किए जाएं।

## छ. प्रणाली तथा डाटा प्रबंध निदेशालय

### प्रणाली निदेशालय

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हार्डवेयर की खरीद करने, साफ्टवेयर का विकास और रखरखाव, कार्मिकों का प्रशिक्षण और कंप्यूटरीकरण संबंधी बजट व्यय मानीटर करने सहित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं पर ध्यान रखने के लिए।

### (क) डाटा प्रबंधन निदेशालय

(i) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली संबंधी डाटा और सांख्यिकी एकत्र करना और समेकित करना और मंत्रालय और बोर्ड को बजट अनुमानों के पूर्वानुमान में सलाह देना; और

(ii) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकायों, अधिग्रहणों, अदालती मामलों, आदि के संबंध में सांख्यिकीय बुलेटिनों, और सांख्यिकीय वार्षिकी के संकलन हेतु आंकड़े एकत्र करना।

## ज. लेखापरीक्षा महानिदेशालय

(क) लेखा परीक्षा तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास और उनमें सुधार करने के बारे में निदेश देना;

(ख) आवधिक समीक्षाओं द्वारा नई लेखा परीक्षा प्रणाली का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) बाह्य एजेंसियों और इस विभाग के अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(घ) कर अनुपालन में सुधार के लिए उपाय सुझाना;

(ड.) लेखा-परीक्षा के मानकों और निर्धारित की संतुष्टि के स्तर का पता लगाना;

(च) सही डाटा बेस विकसित करने के लिए नीति बनाना और साथ ही लेखा परीक्षा को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए लेखा परीक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना;

(छ) नीति निर्माण में बोर्ड को सहायता करना और सलाह देना और स्थानीय स्तर पर लेखा परीक्षा की योजना, समन्वय और निरीक्षण में मार्गदर्शन करना तथा कार्यकारी निदेश देना;

(ज) संगत सूचना को एकत्र करना और उसका प्रसार करना ; और

(झ) ई.ए.2000 लेखा परीक्षा एवं संबंधित परियोजनाएं जैसे कि जोखिम प्रबंधन, सी.ए.ए.पी लेखा परीक्षा आदि को लागू करना।

## झ. रक्षोपाय महानिदेशालय

(क) भारत में किसी वस्तु के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी की जांच करना;

(ख) रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वस्तु की पहचान करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को 'गंभीर क्षति' अथवा 'गंभीर क्षति का खतरा' के संबंध में निष्कर्षों, वैकल्पिक अथवा अन्यथा, को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;

(घ) निम्नलिखित की सिफारिश करना;

(i) शुल्क की उस राशि के संबंध में, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे को हटाने के लिए पर्याप्त हो।

(ii) रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि और जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो वहां सकारात्मक सामयोजना को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करना; और

(ड) रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना।

## ज. निर्यात संवर्द्धन महानिदेशालय

(क) वास्तविक निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाईयों से निपटने के लिए निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिलों के साथ भातचीत करना;

(ख) निर्यात से संबंधित संबद्ध एजेंसियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यातक बिना किसी कठिनाई के निर्यात योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें;

(ग) मासिक और त्रैमासिक विवरणियों जैसे कि परित्यक्त शुल्क विवरण, प्रतिअदायगी की अदायगी संबंधी विवरण और त्रैमासिक प्रति-अदायगी भुगतान विवरण के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को मॉनीटर करना तथा इन सब की तुलना करना और उन्हें संकलित करना ताकि मंत्रालय नीति की समीक्षा कर सके ;

(घ) मौजूदा विधिक प्रावधानों/नियमों तथा प्रक्रियाओं की दक्षता की जांच संबंधी अध्ययन करना और किए जाने वाले परिवर्तनों के विषय में मंत्रालय को सुझाव, यदि कोई हो, देना;

(ङ) संबंधित आयुक्तों द्वारा निर्धारित ब्रांड दरों की उत्तर लेखा परीक्षा करना और चयनित मामलों का स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की सहायता से भौतिक सत्यापन करना ।

(च) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की उत्तर लेखा परीक्षा करना, और

(छ) बोर्ड और बोर्ड के सीमा शुल्क-IV और एफ टी टी अनुभागों, जो कि 100 प्रतिशत ई.ओ.यू./ई.पी.जेड. इकाइयों/एस.ई.जेड इकाइयों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों और रत्नों और आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजनाओं का कार्य देखते हैं, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना ।

## ट. वस्तु और सेवा कर महा निदेशालय

(क) सेवा कर के संग्रहण और निर्धारण की निगरानी करना।

(ख) फील्ड में सेवाकर के अधिशासन का अध्ययन करना और राजस्व संग्रहण के उपाय सुझाना।

(ग) कानून और प्रक्रियाओं का अध्ययन करवाना।

(घ) डेटाबेस तैयार करना और

(ङ) आयुक्तालयों में सेवाकर प्रकोष्ठों का निरीक्षण करना।

## ठ. मूल्यांकन महानिदेशालय

(क) सीमा शुल्क मूल्यांकन के बारे में विश्व व्यापार संगठन करार को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के कार्य में बोर्ड को सहायता और परामर्श देना;

(ख) पूर्व उदाहरणों, प्रकाशित मूल्य सूचना अथवा अन्य प्रमाणिक

स्रोतों से प्राप्त मूल्यों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के संबंध में एक व्यापक मूल्यांकन डाटा बेस तैयार करना;

(ग) अवमूल्यांकन का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने और साथ ही निर्धारणों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आन लाइन देखने और दैनिक निर्धारण में सहायता देने के एक साधन के रूप में सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को सतत आधार पर मूल्य सूचना प्रसारित करना;

(घ) विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों की मूल्यांकन पद्धतियों पर निगरानी रखना और महत्वपूर्ण एवं नयी मूल्य निर्धारण पद्धतियों के बारे में बोर्ड को सूचित करना और जहां कहीं आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक नीति तथा अन्य उपाय सुझाना;

(ङ) अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के मूल्यांकन निदेशालय और विदेश में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ संपर्क बनाना; और

(च) संवेदनशील वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों और ट्रांस-नेशनल नियमों (उदाहरण के लिए अंतरण संबंधी मूल्य निर्धारण) और विदेशी सहयोग से चल रहे भारतीय उद्यमों की मूल्य निर्धारण पद्धतियों का अध्ययन करना और सुनियोजित अव-मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए पद्धति विकसित करने में सहायता देना; और

(छ) यह निश्चय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना कि मूल्यांकन निदेशालय द्वारा विकसित किए गए मूल्यांकन प्रतिमानों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जा रहा है।

## ड.. विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (जीजीएआरएम) को जुलाई 2017 में सीबीआईसी के संलग्न कार्यालय के रूप में बनाया गया है। यह डेटा विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन के लिए सीबीआईसी का एक सर्वोच्च निकाय है। सीजीआईसी के फील्ड फॉर्मेशन और जांच विंग द्वारा केंद्रित और लक्षित कार्रवाई के लिए आउटपुट उत्पन्न किए जाने हेतु डीजीएमआर विस्तृत डेटा माइनिंग और विश्लेषण के लिए आंतरिक और बाहरी डेटा स्रोतों का उपयोग करेगा। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

### 1. व्यवसाय आसूचना और विश्लेषिकी (सीबीआईए)

- सीबीआईसी की विभिन्न सूचना आवश्यकता की पहचान हेतु उत्तरदायी

- Analytics @ CBIC को सुदृढ़ किए जाने हेतु डेटा के स्रोतों की पहचान के लिए नोडल एजेंसी

- जीएसटी और लक्षित प्रवर्तन हेतु, सीमा शुल्क के लिए जोखिम प्रबंधन केंद्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लक्ष्यीकरण और जोखिम प्रबंधन कार्यों का समर्थन करने के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान किए जाने हेतु उत्तरदायी

- विश्लेषिकी के क्षेत्र में उन्नति को समाविष्ट करना

## 2. जीएसटी हेतु जोखिम प्रबंधन केंद्र

- उचित जोखिम प्रबंधन विकास उपकरण और तकनीक विकसित करना
- आवश्यक आदानों को एकत्र किए जाने हेतु तंत्र को संस्थागत बनाना और संवीक्षा/ लेखा परीक्षा और प्रवर्तन कार्यों के लिए जोखिम-आधारित पहचान हेतु परिणाम साझा करना

## 3. सीमा शुल्क हेतु जोखिम प्रबंधन केंद्र

- जोखिम विश्लेषण, मूल्यांकन और जोखिम बरे कार्गो के राष्ट्रीय समन्वित दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी, समुद्र, वायु और भूमि के माध्यम से सीमाओं को पार करना
  - जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन का समग्र उत्तरदायित्व
  - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यापार वस्तुओं और सभी हितधारकों से संबंधित जोखिम मानदण्डों की पहचान, विकास और देख-रेख
- ## 4. राष्ट्रीय लक्ष्यीकरण केंद्र
- जोखिम विश्लेषण, मूल्यांकन और जोखिम बरा माल और देश की सीमाओं को पार करने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय समन्वित दृष्टिकोण के अनुप्रयोजन हेतु उत्तरदायी
  - 24 X 7 परिचालनात्मक जोखिम पाबंदी सीबीआईसी को सपोर्ट करती है।

## ढ. करदाता सेवाएं महानिदेशालय

- नवगठित निदेशालय की संदर्भ-शर्तें इस प्रकार हैं:

### (I) करदाता सेवाएं, पणधारी परामर्श और शिकायत निवारण :

- सेवा मानक निर्धारित करना तथा इनकी कारगरता और कार्यकुशलता का, समय-समय पर मूल्यांकन और समीक्षा करना,
- नागरिक चार्टर्ड और 'सेवोत्तम' कार्यक्रम की नियमित अंतराल पर निगरानी और समीक्षा करना तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधार सुझाना
- ग्राहक संतुष्टि संवीक्षा, निष्पक्ष तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा और प्रभाव विश्लेषण करवाना ताकि कर-प्रशासन की गुणवत्ता और कार्यकुशलता की निगरानी की जा सके,
- ग्राहक की समझ बढ़ाने और स्वैच्छिक अनुपालना को अधिकतम करने के लिए सीबीआईसी को सहयोग देना
- पीटीएफसी, आरएसी और ओपन हाऊस बैठकों के कार्यक्रम की निगरानी करना ताकि जोनों के बीच अच्छी परिपाटियों को साझा किया जा सके;
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जोनों द्वारा गठित ई-हेल्प लाइनों की निगरानी करना;

## vii. ओम्बड्समैन द्वारा इस पहल को और कारगर बनाने के लिए दिए गए निदेशों और अधिनिर्णयों की निगरानी

viii. आयुक्तालयों और सीमा शुल्क केन्द्रों में 'करदाता सेवा केन्द्रों' की निगरानी तथा आयुक्तालयों और सीमा शुल्क केन्द्रों द्वारा बिजवाई गई आवधिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के माध्यम से बिजवाए गए क्रियाकलापों का विश्लेषण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाने और वस्तुओं की समय पर सुपुर्दगी के लिए समुचित कदम उठाना और

ix. डीजीएस एंड डीएम के परामर्श से समर्थित वेब आधारित सेवा पोर्टल के माध्यम से कर दाताओं और फील्ड कार्यालयों के बीच इंटरफेस के लिए "सिंगल विंडो हेल्प डेस्क" के रूप में कार्य करना।

## (II) प्रचार और जन सम्पर्क:

i. करदाता जानकारी, करदाता शिक्षण और करदाता सहयोग प्रदान करना तथा एनएसीईएन, डीजी जीएसटी से समन्वय करते हुए पहुंच से बाहर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना;

ii. स्वामित्व, विषयवस्तु प्रबंधन तथा विषय वस्तु मालिकों के माध्यम से सीबीआईसी वेबसाइट पर सूचना अद्यतन करना;

iii. एक समुचित चैनल रणनीति को अंतिम रूप देना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा सुपुर्दगी प्रभावकारी है तथा सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं

iv. कर अनुपालना के संबंध में करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में उन्हें शिक्षित करना

v. करदाताओं के लाभ के लिए एएआर और निपटान आयोग जैसे वैकल्पिक चैनलों, सहित विभिन्न विषयों अर्थात् बैगेज एलाउंस, रिफंड, प्रतिअदायगी, छूट, प्रोजेक्ट आयात, एसएसआई छूट, सेनवेट स्कीम, अपीलीय उपचार के संबंध में इशतहार, मार्गदर्शी नोट्स, ब्रोशर, लघु पुस्तिकाएं, भार-भार पूछे जाने वाले प्रश्न इत्यादि का संकलन करना और इन्हें जारी करना

vi. व्यापार और उद्योग जगत के साथ अंतः क्रिया आयोजित करना और प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीआईसी के कर कानूनों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन के सुझाव देना

vii. कर्मचारियों के दृष्टिकोण में सुधार लाने के क्रम में उन्हें नियंत्रक से मददकर्ता और सेवाप्रदाता बनाने के लिए आंतरिक सम्प्रेषण जारी करना

viii. नीति और प्रक्रियाओं में परिवर्तनों के लिए पणधारियों की परामर्श प्रक्रिया की निगरानी और निष्पादन करना; और

ix. सामाजिक मीडिया सहित एक समुचित मीडिया नीति का गठन करना, स्थापित करना और निष्पादित करना।

## ण. संभार तंत्र निदेशालय

(क) आयुक्तालयों और कमजोर क्षेत्रों में तत्करी रोधी कार्य के

लिए तैनात किए गए कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना;

(ख) विभिन्न आयुक्तालयों में न्यायनिर्णयन, अभियोजन तथा मुखबिश्नों तथा अधिकारियों को इनाम देने संबंधी मामलों में प्रगति पर नजर रखना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना तथा अभियोजन संबंधी मामलों में जबाबशुदा माल के निपटान की प्रगति पर नजर रखना;

(ग) विभिन्न आयुक्तालयों में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपस्करों, वाहनों, जलयानों, संचार तथा अन्य स्रोतों की आवश्यकता की आयोजन करना तथा उसका मूल्यांकन करना, उनकी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का अंदाजा लगाना; और

(घ) अधिग्रहण, एकत्रण, खरीदे, मरम्मत और ऐसे संयंत्रों को पुनः लगाने संबंधी मामलों को निपटाना।

#### त. विधिक कार्य निदेशालय

(क) बोर्ड के विधिक और न्यायिक कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ख) ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा निर्णित सभी मामलों का डाटा बेस तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मामलों को मॉनीटर करना कि क्षेत्रीय कार्यालय केवल पात्र मामलों में ही अपील दायर करने की सिफारिश करें ना कि उन मामलों में जिनमें पहले ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां अपील दायर करने के लिए समयबद्ध प्रस्ताव बोर्ड को बेजा जाता है और आदेश की स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को बेजी जाती है;

(घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन्हें विभाग द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से ही निपटाए गए मामलों पर अनावश्यक मुकदमेभाजी से बचा जा सके;

(ङ) विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना। अपीलीय/प्रतिवादी आयुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निदेशालय को सहयोग करना अपेक्षित है;

(च) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए स्थायी काउंसिलों/पैनल काउंसिलों के पैनल तैयार करना। तथापि, निदेशालय की भूमिका सिफारिश करने तक ही सीमित होगी तथा पैनल के अनुमोदन/स्थायी काउंसिलों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय का ही होगा; और

(छ) प्रतिष्ठित वकीलों का अनुमोदित पैनल बनाना जो कि अप्रत्यक्ष कर कानूनों तथा प्रशासन संबंध मामलों की पूरी जानकारी रखते हों, जो सरकार के नियमित पैनल में न भी हों परन्तु उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए विभाग द्वारा रखा जा सकता है।

#### थ. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय (सीडीआर), सीईएसटीएटी

(क) ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री से मामलों की कारण सूची प्राप्त करना और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच केस फाइल वितरित करना;

(ख) सीस्टेट को पीठों के समक्ष सभी सूचीबद्ध मामलों में विभागीय प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को मॉनीटर करना;

(ग) संबंधित आयुक्तालयों से समन्वय करना और प्रति आपत्ति, स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की मांग करना;

(घ) अध्यक्ष, सीस्टेट के साथ समन्वय स्थापित करना; और

(ङ) विभागीय प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और सी.डी.आर कार्यालय, जिसमें उसके मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना।

#### द. केन्द्रीय राजस्व रसायन प्रयोगशाला

वस्तुओं के नमूनों को विश्लेषित करना तथा विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति, गुण एवं मिश्रण के संबंध में बोर्ड एवं इसके क्षेत्रीय संगठनों को तकनीकी सलाह देना।

ध. अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय का कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सीबीआईसी की सहायता करना है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी प्रतिनिधिमंडल और विदेशी दौरे

(ii) प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम

(iii) राष्ट्रीय व्यापार सुविधा-समिति को सचिव स्तरीय सहायता

(iv) साइट पर निकासी पर्यन्त लेखापरीक्षा और सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियमों और विनियमों के प्रारूपण सहित सीमा शुल्क टैरिफ, आईजीएसटी, निकासी पर्यन्त लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में नीतिगत समर्थन।

| अप्रत्यक्ष कर राजस्व: वित्त वर्ष 2018-19 |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| रु. करोड़ में                            |                                       |
| अप्रत्यक्ष कर                            | वास्तविक आंकड़े<br>2018-19<br>(अंतिम) |
| सीमा शुल्क                               | 130,211                               |
| केन्द्रीय उत्पाद                         | 232,008                               |
| सेवा कर [बकाये]                          | 6,997                                 |
| <b>योग(गैर-जीएसटी)</b>                   | <b>369,216</b>                        |
| सीजीएसटी                                 | 457,532                               |
| आईजीएसटी                                 | 17,257                                |
| जीएसटी- क्षतिपूर्ति उपकर                 | 94,678                                |
| <b>योग (जीएसटी)</b>                      | <b>569,467</b>                        |
| <b>कुल योग<br/>(जीएसटी+गैर-जीएसटी)</b>   | <b>938,683</b>                        |

### 3.2 जीएसटी: अवधारणा और स्थिति

#### 3.2.1 प्रस्तावना:

चाहे वह कराधान और फलस्वरूप मुक्त आंतरिक व्यापार की एकरूपता हो या ब्रिटेन की समृद्धि की जड़ में 'मुकुट में गहना' का कब्जा बहस का विषय है, फिर भी, बहुत हल्के में लिया तो भी कराधान की प्रणाली की एकरूपता के लाभों पर आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के शब्द नहीं हो सकते। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पूर्व, भारतीय कराधान प्रणाली केंद्रीय, राज्य और स्थानीय क्षेत्र उद्ग्रहण का एक समूह थी। जीएसटी के अंतर्गत करों की एक अंक से अधिक की गणना करके, अप्रत्यक्ष कर की एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया है जिससे भारत एक आर्थिक संघ बन गया है।

#### 3.2.2 जीएसटी से पूर्व भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की सांविधिक योजना

3.2.2.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानूनी अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, संघ सूची (सातवीं अनुसूची की सूची I) में दिए गए मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां संसद के पास हैं और राज्य सरकार के पास राज्य सूची (सातवीं अनुसूची की सूची II) में शामिल मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची की सूची III) में निहित मामलों के संदर्भ में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के पास कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां हैं।

3.2.2.2 जीएसटी के आगमन से पूर्व, संघ के लिए अप्रत्यक्ष कर राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सीमा शुल्क (संघ सूची के प्रविष्टि 83), केंद्रीय

उत्पाद शुल्क (संघ सूची के प्रविष्टि 84) और सेवा कर (संघ सूची के प्रविष्टि 97) थे। यद्यपि सेवाओं पर कर उद्ग्रहण हेतु संविधान (अट्ठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 92 ग समाविष्ट की गई थी, तो भी इसे अधिसूचित नहीं किया गया था। अतः सेवाओं पर कर को जब तक जीएसटी लागू नहीं हो जाती अवशिष्ट प्रविष्टि, अर्थात् प्रविष्टि सूची 97 के अंतर्गत जारी रखा गया था। संघ ने क्रमशः प्रविष्टि 92क और 92ख के आधार पर माल के अंतर-राज्यीय समनुदेशन पर और अंतर-राज्यीय बिक्री तथा माल की खरीद पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) कहलाने वाला उद्ग्रहण कर भी लगाया था। सीएसटी को यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत बनाए गए, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अनुसार, मूल राज्य के रूप में सौंपा गया है।

3.2.2.3 राज्य की ओर से, कर राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री और खरीद पर कर (राज्य सूची की प्रविष्टि 54), एल्कोहल शराब, अफीम और मदाक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क (राज्य सूची की प्रविष्टि 51), विलासिता पर कर, मनोरंजन, मनोविनोद, सट्टेभाजी और जुआ (राज्य सूची की प्रविष्टि 62) पर कर, चुंगी या प्रवेश कर (राज्य सूची की प्रविष्टि 52) और बिजली कर (राज्य सूची कर प्रविष्टि 53) थे। सीएसटी, यद्यपि इसे संघ द्वारा लगाया गया था, भी राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।

#### 3.2.3 स्वतंत्रता-पर्यन्त से जीएसटी तक भारत में अप्रत्यक्ष कराधान का ऐतिहासिक विकास:

3.2.3.1 स्वतंत्रता-पर्यन्त अवधि में, कुछ वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्रहित किया गया था जो कच्चे माल और मध्यवर्ती आदानों की प्रकृति में थे, और उपबोक्ता सामान कुलमिलाकर नेट से बाहर थे। सुधार का पहला सेट डॉक्टर जॉन मथाई की अध्यक्षता में कराधान जांच आयोग (1953-54) द्वारा सुझाया गया था। आयोग ने सिफारिश की कि बिक्री कर का उपयोग राज्यों द्वारा विशेष रूप से राजस्व के स्रोत के

रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की अनुमति सामान्यतः केवल अंतर-राज्यीय बिक्री के मामले में होती है। इसने 1% की सीमा के अध्यक्षीन अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की भी सिफारिश की, जो राज्यों को प्रशासित करेगा और राजस्व को भी बनाए रखेगा।

**3.2.3.2 अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री और खरीद पर कर उद्ग्रहण की शक्ति को संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संघ को सौंपा गया था। 1970 के दशक के मध्य तक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अधिकांश निर्मित वस्तुओं के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को विशिष्ट शुल्क कहलाने वाली इकाई पर और सममूल्य कहलाने वाले, मूल्य पर उद्ग्रहित किया गया था। महत्वपूर्ण व्यापक (कैस्केडिंग) और वर्गीकरण विवादों हेतु प्रशस्त इनपुट्स पर भुगतान किए गए करों की कोई ऑफसेटिंग न होने से दरों की संख्या बहुत अधिक थी।**

**3.2.3.3 श्री एलके झा के तहत 1976 में गठित की गई अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति ने अन्य भातों के साथ-साथ विनिर्माण स्तर (एमएएनवीएटी) पर मूल्यवर्धित कर की सममूल्य दरों, दर समेकन और इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र में विशिष्ट दरों को परिवर्तित किए जाने की सिफारिश की गई थी। 1986 में, विनिर्माण में मूल्य वर्धित कर पर आगे बढ़ने के लिए झा समिति की सिफारिश को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसे संशोधित मूल्य वर्धित कर (एमओडीवीएटी) कहा गया। सिद्धांततः, मूल्यवर्धन पर शुल्क देय था, लेकिन प्रारम्भ में, यह इनपुट टैक्स और इनपुट निर्मित वस्तुओं के बीच केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जाने हेतु पात्रता के लिए इनपुट और निर्मित माल के बीच इनपुट तथा निर्मित सामानों तक सीमित था। एमओडीवीएटी की व्यापक प्राप्ति (कवरेज) को 1996-97 तक प्राप्त किया गया था।**

**3.2.3.4 अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधार की अगली लहर 1991 की नई आर्थिक नीति के साथ आई। प्रो० राजा जे चेलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति 1991 में नियुक्त की गई थी। इस समिति ने सेवाओं पर कर लगाने और दरों में छूट, समेकन और दरों को कम करने, पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी इनपुटों पर एमओडीवीएटी के विस्तार के लिए कर आधार को व्यापक बनाने की सिफारिश की। यह सुझाव दिया गया कि कर ढांचे में सुधार के लिए, यदि कर सुधारों से पूर्ण लाभ प्राप्त किए जाने थे तो इसे कर प्रशासन के सुधार के साथ होना चाहिए। चेलैया समिति की कई सिफारिशें लागू की गईं। 1999-2000 में, कुछ विलासी वस्तुओं पर अतिरिक्त दरों के साथ कर दरों को तीन दरों में मिला दिया गया था। 2000-01 में, तीन दरों को केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) नामक दर में मिला दिया गया था। कुछ वस्तुओं को विशेष उत्पाद शुल्क के अध्यक्षीन किया गया था।**

**3.2.3.5 यूनियन द्वारा सेवाओं का कराधान 1994 में पेश किया गया था, जिसमें केवल तीन सेवाओं, अर्थात् सामान्य भीमा, दूरसंचार और स्टॉक ब्रोकिंग, को इसके दायरे में शामिल किया गया था। उत्तरोत्तर, अधिक से अधिक सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया। अगले दशक में, अधिक से अधिक सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया। 1994 में, तीन सेवाओं पर कर की दर 5% थी जो उत्तरोत्तर बढ़ी और 2017 में यह 15% (उपकर सहित) हो गई थी। 2012 से पूर्व, सेवाओं पर 'सकारात्मक**

सूची' दृष्टिकोण के तहत कर लगाया गया था। यह पहल 'कर अपवंचन' के लिए प्रवृत्त थी। 2012 के बजट में, नकारात्मक सूची दृष्टिकोण को अपनाया गया था जहां 17 सेवाएं कराधान के दायरे से बाहर थीं और अन्य सभी सेवाएं कर के अध्यक्षीन थीं। 2004 में, सेनवैट और सेवा कर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट योजना को इन करों में क्रेडिट के उपयोग की अनुमति दिए जाने हेतु संविलयित किया गया था।

**3.2.3.6 इस सदी के पहले दशक की पहली छमाही में राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय वैट लागू किए जाने से पूर्व, आजादी के बाद से राज्यों में बिक्री कर लगाया जाता था। बिक्री कर कुछ गंभीर खामियों से ग्रस्त था। यह राज्यों द्वारा एक अनैतिक तरीके से उद्ग्रहित था जिसके परिणाम अलग-अलग राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर की अलग-अलग दरें थीं। बिक्री कर की दरें कुछ राज्यों में दस से अधिक थीं और विभिन्न राज्यों में एक ही वस्तु के लिए ये विविध हैं। अंतर-राज्यीय बिक्री केंद्रीय बिक्री कर के अध्यक्षीन थी। चूंकि इस कर को निर्यातक राज्य द्वारा विनियोजित किया गया था, तो आयात करने वाले राज्य में डीलर द्वारा इसे अनुमति नहीं दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप अमीर से लेकर गरीब राज्यों तक कर का निर्यात हुआ और करों में भी व्यापकता आई। दिलचस्प बात यह है कि राज्यों के पास शुरू से ही सेवाओं पर कराधान की शक्ति थी। राज्यों ने विज्ञापनों, विलासिता, मनोरंजन, मनोविनोद, सट्टे और जुए पर कर लगाया।**

**3.2.3.7 डॉ० अमरेशभागची के नेतृत्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा अप्रत्यक्ष करों, विशेषकर राज्य बिक्री कर में सुधार पर, "भारत में घरेलू व्यापार करों का सुधार" की एक रिपोर्ट को 1994 में तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट ने राज्यों में वैट लागू किए जाने हेतु आधार तैयार किया। कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं; कराधान के एक बहुस्तरीय प्रणाली पर जाकर वैट द्वारा बिक्री कर की जगह लेना; मशीनरी और उपकरणों सहित सभी इनपुटों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देना; निर्दिष्ट बाड के भीतर दो या तीन दरों के साथ राज्यों में कर दरों का सामंजस्य और युक्तिकरण; एक मूल सीमांत सीमा और रियायती बोजन जैसी वस्तुओं को छोड़कर छूट और रियायतों की छंटनी; निर्यात की शून्य रेटिंग, अंतर-राज्यीय बिक्री और खेप पूंजीकृत डीलरों को हस्तांतरण; स्थानीय बिक्री के रूप में गैर-पूंजीकृत व्यक्तियों को अंतर-राज्यीय बिक्री कर, कर प्रशासन का आधुनिकीकरण, संचालन का कम्प्यूटरीकरण और रूपों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण।**

**3.2.3.8 1995 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिक्री कर व्यवस्था से वैट व्यवस्था में संक्रमण पर पहली प्रारंभिक चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नवंबर, 1999 की बैठक के परिणामस्वरूप, वैट के स्वरूप पर विचार-विमर्श हेतु राज्य के वित्त मंत्रियों की एक स्थायी समिति गठित की गई थी जिसे बाद में राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) बना दिया गया। हरियाणा 2003 में वैट लागू करने वाला पहला राज्य था। 2005 में, अधिकांश राज्यों में वैट लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश 1 जनवरी, 2008 से वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य था।**

**3.2.4 जीएसटी / वैट पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:**

**3.2.4.1 वैट और जीएसटी का परस्पर विनिमय किया जाता है क्योंकि**



यह पत्र वस्तुओं और सेवाओं के कवरेज द्वारा वैट की व्यापकता को दर्शाता है। 1954 में फ्रांस वैट लागू करने वाला पहला देश था। वर्तमान में, 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी/वैट लागू किया है। वैट का सबसे लोकप्रिय रूप वह है जहां इनपुट पर दिए गए करों को आउटपुट पर देयता में समायोजित किए जाने की अनुमति है। व्यवहार में वैट या जीएसटी व्यवस्था अपने तकनीकी पहलुओं जैसे 'आपूर्ति की परिभाषा', 'वस्तुओं और सेवाओं के कवरेज की सीमा', 'छूट का उपचार और शून्य रेटिंग' आदि के मामले में प्रत्येक देश में भिन्न होता है। तथापि, व्यापक स्तर पर, इसका एक सामान्य सिद्धांत है, यह एक गंतव्य-आधारित उपबोग कर है। आर्थिक दृष्टिकोण से, वैट को कर की खपत के बिक्री कर से बेहतर प्रणाली माना जाता है क्योंकि पूर्व प्रणाली संसाधनों के आवंटन में तटस्थ है क्योंकि यह मूल्य संवर्धन पर कर है। इसके अलावा, वैट के कुछ विशिष्ट लाभ हैं। यह कराधान प्रणाली को पारदर्शी और मुद्रास्फीति विरोधी बना देने के लिए कम व्यापक है। राजस्व के दृष्टिकोण से, वैट संव्यवहार सुनवाई के सृजन के कारण अधिक अनुपालन हेतु प्रशस्त है।

3.2.4.2 जब वैश्विक स्तर पर तुलना की जाती है, तो वैट संरचनाओं को या तो अत्यधिक केंद्रीकृत किया जाता है जहां कर केंद्र सरकार (जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया) या दोहरी जीएसटी संरचना द्वारा लगाया जाता है और प्रशासित किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र रूप से (कनाडा) या कुछ राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय निकाय (ब्राजील, रूस) के बीच समन्वय के साथ कर को प्रशासित किया जाता है। जबकि कोई केंद्रीकृत संरचना राज्यों के लिए वित्तीय स्वायत्तता को कम करती है, तो ऐसी विकेंद्रीकृत संरचना करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को बढ़ाती है। कनाडा कराधान के अनूठे मॉडल वाला एक ऐसा संघीय देश है जिसमें कुछ प्रांत तो संघीय जीएसटी में शामिल हो गए हैं विलु अन्त्य नहीं। ऐसे प्रांत जो अपने करों को अलग से प्रशासित करते हैं 'गैर-भागीदार प्रांत' कहलाते हैं, जबकि जिन प्रांतों ने कर प्रशासन के लिए संघीय सरकार के साथ मिलकर काम किया है 'भागीदार प्रांत' कहलाते हैं।

3.2.4.3 जीएसटी की दर पूरे देशों में भिन्न है। जहांकि मलेशिया में 6% की कम दर है (मलेशिया ने यद्यपि इसके विरुद्ध लोकप्रिय हंगामे के कारण 2018 में जीएसटी को समाप्त कर दिया), हंगरी में 27% की उच्चतम दर है। ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी 10% की दर से वसूल की जाती है जबकि कनाडा में कई दर वाले स्लैब हैं। यूरोपीय संघ में वैट की औसत दर लगभग 19.5% है।

### 3.2.5 भारत में जीएसटी की आवश्यकता:

3.2.5.1 सेनवैट की शुरुआत ने पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी इनपुटों के लिए क्रेडिट के कवरेज का विस्तार करके काफी हद तक व्यापकता(कैस्केडिंग) बोझ को हटा दिया। सेनवैट योजना ने बाद में सेवाओं के क्रेडिट की अनुमति भी दी और इनपुट, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं के समुच्चय का उपयोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दोनों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इसी तरह, राज्यों में वैट की शुरुआत ने इनपुट पर किए गए भुगतान कर के साथ-साथ पिछली खरीद पर भुगतान किए गए कर के लिए व्यतिरेक(सेट-ऑफ) देकर व्यापकता(कैस्केडिंग) प्रभाव को हटा दिया है और पिछली बिक्री कर व्यवस्था पर पुनः सुधार किया है।

3.2.5.2 लेकिन सेनवैट और राज्य वैट दोनों में कुछ अपूर्णता है। सेनवैट में अपूर्णता यह है कि उत्पादन के चरण के तले वितरण व्यापार में मूल्यवर्धन की श्रृंखला को शामिल किए जाने हेतु इसे अभी तक विस्तारित नहीं किया गया है। इसी तरह, राज्य-स्तरीय वैट में, माल पर सेनवैट लोड को अभी तक हटाया नहीं गया है और कर के बोझ के उस हिस्से का व्यापकता(कैस्केडिंग) प्रभाव निरंतर बना हुआ है। इसके अलावा, राज्यों में कई कर हैं, जैसे, विलासिता कर, मनोरंजन कर, आदि जिन्हें अभी भी वैट में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, सेवा कर के व्यापकता(कैस्केडिंग) प्रभाव को हटाने के साथ राज्य स्तर पर सेवाओं पर कर सहित माल पर वैट का कोई एकीकरण नहीं किया गया है।

3.2.5.3 सीएसटी अपने व्यापकता(कैस्केडिंग) प्रकृति के संदर्भ में विकृति का एक अन्य स्रोत था। यह उपबोग करों के मूल सिद्धांतों में से एक के विरुद्ध भी था जिसे उस क्षेत्राधिकार के लिए अर्जित करना चाहिए जहां खपत होती है। चुनाव आयोग के तत्वावधान में वैट व्यवस्था में उल्लेखनीय सामंजस्य के भावजूद, राष्ट्रीय बाजार वैट और सीएसटी के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में कई भाधाओं के साथ खंडित था।

3.2.5.4 संवैधानिक योजना में, माल पर कराधान शक्तियां केंद्र सरकार के पास थीं लेकिन यह विनिर्माण और उत्पादन के चरण तक सीमित थी जबकि राज्यों के पास माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की शक्तियां थीं। केंद्र के पास कर सेवाओं की शक्तियां थीं और राज्यों के पास संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29क) में विनिर्दिष्ट कुछ सेवाओं पर कर लगाने की भी शक्तियां थीं। इस तरह की कर शक्तियों के विभाजन ने एक धूसर क्षेत्र (ग्रे ज़ोन) बनाया जो कानूनी विवादों का कारण बना। किसी वस्तु या सेवा का गठन क्या है, यह निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि उत्पादन की आधुनिक जटिल प्रणाली में, कोई उत्पाद सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं का मिश्रण होता है।

3.2.5.5 जैसा कि पिछले पैराग्राफ से देखा जा सकता है, भारत केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मूल्य वर्धित कराधान की ओर बढ़ा, और यह प्रक्रिया 2005 तक पूरी हो गई। केंद्रीय वैट और राज्य वैट का एकीकरण कुछ और नहीं अपितु सुधार प्रक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है। भारत का संविधान स्वतः ही संविधान में संघ और राज्यों दोनों को शक्ति प्रदान करने वाली संघीय प्रकृति की परिकल्पना करता है। इसके एक प्राकृतिक स्वाभाविक आधार के रूप में, कराधान प्रणाली के किसी भी एकीकरण के लिए संघ और राज्यों दोनों द्वारा लगाए गए और वसूल किए गए दोहरे जीएसटी की आवश्यकता थी।

### 3.2.6 जीएसटी: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

3.2.6.1 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन पर केलकर कार्यबल(एफआरबीएम) ने 2005 में केंद्रीय स्तरीय वैट और राज्य स्तरीय वैट की जगह सभी माल और सेवा पर एक व्यापक कर लगाने की सिफारिश की। इसने किसी उत्पाद के सभी चरणों में पूर्ण संभजन(सेट ऑफ) के साथ सभी वस्तुओं और सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर के साथ सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने की सिफारिश की।

3.2.6.2 वर्ष 2000 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जीएसटी की अवधारणा

को पेश किया और देश के लिए एक जीएसटी मॉडल तैयार किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया। 2003 में, केंद्र सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन पर एक कार्यबल का गठन किया, जिसने 2004 में केंद्रीय स्तर के वैट और राज्य स्तर के वैट की जगह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक व्यापक कर लागू कर मौजूदा कर व्यवस्था को बदलने के लिए जीएसटी की सिफारिश की। इसने सभी वस्तुओं और सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर के साथ सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने की सिफारिश की, जो मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में पूर्ण संभजन (सेट ऑफ) के साथ थे। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट (2006-07) में इस आशय की घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल, 2010 से जीएसटी लागू होगा और यह कि चुनाव आयोग, उनके अनुरोध पर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर भारत में जीएसटी लागू किए जाने हेतु एक षाका (रोड मैप) तैयार करेगा। इस घोषणा के बाद, चुनाव आयोग ने 10 मई, 2007 को केंद्रीय वित्त मंत्री के तत्कालीन सलाहकार और इसके सह-संयोजक के रूप में अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य-सचिव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के चार संयुक्त सचिवों और इसके सदस्यों के रूप में राज्यों के सभी वित्त सचिवों का एक संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्य समूह ने स्वयं को तीन उप-समूहों में विभाजित किया और आंतरिक चर्चा के कई दौरों के साथ-साथ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ भातचीत की। इन चर्चाओं और भातचीत के आधार पर, उप-समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो संयुक्त कार्य समूह (19 नवंबर, 2007) की रिपोर्ट में एकीकृत और समेकित थी।

3.2.6.3 28 नवंबर, 2007 को इसी की बैठक में इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई, और राज्यों से भी अनुरोध किया गया था कि वे लिखित रूप में रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों को सम्प्रेषित करें। चुनाव आयोग और लिखित टिप्पणियों में इन चर्चाओं के आधार पर, कुछ संशोधनों को आवश्यक माना गया और सह-संयोजकों और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। विधिवत किए गए संशोधनों के साथ, जीएसटी के लिए मॉडल और रोड मैप पर चुनाव आयोग के मतों का एक अनंतिम संस्करण तैयार किया गया था (30 अप्रैल, 2008)। चुनाव आयोग के ये विचार तब भारत सरकार को बेजे गए थे, और भारत सरकार की टिप्पणियाँ 12 दिसंबर, 2008 को प्राप्त हुईं। इन टिप्पणियों को चुनाव आयोग ने विधिवत रूप से माना (16 दिसंबर, 2008), और यह निर्णय लिया गया कि इन टिप्पणियों पर विचार करने और अपने विचार प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रधान सचिवों/सचिवों, वित्त/कराधान तथा राज्यों के व्यापार कर आयुक्तों की एक समिति बनाई जाएगी। इन विचारों को ईसी (21 जनवरी, 2009) द्वारा सिद्धांततः प्रस्तुत किया गया और स्वीकार किया गया। ईसी के भीतर और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच चर्चा के आधार पर, ईसी ने नवंबर, 2009 में जीएसटी पर अपना पहला चर्चा पत्र (एफडीपी) जारी किया। इसने प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं को स्पष्ट किया और केंद्र तथा राज्यों के बीच चर्चा का आधार बनाया।

### 3.2.7 जीएसटी प्रारूपण (डिजाइनिंग) में चुनौतियाँ:

3.2.7.1 जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन से पहले चर्चा में, कई कष्टकारी मुद्दे थे जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संकल्प

और समझौते की आवश्यकता थी। भारत जैसे विविध देश में जीएसटी के रूप में कर सुधार को लागू किए जाने हेतु केंद्र के साथ विभिन्न राज्यों के हितों के सामंजस्य की आवश्यकता थी। जीएसटी को संबोधित करने वाले कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित थे:

3.2.7.2 उत्पत्ति-आधारित बनाम गंतव्य-आधारित कराधान: जीएसटी एक गंतव्य-आधारित उपबोग कर है। गंतव्य-आधारित कराधान के तहत, कर उस गंतव्य स्थान पर पहुंचता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। विद्यमान वैट शासन मूल सिद्धांत पर आधारित था जहां केंद्रीय बिक्री कर मूल राज्य को सौंपा गया था जहां उत्पादन या बिक्री हुई और न कि उस राज्य में जहां खपत हुई। कई विनिर्माण राज्यों ने मूल-आधारित कराधान से गंतव्य-आधारित कराधान पर स्थानांतरित होने के कारण राजस्व की हानि पर चिंता व्यक्त की।

3.2.7.2.1 उत्पत्ति-आधारित कराधान के समर्थन में उत्पादक राज्यों की ओर से सामने रखा गया एक तर्क यह है कि अन्य राज्यों में खपत होने वाले सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं की लागत की वसूली के क्रम में उन्हें अंतर-राज्यीय बिक्री से कम से कम कुछ कर एकत्र करने की आवश्यकता है। तर्क की यह पंक्ति इस धारणा पर आधारित है कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की अनुपस्थिति में, उनके अधिकार क्षेत्र में निर्यात उद्योगों का स्थान निर्यातक राज्य के कर राजस्व में योगदान नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को विस्मृत कर रहा था कि किसी क्षेत्राधिकार में किसी भी अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य उस क्षेत्राधिकार के निवासियों के हाथों में अतिरिक्त आय से है। उपभोक्ता वस्तुओं पर इस आय को खर्च करने से उत्पादक राज्यों के बिक्री कर आधार का विस्तार होता है और इससे उनके राजस्व में योगदान होता है। वास्तव में, इस सीमा तक कि उपभोक्ता व्यय किसी राज्य के निवासियों की आय के स्तर पर निर्भर हैं, तो यह उत्पादक राज्य हैं जो अतिरिक्त बिक्री कर राजस्व (उपबोग करों के गंतव्य आधार के अंतर्गत भी) से अधिक निर्यात उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त किए जाने हेतु उपस्थित हैं।

3.2.7.3 दर संरचना और क्षतिपूर्ति: इसमें जीएसटी के लागू होने के बाद राजस्व में लाभ को लेकर अनिश्चितता थी। यद्यपि राजस्व तटस्थ दर का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था, फिर भी यह केवल एक अनुमान है। यह अनुमान लगाना कठिन था कि सेवाओं पर कर से राज्यों को कितना लाभ होगा और वे जीएसटी से बाहर होने वाले व्यापक (कैस्केडिंग) प्रभाव को हटाने और चरणबद्ध तरीके से कितना खो देंगे। इसे देखते हुए, राज्यों ने जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति की मांग की।

3.2.7.3.1 जीएसटी के तहत संभावित कर दरों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ० अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक समिति ने आरएनआर (राजस्व तटस्थ दर) का सुझाव दिया। आरएनआर शब्द उस एकल दर को संदर्भित करता है, जो वांछित (वर्तमान) स्तरों पर राजस्व को संरक्षित करता है। यह मानक दर से बिना होगा, यह वह दर है जो बहुसंख्यक वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी। व्यवहार में, दरों की एक संरचना होगी, लेकिन विश्लेषणात्मक स्पष्टता और सटीकता के लिए आरएनआर की एक दर के रूप में सोच उचित है। यह एक दी गई एकल दर है जो

किस वस्तु को कम दर पर चार्ज किया जाए और बहुत अधिक दर पर क्या वसूला जाए, छूट के बारे में नीतिगत विकल्पों पर निर्भर करती है।

3.2.7.3.2 समिति ने 15-15.5% की आरएनआर (केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाना) की सिफारिश की। निम्न दर (गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर लागू होने वाली) 12% होनी चाहिए। इसके अलावा, दोष या अवगुण दर (लकजरी कारों, वातित पेय, पान मसाला और तंबाकू पर लागू होने के लिए) 40% होनी चाहिए।

3.2.7.4 विवाद निपटान: कराधान की एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की आवश्यकता है कि सभी हितधारक सर्वोच्च निकाय, जिसे बाद में माल और सेवा कर परिषद (परिषद) के रूप में गठित किया गया था, द्वारा लिए गए निर्णयों से आसक्त रहते हैं। तथापि, ऐसे निकाय की सिफारिशों से प्रस्थान की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रस्थान निश्चित रूप से अन्य हितधारकों को प्रभावित करेगा और ऐसी परिस्थितियों में, एक वैधानिक निकाय होना चाहिए जिससे प्रभावित पक्ष विवाद समाधान के लिए संपर्क कर सकें। ऐसे विवाद समाधान निकाय की प्रकृति विवाद की जड़ थी। संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 के अंतर्गत, इस उद्देश्य के लिए एक माल और सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण का गठन किया जाना था। यह निकाय प्रकृति में न्यायिक था। इस प्राधिकरण के प्रस्तावित संविधान को चुनौती दी गई क्योंकि यह अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के वर्चस्व को अधिरोहित कर देगा। संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पिछले जीएसटी संशोधन विधेयक से हट गया और प्रस्तावित किया कि माल और सेवा कर परिषद अपनी सिफारिशों से उत्पन्न विवादों को हल करने के तौर तरीकों के बारे में निर्णय ले सकती है।

3.2.7.5 एल्कोहल और पेट्रोलियम उत्पाद: मानव उपभोग और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एल्कोहल मदिरा राज्यों के राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। जैसा कि राज्यों को उनके वित्त पर जीएसटी के प्रभाव और कर राजस्व के संग्रह में स्वायत्तता के अधिक नुकसान के विषय में अनिश्चितता थी, तो राज्यों ने सर्वसम्मति से इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए तर्क दिया। मानव उपभोग के लिए 115 वें संशोधन विधेयक में अल्कोहल वाली मदिरा और पांच पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रीट या पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी से बाहर रखा गया। किंतु 122 वें संशोधन विधेयक में, केवल मानव उपभोग के लिए एल्कोहल मदिरा को जीएसटी के बाहर रखा गया था और उपर्युक्त पाँच पेट्रोलियम उत्पादों को परिषद द्वारा अनुशंसित किए जाने की तिथि से जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित था। केंद्र सरकार ने भी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने की अपनी शक्ति को बनाए रखा है, यद्यपि ये भी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, सुचारु रूप से संक्रमण सुनिश्चित करने और राज्यों को राजकोषीय बफर प्रदान करने के लिए, मदिरा को जीएसटी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखने पर सहमति हुई।

### 3.2.8 संवैधानिक संशोधन:

3.2.8.1 जैसा कि ऊपर बताया गया है, संवैधानिक योजना के अंतर्गत केंद्रीय वेट और राज्य वेट का एकीकरण दोहरे उद्ग्रहण के रूप में संभव

था। कराधान की शक्ति संविधान की अनुसूची VII के अंतर्गत विषय-वार संघ या राज्यों को सौंपी जाती है। जबकि केंद्र उत्पादन या विनिर्माण चरण तक माल पर कर हेतु अधिकार-प्राप्त है, तो राज्यों को वितरण स्तर पर माल पर कर लगाने की शक्ति-प्राप्त है। संघ अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सेवाओं पर कर लगा सकता है लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकते। एक एकीकृत माल एवं सेवा कर योजना के अंतर्गत, दोनों के पास उत्पादन से वितरण तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला और वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए। संविधान की योजना ने संघ के साथ-साथ राज्यों को किसी भी समवर्ती कर शक्तियों का प्रावधान नहीं किया और संविधान के सामान और सेवा कर संशोधन को शुरू किए जाने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक लेनदेन पर माल और सेवा कर लगाने की आवश्यक के मद्देनजर संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की।

3.2.8.2 जीएसटी लागू होने के संबंध में संविधान (115 वां संशोधन) विधेयक, 2011, 11 मार्च, 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 29 मार्च, 2011 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को बेजा गया था। स्थायी समिति ने अगस्त, 2013 में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, विधेयक, जो लोकसभा में लंबित था, 15 वीं लोकसभा के विघटन के साथ व्यपगत हो गया।

3.2.8.3 संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014, 19 दिसंबर, 2014 को 16 वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक मई, 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को 12 मई, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को बेजा गया था। प्रवर समिति ने 22 जुलाई, 2015 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ अंततोगत्वा राज्यसभा में पारित किया गया और तत्पश्चात् अगस्त, 2016 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके अलावा आवश्यक राज्यों द्वारा बिल की पुष्टि की गई और 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और और तब से इसे संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में 16 सितंबर, 2016 से प्रवृत्त किया गया है।

3.2.8.4 101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण बदलाव निम्नलिखित हैं:

क) नए अनुच्छेद 246क जो जीएसटी कानून के संबंध में संघ और राज्यों के लिए सक्षम प्रावधान बनाता है, का समावेशन। आगे यह निर्दिष्ट करता है कि संसद को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति-प्राप्त है।

ख) संविधान के अनुच्छेद 268क का लोप किया गया है। उक्त अनुच्छेद ने भारत सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार दिया। चूंकि सेवाओं पर कर को जीएसटी के तहत लाया गया है, अतः ऐसा प्रावधान अब अपेक्षित नहीं था।

ग) अनुच्छेद 269क डाला गया है जो अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य, जो भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा, के दौरान आपूर्ति पर माल और सेवा कर का प्रावधान करता है तथा इस तरह का कर, संसद द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रावधान

किए जा सकने के रूप में, संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। यह भी प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा, आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार कर सकती है, और जब माल, या सेवाओं की, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

घ) संघ और राज्यों के बीच संघ द्वारा एकत्र माल और सेवा कर के वितरण के लिए अनुच्छेद 270 में संशोधन किया गया है।

ङ) अनुच्छेद 271 में संशोधन किया गया है जो संसद की शक्ति को जीएसटी के अंतर्गत अधिभार लगाने के लिए प्रतिबंधित करता है। वास्तव में, वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार नहीं लगाया जा सकता है जो अनुच्छेद 246क के अंतर्गत कर के अधीन हैं।

च) जीएसटी परिषद के संविधान और जनादेश में प्रावधान हेतु अनुच्छेद 279क को समावेशित किया गया है।

छ) जीएसटी के दायरे से मानव उपबोग के लिए एल्कोहल मदिरा को बाहर किए जाने हेतु अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया है, और सेवाओं को परिभाषित किया गया है।

ज) एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किए जाने हेतु अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है जिसमें संविधान के संशोधन के लिए प्रविधित मतदान की विधि के अलावा राज्यों के आधे से अधिक विधायकों द्वारा विधेयक के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। इस प्रकार, जीएसटी परिषद में किसी भी संशोधन हेतु आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

झ) सूची I और सूची II में प्रविष्टियाँ या तो प्रतिस्थापित की गई हैं या इन सूचियों में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं पर कर की शक्ति को प्रतिबंधित करने या माल एवं सेवाओं पर शक्तियों को हटाए जाने हेतु इनका लोप किया गया है जिसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

ञ) माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर संसद, कानून द्वारा, राज्यों को पांच वर्ष के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान करेगी।

ट) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में, यह प्रावधान किया गया है कि ये सामान वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित तिथि तक माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के अधीन नहीं होंगे।

### 3.2.9 माल एवं सेवा कर परिषद:

3.2.9.1 संविधान के अनुच्छेद 279क में यथा उपबंधित, माल एवं सेवा कर परिषद (परिषद) को 12 सितंबर, 2016 से अधिसूचित किया गया था। परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (जो परिषद के अध्यक्ष होंगे), राज्य मंत्री (राजस्व) और राज्य वित्त / कराधान मंत्री सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। यह संघ और राज्यों को निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें देगा:

क) केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार, जिन्हें जीएसटी के तहत लिया जा सकता है;

ख) वस्तुएं और सेवाएं जिनको जीएसटी के अधीन छूट दी जा सकती है;

ग) मॉडल जीएसटी कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, आईजीएसटी के अनुमोदन और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

घ) नीचे कारोबार की सीमा जिन माल और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है;

ङ) जीएसटी के बाड के साथ फर्श की दरों सहित दरें;

च) किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने हेतु निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;

छ) उत्तर-पूर्व राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान; और

ज) जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद तय कर सकती है।

3.2.9.2 काउंसिल उस तिथि की सिफारिश करेगी जिस दिन पेट्रोलियम कूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर लगाया जाता है। इस लेख द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद को माल और सेवा कर के सामंजस्यपूर्ण ढांचे की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

3.2.9.3 माल और सेवा कर परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का आधा हिस्सा अपनी बैठकों में कोरम का गठन करेगा। माल और सेवा कर परिषद अपने कार्यों के प्रदर्शन में प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। माल और सेवा कर परिषद के प्रत्येक निर्णय को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसरण में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के अधिभारित मतों के तीन-चौथाई से अधिक के बहुमत से बैठक में लिया जाएगा, अर्थात्: —

क) केंद्र सरकार के वोट में डाले गए कुल वोटों का एक तिहाई का अधिभार(वेटेज) होगा, और

ख) सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ लेने पर उस बैठक में कुल डाले गए वोटों के दो-तिहाई का अधिभार(वेटेज) होगा।

3.2.9.4 परिषद की 34 बार बैठक हो चुकी है और अब तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया है कि किसी भी मामले को तय किए जाने हेतु मतदान की आवश्यकता हो। निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें परिषद द्वारा की गई हैं:

#### 3.2.9.4.1 वैधानिक/नियम:

(i) जीएसटी कानूनों की सिफारिश करना, जैसे कि सीजीएसटी कानून, यूटीजीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून, एसजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून जीएसटी के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

(ii) संरचना, पंजीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट, चालान, आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण, खाते और रिकॉर्ड, रिटर्न, भुगतान, धनवापसी, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, अग्रिम निर्णय, अपील और संशोधन, संक्रमणकालीन प्रावधान, विरोधी मुनाफाखोरी, ई-वे बिल, निरीक्षण, खोज तथा जब्ती, मांगों और वसूली तथा अपराध और दंड पर नियमों की सिफारिश की गई है।

### 3.2.9.4.2 पंजीकरण और सीमा(थ्रेसहोल्ड):

(i) पंजीकरण से छूट के लिए सकल कारोबार की सीमा और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के भुगतान की सीमा 20 लाख रुपये और 10 लाख रुपये (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में) होगी।

(ii) माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीकरण और जीएसटी के भुगतान से छूट के लिए सकल कारोबार की सीमा सीमा 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा में) और उत्तराखंड) 01.04.2019 से प्रभावी होगी।

(iii) करदाताओं के निम्नलिखित वर्गों को पंजीकरण प्राप्त किए जाने से छूट दी जाएगी:

क. अंतर राज्तीय आपूर्ति किए जाने हेतु 20 लाख रू० तक वाले, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता ;

ख. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने हेतु 20 लाख रू० तक वाली सेवाओं के आपूर्तिकर्ता।

(iv) करदाता एक ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थित व्यापार के अनेक स्थानों के संबंध में एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर बहु पंजीकरण का विकल्प चुन सकते हैं।

(v) अनिवार्य पंजीकरण केवल उन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए आवश्यक है जिन्हें स्रोत पर कर जमा करना आवश्यक है।

(vi) पंजीकरण रद्द करते समय अस्थायी रूप से निलंबित रहने के लिए पंजीकरण प्रक्रियाधीन है, ताकि करदाता को कानून के तहत निरंतर अनुपालन से छुटकारा मिल जाए।

### 3.2.9.4.3 प्रवास:

(i) प्रवास(माइग्रेशन) प्रक्रिया को पूरा किए जाने हेतु एक और खिड़की(विंडो) की अनुमति दी जा रही है। करदाताओं, जिन्होंने पूरा फॉर्म जीएसटी आरईजी-26 दाखिल नहीं किया था, लेकिन न्यायिक नोडल अधिकारी को अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने के लिए 31.12.2017 तक केवल एक प्रोविजनल आईडी (पीआईडी) प्राप्त हुआ, के लिए नियत तिथि को 31.01.2019 तक बढ़ा दिया गया था। साथ ही, ऐसे करदाताओं द्वारा जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019/ जुलाई, 2017 से दिसंबर, 2018 की तिमाहियों की अवधि के लिए फार्म जीएसटीआर-3ख और फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत किए जाने की नियत तिथि को 31.03.2019

तक बढ़ा दिया गया था।

### 3.2.9.4.4 संघटन योजना:

(i) माल के आपूर्तिकर्ता और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते छोटे व्यवसायियों के लिए संरचना योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, 1.5 करोड़ रुपये (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 75 लाख रुपये) तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यक्ति को अपने टर्नओवर पर 1% से 5% के बराबर कर का भुगतान करने की आवश्यकता और वित्त वर्ष 2019-20 से तिमाही भुगतान के साथ सालाना अपना रिटर्न प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाले 6% (3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी) कर दर के साथ सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं (जो वर्तमान में उपलब्ध योजना के लिए पात्र नहीं हैं) के लिए संरचना योजना उपलब्ध कराई गई है। वे करों के त्रैमासिक भुगतान के साथ एक वार्षिक रिटर्न फाइल किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसे 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है।

(iii) संरचना योजना अंतर-राज्तीय आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माताओं की निर्दिष्ट श्रेणी के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

### 3.2.9.4.5 कर प्रशासन:

(i) एकल इंटरफ़ेस सुनिश्चित किए जाने हेतु, 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले 90% करदाताओं पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन और केंद्रीय कर प्रशासन के साथ 10% से अधिक होगा। इसके अलावा, करदाताओं पर 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्र और राज्य कर प्रशासन के लिए प्रत्येक 50% के अनुपात में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(ii) आईजीएसटी अधिनियम के तहत शक्तियां भी उसी आधार पर पास-सशक्त (क्रॉस-एम्पॉवर्ड) होंगी, जैसे कुछ अपवादों के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों के तहत।

(iii) प्रादेशिक जल में जीएसटी एकत्र किए जाने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सौंपी जाएगी।

(iv) पूरे करदाता के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति केंद्र और राज्य कर प्रशासन दोनों के पास होगी।

### 3.2.9.4.6 राज्यों को क्षतिपूर्ति:

(i) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए सूत्र और तंत्र को अंतिम रूप दिया गया है।

### 3.2.9.4.7 विलोम प्रभार तंत्र (रिवर्स चार्ज तंत्र):

(i) जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर पंजीकृत व्यक्तियों के कुछ अधिसूचित वर्गों के मामले में केवल निर्दिष्ट माल पर लागू होने के लिए अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति प्राप्त करने पर विलोम प्रभार तंत्र

पर जीएसटी का उद्ग्रहण। इस संबंध में, अधिसूचना संख्या 07/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 को जारी किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि प्रमोटर अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निम्न आपूर्ति पर 01.04.2019 से प्रभावी प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा -

क. ऐसी आपूर्ति जो वस्तुओं या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी का गठन करती हैं या किसी परियोजना के निर्माण के लिए एक प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित होती हैं, जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 में निर्धारित है,

ख. सीमेंट जो वस्तुओं या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी का गठन करती है या अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में निर्धारित प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित होती हैं, और

ग. किसी परियोजना के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को दिए जाने वाला पूंजीगत माल, जिस पर कर देय होता है या अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है।

(ii) इससे पहले सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (4) के तहत रिवर्स चार्ज तंत्र को 30.09.2019 तक निलंबित रखा गया था।

#### 3.2.9.4.8 कर का भुगतान:

(i) सभी करदाताओं द्वारा माल की आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों पर कर के भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित मंत्रियों-दल ने जीएसटी भुगतान के 20% या 100/- ₹0 के बराबर राशि वापस किए जाने की सिफारिश की है, जो उन मामलों के लिए भी कम है जहां भुगतान भीम या रूपए कार्ड द्वारा किया जाता है। आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है और जल्द ही यह योजना असम के राज्य और कुछ अन्य राज्यों में पायलट आधार पर लागू की जाएगी जो इसके लिए स्वयंसेवक हैं।

(iii) सिद्धांततः, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 में संशोधन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, बशर्ते कि करदाता की शुद्ध कर देयता पर ही ब्याज लगाया जाए, स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को ध्यान में रखने के पश्चात्, अर्थात् ब्याज केवल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक खाताधारक के माध्यम से देय राशि पर ही लगाया जाएगा। कानून में संशोधन होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

#### 3.2.9.4.9 छूट:

(i) जीटीए से अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति को कर से मुक्त किया गया है।

#### 3.2.9.4.10 प्रतिदाय(रिफंड्स):

(i) केंद्र या राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत रिफंड राशि के संवितरण के लिए एकल प्राधिकरण की एक योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) फार्म जीएसटी आरएफडी-01क में रिफंड के लिए दावे के संबंध में सभी सहायक दस्तावेज/चालान स्वयं रिफंड आवेदन के प्रस्तुत होने के समय आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए जाएंगे जिससे करदाता को रिफंड आवेदन जमा किए जाने हेतु कर कार्यालय में वास्तविक दौरा किए जाने की आवश्यकता से छूटकारा मिलता है।

#### 3.2.9.4.11 विवरणी(रिटर्न):

(i) सभी करदाताओं को मासिक आधार पर रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3 ख दाखिल करना होगा और कर का भुगतान करना होगा।

(ii) 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदाताओं को तिमाही आधार पर फार्म जीएसटीआर-1 में जानकारी दर्ज करनी होती है। अन्य करदाताओं को मासिक आधार पर फॉर्म जीएसटीआर -1 फाइल करना होगा।

(iii) फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9क और वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9ग में सामंजस्य विवरण में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किए जाने की नियत तिथि को 30.06.2019 तक बढ़ाया जाएगा।

#### 3.2.9.4.12 विलम्ब शुल्क(लेट फीस):

(i) जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के महीनों/तिमाहियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3ख और फॉर्म जीएसटीआर-4 के मामले में सभी करदाताओं हेतु विलम्ब शुल्क को 22.12.2018 के पश्चात् किंतु 31.03.2019 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने पर पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।

(ii) अक्टूबर 2017 से आगे, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय जीएसटीआर-3ख के देर से फाइल किए जाने हेतु विलंब शुल्क की राशि इस प्रकार है:

. जिसकी कर देयता उस महीने के लिए 'शून्य' होगी, उसको 200 रुपये के बजाय 20 रुपये प्रति दिन देना होगा;

. जिसकी कर देयता उस माह के लिए 'शून्य' नहीं होगी उसको 200 रुपये के बजाय 20 रुपये प्रति दिन देना होगा।

#### 3.2.9.4.13 नयी रिटर्न प्रणाली:

(i) नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को 01.04.2019 से परीक्षण के आधार पर और 01.07.2019 से अनिवार्य आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) छोटे करदाताओं और आईएसडी आदि जैसे कुछ अपवादों को

छोड़कर सभी करदाता एक मासिक रिटर्न फाइल करेंगे।

(iii) दो मुख्य तालिकाओं के साथ नई रिटर्न प्रणाली सरल है। एक आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किए गए चालान के आधार पर बाहरी आपूर्ति की रिपोर्ट किए जाने हेतु और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए।

(iv) चालान आपूर्तिकर्ता द्वारा लगातार अधिभारित किया जा सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए खरीदार द्वारा लगातार देखा और बंद किया जा सकता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि खरीदार और आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिभारित किए गए चालान के आधार पर रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा स्वचालित रूप से बरा जाए। सीधे शब्दों में कहें तो यह प्रक्रिया ज्यादातर करदाताओं के लिए "अपलोड - लॉक - पे" होगी।

(v) करदाताओं को अपनी प्रोफाइल बनाने और प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर उसे बनाने की सुविधा होगी। जानकारी के क्षेत्र जिन्हें किसी करदाता को दिखाया जाएगा और रिटर्न में उसे भरने के लिए उसकी प्रोफाइल पर निर्भर होना आवश्यक होगा।

(vi) शून्य रिटर्न फाइलकर्ता (कोई खरीद और बिक्री नहीं) को एसएमएस बेजकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी जाएगी।

(vii) वैकल्पिक सुविधा के रूप में 5 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले छोटे करदाताओं को तिमाही रिटर्न फाइल करनी होगी। तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान प्रसुविधा के साथ मुख्य रिटर्न के समान होगा लेकिन दो प्रकार के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए - छोटे व्यापारी केवल ख2ग आपूर्ति या ख2ख + ख2ग आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे करदाताओं के लिए, सरलीकृत रिटर्न को सहज और सुगम नाम से डिजाइन किया गया है। इन रिटर्न में, भरी जाने वाली आवश्यक जानकारी का विवरण नियमित रिटर्न की तुलना में कम है।

(viii) नया रिटर्न डिजाइन चालान के संशोधन और रिटर्न में दर्ज अन्य विवरणों के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। संशोधन, एक संशोधन रिटर्न कहलाने वाले रिटर्न को फाइल करके किया जाएगा। संशोधन रिटर्न के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि यह करदाताओं के लिए ब्याज देयता को बचाने में मदद करेगा।

#### **3.2.9.4.14 आईटीसी:**

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान के संबंध में आईटीसी, मार्च 2019 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत किए जाने की नियत तिथि तक निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) जुलाई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटी आईटीसी-04 जमा किए जाने की नियत तिथि को 30.06.2019 तक बढ़ा दिया गया था।

#### **3.2.9.4.15 टीडीएस/टीसीएस:**

(i) टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को 01.10.2018 से लागू किया

जाएगा।

(ii) इसके अलावा, नई प्रणाली से परिचित किए जाने हेतु टीडीएस कटौतिकर्ताओं को कुछ और समय प्रदान किए जाने के लिए, अक्टूबर 2018 से दिसंबर, 2018 के दिसंबर और जनवरी, 2019 महीनों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-7 में प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 28.02.2019 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा, सरकार/पीएसयू द्वारा किसी अन्य सरकार/पीएसयू को दी गई आपूर्ति के लिए टीडीएस से छूट दी गई है।

#### **3.2.9.4.16 निर्यात:**

(i) निर्यातकों के लिए 01.04.2020 से ई-वॉलेट योजना शुरू की जाएगी और तब तक निर्यातकों के लिए राहत व्यापक रूप से मौजूदा अभिक्रिया के रूप में दी जाएगी।

(ii) नेपाल और भूटान को सेवाओं की आपूर्ति को जीएसटी से छूट दी जाएगी, यद्यपि विदेशी परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त नहीं हुआ हो वरन् भी ऐसे आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होंगे।

(iii) निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त किए जाने के लिए सेवाओं की आपूर्ति, यद्यपि, जहां आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई हो, भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त हो।

#### **3.2.9.4.17 ब्याज की दर:**

(i) विलंबित भुगतान और विलंबित रिफंड पर ब्याज की दर की सिफारिश की गई है।

#### **3.2.9.4.18 एमएसएमई:**

(i) एमएसएमई द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर गौर करने और उसके लिए समाधान किए जाने हेतु मंत्री-दल का गठन किया गया है।

#### **3.2.9.4.19 राजस्व जुटाना:**

(i) कुछ राज्यों में राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक रीति के कारणों का विश्लेषण किए जाने सहित राजस्व प्रवृत्ति का अध्ययन किए जाने हेतु मंत्री-दल का गठन किया गया है। अध्ययन में जीएसटी प्रणाली के डिजाइन, इसके कार्यान्वयन और संबंधित संरचनात्मक मुद्दों के दौरान विमर्श की गई मूल धारणाओं के तुलना में राजस्व संग्रह के लक्ष्यों से विचलन के अंतर्निहित कारण शामिल होंगे।

(ii) मंत्री-दल को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और एनआईपीएफपी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड प्लानिंग) के विशेषज्ञों की समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जो जीओएम के साथ निष्कर्षों का अध्ययन कर उन्हें साझा करेंगे। इसके बदले में जीओएम, जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिश देगा।

(iii) केंद्र या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं दी गई आईजीएसटी की राशि, परिषद की सिफारिशों पर, फिलहाल, केंद्र सरकार को पचास प्रतिशत और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, को तदर्थ आधार पर पचास प्रतिशत की दर से लागू की जा सकती है और इस

राशि को अंत में प्रदत्त राशि के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(iv) ऐसी राशि, जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की जा सकती है, का पचास प्रतिशत, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय संक्रमण काल के दौरान क्षतिपूर्ति निधि में अप्रयुक्त रहता है को भारत की संचित निधि में केंद्र के हिस्से के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा, और शेष पचास प्रतिशत को उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

(v) किसी भी दो माह की अवधि के लिए जारी किए जाने वाली क्षतिपूर्ति की आवश्यकता के प्रति निधि में एकत्रित राशि की कमी के मामले में, पचास प्रतिशत, लेकिन परिषद द्वारा यथा अनुशंसित केंद्र और राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि से अधिक नहीं, केंद्र से और शेष राज्यों से उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में पचास प्रतिशत की वसूली की जाएगी।

### 3.2.9.4.20 अचल संपत्ति (रियल एस्टेट):

क्रमशः 24.02.2019 और 19.03.2019 को अपनी 33 वीं और 34 वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने अचल संपत्ति क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) किराये की खंड के बाहर आवासीय संपत्तियों पर 5% और किराये की आवासीय संपत्तियों पर 1% की प्रभावी दर से जीएसटी लगाया जाएगा।

(ii) **किराये की आवास की परिभाषा:** गैर-महानगरीय शहरों/कस्बों में 90 वर्गमीटर और 45 लाख रु० (दोनों महानगरीय और गैर-महानगरीय शहरों के लिए) तक मूल्य वाले महानगरों में 60 वर्गमीटर तक के कालीन क्षेत्र क्षेत्र का आवासीय मकान/फ्लैट। महानगरीय शहर बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुडगांव और फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई (सम्पूर्ण एमएमआर) हैं।

### (iii) नई कर दर के लिए शर्तें:

क. इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा

ख. 80% इनपुट्स और इनपुट सेवाएं झूंजीगत सामानों, टीडीआर/जेडीए, एफएसआई, दीर्घ कालिक पट्टा (प्रीमियम) के अलावा पंजीकृत व्यक्तियों से खरीदी जाएंगी। 80% से खरीद में कमी पर, आरसीएम के आधार पर 18% की दर से बिल्टर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। तथापि, अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदे गए सीमेंट पर कर का भुगतान आरसीएम के अंतर्गत 28% और लागू दरों पर आरसीएम के अंतर्गत पूंजीगत माल पर किया जाएगा।

(iv) **टीडीआर/जेडीए, दीर्घकालिक पट्टे (बीमा-किस्त), एफएसआई पर जीएसटी छूट:** विकास के अधिकार पर इंटरमीडिएट कर जैसे टीडीआर, जेडीए, लीज (प्रीमियम), एफएसआई को केवल ऐसी आवासीय संपत्ति के लिए छूट दी जाएगी जिस पर जीएसटी देय हो।

(v) नई दर दिनांक 01.04.2019 से लागू हो गई है।

(vi) सतत परियोजनाएं (बवन जहां निर्माण और वास्तविक बुकिंग दोनों 01.04.2019 से पहले शुरू हो चुके हैं) जो 31.03.2019 तक पूरा नहीं हुई हैं, पर अचल संपत्ति फर्मों को पुरानी दरों पर (आईटीसी के साथ 8% या 12% की प्रभावी दर) कर का भुगतान जारी रखने के लिए दिया गया एकबारगी संक्रमण विकल्प। अचल संपत्ति फर्म 10 मई, 2019 तक अपने विकल्प क्षेत्राधिकारियों को बता सकते हैं।

### 3.2.9.4.21 लॉटरी:

(i) जीएसटी परिषद ने दिनांक 10.01.2019 को आयोजित अपनी 32 वीं बैठक में लॉटरी पर जीएसटी दर संरचना की जांच किए जाने हेतु एक मंत्री-दल का गठन किया।

### 3.2.9.4.22 प्राकृतिक आपदा उपकर:

(i) जीएसटी परिषद ने 10.01.2019 को हुई अपनी 32 वीं बैठक में केरल राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति पर उपकर लगाने की मंजूरी दी, जो 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिकतम 1% तक है। केरल सरकार ने, तदनुसार, अंतिम आपूर्ति बिंदु पर, 12%, 18% और 28% के जीएसटी कर कोष्ठक के भीतर आने वाले, पंजीकृत डीलरों द्वारा सभी वस्तुओं की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति के मूल्य पर एक प्रतिशत 'केरल बाढ़ उपकर' लगाने का फैसला किया है। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों पर 0.25% बाढ़ उपकर लगाया जाएगा, जिसमें आपूर्ति के मूल्य पर सोना, चांदी और प्लैटिनम के गहने शामिल हैं। सभी सेवाओं पर एक प्रतिशत उपकर लगेगा। केरल सरकार ने फिल्म टिकटों पर स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर 10 प्रतिशत तक इकट्ठा किए जाने की अनुमति देने का भी फैसला किया है।

### 3.2.9.4.23 हाल ही में दिनांक 01.02.2019 से लागू कानून संशोधन:

(i) इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे को विस्तृत किया गया है, और अब इसे निम्नलिखित के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा: क

क. अनुसूची III में निर्दिष्ट अधिकांश गतिविधियाँ या लेनदेन;

ख. तेरह (चालक सहित), यानों और विमानों से अधिक बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन;

ग. मोटर वाहनों, यानों और विमानों के संबंध में सामान्य बीमा, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं, जिन पर ऋण उपलब्ध है;

घ. इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत माल या सेवाएं जो किसी नियोजता के लिए अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने हेतु अनिवार्य हैं।

(ii) इनपुट टैक्स क्रेडिट की पार-उपयोगिता के आदेश को युक्तिसंगत बनाया गया है।



(iii) आयुक्त ने काम पर भेजी गई पूंजी और इनपुट के रिटर्न की समय-सीमा को क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अधिकार दिया।

(iv) भारत में अस्थायी रूप से आयात किए गए माल पर किए गए किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के काम के मामले में आपूर्ति का स्थान और फिर उन्हें भारत में बिना किसी अन्य उपयोग के निर्यात किए जाने पर, भारत के बाहर होगा।

(v) अनुसूची III के अंतर्गत निम्नलिखित लेनदेन को आपूर्ति (कर देय नहीं) नहीं माना जाएगा:

क. भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे सामानों के बिना गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर गैर-कर योग्य क्षेत्र में एक जगह से सामान की आपूर्ति;

ख. गृह खपत हेतु निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को गोदाम माल की आपूर्ति;

ग. समुद्री उच्च बिक्री के मामले में माल की आपूर्ति।

(vi) पंजीकृत व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में जारी किए गए कई चालानों के संबंध में समेकित क्रेडिट / डेबिट नोट जारी कर सकते हैं।

(vii) अपीलीय प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील फाइल किए जाने हेतु देय पूर्व-निवेश की राशि क्रमशः 25 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये थी।

(viii) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से वसूली की जा सकती है, चाहे वे भिन्न-भिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हों।

### 3.2.9.4.24 अन्य:

(i) एक ही मुद्दे पर दो या दो से अधिक राज्य अपीलीय अग्रिम नियमन प्राधिकरणों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों के मामलों से निपटने के लिए अग्रिम नियमन (एएएआर) हेतु एक केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। कानून में संशोधन होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

(ii) केंद्र या राज्य सरकारों की मौजूदा कर प्रोत्साहन योजनाएं संबंधित सरकार द्वारा बजटीय माध्यम से प्रतिपूर्ति के द्वारा जारी रखी जा सकती हैं। वर्तमान स्वरूप में, योजनाएँ, जीएसटी में जारी नहीं रहेंगी।

(iii) भुगतान किए गए जीएसटी का 50% सीएसडी (रक्षा कैप्टन) को वापस कर दिया जाएगा।

(iv) केंद्र सरकार द्वारा उनके रिफंड से संबंधित आवेदनों के निर्वहन हेतु प्रत्येक विदेशी राजनयिक मिशन/संयुक्त राष्ट्र संगठन को केंद्रीकृत यूआईएन जारी किया जाएगा।

(v) प्रत्येक कर शीर्ष हेतु एक एकल नकद बही होगा। जीएसटीएन और लेखा प्राधिकारियों के परामर्श से कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(vi) जीएसटीएन द्वारा लघु करदाताओं को शुल्क रहित लेखा और बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

### 3.2.10 भारतीय जीएसटी का परिरूप:

**3.2.10.1 जीएसटी का समवर्ती द्वैध मॉडल:** भारत ने अपनी अद्वितीय संघीय प्रकृति के कारण दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल के तहत, केंद्र के साथ-साथ राज्यों द्वारा एक सामान्य आधार, अर्थात् माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों, पर कर लगाया जाता है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (केंद्रीय कर / सीजीएसटी) कहा जाएगा और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला राज्य जीएसटी (राज्य कर / एसजीएसटी) कहा जाएगा। राज्य जीएसटी (राज्य कर/एसजीएसटी) को बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीजीएसटी (केंद्र शासित प्रदेश कर) कहा जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी / यूटीजीएसटी सभी कर योग्य इंटर-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाएगा।

**3.2.10.2 आईजीएसटी मॉडल:** वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति एकीकृत जीएसटी (एकीकृत कर/आईजीएसटी) के अध्वधीन होगी। आईजीएसटी मॉडल वैट के क्षेत्र में भारत का एक अनूठा योगदान है। आईजीएसटी मॉडल में परिकल्पना की गई है कि केंद्र आईजीएसटी (एकीकृत माल एवं सेवा कर) को उद्ग्रहीत करेगा जो माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। अंतर-राज्यीय आपूर्तिकर्ता अपनी खरीद पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित किए जाने के पश्चात् मूल्य संवर्धन पर आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य आईजीएसटी के भुगतान में उपयोग किए गए एसजीएसटी के क्रेडिट को केंद्र को हस्तांतरित करेगा। गंतव्य राज्य में उपस्थित व्यक्ति उसके अपने राज्य में उत्पादन कर दायित्व का निर्वहन करते हुए आईजीएसटी के क्रेडिट का दावा करेगा। केंद्र आयातक राज्य को एसजीएसटी के भुगतान में उपयोग किए जाने वाले आईजीएसटी का क्रेडिट स्थानांतरित करेगा। प्रासंगिक जानकारी केंद्रीय एजेंसी को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो एक निकासी गृह तंत्र (क्लियरिंग हाऊस मैकेनिज्म), दावों के सत्यापन और संबंधित सरकारों को धन हस्तांतरित किए जाने हेतु सूचना, के रूप में कार्य करेगी। आईजीएसटी मॉडल के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

क) अंतर-राज्यीय लेनदेन पर निर्बाध आईटीसी श्रृंखला का रखरखाव।

ख) अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के लिए कर का कोई अग्रिम भुगतान या धन की पर्याप्त रुकावट नहीं।

ग) निर्यात राज्य में कोई वापसी का दावा नहीं है, क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है।

घ) स्व-निगरानी मॉडल।

ड) मॉडल 'बिजनेस टू बिजनेस' के साथ-साथ 'बिजनेस टू कंज्यूमर' के लेन-देन को ध्यान में रखता है।

3.2.10.3 कर की दरें: अद्वितीय भारतीय सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के कारण, चार दर अर्थात् 5%, 12%, 18% और 28% को अपनाया गया है। इसके अलावा, कुछ वस्तुओं और सेवाओं को भी छूट दी गई है। कीमती धातुओं और किफायती आवास के लिए दर 'चार-कर स्लैब-नियम' हेतु अपवाद हैं और इसे क्रमशः 3% और 1% पर नियत किया गया है। इसके अलावा, बिना तरीशे हीरे, कीमती पत्थर आदि पर 0.25% की दर से कर लगता है। जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण किसी भी राजस्व हानि की राज्यों को बरपाई हेतु तंबाकू और तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, वातित पानी, मोटर वाहनों जैसे कुछ निर्दिष्ट विलासी और दोषपूर्ण माल पर 28% की चरम दर पर लगाए जाने वाला उपकर। माल और सेवाओं की सूची जिसके मामले में विपर्यय प्रभार लागू होगा, को भी अधिसूचित किया गया है।

3.2.10.4 राज्यों को क्षतिपूर्ति: माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। किसी राज्य को उस तिथि जिससे राज्य अपने एसजीएसटी अधिनियम को लागू करता है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। किसी वित्तीय वर्ष में क्षतिपूर्ति राशि की गणना के उद्देश्य से, राजस्व की संरक्षा हेतु गणना के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा। पांच साल की अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए राजस्व की वृद्धि दर 14% प्रति वर्ष मानी गई है। आधार वर्ष कर राजस्व में निम्नलिखित से राज्यों के कर राजस्व शामिल हैं: (i) राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट), (ii) केंद्रीय बिक्री कर, (iii) प्रवेश कर, ओक्ट्रॉई, स्थानीय निकाय कर, (iv) विलासिता पर कर, (v) विज्ञापनों पर कर इत्यादि। तथापि, मानव उपबोग के लिए मदिरा की आपूर्ति और पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित इन करों में से उद्भूत कोई भी राजस्व, आधार वर्ष राजस्व के भाग के रूप में नहीं होगा। किसी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी परिषद द्वारा यथा अनुशंसित क्षतिपूर्ति उपकर के वित्तपोषण हेतु कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

3.2.10.5 ई-वे बिल प्रणाली: ई-वे (इलेक्ट्रॉनिक तरीके) बिल की शुरुआत पहले के "डिपार्टमेंटल पुलिसिंग मॉडल" से "सेल्फ डिक्लेरेशन मॉडल" में एक स्मरणार्थ बदलाव है। यह देशभर में माल की आवाजाही के लिए एक ई-वे बिल की परिकल्पना करता है, जिससे पूरे देश में ट्रांसपोर्टर्स के लिए संकट मुक्त गतिविधि सुनिश्चित हो गई है। 1 अप्रैल, 2018 से माल की सभी अंतर-राज्यीय आवागमन हेतु ई-वे बिल प्रणाली को देशभर में शुरू किया गया है। जहां तक अंतर-राज्यीय आपूर्ति का संबंध है, 3 जून, 2018 को या उससे पहले किसी भी तिथि को चुनने का राज्यों को विकल्प दिया गया था। सभी राज्यों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतिम होने के नाते इंद्रा-स्टेट आपूर्ति के लिए ई-वे बिल नियमों को अधिसूचित किया है, जहां इसे 16 जून, 2018 से लागू किया गया था।

3.2.10.6 मुनाफाखोरी-विरोधी तंत्र: कई देशों में जीएसटी के कार्यान्वयन को मुद्रास्फीति में वृद्धि और वस्तुओं की कीमतों के साथ

संबद्ध किया गया था। यह टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के बावजूद हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपूर्तिकर्ता उपबोक्ता को लाभ नहीं दे रहा था और इस तरह अवैध मुनाफाखोरी कर रहा था। कर की दर में कोई कमी या बढ़े हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को प्राप्तकर्ताओं को कीमतों में कमी के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

3.2.10.6.1 राष्ट्रीय कर मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण (एनएपीए) का गठन केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के अंतर्गत कम कर दृष्टांत के लाभ को पास न किए जाने की शिकायतों की जांच किए जाने हेतु किया गया है। प्राधिकरण उस तिथि से दो साल की समाप्ति के बाद अस्तित्व में रहना बंद कर देगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कार्यालय में प्रवेश करता है जब तक कि परिषद अन्यथा की सिफारिश नहीं करता।

3.2.10.6.2 प्राधिकरण यह निर्धारित कर सकता है कि कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में कमी के माध्यम से दिया गया है या नहीं। यह कीमतों में कमी, जुर्माना लगाने, पंजीकरण रद्द करने और किसी अन्य निर्णय, जो मामले की जांच के पश्चात् सही माना जाए, के अनुसार आदेश दे सकता है।

3.2.10.7 आपूर्ति की अवधारणा: माल या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी माल के निर्माण पर या माल की बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर कर की वर्तमान अवधारणा के विरुद्ध लागू होगा। इसमें सभी तरह की गतिविधियाँ जैसे निर्माण, बिक्री, वस्तु विनिमय, विनिमय, हस्तांतरण आदि शामिल हैं। इसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसी आपूर्ति किए जाने पर विचार किए बिना आपूर्ति भी शामिल है।

3.2.10.8 सीमांत(थ्रेसहोल्ड) छूट: माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीकरण और जीएसटी के भुगतान से छूट हेतु सकल कारोबार की सीमांत(थ्रेसहोल्ड) सीमा दिनांक 01.04.2019 से 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में) होगी।

सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के भुगतान और पंजीकरण से छूट हेतु सकल कारोबार की सीमांत(थ्रेसहोल्ड) सीमा 20 लाख रुपये और 10 लाख रुपये (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में) होगी।

एक सामान्य सीमांत(थ्रेसहोल्ड) छूट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पर लागू होगी।

तथापि, सीमांत(थ्रेसहोल्ड) छूट का लाभ माल की अंतर-राज्य आपूर्ति में उपलब्ध नहीं है।

3.2.10.9 संयोजन योजना (कंपोजिशन स्कीम): रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और माल के आपूर्तिकर्ता होने के नाते छोटे व्यवसायियों के लिए संयोजन योजना तैयार की गई है। योजना के अंतर्गत, 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले व्यक्ति (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के राज्यों में 75 लाख रुपये) को अपने टर्नओवर पर 1% से 5% के बराबर कर दिए जाने की आवश्यकता है और वित्त वर्ष 2019-20 से तिमाही भुगतान के साथ सालाना उसकी विवरणी फाइल किए जाने की आवश्यकता है।

संयोजन योजना को सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (जो वर्तमान में उपलब्ध संयोजन योजना के लिए पात्र नहीं हैं) के लिए भी तैयार किया गया है। योजना के अंतर्गत, 50 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यक्ति को अपने कारोबार पर 6% के बराबर कर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता होती है और वित्त वर्ष 2019-20 से तिमाही भुगतान के साथ सालाना अपनी विवरणी प्रस्तुत करना होगी।

**3.2.10.10 शून्य दर आपूर्ति:** वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात शून्य दर का है। एसईजेड विकासकर्ता और एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति भी शून्य-दर की है। शून्य कर-निर्धारण का लाभ या तो एकीकृत कर के भुगतान के साथ, या बंध-पत्र या वचन-पत्र के अंतर्गत एकीकृत कर के भुगतान के बिना लिया जा सकता है।

**3.2.10.11 आईटीसी का पार-उपयोग:** आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सभी करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग केवल सीजीएसटी या आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग केवल एसजीएसटी या आईजीएसटी का भुगतान किए जाने हेतु किया जा सकता है।

क्रेडिट को निम्नलिखित तरीके से उपयोग किए जाने की अनुमति होगी:

क) सीजीएसटी के आईटीसी ने उस क्रम में सीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान की अनुमति दी;

ख) एसजीएसटी के आईटीसी ने उस क्रम में एसजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान की अनुमति दी;

ग) यूटीजीएसटी के आईटीसी ने उस क्रम में यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान की अनुमति दी;

घ) आईजीएसटी के आईटीसी ने उस क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान की अनुमति दी।

एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान और इसके विपरीत सीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके आगे यह प्रावधान किया गया है कि सीजीएसटी या एसजीएसटी के उपयोग से पूर्व आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, जैसा भी मामला हो, के भुगतान के लिए आईजीएसटी की शेष राशि समाप्त हो जाएगी।

**3.2.10.12 सरकारी खातों का व्यवस्थापन:** खातों को केंद्र और राज्य के बीच समय-समय पर निपटाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आईजीएसटी के भुगतान के लिए प्रयोग किए गए एसजीएसटी का क्रेडिट मूल राज्य द्वारा केंद्र को हस्तांतरित किया जाता है। इसी तरह, एसजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले आईजीएसटी को केंद्र द्वारा गंतव्य राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा भी 2सी आपूर्ति पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी भाग भी केंद्र द्वारा गंतव्य राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। धनराशि का हस्तांतरण

करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न में निहित सूचना के आधार पर किया जाएगा।

**3.2.10.13 भुगतान के प्रकार:** करदाता को इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सहित कर के भुगतान हेतु विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं।

**3.2.10.14 स्रोत पर कर कटौती:** सरकारी विभागों, स्थानीय अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों सहित कुछ व्यक्तियों पर दायित्व, जो आपूर्ति के प्राप्तकर्ता हैं, जो किए गए भुगतान से 1% की दर से कर में कटौती करते हैं या आपूर्तिकर्ता को दिया जाता है, जहां किसी अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति का कुल मूल्य, दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक होता है। टीडीएस के लिए प्रावधान 01 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी हो गया है। स्था मंत्रालय के अंतर्गत कुछ अधिकारियों को टीडीएस के प्रावधानों से छूट दी गई है।

**3.2.10.15 रिफंड्स:** करदाता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाला कर का रिफंड, जो संबंधित तिथि से दो वर्ष के भीतर कर की राशि को वहन करता है। अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड भी शून्य दर आपूर्ति और विपर्यय कर ढांचे में उपलब्ध होगा।

**3.2.10.16 स्रोत पर कर संग्रह:** ऐसी दर पर जो कर योग्य आपूर्ति के शुद्ध मूल्य का दो प्रतिशत से अधिक नहीं हो, जो अपने पोर्टल के माध्यम से माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से बाहर हो, 'स्रोत पर कर' लिए जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालकों पर दायित्व होगा। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से टीसीएस के लिए प्रावधान प्रभावी हो गया है।

**3.2.10.17 स्व-मूल्यांकन:** पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय करों का स्व-मूल्यांकन आदर्श होगा। पंजीकृत व्यक्तियों की लेखापरीक्षा चयनात्मक आधार पर की जाएगी। मांग बढ़ाने की सीमा अवधि वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तिथि से या गलत भुगतान की तिथि से या कर के भुगतान न करने या गलत रिफंड न देने और सामान्य मामलों में इसके स्थगन की तिथि से तीन (3) वर्ष है। मांग को उठाने के लिए सीमा अवधि वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से या गलत भुगतान के लिए गलत भुगतान की तिथि से या कर के भुगतान न करने या गलत रिफंड न करने और घोखाधड़ी, दमन या जानबूझकर-गलत विवरण के मामले में इसका अधिनिर्णयन पांच वर्ष है।

**3.2.10.18 बकाया की वसूली:** माल की खरीद और बिक्री, दोषी कराधान व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बकाया कर की वसूली की जाएगी।

**3.2.10.19 अपीलीय न्यायाधिकरण:** माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकारी या संशोधित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए

किया जाएगा। अधिकरण से संबंधित प्रावधानों को राज्य संबंधित एसजीएसटी अधिनियम में अपनाएंगे।

**3.2.10.20** अग्रिम नियमन प्राधिकरण: करदाताओं को विभाग से कराधान मामलों पर बाध्यकारी स्पष्टता प्राप्त किए जाने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यों द्वारा अग्रिम नियमन प्राधिकरण (एडवांस रूलिंग अथॉरिटी) का गठन किया जाएगा। सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र ऐसे अधिकार को अपनाएगा।

**3.2.10.21** संक्रमणकालीन प्रावधान: जीएसटी व्यवस्था में मौजूदा करदाताओं के सुचारु रूप से संक्रमण के लिए विस्तृत संक्रमणकालीन प्रावधान का किया गया है।

**3.2.10.22** करों, शुल्कों आदि का सम्मिलन: जहां तक माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित इनका संबंध है, संघ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क (औषधीय और शौचालय की सामग्री), उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व का सामान), उत्पाद शुल्क (कपड़ा और वस्त्र उत्पाद) के अतिरिक्त कर्तव्य, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (जिसे आमतौर पर सीवीडी के रूप में जाना जाता है), विशेष अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क (एसएडी), सेवा कर और उपकर और अधिभार, द्वारा लगाए और एकत्र किए गए करों और शुल्कों के बीच इन्हें सम्मिलित किया गया। जहां तक राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए करों का संबंध है, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए लोगों को छोड़कर), विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी पर कर और जुए, उपकर और अधिभार के रूप में वे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित थे।

### 3.2.11 जीएसटी विधान:

**3.2.11.1** चार कानूनों अर्थात् सीजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अप्रैल, 2017 से अधिसूचित किया गया। सभी अन्य राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) तथा विधायिका सहित संघ शासित प्रदेशों संबंधित एसजीएसटी अधिनियमों को पारित कर दिया। भारत का आर्थिक एकीकरण 8 अगस्त, 2017 को पूरा किया गया जब जम्मू कश्मीर राज्य ने भी एसजीएसटी अधिनियम को पारित कर दिया और केन्द्र सरकार ने बाद में जम्मू कश्मीर के लिए सीजीएसटी अधिनियम को विस्तारित किया।

**3.2.11.2** दिनांक 21.07.2018 को नई दिल्ली में हुई इसकी 28 वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की। ये संशोधन संसद द्वारा पारित किए गए और क्रमशः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 और माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) संशोधन अधिनियम, 2018 के रूप में दिनांक 01.02.2019 से लागू किए गए हैं।

**3.2.11.3** 22 जून, 2017 को, पहली अधिसूचना जीएसटी के लिए जारी की गई और सीजीएसटी के तहत कुछ धाराओं को अधिसूचित किया गया था। तब से, सीजीएसटी अधिनियम के तहत 170 अधिसूचना की धाराओं को अधिसूचित, नियमों को अधिसूचित, नियमों में संशोधन और जुर्माना के लिए छूट आदि के लिए जारी किया गया है। आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम (राज्यों को प्रतिपूर्ति) के तहत क्रमशः 19, 34 और 2 अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। इसके अलावा 86, 89, 86 और 9 दर संबंधित सूचनाएं प्रत्येक क्रमशः सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत जारी की गई हैं। इसी प्रकार की सूचना संबंधित एसजीएसटी अधिनियम के तहत सभी राज्यों द्वारा जारी की गई है। अधिसूचनाओं के अतिरिक्त, सीबीआई के द्वारा 101 परिपत्र, 18 आदेश और 12 कठिनाई का निराकरण आदेश भी विभिन्न अधिकारियों, निर्यात में आसानी और विभिन्न फार्मों को बरने के लिए अंतिम तिथियों को बढ़ाने जैसे विभिन्न विषयों पर जारी किए गए हैं।

### 3.2.12 सीबीआईसी की भूमिका:

**3.2.12.1** सीबीआईसी जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून के मसौदे तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है, जो केंद्र का विशेष डोमेन होगा इसके अलावा, सीबीआईसी ने खुद को कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया है, जो काफी मजबूत हैं। करदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सीबीआईसी की मौजूदा आईटी अवसंरचना आंकड़ों के इतने बड़े संस्करणों को संभालने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ा दी गई है। जीएसटी के कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं के आधार पर, एसीईएस (ऑटोमेटेड सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स) जैसे कार्य प्रवाह सॉफ्टवेयर की सामग्री को फिर से इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी जीएसटी के तहत सीबीआईसी के आईटी प्रोजेक्ट का नाम 'सक्षम' है, जिसमें कुल 2,256 करोड़ रुपए का मूल्य शामिल है।

**3.2.12.2** जीएसटी में बड़े करदाताओं के आधार को देश के लम्बाई और चौड़ाई में बिखरे हुए मानव संसाधनों के विकास के लिए जरूरी होगा। विशेष रूप से विभागीय अधिकारियों के लिए अकाउंटेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एक बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। एनसीआईएन के नेतृत्व में एक विशाल चार स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण परियोजना का उद्देश्य सीबीआईसी के 60,000 से अधिक अधिकारियों और राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर अधिकारियों को जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

**3.2.12.3** सीबीआईसी सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी द्वारा एक्साइज ड्यूटी शासन को पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और साथ ही साथ तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण और संग्रह के लिए प्रशासित किया जाएगा। सीबीआईसी भी और सीमा शुल्क की लेवी संग्रहण से संबंधित काम को संभालने के लिए जारी रहेगा।

3.2.12.4 मुनाफाखोरी विरोधी महानिदेशक, सीबीआईसी को मुनाफाखोरी-रोधी मामलों पर विस्तृत जांच करने के लिए अध्यादेश दिया गया है और राष्ट्रीय एंटी-प्रॉफीटियरिंग प्राधिकरण के विचार के लिए उनकी सिफारिश देनी चाहिए।

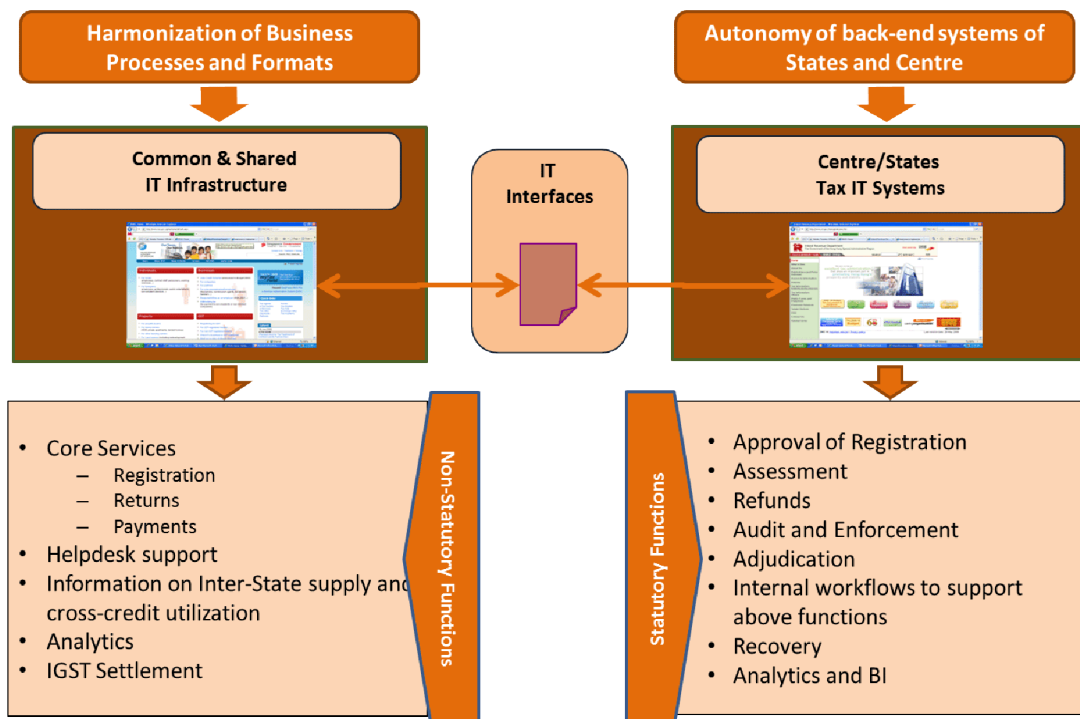
3.2.12.5 सीबीआईसी ने जीएसटी के कार्यान्वयन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने फीडबैक एंड एक्शन रूम की स्थापना की थी जिसने करदाता द्वारा जीएसटी कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना किया और करदाता और सरकार के बीच एक सक्रिय इंटरफ़ेस के रूप में कार्य किया।

### 3.2.13 माल और सेवा कर नेटवर्क:

3.2.13.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत

एक निजी कंपनी के रूप में माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। जीएसटीएन करदाताओं को पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न की तीन प्रथम अंत सेवाएं (फ्रंट एंड सर्विसेज) प्रदान करेगा। करदाताओं को इन तीन सेवाओं को प्रदान किए जाने के अलावा, जीएसटीएन उन 27 राज्यों के लिए बैक-एंड आईटी मॉड्यूल विकसित कर रहा होगा, जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। इंफोसिस को प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के रूप में नियुक्त किया गया है। जीएसटीएन ने 73 आईटी, आईटीईएस और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) कहलाने वाले वाणिज्यिक कर के 1 आयुक्त (सीसीटी, कर्नाटक) का चयन किया है। जीएसपी, जीएसटीएन के साथ परस्पर-विमर्श के लिए करदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोजनों का विकास करेगा। नीचे दिया गया आरेख जीएसटी के अंतर्गत कार्य वितरण को दर्शाता है।

| व्यावसायिक प्रक्रियाओं और स्वरूपों का सामंजस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | राज्यों और केंद्र की बैक-एंड प्रणालियों की स्वायत्तता                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामान्य और साझा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आईटी इंटरफेसेज़    | केंद्र/राज्य कर आईटी प्रणालियां                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>मूल सेवाएं                             <ul style="list-style-type: none"> <li>पंजीकरण</li> <li>विवरणी</li> <li>भुगतान</li> </ul> </li> <li>सहायता डेस्क समर्थन</li> <li>अंतर-राज्यीय आपूर्ति और क्रॉस-क्रेडिट उपयोग पर जानकारी</li> <li>विश्लेषिकी</li> <li>आईजीएसटी व्यवस्थापन</li> </ul> | गैर सांविधिक कार्य | <p>पंजीकरण की स्वीकृति</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन</li> <li>रिफंड्स</li> <li>लेखापरीक्षा और प्रवर्तन</li> <li>अधिनिर्णयन</li> <li>उपरोक्त कार्यों का समर्थन किए जाने हेतु आंतरिक कार्यप्रवाह</li> <li>वसूली</li> <li>विश्लेषिकी और बीआई</li> </ul> |



3.2.13.2 केंद्र सरकार की जीएसटीएन में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि राज्य सरकार की 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष 51 प्रतिशत गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में 20%, आईसीआईसीआई बैंक में 10%, एनएसई स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट में 10% और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास 10% है। 04.05.2018 को आयोजित अपनी 27वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने जीएसटीएन के शेरधारिता पैटर्न में बदलाव को मंजूरी दे दी है। जीएसटीएन द्वारा किए गए 'राज्य कार्य' की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी परिषद ने अनुभव किया कि जीएसटीएन को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी में परिवर्तित किया जाए। तदनुसार, परिषद ने गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा जीएसटीएन में धारित इक्विटी के कुल 51 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने की अनुमति दी, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से 5.1 करोड़ रुपये है।

3.2.13.3 जीएसटी प्रणालियों का डिजाइन भूमिका-आधारित पहुंच पर आधारित है। करदाता पहचान किए गए एप्लिकेशन जैसे पंजीकरण, रिटर्न, व्यू लेजर आदि के माध्यम से अपने डेटा तक पहुंच बना सकता है। जीएसटी कानून के अनुसार, क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी डेटा तक पहुंच सकते हैं। लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार डेटा तक पहुंच बनाई जा सकती है। जीएसटीएन के पास उपलब्ध डेटा के लिए किसी अन्य व्यवस्था के पास कोई पहुंच नहीं हो सकती है।

### 3.2.11 जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यवस्था परिवर्तक:

3.2.14.1 जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लाभों के बारे में नीचे चर्चा की गई है।

3.2.14.2 निर्यातकों को लाभ: जीएसटी में प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों की सदस्यता, इनपुट वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ण और व्यापक व्यतिरेक(सेटऑफ) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के बाहर होने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में कर दरों और प्रक्रियाओं में एकरूपता भी अनुपालन लागत को कम करने में लंबा रास्ता तय करेगी

3.2.14.3 छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ: जीएसटी ने छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा को बढ़ा दिया है। जीएसटी के तहत सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में 20 लाख रुपये (कतिपय मामलों में 10 लाख रुपये) से अधिक और कुल सामानों के आपूर्तिकर्ता के मामले में 40 लाख रुपये (कतिपय मामलों में 20 लाख रुपये) से अधिक की कुल वार्षिक आय वाली इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। पहले अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहु पंजीकरणों के विपरीत, किसी एक राज्य में जीएसटी के अंतर्गत मात्र एकल पंजीकरण की आवश्यकता है। वस्तुओं और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में 1.5 करोड़ (कुछ मामलों में 75 लाख रुपये) और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता

के मामले में 50 लाख रुपये तक के कुल कारोबार के साथ संयोजन(कंपोजिशन) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया गया है। देशभर में एक सहज राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के साथ, छोटे उद्यमों को न्यूनतम निवेश के साथ अपनी राष्ट्रीय पहचान का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

3.2.14.4 कृषि और उद्योग को लाभ: जीएसटी, जीएसटी में अनेक केंद्रीय और राज्यों के करों को सम्मिलित करने और सीएसटी से चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के लिए, इनपुट टैक्स सेट-ऑफ और सर्विस टैक्स सेट-ऑफ के अधिक समग्र और व्यापक व्याप्ति के माध्यम से उद्योग, व्यापार और कृषि को अधिक राहत देगा। व्यतिरेक(सेट-ऑफ) की पारदर्शी और पूर्ण श्रृंखला जिसके परिणामस्वरूप कर आधार का विस्तार और कर अनुपालन बेहतर होगा, जिससे उद्योग, व्यापार और कृषि में एक औसत डीलर पर कर का बोझ कम होगा।

3.2.14.5 आम उपभोक्ताओं के लिए लाभ: जीएसटी की शुरुआत के साथ, सेनवैट, राज्य वैट और सेवा कर के व्यापक प्रभाव को व्यापक रूप से हटा दिया जाएगा, जो निर्माता के छोर से रिटेलर के छोर तक व्यतिरेक(सेट-ऑफ) की निरंतर श्रृंखला के साथ प्रचलित सेनवैट और वैट व्यवस्था के अंतर्गत संबन्ध था। कुछ प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा और सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। अन्य चीजें समान बने रहने पर, माल पर कर का बोझ, सामान्य रूप से, जीएसटी के अंतर्गत आएगा और इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

3.2.14.6 "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहन: जीएसटी विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को बढ़ावा देते हुए भारत के लिए एक संगठित आम राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह करों की व्यापकता(कैस्केडिंग) को रोक देगा और उत्पादों को सस्ता बना देगा, इस प्रकार सकल मांग को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप कानून, प्रक्रियाओं और कर की दरों का सामंजस्य होगा। यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार उत्पन्न करेगा और इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार उत्पन्न करेगा तथा इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंततोगत्वा यह अधिक रोजगार और अधिक वित्तीय संसाधन पैदा कर गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा। विशेष रूप से निर्यात के लिए करों के अधिक कुशल न्यूनीकरण ने हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया गया और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिला। यह देश में समग्र निवेश के वातावरण में भी सुधार करेगा जो स्वाभाविक रूप से राज्यों में विकास को लाभान्वित करेगा। एकसमान सीजीएसटी और एसजीएसटी तथा आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों और उस अंतरा और अंतर-राज्यीय आपूर्ति के बीच अंतर दर मध्यस्थता को समाप्त कर अपवंचन हेतु प्रोत्साहन को कम करेंगी। कंपनियों पर औसत कर बोझ कम होने की संभावना है जिससे कीमतों को कम करने की आशा है और कम कीमतों का मतलब अधिक खपत है, जिसका अर्थ है कि अधिक उत्पादन जिससे उद्योगों के विकास में मदद मिलती है। यह

भारत को "मैन्युफैक्चरिंग हब" बनाएगा।

3.2.14.7 व्यापार करने में सुकरता: हमारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को नियंत्रित करने वाले करों की बहुलता में कमी सहित कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था सरल और एकरूपता को बढ़ावा देगी। अनुपालन लागत में कमी के रूप में कई करों के लिए कई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी, अतः, रिकॉर्ड बनाए रखने में संसाधनों और श्रमशक्ति का कम निवेश होगा। यह विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान के लिए सरल और स्वचालित प्रक्रियाओं में परिणत होगा। सभी संयवहार सामान्य जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से होंगे, अतएव, करदाता और कर प्रशासन के बीच कम सार्वजनिक

इंटरफ़ेस होगा। यह अनुपालन के वातावरण में सुधार करेगा, क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए जाएंगे, लेन-देन को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, लेनदेन के अधिक पेपर ट्रेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। करदाताओं के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रक्रियाएं, करों की रिफंड, कर रिटर्न का एकसमान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली हेतु अधिक सुनिश्चितता प्रदान करेगी।

### 3.2.15 पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और राजस्व का अनुभव:

3.2.15.1 पंजीकरण और रिटर्न स्नैपशॉट :

| क्र.सं. विवरण                                               | 31 मार्च, 2019 को मौजूद स्थिति के अनुसार |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. पारगमन (विस्थापित) करदाताओं की संख्या                    | 66,25,077                                |
| 2. पंजीकरण के लिए प्राप्त नए आवेदनों की कुल संख्या          | 76,98,644                                |
| 3. स्वीकृत आवेदनों की संख्या                                | 65,62,975                                |
| 4. अस्वीकृत आवेदनों की संख्या                               | 10,91,708                                |
| 5. करदाताओं की कुल संख्या; नए + विस्थापित (1 + 3)           | 1,31,88,052                              |
| 6. कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं की संख्या   | 17,74,379                                |
| 7. जुलाई, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या    | 65,80,580                                |
| 8. अगस्त, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या    | 71,67,079                                |
| 9. सितम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या  | 75,14,357                                |
| 10. अक्टूबर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या | 72,72,643                                |
| 11. नवम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या  | 73,63,558                                |
| 12. दिसम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या | 74,49,906                                |
| 13. जनवरी, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 75,65,896                                |
| 14. फरवरी, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 76,89,206                                |
| 15. मार्च, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 77,96,536                                |
| 16. अप्रैल, 2018 के लिए दायर जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या  | 78,59,111                                |
| 17. मई, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या      | 79,99,938                                |
| 18. जून, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या     | 80,98,132                                |
| 19. जुलाई, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 81,81,569                                |
| 20. अगस्त, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 82,62,681                                |
| 21. सितम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या | 83,17,224                                |
| 22. अक्टूबर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या | 83,16,424                                |
| 23. नवम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या  | 81,56,247                                |
| 24. दिसम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या | 81,35,306                                |
| 25. जनवरी, 2019 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 79,89,776                                |
| 26. फरवरी, 2019 के लिए फाइल जीएसटीआर-3 ख रिटर्न की संख्या   | 75,95,735                                |
| 27. जुलाई, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न की संख्या     | 60,58,584                                |
| 28. अगस्त, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न की संख्या     | 25,35,102                                |
| 29. सितम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न की संख्या   | 68,51,313                                |
| 30. अक्टूबर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न की संख्या   | 26,15,196                                |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31. नवम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या          | 26,54,010 |
| 32. दिसंबर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या          | 69,51,848 |
| 33. जनवरी, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 26,58,601 |
| 34. फरवरी, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 26,64,859 |
| 35. मार्च, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 71,19,259 |
| 36. अप्रैल, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या          | 28,03,367 |
| 37. मई, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या              | 28,28,567 |
| 38. जून, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या             | 73,11,707 |
| 39. जुलाई, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 28,47,960 |
| 40. अगस्त, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 28,38,682 |
| 41. सितम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या         | 73,60,602 |
| 42. अक्तूबर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या         | 27,94,677 |
| 43. नवम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या          | 27,45,892 |
| 44. दिसम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या         | 69,88,144 |
| 45. जनवरी, 2019 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 25,51,931 |
| 46. फरवरी, 2019 के लिए फाइल जीएसटीआर-1 रिटर्न्स की संख्या           | 22,72,076 |
| 47. जुलाई, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 2 रिटर्न्स की संख्या           | 25,72,552 |
| 48. जुलाई-सितम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या   | 10,06,040 |
| 49. अक्तूबर-दिसम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या | 15,16,184 |
| 50. जनवरी-मार्च, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या     | 15,74,383 |
| 51. अप्रैल-जून, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या      | 15,46,101 |
| 52. जुलाई-सितम्बर, 2018 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या   | 15,00,898 |
| 53. सितंबर-दिसम्बर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 4 रिटर्न्स की संख्या  | 14,15,038 |

### 3.2.16 आगे चुनौतियां और भविष्य:

3.2.16.1 किसी भी नए परिवर्तन की शुरुआत कठिनाइयों और समस्याओं के साथ होती है। जीएसटी के रूप में व्यापक परिवर्तन केवल सरकार के लिए ही नहीं, अपितु व्यापार समुदाय, कर प्रशासन और यहां तक कि देश के आम नागरिकों के लिए भी कुछ चुनौतियां खड़ी करता है। इन चुनौतियों में से कुछ नई शासन व्यवस्था और आईटी प्रणाली, कानूनी चुनौतियां, रिटर्न फाइलिंग तथा संक्रमण क्रेडिट पर गुजरती सुलह से अपरिचितता से संबंधित हैं। मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रणाली की कमी के कारण करदाताओं के लिए अनुपालन कठिन हो जाता है। जीएसटी में कई प्रक्रियाएं विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नई हैं, जिनका नियमित और ऑनलाइन रिटर्न फाइल किए जाने और अन्य औपचारिकताओं के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

3.2.16.2 देशभर के व्यवसायों, उपभोक्ताओं और करदाताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, सुझावों को शामिल किए जाने और लघु अवधि के साथ-साथ दीर्घकालिक समाधानों के माध्यम से समस्याओं को कम किए जाने का प्रयास किया गया है। प्रणाली अड़चनों को सुधारने के पश्चात्, 1 अप्रैल 2018 से माल के अंतर-राज्यीय संचालन हेतु ई-वे बिल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जहां तक अंतर-राज्यीय

आपूर्ति का संबंध है, राज्यों को 3 जून, 2018 को या उससे पूर्व किसी भी तिथि को चुनने का विकल्प दिया गया था। सभी राज्यों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जहां इसे 16.06.2018 से प्रारम्भ किया गया था, होने के नाते अंतिम अंतर-राज्यीय आपूर्तियों हेतु ई-वे बिल नियमों को अधिसूचित किया है।

3.2.16.3 एनएपीए ने मुनाफाखोरी-रोधी विभिन्न शिकायतों की जांच शुरू की है और कुछ मामलों में उपभोक्ता हित संरक्षा हेतु आदेश पारित किए हैं।

3.2.16.4 रिफंड को शीघ्रता से पूरा करने के लिए, सभी सहायक दस्तावेजों/चालानों के साथ, रिफंड की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सामान्य पोर्टल पर सक्षम बनाया गया है। इस संबंध में सीबीआईसी और राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों का मार्गदर्शन किए जाने हेतु स्पष्ट परिपत्र और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सरकार ने जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए एक आईटी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

3.2.16.5 जीएसटी की शुरुआत वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर है क्योंकि इसने बहु-स्तरीय, जटिल अप्रत्यक्ष कर संरचना को एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-चालित कर व्यवस्था में



बदल दिया है। यह अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के लिए बाधाओं को तोड़कर भारत को एक एकल, सामान्य बाजार में एकीकृत करेगा। करों की व्यापकता (कैस्केडिंग) को समाप्त कर और लेनदेन की लागत को कम करके, यह देश में व्यापार करने में सरलता को बढ़ाएगा और "मेक इन इंडिया" अभियान को गति प्रदान करेगा। जीएसटी के परिणामस्वरूप "एक देश, एक कर, एक बाजार" होगा।

**1 जनवरी, 2019 को मौजूद स्थिति के अनुसार माल हेतु जीएसटी दरों में परिवर्तन**

क) **28% स्लैब के माल पर दर में कमी**

i. **28% से घटाकर 18% - 21 मर्दे**

क) **आम आदमी द्वारा उपयोग की मर्दे**

- ❖ पेंट्स और वार्निश (इनेमल्स और लाख सहित)
- ❖ रेफ्रिजरेटर्स,
- ❖ वाशिंग मशीन।
- ❖ वैक्यूम क्लीनर्स
- ❖ घरेलू बिजली के उपकरण जैसे कि फूड ग्राइंडर, जूसर, मिक्सर्स
- ❖ शेवर, हेयर क्लिपर्स आदि।
- ❖ भंडारण वॉटर हीटर
- ❖ हेअर ड्रायर
- ❖ इलैक्ट्रिक स्मूदिंग आयरन
- ❖ 32 इंच आकार तक के टीवी और कंप्यूटर्स
- ❖ लिथियम आयन बैटरी के पावर बैंक।
- ❖ डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर्स
- ❖ वीडियो गेम कंसोल्स और अन्य गेम तथा गेम संबद्ध आवश्यकताएं

ख) **औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की मर्दे**

- ❖ ग्लेज़र्स की पुट्टी, ग्राफ्टिंग पुट्टी, राल सीमेंट्स
- ❖ फ्रीज़र और अन्य रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीज़िंग उपकरण जिनमें वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइस्क्रीमफ्रीज़र आदि शामिल हैं।
- ❖ विशेष प्रयोजन मोटर वाहन उदाहरणार्थ, क्रेन लॉरी, अग्निशमन वाहन, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, छिड़काव लॉरीस
- ❖ माल के कम परिवहन हेतु कारखानों, गोदामों, डॉक क्षेत्रों या हवाई अड्डों में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के ट्रक।
- ❖ ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर।
- ❖ विविध सामग्री जैसे खुशबू वाले स्प्रे और इसी तरह के टॉयलेट

स्प्रे, पाउडर-पफ्स और पैड आदि।

- ❖ लिथियम आयन बैटरी
- ❖ सार्वजनिक परिवहन में उपयोग के लिए बसें, जो विशेष रूप से जैव ईंधन पर चलती हैं

ii. **28% से घटाकर 12% -1 मर्दे**

**औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की मर्दे**

- ❖ ईंधन सेल वाहन

iii. **28% से 5% -1 आइटम**

**औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के पुर्जे और सामान

(ख) **18% स्लैब से कटौती**

i. **18% से 12% -27 आइटम**

क) **आम आदमी द्वारा उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ चीनी उबला मिष्ठान
- ❖ 20 लीटर की बोतलों में भरा पानी पीना
- ❖ पेंटिंग, तस्वीरें, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के तख्ते
- ❖ कॉर्क का कला वेयर
- ❖ स्टोन आर्ट वेयर, स्टोन इनले काम
- ❖ सजावटी फ्रेम वाले दर्पण
- ❖ कांच की मूर्तियाँ क्रिस्टल के अलावा
- ❖ ग्लास आर्ट वेयर
- ❖ लोहे का आर्ट वेयर
- ❖ विद्युत से पीतल, तांबे / तांबे के मिश्र धातु के बर्तन, निकल / चांदी के साथ चढ़ाया हुआ सामान
- ❖ एल्यूमीनियम के बर्तन
- ❖ दस्तकारी लैंप
- ❖ काम वाली सब्जी या खनिज नक्काशी, उसकी वस्तुएं आदि।
- ❖ गंजीफा कार्ड
- ❖ बांस के फर्श
- ❖ पीतल केरोसीन दबाव स्टोव।
- ❖ ज़िप और स्लाइड फास्टनरों

**ख) औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ जैव बीज
- ❖ विनिर्दिष्ट जैव कीटनाशक
- ❖ बाँस की लकड़ी से भवन निर्माण करना
- ❖ ड्रिप सिंचाई प्रणाली जिसमें लेटरल, स्प्रिंकलर शामिल है
- ❖ पाउच और पर्स सहित मैकेनिकल स्प्रेयर हैंडबैग; आभूषण रखने का डिब्बा
- ❖ उर्वरक ग्रेड फास्फोरिक एसिड
- ❖ मोटे तौर पर चुकता या डीबग किया हुआ कॉर्क
- ❖ प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं
- ❖ एंग्लोमरेटेड कार्क
- ❖ हाथ संचालित रबर रोलर

**ii. 18% से 5% -6 मद**

**क) आम आदमी द्वारा उपयोग की वस्तुएँ**

- ❖ इमली गिरी पाउडर
- ❖ मेहंदी के पेस्ट का शंकु
- ❖ ठोस जैव ईंधन के छर्राँ
- ❖ संगमरमर का मलबा
- ❖ निजी एलपीजी वितरकों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए एलपीजी की आपूर्ति

**औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ वैज्ञानिक और तकनीकी यंत्र, उपकरण, सामान, भाग, घटक, पुर्जे, टूल्स, मांक अप और मॉड्यूल, लॉन्च वाहनों और उपग्रहों और पेलोड के लिए आवश्यक कच्चे माल और उपभोग्य।
- ❖ इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति।

**(ग) 12% से घटाकर 5% -15 मद**

**क) आम आदमी द्वारा उपयोग की वस्तुएँ**

- ❖ वॉकिंग स्टिक
- ❖ हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित कपड़ा फर्श कवरिंग (नमदा / गब्बा सहित)
- ❖ हस्तनिर्मित फीता
- ❖ हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री
- ❖ हाथ से बने ब्रैड्स और टुकड़े में सजावटी ट्रिमिंग

- ❖ तोरण
- ❖ हथकरघा दरी
- ❖ बुना हुआ टोपी / जिसका खुदरा बिक्री मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं है

**ख) औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ मखमल का कपड़ा
- ❖ घास फूस की वस्तुएं, एस्पार्टो के या अन्य प्लाटिंग सामग्री; बास्केट वेयर और विकरवर्क
- ❖ सूती नेवार सहित संकीर्ण बुने हुए कपड़े
- ❖ प्राकृतिक कॉर्क
- ❖ फ्लाई ऐश ब्लॉक
- ❖ चेनिल के कपड़े और शीर्षक 5801 के तहत अन्य कपड़े
- ❖ फॉस्फोरिक एसिड (केवल उर्वरक ग्रेड)।

**(घ) 3% से 0.25% -1 मद पर कटौती**

- ❖ हीरे और कीमती पत्थर

**(ङ) जीएसटी -13 वस्तुओं से छूट गई वस्तुओं की सूची**

**क) आम आदमी द्वारा उपयोग की वस्तुएँ**

- ❖ राखी [अध्याय 71 के अंतर्गत कीमती या अर्ध-कीमती सामग्री के अलावा]
- ❖ सेनेटरी नैपकिन,
- ❖ विभूति
- ❖ पत्थर / संगमरमर / लकड़ी के देवता
- ❖ फूल बारि झाड़ू [झाड़ू के लिए कच्चा माल]
- ❖ खाली दोना।
- ❖ संगीत की पुस्तकें
- ❖ सब्जियां, (बिना पकी या भाप में पकाकर या पानी में उबालकर), जमे हुए, ब्रांडेड और एक यूनिट कंटेनर में
- ❖ सब्जी अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा, नमकीन पानी में, सल्फर पानी या अन्य परिरक्षक समाधान में), लेकिन तत्काल उपयोग के लिए उस राज्य में अनुपयुक्त।

**ख) औद्योगिक, कृषि या कार्यालय उपयोग की वस्तुएं**

- ❖ श्रवण यंत्रों के निर्माण के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण।
- ❖ राइस ब्रान डी-आयल

❖ कॉयर पीथ खाद

❖ साल के पत्ते सियाली पत्ते और उनके उत्पाद जैसे कि सभाई रस्सी

सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में बदलाव:

1. सेवाओं की जीएसटी दरों का तर्कसंगतीकरण (स्लेब वार)

I. जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12%:

(i) माल का बहुविध परिवहन।

(ii) 100 रु. तक की सिनेमा टिकट

(iii) वाहनों को ले जाने वाले सामान का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम।

II. जीएसटी की दर प्रभावी दर से घटकर 12% से 8% हो गई

III. 18% से 5% पर GST दरों में कमी

केवल ई-पुस्तकों की आपूर्ति हेतु।

IV. जीएसटी की आईटीसी सहित 18% की दर को घटाकर बिना आईटीसी के 5% करना

भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए गैर-अनुसूचित/चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा।

V. ITC के साथ GST दरों में 28% से घटाकर 18% किए जाना

100 रु. से अधिक के सिनेमा टिकट

VI. जीएसटी दरों के अन्य युक्तिकरण

(i) आवास सेवा पर कर की दर को होटल उद्योग को बड़ी राहत दी गई है। (टैरिफ के बजाय लेनदेन मूल्य के आधार पर घोषित करके)

(ii) आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के तहत कर के भुगतान के संबंध में समान कर उपचार को संसद और राज्य विधानसभाओं को केंद्र और राज्य सरकारों की तरह उपलब्ध करवाना।

VII. जीएसटी लागू होने से छूट

(i) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं।

(ii) भारत में किसी व्यक्ति की स्थापना के द्वारा भारत के बाहर उस व्यक्ति की किसी भी प्रतिष्ठान को आपूर्ति की जाने वाली सेवाएँ, बशर्ते सेवाओं की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर हो।

(iii) संयुक्त राष्ट्र या निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधिकारिक उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र या एक निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा सेवाओं का आयात।

(iv) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कांसुलर पोस्ट, या उसमें राजनयिक एजेंट या कैरियर कांसुलर अधिकारी द्वारा सेवाओं का आयात।

(v) कृषि उपयोग के लिए किसान या कृषिविद् के नलकूप तक बिजली वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निर्माण, ढांचा, कमीशन करना, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिताओं द्वारा आपूर्ति की सेवाएँ।

(vi) लघु वनोपजों के भंडारण के माध्यम से सेवाएँ।

(vii) कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 द्वारा शासित व्यक्तियों के लिए सेवाएँ।

(viii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचार करने के खिलाफ अपने सदस्यों के लिए।

(ix) केंद्र सरकार, राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र, उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक उपक्रमों) को केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएँ, ऐसे उपक्रमों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग कंपनियों से लिए गए ऋण की गारंटी के माध्यम से।

(x) खाद्य व्यापार संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा आपूर्ति किए गए खाद्य नमूनों के लाइसेंस, पंजीकरण और विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएँ।

(xi) पशुधन (घोड़ों के अलावा) के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से सेवाएँ।

(xii) राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर (ईआरसीसी) को खनन पट्टे धारकों द्वारा बेजी गई खनिज पर राज्य सरकार की ओर से रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ।

(xiii) असंगत निकाय या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो समय से लागू हो रही हैं, -

क) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियाँ, या

ख) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपने सदस्यों को एक हजार रुपये (1000/- रुपये) प्रति सदस्य प्रति वर्षराशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में।

(xiv) यह स्पष्ट किया गया कि छात्रों को परीक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए केंद्रीय और राज्य शैक्षिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा।

(xv) प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को भाकिंग कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ।

(xvi) पुनर्वास परिषद द्वारा भारत के पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएँ, चिकित्सा

संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्रों पर **RCI** अधिनियम, 1992 के तहत पुनर्वास / चिकित्सा / परामर्श और इस तरह की अन्य गतिविधियों के माध्यम से। / राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या आयकर अधिनियम की धारा 12 कक के तहत पंजीकृत एक इकाई।

(xvii) **RCM** के तहत **GTA** की सेवाओं पर कर के भुगतान से निम्नलिखित को बाहर करने के लिए-

क. एक विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्थापना; या

ख. स्थानीय अधिकारी; या

ग. सरकारी एजेंसियां,

जिन्होंने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत कर में कटौती के उद्देश्य से के तहत पंजीकरण लिया है और माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए पंजीकरण करवाया, उन्हें छूट दी गई।

### VIII. कुछ गतिविधियों को न तो माल की आपूर्ति के रूप में और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 243(W) के तहत नगरपालिका को सौंपे गए एक समारोह की गतिविधि के संबंध में दी जाने वाली सेवाएं।

#### सेवाओं और इसके युक्तिकरण के लिए जीएसटी दर संरचना

1. सेवाओं पर जीएसटी दरों को 4 स्लैबों यानि 5%, 12%, 18% और 28% में बांटा गया है, जो मोटे तौर पर एम्बेडेड करों सहित केंद्र और राज्यों दोनों के पूर्व-जीएसटी अप्रत्यक्ष कर आधारित है। जीएसटी परिषद द्वारा इन दरों की सिफारिश क्रमशः 14.05.2017 और 03.06.2017 को हुई अपनी 14 वीं और 15 वीं बैठकों में की गई थी।

2. उक्त जीएसटी दर संरचना की समीक्षा जीएसटी परिषद ने अपनी आगामी बैठकों में की थी और दर संरचना में कुछ बदलावों की सिफारिश की गई थी। इन बदलावों को विभिन्न सूचनाओं के साथ अधिसूचित किया गया था और जिनका विवरण निम्नलिखित हैं:

| क्र.सं. | जीएसटी काउंसिल की बैठक             | सेवाओं की दर में परिवर्तन का लाभ                 | अधिसूचना के माध्यम से कार्यान्वयन की तिथि |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | 20वीं बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017     | सेवाओं के कुल 10 समूह पर जीएसटी दर कम की गई थी   | 22-08-2017                                |
| 2       | 21वीं बैठक, दिनांक 9 सितंबर, 2017  | सेवाओं के कुल 4 समूह पर जीएसटी दर कम की गई थी    | 21-09-2017                                |
| 3       | 22वीं बैठक, दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 | सेवाओं के कुल 21 समूहों पर जीएसटी दर कम की गई थी | 13-10-2017                                |
| 4       | 23वीं बैठक, दिनांक 10 नवंबर, 2018  | सेवाओं के कुल 3 समूहों पर जीएसटी दर कम की गई थी  | 14-11-2017                                |
| 5       | 25वीं बैठक, दिनांक 18 जनवरी, 2018  | सेवाओं के कुल 34 समूहों पर जीएसटी दर कम की गई थी | 25-01-2018                                |
| 6       | 28वीं बैठक दिनांक 21 जुलाई 2018    | सेवाओं के कुल 16 समूहों पर जीएसटी दर कम की गई थी | 27-07-2018                                |
| 7       | 31वीं बैठक दिनांक 22 दिसंबर, 2018  | सेवाओं के कुल 8 समूहों पर जीएसटी दर कम की गई थी  | 01-01-2019                                |
| 8       | 32वीं बैठक दिनांक 10 जनवरी 2019    | सेवाओं के लिए संरचना योजना                       | 07-03-2019                                |
| 9       | 34वीं बैठक दिनांक 19 मार्च, 2019   | अपार्टमेंट के निर्माण पर जीएसटी दर कम की गई थी   | 29-03-2019                                |

3. 18 जनवरी, 2018 और 21 जुलाई, 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में 50 निर्दिष्ट सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी के साथ जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया।

3. जीएसटी दर संरचना में उपरोक्त परिवर्तनों की सिफारिश जीएसटी

परिषद ने व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधित्व और उपभोक्ताओं के

4. हित को ध्यान में रखते हुए की है और इससे समग्र अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

## सेवाओं पर जीएसटी - के दौरान आम आदमी के लिए किए गए उपाय

### (i) 2017-18

1. आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली दो प्रमुख सेवाएं, अर्थात्, चिकित्सा प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

2. रेस्तरां द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी दर (होटलों में रेस्तरां को छोड़कर, प्रति दिन या उससे अधिक 7500 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ वाले) को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत निर्माण सेवाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 12% से घटाकर 8% कर दी गई है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) / मिडिल ग्रुप ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) (MIG-1) / मध्य आय समूह - 2 (MIG-2) हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) मिशन / प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण या अधिग्रहित मकानों पर निर्माण सेवाओं पर 8% की रियायती प्रभावी दर भी बढ़ा दी गई है। परिणामस्वरूप, मध्य आय समूह में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लाभार्थी जिनकी आय 18 लाख रु प्रति वर्ष है उन्हें ब्याज दर के हस्तक्षेप और घरों के निर्माण पर जीएसटी को घटाकर दोहरा लाभ प्रदान किया गया है। इसी तरह, हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) मिशन / प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना के तहत किराये वाली आवास में लाभार्थियों के आवास या 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाले मकानों के निर्माण में जीएसटी की प्रभावी दर 8% कम की गई है।

4. 01-07-2017 से पहले खरीदे या पट्टे पर दिए गए मोटर वाहनों के पट्टे पर लागू जीएसटी दर लागू और मुआवजा दरों में 65% की कटौती की गई है।

5. 100 रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% किया गया है,

6. मनोरंजन यथा पार्को थीम पार्क, वॉटर पार्क, ज्वॉय राइड मैरी गो राउंड, गो कार्टिंग और बैले सहित द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।

7. एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा 700 रुपये प्रति माह तक की राशि के योगदान पर अपने सदस्यों की गई सेवाओं की आपूर्ति पर छूट दी गई है।

8. इसके अलावा, आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं पर जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है -

(क) एक उच्च शिक्षा संस्थान को ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं या पत्रिकाओं की आपूर्ति की सेवाएं अर्थात् प्री-स्कूल शिक्षा और हायर सेकेण्डरी स्कूल तक की शिक्षा या इसके समकक्ष से भिन्न संस्थान।

(ख) प्रवेश शुल्क के रूप में प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

(ग) सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रवेश से संबंधित परीक्षाओं के संचालन या परीक्षा से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

(घ) कमीशन या मार्जिन के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

(ङ) छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों के परिवहन के लिए किराए पर मोटर वाहन देने के माध्यम से सेवाएं, प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष (उप-ठेकेदार को भी GST से छूट प्राप्त होगी) शिक्षा के माध्यम से एक शैक्षिक संस्थान को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवाएं प्रदान करना।

(च) प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 या राज्य अधिनियमों में से किसी के तहत एक संरक्षित स्मारक में प्रवेश के समय से लागू होने वाली सेवाएं।

दिनांक नाटक, बैले सहित सर्कस, नृत्य, या नाट्य प्रदर्शन में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं; अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस या किसी मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट; मान्यता प्राप्त खेल आयोजन; तारामंडल, जहां घटनाओं या स्थानों पर प्रवेश के अधिकार के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक।

(छ) पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत वार्षिकी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाओं को छूट है।

### (ii) 2018-19

1. होटल उद्योग को बड़ी राहत यह दी गई है कि आवास सेवा पर कर की दर घोषित टैरिफ के बजाय लेनदेन मूल्य पर आधारित होगी।

2. केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों या आईटीए अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत एक संस्था द्वारा अपने निवासियों (60 वर्ष या अधिक) को 25,000 / - प्रति माह प्रति सदस्य तक प्रतिमाह छूट दी गई है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्टों की सेवाओं पर (एनपीएस) अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रूप में से छूट दी गई है।

4. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद के तहत प्रदान की गई जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाओं, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपये का कवर है, को छूट दी गई है।

5. परीक्षा के संचालन के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक बोर्डों को शामिल करने के लिए शैक्षिक संस्थान की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

6. पुनर्वास परिषद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएँ/चिविन्सा / परामर्श और ऐसी अन्य गतिविधि जो कि **RCI** अधिनियम, 1992 के तहत आती है, को छूट दी गई है।

7. 100 रुपये से अधिक के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी की दर को **28%** से घटाकर **18%** कर दिया गया है और 100 रुपये से कम की सिनेमा टिकट पर जीएसटी की दर को **18%** से घटाकर **12%** कर दिया गया है।

8. गैर-अनुसूचित / चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर जीएसटी दर, द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत भारत सरकार द्वारा धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए **5%** तक कम कर दी गई है।

9. रियल एस्टेट क्षेत्र की मांग को बढ़ावा देने के लिए, **01.04.2019** से किराया आधारित अपार्टमेंट पर बिना **ITC** के **1%** की प्रभावी दर पर **GST** और किराया आधारित खंड के बाहर आवासीय अपार्टमेंट पर **ITC** के बिना **5%** लगाया गया है।

10. विकास के अधिकार पर इंटरमीडिएट कर, जैसे कि विकास के अधिकार का हस्तांतरण, दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम), फ्लोर स्पेस इंडेक्स को अचल संपत्ति क्षेत्र में नकदी प्रवाह के लिए छूट दी गई है।

**सेवाओं पर जीएसटी - 2017-19 के दौरान एमएसएमई के लिए किए गए उपाय**

#### (i) 2017-18

1. विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मुद्रण, आभूषण और हीरे हस्तशिल्प वस्तुओं में अधिकांश सेवाओं पर जीएसटी दर को **18%** से घटाकर **5%** कर दिया गया है।

2. सड़क, पुलों, नहरों, बांधों, नागरिक संरचनाओं जैसे व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण के लिए सरकारी अनुबंधों पर जीएसटी दर **18%** से घटाकर **12%** कर दी गई है। इसका विस्तार इस तरह के काम अनुबंध करने वाले उप-ठेकेदारों पर भी किया गया है। अधिकांश सरकारी ठेकेदार और उप-ठेकेदार एमएसएमई क्षेत्र में हैं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत गरीबों के लिए घरों के निर्माण पर प्रभावी जीएसटी दर **12%** से घटाकर **8%** कर दी गई है।

4. रेस्तरां द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी दर **18%** से घटाकर **5%** कर दी गई है। [7500 रु. प्रति यूनिट प्रति दिन या अधिक के टैरिफ वाले होटलों में रेस्तरां को छोड़कर]

5. प्रति दिन **1000** रुपये से कम टैरिफ वाले होटल आवास को छूट दी गई है और **2500** रु. प्रति दिन तक के टैरिफ वाले होटलों पर **12%** की दर कम की गई है। इन दोनों प्रकार के आवास मुख्य रूप से **MSME** क्षेत्र के होटलों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

6. दो प्रमुख सेवाएं जिनमें बड़ी संख्या में एमएसएमई लगे हुए हैं, अर्थात्,

चिकित्सा प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं पर छूट जारी रहेगी।

7. सेवा प्रदाता जिनका सकल वार्षिक कारोबार **20** लाख रुपये से कम है। (विशेष श्रेणी के राज्यों में **10** लाख रुपये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) को पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई है, बले ही वे सेवाओं की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति कर रहे हों। इस उपाय से छोटे सेवा प्रदाताओं की अनुपालन लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।

8. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवाएँ जो मुख्य रूप से **MSME** सेक्टर में हैं, उन्हें **RCM** के अंतर्गत रखा गया है, जिससे सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर अनुपालन का बोझ डाला गया है। फार्वर्ड चार्ज के तहत जीटीए को यह भी विकल्प दिया गया है कि वह पूरे आईटीसी के साथ **12%** जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।

9. बीमा एजेंट, रिकवरी एजेंट या व्यक्तिगत डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों द्वारा आपूर्ति की सेवाओं को आरसीएम के तहत रखा गया है, जिससे सेवा के प्राप्तकर्ता पर अनुपालन का बोझ डाला गया है।

#### (ii) 2018-19

1. भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड या उनके लाइसेंसधारियों द्वारा माल की आपूर्ति पर जीएसटी की दर, भोजन या मानव उपभोग या किसी भी पेय या किसी अन्य वस्तु पर, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर दर का घटा कर **5%** कर दिया गया है।

2. बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट (बीसी), बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) के एजेंट द्वारा सप्लाई की गई सेवाएँ, भौंडी कॉरपोरेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति आरसीएम के तहत रखी गई है, जिससे सेवा के प्राप्तकर्ता पर अनुपालन का बोझ डाला गया है।

3. माल वाहक वाहन के लिए तीसरे पक्ष के भीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर **18%** से घटाकर **12%** कर दी गई है।

4. केवल ई-बुक से युक्त आपूर्ति पर जीएसटी दर घटाकर **5%** कर दी गई है।

5. एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, **01.04.2019** से, सेवा प्रदाताओं के लिए संघटक योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ किसी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में टर्नओवर **50** लाख रुपये से अधिक हो। नई कंपोजिशन स्कीम का विकल्प लेने वाले सेवा प्रदाता अब **GST @ 6%** की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं और किसी भी इनपुट टैक्स का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

#### 3.3 कस्टम्स

##### कस्टम्स एकल खिड़की परियोजना:

सीबीआईसी के भाग के रूप में व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), प्रक्रियाओं के सरलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

के तहत नियामक एजेंसियों के साथ समन्वय में व्यापार के इंटरफेस में कमी पर सक्रिय कदम उठाने के लिए है। सिंगल विंडो प्रोजेक्ट द्वारा किए गए काम का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. **एकीकृत घोषणा:** व्यापारी एकीकृत आयात और निर्यात घोषणाएँ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे यानी **ICEGATE** के साथ एक ही बिंदु पर सभी प्रतिभागी सरकारी एजेंसियों (**PGA**) द्वारा आवश्यक क्लीयरेंस संबंधी जानकारी होती है। अलग-अलग पीजीए से संबंधित अलग-अलग फॉर्म / घोषणाएं साथ भेज दी जाती हैं।

ii. **एकीकृत जोखिम मूल्यांकन:** सभी भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियां (पीजीए) निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए जोखिम-आधारित चयनात्मकता के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली का उपयोग करेगी। अब तक **WCCB** और **FSSAI** ने अपने जोखिम मानदंड तैयार कर लिए हैं और इसे सीमा शुल्क **RMS** के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

iii. **स्वचालित रूटिंग:** पीजीए के लिए प्रक्षेपों के स्वचालित रेफरल की एक प्रणाली आयात में चालू है। सिस्टम **CTH** के आधार पर **PGAs** के लिए **PGAs** द्वारा प्रदान की गई प्रक्षेपों का अंतिम उपयोग और अन्य जोखिम को लिए मानदंड आयात प्रक्षेपों को रूट कर रहा है, निर्यात में सभी ईडीआई स्थानों के लिए प्रक्षेपों का स्वचालित रेफरल भी डब्ल्यूसीसीबी के पास है। यह प्रणाली नियामक अधिकारियों के विवेकाधीन शक्ति की जगह लेती है और स्वचालित रूप से पीजीए की प्रक्षेप को उनके हस्तक्षेप के लिए संदर्भित करती है जिससे एक पारदर्शी व्यापारिक वातावरण को सुरक्षित और बढ़ावा मिलता है।

iv. **ऑनलाइन रिलीज:** ऑनलाइन रिलीज की एक प्रणाली जिसमें सभी पीजीए एक खिड़की पर ऑनलाइन अपने निर्णय का संचार कर रहे हैं, **6** एजेंसियों अर्थात् खाद्य सुरक्षा (एफएसएसआई), ड्रग कंट्रोलर, प्लांट क्वारंटाइन, पशु संगरोध, कपड़ा समिति और वाइल्ड लाइफ क्राइम नियंत्रण ब्यूरो के साथ चालू है। निर्यात में सभी ईडीआई स्थानों के लिए डब्ल्यूसीसीबी के साथ प्रक्षेपों की ऑनलाइन रिलीज भी शुरू कर दी गई है।

v. **पेपरलेस प्रोसेसिंग (eSANCHIT):** "eSANCHIT" नाम के तहत पेपरलेस प्रोसेसिंग को आयात के साथ-साथ सभी ईडीआई स्थानों पर शुरू किया गया है। यह एक प्रणाली है जो किसी व्यापारी को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सहायक जानकारी [सहायक दस्तावेजों सहित] प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। सीमा शुल्क या पीजीए अधिकारियों को मैन्युअल रूप से सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बजाय, दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और वही आकलन अधिकारी को ऑनलाइन दिखाई देगा, जिससे निर्यात और आयात के लिए दस्तावेजों की हार्डकॉपी जमा करने की आवश्यकता होती है।

vi. **ऑटोमैटिक लाइसेंस ट्रांसमिशन एंड वेरिफिकेशन (PGA eSANCHIT):** यह कार्य दो चरणों के तहत किया जा रहा है। प्रथम

चरण में पीजीए को उनके द्वारा जारी किए गए लाइसेंस / परमिट / प्रमाण पत्र / अन्य प्राधिकरण (एलपीसीओ) को **eSANCHIT** पर अपलोड करना आवश्यक है। कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में **53** पीजीए की पहचान की गई है, जिसमें से **27** एजेंसियों ने ईपीसीएचआईटी पर एलपीसीओ अपलोड करने के लिए पंजीकरण किया है।

vii. **अनुपालन सूचना पोर्टल: SWIFT** के तहत, एक एकल वेब-आधारित स्रोत बनाया जा रहा है, जो किसी भी वस्तु के आयात और निर्यात के लिए सभी क्लीयरेंस-संबंधी प्रक्रियात्मक चरणों, कर्तव्यों, शुल्कों और शुल्कों को प्रस्तुत करेगा। सीआईपी केवल एक बिंदु पर, पीजीए सहित सभी अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापारी को सक्षम करके एक सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देगा।

### 3.3.2 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक प्रभाग, सीबीआईसी

सीबीआईसी के अंतर्राष्ट्रीय कस्टम प्रभाग (आईसीडी) व्यापार सुविधा के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने और सीमा शुल्क कानूनों के बेहतर प्रवर्तन को प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क प्रशासन के बीच सहयोग और समन्वय बनाने के लिए विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन के साथ समन्वय करता है। एक बार जब भारत इस तरह के सम्मेलनों में भाग लेता है, तो प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की जांच, आयात / निर्यात सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** के तहत नियमों और कानूनों का मसौदा तैयार करना और उन्हें अधिसूचित करने, में संभावित लाभ की खोज ICD करता है।

वित्तीय वर्ष **2018-19** के दौरान किए गए कामों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

#### 3.3.2.1 सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता (CMAA) समझौते / समझौता ज्ञापन

**CMAAs** समझौतों / **MoU** क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में सीमा शुल्क प्रशासन के बीच सहयोग के लिए प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से, इस तरह के समझौतों का ध्यान खोजी सहायता और खुफिया विनिमय पर विलक्षण रूप से था, लेकिन समकालीन समय में, गुंजाइश बहुत व्यापक है और इसमें तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, कर्मियों के आदान-प्रदान और व्यापार सुविधा तंत्र जैसे अंतर-आलिया क्षेत्र शामिल हैं।

##### (i) भारतीय-ताजिकिस्तान

भारत सरकार की ओर से सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच भारत सरकार की ओर से मई, **2018** को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अनुसमर्थन किया गया।

##### (ii) भारत-पेरू

भारत सरकार के गणराज्य और पेरू गणराज्य की सरकार के बीच सहयोग

और सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए कैबिनेट नोट इस अवधि के दौरान तैयार किया गया था, जिसके लिए स्वीकृति सितंबर 2018 में मिली थी।

जो कि भारत के मुम्बई, भारत में आयोजित विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के 80 वें सत्र की 3-5 दिसंबर, 2018 की बैठक में इस समझौते पर 05.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए।

### (iii) दा वे ऑफ बंगाल इंजीनियरिंग कार मल्टी-सेक्टरल टेक्नीकल एंड इकनॉमिक कॉरपोरेशन (BIMSTEC)

मई में, बिम्स्टेक सदस्यों की पहली सीमा कार्य समूह की बैठक को एक बहुपक्षीय CMAA के जल्द निष्कर्ष निकालने में मदद करने के लिए CBIC के प्रस्ताव के आधार पर MEA द्वारा होस्ट किया गया था। बैठक के दौरान, सीबीआईसी की अध्यक्षता में सभी लंबित मुद्दों का समाधान किया गया। हस्ताक्षर के लिए आंतरिक अनुमोदन के लिए आगे बढ़ने के लिए, थाईलैंड सीमा शुल्क से पाठ पर अंतिम सहमति का इंतजार किया जा रहा है।

(iii) ICD ने न्यूजीलैंड, कनाडा और नीदरलैंड्स के साथ CMAAs के मसौदों पर भी काम किया है, जिससे काफी हद तक सहमति बनाई जा रही है।

### 3.3.2.2 ब्रिक्स कॉरपोरेशन

ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ घनिष्ठ समन्वय द्वारा ब्रिक्स सीएमएए के मसौदा को अंतिम रूप देने में इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवधि के दौरान आयोजित ब्रिक्स सीमा शुल्क बैठकों के दौरान सीबीआईसी ने अन्य सीमा शुल्क प्रशासन से सक्रिय भागीदारी और टिप्पणियों के लिए जोर दिया, जिससे मसौदों के 75% पर समझौता हुआ।

भातचीत के माध्यम से CBIC ने अन्य सभी ब्रिक्स सीमा शुल्क प्रशासनों की सर्वसम्मति से इस वर्ष ब्रसेल्स में जुलाई में आयोजित WCO परिषद की बैठक में एक ब्रिक्स सीमा शुल्क प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बेंगलूरु में नवनिर्मित क्षेत्रीय राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स (NACIN) के सभी सीमा शुल्क प्रशासनों के प्रमुखों द्वारा रणनीतिक रूपरेखा दस्तावेज़ में हस्ताक्षरित किया गया था।

### 3.3.2.3 विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत भातचीत

सीबीआईसी वाणिज्य विभाग को मूल नियमों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं पर और चल रही व्यापार वार्ता के लिए व्यापार सुविधा प्रदान करता है, साथ ही इसके अधिकारी कुछ वार्ताओं में भाग लेते हैं। इसमें मसौदा पाठ की पूरी तरह से जांच, पदों पर पहुंचने और पोर्ट पर ऐसे समझौतों के कार्यान्वयन पर सीमा शुल्क या निहितार्थ से संबंधित प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत

प्रतिक्रिया तैयार करना शामिल है।

सीबीआईसी के प्रतिनिधि सोलह देशों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के तहत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार सुविधा (CPTF) के लिए एक प्रमुख वार्ताकार रहे हैं। सीबीआईसी द्वारा प्रदान की गई रणनीति और काउंटर प्रस्तावों ने अनुकूल परिणामों के साथ इसका अध्याय का जल्द समापन किया गया। इस वर्ष आरसीईपी के तहत संपन्न होने वाला यह एकमात्र अध्याय है, जिसमें 2014 में वार्ता शुरू हुई थी।

### 3.3.2.4 शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी। भारत जून, 2017 में एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया। एससीओ के अन्य सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान हैं।

CBIC ने सक्रिय रूप से 'ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के सीमा पार आवागमन पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के सीमा शुल्क सेवाओं के बीच ज्ञापन' और 24 घंटे के संचार बिंदुओं के लिए विनियमों सेनकॉम रिलो-मॉस्को ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम का यह सुनिश्चित करते हुए कि यह भारत की स्थिति के साथ संरेखित हो का काम किया। सभी आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित करने के बाद, इन दो सीमा शुल्क दस्तावेजों पर इस साल जून में चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

### 3.3.2.5 मुक्त व्यापार समझौते के तहत इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा एक्सचेंज सिस्टम (ईओडीईएस)

माल की देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के त्वरित और कुशल संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अधिमान्य टैरिफ उपचार के तहत सीबीआईसी ने बेहतर व्यापार सुविधा के लिए मूल संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर पर काम करने और जोखिम प्रबंधन में सुधार करने का बीड़ा उठाया है।

CBIC ने कोरिया सीमा शुल्क सेवा के साथ एक बातचीत शुरू की है, जो संबंधित सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच सीधे मूल डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर काम करने के लिए है, जो सीमा शुल्क निकासी के समय एक आयातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कागज प्रारूप की आवश्यकता के साथ है। यह न केवल तत्काल प्रसारण की अनुमति देगा, भल्कि प्राप्त सूचनाओं को तुरंत प्रमाणित करेगा और राजनयिक चैनलों के माध्यम से सत्यापन के लिए अनुरोध भेजने में समय की बचत करेगा। उसी में से सफल रोल पर, इसका उद्देश्य अन्य मुक्त व्यापार भागीदारों के



साथ ऐसी व्यवस्था पर भातचीत करना है।

### 3.4 भूमि कस्टम

#### 3.4.1 भारत और बांग्लादेश के बीच चटगाँव और मोंगला पोर्ट के उपयोग के लिए माल की आवाजाही के लिए भारत से समझौता

चटगाँव और मोंगला बंदरगाह के उपयोग पर समझौते पर बांग्लादेश के साथ शिपिंग मंत्रालय के साथ भातचीत की गई थी और अक्टूबर 2018 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सीबीआईसी ने मसौदा समझौते को तैयार किया था और वार्ता और इसके शुरुआती हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे उत्तर-पूर्वी राज्यों में भूस्खलन तक पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है।

#### 3.4.2 दोनों देशों के बीच यात्री यातायात के विनियमन के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच समझौता।

हालांकि 2014 में दोनों देशों के बीच यात्री यातायात के विनियमन के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, व्यक्तिगत वाहनों के विनियमन के लिए भारत द्वारा कोई प्रोटोकॉल नहीं लूटा गया था। MEA और MoRTH के परामर्श से CBIC ने दोनों देशों के बीच यात्री यातायात के विनियमन के लिए समझौते के तहत व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही के लिए एक प्रारूप प्रोटोकॉल का प्रस्ताव किया है। इससे भारत और नेपाल के बीच निजी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकेगा।

#### 3.4.3 वेयरहाउस में निर्माण और अन्य कार्यों के बारे में स्पष्टता लाकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत निवेश को आकर्षित करने और निर्यात, निर्माण और अन्य कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं को सरल करके भारतीय सीमा शुल्क द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है।

#### 3.4.4 प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नेपाल और बांग्लादेश को निर्यात प्रक्षेपों की सीमा पार निकासी।

13 सितंबर, 2018 को खराब बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, सर्कुलर नंबर 32/2018-सीमा शुल्क ने सभी ICD से नेपाल और बांग्लादेश को निर्यात प्रक्षेप के लिए ऑफ-बॉर्डर क्लियरेंस की सुविधा का विस्तार किया है। इस सुविधा के माध्यम से, निर्यातक एक अंतर्देशीय सुविधा (ICD) में निर्यात माल को साफ कर सकते हैं और कार्गो को लोड और सील करने के बाद, ट्रकों या कंटेनरों को रेल या / और सड़क द्वारा सीमा पार करने की अनुमति दी जाती है। सीमा पर औपचारिकता मुख्य रूप से सील की अखंडता की जांच करने और निर्यात की अनुमति देने तक ही सीमित है। यह व्यापार के लिए

सुविधाजनक स्थानों पर क्लियरेंस को सक्षम बनाता है, लेकिन यह हेंनलैंड के स्थानों से सीमा पार करने के लिए कार्गो के तेजी से आवागमन की अनुमति देता है, सीमा के बिंदुओं को कम करता है और सीमाओं पर विस्तृत सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता को कम करता है।

#### 3.4.5 विदेशी डाकघर

निर्यात की सुविधा के लिए और विशेष रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के निर्यातकों के वैश्विक आउटरीच को बरने के लिए (अधिक एमएसएमई क्षेत्र के लिए), सभी आईईसी धारकों को एफपीओ के माध्यम से माल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। कोई भी आईईसी धारक जो एफपीओ के माध्यम से सामान निर्यात करता है, आईजीएसटी रिफंड या एल्यूटी के निर्वहन के माध्यम से वह निर्यात की शून्य रेटिंग के लिए पात्र होगा, जो लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं या छूट / गैर-कर योग्य की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत निर्यात करने की अनुमति है। पोस्ट के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात को पूरा करने के लिए, बोर्ड ने "एक्सपोर्ट्स द्वारा पोस्ट विनियम, 2018" के तहत घोषणा फॉर्म निर्धारित किए हैं। निर्यात के दो डाक बिल अधिसूचित किए गए हैं, एक विशेष रूप से ई-कॉमर्स निर्यात के लिए है।

दिनांक 4 जून 2018 को एक परिपत्र और पोस्ट के माध्यम से व्यक्तिगत आयात के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए जारी किया गया है। विनियमों और परिपत्र के मुद्दों ने पदों के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए बहुत आवश्यक नियामक स्पष्टता ला दी है।

#### 3.4.6 टीआईआर कन्वेंशन

टीआईआर कन्वेंशन यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के तत्वावधान में एक अंतरराष्ट्रीय पारगमन प्रणाली है। टीआईआर कन्वेंशन में भारत का प्रवेश 15 दिसंबर 2017 को पूरा हो चुका है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सीबीआईसी ने नेशनल गारंटी एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया है। FIICI ने प्रवेश प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और भारत को एक ऐसे देश के रूप में घोषित किया गया है जिसमें TIR ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। टीआईआर कारनेट एक आम सीमा शुल्क दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा और साथ ही अपने देशों के माध्यम से माल के बहु-मॉडल परिवहन के लिए एक सुविधाजनक और गैर-घुसपैठ वातावरण बनाने वाले अनुबंध दलों के क्षेत्रों के साथ पारगमन में माल में शामिल कर्तव्यों के लिए गारंटी देता है।

टीआईआर कन्वेंशन विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय "नॉर्थ-साउथ" ट्रांसपोर्ट (INSTC) कॉरिडोर के साथ माल की आवाजाही के लिए भारत की वैश्विक व्यापार संभावनाओं को बढ़ाने का एक साधन हो सकता है, मध्य एशियाई गणराज्य और स्वतंत्र राज्यों के अन्य राष्ट्रमंडल (CIS) के साथ व्यापार को बढ़ा सकता है।

दिनांक 03 दिसंबर, 2018 को परिपत्र टीआईआर कार्नेट की आड़ में कार्गो की आवाजाही के लिए जारी किया गया है।

### 3.4.7 भारतीय गेटवे के माध्यम से बांग्लादेश से तीसरे देश में निर्यात कार्गो का लेन-देन:

भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से बांग्लादेश से तीसरे देश में निर्यात कार्गो का लेन-देन दिनांक 02 नवंबर, 2018 से परिचालित किया गया। यह भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र का लाभ उठाने के साथ-साथ बेहतर कार्गो निकासी को सक्षम करेगा और रसद दक्षता में सुधार करेगा।

### 3.5 अन्य

**3.5.1 एक्सचेंज की दर और टैरिफ वैल्यू नोटिफिकेशन:** एक्सचेंज की रेट और टैरिफ वैल्यू नोटिफिकेशन को पाक्षिक जारी करने की प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस तरह की 56 अधिसूचनाएं जारी की गई थी।

**3.5.2 अतिरिक्त मुद्राओं के लिए विनियम दर की अधिसूचना:** तुर्की लीरा और कोरियाई वोन को विनियम सूचनाओं की दर में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे इन मुद्राओं में किए गए निर्यात और आयात को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

**3.5.3 टैरिफ वैल्यू फॉर्मूले की समीक्षा:** टैरिफ ऑयल और खसखस के मामले में टैरिफ वैल्यू के निर्धारण की प्रक्रिया को विषय वस्तुओं के आयात रुझानों के अनुसार संशोधित किया गया था।

**3.5.4 यूक्यूसी का मानकीकरण:** यूक्यूसी के मानकीकरण पर काम शुरू किया गया था और यूक्यूसी में विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें मानकीकृत करने और तर्कसंगत बनाने के लिए शीर्ष 1500 कमोडिटीज के संबंध में व्यापक अध्ययन किया गया था। इस अभ्यास से डेटा गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे मूल्यांकन प्रभावी होगा और व्यापार आँकड़ों की सटीकता बढ़ेगी।

**3.5.5 मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित सत्यापन:** क्षेत्रीय कार्यालयों मूल के प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन अनुरोध किए गए थे। निर्यात के लिए **DETP, AIFTA, ISLFTA, SAFTA** और अन्य **FTA** के तहत सत्यापन के कई मामलों को सक्रिय रूप से अपनाया गया और प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया और क्षेत्र कार्यालयों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए। यह एफटीए के तहत अधिमार्ग लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुका है।

**3.5.6 मूल्यांकन अध्ययन:** मूल्यांकन के तहत कम मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था और मूल्यांकन के महानिदेशालय के माध्यम से कई मूल्यांकन अलर्ट जारी किए गए थे। स्ट्रेटीज के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की गई।

**3.5.7 अधिसूचना आवश्यकताएँ:** डब्ल्यूटीओ के तहत "GATT 1994 के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन पर समझौता" के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में, जिसे सीमा शुल्क मूल्यांकन (ACV) के समझौते के रूप में भी जाना जाता है, भारत द्वारा निम्नलिखित चार प्रकार की अधिसूचना आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। अनुबंध के तहत:

- क) आयातित माल के सीमा शुल्क मूल्य में ब्याज शुल्क का उपचार;
- ख) डाटा प्रोसेसिंग उपकरण के लिए वाहक मीडिया सॉफ्टवेयर की मान्यता;
- ग) समझौते के अनुच्छेद 22 के अनुसार राष्ट्रीय विधान;
- घ) मुद्दों की जाँच।

भारत ने ब्याज शुल्क या भारत से वाहक मीडिया के मूल्यांकन के उपचार पर डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित नहीं किया है। भारत ने अंतिम रूप से विश्व व्यापार संगठन के अधिसूचना नंबर जी / वैल / एन / 1 / IND / 3 दिनांक 15.07.2002 को चेकलिस्ट के साथ अधिसूचित किया।

### 3.5.8 जोखिम मुक्त कार्गो की निकासी के लिए प्रो-एक्टिव फैसिलिटेशन सेंटर

ट्रेड फैसिलिटेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के एक उपाय के रूप में, ईडीआई सिस्टम द्वारा सुगम निः शुल्क प्रक्षेपों को जोखिम में डालने के लिए निकासी में तेजी लाने के लिए एक समर्पित सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। सुविधा केंद्र में तैनात अधिकारी आयात घोषणा और सहायक दस्तावेजों की जांच करते हैं और सीमा शुल्क के भुगतान की शुद्धता और अनुपालन आवश्यकताओं के सत्यापन से संतुष्ट होने पर तत्काल मंजूरी देते हैं। सुविधा केंद्र आयातक / दलाल को एक छत के नीचे माल की निकासी / निकासी के लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है जिसके बाद वह सीधे माल की डिलीवरी लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। सुविधा केंद्र का संचालन 24x7 है। विभिन्न सुधारों के संयोजन उपाय किए गए हैं जैसे कि:

- (i) सुविधा केंद्र के रूप में वन-स्टॉप शॉप
- (ii) आयात घोषणाओं का पूर्व-आगमन प्रसंस्करण (जिसमें आयात घोषणाओं की अग्रिम फाइलिंग का प्रतिशत बढ़ा है)
- (iii) कम जोखिम के रूप में सिस्टम द्वारा चुने गए कंसाइनमेंट को चुनने के लिए दी गई सू-मोटो क्लीयरेंस,
- (iv) ई-संचित (सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना और कागज रहित निकासी सुनिश्चित करना),
- (v) माल की जांच या कंटेनर सील के निरीक्षण के लिए वेब आधारित माल पंजीकरण और

(vi) ऑन-लाइन क्लीयरेंस मॉड्यूल (जिससे **AEOS** सुविधा केंद्र में आए बिना भी माल की निकासी प्राप्त कर सकते हैं) और

(vii) आरएफआईडी ने कंटेनरों की आवाजाही पर नज़र रखने में सक्षम किया है, जिससे आयातित सामानों की निकासी से जुड़ी लागत और समय में काफी कमी आई है।

सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए व्यापार की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है और केंद्र में संसाधित होने वाले प्रवेश के बिलों की संख्या समय और लागत में वास्तविक बचत के कारण लगातार बढ़ रही है। यह उल्लेख करना उचित है कि केंद्र में हर दिन औसतन **2000** बिलों की एंट्री की जाती है। (पी.एन. सं. 123/2018 दिनांक 20.08.2018, पी.एन. सं. 133/2018 दिनांक 26.09.2018)

### 3.5.9 ICEDASH का परिचय

**ICEDASH** (भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई डैशबोर्ड) एक बेहद आसान, उपयोगकर्ता के अनुकूल, सूचनात्मक डैशबोर्ड है जो आयातों की मंजूरी के लिए उठाए गए समय के संबंध में सीमा शुल्क स्टेशन-वार प्रदर्शन को इंगित स्वचालित रूप से करता है। यह लक्ष्य समय के समक्ष क्षेत्रीय कार्यलयों को वास्तविक समय के आधार पर मॉनिटर करने में सक्षम करने के लिए मैप किया जाता है कि उनका प्रदर्शन बराबर है या नहीं, जब भी जरूरत हो, उपचारात्मक कदम उठाएं। यह समान रूप से रखे गए सीमा शुल्क स्टेशनों की तुलना में भी सक्षम बनाता है। **ICEDASH** प्रत्येक कस्टम स्टेशन के लिए पिछले एक महीने में हुई प्रगति को भी दर्शाता है। इस प्रकार, यह आयात मंजूरी की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके अलावा, यह मंजूरी के लिए हरे रंग की कोडिंग का उपयोग करता है जहां समय **36** घंटे से कम है, **72** घंटे से अधिक समय की मंजूरी के लिए लाल और दो चरम सीमाओं के बीच समय के लिए एम्बर का उपयोग किया गया है। इस उपकरण ने वास्तव में अधिकारियों के व्यवहार को बदल दिया है क्योंकि वे अब जानते हैं कि उनके प्रदर्शन की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह सुधार सीमा शुल्क अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है और इसे जनवरी **2019** में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर पेश किया गया था।

### 3.5.10 जेएनपीटी में कंटेनरों के माध्यम से ड्राइव का संचालन

**1** नवंबर **2018** से जेएनपीटी में एक नया ड्राइव थ्रू स्कैनर चालू किया गया है। जिससे अधिकारी अपनी स्क्रीन पर यह देख पा रहे हैं कि कंटेनर को स्कैनिंग के लिए चुना गया है या नहीं। इसके अलावा, वे अपनी स्क्रीन पर यह देखने में भी सक्षम हैं कि कंटेनर स्कैन किया गया है या नहीं और स्कैन करने का परिणाम क्या है कि क्या छवि को "साफ" या "संदिग्ध" चिह्नित किया गया है। उच्च गति वाले कंटेनर स्कैनर ने आयात के लिए

निवासियों के समय को कम करने में मदद की है। **80** स्कैन्स प्रति घंटे की स्कैन गति ने सुनिश्चित किया है कि कंटेनरों की आवाजाही तेजी से हुई है और समय और लागत के साथ क्लीयरेंस से जुड़ी बचत में काफी बचत हुई है। जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस द्वारा स्कैनर के संचालन के अनुरूप आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।

### 3.5.11 प्राथमिकता मूल्यांकन और प्राथमिकता परीक्षा मॉड्यूल का परिचय

इसे **02.08.2018** को डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (**DPD**) का ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स (**AEO**) के लिए पेश किया गया था। मूल्यांकन और परीक्षा में **AEO** आयातक प्राथमिकता के लिए हकदार हैं। **JNCH** वेबसाइट पर मॉड्यूल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर इसे शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। **AEO** आयातक को अनुरोध के **2** घंटे के भीतर मूल्यांकन और परीक्षा में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए अपने आईईसी, बीई नंबर (आयात घोषणा संख्या) और संबंधित मूल्यांकन समूह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना होगा। जैसे ही एक अनुरोध प्राप्त होता है, मॉड्यूल द्वारा संबंधित अधिकारी को एक एसएमएस भेजा जाता है। इसी तरह, अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित डॉक्स अधिकारी को एक संदेश भेजा जाता है ताकि परीक्षा में प्राथमिकता दी जा सके। यह सुविधा **EDI** सिस्टम में मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में **AEO** आयातकों के लिए पहले से उपलब्ध आकलन में प्राथमिकता के अतिरिक्त है और इसकी निगरानी **RMS** केंद्र अधिकारियों द्वारा की जाती है।

### 3.5.12 गेटवे नियंत्रण पर थ्रस्ट शिफ्ट क्लीयरेंस ऑडिट पोस्ट करने के लिए

बंदरगाहों पर निकासी के लिए लिया गया समय प्रक्षेपों से जुड़े जोखिमों से संबंधित है, जो आगे की परीक्षा या सत्यापन के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। जोखिम के कुल स्पेक्ट्रम में, अंतर लाया गया है जिसमें कुछ हद तक कंटेनर तस्करी से जुड़े क्लीयरेंस पर किया जा रहा है और कुछ श्रेणियों के वाणिज्यिक जोखिमों को पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट चरण में किया जा रहा है। वाणिज्यिक जोखिमों की उक्त श्रेणी को संबोधित करने के लिए, अलग ऑडिट फॉर्मेशन बनाने का निर्णय लिया गया। ऑडिट को वैधानिक बल देने के लिए एक नई धारा **99** की शुरुआत करके सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। पहले से ही चार ऑडिट कमिशनरों ने **1** अप्रैल, **2018** से संचालन शुरू कर दिया है। ये ऑडिट फॉर्मेशन ट्रांजेक्शनल ऑडिट, विषयगत ऑडिट और ऑन-साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट करने में लगे हुए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि ये ऑडिट फॉर्मेशन अंततः बंदरगाहों पर बोझ को कम करने में मदद करेंगे, जो अंततः प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करने के लिए उन बंदरगाहों पर जनशक्ति को मुक्त करेगा। कुल मिलाकर यह सीमा शुल्क बंदरगाहों पर निकासी के समय को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा।

## 3.6 प्रति आदायगी

I. 01.01.2018 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान ड्राबैंक डिबीजन द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की महत्वपूर्ण वस्तुएँ इस प्रकार हैं:

- क. शुल्क अदायगी की सभी उद्योग दरों (01.10.2017 से लागू किया गया है) की समीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों को अधिसूचना संख्या 08/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 22.01.2018 को प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया गया था। उक्त संशोधनों की व्याख्या करते हुए दिनांक 24.01.2018 को परिपत्र संख्या 04/2018-सीमा शुल्क भी जारी किया गया था।
- ख. व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए, धामरा और दिघी पोर्ट्स को निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क दिनांक 12.01.2018 के उपयोग के लिए अधिसूचित किया गया था।
- ग. अधिसूचना संख्या 46/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 25.05.2018 को जारी किया गया था, चाँदी के आभूषण और अन्य वस्तुओं के लिए शुल्क प्रति अदायगी के सभी उद्योग दरों में संशोधन किया गया था। अधिसूचना संख्या 82/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 24.09.2018 को सोने-चाँदी के आभूषण और अन्य वस्तुओं के लिए शुल्क प्रति अदायगी के सभी उद्योग दरों को संशोधित करने के लिए भी जारी किया गया था।
- घ. अधिसूचना संख्या 52/2018-सीमा शुल्क दिनांक 14.07.2018 को जारी किया गया था जिससे निर्यात के लिए हस्तशिल्प के निर्माण में उपयोग के लिए आयात शुल्क मुक्त होने की अनुमति दी गई ताकि कुछ वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जा सके।
- ङ. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमईआईएस के तहत माल के निर्यात को सभी अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों से अनुमति दी गई है और ऐसे निर्यातों के लिए मूल्य सीमा को बढ़ाया गया और विदेश व्यापार नीति के तहत इसे संशोधित किया गया। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 63/2018-सीमाशुल्क दिनांक 18.09.2018 जारी की गई है।
- च. अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमाशुल्क दिनांक 28.03.2018 के लिए एडवांस ऑथराइजेशन/ईपीसीजी स्कीमों के तहत माल के आयात पर कर और माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकरण की छूट के लिए विभिन्न सीमा शुल्क छूट अधिसूचना में संशोधन करने के लिए 01.10.2018 को अधिसूचना जारी की गई

थी। अधिसूचना संख्या 66/2018-सीमा शुल्क दिनांक 26.09.2018 से 31.03.2019 तक छूट को और बढ़ाने के लिए जारी किया गया था।

- छ. प्रति अदायगी की सभी उद्योग दरों की वार्षिक समीक्षा के उद्देश्य से, व्यापार और अन्य हितधारकों से प्रतिनिधित्व आमंत्रित किए गए थे। इनकी जांच की गई और अधिसूचना संख्या 95/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 6.12.2018 को प्रति अदायगी की सभी उद्योग दरों को संशोधित करने के लिए जारी किया गया। परिवर्तन की व्याख्या करते हुए परिपत्र संख्या 52/2018 दिनांक 12.12.2018 को भी जारी किया गया था।

## II. दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान ड्राबैंक डिबीजन द्वारा पूर्ण किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:

- क. अन्य लोगों के बीच व्यापार/उद्योग से मांगों के जवाब में, अधिसूचना संख्या 01/2019-सीमाशुल्क दिनांक 10.01.2019 पूर्व-आयात की स्थिति को हटाने के लिए जारी किया गया था और इसमें वार्षिक आवश्यकता के लिए प्राधिकरण और अग्रिम प्राधिकरण। आयातित सामग्री के लिए एकीकृत कर और मुआवजा उपकरण से छूट के लिए निर्दिष्ट डीमड निर्यात आपूर्ति भी शामिल थी।
- ख. 19.12.2018 से प्रभावी किए गए प्रति अदायगी की सभी उद्योग दरों की समीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और हल किए गए संशोधनों को 20.02.2019 से प्रभावी किया गया (सोने-चाँदी के आभूषणों और अन्य सामग्रियों के लिए प्रति अदायगी के सभी उद्योग दरों में संशोधन सहित) अधिसूचना संख्या 12/2019-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 16.02.2019। परिपत्र संख्या 05/2019-सीमा शुल्क दिनांक 20.02.2019 9वासा ने भी उक्त संशोधनों को समझाते हुए जारी किया।
- ग. अधिसूचना संख्या 08/2019-सीमा शुल्क दिनांक 25.03.2019 को एए/ईपीसीजी प्राधिकरणों के खिलाफ आयातित माल पर एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकरण से 31.03.2020 तक छूट का विस्तार करने के लिए जारी किया गया था।
- घ. टेक्सटाइल की रिबेट ऑफ़ स्टेट लेविज़ (RoSL) स्कीम के सुचारु रूप से चलाने के लिए स्टेट ऑफ़ रिबेट और टेक्सटाइल्स और मेड-अप्स (RoSCTL), सर्वुलर नंबर 10/2019-सीमाशुल्क दिनांक 12.03.2019 के निर्यात पर रिबेट की नई स्कीम व्यापार और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किया गया था।

### 3.7 बजटीय परिवर्तन और नीति पहल: 2018-19 के दौरान सीबीआईसी की प्रमुख उपलब्धि

#### क. इनपुट और कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती

| क्रम सं.                                  | वस्तु                                                                                                                         | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>I खाद्य प्रसंस्करण</b>                 |                                                                                                                               |               |                   |
| 1                                         | छिलका सहित काजू [कच्चा काजू]                                                                                                  | 5%            | 2.5%              |
| <b>II पूंजीगत सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स</b> |                                                                                                                               |               |                   |
| 1                                         | 8456 से 8463 के शीर्ष पर आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण के लिए बॉल स्कू, लीनियर मोशन गाइड, सीएनसी सिस्टम | 7.5%          | 2.5%              |
| 2                                         | सौर कोशिकाओं/पैनलों/मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर टेम्पर्ड ग्लास या सौर टेम्पर्ड [एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटेड ग्लास                | 5%            | शून्य             |
| <b>III चिकित्सा उपकरण</b>                 |                                                                                                                               |               |                   |
| 1                                         | कोक्लेयर इम्प्लांट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल, पुर्जे या सामान                                                             | 2.5%          | शून्य             |

[उद्देश्य: इनपुट लागत को कम करने के लिए या ड्यूटी इनवर्जन को हटाने के लिए, ताकि इन क्षेत्रों में घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके।]

#### ख. कुछ माल पर सीमा शुल्क में वृद्धि:

| क्रम सं.                         | वस्तु                                                                                                                             | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>I खाद्य प्रसंस्करण</b>        |                                                                                                                                   |               |                   |
| 1                                | संतरे के फलों का रस                                                                                                               | 30%           | 35%               |
| 2                                | लाल रंग की खट्टी बेरी का रस                                                                                                       | 10%           | 50%               |
| 3                                | अन्य फलों के रस और सब्जी के रस                                                                                                    | 30%           | 50%               |
| 4                                | विविध खाद्य तैयारी (सोया प्रोटीन के अलावा)                                                                                        | 30%           | 50%               |
| <b>II इत्र और शौचालय सामग्री</b> |                                                                                                                                   |               |                   |
| 1                                | इत्र और शौचालय का पानी                                                                                                            | 10%           | 20%               |
| 2                                | सौंदर्य या मेकअप की तैयारी और त्वचा की देखभाल की तैयारी (दवाओं के अलावा), सनस्क्रीन या सनटैन सहित; मैनीक्योर या पेडीक्योर सामग्री | 10%           | 20%               |
| 3                                | बालों पर उपयोग के लिए सामग्री                                                                                                     | 10%           | 20%               |

| क्रम सं.                                  | वस्तु                                                                                                                                                                                                                                                     | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 4                                         | मौखिक या दंत स्वच्छता के लिए सामग्री, जिसमें डेन्चर सुधारक पेस्ट और पाउडर शामिल हैं; यार्न व्यक्तिगत खुदरा पैकेजों में दांतों (डेंटल फ्लॉस) के बीच साफ करता था                                                                                            | 10%           | 20%               |
| 5                                         | ग्री-शेव, शेविंग या आफ्टर-शेव की सामग्री, व्यक्तिगत डियोडेंट, स्नान की सामग्री, डिप्लॉयरी और अन्य परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक या टॉयलेट की सामग्री, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं, तैयार किए गए कमरे के डियोडराइज़र, चाहे वे सुगंधित हों या कीटाणुनाशक गुण हों | 10%           | 20%               |
| <b>III ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
| 1                                         | मोटर वाहनों, मोटर कारों, मोटर साइकिलों के निर्दिष्ट भाग/सहायक उपकरण                                                                                                                                                                                       | 7.5%/10%      | 15%               |
| 2                                         | सीकेडी मोटर वाहनों, मोटर कारों, मोटर साइकिलों का आयात करता है                                                                                                                                                                                             | 10%           | 15%               |
| 3                                         | मोटर वाहनों का ब्रूच आयात [8702 या 8704]                                                                                                                                                                                                                  | 20%           | 25%               |
| 4                                         | ट्रक और बस रेडियल टायर                                                                                                                                                                                                                                    | 10%           | 15%               |
| <b>IV कपड़े</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
| 1                                         | रेशमी कपड़े                                                                                                                                                                                                                                               | 10%           | 20%               |
| <b>V जूते</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
| 1                                         | जूते                                                                                                                                                                                                                                                      | 10%           | 20%               |
| 2                                         | जूते के भाग                                                                                                                                                                                                                                               | 10%           | 15%               |
| <b>VI कीमती पत्थर, आभूषण</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
| 1                                         | तराशें और पॉलिश किए रंगीन रत्न शामिल हैं;                                                                                                                                                                                                                 | 2.5%          | 5%                |
| 2                                         | हीरे सहित प्रयोगशाला में विकसित हीरे-अर्ध संसाधित, आधे-कट या टूटे हुए; गैर-औद्योगिक हीरे जिसमें प्रयोगशाला में विकसित हीरे (खुरदरे हीरे के अलावा) हैं, जिनमें तराशे गए और पॉलिश किए गए हीरे शामिल हैं                                                     | 2.5%          | 5%                |
| 3                                         | नकली गहने                                                                                                                                                                                                                                                 | 15%           | 20%               |
| <b>VII इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
| 1                                         | सेलुलर मोबाइल फोन                                                                                                                                                                                                                                         | 15%           | 20%               |
| 2                                         | सेलुलर मोबाइल फोन की लिथियम आयन बैटरी सहित विशिष्ट भाग                                                                                                                                                                                                    | 7.5%/10%      | 15%               |

| क्रम सं. | वस्तु                                                                                                     | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 3        | चार्जर/एडॉप्टर का पीसीबीए और सेल्युलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडॉप्टर का ढाला हुआ प्लास्टिक                  | शून्य         | 10%               |
| 4        | इनपुट या इसके भाग <b>PCBA</b> , याढाला हुआ प्लास्टिकसेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडॉप्टर के निर्माण के लिए | लागू दर       | शून्य             |
| 5        | स्मार्ट घड़ियों/पहनने योग्य उपकरण                                                                         | 10%           | 20%               |
| 6        | एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी पैनल और एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी टीवी के अन्य हिस्से                                       | 7.5%/10%      | 15%               |
| 7        | एलसीडी/एलईडी टीवी पैनल के निर्माण के लिए 12 निर्दिष्ट भाग                                                 | शून्य         | 10%               |
| 8        | दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के निर्माण में उपयोग के लिए सिलिका का निष्पादन       | शून्य         | 5%                |

**VIII फर्नीचर**

|   |                                                                                                            |     |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | सीटों और सीटों के हिस्से इविमान की सीटों और उनके भागों के अलावाट                                           | 10% | 20% |
| 2 | अन्य फर्नीचर और इसके भाग                                                                                   | 10% | 20% |
| 3 | गद्दे सहित; बिस्तर और इससे संबंधित सामान                                                                   | 10% | 20% |
| 4 | लैंप और प्रकाश फिटिंग, प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नाम प्लेटें और जैसे इस्त्रौर लालटेन या सौर लैंप को छोड़करट | 10% | 20% |

**IX घड़ियाँ और दिवार घड़ियाँ**

|   |                                                                |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | कलाई घड़ियों, पॉकेट घड़ियों और स्टॉप घड़ियों सहित अन्य घड़ियों | 10% | 20% |
| 2 | घड़ी वाच मूलमेंट सहित                                          | 10% | 20% |
| 3 | अलार्म घड़ियों सहित अन्य घड़ियों                               | 10% | 20% |

**X खिलौने और खेल**

|   |                                                                                                                             |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | तिपहिया, स्कूटर, पैडल कार और इसी तरह के पहिए वाले खिलौने; गुड़िया की गाड़ियाँ; गुड़िया; अन्य खिलौने; सभी प्रकार की पहेलियाँ | 10% | 20% |
| 2 | वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर, टेबल या पार्लर गेम्स और स्वचालित बॉलिंग एली उपकरणों के लिए लेख                          | 10% | 20% |
| 3 | उत्सव, कार्निवल या अन्य मनोरंजन लेख                                                                                         | 10% | 20% |
| 4 | खेल या बाहरी खेलों के लिए लेख और उपकरण, स्विमिंग पूल और पैडलिंग पूल                                                         |     |     |

| क्रम सं. | वस्तु                                                                                                                                                                          | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|          | [सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक या एथलेटिक्स के लिए लेख और उपकरण के अलावा]                                                                                                | 10%           | 20%               |
| 5        | मछली पकड़ने की छड़, मछली पकड़ने-हुक और अन्य लाइन मछली पकड़ने से निपटने; मछली लैंडिंग जाल, मक्खन मक्खी जाल और इसी तरह के जाल; फंदा पक्षी और इसी तरह के शिकार या शूटिंग अपेक्षित | 10%           | 20%               |
| 6        | गोल चक्कर, झूलों, शूटिंग दीर्घाओं और अन्य फेयरग्राउंड मनोरंजन; यात्रा सर्कस, यात्रा पशुशाला यात्रा और थिएटर यात्रा                                                             | 10%           | 20%               |

**XI विविध मद**

|   |                                                                                                                        |     |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | मोमबत्तियाँ, टेपर और ऐसी सामग्रियाँ                                                                                    | 10% | 25% |
| 2 | पतंग                                                                                                                   | 10% | 20% |
| 3 | धूप का चश्मा                                                                                                           | 10% | 20% |
| 4 | दिनांक, सीलिंग या नंबरिंग स्टैम्प, और सामग्रियाँ                                                                       | 10% | 20% |
| 5 | सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, या नहीं यांत्रिक या बिजली, और इसके अलावा अन्य चमक पत्थर और विक्स                           | 10% | 20% |
| 6 | सेंट स्त्रे और इसी तरह के शौचालय स्त्रे, और mounts और हेड वहाँ; कॉस्मेटिक या शौचालय की सामग्री के लिए पाउडर-पफ और पैड। | 10% | 20% |

[उद्देश्य: सरकार ने 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप बेहतर क्षमता उपयोग और आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है।]

**ग. सीमा शुल्क की दरों का युक्तिकरण:**

| क्रम सं. | वस्तु | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|----------|-------|---------------|-------------------|
|----------|-------|---------------|-------------------|

**I वनस्पति मूल के खाद्य तेल**

|   |                                                                                                                                                               |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | कूड एडिबल वेजिटेबल ऑयल जैसे ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सैफोलोवर सीड ऑयल, सैफोला ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम कर्नेल/बाबासू ऑयल, अलसी का ऑयल, मक्का कॉर्न |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| क्रम सं. | वस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पहले कितना था | अब कितना किया गया |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|          | ऑयल, कैस्टर ऑयल, तिल का तेल, अन्य फिक्स्ड वेजिटेबल फैट्स और तेल                                                                                                                                                                                                                                     | 12.5%         | 30%               |
| 2        | रिफाईंड खाद्य वनस्पति तेल, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सैफ्लावर सीड ऑयल, सैफोला ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम कर्नेल/बाबासू ऑयल, अलसी का तेल, मक्का कॉर्न ऑयल, कैस्टर ऑयल, तिल का तेल, अन्य निश्चित वनस्पति वसा और तेल, वनस्पति मूल के खाद्य मार्जरीन, साल वसा; शीर्ष 1518 के निर्दिष्ट माल | 20%           | 35%               |

## II रिफरेक्टरी मद

|   |                                                                      |        |      |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1 | रिफरेक्टरी मद, टैरिफ मद/6815 91 00, 6901, 6902 और 6903 शीर्षक के तहत | 5%/10% | 7.5% |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------|------|

घ. प्लास्टिक का सामान, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्पीकर, दूरसंचार उपकरण और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाए गए हैं जो चीन से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।

ङ. चीन से आयात किए जाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों पर सीमा शुल्क दरों में पिछले 2 वर्षों में कई बार वृद्धि की गई है। घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स फोन, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि जैसे तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर वृद्धि हुई है। इसके अलावा चीनी उद्योग को सस्ते चीनी आयात से बचाने के लिए कपड़ा मंत्रालय की सिफारिशों पर मेनमेड फाइबर कपड़ों पर सीमा शुल्क को 298 टैरिफ लाइनों पर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। कपड़ों सहित टेक्सटाइल सामग्री को 504 टैरिफ लाइनों पर बीसीडी को बढ़ाया गया।

### 3.8 प्रवर्तन:

#### 3.8.1 तस्करीरोधी कार्य निष्पादन

एंटी-स्मगलिंग यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBIC) को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), रसद निदेशालय (दृष्ट) के माध्यम से एंटी-स्मगलिंग उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लॉजिस्टिक की नीति और प्रावधानों के निर्माण और अन्य सीमा शुल्क क्षेत्र गठन में सहायता करता है। एंटी-स्मगलिंग यूनिट अन्य मंत्रालयों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB), आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) और राष्ट्रीय समिति को मजबूत बनाने के लिए समुद्री और तटीय सुरक्षा (NCSMCS) आदि से संबंधित मुद्दों पर आर्थिक, समुद्री, तटीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से समन्वय करता है।

## पिछले दो वर्षों में कार्य निष्पादन

| वर्ग               | वर्ष    | मामलों की सं. | योग बरामदगी का मूल्य (करोड़ रु) |
|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| आउट राइट तस्करी    | 2017-18 | 31266         | 2807.60                         |
|                    | 2018-19 | 23806         | 2871.82                         |
| वाणिज्यिक धोखाधड़ी | 2017-18 | 3933          | 3962.64                         |
|                    | 2018-19 | 2966          | 5643.96                         |

### 2018-19 में एकमुश्त तस्करी के मामले

| विवरण                         | मामलों की सं. | 2018-19 में जब्त किए गए सामान का मूल्य (करोड़ में) |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| सोना                          | 5231          | 1297.607                                           |
| नारकोटिक्स (एलएमवी में मूल्य) | 358           | 440.1945                                           |
| FICN (अंकित मूल्य)            | 9             | 0.4985                                             |
| वन्यजीवन/वनस्पति/जीव          | 5410          | 215.5071                                           |
| ओजोन क्षयकारी पदार्थ          | 0             | 0                                                  |
| IPRCASES                      | 13            | 27.466                                             |
| अन्य                          | 12785         | 890.5527                                           |
| कुल                           | 23806         | 2871.82                                            |

### 2018-19 में वाणिज्यिक धोखाधड़ी मामले

| विवरण                                     | मामलों की सं. | लगाया गया शुल्क (करोड़ों में) |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| आयात धोखे के मामले                        | 2446          | 5186.03                       |
| कम मूल्यांकन                              | 482           | 626.87                        |
| गलत निर्धारण                              | 947           | 864.22                        |
| डीईईसी/अग्रिम देयता योजना का लाभ          | 103           | 879.71                        |
| EPCG स्कीम का दुरुपयोग                    | 47            | 92.45                         |
| ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड स्कीम का दुरुपयोग      | 3             | 4.95                          |
| अंतिम प्रयोग का दुरुपयोग और अन्य अधिसूचना | 224           | 777.86                        |
| अन्य                                      | 640           | 1939.98                       |
| निर्यात धोखाधड़ी मामले                    | 520           | 457.93                        |
| डीईईसी/अग्रिम देयता योजना का लाभ          | 3             | 2.16                          |
| EPCG स्कीम का दुरुपयोग                    | 2             | 1.13                          |
| DRAWBACK स्कीम के दुरुपयोग                | 241           | 76.12                         |
| अन्य                                      | 274           | 378.52                        |
| कुल योग                                   | 2966          | 5643.96                       |

### 3.8.2 प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के उपाय:

सीमा नियंत्रण एजेंसियों के रूप में, **CBIC** के क्षेत्र निर्माण बंदरगाहों, हवाई अड्डों, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (**LCS**), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (**ICDs**), विदेशी डाकघर (**FPOs**) और कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से अवैध आयात पर निरंतर निगरानी रखते हैं। प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में तस्करी और अन्य वाणिज्यिक धोखाधड़ी की जाँच के लिए खुफिया और जांच इकाइयाँ हैं। अखिल भारतीय राजस्व खुफिया महानिदेशालय (**DRI**) के अलावा अखिल भारतीय तस्करी विरोधी और विरोधी गतिविधियों में शामिल **CBIC** के तहत विशेष एजेंसियाँ हैं।

**CBIC** ने गश्त करने के लिए समुद्री जहाजों को तैनात करने के अलावा तस्करी की जाँच करने के लिए **X-Ray** बैगेज इंसपेक्शन सिस्टम, कंटेनर स्कैनर्स और पैलेट स्कैनर्स स्थापित करके परीक्षा और जाँच के गैर-घुसपैठ के तरीकों को रखा है।

भारतीय सीमा शुल्क ने समय-समय पर विभिन्न वैश्विक बहुपक्षीय प्रवर्तन अभियानों में भाग लिया है, जो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा आयोजित किया गया है (डब्ल्यूसीओ एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें 180 देशों के सीमा शुल्क प्रशासन शामिल हैं जिसमें विश्व व्यापार का 98% शामिल है)।

#### I. कंटेनर स्कैनर्स और अन्य उपकरण

बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कार्गो की परीक्षा तेजी से कठिन होती जा रही है। यह समस्या (क) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उपयोग करके चयनात्मक परीक्षा द्वारा संबोधित की जा रही है; और (ख) कंटेनर स्कैनर्स का उपयोग करके कार्गो के गैर-घुसपैठ निरीक्षण (एनआईआई) के माध्यम से यह न केवल देश में प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि वास्तविक कार्गो की शीघ्र निकासी की सुविधा भी प्रदान करता है। तदनुसार, मोबाइल गामा रे स्कैनर, फिक्सड एक्स-रे स्कैनर्स और के विभिन्न प्रमुख बंदरगाहों पर ड्राइव थ्रू स्कैनर्स खरीदे और स्थापित किए गए हैं। एंटी-स्मगलिंग उपकरण जैसे एक्स-रे बैगेज सिस्टम (एक्सबीआईएस), हार्ड एनर्जी एक्स-रे कार्गो पैलेट स्कैनर्स (एचईएक्सएस), एक्सप्लोसिव एंड नारकोटिक डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), हैंड हेल्ड सर्च लाइट्स (**HHSL**), दूरबीन, उपकरण आदि सभी सीमा शुल्क और सीमा शुल्क निवारक संरचनाओं को **CBIC** के तहत कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है।

#### II. नए सीमा शुल्क समुद्री जहाजों की खरीद:

विभिन्न बंदरगाहों/नदियों पर 109 उच्च गति परिष्कृत सीमा शुल्क समुद्री जहाज तैनात हैं। बेड़े में 24 सीमा शुल्क गश्ती पोत (श्रेणी -I), 22 सीमा शुल्क इंटरसेप्टर शिल्प (श्रेणी -II) और 63 सीमा शुल्क गश्ती दल (श्रेणी III ए और तृतीय बी) शामिल हैं।

#### III. केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

कांडला, वडोदरा, मुंबई, न्हावा-शेवा, गोवा, मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, विजाग, चेन्नई और कोलकाता में 11 अन्य प्रयोगशालाओं के साथ केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) कस्टम,

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संरचनाओं के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना प्रदान करते हैं। इनके अलावा, सरकारी अफीम अल्कलॉइड वर्क्स, गाजीपुर और नीमच में प्रयोगशालाएं भी सीआरसीएल के कर्मचारियों द्वारा संचालित की जाती हैं। राजस्व प्रयोगशालाओं में से नौ, सीआरसीएल, नई दिल्ली, कांडला, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विजाग, कोलकाता, गाजीपुर और नीमच को एनडीपीएस अधिनियम के साथ पठित सीआरपीसी के प्रावधान नशीले पदार्थों, दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों के परीक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है।

#### IV. तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल

विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2003 में **WHO** फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (**WHO FCTC**) को अपनाया। **WHO FCTC** तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित समस्या को तीन प्रमुख तरीकों से संबोधित करता है, अर्थात्, तंबाकू की मांग को कम करने के लिए मूल्य और कर उपाय, समर्थन का प्रावधान तंबाकू उत्पादों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प और अवैध व्यापार के उन्मूलन। डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी ने, 2012 में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए बातचीत की और अपनाया। प्रोटोकॉल का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों में सभी प्रकार के अवैध व्यापार को एक दूसरे के सहयोग से खत्म करना है। यह स्रोत से अंतिम उपभोक्ता तक प्रभावी नियंत्रण तंत्र लगाने के लिए व्यापक रूप से प्रदान करता है। भारत 5.6.2019 को प्रोटोकॉल का सदस्य बन गया था और जिनेवा में अक्टूबर 2018 में आयोजित सदस्यों (**MoP1**) की पहली बैठक में भाग लिया। सीबीआईसी की तस्करी रोधी इकाई ने भारत के प्रोटोकॉल तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

#### V. निर्यात नियंत्रण में प्रशिक्षण

एंटी-स्मगलिंग यूनिट, निर्यात नियंत्रण के क्षेत्र में अमेरिकी सरकार द्वारा हथियारों के सामूहिक विनाश (**WMD**), रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु और उपकरण (**CBRNe**) आदि से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

### 3.8.3 अपवंचनरोधी कार्यनिष्पादन (मार्च 2019 तक)

(करोड़ रुपये में)

|         | मामलों की संख्या | धनराशि (करोड़ रुपए में) | की गई वसूली (करोड़ रुपए में) |
|---------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| जीएसटी  | 34487            | 44123.88                | 25015.26                     |
| CX      | 857              | 3479.36                 | 222.54                       |
| सेवा कर | 5460             | 31581.07                | 3872.67                      |
| कुल योग | 40804            | 79184.31                | 29110.47                     |

### 3.9 पूर्णता आयोग (डीजीपीएम) (2018-19) के सामान्य जनगणना के जनसाधारण के अधिकार और अधिकार

(क) मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) के भाग V का विश्लेषण

फ. संख्या 296/236/2014-CX.9 (Pt.II) दिनांक 17.09.2015 के तहत जारी सीबीआईसी के निर्देशों के अनुसार और



सदस्य डीओएफ नंबर **296/236/2014-CX.9** दिनांक **24.12.2014**, निदेशालय जनरल ऑफ़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट (DGPM) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के MIS मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (MPR) के भाग V के तहत निर्धारित रिपोर्टों का कार्यात्मक स्वामी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर की तीन धाराओं में भाग V में मासिक रिपोर्ट MIS वेब-आधारित उपयोगिता से डाउनलोड की जाती है, संकलित और विश्लेषण की जाती है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए मासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रमुख क्षेत्रों के अनुकूलन, कॉल बुक, अनंतिम मूल्यांकन, वापसी-छूट और विविध कवर करती है। सभी ज़ोन और डीजी-जीएसटीआई/डीआरआई के डेटा के आधार पर रिपोर्ट संकलित की जाती है और हर महीने एक नोट जिसमें हमारे विश्लेषण और टिप्पणियों में उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों पर विभिन्न ज़ोन के प्रदर्शन पर सभी सदस्यों को भेजा जाता है। एक प्रति सभापति को भी अंकित की जाती है। विश्लेषण शीर्ष क्षेत्र को इंगित करता है, जिसमें प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में **80%** पेंडेंसी शामिल है।

#### (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों संरचनाओं का निरीक्षण:

DGPM को क्षेत्रीय आयुक्तालय के निरीक्षण का काम सौंपा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय कार्यालय ~~व्यक्ति~~ के नीति निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। यह आयुक्त अभिलेखों की समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि मूल्यांकन कैसे हो रहा है और निरीक्षण नोट जारी करने के लिए, निरीक्षण किए गए रुझानों के साथ विशिष्ट कमियों को उजागर करता है, यदि कोई हो। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति जोनल चीफ कमिश्नर को भी भेजी जाती है। क्षेत्रीय आयुक्तालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अपना अनुपालन भेजने की आवश्यकता है कि कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर किया जाए।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर की सीमा बीएमबी संख्या **32/2010** दिनांक **12.05.2010** सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के लिए आवृत्ति के मानदंडों को संशोधित किया है। नए मानदंडों के अनुसार, DGPM को तीन साल में एक बार आयुक्तालय मुख्यालय का निरीक्षण करना है। अतिरिक्त निरीक्षण जोखिम मापदंडों की सावधानीपूर्वक रूपरेखा पर आधारित होंगे। प्रत्येक आयुक्तालय का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष DGPM या न्यायिक मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए DGPM, DGCCI या मुख्य आयुक्त के निरीक्षण के लिए आयुक्तों को आवंटित वार्षिक निरीक्षण योजना बनाएगा। तदनुसार, वार्षिक योजना वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

#### (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी:

वर्ष **2018-19** के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, **40** केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तों को डीजीपीएम (एच। क्यू। और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों) द्वारा निरीक्षण के लिए निर्धारित किया गया था। शेष **67** केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तों को न्यायिक मुख्य आयुक्तों को आवंटित किया गया था।

अखिल भारतीय स्तर पर **107** जीएसटी आयुक्त हैं जिनका वित्त वर्ष **2018-19** के दौरान निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

| गठन                  | आवंटन (2018-19) |
|----------------------|-----------------|
| जीएसटी               |                 |
| जीएसटी मुख्यालय      | 10              |
| एनआरयू               | 07              |
| एसआरयू               | 08              |
| ईआरयू                | 06              |
| सीआरयू               | 03              |
| डब्ल्यूआरयू          | 06              |
| क्षेत्राधिकार सी.सी. | 67              |
| कुल योग              | 107             |

#### (ii) सीमा शुल्क अनुभाग:

वर्ष **2018-19** के लिए अनुमोदित वार्षिक सीमा शुल्क कार्य योजना के अनुसार, **19** सीमा शुल्क आयुक्तों को मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निरीक्षण के लिए निर्धारित किया गया था, शेष **39** सीमा शुल्क संरचनाओं को निरीक्षण के लिए न्यायिक मुख्य आयुक्तों को आवंटित किया गया था।

| गठन                  | आवंटन (2018-19) |
|----------------------|-----------------|
| कस्टम                |                 |
| सीमा शुल्क, मुख्यालय | 08              |
| एनआरयू               | 03              |
| ईआरयू                | 01              |
| सीआरयू               | 01              |
| एसआरयू               | 02              |
| डब्ल्यूआरयू          | 04              |
| क्षेत्राधिकार सी.सी. | 39              |
| संपूर्ण              | 58              |

#### (ग) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

**F. No. A-11019/34/2001-AdIV (Pt)** दिनांक **02.08.2005** को IV अनुभाग, राजस्व विभाग, DGPM को हिंदी (राजभाषा) से संबंधित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड कस्टम्स की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के साथ समन्वय करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। इन निर्देशों को अध्यक्ष (CBIC) ने मंजूरी दे दी है।

वित्तीय वर्ष **2018-19** (**01.04.2018** से **31.03.2019** तक) में राजभाषा प्रचार के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए हैं:

- वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के **74** निरीक्षण किए गए। विभिन्न सामग्रियों का हिंदी में अनुवाद करना।
- हिंदी सप्ताह मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

- राजभाषा नीति और यूनिकोड पर कार्यशालाएं हिंदी में वॉयस टाइपिंग के साथ और त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें **DGPM** में आयोजित की गईं।
- राजभाषा संबंधी प्रोत्साहन योजना लागू की गई।
- राजभाषा के संबंध में मंत्रालय की माँग पूरी की गई। **DGPM** की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई और मंत्रालय को भेज दी गई है।
- विभिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार किया गया। आयुक्तों और निदेशालयों से प्राप्त आवधिक रिपोर्ट की समीक्षा की गई, समेकित की गई और राजस्व विभाग के राजभाषा अनुभाग को भेज दी गई।
- राजस्व विभाग के राजभाषा अनुभाग से प्राप्त आदेश और निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच परिचालित किए गए थे।
- राजभाषा पर माननीय संसदीय समिति की अठारह बैठकें समन्वित की गईं और उनमें भाग लिया गया। प्रश्नावली को तैयारियों में पूरी मदद की गई।

#### वर्ष 2019-20 के लिए कार्यान्वयन योजना:

- सीबीआईसी के तहत **82** कार्यालयों की आधिकारिक भाषा निरीक्षण, गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम **2019-20** के अनुसार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।
- राजभाषा पर माननीय संसदीय समिति की आगामी बैठकों में भागीदारी।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम **2019-20** के अनुसार आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- आयुक्तों और निदेशालयों से प्राप्त आधिकारिक भाषा पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समय-समय पर समीक्षा की गई।
- इनके अलावा, राजभाषा के लिए **CBIC** की नोडल एजेंसी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है।

#### (घ) भूटान सरकार को प्रक्रिया और मंजूरी वापसी

भारत सरकार हर साल भारत से भूटान को निर्यात किए गए माल पर एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी का भुगतान करती रही है। एमईए के संदर्भ में, डीजीपीएम द्वारा अनुमानित धनवापसी राशि निकालने का प्रयास किया जाता है। भूटान से धन वापसी के दावे के दस्तावेज एमईए से सीबीआईसी को भेजे जाते हैं जो बाद में डीजीपीएम को भेजे जाते हैं।

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर)                  | धन वापसी (रुपये में) |
|----------------------------------------|----------------------|
| वर्ष 2017 के लिए राशि का दावा किया गया | ₹ 264.16 करोड़       |
| राशि को अंतिम रूप दिया गया             | ₹262.32 करोड़        |

#### 3.10. मानव संसाधन विकास महानिदेशालय (डीजीएचआरडी) (2018-19) का 3.10 कार्य निष्पादन और उपलब्धियाँ

##### I. DGHRD के EMC विंग की प्रमुख उपलब्धियाँ

व्यय प्रबंधन सेल (EMC), DGHRD, को ग्रांट संख्या **35** - अप्रत्यक्ष कर के लिए सभी बजट मामलों के संबंध में अनिवार्य रूप में कार्य करने का नोडल प्राधिकरण है।

(क) डीजीएचआरडी के ईएमसी विंग द्वारा उचित बजट की योजना के परिणामस्वरूप, रुपये की टोकन अनुपूरक मांग (**1** और **2** चरण में) एमएच -**2038**-सीजीएसटी की ओर एमएच -**2038**-यूईडी के तहत स्वीकृत प्रावधान को स्थानांतरित करने के लिए **1.00** लाख रुपये सुरक्षित किए गए थे, साथ ही रुपये के व्यय से जुड़े भूमि के अधिग्रहण के प्रस्तावों की ओर पूंजी अनुभाग के तहत बचत का उपयोग किया गया था। **71.35** करोड़ जो अनुदानों (**2018-19**) की विस्तृत मांगों में परिलक्षित नहीं हुए। इसके बाद, एक टोकन अनुपूरक मांग (तीसरे चरण में) रु। ग्रांट (**2018-19**) के लिए विस्तृत मांगों में परिलक्षित प्रस्तावों के लिए बचत के उपयोग के लिए प्रमुख शीर्ष **4059** (पब्लिक वर्क्स पर कैपिटल आउटलुक) और प्रमुख शीर्ष **4216** (आवास पर कैपिटल आउटले) के तहत **1.00** लाख सुरक्षित किए गए थे।

(ख) पहली बार, अद्यतन **GFR, 2017** को शामिल करने वाले बजट और व्यय प्रक्रियाओं पर एक "EMC मैनुअल", और व्यय के प्रासंगिक निर्देश प्रकाशित किए गए हैं और सभी बजटीय प्राधिकरणों को प्रारूपित किया गया है।

(ग) 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑपरेशनल वाहन सीबीआईसी के तहत प्रदान किए गए और इसी तरह 21 सीजीएसटी ज़ोन के तहत ई-वे स्कॉड के निर्माण के लिए ऑपरेशनल वाहनों को काम पर रखने का प्रस्ताव **IFU**/मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी के लिए लाया गया।

(घ) 01.01.2019 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, विभिन्न ग्रेड में लागत वसूली के आधार पर **20** पदों के सृजन के लिए दो (**02**) मामले और विभिन्न ग्रेड में **23** पदों को जारी रखने के लिए पांच (**05**) मामलों से अवगत कराया गया था। वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ **DoE**। इसके अलावा, उपरोक्त लागत अवधि के दौरान आईएफयू, सीबीआईसी से लागत वसूली शुल्क के भुगतान से छूट के दो (**02**) मामलों को मंजूरी दी गई थी।

## II. DGHRD इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन, की प्रमुख उपलब्धियां

### निर्माण परियोजना की संस्वीकृति

| क्रम सं. | प्रस्ताव-संक्षिप्त में                                                                                                                                                | धनराशि (रुपयों में) | a/a और e/s की तारीख |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.       | कलकत्ता में कलकत्ता क्षेत्रीय इकाई के डीआरआई (G+6) बेसमेंट सहित ऑफिस इमारत का निर्माण                                                                                 | 64,49,85,000/-      | 08.02.2019          |
| 2.       | JNCH, न्हावा शेवा, रायगढ़, मुंबई में कार्यालय भवन (जी 37) का निर्माण।                                                                                                 | 85,60,92,506/-      | 14.02.2019          |
| 3.       | सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, प्रभागीय कार्यालय (जिसे अब सीजीएसटी मंडल कार्यालय, अगरतला) और अगरतला ऑडिट सर्कल, अगरतला के लिए कार्यालय भवन का निर्माण। | 28,04,03,700/-      | 18.02.2019          |
| 4.       | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रभाग, भीलवाड़ा के प्रभाग कार्यालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।                                                                 | 9,72,07,100/-       | 21.02.2019          |

### III. वित्त वर्ष 2018-19 में भूमि के प्रस्तावित प्रावधान

| क्रम सं. | ज़ोन/आयुक्तालय         | प्रस्ताव                                                                                                                                                                        | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में)                                           |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | मेरठ ज़ोन/नोएडा        | आनंद विहार योजना, हापुड़ (हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण, HPDA से खरीद) में कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए ए/ई/एस                                               | 11,26,464                                     | 4842.8                                        | भूमि/13/अनुमोदन/2018-19 दिनांक 10.01.2019। 16.01.2019 को EMC द्वारा जारी फंड (4059)     |
| 2        | सीमा शुल्क (Prev) पटना | एलसीएस, गौरीफंटा, जिला के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण। लखीमपुर खीरी।                                                                                   | 2,10,000/-                                    | 1000                                          | भूमि/14/स्वीकृति/2018-19 दिनांक 21.01.2019। 25.01.2019 (4059) को ईएमसी द्वारा जारी फंड। |
| 3        | अहमदाबाद/ राजकोट;      | राज्य सरकार से सर्वे नंबर 318, रायल्टुका, राजकोट में 1000 वर्गमीटर क्षेत्र की भूमि की खरीद। राजकोट में क्वार्टरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि की लागत में वृद्धि। | 93,21,880/-                                   | 1000                                          | Const./21/Sanction/2018-19 दिनांक 30.01.2019। 30.01.2019 को EMC द्वारा जारी फंड। (4216) |
| 4        | DRI चेन्नई             | डीआरआई, चेन्नई (तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, चेन्नई) के कार्यालय परिसर के लिए भूखंड की खरीद                                                                                          | 21,19,49,417/-                                | 1506.5                                        | भूमि/15/छूट/2018-19 दिनांक 13.02.2019। 15.02.2019 (4059) को ईएमसी द्वारा जारी फंड       |

| क्रम सं. | ज़ोन/आयुक्तालय            | प्रस्ताव                                                                                                                                 | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में)          | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | राशि मंजूर (रुपए में) क्षेत्र (वर्ग मीटर में)                                                                                                                         |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | चंडीगढ़ सी.जी.एस.टी.      | बजट- चंडीगढ़ (UT) में CBIC के विभिन्न कार्यालयों के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 2.847 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए धन की आवश्यकता | 9,51,63,108/-<br>(5,31,76,314/-<br>+<br>4,19,86,794/-) | 11520.62                                      | LAND/16/SANCTION N/2018-19 दिनांक 14.02.2019।<br>19.02.2019 को ईएमसी द्वारा जारी फंड (4059)                                                                           |
| 6        | डीआरआई, अहमदाबाद          | अहमदाबाद विकास प्राधिकरण से DRI (ZU) अहमदाबाद के लिए कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए क्षेत्र की जमीन की कीमत 3100Sq/Mtr की खरीद         | 28,68,95,700/-                                         | 3100                                          | LAND/17/SANCTION /2018-19 दिनांक 14.02.2019।<br>19.02.2019 (4059) को EMC द्वारा जारी किए गए फंड - समर्पण की गई राशि                                                   |
| 7        | DRI/हैदराबाद /            | डीआरआई, हैदराबाद जोनल यूनिट (तेलंगाना के राज्य सरकार से) के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव।            | 12,06,00,100/-                                         | 1254                                          | भूमि/18/छूट/2018-19 दिनांक 27.02.2019।<br>28.02.2019 को ईएमसी द्वारा जारी फंड (4059)                                                                                  |
| 8        | डीआरआई, वसंत कुंज, दिल्ली | 6200 वर्गमीटर मापने वाले डीडीए से भूमि का आवंटन। वसंत कुंज, नई दिल्ली में DRI (Hqrs) के लिए भवन निर्माण के लिए                           | 9,00,15,837/-                                          | 6200                                          | LAND/19/SANCTION /2018-19 दिनांक 27.02.2019।<br>28.02.2019 को ईएमसी द्वारा जारी फंड (4059)                                                                            |
| 9        | बेंगलुरु सीमा शुल्क /     | केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु (बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, BIAL से) कस्टम हाउस के लिए भूमि का आवंटन                   | 3,06,00,000/-                                          | 4035                                          | भूमि/20/छूट/2018-19 दिनांक 28.03.2019।<br>दिनांक 28.03.2019 (4059) - EMC के विडियो पत्र द्वारा जारी किए गए फंड - Rs.3 Cr। उपयोग किया गया और 6 लाख रुपये सरेंडर किए गए |

IV. वित्तीय वर्ष 2018-19 एफ.वाई के दौरान तैयार निर्मित आवास प्रस्ताव स्वीकृत/मान्य है।

| क्रम सं. | स्वीकृति आदेश सं                                       | ज़ोन/आयुक्तालय                  | विषय                                                                                               | राशि (रुपए में) | पुनर्विधीकरण |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1.       | RBF/02/2016-17, दिनांक 20.12.2016 को संस्वीकृति दी गई। | केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी | तैयार कार्यालय आवास की खरीद (1,03,951 वर्ग फुट), हौसफैड, असम से फिक्शन बाजार, केदार रोड, गुवाहाटी। | 87,28,62,022/-  | 15.11.2018   |

3.11 DGHDR के इन्फ्रास्ट्रक्चर विंग (आरबीए अनुभाग) द्वारा लिए गए कदम/पहल सरकारी भवनों में छत के सौर पैनलों की स्थापना (RESCO मॉडल के तहत)

➤ ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (ICED) द्वारा 'ग्रीन बिल्डिंग' पर एक विस्तृत पाठ्यक्रम पहली बार CBIC अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, इमारतों में जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ई-कचरा और कार्यालय अपशिष्ट, सतत सार्वजनिक खरीद, पर्यावरण प्रबंधन, आदि पर महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

➤ पुराने भवन निर्माण की पुनर्स्थापना:

INTACH (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) को CBIC ने विभागीय भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें 'विरासत भवन' का दर्जा दिया गया है।

उदाहरण: 1. सीमा शुल्क घर, कोलकाता

2. ओल्ड लाइट हाउस बिल्डिंग, पुदुचेरी

➤ सभी सरकारी आवासों के निर्माण में एलईडी आधारित रोशनी और ऊर्जा प्रभावी उपकरणों (पंखे और वातानुकूलन) की अनिवार्य रूप से स्थापना

1. योजना का नाम: UJALA (उन्नत ज्योती द्वारा सभी के लिए सस्ती एल ई डी)
2. नामित एजेंसी: मैसर्स कुशल ऊर्जा सेवा लिमिटेड
3. लक्ष्य/उद्देश्य: सभी 468 सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों में एलईडी रोशनी और ऊर्जा कुशल उपकरणों की अनिवार्य स्थापना

4. प्रगति रिपोर्ट:

| क्रम सं. | प्रगति की स्थिति                                                                                                                    | इमारतों की सं. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.       | सीबीआईसी के स्वामित्व वाली सरकारी इमारतें जिनमें एलईडी आधारित प्रकाश की स्थापना का काम पूरा हो गया है                               | 94             |
| 2.       | सीबीआईसी के स्वामित्व वाली सरकारी इमारतें जिनमें एलईडी आधारित प्रकाश की स्थापना का काम आंशिक रूप से पूरा हो चुका है और प्रगति पर है | 84             |
|          | कुल                                                                                                                                 | 178            |

1. योजना का नाम: राष्ट्रीय सौर मिशन
2. नामित एजेंसी: मैसर्स सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. लक्ष्य/उद्देश्य: 468 सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों में रूफ टॉप सौर पैनलों की स्थापना जहाँ भी व्यावहारिक और व्यवहार्य है।

4. प्रगति रिपोर्ट:

- सौर पैनलों की स्थापना के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा चिह्नित भवनों की संख्या = 227
- भवनों की संख्या जिन पर प्रक्रिया चल रही है/प्रारंभिक सर्वेक्षण (PS) CPWD/SECI द्वारा आयोजित किया गया है = 158
- इमारतों की संख्या जिसके संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण (PS) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है = 85
- सीपीडब्ल्यूडी/एसईसीआई द्वारा आयोजित पीएस के दौरान सौर पैनलों की स्थापना के लिए संभव पाए गए भवनों की संख्या = 53
- CPWD/SECI द्वारा आयोजित PS के दौरान सौर पैनलों की स्थापना के लिए संभव नहीं पाए गए भवनों की संख्या = 32
- उन भवनों की संख्या जिनके लिए पॉवर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं (केवल RESCO मॉडल के लिए लागू) = 22

➤ प्रमुख उपलब्धियां/नई पहल कल्याण प्रभाग (2018-19) (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक)

- चिकित्सा: सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियमों के तहत प्रतिपूर्ति नहीं किए गए विभागीय अधिकारियों के चिकित्सा व्यय के लिए 288 अनुरोधों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोष के शासी निकाय द्वारा 2.57 करोड़ रु की स्वीकृति दी गई।

- **एक्स ग्रेसिया:** मृतक/आश्रित/स्थायी रूप से अक्षम विभागीय अधिकारियों की विधवाओं/आश्रितों के 107 अनुरोधों को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण बोर्ड के शासी निकाय द्वारा 1.82 करोड़ रुपये का अनुमोदित किया गया है।
- **छात्रवृत्ति:** वित्त वर्ष 2018-19 में 25.0 लाख रु की राशि के साथ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों के बच्चों को 113 छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- **गेस्ट हाउस:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष की शासी निकाय द्वारा 1.18 करोड़ रु के 14 अनुरोधों को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित करने/रिफरबीशिंग करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- **छात्रावास आवास:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोष के शासी निकाय द्वारा 11.40 लाख रु का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- **कैटीन/किचनसेट/टिफिन रूम:** कैटीन/किचनसेट/टिफिन रूम की स्थापना/नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से 6 अनुरोध/प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय शुल्क कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। 19.87 लाख रुपये की राशि शामिल है।
- **जिम/स्पोर्ट्स/री-क्रिएशन सेंटर:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज वेलफेयर फंड के गवर्निंग बॉडी द्वारा जिम/स्पोर्ट्स/री-क्रिएशन सेंटर की स्थापना के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें 8.34 लाख रुपये की राशि शामिल है।
- **क्रेच सुविधा:** क्रेच सुविधा की स्थापना के लिए फील्ड फॉर्मेशन के एक प्रस्ताव को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोष के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें 1.76 लाख रुपये की राशि शामिल है।
- **जेएनसीएच, न्हावा शेवा, रायगढ़ में तैनात कर्मचारियों के लिए सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए वित्तीय सहायता:** जेएनसीएच, न्हावा शेवा, रायगढ़ में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रियायती ट्रांसपोर्ट सुविधा के आंशिक वित्त पोषण के लिए योजना के

तहत 40.12 लाख रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- **खेल व्यक्तियों को वित्तीय सहायता:** श्री जोसेफ कुओक सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, उत्तर दिल्ली को 23,971/- रुपये की राशि मंजूर की गई हैं और योगेन्द्र, गुप्त, केंद्रीय कर, दक्षिण, बंगलोर को रुपये की राशि 5,62,535/- रुपये वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष के शासी निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/आयोजन में भाग लेने के लिए मंजूरी दी गई है।

#### ➤ In नई पहल/योजनाएँ:

- सी एंड सीई वेलफेयर फंड के तहत लाभ के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव और कल्याणकारी फंड के तहत विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जोनल चीफ कमिश्नर्स/डायरेक्टर्स जनरल के पक्ष में शक्तियों का प्रत्यायोजन है। Pr. CCA, CBIC के परामर्श से कल्याण कोष के शासी निकाय पर विचार किया जाता है।
- सामान्य सुविधाओं जैसे- गेस्ट हाउस, कैटीन, जिम आदि के लिए दिशानिर्देशों का संशोधन DGHRD द्वारा किया गया है और संशोधित दिशानिर्देशों को शासी निकाय की उचित मंजूरी के बाद परिचालित किया जाता है।
- विभागीय अधिकारियों के मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए संशोधित योजना के तहत संशोधित मांग के तहत परिपत्र के माध्यम से आवेदन पत्र के जवाब में लगभग 3100 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 10 वीं/12 वीं बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर विभागीय अधिकारियों के मेधावी बच्चों को दिए जाते हैं। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 आवेदनों की जांच की जा रही है और पात्र को शासी निकाय की उचित स्वीकृति के बाद जल्द ही नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

#### 3.12 एफआरबीएम अधिनियम और नियमावली के अनुपालन में उठाए जा रहे कदम

- (क) कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए, सरकार के किसी भी संगठन को अपनी संपत्ति का स्थान और स्थिति पता होनी चाहिए, और क्या उनका उपयोग बेहतर तरीके से किया जा रहा है। संपत्ति का समय पर रखरखाव, संपत्ति के

जीवन का विस्तार कर सकता है और इसकी सेवा क्षमता को बढ़ा सकता है। उचित संपत्ति की रिकॉर्डिंग, संपत्ति रजिस्टर का नियमित अद्यतन और परिसंपत्तियों की नियमित समीक्षा भी गलतफहमी और नुकसान को रोकने में मदद कर सकती है। इस तरह की विश्वसनीय जानकारी से पूंजी निवेश के फैसले भी लाभान्वित होते हैं।

- (ख) एफआरबीएम नियमावली में भौतिक और साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है।
- (ग) निदेशालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन एक असेंबल रजिस्टर के निर्माण, रखरखाव और नियमित अपडेशन के माध्यम से CBIC की संपत्ति का हिसाब रखता है।

संपत्ति रजिस्टर 31.03.2018 तक

मांग संख्या 35 - अप्रत्यक्ष कर

|                                 | वर्ष 2017-18 की शुरुआत<br>में परिसंपत्तियां<br>लागत (करोड़ों में) | वर्ष 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों<br>का अधिग्रहण किया गया<br>लागत (करोड़ों में) | वर्ष 2017-18 के अंत में<br>एसेट्स का कुल संचय<br>लागत (करोड़ों में) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>भौतिक संपत्तियाँ:</b>        |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| भूमि                            | 3448.68                                                           | 40.00                                                                             | 3488.68                                                             |
| इमारत                           |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| कार्यालय                        | 3165.77                                                           | 0                                                                                 | 3165.77                                                             |
| निवास                           | 3551.23                                                           | 198.00                                                                            | 3749.23                                                             |
| सड़कें                          | 0                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| पुल                             | 0                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| सिंचाई परियोजना                 | 0                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| पावर प्रोजेक्ट्स                | 0                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| अन्य पूंजी परियोजनाएं           | 0                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| मशीनरी उपकरण                    | 108.32                                                            | 0.96                                                                              | 109.28                                                              |
| दफ्तर के उपकरण                  | 81.19                                                             | 13.37                                                                             | 94.56                                                               |
| वाहन                            | 54.09                                                             | 4.06                                                                              | 58.15                                                               |
| वेसल्स                          | 37.59                                                             | 0                                                                                 | 37.59                                                               |
| <b>कुल</b>                      | <b>10446.87</b>                                                   | <b>256.39</b>                                                                     | <b>10703.26</b>                                                     |
| <b>वित्तीय संपत्तियाँ:</b>      |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| <b>इक्विटी निवेश</b>            |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| शेयरों                          | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| बोनस शेयर                       | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| ऋण और अग्रिम                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों |                                                                   |                                                                                   |                                                                     |
| को ऋण।                          | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| विदेशी ऋण सरकार                 | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| कंपनियों को ऋण                  | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| दूसरों का ऋण                    | -                                                                 | -                                                                                 | -                                                                   |
| अन्य वित्तीय निवेश              | 0.21                                                              | 0                                                                                 | 0.21                                                                |
| <b>कुल</b>                      | <b>0.21</b>                                                       | <b>0</b>                                                                          | <b>0.21</b>                                                         |

### 3.13 (प्रणाली और डाटा प्रबंधन के प्रबंध निदेशक) के कार्यनिष्पादन के मुख्य बिंदु और उपलब्धियाँ

सी. बी. आई. सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों में आने वाली सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सक्षम करने के साथ-साथ क्षेत्र निर्माणों के कार्य कार्यों को सक्षम करने में आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों की संकल्पना, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव और उन्नयन से लेकर अनुप्रयोगों को रेखांकित करने वाले आईटी हार्डवेयर की खरीद और रखरखाव के लिए, निदेशालय सी.बी.आई. के डोमेन कार्यों के अदृश्य आईटी बैकबोन के निर्माण, उसे बनाए रखने और मजबूत करने के लिए भूमिकाओं का एक विशाल सरगम करता है। इसने एक बड़े पैमाने पर सीबीआईसी को एक कर प्रशासन में बदलने में सक्षम किया है जो "एकल खिड़की" इंटरफेस के माध्यम से "कहीं भी" आधार पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं को वितरित करता है, पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर अग्रसर होता है, लेन-देन की लागत को कम करता है, ऐसा करने से व्यापार आदि में आसानी होती है।

#### सीमा शुल्क:

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित बड़े करदाता डेटा आधार हैं। आईसीईएस कोर आईटी प्रणाली है जिसके माध्यम से आयात और निर्यात के सामानों के सीमा शुल्क निकासी के लिए आवश्यक आयात और निर्यात दस्तावेज एंट्री, शिपिंग बिल, आयात सामान्य घोषणापत्र (आईजीएम) और एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (ईजीएम) आदि के प्रसंस्करण की प्रक्रिया होती है। आईसीईएस प्रणाली सीमा शुल्क पारिस्थितिकी तंत्र का अनिवार्य हिस्सा बन गई है और सीमा की मंजूरी के लिए अधिकारी को इस पर काम करने की आवश्यकता है।

#### EDW:

सिस्टम डायरेक्टरेट जनरल, CBIC ने डेटा को एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (EDW) प्रोजेक्ट के तहत रखा है, जिसका उपयोग आंतरिक और बाहरी दोनों एजेंसियों के डेटा अनुरोधों को संबोधित करने और नई परियोजनाओं के विकास के लिए भी सक्रिय रूप से किया जा रहा है। एक नई परियोजना ADVAIT विकास के अधीन है, जो अत्याधुनिक डेटा विजुअलाइज़ेशन, रियल टाइम डेटा कैप्चर, प्रेडिक्टिव और फ्रॉड एनालिटिक्स की उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं को लाएगा। यह बड़े डेटा का उपयोग करेगा और इसमें एक पूर्ण डेटा साइंस लैब होगा।

#### ICEGATE:

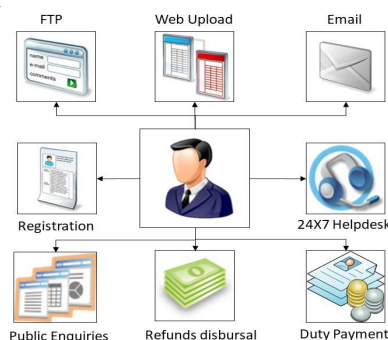
ई-कॉमर्स वेब पोर्टल, भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (ICEGATE), सीमा शुल्क समुदाय में आईसीईएस और भागीदारों के बीच बातचीत का एकल बिंदु है और ई-फाइलिंग सेवाओं, 'ट्रेडिंग पार्टनर्स' को कस्टम ड्यूटी भुगतान, संदेश जैसी सेवाएं प्रदान करता है। भाग लेने वाली एजेंसियों, ड्राबैक, IGST और RoSL रिफंड, हेल्पडेस्क के साथ-साथ सीमा शुल्क और विभिन्न नियामक और लाइसेंसिंग अधिकारियों के बीच डेटा विनिमय, अनुपालन व्यापार की सुविधा (लेनदेन लागत और मालवाहक समय में सहवर्ती कमी के साथ और गैर-अनुरूपता या लक्ष्यीकरण) जोखिम भरा लेनदेन, जोखिम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया। फिलहाल, ICEGATE के साथ पंजीकृत लगभग 24,000 उपयोगकर्ता 6 लाख आयातकों और साथ ही निर्यातकों की सेवा कर रहे हैं। संदेश के आदान-प्रदान के माध्यम से सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के साथ ICEGATE 15 व्यापक प्रकार के भागीदारों को जोड़ता है, जो कि EXIM व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले तीव्र सीमा शुल्क निकासी की ओर जाता है।

#### लेन-देन संबंधी सेवाएँ

- 156 ईडीआई स्थानों के लिए दस्तावेज़ फाइलिंग और प्रसंस्करण
- 21 बैंकों से सीमा शुल्क भुगतान
- निर्यात प्रोत्साहन वितरण
- तार्किक प्रबंधन
  - पोर्ट/कस्टोडियन
  - कार्गो हैंडलिंग
  - वाहक संचालन
- लाइसेंसिंग नियंत्रण
- आईपीआर पंजीकरण

#### 156 ईडीआई स्थानों के लिए दस्तावेज़ फाइलिंग और प्रसंस्करण

- 21 बैंकों से सीमा शुल्क भुगतान
- निर्यात प्रोत्साहन वितरण
- तार्किक प्रबंधन
- पोर्ट/कस्टोडियन
- कार्गो हैंडलिंग
- वाहक संचालन
- लाइसेंसिंग नियंत्रण
- आईपीआर पंजीकरण



चित्र 1: ICEGATE द्वारा व्यापारी को दी जाने वाली सेवाओं का अवलोकन



**ICEGATE** द्वारा संभाले गए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ और संदेश को भारतीय सीमा शुल्क **EDI** सिस्टम द्वारा सीमा शुल्क के अंत में संसाधित किया जाता है, जो **134** कस्टम स्थानों पर चल रहा है। विभाग ने अपने बुनियादी ढांचे को केंद्रीकृत किया है और सभी सीमा शुल्क स्थानों को केंद्रीकृत बुनियादी ढांचे में स्थानांतरित कर दिया गया है जो कि लिंक द्वारा तब एमपीएलएस आधारित वैन के माध्यम से डाटा सेंटर में होस्ट किया गया हो।

#### ➤ जीएसटी:

जीएसटी शासन में, व्यापार प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान और रिफंड के लिए फ्रंट-एंड इंटरफेस जीएसटीएन पोर्टल है। उपयुक्त सीबीआईसी-जीएसटी एप्लिकेशन को रसीद, भंडारण, एपीआई डेटा के प्रसंस्करण, निर्णय लेने, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए विभागीय उपयोगकर्ता को डेटा की प्रस्तुति जैसी बैक-एंड कार्यक्षमता का प्रबंधन करने के लिए विकसित किया गया है। डीजी सिस्टम को आगे विवाद समाधान, जांच, अपील, समीक्षा, वसूली, गतिशीलता आवेदन, ऑडिट, ई-वे बिल और सीबीआईसी-जीएसटीआर पोर्टल के रखरखाव के संबंध में बैकएंड मॉड्यूल के डिजाइन और विकास का उद्देश्य सौंपा गया है।

#### ➤ SI और LANWAN:

इसमें दिल्ली और चेन्नई में डेटाबेस सर्वर, ब्लेड सर्वर, स्टोरेज और डेटाक्रेटर नेटवर्क वाले चार डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए **717** स्थानों पर एमपीएलएस कनेक्टिविटी के साथ वाइड एरिया नेटवर्क और टीसीएल द्वारा **78** स्थान हैं। इसके अतिरिक्त शेष **641** साइटें वीपीएन से जुड़ी हैं।

LANWAN प्रोजेक्ट SAKSHAM का एक अभिन्न हिस्सा है। यह प्रभाग पूरे भारत के विभिन्न स्थानीय **CBIC** कार्यालयों में कनेक्टिविटी सहित सभी भौतिक अवसंरचना आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। कुल **1300** साइटें **12426** नोड्स के साथ चालू हैं। कुल सं. **23361**

ऑल इन वन डेस्कटॉप, **1100** लैपटॉप और **65** हैंडहेल्ड दिए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर **750** रेजिडेंट इंजीनियर और **111** जीएसटी हैंडर हैं।

#### ➤ डेटा प्रबंधन निदेशालय

यह बोर्ड को सांख्यिकीय इनपुट प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष करों के लिए संग्रह, सारणीकरण, सत्यापन और रिपोर्टिंग राजस्व के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें डिमांड, एडज्यूडिकेशन, रिफंड, एरियर, अपील्स, एंटी-स्मगलिंग आदि को कवर किया जाता है और मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट (एमपीआर) सबमिट की जाती है।

इसके अतिरिक्त, डीजी सिस्टम निम्नलिखित परियोजनाओं की देखरेख कर रहा है:

1. ईसीसीएस परियोजना मुंबई, दिल्ली और बंगलोर तीनों कोरियर टर्मिनलों में कूरियर क्लियरेंस के स्वचालन के लिए है।

2. **उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस)** - इसमें प्रस्थान से पहले/उड़ान के समापन के बाद वाहक द्वारा एक यात्री की यात्रा की जानकारी और अन्य उड़ान विवरणों को कैप्चर करना शामिल है और गंतव्य पर सीमा नियंत्रण एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विवरण प्रसारित करना शामिल है। देशभर में एपीआई सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्रोफाइल करना है और देश में यात्रा करने वाले यात्रियों (पीओआई) की अग्रिम चेतावनी देना और आगमन पर यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। यह सीमा शुल्क के लिए एक निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है जो पीओआई के आगमन पर कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। इसमें यात्रियों, चालक दल और यात्रियों के बारे में जानकारी शामिल है।

लागू किए जा रहे प्रमुख/मूल कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- सीमा शुल्क/नियामक एजेंसियों और व्यापार/उद्योग के बीच भौतिक इंटरफ़ेस को कम करने और आयात और निर्यात दोनों में निकासी की गति बढ़ाने के लिए, सरकारी एजेंसियों (पीजीए) द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित लाइसेंस/परमिट/प्रमाण पत्र/अन्य प्राधिकरण (एलपीसीओ) अपलोड करने की सुविधा। भारत भर के सभी ईडीआई स्थानों पर ई-SANCHIT की शुरुआत की गई।
- सीमा शुल्क आवेदन (**ICES, RMS, ICEGATE** और **e-SANCHIT**) के लिए **DR** सिमुलेशन गतिविधि **24** नवंबर '18 को पूरी हुई।
- **CBIC** की उन्नत विश्लेषिकी परियोजना "ADVAIT" के लिए स्वीकृति इस परियोजना से कर वसूली और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार और नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करने की उम्मीद है। **15.10.2018** को अनुबंध से सम्मानित किया गया है और परियोजना को शुरू किया गया है।
- वित्त वर्ष **2015-16** के सेवा कर रिटर्न में दिखाए गए तुलना में सीबीडीटी के आयकर डेटा में घोषित सेवा आय के बीच किए गए डेटा मिलान अभ्यास के परिणामस्वरूप लगभग **12** लाख करोड़ का अंतर देखा गया है।
- नई सक्षम आईटी अवसंरचना के लिए आरएमएस, **ICEGATE, ICES & EDW** का प्रवासन किया गया है।
- "प्रोग्राम गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग एजेंसी" (**PG & MA**) के लिए नई **RFP** मंगाई गई है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के अंतिम चरण में है।
- ड्राइव/थ्रू कंटेनर स्कैनर समाधान जिसे मैसर्स **RAPISCAN** द्वारा मुंब्रा में कार्यान्वित किया गया है, जो एक बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से सीमा शुल्क प्रणाली के साथ एकीकृत है। आरएमएस के साथ एकीकरण चल रहा है।

- संशोधित रिफंड प्रसंस्करण, निर्यात डेटा का एकीकरण और गैर-ईडीआई साइटों से आईजीएसटी रिफंड के ऑनलाइन प्रसंस्करण, एसएमएस अलर्ट और निर्यातकों को सूचनाएं आदि।
- ICES** एप्लिकेशन तक पहुँचने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा, अधिकारियों के लिए **OTP** आधारित लॉगिन द्वारा बढ़ी हुई सुरक्षा।
- ई-मोबिलिटी समाधान, ईसीसीएस में कार्यान्वित आरएमएस के साथ सीमा शुल्क पीसीए।
- ई-एसएएजीएजी, सतर्कता मंजूरी के लिए वेब-आधारित अनुप्रयोग **20** दिसंबर **2018** को लॉन्च किया गया।
- GST** फ्रंट पर, **CBIC** मित्रा हेल्पडेस्क ने उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर **80%** संतुष्टि दर प्राप्त की है।
- आगे, पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न और रिफंड मॉड्यूल जीएसटी आवेदन में उत्पादन में तैनात कई प्रकार के कार्यात्मकता के साथ।
- जीएसटी में **5** विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सहित **24** एमआईएस रिपोर्ट को क्षेत्र संरचनाओं के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- डीआरसी **07** मॉड्यूल स्थगन आदेश द्वारा मांग की पुष्टि पर देयता खाता को अद्यतन करने के लिए जीएसटी में जारी किया गया है।
- समर्थ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) ने उन्नत किया और इंटरनेट और इंटरनेट पर लाइव किया। यह **NACIN** और **DG** सिस्टम द्वारा तैयार किए गए सीखने के मॉड्यूल को होस्ट करता है।
- AN-WAN** कार्यान्वयन दायरे के तहत **1389 CBIC** कार्यालयों को शामिल किया गया है। इनमें से **1101** साइटें पूरी हो चुकी हैं और बाकी काम पूरा होने वाला है।
- EDI** रूपांतरण के लिए गैर-ईडीआई **LAN/WAN** द्वारा **24** स्थानों/साइटों में से **23** पर पूरा किया गया है। इनमें से **5** उत्पादन में हैं और **16 ICES** में पूर्व-उत्पादन में हैं।
- 2018-19** में, सोने की तस्करी के प्रयास के **490** मामले, जिनका वजन **460** किलोग्राम से अधिक है, जिनमें लगभग **1942** करोड़ रु. अनुमानित है। एपीआईएस (अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली) के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के कई मामलों दर्ज किए गए हैं।
- ICEDASH-** विश्व बैंक की **EoDB** रिपोर्ट **2020** में सीमा पार से ट्रेडिंग में शीर्ष **50** रैंक हासिल करने के लिए दैनिक निकासी में शामिल **Dwell** समय की निगरानी और लक्ष्य मापदंडों के खिलाफ मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापार सुविधा पहल एक डैशबोर्ड है।

- डेटा प्रबंधन निदेशालय ने फील्ड फॉर्मेशन के लिए डीडीएम वेबसाइट के माध्यम से भेजी गई, डीजीआरएम रिपोर्ट पर संरचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक आईटी एप्लिकेशन विकसित किया है।

- सिस्टम महानिदेशालय को "डिजाइन द्वारा सुरक्षा" श्रेणी में "ओपन ग्रुप अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

#### ➤ **तुरन्त सीमाशुल्क अगली पीढ़ी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार (ईओडीबी)**

तुरन्त सीमाशुल्क माल के उतरने से पहले ही सीपोर्ट पर आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी को मंजूरी देने के लिए एक नवीन प्रक्रिया है। यह वर्तमान में औसतन **4** से **7** दिनों के बंदरगाह और **8** से **15** दिनों के लिए अंतर्देशीय बंदरगाहों (**ICDs**) पर केवल **2** दिनों के लिए आयातित माल की निकासी के समय में कटौती करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। तुरन्त सीमा शुल्क के परिचर लाभों में लेन-देन की लागत कम करने, सीमा शुल्क राजस्व का तेजी से संग्रह और आयातकों और सीमा शुल्क के बीच कम इंटरफ़ेस द्वारा हमारे उद्योग के डिजिटलीकरण, बेहतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है। यह आईसीडी को निर्यात सुविधा केंद्रों के रूप में पुनः स्थिति में लाने का अवसर प्रदान करेगा, जो निर्यात बढ़ाएगा। तुरन्त सीमाशुल्क के तहत पहले से लागू विभिन्न पहलें नीचे दी गई हैं:

#### क) **PGA e-SANCHIT का कार्यान्वयन**

सीमा शुल्क/नियामक एजेंसियों और व्यापार के बीच भौतिक इंटरफ़ेस को कम करने के उद्देश्य से और आयात और निर्यात दोनों में क्लियरेंस की गति बढ़ाने के लिए और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित लाइसेंस/परमिट/प्रमाण पत्र/अन्य प्राधिकरण (**LPCOs**) अपलोड करने के लिए ई-संचित, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले प्लेटफॉर्म पर सरकारी भाग लेने वालों के लिए एजेंसियां (पीजीए) एक सुविधा शुरू की गई थी।

#### ख) **निर्यात e-SANCHIT**

ई-संचित के लागू होने के साथ, दस्तावेजों के ऑनलाइन अपलोडिंग द्वारा सहायक दस्तावेजों की भौतिक कागजी प्रतियों को जमा करना, इस प्रकार हरे रंग की शासन की दिशा में हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर जोड़ना था। आयात में कार्यान्वयन के बाद इस वित्तीय वर्ष में निर्यात को बढ़ाया गया था।

#### ग) **ऑनलाइन माल पंजीकरण**

**ICEGATE** वेब पोर्टल के माध्यम से आयातक द्वारा स्व-माल पंजीकरण के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है। सभी सत्यापन जैसे कि शुल्क भुगतान, माल का आगमन आदि का सत्यापन प्रणाली द्वारा किया जाता है। यह विकास आयातक के लिए अनिवार्य रूप से माल पंजीकरण के लिए सीमा शुल्क अधिकारी से संपर्क करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाती है। **ICES** लिस्टिंग **BEs** में प्रदान की गई रिपोर्ट जहां माल पंजीकरण सफलतापूर्वक ऑनलाइन किया जाता है ताकि प्राथमिकता पर **OOC** के लिए इन **BEs** को लिया जा सके।

**घ) पेपरलेस एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी लाइसेंस।**

**ICES** एप्लिकेशन में "ऑल इंडिया लाइसेंस व्यू" के नाम से एक सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें माल की निकासी में शामिल सभी अधिकारी डीजीएफटी द्वारा जारी एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी लाइसेंस देख सकते हैं, इस तरह का लाइसेंस पंजीकृत होना चाहिए। चाहे यह उनका अधिकार क्षेत्र है या नहीं। यह प्रावधान **CBIC** के परिपत्र सं. **07/2019-सीमाशुल्क दिनांक 21.02.2019** के अनुसार किया गया है, जिसमें **01.03.2019** से लागू होने वाले एडवांस ऑथराइजेशन और **EPCG** लाइसेंस की कागजी नकल की परिकल्पना की गई है।

**ङ) संपर्क रहित/ग्रीन सीमा शुल्क की ओर अगला कदम।**

प्रोजेक्ट **iCODE** (ईडीआई के भारतीय सीमा शुल्क मूल दस्तावेज) के तहत, विभाग डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने की योजना बनाता है, क्यूआर कोड ने आयातकों और निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलिंग और शिपिंग बिलों की प्रतियों को सक्षम किया है। **ICODE** के तहत पायलट कार्यान्वयन के रूप में, पीडीएफ में बीई की पहली कॉपी (मूल्यांकन के बाद की प्रतिलिपि, परीक्षा के लिए प्रस्तुत) की पीढ़ी और प्रसारण अब परिचालन योग्य बना दिया गया है। दूसरे चरण में, शिपिंग बिल प्रतियों में भी इस सुविधा को बढ़ाया जाएगा।

**च) OOC के लिए BE की स्वचालित कतारबद्ध।**

बोर्ड के परिपत्र सं. **09/2019-सीमा शुल्क दिनांक 28.02.2019** के अनुरूप, अगली पीढ़ी के सुधार में आसानी से व्यापार करने के लिए, सिस्टम में एक नया स्वचालित कतार सुविधा शुरू की गई है जिसमें और निम्न की प्रविष्टि के लिए पैडिंग बिल के और शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए आयातक/अधिकृत व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी प्रवेश का, निकासी के लिए की बिल स्वतः ही **FIFO** नियम के बाद **OOC** सीमाशुल्क अधिकारी के सामने आ जाएंगे।

कस्टोडियन/सीएफएस के नए समूह बनाए गए हैं, जिन्हें ओओसी अधिकारियों को सिस्टम में मैप किया जा सकता है ताकि बीईएस को उन कस्टोडियन/सीएफएस से संबंधित स्वचालित रूप से प्राप्त हो सके। आरएमएस की सुविधा वाले कार्यों की तेजी से मंजूरी के लिए, एक समर्पित "सुविधा" समूह भी बनाया गया है, जिसे नामित अधिकारियों को पूरी तरह से सुविधा प्राप्त बिलों की ओओसी देने के लिए आवंटित किया जा सकता है।

**छ) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन (SCMTR), 2018:**

समुद्री कार्गो, कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन (**SCMTR**), **2018** जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसमें शिपिंग लाइन्स से लेकर कस्टोडियन तक के विभिन्न हितधारकों को नए नियमों के तहत काम करने के लिए एक आवेदन दायर करना होगा। हितधारकों के पंजीकरण (और अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति) के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है, जो मास्टर आवेदक इकाई, उनकी ओर से काम करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों जैसे अन्य चीजों पर कब्जा कर लेगा, जो नए नियम के तहत विभिन्न कार्यों में प्रदर्शन करने का इरादा रखते हैं।

न्यू मेनिफेस्ट रेगुलेशंस के तहत काम करने के लिए आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया अब ईईएस (अधिकृत एसेल्स फॉर एक्सपोर्ट्स), एएससी (अधिकृत सागर वाहक), एएसए (अधिकृत सागर एजेंट) के लिए खुली है। यह प्राधिकृत टर्मिनल ऑपरेटर, अधिकृत ट्रांसहाइपर और नॉन-वेसल ओनर कॉमन कैरियर के लिए खोला जाना है।

➤ **एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (EDW)** डेटा विज्ञान और उन्नत एनालिटिक्स की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए एक नई पीढ़ी के डेटा प्लेटफॉर्म में बदल रहा है और सीबीआईसी द्वारा मौजूदा एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (**EDW**) के रखरखाव के साथ-साथ प्रोजेक्ट 'टैक्स **360**' (अब प्रोजेक्ट ब्राइट) के रखरखाव के लिए मेसर्स आईबीएम को एक नया अनुबंध प्रदान किया गया है।

**3.14 सेवा प्रदाताओं के महानिदेशालय का कार्यनिष्पादन:**

**I. प्रचार**

**DGTS** सीबीआईसी के प्रचार और सूचना प्रसार आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार होता है। जीएसटी - आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार - अप्रैल, **2018** में मुश्किल से **9** महीने पुराना था, जिसे **1** जुलाई, **2017** को लॉन्च किया गया था। इसलिए जीएसटी पर आउटरीच प्रयासों पर फोकस जारी रहा है। चूंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली है जो निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को निहित करती है, विज्ञापन और प्रचार अभियान में नई कर व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, लेकिन जीएसटी, ई-वे बिल प्रणाली के लाभों तक सीमित नहीं है अपितु करदाताओं, अन्य हितधारकों और जनता की जागरूकता, सूचना और शिक्षा के लिए जीएसटी के प्रावधान और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इस अवधि में विभाग द्वारा की गई पहल ने सीमा शुल्क पक्ष पर व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए भी विज्ञापन और प्रचार प्रयासों में पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

**दी वे बिल सिस्टम-** जीएसटी लागू होने के सबसे महत्वपूर्ण स्पिन-ऑफ-वे- को **1** अप्रैल, **2018** से लागू किया गया था। ई-वे बिल प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें देश में माल परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है, जिससे यह तेज और आसान और सुचारु हो जाएगा।, पर्याप्त जागरूकता का निर्माण - न केवल करदाताओं के बीच, बल्कि परिवहन समुदाय - ई-वे बिल सिस्टम के बारे में, इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। हमारे आउटरीच प्रयासों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक-मुनाफाखोशीरोधी के उपायों के प्रचार को सुनिश्चित करना था, जिससे जीएसटी शासन में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। जीएसटी अभियानों में एमएसएमई सेक्टर, आम आदमी के हितों, रियल एस्टेट, रिटर्न फाइलिंग में सहायता, निर्यातकों को रिफंड, व्यापार करने में आसानी, जीएसटी के एक वर्ष के समापन और जीआईएन के तहत स्पष्टीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रचार में शामिल अन्य महत्वपूर्ण जीएसटी क्षेत्र भारत-नेपाल **ECTS** थे; अवैध विदेशी मूल पटाखों के बारे में चेतावनी; **IITF-2018** में **CBIC** पैवेलियन; सतर्कता जागरूकता सप्ताह -**2018** प्रचार के लिए समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर जैसे कि, टीवी, रेडियो, डिजिटल सिनेमा,

आउटडोर होर्डिंग्स, वेबसाइटों आदि तक पहुंचने के लिए संचार के अन्य महत्वपूर्ण माध्यमों को भी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए एकीकृत संचार रणनीति के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया।

### ➤ CBIC वेबसाइट

इंटरनेट की गति और पहुंच और सीबीआईसी वेबसाइट की लोकप्रियता को पहचानते हुए, सीबीआईसी वेबसाइट का व्यापक उपयोग प्रचार, जागरूकता और सूचना प्रसार के लिए किया गया था। इस साइट पर उपलब्ध जानकारी में जीएसटी अधिनियम और नियम, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, आदेश, सार्वजनिक नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, जीएसटी फ़्लायर, सामान्य **FAQs**, क्षेत्रीय प्रश्न, **GST** का अवलोकन, मुनाफाखोरीरोधी आदि शामिल हैं।

### ➤ सोशल मीडिया

नागरिकों के साथ त्वरित संचार के एक शक्तिशाली साधन के रूप में सोशल मीडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने प्रभावी रूप से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है जिसका नाम फेसबुक पेज (**CBECINDIA**), ट्विटर हैंडल (**@CBEC\_India** और **@askGST\_GOI**) और **Youtube** चैनल (**GST\_India**) है। **270** से अधिक क्रिएटिव सोशल मीडिया साइटों ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जीएसटी से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हुए जारी किए गए थे जैसे कि जीएसटी परिषद के फैसले: ई-वे बिल लॉन्च; ई-वे बिल की वैधता; विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस; जीएसटी राजस्व संग्रह; घरों के लिए कीमतें नीचे लाने के लिए एकल कर; रेस्तरां के लिए जीएसटी; जीएसटी: निर्यातकों को राहत; जीएसटी-क्लीयर इकोनॉमी और बढ़ती औपचारिकता; **MSME** के लिए बढ़ते अवसर; पारदर्शिता; ई-वे बिल जेनरेशन; सरल रिटर्न अर्थात् सहज और सुगम; छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न; बिल लो; रिफंड किले; निर्यात और रिफंड; सीमा शुल्क पक्ष पर जारी किए गए क्रिएटिव ने कस्टम प्रक्रियाओं की स्ट्रीमलाइनिंग को कवर किया; सीमा शुल्क द्वारा बरामदगी; विश्व पर्यावरण दिवस; सीमा शुल्क डिजिटल हो जाता है; मेट प्राप्तियों का उन्मूलन; राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना; ईओडीबी रैंकिंग में सुधार; संशोधित प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम (**AEO**); कूरियर आयात और निर्यात के लिए सुधार; स्विफ्ट; आयात और निर्यात दस्तावेजों में कमी; सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति; वेयरहाउसिंग प्रावधानों में संशोधन; ई **Sanchit**; जोखिम प्रबंधन प्रणाली; **ICEGATE** पर ट्रैकिंग स्थिति; लागत और समय पर सुधार का प्रभाव; डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी; लागत और समय (टाइम रिलीज़ स्टडी); सीजी आयात के लिए **IGM** सुव्यवस्थित; लेनदेन लागत में कमी के लिए पहल; भारत की रक्षा करने वाले **61** शानदार वर्ष; **DRI** बरामदगी; सीमा पार सहकारिता में नया युग आदि।

### ➤ IITF-2018 में CBIC पैवेलियन

भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला -**2018** प्रगति मैदान, नई दिल्ली में **14** से **27** नवंबर, **2018** तक निर्धारित **CBIC** मंडप - जनता के बीच **GST** के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के लिए विभाग की पहल का हिस्सा बना। इस मंडप का फोकस जीएसटी पर था। विभागीय फिल्मों/ऑडियो-विजुअल को प्रदर्शित करने वाले पैनल, ट्रांसलेट, ब्लोअप और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम

से जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर भी जानकारी प्रदर्शित की गई। जैसा कि जीएसटी में केंद्रीय और राज्य कर दोनों को शामिल करने वाले अप्रत्यक्ष कराधान परिदृश्य को बदलने की परिकल्पना की गई है, जीएसटी के संबंध में आने वाले जनता से बहुत सारे प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि का अनुमान लगाया गया था। इसे देखते हुए, वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा संचालित और एक प्रशिक्षित डीसी/एसी रैंक के अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित रूप से व्यापार और जनता के प्रश्नों को आधिकारिक रूप से संबोधित करने के लिए छह हेल्पडेस्क स्थापित किए गए। आगंतुकों को वितरण के लिए विभिन्न विषयों पर अद्यतन पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई गईं। आगंतुकों को सीबीआईसी द्वारा अंग्रेजी और हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सीबीआईसी द्वारा प्रकाशित जीएसटी पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में वेबसाइट देखने की भी सलाह दी गई। जीएसटी पर क्विज कियोस्क लगाए गए थे। जीएसटी को लोकप्रिय बनाने के लिए, **IITF** की पूरी अवधि के दौरान प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक और वेंट्रिलक्विस्ट शो किए गए, जिन्हें जनता का बहुत ध्यान और भागीदारी मिली। बच्चों, जादू और गेम शो और इंटरैक्टिव सत्रों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताओं/क्विज प्रतियोगिता के राउंड निष्पक्ष अवधि के माध्यम से आयोजित किए गए, जिनमें विजेता और प्रतिभागियों को दिए गए विभागीय लोगो के साथ आकर्षक उपहार थे। जीएसटी पर विशेष सत्र वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया गया और व्यापार और पेशेवरों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पैवेलियन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी और जीएसटी को बढ़ावा देने में काफी सफल रहा।

### ➤ आरटीआई और जन शिकायतें

यह निदेशालय आरटीआई अधिनियम, **2005** की धारा **25 (2)** के तहत आवश्यक केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर सीबीआईसी के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रगति की निगरानी करने के लिए सीबीआईसी के तहत नोडल एजेंसी है। यह सुनिश्चित किया गया था कि सीबीआईसी के तहत सभी क्षेत्र संरचनाओं ने अपने आरटीआई त्रैमासिक रिटर्न को सीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस अवधि के दौरान, आरटीआई अधिनियम, **2005** के तहत प्राप्त आवेदनों को कुशलता से नियंत्रित किया गया। इस निदेशालय द्वारा प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों पर कार्यवाही की गई और उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए उपयुक्त रूप दिया गया।

### ➤ कर सेवा प्रदाता केंद्र

डीजीटीएस का एक आदेश सभी आयुक्तों में करदाता सेवा केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। सख्ती से अनुवर्ती सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों में करदाता सेवा केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित की गई है।

### ➤ जन शिकायत अधिकारी

जन शिकायत अधिकारियों को देश भर के सभी आयुक्तों में नामित किया गया है और विवरण **CBIC** वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नागरिक चार्टर जन शिकायत अधिकारी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया की स्थिति में बेहतर अधिकारी की अपील के लिए प्रदान करता है।

तदनुसार, करदाताओं के लाभ के लिए बेहतर अधिकारी का संपर्क विवरण भी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है।

## II. प्रकाशन

निदेशालय ने CBIC अन्य संरचनाओं के आदेश पर निम्नलिखित प्रकाशन निकालवाए हैं:

### ➤ करदाता सूचना प्रकाशन

AEO ब्रोशर; विश्व व्यापार संगठन समझौता; जीएसटी फ्लायर बेनिफिट (2 संस्करण); ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ब्रोशर (32 संस्करण); राष्ट्रीय व्यापार सुविधा पुस्तिका; 13 जीएसटी फ्लायर (विविध विषय); 14 फ्लियर्स (विविध विषय); जीएसटी एमएसएमई फ्लियर; MSME (सेक्टरल); MSME बुकलेट; ट्रेड फेयर बुकलेट्स (ब्रोशर/फ्लियर्स); जीएसटी बेनिफिट फ्लायर; प्रति अदायगी अनुसूची; भारतीय सीमा शुल्क का इतिहास;

### ➤ विभागीय प्रकाशन

कवर सीसी सम्मेलन; डीजी सिस्टम के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; सीबीआईसी पत्रिका (2 अंक); DGCEI बुकलेट कवर; GST Docket Folder; रणनीतिक योजना 2018-20; सिविल लिस्ट 2018; स्वच्छता उदय (2 संस्करण); बजट मैनुअल; सतर्कता प्रशासन के लिए हैंडबुक; वॉल कैलेंडर -2019; डेस्क कैलेंडर; WCO ब्रोशर (4 संस्करण); DGHRD बुकलेट कवर; विभागीय डायरी; पॉकेट सम्पर्क -2019;

### 3.15 केंद्रीय उत्पाद शुल्क:

सेंट्रल एक्साइज विंग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित नीतिगत मामलों को देखती है। जीएसटी के 01.07.2017 से लागू होने के साथ ही, अब केवल पांच मदों हैं जिन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाना है। बदले परिदृश्य में, जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट से निपटने के लिए इस विंग को भी सौंपा गया है। विंग जीएसटी रेट इंजन, जीएसटी रिटर्न स्कूटनी मैनुअल और एडवाइट के प्रारूपण से संबंधित कार्य भी देख रहा है। गत वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क विंग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किए जाने थे। पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिपत्र जारी किए गए थे:

| क्रम सं. | परिपत्र संख्या                          | विषय                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1067/6/2018-सीएक्स<br>दिनांक 2018/10/05 | योजना पंजीकरण के तहत पात्र इकाइयों द्वारा दावों का ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन दाखिल                                           |
| 2        | 1065/4/2018-सीएक्स<br>दिनांक 2018/08/06 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत हटाने का स्थान, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2017 |

### 3.16 मुकदमा प्रबंधन में कार्यनिष्पादन:

विभाग कम मौद्रिक सीमा के आधार पर विभाग और उच्च न्यायालय से दायर 3159 कुल अपीलों में से 2169 अपीलों को वापस लेने में सक्षम था और मुकदमेबाजी में कमी की राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए समान मामले थे। CESTAT में उसी मुद्दे और अपील के निपटान पर अपील की बंविंग की गई है।

**3.17 विकलांगता/विकलांग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए पहल:** विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार के सभी निर्देश/निर्देश विभाग द्वारा कड़ाई से लागू और कार्यान्वित किए जाते हैं।

**3.18 महिलाओं के लिंग चयन/सशक्तिकरण से संबंधित पहल:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय में एक समिति का गठन किया गया है, जो यौन उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों की शिकायतों की देखभाल करेगी।

**3.19 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के विकास के संदर्भ में उठाए गए कदम जिनमें परियोजनाएँ/स्कीम जो कि संचालन में हैं और वास्तविक व्यय शामिल हैं:**

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में 91 स्थलों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है जिसमें 13 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (LCS) स्थान शामिल हैं। वर्तमान में इन साइटों के लिए 614 ऑल-इन-वन डेस्कटॉप, 102 लैपटॉप, 45 स्विच, 12 यूपीएस, 3 लाइन प्रिंटर और 454 नोड स्वीकृत किए गए हैं। 13 एलसीएस स्थानों में से, 2 साइटों को गैर-ईडीआई से ईडीआई में परिवर्तित किया गया है।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्षेत्र गठन के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने/दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आईटी अवसंरचना, कनेक्टिविटी आदि और समय-समय पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की साइटों जैसे कि एनएसीआईएन शिलॉन्ग, इंफाल आयुक्तालय में सीबीआईसी जीएसटी बैकेंड रिक्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

## 4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

### 4.1 संगठन और कार्य

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत सृजित सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और छः सदस्य होते हैं। सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय भी उसकी सहायता करते हैं:

- प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासन व टीपीएस)
- (क) आयकर निदेशालय (जन संपर्क व मुद्रण, प्रकाशन)
- (ख) आयकर निदेशालय (वसूली)

- (ग) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)
- (घ) आयकर निदेशालय (टीपीएस-I)
- (ड.) आयकर निदेशालय (टीपीएस-II)
- (च) सांख्यिकी (आर व एस) विंग
- (ii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)
- (iii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (संभार-तंत्र)
  - (क) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)
  - (ख) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
- (iv) प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशिक्षण)
- (v) प्रधान आयकर महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास)
  - (क) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
  - (ख) आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा)
- (vi) प्रधान आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)
- (vii) प्रधान आयकर महानिदेशालय (विधि एवं अनुसंधान)
  - (क) आयकर निदेशालय (एल. व आर.)
  - (ख) आयकर निदेशालय (लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण)
- (viii) आयकर महानिदेशालय (जोखिम आकलन)

आयकर विभाग सीबीडीटी का अधीनस्थ संगठन है और देश भर में तैनात 18 स्थानों पर विभिन्न प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के कार्य पर नजर बनाए रखते हैं तथा करदाता सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) जांच तंत्र का निरीक्षण करता है जिसका काम कर-अपवंचन को रोकना और बेहिसाबी धन का खुलासा करने वाले तंत्र का निरीक्षण करना है। आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) आयकर संबंधी अपराधों की आसूचना को इकट्ठा करने एवं जांच करने वाले तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), छूट का काम-काज तथा देश भर के गैर-लाभकारी संगठनों/न्यासों का काम-काज देखते हैं, तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य-निर्धारण के क्षेत्र में काम-काज देखता है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों, की सहायता मुख्य आयकर आयुक्तों, प्रधान आयकर आयुक्त और आयकर आयुक्तों द्वारा की जाती है तथा प्रधान आयकर महानिदेशकों/आयकर महानिदेशकों की सहायता अपर आयकर महानिदेशकों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के दायरे में रहकर की जाती है। आयकर आयुक्त (अपील) के रूप में तैनात आयकर आयुक्त अपीलीय कार्यों का निर्वहन करते हुए करदाता एवं मूल्यांकन अधिकारियों के बीच के विवाद का न्याय-निर्णयन करते हैं। आयकर विभाग देश भर के 530 शहरों तथा कस्बों में फैला हुआ है तथा वित्त वर्ष (2017-18) की स्थिति के अनुसार इसका करदाता आधार लगभग 7.41 करोड़ का है।

नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समग्र रूप से आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करते हैं ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, के.प्र.क.बो जिसकी सहायता के लिए आंचलिक लेखा अधिकारी होते हैं, को राजस्व संग्रहणों तथा आयकर विभाग द्वारा किए गए व्यय का लेखा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

#### 4.2 प्रत्यक्ष कर संग्रहण

आयकर विभाग का वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निष्पादन निम्नलिखित है:

- (i) प्रत्यक्ष करों का संग्रहण वित्त-वर्ष 2017-18 में 10,02,037 करोड़ रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 11,37,657 करोड़ रु. (अनन्तिम) हुआ है व पिछले वित्त-वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर है। कारपोरेट आयकर के तहत वृद्धि दर 16.2% था और वैयक्तिक आयकर के तहत वित्त वर्ष 2018-19 में 12.9 प्रतिशत था, करीब 12,00,000 रु. के संशोधित अनुमान का 95 प्रतिशत वित्त वर्ष-2018-19 में संग्रहित किया गया है।
- (ii) विभाग ने वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान बकाया मांग में से 40,599 करोड़ रु. और वित्त-वर्ष के दौरान की गई चालू मांग में से 59,660 करोड़ रु. संग्रहित किया।
- (iii) टीडीएस प्रशासन पिछले कुछ वित्त-वर्षों से प्रभावशील कार्य-निष्पादन कर रहा है। टीडीएस से कुल संग्रहण वित्त-वर्ष 2018-19 के लिए पिछले वित्त-वर्ष की तुलना में 18.1% की वृद्धि दर पर 4,87,669 करोड़ रु. हुआ है और यह सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहणों का 37.54 प्रतिशत है।
- (iv) अग्रिम कर का संग्रह वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान 5,30,285 करोड़ रु. है व इसमें पिछले वित्त-वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि है और यह सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 40.82 प्रतिशत है।

#### 4.3 कर आधार को व्यापक बनाना

कर-निर्धारण वर्ष-2018-19 में 6.49 करोड़ आयकर विवरणियां (आईटीआर) वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान दायर की गई जबकि कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 5.47 करोड़ आईटीआर दायर की गई थी, अतः 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 1.1 करोड़ नए आईटीआर दायरकर्ताओं को वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान फाइलर बेस में जोड़ा गया जबकि वित्त-वर्ष 2017-18 में 1.07 करोड़ नए दायरकर्ताओं को जोड़ा गया था।

#### 4.4 प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियां

करदाताओं और आयकर अधिकारियों के बीच आपसी समझ बढ़ाने तथा प्रत्यक्ष करों से संबंधित सामान्य प्रकृति की कठिनाइयों

को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) और महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 64 क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियाँ (आरडीटीएसी) हैं। इन समितियों में व्यापार और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल उनके गठन की तारीख से दो वर्ष का होता है।

#### 4.5 जांच प्रभाग

चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सरकार ने काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए बुनियादी नीति स्तर की पहल और अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में विधायी और प्रशासनिक उपाय शामिल हैं, क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ अधिक उन्नत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना भी शामिल है।

##### (i) तलाशी एवं जब्ती और सर्वेक्षण कार्य:

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 580 से अधिक समूहों में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की गई। इन मामलों में कार्रवाई का परिणाम 990 करोड़ रु. से अधिक परिसंपत्तियों की जब्ती और 15900 करोड़ रु. से अधिक अघोषित आय की स्वीकृति है। वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान (अनन्तिम आंकड़े) 980 से भी अधिक समूहों में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की गई। इन मामलों में कार्रवाई का परिणाम 1580 करोड़ रु. से अधिक की परिसंपत्तियों की जब्ती और 18590 करोड़ रु. से अधिक की अघोषित आय की स्वीकृति है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13540 से भी अधिक सर्वेक्षण किए गए जिसका परिणाम 9630 करोड़ रु. से अधिक की अघोषित आय का पता लगा। वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान 15400 से भी अधिक सर्वेक्षण किए गए जिसका परिणाम 16120 करोड़ रु. से अधिक की अघोषित आय का पता लगा।

##### (ii) अभियोजन एवं कम्पाउंडिंग:

आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में विभिन्न उपाए किए गए हैं ताकि शीघ्रतम अभियोजन योग्य मामलों की पहचान हो और पूर्ण गंभीरता से इन पर कार्रवाई की जा सके।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, 4520 से अधिक अभियोजन शिकायतें दायर की गई और 75 व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए। जबकि वित्त वर्ष- 2018-19। के दौरान 3500 से अधिक अभियोजन शिकायतें दायर की गई और इस अवधि के दौरान 105 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, 1620 से अधिक मामलों को संयोजित (कम्पाउंड) किया गया है जबकि वित्त-वर्ष 2018-19। के दौरान 2230 से भी अधिक मामलों को कम्पाउंड किया गया है।

\* आंकड़े अनन्तिम हैं।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रवर्तन उपायों के भाग के रूप में, कई मामलों पर कार्रवाई की गई जिसका परिणाम अघोषित आय का पता लगाना, परिसंपत्तियों की जब्ती और अभियोजनों को शुरू करना है।

(iii) **कालाधन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) और करारोपण अधिनियम, 2015 ('बी एम अधिनियम') के तहत कार्रवाई** - बीएम एक्ट विशेष रूप से विदेश में रखे गए काले धन के मुद्दे को अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए 01/07/2015 से लागू हुआ है। आयकर विभाग द्वारा बी एम अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों से 31/3/2019 को 12180 करोड़ रु. से अधिक की (मुद्रा बदलाव में उतार-चढ़ाव के अधीन) अघोषित विदेशी परिसंपत्तियाँ और आय का पता लगा है। इसके अतिरिक्त 50 से भी अधिक अभियोजन शिकायतें 31/3/2019 की स्थिति के अनुसार काला धन अधिनियम के तहत दायर की गई हैं।

(iv) **बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 ("बेनामी अधिनियम") के तहत कार्रवाई:** बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिसमें अन्य बातों के अलावा, बेनामी संपत्ति को जब्त करने और इस तरह के बेनामी लेनदेन के लिए लाभकारी मालिक(ओं) और/या अवप्रेरक के अभियोजन में सक्षम करें, का भी प्रावधान है। संशोधित कानून को अब बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है जो 1 नवंबर, 2016 से प्रभाव में आया है। बेनामी अधिनियम अनन्तिम जब्ती और बाद में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है, चाहे वह चल या अचल हो। यह लाभकारी स्वामी, बेनामीदार और बेनामी लेनदेन के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप 7 साल तक कठोर कारावास और संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25% तक जुर्माना हो सकता है। आईटीडी बेनामी अधिनियम का प्रशासन कर रहा है और इस प्रक्रिया में पूरे भारत में अपने जांच निदेशालयों के तहत 24 संमर्पित बेनामी निषेध इकाइयाँ (बीपीयू) की स्थापना की गई है ताकि बेनामी संपत्तियों के संबंध में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आईटीडी द्वारा की गई अक्षुण्ण कार्रवाई के परिणाम के रूप में वित्त वर्ष-2017-18 के दौरान, बेनामी संपत्तियों के अनन्तिम कुर्की के लिए कारण बताओ नोटिस 1400 से अधिक मामलों में जारी किए गए थे और 1220 से अधिक मामलों में अनन्तिम कुर्की की गई है। कुर्की के तहत संपत्तियों का मूल्य 3880 करोड़ रुपये है। 970 से अधिक मामलों में, अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को संदर्भ दिए गए थे। इसके अलावा, 32 मामलों में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने आईटीडी द्वारा पारित अनन्तिम कुर्की के आदेशों की पुष्टि की। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 550 से अधिक मामलों में बेनामी संपत्तियों के अनन्तिम कुर्की के लिए

कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 670 मामलों में अनंतिम कुर्की की गई है। कुर्की के तहत संपत्तियों का मूल्य 4760 करोड़ रुपये से अधिक है। 730 से अधिक मामलों में, अधिनिर्णय प्राधिकरण को अधिनियम के तहत संदर्भ दिया गया है। इसके अलावा, 530 से अधिक मामलों में, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने आईटीडी द्वारा पारित अनन्तिम कुर्की के आदेशों की पुष्टि की है।

(v) **विदेशी संपत्ति के मामलों में जांच:** एचएसबीसी बैंक खातों के मामलों में, जांच के परिणाम के रूप में, सूचित नहीं किए गए विदेशी बैंक खातों में जमा किए गए लगभग 8465 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर में लाया गया है। इसके अलावा, 172 मामलों में लगभग 1,291 करोड़ रुपए का छिपाव जुर्माना लगाया गया है। एचएसबीसी के मामलों में अब तक 204 अभियोजन शिकायतें 89 मामलों में दर्ज की गई हैं। इंटरनेशनल कंसोर्ट्रियम ऑफ़ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिसट्स (आईसीआईजे) के मामलों में, निरंतर जांच से अब तक अज्ञात विदेशी खातों में 11,010 करोड़ रुपये से अधिक क्रेडिट का पता चला है और 52 अदालतों में इस तरह के 93 अभियोजन की शिकायतें आपराधिक अदालतों के समक्ष पहले से ही दर्ज हैं। पनामा पेपर लीक्स मामलों में सामने आए मामलों में जांच के कारण 64 मामलों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई और 12 मामलों में सर्वेक्षण कार्रवाई की गई। 33 मामलों में, आपराधिक अभियोजन शिकायतों को मंजूरी दी गई है। अब तक की जांच में लगभग 1559 करोड़ रुपये के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला है।

(vi) **बेनामी लेनदेन मुखबिरो की पुरस्कार योजना, 2018:** काले धन का पता लगाने और कर चोरी को कम करने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, "बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018" नामक एक नई पुरस्कार योजना है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह पुरस्कार योजना लोगों को बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ऐसे छिपे हुए निवेशकों और लाभदायक मालिकों द्वारा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय को व्यक्तियों द्वारा सूचित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। बेनामी लेनदेन सूचनादाता पुरस्कार योजना, 2018 के तहत, एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपये तक इनाम मिल सकता है। बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के बारे में आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निषेध यूनिटों (बीपीयू) के संयुक्त या अपर आयुक्तों को निर्धारित तरीके से विशिष्ट जानकारी देने के लिए एक करोड़ रुपये और साथ ही ऐसी संपत्तियों से आय जो बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 के लिए कार्रवाई योग्य है; जैसा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार हों। इस तरह के इनाम के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। जानकारी देने वाले

व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा और सख्त गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

(vii) **संशोधित आयकर मुखबिरो की पुरस्कार योजना, 2018:** काले धन का पता लगाने और कर चोरी को कम करने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक नई इनाम योजना, जिसका शीर्षक, "आयकर सूचनादाता पुरस्कार योजना, 2018" है, आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई है व यह 2007 में जारी पूर्व इनाम योजना का अधिक्रमण करती है। संशोधित योजना के तहत, एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। भारत में आयकर या संपत्ति पर कर की पर्याप्त चोरी के बारे में आयकर विभाग में जांच निदेशालय के नामित अधिकारियों को निर्धारित तरीके से विशिष्ट जानकारी देने के लिए जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कार्रवाई योग्य हैं, 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिल सकता है। इसके अलावा, आकर्षित करने के उद्देश्य से और काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर का आरोपण अधिनियम, 2015 के प्रभाव में अघोषित विदेशी आय और संपत्ति के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 5 करोड़ रुपए नई इनाम योजना में पेश किए गए हैं। विदेशों में संभावित स्रोतों के लिए आकर्षक बनाने के लिए यह राशि उच्च रखी गई है। इस योजना के तहत, कोई व्यक्ति विदेशों में आय और संपत्ति पर पर्याप्त कर चोरी के बारे में निर्धारित तरीके से विशिष्ट जानकारी देने के लिए पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जो काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर का आरोपण अधिनियम, 2015 के प्रभाव के तहत कार्रवाई योग्य हैं। इसे आयकर महानिदेशक (जांच) या एक अधिकारी को निर्धारित तरीके से दिया जाना चाहिए जिसे वह इस संबंध में प्राधिकृत कर सकता है। विदेशी भी इस योजना के तहत इनाम के पात्र होंगे। जानकारी देने वाले व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा और सख्त गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

#### 4.6 लेखा परीक्षा और न्यायिक प्रभाग

##### 4.6.1 न्यायिक कार्य

**4.6.1.1** अपीलीय मंचों के समक्ष मुकदमेबाजी कम करने के लिए शुरू किए गए उपाय:

विभिन्न अपीलीय मंचों पर मुकदमों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) सीबीडीटी परिपत्र संख्या 2018 का 3, दिनांक 11/7/2018 के तहत आईटीएटी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभागीय अपीलों को दायर करने की मौद्रिक सीमा को 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख रुपए की पूर्व सीमाओं से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के कर प्रभाव तक किया गया है।



- (ii) इसके परिणामस्वरूप, 6855 और 7049 विभागीय अपीलों की पहचान की गई है और क्रमशःआईटीएटी और उच्च न्यायालय से वापिस ली गई हैं। इसी तरह उच्चतम न्यायालय से 959 मामले वापिस लिए गए हैं।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक कर प्रभाव वाले सीआईटी(अपील) के समक्ष लंबित अपीलों के निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, 1.92 लाख करोड़ रुपए के कर प्रभाव संबंधी 362 अपीलों का निपटान हुआ। वित्त-वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक की कर प्रभाव संबंधी अपीलों के निपटान पर ध्यान दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 3.03 लाख करोड़ रुपए के कर प्रभाव संबंधी 1033 अपीलों का निपटान हुआ। 3.01 लाख करोड़ रुपए की कर प्रभाव संबंधी 537 अपीलों को वित्त-वर्ष 2018-19 में अनलॉक किया गया है। विभाग का उक्त दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है जिसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

| वित्त-वर्ष | की गई अपीलें | निपटान अपीलें | अपील दायर करने से निपटान का प्रतिशत |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 2014-15    | 97,866       | 73,736        | 75                                  |
| 2015-16    | 1,20,265     | 94,093        | 78                                  |
| 2016-17    | 1,48,454     | 1,17,945      | 79                                  |
| 2017-18    | 1,17,150     | 1,23,480      | 105                                 |
| 2018-19    | 1,40,715     | 1,20,251      | 85.5                                |

\* निपटान प्रभावित हुआ था क्योंकि क्षेत्र में 124 आयकर आयुक्तों(अपील) की रिक्ति थी।

- (iv) लंबे समय से लंबित अपीलों को निपटाने के लिए अन्य आयुक्तों (जैसे सीआईटी(डीआरपी), सीआईटी (ऑडिट), आदि) को रिक्त सीआईटी (अपील) पदों के सामने अतिरिक्त प्रभार के साथ तैनात किया गया है ताकि दस लाख रुपए से कम की मांग संबंधी 3 वर्षों से अधिक समय तक लंबित बकाया अपीलों का तत्काल निपटान हो।
- (v) लंबित स्थिति को कम करने और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को समर्थित करने के लिए करीब 1000 लंबित मामलों के कुल 22 मुद्दों की पहचान की गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय को प्राथमिकता पर मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया है।
- (vi) विवादास्पद कानूनी मुद्दों को हल करने और विभागीय मत/ निपटान मत को बनाने के लिए सीबीडीटी के स्तर पर केन्द्रीय तकनीकी समिति(सीटीसी) सृजित की गई है। सीटीसी ने निपटान मुद्दों/विभागीय मत पर 30 परिपत्र जारी किए हैं और उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी विभागीय अपीलों को वापिस लेने/जोर नहीं देने का निर्देश है। विभाग ने इस तरह के अक्सर मुकदमेबाजी से

संबंधित मामलों अर्थात् धारा 14क, 68 और 147 से संबंधित मामलों के लिए मानक प्रक्रिया जारी की है। आशा है कि ये मानक प्रक्रियाएं मुकदमेबाजी को कम करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

- (vii) उच्च न्यायिक मंचों पर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में, सदस्य(ए एंड जे) द्वारा शुरू किए गए वैकल्पिक कर विवाद समाधान(एटीडीआर) के लिए एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचार-विमर्श के अधीन है।
- (viii) आईटीएटी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में जटिल न्यायिक मामलों को संभालने के लिए व विशिष्ट ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए विभागीय अधिकारियों का एक राष्ट्रीय प्रतिभा पूल और क्षेत्रीय प्रतिभा पूल बनाया जा रहा है।

#### 4.6.1.2 स्थायी वकील, विशेष लोक अभियोजक(एसपीपी) और विशेष वकील की नियुक्ति से संबंधित मामले:

वर्ष के दौरान, सीनियर/जूनियर स्टैंडिंग काउंसिल, एसपीपी और विशेष वकील के क्षेत्र से प्राप्त 69 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई और 49 स्वीकृति आदेश जारी किए गए।

4.6.1.3 कराधान से संबंधित कानूनी मामलों पर एक ई-जर्नल शुरू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की गई थी। तदनुसार, ई-जर्नल के लिए एक सुविधा राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली (एनजेआरएस) पोर्टल पर टैक्सलॉग्यू शीर्षक के तहत बनाई गई है। विभागीय अधिकारी/कर्मचारी कॉपोरेट कर संबंधी मामलों के कानूनी पहलुओं के साथ-साथ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयात के अन्य राजकोषीय मुद्दों पर लेख/ब्लॉग का योगदान करने में सक्षम होंगे। संपादकीय बोर्ड की मंजूरी के बाद लेख एनजेआरएस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

‘टैक्सलॉग’ में कानूनों के मामले(अंतर्राष्ट्रीय कराधान, छूट, पूछताछ और जांच, प्रक्रियात्मक मामलों, पूंजीगत लाभ, पेनी स्टॉक्स, बीएमए(अघोषित विदेशी आय और संपत्ति अधिनियम), बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 से संबंधित मामलों पर लेख होंगे। शास्ति और अभियोजन या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयात के राजकोषीय मुद्दे और संबंधित मामलों भी होंगे।

#### 4.6.2 लेखा परीक्षा(ऑडिट) और पीएससी कार्य

##### 4.6.2.1 सामान्य कार्य:

- (i) चेक और शेष राशि प्रदान करने में सी एंड एजी और संसद की लोक लेखा समिति के महत्व को स्वीकार करते हुए, ड्राफ्ट पैराग्राफ (डीपी) और सिस्टम मूल्यांकन के माध्यम से सी एंड एजी के प्रत्येक अवलोकन टिप्पणी की सीबीडीटी के ऑडिट और लोक लेखा समिति (ए एंड पीएससी) अनुभाग द्वारा पूरी तरह से जांच की जाती है। मंत्रालय के उत्तरों/ टिप्पणियों को क्षेत्र के अधिकारियों के परामर्श से संकलित किया जाता है और फिर सी एवं एजी और पीएससी जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत किया जाता है।

- (ii) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए निष्पादित ऑडिट रिपोर्ट और ड्राफ्ट पैरा और पीएसी द्वारा चुने गए विषयों पर पीएसी की रिपोर्ट मंत्रालय में ए एवं पीएसी अनुभाग द्वारा जांच की जाती है और की गई कार्रवाई नोट्स(एटीएन) तैयार किए जाते हैं और अंतिम निपटान होने तक सी एंड ए जी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

#### 4.6.2.2 निष्पादन

- (i) वर्ष के दौरान, 2017 की अनुपालना रिपोर्ट सं. 40(संसद के समक्ष 19/12/2017 को रखी गई) जिसमें 457 ड्राफ्ट पैरा थे, पर कार्रवाई की गई। ड्राफ्ट पैरा के अलावा कई सोदाहरण मामलों को शामिल करते हुए पांच अध्याय/लंबे ड्राफ्ट पैरा थे। सभी ड्राफ्ट पैराओं व अध्यायों में आरंभिक उत्तर भेजे गए और सभी ड्राफ्ट एटीएन को सभी मामलों और अध्यायों में अपलोड किए गए। यहां पर उल्लेख किया जाता है कि 457 ड्राफ्ट पैरा मामलों में से, 437 मामलों को वर्ष के दौरान सी एवं ए जी की सन्तुष्टि के अनुसार निपटा दिया गया है।
- (ii) ड्राफ्ट अनुपालना रिपोर्ट के अतिरिक्त, 479 ड्राफ्ट पैराओं पर इस वर्ष कार्रवाई की जा रही है और स्थिति निम्नलिखित है:-

| विवरण                             | संख्या |
|-----------------------------------|--------|
| सी एवं एजी से कुल डीपी            | 479    |
| 31/3/2019 तक(निपटान किए गए)       |        |
| सी एवं एजी को प्रेषित उत्तर       | 300    |
| मंत्रालय स्तर पर कुल लंबित स्थिति | 179    |

**4.6.2.3 पीएसी की दो रिपोर्ट (रिपोर्ट नंबर 103 और रिपोर्ट नंबर 104) 31/12/2018 की स्थिति के अनुसार लंबित थीं, जिसके लिए मसौदा कार्रवाई रिपोर्ट जनवरी, 2019 में भेजी गई है।**

#### 4.6.2.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

राजस्व प्रभाव के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

**01.04.2018 से 31/03/2019 की अवधि के लिए की गई आपत्तियां/ निपटान व शेष लंबित स्थिति निम्न है:**

|                      | 31/03/2019 तक<br>आपत्तियों की संख्या | राशि (लाख रुपए में) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>01/04/2018 को</b> |                                      |                     |
| प्रारंभिक शेष        | 25408                                | 1260250.28          |
| की गई                | 16975                                | 314684.20           |
| कुल                  | 42383                                | 1574934.48          |
| निपटान किए गए        | 11847                                | 433405.34           |
| बकाया                | 30536*                               | 1141529.14          |

\* ये आंतरिक लेखा-परीक्षा आपत्तियां कर-निर्धारण अधिकारियों/उपचारी कार्रवाई को अन्तिम रूप देने के लिए जांच हेतु लंबित हैं।

**4.6.2.5 एस.ए.सी. बैठक और जोनल मामलें:** अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता के तहत एस ए सी बैठकों को लेखा-परीक्षित पैराओं के निपटान की मॉनीटरिंग के लिए नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

#### 4.7 कर नीति और विधान प्रभाग

- (i) राष्ट्र के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास को प्राप्त करने, बृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कर नीतियां तैयार की जाती हैं। बजट 2018-19 के लिए कर प्रस्तावों का अंतर्निहित विषय है, कर आधार को व्यापक और विस्तृत करके प्रत्यक्ष करों में उछाल की गति प्रदान करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को कम करना, व्यक्तिगत आयकर में समस्तर (होटिजनटल) इक्विटी को बढ़ावा देना और कर प्रशासन की प्रभावशीलता; पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना जारी रखना है। इसके अलावा, बजट 2019-20 का अंतर्निहित विषय छोटे करदाताओं के लिए कर राहत प्रदान करना है।

- (ii) वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से उल्लेखनीय विधायी उपायों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार (टर्नओवर) वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की कम दर के लाभ का विस्तार शामिल है, वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपए की मानक कटौती, 10,000 रुपए से 50,000 रुपए स्रोत पर कर कटौती से ब्याज आय की छूट के लिए बढ़ाई गई सीमा के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को राहत, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80घ अधिनियम के तहत कटौती की सीमा में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय के लिए 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक, कुछ गंभीर बीमारी के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अधिनियम की धारा 80घघख के तहत कटौती की सीमा में 1,00,000 रुपए तक की वृद्धि, रोजगार की न्यूनतम अवधि में छूट का विस्तार, एक्ट की धारा 80जेजेए के तहत जूते और चमड़ा उद्योग में कटौती का दावा करने के लिए 240 दिन से 150 दिन तक के ई-मूल्यांकन से रोलिंग आउट जहां मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा ताकि अधिक दक्षता और पारदर्शिता के लिए व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क को समाप्त किया जा सके, प्रावधान हैं। इसके अलावा, 1,00,000 रुपए से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को बिना किसी इंडेक्सेशन के लाभ के 10% की दर से कर योग्य बनाया गया है।

- (iii) इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से उल्लेखनीय विधायी उपायों में वैयक्तिक कदरदाता के लिए कर छूट की राशि को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए करना, मानक कटौती की सीमा को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करना, दो स्व-कब्जे वाले मकानों

के कल्पित किराए पर कोई किराया नहीं, अधिनियम की धारा 54 के तहत, जहां आवासीय संपत्ति की बिक्री से पूंजी लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वहां दो आवासीय मकानों के खरीद या निर्माण में समस्त पूंजी लाभ के निवेश के लिए प्रदान एकबारगी विकल्प, टीडीएस पर बैंक ब्याज इत्यादि की अवसीमा को 10,000 रुपये बढ़ाकर 40,000 रुपये करना और किराए आय पर टीडीएस के अनुप्रयोग के लिए 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये करना शामिल है।

#### 4.8 विदेशी कर एवं कर अनुसंधान (एफटी एंड टीआर) प्रभाग

##### 4.8.1 कर संधियों की वार्ता

विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग, दोहरे कराधान परिहार संबंधी करार में वार्ता करता है तथा अंतिम रूप देता है जिन्हें दोहरे उद्देश्यों(क) संविदाकारी राज्यों के बीच कराधान अधिकारों का आबंटन ताकि दोहरे कराधान का परिहार हो और (ख) सूचना के आदान-प्रदान के लिए राजकोषीय अपवंचन को रोकना, कर संग्रहण में सहायता इत्यादि है। 31.12.2018 को 95 डीटीएए लागू हो गए हैं।

बैंकिंग सूचना का आदान-प्रदान के लिए पुराने डीटीएए (2009 के पहले) में सामान्यतः कोई प्रावधान नहीं थे। इसके अतिरिक्त सूचना का केवल तभी आदान-प्रदान किया जा सकता था यदि यह डीटीएए के अनुप्रयोग करने के लिए न कि घरेलू कानूनों के प्रवर्तन के लिए संगत हो। इसके अतिरिक्त, पुराने डीटीएए के तहत प्राप्त सूचना को आपूर्ति राज्य की सहमति के बाद भी गैर-कर उद्देश्यों के लिए सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, 2009 के बाद से कई कर संधियों में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल के माध्यम से आशोधित किए गए। वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुईं:

- (i) आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारतीय गणराज्य सरकार और हांगकांग सरकार, पीपुल्स चीन गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच 19 मार्च, 2018 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यह 30 नवम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुआ है।
- (ii) भारत और चीन के बीच डीटीएए में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर 26 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- (iii) दोहरे कराधान के परिहार व आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत सरकार और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सरकार के बीच 17 फरवरी, 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- (iv) भारत और कजाकिस्तान के बीच डीटीएए में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल 12 मार्च, 2018 (12.04.2018 को अधिसूचित) को लागू हो गया है।
- (v) भारत और कुवैत के बीच डीटीएए में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल 26 मार्च, 2018 (04.05.2018 को अधिसूचित) को लागू हो गया है।

(vi) भारत और ताजिकिस्तान के बीच डीटीएए में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल 20 फरवरी, 2018 (23.03.2018 को अधिसूचित) में लागू हो गया है।

(vii) 11 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री की केन्या यात्रा के दौरान संशोधित डीटीएए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 30 अगस्त, 2017 को लागू हुआ और 19 फरवरी, 2018 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

(viii) दोहरे कराधान परिहार और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारतीय गणराज्य सरकार और पुर्तगाली गणराज्य सरकार के बीच अभिसमय में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल 08/08/2018 को लागू हुआ है।

जिन देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ यह महसूस किया गया है कि दोहरे कराधान से बचने के लिए कराधान अधिकारों का आवंटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अपतटीय न्यायालय, एफटी और टीआर प्रभाग, सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधान वाले टैक्स सूचना एक्सचेंज समझौतों (टीआईईए) में वार्ता करता है। 30.12.2018 की स्थिति के अनुसार, 19 टीआईईएस लागू थे।

भारत भी कर मामलों(बहुपक्षीय कन्वेंशन) में पारस्परिक सहायता पर बहुपक्षीय कन्वेंशन में भी शामिल हो गया है जो भारत के लिए 01.06.2012 को लागू हुआ था और जो कर मामलों में एक विस्तृत रेंज की प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है जिसमें जानकारी का आदान-प्रदान, करों के संग्रह में सहायता शामिल है, विदेश में कर परीक्षा, संयुक्त लेखा-परीक्षा आदि भी शामिल है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। 29.11.2018 की स्थिति के अनुसार, 126 देशों/क्षेत्राधिकारों ने बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह 112 देशों/अधिकार क्षेत्रों के लिए लागू हुआ है।

सार्क देशों ने 13.11.2005 को कर मामलों में पारस्परिक (म्युचुअल) प्रशासनिक सहायता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के लिए 01.04.2011 से लागू हुआ। यह प्रशासनिक सहायता की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

संशोधित/पुनर्विचारित डीटीएए में और साथ ही 2009 के बाद प्रविष्ट नए डीटीएए/टीआईईए में और बहुपक्षीय कन्वेंशन और सार्क बहुपक्षीय समझौते के तहत, घरेलू कर उद्देश्यों के लिए बैंकिंग जानकारी और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है। इसके अलावा, आमतौर पर प्राप्त जानकारी का उपयोग गैर-कर उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, अगर इस तरह के उपयोग को आपूर्ति और प्राप्त राज्य दोनों के कानूनों और आपूर्ति राज्य की सहमति से अनुमति दी जाती है।

##### 4.8.2 राजकोषीय अपवंचन को रोकने में और काले धन की समस्या का समाधान करने में कर संधियों की भूमिका

(i) कर अपवंचन की कारगर ढंग से जांच करना और उसको रोकना, जिसमें कि विदेश में छिपा कर रखे गए बेनामी धन

का पता लगाना भी शामिल है, केवल तभी संभव है जब हमें बाहर के देशों से जानकारी सुलभ हों। बहरहाल विदेशी सरकारें विशेषकर जो कर अपवंचन का आश्रय मानी जाती हैं, मात्र पत्र के आधार पर या ऐसे कर अपवंचनों को रोकने के लिए अपने नैतिक दायित्व के बारे में किए जाने वाले अनुरोध के आधार मात्र पर सूचना देने वाली नहीं है। अन्य कारकों में बिना किसी विधिक आधार के सूचना देने को उनके अपने न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है और यह उनके यहां के जनमत या नागरिकों के मत के खिलाफ भी हो सकता है। बाहर छिपा कर रखे गए धन और परिसम्पत्तियों तथा विदेश में हुए अघोषित संव्यवहार के बारे में ऐसी जानकारी केवल विधिक विलेखों के माध्यम से अथवा भारत और उन देशों के बीच होने वाली संधि के अन्तर्गत ही प्राप्त की जा सकती है।

- (ii) "विधिक विलेख" जिनके माध्यम से जांच के उद्देश्य के लिए ऐसी जानकारी को जिन भारतीय कर कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है वे हैं डीटीएए, टीआईईए, बहुपक्षीय अभिसमय और सार्क बहुपक्षीय करार जिनके अन्तर्गत द्विपक्षीय आधार पर सूचना का आदान-प्रदान करने का विधिक दायित्व पैदा होता है। इन करारों ने इतने वर्षों से इन करारों के पक्षकार देशों के बीच सहयोग के एक विलेख का रूप ले लिया है जिससे कि कर राजस्व के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान हो सकता है और दोहरे कराधान को रोका जा सकता है। इसके अलावा राजकोषीय अपवंचन, कर को न जमा करने और घोखाधड़ी करने के कार्य को भी रोका जा सकता है। ऐसा मुख्य रूप से संबंधित करदाताओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करके किया जा सकता है और इससे कर के संग्रहण में भी सहायता मिलती है।
- (iii) भारत सरकार ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकती है जोकि कर से संबंधित घरेलू कर कानूनों को लागू करने में सुसंगत हो सकती हैं। इस प्रकार की जानकारी को वह 153 से अधिक देशों/क्षेत्राधिकारों से प्राप्त कर सकती है जोकि डीटीएए/टीआईईए/बहुपक्षीय अभिसमय/सार्क बहुपक्षीय करार के अन्तर्गत आते हैं। कुछ देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ एक से अधिक करार जैसे कि बहुपक्षीय अभिसमय के साथ डीटीएए हो सकते हैं जिनके अन्तर्गत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अनुबंध-क में दी गई सारणी में ऐसे देशों/क्षेत्राधिकारों की एक सूची तथा उन देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ हुई कर संधि के वर्तमान स्तर को भी बताया गया है।
- (iv) इस प्रकार की कर संबंधी संधियों के अन्तर्गत प्राप्त जानकारी को केवल ऐसे व्यक्तियों/प्राधिकारियों को बताया जा सकता है जोकि कर उद्देश्यों से संबंधित हों और वे इनका प्रयोग केवल इन्हीं उद्देश्यों के लिए करेंगे। हालांकि वे इसे ऐसे सार्वजनिक न्यायिक प्रक्रियाओं में या न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं जोकि किसी शिकायत को दर्ज करने

(v)

या सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने में जरूरी हो। इस प्रकार की प्रकट की गई जानकारी सार्वजनिक हो जाती है और इसका कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियां भी प्रयोग कर सकती हैं जोकि भ्रष्टाचार, धन आशोधन, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता दिए जाने आदि की समस्या से निपट रही होती हैं।

विगत हाल ही में सरकार ने सूचना के आदान-प्रदान के उपर्युक्त तंत्र का कारगर ढंग से प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए हैं:-

- (क) अक्टूबर 2018 में, भारत और लिचटेंस्टीन ने कैलेंडर वर्ष 2017 के संबंध में लिचटेंस्टीन को डेटा का आदान-प्रदान करने में सक्षम करने के लिए एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नतीजतन, 2017 के लिए लिचटेंस्टीन में भारतीय निवासियों द्वारा रखे गए खातों की वित्तीय जानकारी आम रिपोर्टिंग मानकों के तहत आदान-प्रदान की गई थी।
- (ख) फरवरी 2018 के महीने में ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें सूचनाओं के अनुरोधों की लंबित स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे ब्रिटेन से बेहतर प्रतिक्रिया मिली है।
- (ग) जून 2018 के महीने में स्विस् अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सूचना के लिए अनुरोधों की लंबित स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई थी। स्विस् अधिकारियों का रुख सकारात्मक था और एचएसबीसी लीक के मामलों की जानकारी देने के लिए सहमत हुए थे जो अभी तक लंबित थे।
- (घ) जर्सी, कैमैन द्वीप, बरमूडा आदि कर अधिकारियों के साथ अन्य अन्तरराष्ट्रीय बैठकें/अन्य कर प्राधिकारियों के साथ की गई। ये द्विपक्षीय बैठकें सूचना के लिए लक्षित और विशिष्ट अनुरोधों को करने और समस्याओं को समझने, यदि कोई हो जोकि इन्हें सूचना प्रदान करने से रोकती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, में सहायक होती हैं।
- (ङ.) सूचना के आदान-प्रदान पर मैनुअल के साथ पठित सीबीडीटी द्वारा जारी केंद्रीय कार्य योजना, प्रक्रिया की व्याख्या करती है और कर संधियों के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर देती है। केंद्रीय कार्य योजना 2018 में यह भी अधिदेश है कि प्रत्येक प्रधान सीआईटी प्रभारी कर संधियों के तहत उचित संदर्भ बनाने के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।
- (च) अपतटीय आधारित कर के मुद्दे व विदेशों में रखे गए काले धन को दूर करने के लिए भारत के प्रचलित कर-संधियों के तहत उचित अनुरोध/पूछताछ करने के लिए

अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ अधिकारियों को लैस करने के लिए मुंबई, दिल्ली आदि स्थानों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि हमारे संधि भागीदारों से प्राप्त जानकारी का उपयोग कर चोरी और परिहार से निपटने के लिए प्रभावी रूप से किया जाता है।

(ज) शीघ्रता से जांच पूरी करने और उचित मामलों में शिकायत/अभियोग दर्ज करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(vi) संविदाकारी राज्य, कर करारों के तहत अपने संधि भागीदारों को सूचना प्रदान कर सकते हैं जोकि राजकोषीय अपवंचन को रोकने, यदि इस संबंध में कोई विशेष संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, सूचना का शीघ्र आदान-प्रदान के तहत सूचना प्रदान कर सकते हैं। इस रूट के तहत प्राप्त सूचना अधिक नहीं है और इस संबंध में सहयोग बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय आधार पर कार्य किए जा रहे हैं।

(vii) अधिकांश डीटीएए और बहुपक्षीय अभिसमन(कन्वेंशन) के तहत सूचना का स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई), जोकि स्रोत देश द्वारा निवासी देश को 'अधिकांश' सूचनाएं सुव्यवस्थित और आवधिक संचरण है, भी संभव है। भारत ईओआई के तहत कुछ देशों से सूचना प्राप्त कर रहा है। हालांकि, ईओआई के तहत प्राप्त जानकारी मुख्यतः ब्याज, लाभांश, वेतन, पेंशन आदि से संबंधित है और आगे एक मानक प्रारूप में नहीं है और इस तरह से विदेश स्थित कर चोरी की रोकथाम में बहुत प्रभावी नहीं है। ईओआई पर वैश्विक स्तर को इसलिए जी-20 देशों के मार्गदर्शन और नेतृत्व के तहत विकसित किया गया है जिसने विदेश स्थित कर चोरी को रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका की है।

(viii) कई भारतीय डीटीएए में, कर संग्रह में सहायता के लिए प्रावधान हैं जिसके तहत संविदाकारी राज्य अपने देशों में स्थित परिसंपत्तियों से कर बकायों को प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। कुछ टीआईईए में करों के संग्रहण में सहायता के प्रावधान भी मौजूद हैं। बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेंशन) के तहत करों में संग्रहण की सहायता भी संभव है, यदि हस्ताक्षकर्ता देश ने आरक्षण(रिजर्वेशन) प्रदान नहीं की है और यह सार्क बहुपक्षीय संधि के तहत है।

(ix) कर संधियों के तहत उपलब्ध प्रशासनिक सहायता के अन्य प्रकार विदेश में कर परीक्षा, एक साथ परीक्षा, संयुक्त लेखा परीक्षा, नोटिस को तामील करना इत्यादि है जोकि संभावित रूप में अधिक उपयोगी हैं।

#### 4.8.3 जी20 में कर मुद्दे

भारत नेताओं(भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया), वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और प्रतिनिधि के स्तर पर इसकी सभी बैठकों में जी 20 में अन्तरराष्ट्रीय कर मुद्दों पर

समाधान का अग्रणी सहयोगी हैं। अन्तरराष्ट्रीय कर मुद्दे जी 20 एजेंडा में प्रमुख रूप से होते हैं और मुख्यतः बेसक्षरण और लाभ अन्तरण (बीईपीएस) और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई) से संबंधित होते हैं। ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में नवंबर, 2018 में जी 20 नेताओं की हालिया विज्ञप्ति में कर मुद्दों पर पैराग्राफ इस प्रकार है:

*"हम विशेष रूप से कर संधियों और मूल्य निर्धारण नियमों को स्थानांतरित करने के आधार पर विश्व स्तर पर निष्पक्ष, स्थायी और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए अपना काम जारी रखेंगे और विकास समर्थक कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करेंगे। ओईसीडी/जी20 बेस क्षरण और लाभ अन्तरण(बीईपीएस) पैकेज का विश्वव्यापी कार्यान्वयन आवश्यक है। हम अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली पर 2019 में एक अद्यतन और 2020 तक एक अंतिम रिपोर्ट के साथ अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के प्रभावों को दूर करने के लिए एक सर्वसम्मति आधारित समाधान की तलाश के लिए एक साथ काम करना जारी रखेंगे। हम वित्तीय खाते की स्वतः जानकारी विनिमय की शुरुआत का स्वागत करते हैं और ओईसीडी द्वारा विकसित किए गए सुदृढ़ मानदंडों को स्वीकार करने के लिए, उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, जिन्होंने कर पारदर्शिता मानकों को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया है, के प्रति प्रयासों की सराहना करते हैं। सूचीबद्ध क्षेत्राधिकारों के खिलाफ, रक्षात्मक उपायों पर विचार किया जाएगा। सभी क्षेत्राधिकारों को कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर और पुष्टि करनी चाहिए। हम विकासशील देशों में कर की निश्चितता और कर क्षमता निर्माण का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म फॉर टैक्स पर सहयोग भी शामिल है।*

भारत ने लगातार कहा है कि सभी प्रतिबद्ध क्षेत्राधिकारियों को जी 20 (अर्थात सितंबर 2017, 2018) के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार ईओआई के कार्यान्वयन का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हालांकि, अधिक स्तरीय नीति, विशेष रूप से कई देशों/क्षेत्राधिकारों के रूप में, सभी इच्छुक उचित भागीदारों के साथ जानकारी रखने के लिए अभी तक काम के आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल फोरम को समान रूप से निगरानी और समीक्षा करने के लिए तंत्र को विकसित करना चाहिए और जी 20 के वित्त मंत्रियों और नेताओं को रिपोर्ट करना चाहिए जिसमें रूचि वाले भागीदारों के बीच सक्रिय ईओआई संबंधों के संबंध में प्रगति शामिल है। यह उन क्षेत्राधिकारों की सूची में होना चाहिए, जो उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ओईसीडी के मानदंडों को ध्यान में रखते हैं, जिन्होंने कर पारदर्शिता के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया है। क्षेत्राधिकारों के खिलाफ संभावित रक्षात्मक उपाय जो प्रतिबद्ध समय-सीमा के भीतर सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के तहत सूचना का आदान-प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें जल्दी से अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। ईओआई मानक का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रतिबद्धता से अर्थात 2017 या 2018 तक पहला आदान-प्रदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईओआई के वास्तविक क्रियान्वयन में किसी भी तरह की देरी से कर

चोरी करने वालों (अपवंचकों) को अन्य क्षेत्राधिकारों में अपने वित्तीय खातों को बंद करने का अवसर मिल सकता है जिससे प्रतिबद्ध क्षेत्राधिकार विफल हो जाएंगे व प्रतिबद्ध क्षेत्राधिकार अपने निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में विफल हो जाएंगे जिससे प्रतिबद्धता अप्रभावी हो जाएगी। प्रासंगिकता के ऐसे क्षेत्रों को पहचानने की आवश्यकता है ताकि उन्हें किसी निश्चित समय सीमा के भीतर एईओआई मानक के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कहा जा सके।

सीआरएस के तहत वित्तीय खाते की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान की शुरुआत को देखते हुए, भारत का मानना है कि सीआरएस के तहत कवर नहीं की गई जानकारी का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकारों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सीआरएस के तहत स्वचालित रूप से वित्तीय जानकारी के सीमा पार आदान-प्रदान से निपटने के लिए संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य के लिए प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र के लिए सीआरएस के तहत प्राप्त वित्तीय जानकारी को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करना आवश्यक है।

#### 4.8.4 आधार क्षरण और परियोजना स्थानान्तरण (बीईपीएस) पर जी20/ओईसीडी परियोजना

बेस एरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) करदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों का उल्लेख करते हैं, जो

विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कर नियमों में बदलाव और बेमेलताओं का शोषण करने के लिए सीमा पार से संचालित होती हैं, जो उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर मुनाफा स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती हैं, जहां मुनाफे को सृजित करने वाली आर्थिक गतिविधियां होती हैं और जहां मूल्य बनाया जाता है। बीईपीएस लंबे समय से विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह उनके कर आधार को विकासात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित करता है। यह आम करदाताओं के लिए भी अनुचित है और आगे चलकर बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनईज) के लिए घरेलू कंपनियों के सामने एक अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है व इस प्रकार बीईपीएस रणनीतियों के लिए कोई अवसर नहीं है।

जी 20 के वित्त मंत्रियों के अनुरोध पर, जुलाई, 2013 में, ओईसीडी ने जी 20 देशों के साथ काम करते हुए, बीईपीएस पर एक कार्य योजना शुरू की, जिससे इस चुनौती का समाधान करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों से सरकारों को लैस करने के लिए आवश्यक 15 विशिष्ट कार्यों की पहचान की गई। कार्रवाई योजना में गैर-कराधान को समाप्त करने के लिए 15 कार्रवाइयां करने का प्रावधान है और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ पर कर लगाया जाता है, जहां लाभ उत्पन्न होने वाली आर्थिक गतिविधियों को किया जाता है और जहां मूल्य बनाया जाता है। योजना में उल्लिखित कार्य और अपेक्षित परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

| कार्रवाई                                                                                  | अपेक्षित आउटपुट                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों का समाधान करना                                     | डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण उद्भूत ज्ञात मुख्य मुद्दों को रिपोर्ट करना और इनका समाधान करने के लिए संभावित कार्रवाई                                                     |
| 2. हाइब्रिड मिसमैच व्यवस्था के प्रभावों को बेअसर करना                                     | मॉडल कर अभिसमय में परिवर्तन<br>घरेलू नियमों के डिजाइन के बारे में सिफारिशें                                                                                            |
| 3. सी एफ सी नियमों को सशक्त करना                                                          | घरेलू नियमों के डिजाइन के बारे में सिफारिशें                                                                                                                           |
| 4. ब्याज कटौतियां और अन्य वित्तीय भुगतानों के द्वारा आधार क्षरण(बेस इरोजन) को सीमित करना  | घरेलू नियमों के डिजाइन के बारे में सिफारिशें<br>अन्तरण मूल्य दिशा-निर्देशों में बदलाव                                                                                  |
| 5. पारदर्शिता और वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए हानिकारक कर प्रक्रियाओं का सामना करना | सदस्य देश की शासन प्रणाली की समीक्षा को अन्तिम रूप देना<br>गैर ओईसीडी सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति<br>विद्यमान मानदण्डों का संशोधन                         |
| 6. संधि दुरुपयोग का निवारण करना                                                           | मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव<br>घरेलू नियमों के डिजाइन के संबंध में सिफारिशें                                                                                    |
| 7. पी ई स्थिति की कृत्रिम परिहार को रोकना                                                 | मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव                                                                                                                                     |
| 8. अन्तरण मूल्य-निर्धारण परिणाम मूल्य सृजन/अमूर्त आस्ति के अनुरूप हैं, को सुनिश्चित करना  | अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों और संभवतः मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव<br>अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों और संभवतः मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव |

| कार्रवाई                                                                                             | अपेक्षित आउटपुट                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. अन्तरण मूल्य-निर्धारण परिणाम मूल्य सृजन/जोखिमों और पूंजी के अनुरूप हैं, को सुनिश्चित करना         | अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों और संभवतः मॉडल कर अभिसमय (कन्वेंशन) में बदलाव                |
| 10. अन्तरण मूल्य-निर्धारण परिणाम मूल्य सृजन/अन्य उच्च-जोखिम लेन-देन के अनुरूप हैं, को सुनिश्चित करना | अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों और संभवतः मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव                 |
| 11. बीईपीएस पर डाटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए कार्यप्रणाली को स्थापित करना                 | संग्रहित किए जाने संबंधी डाटा और इनका विश्लेषण करने के लिए कार्यप्रणालियों के संबंध में सिफारिशें |
| 12. करदाताओं के लिए अपनी उद्यमशील कर नियोजन व्यवस्थाओं को प्रकट करना अपेक्षित है।                    | घरेलू नियमों के डिजाइन से संबंधित सिफारिशें                                                       |
| 13. अन्तरण मूल्य-निर्धारण प्रलेखन की पुनः जांच करना                                                  | अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों में बदलाव और घरेलू नियमों के डिजाइन के संबंध में सिफारिशें   |
| 14. विवाद समाधान मैकेनिज्म को अधिक प्रभावी बनाना                                                     | मॉडल कर अभिसमय(कन्वेंशन) में बदलाव                                                                |
| 15. बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करना                                                                    | संगत लोक अन्तरराष्ट्रीय कानून मुद्दों को ज्ञात और रिपोर्ट करना<br>बहुपक्षीय दस्तावेज तैयार करना   |

जी 20 देशों ने ओईसीडी को इन 15 सूत्री कार्रवाई योजना(एक्शन प्लान) पर सिफारिशों को तैयार करने का काम सौंपा। जी -20 की बैठक के दौरान, भारत और कुछ अन्य गैर-ओईसीडी जी -20 देशों ने एक मुद्दा उठाया कि आधार क्षरण और लाभ अन्तरण एक वैश्विक मुद्दा है और तदनुसार सिफारिशों को वैश्विक सहमति के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए न कि केवल ओईसीडी देशों द्वारा। जी 20 में विस्तृत वार्ता के बाद, यह सहमति हुई कि सभी आठ गैर-ओईसीडी जी 20 देश (अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका) "प्रोजेक्ट ऑन बीपीएस" में समान स्तर पर भाग लेंगे। ओईसीडी ने गैर-ओईसीडी जी 20 देशों को एक समान स्तर पर संबद्ध करने के लिए अपने नियमों को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की और एक गैर-ओईसीडी जी -20 देशों को एक एसोसिएट बनने का अनुरोध करने वाला एक औपचारिक पत्र बनाया गया। यह भी तय किया गया कि अन्य विकासशील और कम आय वाले देश भी बीईपीएस पर काम से जुड़े रहेंगे और सिफारिशें तैयार करते समय उनके इनपुट लिए जाएंगे।

भारत ने हमारे स्वीकृति पत्र 31 जुलाई 2013 के जरिए बीईपीएस परियोजना में एक "सहयोगी"(एसोसिएट) बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अन्य सात गैर-ओईसीडी जी 20 देशों ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ओईसीडी काउंसिल के प्रस्ताव के अनुसार, आठ "एसोसिएट्स" ओईसीडी देशों के साथ समान आधार पर भाग ले रहे हैं, जिसमें समिति में ब्यूरो की भागीदारी चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रस्ताव के अनुसार, एसोसिएट्स से अपेक्षा की जाएगी कि वे परियोजना के परिणामों या चर्चाओं में स्वयं को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वे अन्यथा अभिव्यक्त न करें।

ओईसीडी के वित्तीय मामलों की समिति(सीएफए) 12 सदस्यों वाला एक ब्यूरो है। ब्यूरो परियोजना की प्रगति की देखरेख करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है। चूंकि बीईपीएस परियोजना में 8 गैर-ओईसीडी जी-20 देश एक समान पायदान पर भाग ले रहे हैं, अतः बीईपीएस परियोजना के लिए ब्यूरो को "ब्यूरो प्लस" तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया और 8 गैर-ओईसीडी जी -20 देशों में से 3 को इन 8 देशों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ब्यूरो प्लस में शामिल करने का निर्णय किया गया। तदनुसार, भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका अब ब्यूरो प्लस में आठ गैर-ओईसीडी जी 20 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह नोट किया जाए कि भारत ने बीईपीएस परियोजना में रचनात्मक और व्यापक रूप से विभिन्न तंत्रों के माध्यम से एक समान आधार पर भाग लिया, जिसमें ओईसीडी के वित्तीय मामलों (सीएफए) पर समिति के तहत स्थापित किए गए कार्य दलों और फोकस समूहों में प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं(डिलिबरेबल्स) को अंतिम रूप देने का दोहरा उद्देश्य शामिल थे:

- (क) आधार क्षरण और लाभ अन्तरण को रोकने के लिए सिफारिशों को तैयार करने में अन्य देशों के साथ सहयोग करना; और
- (ख) नए मानकों के विकास में भारत और अन्य विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना।

विकासशील देशों और अन्य गैर-ओईसीडी/गैर जी -20 अर्थव्यवस्थाओं को कई क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों की बैठकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर परामर्श दिया गया है और उनके इनपुट को काम में शामिल किया गया है। व्यापार प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों,

नागरिक समाज संगठनों और शिक्षाविदों को भी विचार-विमर्श मसौदों पर टिप्पणी करने के अवसरों के माध्यम से प्रक्रिया में शामिल किया गया है और उनकी टिप्पणियों पर परामर्श बैठकों और वेबकास्ट के माध्यम से चर्चा की गई।

कार्रवाई योजना में वर्णित सात आपूर्ति-कर्ता (डिलिबरेबल्स) का पहला सेट सितंबर, 2014 में जी 20 के वित्त मंत्रियों और नवंबर, 2014 में नेताओं को प्रस्तुत किया गया था। इनमें कराधान और संबंधित वस्तु-स्थिति की प्राप्ति के लिए सिफारिशें शामिल हैं। दोनों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लाभ को बहाल करने के लिए संधि के दुरुपयोग को रोकने और मूल्य निर्धारण के हस्तांतरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय कर संधियां इस बात को आश्वस्त करने के लिए हैं कि अंतरण मूल्य निर्धारण परिणाम मूल्य सृजन के अनुरूप हैं और कर प्रशासन के लिए बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और करदाताओं के लिए कर की बेहतर स्थिरता के लिए बेहतर हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रलेखन के माध्यम से आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हैं और देश-दर-देश रिपोर्टिंग के लिए एक सांचा (टैम्पलेट) है।

फोकस समूहों, कार्य दलों और राजकोषीय मामलों की समिति में एक विस्तृत प्रक्रिया और चर्चा के बाद, उपायों के एक समग्र पैकेज पर सहमति व्यक्त की गई है और इसे 5 अक्टूबर, 2015 को सार्वजनिक किया गया है और उसी दौरान जी-20 के वित्त मंत्रियों को 8 अक्टूबर, 2015 को पेरू के लीमा में बैठक में प्रस्तुत किया गया था और नवंबर, 2015 में तुर्की के अंटाल्या में जी-20 लीडर्स द्वारा समर्थन किया था।

बीईपीएस परियोजना के तहत की गई सिफारिशों को घरेलू विधानों और संधि के प्रावधानों के माध्यम से समन्वित तरीके से लागू किया जाएगा और लक्षित निगरानी और मजबूत पारदर्शिता द्वारा समर्थित किया जाएगा। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) उन मामलों में मुद्दों से निपटने के लिए न्यूनतम मानकों को अपनाना जहां कुछ देशों द्वारा कोई कार्रवाई नकरात्मक (स्पिल ओवर) (प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा प्रभावों को शामिल) नहीं किया होगा जैसे कि अन्य देशों पर संधि के क्षेत्रों में लगातार कार्यान्वयन, देश-दर-देश रिपोर्टिंग, हानिकारक कर प्रक्रिया से लड़ने और विवाद समाधान में सुधार करना है।
- (ख) हाइब्रिड मिसमैच को बेअसर करने और ब्याज कटौती को सीमित करने से संबंधित घरेलू कानून को बदलने के लिए आम दृष्टिकोण पर समझौता।
- (ग) उन देशों के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करना जो आक्रामक या दुर्यवहार लेनदेन, व्यवस्थाओं या संरचनाओं के करदाताओं द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण से संबंधित अपने घरेलू कानून को मजबूत करना चाहते हैं और प्रभावी नियंत्रित विदेशी कंपनी (सीएफसी) के बिल्डिंग ब्लॉकों के नियम हैं।
- (घ) देश में वैट संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यान्वयन तंत्र की पहचान के अलावा डिजिटल उपस्थिति परीक्षण, डिजिटल कर परीक्षण और एक समान कर लागू करने सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न समस्याओं से

निपटने के लिए विकल्पों का विकास और विश्लेषण करना, जहां उपभोक्ता स्थित है वहां माल और सेवाओं के ऑनलाइन ऑर्डर और वितरण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

- (ड) 3,500 से अधिक द्विपक्षीय कर संधियों के वैश्विक नेटवर्क को अद्यतन करने के लिए एक अभिनव तंत्र का शुभारंभ। 90 देश एक बहुपक्षीय दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक तदर्थ समूह में शामिल हो गए, जिसे नवंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया और अपनाया गया। यह संधि से संबंधित बीईपीएस उपायों को लागू करेगा और आवश्यकता के बिना, एक समन्वित और कुशल तरीके से द्विपक्षीय कर संधियों के संशोधन की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रत्येक संधि को द्विपक्षीय रूप से पुनः वार्ता करने के लिए संसाधनों का निवेश किए बिना अपेक्षित होगा।

### बीईपीएस सिफारिशों का कार्यान्वयन

देश संप्रभु हैं और इसलिए परिवर्तनों को लागू करना उन पर निर्भर है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि वे मानकों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करेंगे और अन्य उपायों के कार्यान्वयन पर निर्णय लेते समय वे निरंतरता और अभिसरण की मांग करेंगे। जी-20 और ओईसीडी देशों ने 2007 में आगे काम करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए समान स्तर पर काम करना जारी रखा और 2018 में ऐसा करना जारी रखा, जैसे कि लेनदेन संबंधी लाभ विभाजन के तरीकों और वित्तीय लेनदेन पर हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मार्गदर्शन को अंतिम रूप देना, नियमों पर चर्चा करते हुए स्थायी स्थापना परिभाषा में परिवर्तन के मद्देनजर स्थायी प्रतिष्ठानों के लिए मुनाफे के अभिलक्षण के लिए, निवेश फंडों की संधि के व्यापक सवाल (सामूहिक निवेश फंडों के अलावा गैर-सीआईसी फंड्स) से संबंधित मुद्दों की एक निरंतर परीक्षा शामिल है। जी-20 और ओईसीडी देश बीईपीएस उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समान स्तर पर काम करते रहेंगे। निगरानी में बीईपीएस सिफारिशों को लागू करने के लिए देशों ने क्या किया है, इस पर एक आवधिक और सार्वजनिक रिपोर्ट के रूप में न्यूनतम मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन शामिल होगा। इसमें कुछ प्रकार की समकक्ष (पिअर) समीक्षा शामिल होगी जिसे सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए सुनिश्चित करके एक स्तर की स्थापना के लिए अलग-अलग कार्यों के लिए परिभाषित और अनुकूलित करना होगा ताकि कोई भी देश अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त न कर सके।

बीईईएस परियोजना के तहत की गई सिफारिशें ओईसीडी (संख्या में 34) और गैर-ओईसीडी जी-20 देशों (संख्या में 8) के आधार पर हुई आम सहमति के आधार पर की गई हैं और इस प्रकार भारत इस तरह की सिफारिशें करने में एक समान भागीदार है। अंतिम रिपोर्ट में सिफारिशों का सारांश, उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के साथ 15 कार्रवाई बिन्दुओं के संबंध में अनुबंध-ख पर है।

### बीईपीएस समावेशी ढांचा (फ्रेमवर्क)

सितंबर 2015 में अंकारा में, जी 20 के वित्त मंत्रियों द्वारा ओईसीडी को अधिदेश था कि कार्यान्वयन के लिए एक समावेशी ढांचा तैयार करें और 2016 की शुरुआत में इनको रिपोर्ट करें।



समेकित फ्रेमवर्क के लिए संरचना को सीएफए की जनवरी और मार्च की बैठकों में सहमति दी गई और जी-20 वित्त मंत्रियों द्वारा 26-27 फरवरी को शंघाई और वाशिंगटन डी सी में 14-15 अप्रैल, 2016 की बैठकों में इसका स्वागत किया गया। जी-20 वित्त मंत्रियों ने अप्रैल की बैठक में यह नोट करते हुए कि समावेशी फ्रेमवर्क पर पहली बैठक जून, 2016 में आयोजित की जानी थी, सभी संगत और इच्छुक क्षेत्राधिकारों को समान आधार पर नए समावेशी ढांचे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। समावेशी फ्रेमवर्क के कार्य में गैर-ओईसीडी देशों द्वारा स्वयं को सहमत नियमों और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होने के तरीके पर विचार करना शामिल है। भारत का बीईपीएस परियोजना के इस महत्वपूर्ण चरण में योगदान जारी है।

सीएफए और बीईपीएस समावेशी फ्रेमवर्क की पहली बैठक 30 जून, 2016 और 1 जुलाई, 2016 में क्योटो, जापान में आयोजित की गई। इस बैठक में समावेशी ढांचे के साथ-साथ भविष्य के रोड मैप के लिए कई अभिशासन मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल 127 सदस्य समावेशी ढांचे में शामिल हो चुके हैं। समावेशी ढांचे के संचालन समूह में 22 देशों के सदस्य शामिल हैं। समावेशी ढांचे के संचालन समूह में भारत का प्रतिनिधित्व है। भारत बीईपीएस सिफारिशों के कार्यान्वयन की सफलता की निगरानी और समीक्षा करने के लिए ढांचे के समावेशी दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जी-20, विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच समान अवसर क्षेत्र हों। भारत समावेशी ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेगा ताकि यह भी सुनिश्चित हो सके कि कार्यान्वयन चरण में विकासशील देशों की चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया जाए।

आज जिन देशों और क्षेत्राधिकारों को समावेशी ढांचे में शामिल किया है, वे सभी बीईपीएस पैकेज को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब वे समावेशी फ्रेमवर्क के अधिदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, जोकि निम्नलिखित हैं:-

- i चार बीईपीएस न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना ;
- ii बीईपीएस एक्शन 1 (डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियाँ) और एक्शन 11 (बीईपीएस को मापना और निगरानी करना) सहित कार्यान्वयन के अन्य पहलुओं की निगरानी(मॉनीटरिंग) के लिए डेटा इकट्ठा करना;
- iii बीईपीएस चुनौतियों का समाधान करने के लिए शेष तकनीकी कार्य को अंतिम रूप देना; तथा
- iv बीईपीएस पैकेज के उनके कार्यान्वयन में क्षेत्राधिकार का समर्थन करना, जिसमें मानकों पर आगे मार्गदर्शन प्रदान करना और कम आय वाले देशों के लिए टूलकिट विकसित करना शामिल है।

पिछले एक साल में बीईपीएस पैकेज के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें चार न्यूनतम मानक शामिल हैं और इन उपायों का बीईपीएस की गतिविधियों पर पहले से ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। 12 महीने की अवधि में समावेशी ढांचे का काम समकक्ष(पिअर) समीक्षा प्रक्रियाओं की स्थापना, चल रहे मानक-निर्धारण कार्य और कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन देने के साथ-साथ अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय निकायों की साझेदारी में दी जा रही सहायता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी देश और क्षेत्राधिकार बीईपीएस कार्यान्वयन प्रक्रिया में समर्थित हों। भारत ने इन सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है और विकासशील देशों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहल का समर्थन किया है।

#### 4.8.5 सूचना का स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई)

सूचना का स्वतः आदान-प्रदान स्रोत देश द्वारा निवासी देश को "अधिकांश" करदाता सूचना को व्यवस्थित और आवधिक प्रेषण से है जोकि कर मामलों में पारस्परिक प्रशासकीय सहायता संबंधी अधिकांश डीटीएए और बहुपक्षीय अभिसमय के तहत ही संभव है।

यद्यपि "अनुरोध आधार" पर सूचना के आदान-प्रदान से पारदर्शिता में सुधार हुआ है, लेकिन इसका दायरा सीमित है क्योंकि अपतटीय वित्तीय केंद्र और कर आश्रय(टैक्स हेवन) केवल तभी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य हैं जब अनुरोध करने वाले राज्य के पास पहले से ही कुछ जानकारी है और विशेष मामले में जांच पहले ही शुरू हो गई हो। अतः, "अनुरोध" पर दी गई सूचना का जटिल सत्ताओं (एन्टिटी) वेब के माध्यम से अपतटीय क्षेत्राधिकारों और टैक्स हेवन में छुपी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान करने में सीमित प्रभाव हो सकता है।

तदनुसार, भारत सरकार ने विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अन्तरराष्ट्रीय सहमति बनाने की ओर जी-20 और ओईसीडी की वर्किंग पार्टी 10 सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों में एक प्रमुख भूमिका निभाई कि अपतटीय कर अपवंचन और अवैध धन के प्रवाह की समस्या को स्वतः आधार पर देशों के बीच आदान-प्रदान की गई वित्तीय सूचना के मुक्त प्रवाह से ही समाधान हो सकता है।

जी -20 के अनुरोध पर, भारत सहित, सभी गैर-ओईसीडी जी 20 देशों के साथ काम करने वाले ओईसीडी ने ईओआई पर सूचना के स्वतः आदान-प्रदान, सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के लिए एक समान मानक विकसित किया। इस नए वैश्विक मानक का जी-20 वित्त मंत्रियों ने 21.09.2014 को केयर्न्स में अपनी बैठक में और 16 नवंबर, 2014 को ब्रिस्बेन में जी-20 नेताओं द्वारा अपने शिखर सम्मेलन में समर्थन किया गया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने हस्तक्षेप में ब्रिस्बेन में 16.11.2014 को जी-20 लीडर्स समिट में सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान पर नए वैश्विक मानक का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि इससे विदेशों में जमा किए गए बेहिसाब धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका अंतिम प्रत्यावर्तन होगा। भारत सरकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर दे रही है कि यह सुनिश्चित करने

की आवश्यकता है कि हर वित्तीय केंद्र नए रिपोर्टिंग मानकों की ओर प्रतिबद्ध हों और आगे वैश्विक स्तर पर उनके कार्यान्वयन की निगरानी ग्लोबल फोरम द्वारा की जाए।

इस क्षेत्र में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के साथ, भारत 49 देशों के एक समूह के रूप में शामिल हो गया और नए मानकों के "शुरुआती अंगीकार करने वाले" के रूप में 2017 में

सूचनाओं के आदान-प्रदान की शुरुआत की। आज तक, जबकि भारत सहित 153 देशों/क्षेत्राधिकारों ने, कुछ समय सीमा में एईओआई पर सीआरएस को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, 45 विकासशील देशों को अभी तक पहले स्वतः विनिमय के लिए तारीख निर्धारित नहीं की गई है। एईओआई के लिए प्रतिबद्धता की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

### एईओआई : प्रतिबद्धताओं की स्थिति

नीचे दी गई तालिका नए मानकों के भावी कार्यान्वयन, समय-सीमा का सार प्रदान करती है।

| 2017 में पहले विनिमय करने संबंधी क्षेत्राधिकार(49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एंगुइला, अर्जेंटीना, बेल्जियम, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स, बुल्गारिया, केमैन आइलैंड्स, कोलम्बिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्टोनिया, फरो आइलैंड्स, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जिब्राल्टर, यूनान, ग्वेर्नेसे, हंगरी, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इस्ले ऑफ मैन, इटली, जर्सी, कोरिया, लातविया, लिचटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, मोंटसेराट, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सैन मैरीनो, सेशल्स, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, तुर्क और कर्डीकोस द्वीप, यूनाइटेड किंगडम                  |
| 2018 तक पहली बार सूचना का आदान- प्रदान करने वाले देश (51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अंडोरा, एंटीगुआ और बार्बूडा, अरूबा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, दि बहामास, बहरीन, बरबादोस, बेलिज, ब्राजील, ब्रूनेईदारेस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, कुक द्वीपसमूह, कोस्टा रिका, कुरकाओ, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, ग्रेनेडा, हांगकांग (चीन), इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, लेबनान, मकाओ (चीन), मलेशिया, मार्शल द्वीप, मॉरीशस, मोनाको, नाउरु, न्यूजीलैंड, नियू पाकिस्तान, पनामा, कतर, रूस, सेंट किट्स और नेविस, समोआ, सेंट लूसिया, संत विंसेंट दि ग्रेनडीनेस, सऊदी अरब, सिंगापुर, सेंटमार्टेन, स्विट्जरलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, वानुअतु |
| 2019-2020 तक पहली बार सूचना का आदान-प्रदान करने वाले देश (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अल्बानिया (2020), घाना (2019), कजाकिस्तान (2020), कुवैत (2019), मालदीव (2020), नाइजीरिया (2019), ओमान (2020), पेरू (2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ऐसे विकासशील देश जिन्होंने सूचना के पहली बार स्वतः आदान-प्रदान की तारीख निर्धारित नहीं की है (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अर्मेनिया, बेनिन, बोस्निया और हेरजेगोविना, बोत्सवाना, बुरुकिना, फासो, केप वरदी, कम्बोडिया, केमरून, चाड, कोटेडी व्वायर, जिबोटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, इजिप्ट, अल सलवाडोर, एस्वातिनी, पूर्व युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मसेडोनिया, गेबोन, जॉर्जिया, ग्वातेमाला, गुयाना, हैती, जमैका, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मोरीटेनिया, मोलडोवा, मंगोलिया, मोन्टेनएग्रो, मोरक्को, नाइजर, पापुआ न्यू गिनीया, पेरग्वे, फिलीपींस, रवांडा, सेनेगल, सर्बिया, तंज़ानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीसिया, उगांडा, उक्रेन                                                            |

29.10.2018 की स्थिति के अनुसार, सीआरएस के तहत एईओआई के कार्यान्वयन के लिए, 104 देश/क्षेत्राधिकार बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौते ("एमसीए") में शामिल हो गए हैं जो नए वैश्विक मानकों के अनुसार स्वचालित आधार पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। एमसीए के ढांचे में शामिल होने के बाद, देशों/क्षेत्राधिकारों को प्राप्तकर्ता देश/क्षेत्राधिकार में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं के अधीन सूचना के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्था में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। भारत ने 3 जून, 2015 को एमसीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि भारत ने प्रतिबद्ध किया है, पहला आदान-प्रदान (एक्सचेंज) सितंबर, 2017 में हुआ है और यह वैश्विक मंच (ग्लोबल फोरम) की एईओआई रिपोर्ट में परिलक्षित हुआ है। भारत ने स्वचालित रूप से कैलेंडर वर्ष 2016 और 2017 के लिए पारस्परिक आधार पर उन सूचनाओं का आदान-प्रदान किया है जिनके साथ एईओआई सक्रिय है।

नए वैश्विक मानक का क्षेत्र बहुत व्यापक है और संधि के भागीदारों को अपने देश/क्षेत्राधिकार में वित्तीय संस्थानों से इसे एकत्रित करने के बाद वित्तीय जानकारी की विस्तृत श्रृंखला का आदान-प्रदान करने और अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के

लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी प्रदान करने सहित उपकृत करते हैं।

सीआरओ पर आधारित एईओआई, जब पूरी तरह से लागू होगा, तो भारत को दुनिया के हर देश से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिसमें अपतटीय वित्तीय केंद्र और टैक्स हेवन शामिल हैं और अन्तरराष्ट्रीय कर अपवंचन और परिहार से रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा और विदेश में रखे गए धन के बारे में सूचना देने और अंततः इसे वापिस लाने में महत्वपूर्ण होगा।

#### 4.8.6 एफएटीसीए के उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर-सरकारी समझौता(आईजीए)

भारत ने 9 जुलाई 2015 को विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम (फोरन एकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट)(एफएटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका(यूएसए) के साथ अंतर- सरकारी समझौते (आईजीए) में प्रवेश किया। यह भारतीय वित्तीय संस्थानों को भारतीय कर अधिकारियों को वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य करेगा, जोकि यूएसए को फिर स्वतः ही प्रेषित किए जाएंगे। इसी तरह, आईजीए के तहत संयुक्त राज्य अमेरीका वित्तीय संस्थान भी संयुक्त राज्य अमेरिका कर अधिकारियों को जानकारी प्रदान करेंगे, जोकि स्वतः भारत को प्रेषित होंगे। संयुक्त राज्य अमेरीका ने 2010 में संयुक्त राज्य अमेरीका के निवासियों और नागरिकों द्वारा रखे अपतटीय वित्तीय खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके कर अपवंचन से निपटने के उद्देश्य से एफएटीसीए को लागू किया था। एफएटीसीए के प्रावधान अनिवार्य रूप से विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफएफआई) को किए गए यूएस स्रोत भुगतान पर 30 प्रतिशत कर को रोकने का प्रावधान करते हैं जब तक कि वे यूएसए के व्यक्तियों या संस्थाओं(फर्म कंपनी/ट्रस्ट) द्वारा धारित व यूएसए के व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित खातों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आन्तरिक राजस्व सेवा(आईआरएस) के साथ समझौता नहीं करते हैं।

आईजीए के अंतर्गत, भारत को भारतीय कर निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय खाते हैं, जिसमें निम्न शामिल होगा:

- किसी भी व्यक्ति का नाम, पता और भारतीय टीआईएन जो भारत का निवासी है और खाते का खाताधारक हो;
- खाता संख्या;
- वित्तीय खाते की प्रकृति के आधार पर, ब्याज की सकल राशि, यूएस स्रोत लाभांश या भुगतान या जमा की गई अन्य आय।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, आईजीए के तहत सूचना की रिपोर्टिंग 30 सितंबर, 2015 से शुरू हुई और कैलेंडर वर्ष 2014, 2015 और 2016 से संबंधित जानकारी पहले से ही दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान की गई है।

#### एईओआई और एफएटीसीए का कार्यान्वयन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक को संशोधित करके वित्त (सं 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से आवश्यक विधायी

परिवर्तन एफएटीसीए और सीआरएस के कार्यान्वयन के लिए किए गए। आयकर नियमावली, 1962 को नियम 114च से 114ज और फार्म 61ख को शामिल करके अधिसूचना संख्या 2015 की 62, दिनांक 7 अगस्त, 2015 के तहत संशोधित किया गया था ताकि रिपोर्ट योग्य खातों के बारे में रिपोर्टिंग सूचना को बनाए रखने के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के लिए कानूनी आधार प्रदान किया जा सके।

मार्गदर्शन नोट 31 अगस्त 2015 को जारी किया गया ताकि आयकर नियमावली 114च से 114ज और फार्म 61ख में प्रदान रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित हो और वित्तीय संस्थाओं, नियामकों और आयकर विभाग के अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। निर्देशन नोट का उद्देश्य जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुगम बनाना है और जहां भी आवश्यक हो वहां आगे मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसके कार्यान्वयन में उभरते हुए मुद्दों का समाधान करने के लिए मार्गदर्शन नोट को 31/12/2015, 31/05/2016 और 30/11/2016 को अद्यतन किया गया है। वित्तीय संस्थाओं ने अपनी पहली रिपोर्ट फार्म 61ख में 31/05/2017 तक प्रस्तुत की जिसके आधार पर भारत ने एफएटीसीए और सीआरएस के तहत 30 सितंबर, 2017 से सूचना का स्वतः आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया है। भारत ने इसी आधार पर 2018 में आदान-प्रदान किया। भारत ने 2017 में यूएसए से कैलेंडर वर्ष 2016 से संबंधित सूचना भी प्राप्त कर ली है और कैलेंडर वर्ष 2017 से संबंधित सूचना शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

#### 4.8.7 ओईसीडी के साथ भारत का जुड़ना

ओईसीडी, ऐसे 34-सदस्य देशों का एक संगठन है, जिन्होंने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। टैक्स के मुद्दे हमेशा ओईसीडी की समग्र गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जो वित्तीय मामलों संबंधी समिति (सीएफए) और इसकी सहायक निकायों द्वारा किए जाते हैं। ये सहायक निकाय मॉडल टैक्स कन्वेंशन (वर्किंग पार्टी 1), टैक्स पॉलिसी और सांख्यिकी (वर्किंग पार्टी 2), ट्रांसफर प्राइसिंग (वर्किंग पार्टी 6), उपभोग कर (वर्किंग पार्टी 9) एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (वर्किंग पार्टी 10) और आक्रामक टैक्स प्लानिंग (वर्किंग पार्टी 11)के विकास सहित कई और विभिन्न विषयों पर काम करते हैं।

इसके अलावा सीएफए ने कई अन्य सहायक निकाय स्थापित किए हैं जैसे कि कर प्रशासन संबंधी मंच, हानिकारक कर पद्धतियों संबंधी मंच, कर अपराध व अन्य अपराध पर कार्यबल और डिजिटल इकोनॉमी पर टास्क फोर्स और टैक्स एवं विकास पर टैक्स फोर्स। टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र (सीटीपीए) सीएफए और इसकी सहायक निकायों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है और सीएफए को तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में ओईसीडी के साथ भारत की भागीदारी 1990 में, नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में तकनीकी विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई। तब से, भारत ओईसीडी के

कराधान कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और 2006 से सीएफए के काम में इसे "प्रतिभागी" ("प्रेक्षक" के रूप में पहले जाना जाता रहा है) का दर्जा दिया गया है और इस हैसियत से सीएफए और इसकी सहायक निकायों की बैठकों में भाग ले रहा था, हालांकि, "भागीदार" के रूप में, भारत निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और सीएफए के निष्कर्ष, प्रस्ताव या फैसले द्वारा बाध्य नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय कराधान, मूल्य निर्धारण और सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय मानकों के विकास में ओईसीडी की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रतिनिधि कार्य दल और टास्क फोर्स की बैठकों में भाग ले रहे हैं। भारत द्वारा अपनाई गई नीति निरंतर कार्य सक्रियता और भागीदारी और अपने राजस्व हितों की रक्षा करने के लिए अंतराष्ट्रीय मानकों के विकास को प्रभावित करना था व इसी समय यह भी सुनिश्चित करना था कि जहां भारत का दृष्टिकोण और स्थिति ओईसीडी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हैं, वहां ओईसीडी द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मानकों और दिशा-निर्देशों के अद्यतन के दौरान भारत के सुक्षण उपायों और स्थिति को ध्यान में रखा जाए।

ओईसीडी का कार्य पिछले दो वर्षों से बीईपीएस और आईओआई पर मुख्यतः केन्द्रित है जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है। ओईसीडी के कुछ अन्य क्षेत्रों में कराधान से संबंधित कार्य जिसमें भारत जुड़ा हुआ है, नीचे संक्षेप में वर्णित हैं:

#### (क) ओईसीडी वैश्विक संबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम

वैश्विक संबंध कार्यक्रम (ग्लोबल रिलेशंस प्रोग्राम) (जीआरपी) के तहत प्रत्येक वर्ष, ओईसीडी कई अंतरराष्ट्रीय टैक्स पॉलिसी और प्रशासन विषय पर करीब 75 कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें विश्व स्तर पर 20 से अधिक स्थानों में 100 से अधिक देशों के 2000 सेवारत कर (टैक्स) अधिकारी शामिल होते हैं। ओईसीडी के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम (जीआरपी) के साथ भारत की हिस्सेदारी में प्रतिभागी और साथ ही विशेषज्ञों की हैसियत से विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर अधिकारियों की भागीदारी शामिल है। 2018 के दौरान, 40 भारतीय अधिकारियों ने विदेशों में 22 कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएडीटी, नागपुर में आयोजित किए जाते हैं और ओईसीडी विशेषज्ञों को इन कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2018 के दौरान, एनएडीटी, नागपुर में दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

- i. बीईपीएस: कर संधियों का उन्नत अनुप्रयोग, 22 से 26 अक्टूबर, 2018 तक एमएलआई और बीईपीएस
- ii. बीईपीएस: 3 से 7 दिसंबर, 2018 तक संशोधित अन्तरण मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देश

#### (ख) हानिकारक कर पद्धतियों पर मंच (एफएचटीपी)

‘हानिकारक कर प्रतियोगिता: एक उभरती वैश्विक समस्या’ पर ओईसीडी की 1998 की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद

हानिकारक प्रभाव वाले उन अधिमान्य कर व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए, हानिकारक कर व्यवहार (एफएचटीपी) मंच स्थापित किया गया था। एफएचटीपी का मुख्य कार्य सदस्य देशों के साथ तरजीही कर शासनों की समीक्षा करना है और उन सुविधाओं को, जो हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं या उस तंत्र को समाप्त करते हैं, को हटाने के लिए सिफारिशें करना है।

सीएफए के हानिकारक कर व्यवहार(एफएचटीपी) संबंधी मंच, ओईसीडी वर्तमान में बेस एरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) कार्य योजना (एक्शन प्लान) के एक्शन 5 के तहत काम कर रहा है। बीईपीएस कार्य योजना के कार्य मद 5 के तहत, एफएचटीपी द्वारा तीन आउटपुट देना अपेक्षित है (i) सदस्य सहयोगी देश व्यवस्थाओं की समीक्षा को अंतिम रूप देना (ii) गैर-ओईसीडी सदस्य देशों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाना: (iii) मौजूदा मानदंडों का संशोधन

2018 के दौरान बेस क्षरण और लाभ अन्तरण की कार्यवाई 5 के तहत भारत के पारदर्शिता ढांचे की समीक्षा सकारात्मक रूप से की गई।

#### (ग) ओईसीडी का कार्यकारी दल 2

भारत जी -20 सदस्य होने की हैसियत से कार्यकारी दल 2 (डब्ल्यूपी 2) की बैठक में भाग लेता है। ओईसीडी के वर्किंग पार्टी नंबर 2 के साथ भारत की भागीदारी 2011 में शुरू हुई। फिलहाल कार्य योजना में एक्शन मद नं 11 में बेस इरोजेशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) कार्य सूची मुख्य मुद्दों में से एक है। इस एक्शन मद का उद्देश्य बीईपीएस के मानक और आर्थिक प्रभाव के संकेतकों के बारे में सिफारिशों को विकसित करना और यह सुनिश्चित करना है कि निरंतर आधार पर बीईपीएस से संबद्ध कार्यों की प्रभावशीलता और आर्थिक प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए साधन उपलब्ध हैं।

#### (घ) ओईसीडी के कार्य दल 10

सूचना और कर अनुपालन के विनिमय पर ओईसीडी वर्किंग पार्टी 10 (डब्ल्यूपी 10) का अधिदेश, कानूनी, व्यावहारिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि करें में सुधार के लिए देशों के बीच जानकारी और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता का आदान प्रदान किया जा सके। अनुपालन और करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

जी 20 ने जब "बैंक गोपनीयता का युग खत्म हो गया है" की घोषणा तब 2009 का वित्तीय संकट, टैक्स हेवन्स से लड़ने के लिए अच्छा मौका था। अंतराष्ट्रीय कर मामलों में सहयोग की क्षमता को मजबूत करने के लिए टैक्स प्रयोजनों के लिए ट्रांसपेरेंसी और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर ग्लोबल फोरम का पुनर्गठन किया गया था और यह टैक्स

प्रयोजनों (ईओआईआर) के लिए जानकारी का आदान प्रदान और पारदर्शिता का एक मानक विकसित किया था। यह भी तय किया गया था कि स्वतः आदान-प्रदान की जानकारी (ईओआई) को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जोकि वैश्विक आधार पर विदेश में कर चोरी को रोकने के लिए स्रोत देश द्वारा निवासी देश को अधिक करदाता जानकारी का व्यवस्थित और आवधिक प्रेषण है। जून, 2012 में लॉस काबोस शिखर सम्मेलन में जी 20 के नेताओं ने तदनुसार ओईसीडी से अनुरोध किया था कि वे जी -20 देशों के साथ मिलकर सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई) पर एक सामान्य रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (सीआरएस) विकसित करें। सूचना और कर अनुपालन के आदान-प्रदान पर ओईसीडी की वर्किंग पार्टी 10 (डब्ल्यूपी 10) को ईओआई के लिए विकासशील मानकों के काम को सौंपा गया था। जी-20 देशों के साथ काम करने वाले डब्ल्यूपी 10 ने ईओआई पर सीआरएस का विकास किया, जिसे 21.09.2014 को केन्स में अपनी बैठक में जी 20 वित्त मंत्रियों द्वारा अनुमोदित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर, 2014 को जी 20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपने हस्तक्षेप में, ब्रिस्बेन में ईओआई पर नए वैश्विक मानक का समर्थन किया और कहा कि यह विदेशों में जमा बेहिसाब धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंत में इसको स्वदेश वापस लाने में सक्षम होगा।

भारत सरकार ने ओईसीडी के कार्यकारी दल 10 सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों में अग्रणी भूमिका निभाई। दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतराष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए कि विदेश में कर चोरी और अवैध धन के प्रवाह की समस्या को केवल देशों के बीच वित्तीय खातों की जानकारी के स्वचालित आधार पर मुक्त प्रवाह से ही हल किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अपनी नेतृत्व की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, भारत "जल्दी अंगीकार करने वालों" के नए मानकों के 48 देशों के समूह में भी शामिल हो गया है और 2017 से शुरू होने वाली जानकारी को स्वचालित रूप से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। डब्ल्यूपी10 ने न केवल ईओआई मानकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि ईओआई पर सीआरएस के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके स्पष्टीकरण व अन्य मार्गदर्शन भी दे रहा है। डब्ल्यू पी 10 और डब्ल्यू पी 10 ईएसजी की दो बैठकें वर्ष के दौरान-फरवरी, 2018 में और एक मई, 2018 में हुई। इन बैठकों के दौरान, मुख्य चर्चा सीआरएस परिहार व्यवस्था और अपारदर्शी अपतटीय संरचनाओं के लिए मॉडल अनिवार्य प्रकटीकरण नियमों (एमडीआर) और टीआरएसीई परियोजना पर थी। फरवरी की बैठक में एमडीआर को अंतिम रूप दिया गया था। इस पहल से सीआरएस परिहार व्यवस्था का पता लगाने और निपटने में भारत सहित भाग

लेने वाले क्षेत्राधिकारों को लाभ होने की संभावना है और इसलिए भारत ने इन नियमों को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से भाग लिया। एमडीआर सूचना (एमडीआर एमसीएए) के आदान-प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के पाठ को डब्ल्यूपी 10 की मई 2018 की बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, सीएआरएस के अनुसार डिजाइन किए गए ईओआई प्लेटफॉर्म का लाभ लेने के लिए कर राहत और अनुपालन संवर्द्धन ('ट्रेस") परियोजना 2017 में डब्ल्यूपी 10 ने ले ली है। ट्रेस प्रणाली का उद्देश्य प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना है जो पोर्टफोलियो निवेशकों की क्षमता प्रभावी ढंग से कर को रोकने वाली दरों को वर्तमान में प्रभावित करती है, जिसके लिए वे कर संधि के तहत या देशों के निवेश के घरेलू कानून के अंतर्गत हकदार हैं जिससे कर निर्धारण सुनिश्चित हो सके। सचिवालय ने डब्ल्यू पी की मई 2018 की बैठक में ट्रेस के लाभों के साथ-साथ प्राधिकृत मध्यस्थ प्रणाली के कार्यान्वयन पर विचार करते हुए ट्रेस के लागत लाभ विश्लेषण को करने के लिए एक उच्चस्तरीय नोट प्रदान किया।

डब्ल्यू पी 10 रेजीडेंसी पर निवेश (आरबीआई) और निवेश द्वारा नागरिकता (सीबीआई) योजनाओं पर क्षेत्राधिकार की विशिष्ट जानकारी भी संकलित कर रहा है। ऐसी योजनाएं ईओआई के माध्यम से वैश्विक कर पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इस तरह की आरबीआई/सीबीआई योजनाओं से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों पर एक मसौदा मार्गदर्शन के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले आरबीआई/सीबीआई योजनाओं का मसौदा संकलन भी बाद की बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठकों के दौरान गुप्त मुद्रा व गुप्त आस्ति (क्रिप्टोएसेट्स) और ई-मनी से कर पारदर्शिता के लिए उत्पन्न खतरे पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में एक प्रश्नावली सचिवालय द्वारा तैयार की गई और सदस्यों के बीच प्रसारित की गई। भारत ने इसके इनपुट की विधिवत जानकारी दी है।

भारत ने अक्टूबर, 2018 में ओईसीडी के कार्यकारी दल 10 में एक सहयोगी की स्थिति के लिए ओईसीडी को औपचारिक अनुरोध भेजा है।

## (ड.) ओईसीडी का कार्यकारी दल 11

डब्ल्यूपी 11 को 'एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग' (एटीपी) से संबंधित निम्न बीईपीएस कार्य बिंदुओं को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- कार्यवाई मद संख्या 2-संकर बेमेल व्यवस्था के प्रभावों को बेअसर करना;
- कार्यवाई मद सं 3-नियंत्रित विदेशी निगम (सीएफसी) नियमावली को मजबूत करना;

- कार्रवाई मद सं 4-ब्याज की कटौती और अन्य वित्तीय भुगतानों के माध्यम से आधार क्षरण को सीमित करना और
- कार्रवाई मद सं 12- करदाताओं से उनकी आक्रामक कर नियोजन व्यवस्था [अनिवार्य प्रकटीकरण व्यवस्था (एमडीआर)] का खुलासा करने के लिए अपेक्षा।

भारत सक्रिय रूप से डब्ल्यूपी 11 से जुड़ा हुआ है और 2015 में भारतीय प्रतिनिधि को कार्यकारी पार्टी 11 के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, यह ही केवल दूसरा गैर-ओईसीडी देश (चीन अन्य है) है जो ओईसीडी का सहायक इकाई की एक नेतृत्व की स्थिति में प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय प्रतिनिधि डब्ल्यूपी 11 के उपाध्यक्ष के रूप में, डब्ल्यूपी 11 को बैठकों का संचालन करने, डब्ल्यूपी 11 के ब्यूरो के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने, डब्ल्यूपी 11 के लिए कार्यसूची/कार्य के कार्यक्रम को निर्धारित करने आदि की, अतिरिक्त जिम्मेदारी है।

2018 में डब्ल्यू पी 11 में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा और अंतिम रूप दिया गया है, वे हैं सीआरएस परिहार व्यवस्था पर मॉडल अनिवार्य प्रकटीकरण नियम और अपारदर्शी अपतटीय संरचना और हाइब्रिड संरचना

#### (च) विकासशील देशों की क्षमता निर्माण

विकासशील देशों की कर क्षमता विकसित करने के अपने प्रयासों के सिलसिले में, भारत ने आधुनिक तकनीकों की जांच पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे विभिन्न विकासशील देशों के 25 सदस्यों जैसे केन्या, घाना, लेसोथो, मलावी, स्वाजीलैंड आदि ने भाग लिया। उपरोक्त के अलावा, भारत ने अपने अधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले अपने नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पहचान की है और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता है और पाठ्यक्रम के आधार पर विकासशील देशों को नामांकन प्रदान करता है। अब तक मलेशिया, मॉरीशस आदि देशों के 4 प्रतिनिधियों ने 2 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

क्षमता निर्माण के लिए भारत के योगदान की मान्यता में सीएटीए द्वारा भारत को एक विशेष पुरस्कार दिया गया है।

#### (छ) टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी)

भारत विकासशील देशों में कर मामलों में क्षमता निर्माण में सहायक रहा है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी) प्रोग्राम को यूएनडीपी और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता के माध्यम से राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत बनाने और अन्य देशों के साथ इस ज्ञान को साझा करना है। भारत को इस कार्यक्रम के तहत अन्तरण मूल्य-निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) मामलों में किंगडम ऑफ ई स्वातिनी की सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए एक भागीदार क्षेत्राधिकार के रूप में नामित किया गया है।

#### (ज) सूचना का सहज आदान-प्रदान(बीईपीएस एक्शन 5 के तहत)

बीईपीएस एक्शन 5 के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, कुल 125 सहज आदान-प्रदान जिनमें स्थाई स्थापना और एकपक्षीय अग्रिम मूल्य-निर्धारण समझौतों पर जारी विभिन्न नियमों का ब्यौरा था, ईओआई यूनिट द्वारा (31-12-2018 की स्थिति के अनुसार) विदेशी क्षेत्राधिकारों को किए गए हैं।

#### 4.8.8 कर मामलों पर ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग

ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय ब्लॉक है जो विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। ब्रिक्स देशों का हिस्सा वैश्विक ज़मीन का 30%, वैश्विक आबादी का 43% और दुनिया की जीडीपी का 21% हिस्सा है। इस मंच का उद्देश्य आज के बहु-ध्रुवीय परस्पर जुड़ी और वैश्वीकृत दुनिया में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स देश एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके सहयोग को एक अंतरमहाद्वीपीय आयाम देता है जिससे यह विशेष रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो गया है।

ब्रिक्स राजस्व प्रमुखों और कर मामलों पर विशेषज्ञों (ब्रिक्स हेड्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपर्ट्स ऑन टैक्स मैटर्स) की एक बैठक जून, 2018 के महीने में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई थी। सभी ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों ने एक उच्च-स्तरीय क्षमता निर्माण कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। सभी ब्रिक्स देश अपने क्षेत्र की क्षमता की पहचान करेंगे और उस क्षेत्र में अन्य देशों की क्षमता निर्माण के लिए अन्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करेंगे। इस कार्य योजना के तहत ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका में कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।

#### 4.8.9 अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ समन्वय

भारत इंटर अमेरिकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (सीआईएटी) एक बहुपक्षीय संगठन का एक सहयोगी (एसोसिएट) सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय कर अपवंचन के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने के लिए सीआईएटी के प्रयास विभिन्न अधिकारिताओं के कर प्रशासन के बीच सहयोग पर केंद्रित हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सीआईएटी विभिन्न गतिविधियों, अध्ययन, कार्यशालाओं, सेमिनार आदि का आयोजन करता है, जिसमें कर प्रशासन अपने सुझाव, प्रक्रियाओं, अनुभवों आदि को साझा कर सकते हैं। 2018 के दौरान, भारत ने सी आईएटी द्वारा आयोजित महासभा और तकनीकी सम्मेलन की बैठक में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय योगदान की सराहना की गई।

कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रशासक (सीएटीए) की स्थापना 1977 में बारबाडोस में राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों की बैठक में हुए निर्णय के परिणामस्वरूप हुई थी। भारत 1979 से कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रशासक (सीएटीए) का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। सीएटीए की गतिविधियों में वार्षिक तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन, कर अधिकारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदस्यों

की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए इन-कंट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर के प्रकाशन, परामर्श-सेवाओं के प्रावधान और सदस्यों के अनुरोध पर अनुसंधान सुविधाएं, सदस्यों को जानकारी मुहैया कराना आदि शामिल हैं।

भारत ने वर्ष के दौरान फिजी में सीएटीए द्वारा आयोजित तकनीकी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय योगदान की व्यापक रूप से सराहना की गई।

#### 4.8.10 आयकर विदेश स्थित इकाइयां

वर्ष 2018 के दौरान, आयकर विदेश-स्थित इकाइयां (आईटीओयू), आठ भारतीय मिशनो में कार्य- सक्रिय रहे हैं, यथा मॉरीशस, सिंगापुर, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन आयकर ओवरसीज इकाइयों (आईटीओयू) में आईआरएस अधिकारियों को प्रथम सचिव (आर्थिक) के रूप में तैनात किया गया है। इस वर्ष के दौरान, तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए मारीशस, सिंगापुर, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीय मिशनो में एफएस(आईटीओयू) के पद के लिए नए अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे।

माननीय वित्त-मंत्री के अनुमोदन से साइप्रस में आईटीओयू को भी अब चालू कर दिया गया है क्योंकि साइप्रस अब एक अधिसूचित क्षेत्र नहीं है। अधिकारी का कार्यकाल आईटीओयू जर्मनी में वर्ष के दौरान समाप्त हो गया। इन दो आईटीओयू में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया एक उन्नत स्तर पर है।

साइप्रस में नए आईटीओयू की स्थापना के साथ, कुल नौ आईटीओयू का संचालन हो जाएगा।

#### 4.8.11 परस्पर करार प्रक्रिया

दुनिया भर में संचालित बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) विभिन्न देशों में मूल्य निर्धारण ऑडिट का हस्तांतरण करने के अंतर्गत आते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके संबंधित पक्षों के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत का आंकलन सुगमता से उपलब्ध है। कभी-कभी, समूह की आय पर विभिन्न क्षेत्राधिकारों द्वारा कर लगाया जाता है और उसी एमएनई समूह के विभिन्न करदाताओं के हाथों में उसी आय के आर्थिक दोहरे कराधान के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। इसी तरह, एमएनई भी न्यायिक दोहरे कराधान का सामना करते हैं, जहां अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में एक ही करदाता की एक ही आय रकम पर कर लगाया जाता है। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए, दोहरा कराधान परिहार करार (डबल टैक्सेशन अवॉइडेंशन एग्रीमेंट्स) (डीटीए) ऐसे डीटीए के "म्युचुअल समझौते प्रक्रिया" अनुच्छेद के माध्यम से एक तंत्र प्रदान करते हैं। इस तंत्र के तहत, उन दोनों के बीच डीटीए वाले देशों के सक्षम अधिकारी एक दूसरे से परामर्श करके ऐसे दोहरे कराधान से बचने के लिए समझ विकसित कर सकेंगे।

भारत में डीटीए का एक व्यापक नेटवर्क है और वह विभिन्न संधि भागीदारों के साथ म्युचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया (एमएपी) अनुच्छेद का प्रभावी ढंग से उपयोग करके दोहरे कराधान के मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने में सक्षम है। कर विवादों की सबसे बड़ी

संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जोकि आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है और अमेरिकी एमएनई की भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रास्थिति है। इसलिए अमेरिकी सक्षम प्राधिकारी के साथ भारतीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरंतर और गहरी सहभागिता की जरूरत है। भारत के यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन, नीदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड आदि राष्ट्रों के साथ कई टैक्स विवाद हैं। सीबीडीटी के विदेशी कर और कर अनुसंधान (एफटी और टीआर) डिवीजन व (जेएस, एफटी और टीआर-1 और जेएस, एफटी और टीआर -2) डिवीजन के दोनों संयुक्त सचिव भारतीय सक्षम प्राधिकारी हैं जबकि संयु.सचिव, एफटी और टीआर-1 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के लिए सक्षम प्राधिकारी है, जबकि जेएस, एफटी और टीआर -2 बाकी दुनिया के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच, एमएपी के तहत कर विवादों के समाधान के लिए द्विपक्षीय बैठकें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान (दो बार), नीदरलैंड्स, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड आदि के सक्षम अधिकारियों के साथ हुई हैं। ऐसी और बैठकें 31 मार्च, 2019 तक अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, आदि के साथ निर्धारित की गई हैं। बैठकें दोहरे कराधान से संबंधित विभिन्न विवादों को सुलझाने में बहुत सफल साबित हुई हैं।

पारस्परिक करार प्रक्रिया (म्युचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर) (एमएपी) दोहरे कराधान के दीर्घकालिक और जटिल मुद्दों को हल करने में भारत के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन साबित हुआ है। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान, लगभग 600 कर विवादों को भारत के सक्षम अधिकारियों द्वारा विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत के माध्यम से एमएपी के तहत हल किया गया है। भारत सरकार के अग्रिम मूल्य-निर्धारण समझौते (एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट) (एपीए) योजना के साथ, एमएपी को एक प्रभावी और कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। साथ में, एपीए और एमएपी ने कर विवादों को कम करने में मदद की है, एक गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा दिया है और भारत में अनुकूल कर वातावरण बनाने में मदद की है।

#### 4.8.12 अग्रिम मूल्य करार

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए) प्रावधानों को आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम 2012 के जरिए प्रारंभ किया गया था। एपीए योजना के लिए विधायी समर्थन प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 92 सीसी और 92 सीडी शुरू की गई थी, जिसे आयकर अधिनियम 1962 में 30 अगस्त, 2012 [नियम 10 एफ से 10 टी को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में फाइलिंग करने से पूर्व आवेदन करने के लिए पूर्व-फाइलिंग परामर्श; फीस का भुगतान; एपीए आवेदन पत्र दाखिल करना; एपीए आवेदन की प्रक्रिया; एपीए आवेदन की वापसी; एपीए की सेवा और शर्तें; वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना; लेखा परीक्षा अनुपालना; एपीए के संशोधन, रद्दीकरण और नवीकरण; आदि विस्तृत प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसके अलावा, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए पर कार्रवाई करने के लिए

नियम 44 जीए को प्रक्रियात्मक पहलुओं हेतु व्यवस्था करने के लिए जोड़ा गया था। मई 2013 में, कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए 'एफएक्यू' के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते का मार्गदर्शन; पर एक करदाता सूचना श्रृंखला जारी की गई थी।

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए) स्कीम को हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामलों में मुकदमेबाजी को कम करने और भारत में व्यवसाय करने वाले बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) को कर निर्धारण करने के लिए शुरू किया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि एमएनई समूह के भीतर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज (ईई) के बीच, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अधिकतम 5 साल तक, करदाताओं के साथ एपीए किया जा सकता है। एपीए ऐसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के निकटतम मूल्य (एएलपी) निर्धारित करेगा और/या एएलपी निर्धारित करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।

एपीए के रोलबैक के लिए कानूनी प्रावधानों को आयकर अधिनियम, 1961 में जुलाई 2014 में वित्त (सं. 2), अधिनियम 2014 के माध्यम से लाया गया था। एपीए के रोलबैक को नियंत्रित करने वाले नियमावली आयकर नियम, 1962 [नियम 10 एमए और 10 आरए] दिनांक 14 मार्च, 2015 को अधिसूचित किए गए थे और मौजूदा एपीए योजना में तदनुसार संशोधन किया गया। इसके बाद, सीबीडीटी ने प्रश्न और उनके जवाब रूप में रोलबैक प्रावधानों से

संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए 10 जून, 2015 [परिपत्र सं. 10/2015] को एक परिपत्र जारी किया।

रोलबैक प्रावधान, एपीए के सेवा और शर्तों को, ए पी ए की अवधि के पहले वर्ष से अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए एपीए को वापस रोल किए जाने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, एक करदाता रोलबैक के साथ एपीए के लिए आवेदन करके अधिकतम 9 वर्ष की अवधि के लिए हस्तांतरण मूल्य के मामलों में निश्चित हो सकता है।

एपीए योजना के तहत, एपीए बहुपक्षीय या द्विपक्षीय (सीबीडीटी और 1 या अधिक देशों और करदाताओं को शामिल करके) या एकतरफा (केवल सीबीडीटी और करदाता को शामिल करके) हो सकता है। पिछले साढ़े छः वर्षों में, भारत में लगभग 1000 एपीए आवेदन दायर किए गए हैं। इन आवेदनों में अधिकतर (लगभग 80%) भारतीय करदाता और सीबीडीटी के बीच एकतरफा एपीए के लिए हैं। 31 दिसंबर, 2018 तक, 245 करारों को किया गया है। एपीए पूर्ण करने के लिए सीबीडीटी द्वारा लिया गया औसत समय लगभग 33 महीने है जो अमरीका और यूके जैसे उन्नत कर क्षेत्राधिकार द्वारा लिए गए औसत समय से कम है।

प्राप्त किए गए एपीए आवेदनों और किए गए एपीए के ब्यौरे नीचे दी गई दो तालिकाओं में दिये गए हैं:

तालिका 1: एपीए आवेदन जो प्राप्त हुए और निपटाए गए

| वित्त वर्ष | फाइल किए गए आवेदनों की संख्या | 31, दिसम्बर 2018 तक हस्ताक्षरित करारों की संख्या | 31, दिसम्बर 2018 तक आहरण या अन्य किसी और कारण से निपटाए गए आवेदनों की संख्या | 31 दिसम्बर 2017 तक प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनों की संख्या |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2012-13    | 146                           | 90                                               | 20                                                                           | 37                                                        |
| 2013-14    | 232                           | 112                                              | 40                                                                           | 80                                                        |
| 2014-15    | 206                           | 34                                               | 19                                                                           | 153                                                       |
| 2015-16    | 132                           | 10                                               | 3                                                                            | 119                                                       |
| 2016-17    | 101                           | 1                                                | -                                                                            | 100                                                       |
| 2017-18    | 168                           | -                                                | -                                                                            | 168                                                       |
| 2018-19*   | 10                            | -                                                | -                                                                            | 10                                                        |
| <b>कुल</b> | <b>995</b>                    | <b>247</b>                                       | <b>82</b>                                                                    | <b>666</b>                                                |

\* 31 दिसम्बर, 2018 तक

तालिका 2: हस्ताक्षर किए गए करारों का ब्यौरा

| वित्त वर्ष | एक पक्षीय एपीए | द्विपक्षीय एपीए | योग        |
|------------|----------------|-----------------|------------|
| 2013-14    | 5              | -               | 5          |
| 2014-15    | 3              | 1               | 4          |
| 2015-16    | 53             | 2               | 55         |
| 2016-17    | 80             | 8               | 88         |
| 2017-18    | 58             | 9               | 67         |
| 2018-19*   | 23             | 5               | 28         |
| <b>कुल</b> | <b>222</b>     | <b>25</b>       | <b>247</b> |

\* 31 दिसम्बर, 2018 तक



अप्रैल, 2017 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहली बार एक एपीए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वार्षिक रिपोर्ट सीबीडीटी की एक पहल थी ताकि योजना के मजबूत पक्षों एवं कमियों पर करदाताओं, नीति निर्माताओं, मीडिया, अर्थशास्त्री आदि के बीच चर्चा और बहस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत की एपीए योजना के विभिन्न सांख्यिकीय एवं गुणात्मक पहलुओं को सार्वजनिक (पब्लिक) डोमेन में लाया जा सके। एपीए कार्यक्रम संबंधी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट अगस्त, 2018 में जारी की गई थी।

#### 4.8.13 अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर नीतिगत मुद्दे

##### • डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यदल (टीएफडीई) में भारत की सक्रिय भागीदारी:

डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान करने पर बीईपीएस परियोजना की एक्शन 1 रिपोर्ट के परिणामों पर अनुवर्ती कार्य के भाग के रूप में, भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित ओईसीडी पहलूओं पर सक्रिय भागीदार रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसने व्यापार परिचालन के तरीके को बदल दिया है, में नए बिजनेस मॉडल में आने वाली कर संबंधी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता का लगातार समर्थन किया है। वित्तीय मामलों से संबंधित समिति (सीएफए) की सहायक इकाई डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यदल (टीएफडीई), जिसमें गैर-ओईसीडी जी-20 देश, ओईसीडी सदस्य देशों के साथ समान स्तर पर सहयोगी के रूप में भाग लेते हैं, को सितम्बर, 2013 में स्थापित किया गया था ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा उठाए गए कर संबंधी मुद्दों की पहचान की जा सके और इन चुनौतियों से निपटने के लिए विस्तृत विकल्पों पर एक रिपोर्ट बनाई जा सके।

टीएफडीई की अधिदेश को बीईपीएस पर समावेशी फेमवर्क (आईएफए) द्वारा जनवरी, 2017 में नवीनीकृत किया गया था और इसमें वर्ष 2018 में डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों पर अंतरिम रिपोर्ट तथा वर्ष 2020 तक एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल था। टीएफडीई ब्यूरो का सदस्य रहते हुए भारत ने वर्ष के दौरान टीएफडीई की सभी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और बैठक के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर निविष्टियां (इनपुट) तथा टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान संबंधी टीएफडीई की अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था तथा वर्ष 2018 में इसे जारी किया गया था। भारत ने अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया है और दृढ़ता से वकालत की है कि कार्पोरेट लाभ मांग और आपूर्ति दोनों का कार्य है, इसलिए आपूर्ति श्रृंखला के भीतर सृजित मूल्य को कार्पोरेट लाभ के निर्धारण के लिए मांग के योगदान के साथ आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करने पर भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह अंतरिम रिपोर्ट विभिन्न देशों के बीच मतभेदों के क्षेत्रों की रूप रेखा तैयार करती है तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था की

चुनौतियों का पता लगाने के लिए भावी कार्य हेतु दिशा निर्धारित करती है।

भावी कार्य जो, टीएफडीई द्वारा किया जाएगा वह नेक्सस और लाभ आवंटन नियमों को पुनः शुरू करने के लिए होगा। जी 20 को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा वर्ष 2020 है। इस बीच भारत ने निरंतर टीएफडीई की बैठकों में अपनी चिंताओं को उठाया है और हाल ही में नवंबर 2018 में ओईसीडी को डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान पर अपनी स्थिति प्रस्तुत की है। भारत ने नए नियमों के लिए जरूरत का सुदृष्टा से समर्थन किया है जो स्रोत के साथ-साथ निवासी राज्य दोनों को कर लगाने के अधिकारों का उचित आवश्यक सुनिश्चित करेगा तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपक्रमों अपनाए गए नए बिजनेस मॉडलों को मौजूदा नियमों की अप्रयोज्यता से होने वाले कर परिहार को रोकेगा। भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक उपस्थिति (सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेन्स) का करयोग्य नेक्सस स्थापित करने के लिए एक विकल्प के रूप में अपनाने का सुदृढ़ता से सुझाव दिया है।

#### 4.8.14 भारत में स्थाई प्रतिष्ठानों (पीई) को लाभों के आरोपण से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा आयकर नियमावली के नियम 10 में संशोधन करने के लिए समिति

हाल ही में भारत में स्थाई प्रतिष्ठानों को लाभों के आरोपण से संबंधित मामलों की जांच करने और आयकर नियमावली 1962 के नियम 10 में संशोधन का सुझाव देने के लिए अध्यक्ष (चेयरमैन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया गया है। समिति में 12 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष समिति के चेयरमैन के रूप में संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-1) है। बीईपीएस के कारण स्थाई प्रतिष्ठान (पीई) की परिभाषा में विस्तार के कारण यह महसूस किया गया था कि इस बात पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण था कि कैसे भारत में लाभों को स्थाई प्रतिष्ठानों को आरोपित किया जाना था। ओईसीडी एमटीसी 2010 द्वारा शुरू किए गए अनुच्छेद 7 के बारे में भारत के सुदृढ़ आरक्षण को देखते हुए यह भी महत्वपूर्ण था जिसके अनुसार स्थाई प्रतिष्ठान को लाभ आरोपण एफएआर विश्लेषण के आधार पर किया जाना है। एफएआर पद्धति आपूर्ति पक्ष कारकों पर आधारित है और मांग पक्ष कारकों के योगदान को कोई महत्व नहीं देती है जो किसी उपक्रम द्वारा लाभों को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्रोत क्षेत्राधिकार में स्थाई प्रतिष्ठान को लाभ के आरोपण हेतु एफएआर आधारित दृष्टिकोण का अपनाना न तो सिद्धांतों के अनुसार है और न ही यह स्थाई प्रतिष्ठान को आरोपण योग्य सत्य लाभ को अधिकार में करता है। चालू वर्ष के दौरान समिति की अनेक बैठकें हुई हैं और स्थाई प्रतिष्ठानों को लाभ के आरोपण के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाई गई विभिन्न पद्धतियों से संबंधित डाटा का विश्लेषण करने के बाद पर्याप्त प्रगति की गई है। समिति ने अल्प समय में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है जिससे क्षेत्राधिकार के कर लगाने वाले अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए मांग पक्षों कारकों की चिंता करने के अलावा लाभों के आरोपण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों में ज्यादा निश्चितता आएगी।

#### 4.8.15 दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय:

भारत ने फोरम ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) के माध्यम से ओईसीडी द्वारा किए गए कर सहयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो राजस्व निकायों के बीच सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। एफटीए द्वारा की जाने वाली गतिविधियों तथा परियोजनाओं का उद्देश्य करदाता सेवाओं में सुधार लाना और और राजस्व निकायों की कर प्रशासन की दक्षता, प्रभावशीलता और निष्पक्षता को बढ़ाना और अनुपालन की लागत को कम करना है। वर्ष के दौरान भारत ने एफटीए ब्यूरो और ऑनलाइन केश रजिस्टर परियोजना की बैठक में भाग लिया है।

वर्किंग पार्टी 1 (डब्ल्यूपी-1) बैठक में और बेस एरोजन और प्रोफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना की सहमत अंतिम रिपोर्ट के अनुसार शुरू की गई अनुवर्ती कार्रवाई कार्य में विशेषकर संधि दुरुपयोग रोकने के लिए कार्य 6, स्थायी प्रतिष्ठान स्थिति के कृत्रिम परिहार को रोकने में कार्य 7 तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों का पता लगाने के लिए कार्य-1 में भारत का प्रतिनिधित्व तथा भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। मसौदा बहुपक्षीय साधन (एमएलआई) के विकास, जो एक बहुपक्षीय संधि है, में भी भारत की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी जो बीईपीएस परियोजना में विकसित कर संधि उपायों के क्रियान्वयन के लिए हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की द्विपक्षीय कर संधियों को संशोधित करने की मांग करेगा। भारत की चिंताओं तथा सकी प्राथमिकताओं को भारत की भागीदारी के भाग के रूप में वैश्विक समुदाय के नोटिस में लाया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रस्तावित और सहमत हुए परिणाम भारत के हितों के अनुसार थे। बहुपक्षीय साधन (एमएलआई) के अंतर्गत बेमेल संबंधों को दूर करने के लिए संधि भागीदारों के साथ या तो बैठकों के माध्यम से अथवा पत्राचार के माध्यम से कई दौर का विचार-विमर्श किया गया था। एमएलआई के अंतर्गत अधिसूचनाओं तथा आरक्षणों के बारे में भारत की स्थिति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

#### 4.9 प्रणाली निदेशालय

##### 4.9.1 प्रोजेक्ट का नाम: पैन

##### (क) स्थायी खाता संख्या (पैन)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के अनुसार पैन (स्थायी खाता संख्या) एक 10 अंकों की एल्फा-न्यूमेरिक संख्या है जो कि आयकर विभाग द्वारा करदाताओं तथा उन लोगों को आवंटित किया जाता है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसके लिए आवेदन करते हैं। स्थायी खाता संख्या (पैन) विभाग को विभाग के साथ 'व्यक्ति' द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों तथा पत्राचारों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।

पैन डाटा बेस ने आर्थिक प्रगति में तालमेल करने में धीमी वृद्धि दर्शाई है। 31 मार्च, 2019 तक आवंटित पैन की उत्तरोत्तर संख्या (संचयी) 44,57,17,383 है। चालू वर्ष के दौरान (31 मार्च, 2019 तक) 6,66,39,738 पैन आवंटित किए गए हैं।

##### (ख) सामान्य व्यवसाय पहचान संख्या (सीबीआईएन अथवा बीआईएन)

यद्यपि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के अनुसार स्थायी खाता संख्या (पैन) की भूमिका आयकर विभाग तक सीमित करदाता की पहचान के रूप में परिकल्पित की गई थी। तथापि, पैन ने अब आयकर विभाग के इतर एक 'पहचानकर्ता' का रूपधारण कर लिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता अब विभिन्न कार्यों जैसे बैंक खाता खोलना, डिमैट खाता खोलना, आयकर नियमावली, 1962 के नियम, 114(ख) में निर्दिष्ट अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण प्राप्त करने आदि में होती है। इस प्रकार, पैन अनेक सरकारी विभागों तथा सेवाओं को पंजीकरण प्रदान करने के लिए सामान्य बिजनेस पहचान संख्या (सीबीआईएन) अथवा केवल बिजनेस पहचान संख्या (बीआईएन) बनने में प्रभावी हो गया है।

##### (ग) एक व्यक्ति- एक पैन

आयकर अधिनियम एक व्यक्ति को केवल एक पैन रखने की अनुमति देता है। नकली पैन जारी करने से बचने के लिए फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिथम वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके नकली डाटा की जांच की जाती है। डी डुप्लीकेसन प्रक्रिया को आगे और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पैन डाटाबेस के व्यक्तियों की आधार संख्या तथा कार्पोरेट सत्ताओं के लिए कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) के साथ जोड़ा जा रहा है।

##### (घ) पैन सेवा प्रदाता

पैन आयकर विभाग के राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र (एनसीसी) स्थित रोबस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए विभाग के डाटाबेस में केंद्रीय रूप से सृजित (जनरेट) किया जाता है। पैन से संबंधित सहायक सेवाएं दो पैन सेवा प्रदाताओं, मै यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टैक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) तथा मै. एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल ई गवर्नेंस) को आउटसोर्स किया गया है। सेवा प्रदाता अपने 25000 से भी ज्यादा फ्रन्ट आफिसों के नेटवर्क (पैन सेंटर्स/टीआईएन एफसी) वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदकों के पैन आवेदनों को प्राप्त करते हैं और उन्हें तैयार करते हैं।

##### (ङ) पैन सत्यापन सुविधा

पैन सत्यापन सुविधा सरकारी विभागों को आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए "अपनापैन जानिए" सुविधा विभाग (नो योर पैन) लिंक के माध्यम से आयकर सरकारी वेबसाइट [www.incometaxindiafiling.gov.in](http://www.incometaxindiafiling.gov.in) पर प्रदान की जाती है यदि नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि (डीओबी)/समामेलन की तारीख (डीओआई) ज्ञात हैं।

पैन सत्यापन हेतु सेवा आयकर पैन सेवा प्रदाता (यूटीआईटीएसएल तथा एनएसडीएल ई-जीओवी) द्वारा भी निदेशालय द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी अनुमोदित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली एजेन्सी को प्रदान की जाती है।

#### (च) शिकायत निवारण मशीनरी

पैन से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी सुपरिभाषित है। आयकर विभाग के पास विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल अर्थात् incometaxindiaefiling.gov.in पर ई-निवारण नाम से एक विशेष इलैक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली है। शिकायतें भारत सरकार की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) तथा मनोनीत पैन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्राप्त की जाती हैं।

#### (छ) नई पहलें

##### क. एमसीए पोर्टल के साथ एकीकरण

चूंकि पैन को एमसीए, सीबीडीटी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, डीआईपीपी तथा डीजीएफटी सेवाओं के बारे में बिजनेस पहचान संख्या (बीआईएन) के रूप में अपनाया गया है, अतः सीबीडीटी ने स्थाई खाता संख्या (पैन) तथा कर कटौती खाता संख्या (टैन) को सामान्य आवेदन फार्म के माध्यम से एक दिन में जारी करने के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ गठजोड़ किया है जिसका औसत लिया गया समय 15 मिनट है।

फलस्वरूप एमसीआई द्वारा एक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र (सीओआई) इस पर कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) के अलावा पैन के मुद्रित होने के बाद जारी किया जाता है।

##### ख. तत्काल ई-पैन आवंटन (पीओसी):

प्रणाली महानिदेशालय ने जून, 2018 माह में तत्काल ई-पैन के आवंटन की सुविधा का बीटा वर्जन को शुरू किया था। आवंटन निःशुल्क था और ई-पैन आवंटन एक साइबर सुरक्षित माहौल में ऑनलाइन एकीकरण के जरिये आधार से ई-केवाईसी डाटा (आवेदन की सहमति से) प्राप्त करके रियल टाइम आधार के समीप पर किया गया था।

इस सुविधा 29 जून, 2018 से 06 जुलाई, 2018 तक अत्यधिक सफलता के साथ चलाया गया था। कुल 62,192 ई-पैन इस अल्पावधि के दौरान आवंटित किए गए थे।

##### ग. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अथवा आधार आधारित ई-केवाईसी का प्रयोग करके कागज रहित आवेदन

डिजिटलीकरण मिशन के साथ कदम बढ़ाकर तथा पैन आवंटन प्रक्रिया के स्वतः चलन (ऑटोमेशन) के

लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अथवा आधार आधारित ई-केवाईसी अथवा ई-हस्ताक्षर स्कैन आधारित का प्रयोग करके पैन के आवेदन के लिए ऑनलाइन कागज रहित प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। इन प्रक्रियाओं में एक व्यक्ति ऑनलाइन फार्म 49क के माध्यम से पैन के लिए आवेदन कर सकता है और मै. एनएसडीएल तथा मै. यूटीआईटीएसएल दोनों सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर डाक द्वारा वास्तविक दस्तावेज भेजने हेतु किसी आवश्यकता के बिना अपलोड कर सकता है।

आवेदन के आधार आधारित ई-केवाईसी मार्ग के जरिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पैन 4 घंटे के भीतर (20.00 बजे के बाद किए गए आवेदन के लिए टीएटी के 12 घंटे) आबंटित किया जा रहा है।

##### घ. डिजिटली हस्ताक्षरित ई-पैन कार्ड को जारी करना

पैन के वैध फार्म के रूप में ई-पैन की मान्यता के लिए (फिजीकली) लेमिनेटिड पैन कार्ड के साथ) धारा 139कक, नियम 114 में संशोधन के जरिए सभी कानूनी तथा प्रक्रियात्मक जरूरतों को तथा सीबीडीटी अधिसूचना 2018 की 7 दिनांक 27.11.2018 को जारी करना पूरा कर लिया गया है।

आयकर विभाग द्वारा पैन के आवंटन के अथवा पैन डाटा में परिवर्तनों की पुष्टि के बाद तुरंत पैन आवेदन फार्म में दिए गए ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान कुल 4,46,18,729 ई-पैन कार्ड जारी किए गए हैं।

##### ङ. पैन कार्ड के साथ-साथ ई-पैन पर बढ़ा हुआ क्यूआर कोड

अब बढ़े हुए क्यूआर कोड के साथ वास्तविक पैन कार्ड के साथ-साथ ई-पैन जारी किए जा रहे हैं जिनमें पैन कार्ड धारक के डेमोग्राफिक डाटा के साथ-साथ फोटो की इमेज तथा हस्ताक्षर निहित हैं। क्यूआर कोड को क्यूआर कोड रीडर के जरिए पैन के सत्यापन के प्रयोजनार्थ भी प्रयोग किया जा सकता है तथा मुक्त रूप से गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने योग्य है।

##### च. आधार आधारित डिजिटल लॉकर के साथ एकीकरण

डिजिटल सेवा प्रमाण पत्र (डीएससी) आधारित ऑनलाइन पैन आवेदन प्रक्रिया का आधार आधारित डीआईटीवाई की डिजिटल लॉकर सुविधा के साथ एकीकरण पैन सेवा प्रदाताओं यूटीआईआईटीएसएल: एनएसडीएल ई-जीओवी द्वारा पैन आवेदको द्वारा प्रयोग

हेतु उपलब्ध है। इस सुविधा में पैन आवेदक अपने डिजिटल लॉकर से अपने पीओआई, पीओए तथा पीडीओबी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को ऑनलाइन पैन आवेदन पर अपलोड करने में सक्षम है।

#### छ. आधार यूआईडीएआई के साथ पैन का एकीकरण (आधार पैन लिंकिंग)

यूआईडीएआई के साथ डेटाबेस का एकीकरण दोहरे उद्देश्य के लिए पैन के साथ आधार के बीजारोपण (सीडिंग) के लिए पहले ही हो चुका है। यह डुप्लिकेट पैन को किसी भी आवेदक को जारी करने से रोकता है और साथ ही आवेदक को पहले से ही जारी पैन की पहचान करने से रोकता है। प्रमाणित आधार पका बीजारोपण (सीडिंग) 01.05.2015 से शुरू कर दिया गया है और 31.03.2019 तक कुल 24,90,68,879 पैन आधार डेटाबेस के साथ प्रमाणित किए गए हैं। शेष पैन में आधार की सीडिंग वर्तमान में चल रही है।

सीबीडीटी ने दिनांक 31 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 31/2019 द्वारा अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 01 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को तुरंत अपने आधार संख्या को प्रधान महानिदेशक आयकर (सिस्टम) अथवा प्रधान आयकर निदेशक (सिस्टम) को 30 सितंबर, 2019 तक सूचित करना होगा केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें अधिनियम की उपधारा 139कक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

#### 4.9.2 परियोजना का नाम:- प्रोजेक्ट इनसाइट

प्रोजेक्ट इनसाइट की कल्पना आयकर विभाग को तीन लक्ष्यों (i) ऐच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने तथा गैर-अनुपालन को रोकने के लिए (ii) यह विश्वास दिलाने के लिए कि सभी पात्र व्यक्ति उचित कर का भुगतान करते हैं और (iii) निष्पक्ष और विवेकपूर्ण प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए की गई थी नामतः इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक एकीकृत डेटा वेयरहाउसिंग तथा बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

- (i) आयकर विभाग की प्रमुख परियोजनाओं/डेटा स्रोत के अंतः दिन के एकीकरण (एंड आफ डे इंटीग्रेशन) के साथ प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत एक अत्याधुनिक (ए स्टेट ऑफ द आर्ट) डेटा वेयर हाउस का संचालन किया जा रहा है। बजट पूर्व विश्लेषण तथा नीति निर्माण के लिए टीपीएल को व्यापक एमआईएस प्रदान करने के लिए इनसाइट डेटा वेयरहाउस का (वर्ष 2017 से) प्रयोग किया जा रहा है।

- (ii) आयकर कारोबार विश्लेषण केंद्र (आईएनटीआरएसी) को डेटा एकीकरण, डेटा प्रसंस्करण, डेटा गुणवत्ता मॉनीटरिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, मास्टर डेटा प्रबंधन तथा डेटा विश्लेषण पर कार्रवाई करने के लिए संचालित किया गया है। डेटा को बैंक खाता संख्या/संपर्क/पते, पते की क्लस्टरिंग, जियोकोडिंग, संबंध पहचान/क्लस्टरिंग के मानकीकरण द्वारा समृद्ध किया गया है।

- (iii) डेटा एनालिटिक्स को एनएमएस के अंतर्गत (कर निर्धारण) वर्ष, 2016-17 के बाद उच्च जोखिम वाले गैर फाइलरों की पहचान के लिए, सीएसएस (सीएसएस 2018 के बाद) के अंतर्गत सुरक्षा के लिए मामलों का चयन, उच्च जोखिम रिफंड दावों (अप्रैल, 2018 के बाद) की पहचान तथा फार्म 15गक (सितंबर, 2018 के बाद) में उच्च जोखिम वाले प्रेषण की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सूचना के स्वचालित विनिमय (ईओआई) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआरएस) के अंतर्गत प्राप्त सूचना के केंद्रीयकृत प्रसंस्करण के लिए भी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया (लिवरेज) जा रहा है।

- (iv) रिपोर्टिंग संस्थानों तथा आयकर विभाग के बीच एक व्यापक इंटरफेस प्रदान करने के लिए एक समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल (<https://report.insight.gov.in>) शुरू किया गया है। रिपोर्टिंग पोर्टल निर्बाध डेटा प्रोसेसिंग, डेटा गुणवत्ता मानीटरिंग और रिपोर्ट सुधार में सक्षम बनाता है। रिपोर्ट सृजन उपयोगिता (रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटीज) उपयोगकर्ता गाइड, वीडियोज, चेटबोट रिपोर्टिंग संस्थाओं को रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने में सहायता करने के लिए प्रदान किए गए हैं। सभी रिपोर्टें संसाधित की गई हैं और डेटा गुणवत्ता रिपोर्टों (दोषों तथा अपवादों वाले डीक्यूआर) को दो, के सुधार हेतु रिपोर्टिंग सत्ताओं के साथ साझा किया गया है। आई और सी आई उपयोगकर्ताओं को क्रियाशालता (फंक्शनलिटी) प्रदान की गई है ताकि वे पंजीकरण, स्टेटमेंट फाइलिंग तथा दोषों को सुधार करने में निगरानी कर सकें।

- (v) प्रभावी अनुपालन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक संरचित तरीके में अनुपालन मुद्दों पर प्रतिक्रिया को पकड़ने के लिए एक समर्पित अनुपालन पोर्टल (<https://compliance.insight.gov.in>) तैयार किया गया है।

- (vi) स्वैच्छिक अनुपालन तथा अनुपालन मुद्दों के समाधान के अभियान प्रबंधन दृष्टिकोण (ई-मेल, एसएमएस, अनुस्मारक, आउटबाउंड कॉल, पत्र रखते हुए) की लिवरेज के लिए अनुपालन प्रबंधन केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र (सीएमसीपीसी) को संचालित (आपरेशनलाइज्ड) कर दिया गया है।

- (vii) इंटर एक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) रिपोर्टों से युक्त बिजनेस इंटेलिजेंस डेशबोर्ड को ड्रिल डाउन के साथ आईटीडी के उपयोगकर्ताओं को कार्ययोग्य जानकारी प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया गया है। बीआई रिपोर्टों को

विभिन्न विषयों जैसे कर संग्रहण, कर आधार, आईटीआर सूचना, बिजनेस सूचना, छूट, कर दाताता अनुपालन, टीडीएस सूचना, टीडीएस अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, थर्ड पार्टी सूचना आदि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- (viii) 100 से ज्यादा इंटरएक्टिव जीआईएस रिपोर्टों वाले जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) डेशबोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधकों को प्रभावी मानीटरिंग के लिए उच्च स्तरीय भौगोलिक अवलोकन प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- (ix) इनसाइट पोर्टल के अंतर्गत सहयोगात्मक सत्यापन मोड्यूल तैयार किया गया है जो आईटीडी उपयोगकर्ताओं को करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई ऑनलाइन प्रक्रिया का अवलोकन करने तथा संरचित तरीके में कार्यकलापों तथा सत्यापन से संबंधित केस पकड़ने में सक्षम बनाता है। आईटीडी उपयोगकर्ता को सत्यापन के अंतर्गत सत्ता के प्रोफाइल अवलोकन तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी।
- (x) इनसाइट पोर्टल के अंतर्गत प्रोफाइल अवलोकन को तैयार किया गया है जो सुरक्षित भूमिकर आधारित सूचना पहुंच नियंत्रण सहित करदाता तथा अन्य सत्ताओं के व्यापक बहुवर्ष प्रोफाइल की व्यवस्था करता है। प्रोफाइल अवलोकन प्रभावी विश्लेषण के लिए प्रमुख इनसाइट, वित्तीय अनुपात तथा संबंधित सूचना प्रकट करता है।
- (xi) इनसाइट नोलेज हब आई विकी, आई लाइब्रेरी, आई फोरम तथा आई क्वेशरी से मिलकर एक एकीकृत प्लेटफार्म "आयोजन करने, सृजन करने, साझा करने, प्रयोग करने तथा संगठन ज्ञान का प्रबंध करने में कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त हो सके" में आईटीडी की सहायता करने के लिए तैयार किया गया है।
- (xii) इनसाइट लर्निंग हब, एक एकीकृत प्लेटफार्म जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, योग्यता परीक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री भंडार शामिल है, के सक्षमता आधारित प्रशिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करके कर्मचारियों को अनुकूलित शिक्षण सामग्री की आपूर्ति और ट्रेकिंग के द्वारा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है।

#### 4.9.3. परियोजना का नाम: नॉन फाइलर निगरानी प्रणाली (एनएमएस) पायलट प्रोजेक्ट

आयकर विभाग ने संभावित कर देनदारियों वाले गैर-फाइलरों की पहचान करने तथा उनकी मानीटरिंग करने के लिए नॉन-फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) को लागू किया है। आंतरिक सूचना के साथ-साथ थर्ड पार्टी सूचना स्रोत पर वित्तीय कारोबार और कर कटौती/संग्रह के अंतर्गत प्राप्त सूचना का विश्लेषण उन व्यक्तियों/सत्ताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्होंने उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन किए हैं लेकिन अपनी विवरणियां दायर नहीं की हैं।

संभावित कर देनदारियों वाले निम्नलिखित गैर-फाइलरों की संख्या की पहचान की गई थी।

- एनएमएस साइकिल 7 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18) : 38.81 लाख
- एनएमएस साइकिल 8 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) : 15.58 लाख

लेनदेन के बारे में सूचना ऑनलाइन पोर्टल और ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाती है और ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रदान करने तथा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नॉन फाइलर्स को एसएमएस भेजा जाता है। बहुत से नॉन फाइलर्स अपनी विवरणी दायर करते हैं तथा समुचित कर अदा करते हैं। उच्च जोखिम वाले नॉन फाइलर्स के ब्योर्स को आगे की कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई योग्य सूचना के सत्यापन तथा मानीटरिंग में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, यह कार्यशैली क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्रों का सृजन करने, ऑनलाइन प्रतिक्रिया देखने तथा अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाती है।

#### 4.9.4 परियोजना का नाम: प्रतिदाय बैंकर

प्रतिदाय बैंकर परियोजना एक प्रणाली संचालित प्रक्रिया है जिसमें आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण तथा प्रतिदायों को क्रेडिट किया जाता है। इस परियोजना ने प्रतिदायों की सुपुर्दगी को पूर्ण रूप से स्वचालित, गतिशील एवं पारदर्शी बना दिया है।

प्रतिदाय बैंकर योजना के अंतर्गत आय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कागजी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय आयकर विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को भेजा जाता है जिसे विभाग के एजेंट (प्रतिदाय बैंकर) के रूप में नामित किया गया है। प्रतिदाय बैंकर ईसीएस या प्रत्यक्ष कर को सीधे ही बैंक एकाउंटों में क्रेडिट करता है। कागजी प्रतिदाय (केवल असाधारण मामलों में) के मामले में प्रतिदाय बैंकर प्रतिदाय चेक (कोर बैंकिंग के माध्यम से पूरे भारत में सममूल्य पर देय) का मुद्रण एवं करदाताओं को स्पीड पोस्ट से प्रेषण करता है। भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीके ने सुपुर्दगी समय को कम करके कागजी प्रतिदाय जिसमें 4-8 दिन लगते हैं, के मुकाबले 1-2 दिन कर दिया है।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय डाक तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति आधान लि. (एनएसडीएल) के सहयोग से एवं वेब आधारित स्थिति जानने की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के जरिए जारी किये गये प्रतिदायों के स्थिति का पता लगाने हेतु 1800-42-59-760 के शुल्क फ्री संख्या के साथ कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। भुगतान न हुए अथवा वापस किए गए प्रतिदायों के मामले में भुगतान न किए जाने के कारणों सहित प्रतिदायों की स्थिति को विभागीय एप्लीकेशन पर अद्यतन किया जाता है ताकि मूल्यांकन अधिकारी चूक को दूर करके भुगतान हेतु प्रतिदाय को पुनः भेजने में समर्थ हो सके।

इस योजना के माध्यम से निर्गमित प्रतिदायों की संख्या तथा प्रतिशतता में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। वार्षिक एमआईएस निम्नलिखित है:-

| वित्त वर्ष | प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से प्रतिदायों (संदत्त) की सं. | अन्य प्रतिदायों (संदत्त) की सं. | कुल         | प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से संदत्त प्रतिदायों की प्रतिशतता |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 2014-15    | 1,35,56,088                                            | 22,517                          | 1,35,78,605 | 99.84%                                                     |
| 2015-16    | 21,008,960                                             | 13,162                          | 2,10,22,122 | 99.93%                                                     |
| 2016-17    | 1,76,59,245                                            | 10,617                          | 1,76,69,862 | 99.94%                                                     |
| 2017-18    | 1,97,90,532                                            | 8,743                           | 2,11,53,692 | 99.99%                                                     |
| 2018-19    | 2,81,90,436                                            | 2,493                           | 2,81,92,929 | 99.99%                                                     |

पीएफएमएस का इस्तेमाल करते हुए पैन अकाउन्ट सत्यापन का एक नया तंत्र पिछले दो सालों से रिफंड का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत, पैन खाता जानकारी बैंकों को पीएफएमएस इंटरफेस का उपयोग करते हुए प्रेषित की जाती है और बैंकों की पैन को खाता सं. जोड़ने में सक्षम करने के लिए खाते में पैन नंबर दिया गया था। प्रमाणित पैन खाता रिकॉर्ड के मामले में, पूर्वनिर्धारित सीमा (50,000) से अधिक की धनवापसी अनुमोदित प्रतिदाय अंतरण नियमों के अध्यक्षीन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाती है। इस पहल के परिणामस्वरूप, 01.03.2019 से विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 100 प्रतिशत प्रेषण आरंभ कर दिया है।

#### 4.9.5 परियोजना का नाम: ओलटास (आन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली)

आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली परियोजना, करदाताओं द्वारा विनिर्दिष्ट बैंकों में सीधे किए गए आनलाइन कर भुगतानों को कर क्रेडिट हेतु विभाग द्वारा रखे गए करदाताओं के क्रियाशील लेजर खातों के साथ स्वीकृत करता है। ओलटास का कार्यान्वयन आरबीआई, बैंक एजेंसी तथा टिन (वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित) के परस्पर सहयोग से किया जा रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य कर क्रेडिट के लिए कागजी प्रयोग तथा कागजी विधिमान्यकरण प्रणाली को समाप्त करना था। ओलटास परियोजना विभाग द्वारा की गई प्रमुख ई-प्रशासन पहलों में से एक रही है। परियोजना के अंतर्गत बैंकों में किये गये सभी भुगतानों को टी+3 आधार में अपलोड किया गया। पैन/टैन वाले कर निर्धारिती एवं बैंक के साथ भुगतान के स्थान को ध्यान में रखे बिना नकद भुगतान का ढांचा देखा जा सकता है। 3 निजी क्षेत्र के बैंकों सहित देशव्यापी 26 एजेंसी बैंक तथा उनकी 13000 शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओलटास के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर भुगतानों के संग्रहण के लिए अधिकृत हैं।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैंक अपने कम्प्यूटरों में कर भुगतान चालानों का डाटा दर्ज करते हैं तथा एनएसडीएल द्वारा रखे गए आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) के सर्वर पर ऑनलाइन चालान सूचना भेजते हैं। संशोधित फाइल विधिमान्यकरण अनुदेशों को सभी संग्रहणकर्ता बैंकों तथा टिन के सॉफ्टवेयर में इंस्टोल कर

दिया गया है ताकि बेहतर डाटा गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। एनएसडीएल डाटा एकत्र करता है, आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली तैयार करता है तथा उसे एनसीसी, नई दिल्ली में रखे गए, आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के सर्वर को भेजता है। वहां से इस डाटा को आयकर विभाग के आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के डाटाबेस में मिलाया जाता है जिससे कर निर्धारण अधिकारी करदाताओं को उनके द्वारा भुगतान किए गए कर के लिए उचित क्रेडिट देने और भुगतान के स्थान अथवा तरीके को ध्यान में रखे बिना पैन/टैन क्षेत्राधिकार के आधार पर कर-निर्धारण अधिकारी/रेंज प्रमुख/सीआईटी/सीसीआईटी के लिए संग्रहण रिपोर्ट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।

ओलटास परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-

- बैंकों की संग्राहक तथा नोडल शाखाएं उनके द्वारा टिन को भेजे गए कर भुगतान डाटा की स्थिति का सत्यापन टिन वेबसाइट **tin-nsdl.com** के माध्यम से कर सकते हैं।
- करदाता अपने कर भुगतानों का सत्यापन टैन/सिन (चालान पहचान संख्या) के आधार पर टिन वेबसाइट पर चालान स्थिति पूछताछ के माध्यम से कर सकते हैं। आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत चालान पहचान संख्या बैंक/शाखा का बीएसआर कोड, जमा करने की तारीख तथा चालान क्रम संख्या का एक अनूठा संयोजन है।
- पिछले वित्तीय वर्ष की तिमाही वार तुलनात्मक विश्लेषण सहित अधिकतम अग्रिम करदाताओं तथा टीडीएस दाताओं की रिपोर्ट भी कर संग्रहण की निगरानी के लिए आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त (टीडीएस) को उपलब्ध कराई जाती है।
- निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए टिन द्वारा आयकर विभाग के साथ साथ प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा भारतीय बैंक के लिए मासिक एमआईएस रिपोर्ट बनाई जाती है।
- टिन, कर भुगतान डाटा के अपलोड किए जाने की निगरानी और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके द्वारा भेजी गई निधि के साथ इसके सामंजस्य के लिए संग्राहक बैंक शाखाओं, उनकी नोडल शाखाओं के साथ-साथ उनके लिंक कोष्ठों को ओलटास डैशबोर्ड सुविधा प्रदान कर रहा है।

- दैनिक आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रहण की निगरानी हेतु वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों आयकर आयुक्तों (टीडीएस) एवं आयकर आयुक्तों (कम्प्यूटर प्रचालन) के लिए टिन वेबसाइट के माध्यम से एक पृथक ओल्टास डैशबोर्ड सुविधा शुरू की गई है।

#### 4.9.6 परियोजना का नाम: ई-भुगतान

ई-भुगतान द्वारा नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके सभी प्रत्यक्ष करों का भुगतान ऑन लाइन किया जा सकता है। यह योजना भुगतान के किसी भी समय और कहीं भी करने के सरल तरीके का प्रावधान करती है। 1 अप्रैल, 2008 से सभी कंपनियों तथा धारा 44कख लेखा परीक्षित मामलों में प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। ई-भुगतान की सुविधा का अब 26 एजेंसियों तक विस्तार किया गया है जोकि प्रत्यक्ष कर का संग्रहण करती हैं। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली हाल ही में की गी पहलें निम्नलिखित हैं:-

- कार्ड के माध्यम से भुगतान:** वर्तमान में, 6 बैंक नामतः, एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, एचडीएफसी, कैनरा एवं आइसीआईसीआई बैंक ने अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी ई-भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है।
- एटीएम के माध्यम से भुगतान:** प्रत्यक्ष करों के भुगतान की सुविधा कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स के एटीएम के माध्यम से शुरू की गई है।
- रिटर्न प्रीपेरेशन के साथ ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को जोड़ना:** करदाता ऑनलाइन आइटीआर प्रीपेरेशन सुविधा (आईटीआर 1 और आईटीआर 4) पर कर भुगतान लिंक पर क्लिक कर सकता है, जोकि कर भुगतान पोर्टल पर भरा हुआ स्वयं-मूल्यांकन कर चालान दिखाएगा जिसमें सभी क्षेत्र पहले से ही भरे होंगे। उपयोगकर्ता केवल बैंक का चयन करता है और भुगतान करना है। इससे कर भुगतान में आसानी होगी और कर चालान को भरने में होने वाली गलतियां कम होंगी।
- डिमांड नोटिस/ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा का एकीकरण:** करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर मांग विवरण देखने के दौरान कर भुगतान लिंक पर क्लिक कर सकता है, जोकि कर भुगतान पोर्टल पर भरा हुआ नियमित कर चालान दिखाएगा जिसमें सभी क्षेत्र पहले से ही भरे होंगे। इससे कर भुगतान में आसानी होती है और मांग के साथ भुगतान को जोड़ना भी कम हो जाता है (मांग पहचान संख्या का स्वतः उपयोग करके)।

- UMANG के साथ एकीकरण:** चालान भुगतान और चालान स्थिति पूछताछ (CIN आधारित दृश्य) को UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नंस) के साथ एकीकृत किया गया है
- मोबाइल रिस्पॉसिव पृष्ठों को ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा प्रदान करना:** इससे उपयोगकर्ताओं को मोबाइल पोर्टल के माध्यम से भुगतान पोर्टल तक पहुंचने में सुविधा हुई।
- कर भुगतान और धनवापसी ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप:** उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन की सुविधा के माध्यम से कर भुगतान और ट्रैकिंग धनवापसी स्थिति के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

ई-भुगतानों का वित्तीय वर्षवार प्रतिशत निम्नवत है:-

| वित्त वर्ष | ई-चालान की कुल संख्या का प्रतिशत | ई-चालान से संबंधित कुल राशि का प्रतिशत |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 2014-15    | 69.20                            | 87.10                                  |
| 2015-16    | 74.00                            | 88.00                                  |
| 2016-17    | 77.00                            | 89.00                                  |
| 2017-18    | 80.21                            | 89.82                                  |
| 2018-19    | 82.26                            | 91.14                                  |

ई-भुगतान के प्रतिशत में प्रत्येक वित्त वर्ष वृद्धि हुई है और वर्तमान में 91% से अधिक कर का संग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है और टिन को T+1 दिन में रिपोर्ट की गई।

#### 4.9.7 परियोजना का नाम: एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) 2.0

##### परिचय:

एकीकृत ई-फाइलिंग एवं सीपीसी 2.0, भारत में आयकर फाइलिंग एवं प्रसंस्करण को पुनः परिभाषित करने की शक्तियां देती है ताकि सभी करदाताओं को बेहतरीन अनुभव करवाया जा सके। विभाग इसे प्रोद्योगिकी द्वारा संचालित प्रक्रिया नवाचार सक्षमता के रूप में देखता है जिसे भारत में कर फाइलिंग और प्रसंस्करण के रूप में कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से अंतर्गत किया जा सके ताकि करदाता के जीवन के दौरान उसे बेहतरीन करदाता का अनुभव करवाया जा सके।

इसके चार घटक वेबसाइट दक्षता और उपलब्धता के साथ-साथ प्रोसेसिंग परिणामों के मामले में गति, प्रयोज्यता, सुविधा और सटीकता होंगे। करदाता के पास विश्व स्तर का अनुभव होना चाहिए, जैसा कि वह ऑनलाइन/मोबाइल दुनिया में अनुभव कर रहा है।

##### परियोजना के उद्देश्य

एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी 2.0 परियोजना के उद्देश्य हैं-

- देश में कर प्रसंस्करण में सुधार के लिए सरकार के साथ साझेदारी करना

- ख. करदाता को वैशिष्ट्य अनुभव प्रदान करना
- ग. विभागीय दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जाएगा-
- विजार्ड- आधारित प्रपत्रों और करदाताओं के लिए पहले से ही भरी ही विवरणी जनरेट करने के माध्यम से विवरणी दायर करने में सुविधा प्रदान करना।
  - विवरणियों के ई-सत्यापन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन करना और पूर्ण कागजरहित वातावरण (100 प्रतिशत) की स्थापना करना
  - वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रिटर्न के प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना रिटर्न और रिफंडों के क्रेडिट में रियल टाइम प्रोसेसिंग प्राप्त की जा सके।
  - डिजिटल माध्यम से कर दाताओं के साथ रूप से जुड़कर करदाताओं को शिक्षित और सशक्त बनाना
  - अग्रसक्रिय रूप से करदाताओं के साथ संप्रेषण और जुड़ना और पारदर्शिता का बढ़ाना
  - वर्ष-दर-वर्ष आधार पर त्रुटियों, शिकायतों, सुधार को कम करना और पहली बार में सही, परिणाम प्राप्त करना
  - करदाताओं को सुविधा देना और लगातार बकाया मांग को कम करना
  - सभी हितधारकों के साथ रियल टाइम डाटा विनिमय को सुनिश्चित करना और पूर्ण रूप से एकीकरण प्राप्त करना
  - देश में कर अनुपालन को लगातार प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप कम चूक में कमी आई है।

#### मार्च 2019 तक स्थिति

इस परियोजना के संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई:-

- केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (क्व्छ) पर आयकर विभाग द्वारा एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी 2.0 की खुली निविदा 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित की गई थी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2018 थी।
- सबसे कम लागत (L-1) के आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड को प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया था।
- केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 16.01.2019 को वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2026-27 तक आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रूपए (18% जीएसटी सहित) के व्यय को मंजूरी दे दी है जिसमें मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड (परियोजना के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता) को किया जाने वाला भुगतान शामिल है।

उपरोक्त के अनुसरण में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

- अनुबंध पत्र मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड को 13.02.2019 को एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जारी किया गया है।
- अनुबंध शुरू होने के 18 महीने की अवधि के डिजाइन और विकास चरण के बाद सीपीसी 2.0 परियोजना को लागू किया जाएगा।

#### 4.9.8 ई-मूल्यांकन परियोजना

##### परिचय:

परियोजना का उद्देश्य समीक्षा प्रक्रिया को अधिकतम सीमा तक ई-सक्षम एवं नया स्वरूप तैयार करना है ताकि करदाता और निर्धारण अधिकारी को परेशानी रहित अनुभव प्रदान किया जा सके और जांच की गुणवत्ता में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके ताकि यह अधिकतम निवारक हों और वित्तीय वृद्धि हो।

##### बजट घोषणा और आयकर अधिनियम में संशोधन

फरवरी, 2018 के भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा एक ई-मूल्यांकन योजना को अधिसूचित किया जाएगा ताकि:-

- निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच इंटरफेस को तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक समाप्त किया जाए
- पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जाए
- गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक टीम आधारित मूल्यांकन की शुरुआत की गई।

तदनुसार, वित्त अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 143 में संशोधन किया गया था। योजना के ब्यौरे की सीबीडीटी के टीपीएल अनुभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।

##### मार्च 2019 तक अद्यतन स्थिति

ई-निर्धारण परियोजना में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- परियोजना के क्रियान्वयन को देखने हेतु ई-निर्धारण के लिए उच्च सत्र निगरानी समिति का दिनांक 06.08.2018 को सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में गठन किया गया था। निगरानी के लिए परियोजना की प्रगति की प्रत्येक माह में एक बार समिति की बैठक होती है और मुख्य निर्णय लेती है।
- केंद्रीयकृत सत्यापन योजना के लिए योजना को दिनांक 30 जनवरी 2019 को अधिसूचित किया गया था।
- सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत सीआईटी (ई-सत्यापन) की शक्तियों को दिनांक 13.03.2019



को अधिसूचित किया है ताकि सीआईटी (ई-सत्यापन) को सत्यापन हेतु केंद्रीयकृत तरीके से नोटिस जारी करने में समर्थ बनाया जा सके।

4. आयकर भवन, वैशाली में एक केंद्रीयकृत सत्यापन केंद्र (बैंक ऑफिस) की स्थापना की गई है ताकि (प्रायोगिक) आधार पर ई-सत्यापन में सक्षम हो सके।

#### 4.9.9 परियोजना का नाम: आईटीबीए में ई-निर्धारण

ई-शासन की पहल के भाग के रूप में, संप्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और निर्धारिती के आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता के बगैर विभाग और करदाता के बीच संप्रेषण को सहज बनाने के लिए निर्धारण मॉड्यूल में ई-कार्रवाईयों की शुरूआत की गई है। यह निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी पत्रों, नोटिसों, प्रश्नावलियों, आदेशों को आईटीबीए मॉड्यूल से ई-फाइलिंग की वेबसाइट में ई-प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत निर्धारिती के अकाउंट में दिखाता है। करदाता ई-माध्यम से पत्र प्राप्त करता है और अपनी सुविधा से ई-माध्यम में ही सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी प्रतिक्रिया भर देता है जिससे वह कार्यालय जाने की परेशानी से बच जाता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर निर्धारिती द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, निर्धारण अधिकारी आईटीबीए मॉड्यूल में संबंधित कार्रवाई की केस हिस्ट्री/नोटिस स्क्रीन में देख सकता है। निर्धारण अधिकारी, करदाता की प्रतिक्रिया की जांच करता है और एक आदेश जारी करता है जिसमें आय का निर्धारण किया जाता है और करदाता को मांग, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए ई-माध्यम से सूचित किया जाता है। 2017 से, करदाता के ई-फाइलिंग अकाउंट के माध्यम से सभी संप्रेषण किए जाते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर में कालानुक्रमिक क्रम में पूरी कार्यवाही उपलब्ध है।

#### परिणाम

- ❖ बहुत अधिक सफल/करदाताओं ने परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया।
- ❖ चालू वित्त वर्ष 2018-19 (पूर्ण परिचालन का पहला वर्ष) 200000 से अधिक मामले पहले ही आईटीबीए के ई-निर्धारण प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

#### डिजिटल हस्ताक्षर

कागज रहित बनाने के प्रयास में, आईटीबीए में डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग को सक्षम बनाया गया है। सभी अधिकारियों को विकल्प दिया गया है कि पीडीएफ में डीएससी का प्रयोग करते हुए आदेश, नोटिस, पत्र आदि पर हस्ताक्षर करें। इन डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सीधे निर्धारिती के ई-फाइलिंग अकाउंट के साथ-साथ उसके नामित ई-मेल अकाउंट में संलग्नक के रूप में सीधे भेजे जाते हैं। बाद में देखने हेतु और रिकार्ड हेतु वही दस्तावेज डाटाबेस में और करदाता के ई-फाइलिंग अकाउंट में उपलब्ध है।

#### 4.9.10 परियोजना का नाम: टैक्सनेट परियोजना

चालू टैक्सनेट परियोजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूरे भारत में आयकर विभाग में विभागीय उपयोगकर्ताओं को सीमलेस कनेक्टिविटी (आईपी-वीपीएन सेवाएं) प्रदान करना है।

टैक्सनेट परियोजना भारत में प्रत्यक्ष कर प्रशासन की संपूर्ण डिजिटल इमारत की वास्तुकला रीढ़ के रूप में कार्य करती है। यह भारत में 500 से अधिक शहरों में फैले 770 से अधिक स्थानों तक सहज, सुरक्षित, कुशल और समर्पित कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह स्वर्ण धागे की तरह है जो आयकर विभाग के सभी मॉड्यूल, अनुप्रयोगों और प्लेटफॉर्मों से निकला है। असल में, यह विभाग के संपूर्ण डिजिटल मशीनरी के लिए बल गुणक के रूप में कार्य करता है। ऑपरेशन क्लीन मनी, आईटीबीए, सीपीसी-टीडीएस और सीपीसी-आईटीआर-बैंगलोर, प्रोजेक्ट इनसाइट इत्यादि सभी मॉड्यूलों की अंतिम सफलता पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। यह पृष्ठभूमि में चुपचाप काम करता है और 2008 से सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

ऑर्डर मैनेजमेंट में परिवर्तन करना, टैक्सनेट अनुबंध के प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। इंटरनेट नेटवर्क को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए विभाग को परिवर्तन ऑर्डर देना होगा। त्वरित गतिशील वातावरण में, यह बहुत आवश्यक परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। परिवर्तन ऑर्डर में प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- नोड्स का रिलोकेशन/अतिरिक्त नोड्स
- नई साइट की स्थापना
- साइट का स्थानांतरण
- बैंडविड्थ वृद्धि

इनका निष्पादन विभागीय आवश्यकता और क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग के अनुसार किया जाता है।

#### 4.9.11 वेब मास्टर प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय वेबसाइट (<https://www.incometaxindia.gov.in>) उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यात्मकताओं और सुविधाओं के साथ कई सेवाएं प्रदान करती है। वेबसाइट पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में उन सभी सुविधाओं की सूची शामिल होती है, जिनमें रिटर्न और ई-दायर मामले, अंतरराष्ट्रीय कर संबंधी सामग्री, पूछे जाने वाले प्रश्न/ट्यूटोरियल/कर संबंधी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति, नवीनतम समाचार आदि के ब्यौरे प्रदान करने के अलावा पैन, टीएनएन आदि शामिल हैं। वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो इसकी प्रभावकारिता और लोकप्रियता दिखाती है।

22/9/2014 को आयकर विभाग की नई राष्ट्रीय वेबसाइट की शुरूआत हुई है। उक्त का नवम्बर, 2015 में नवीनीकरण किया गया और विभिन्न उपभोक्ताओं, व्यापार संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सेवाएं शामिल की गईं। वेबसाइट पर फीडबैक का अधिकारियों की एक टीम के द्वारा विश्लेषण नियमित आधार पर किया जाएगा और जहां भी अपेक्षित होगा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

### वेबसाइट के मौजूदा विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं:-

1. यह वेबसाइट नवीनतम प्रौद्योगिकी पर बनाई गई सर्वाधिक शिक्षाप्रद साइटों में से एक है और इसमें 100 से अधिक कर और सम्बद्ध कानून, नियमावली और लगभग 10,000 परिपत्र एवं अधिसूचनाएं हैं जिन्हें प्रयोक्ता की सुविधा के लिए क्रास-रेफरेंस और हाइपरलिंक किया गया है,
2. अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी अंतर्वस्तु में निम्नलिखित शामिल है:-
  - क. विदेशी देशों के साथ भारत द्वारा की गई 130 कर संधियों से अधिक (संधि तुलना की अद्वितीय सुविधा के साथ)
  - ख. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार- खण्ड जिन्हें याद रखा जाना है।
  - ग. कर संधियों की तुलना में आयकर अधिनियम के अनुसार कर की दरें।
  - घ. गैर रिहायशी आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सेवा कर और फेमा के अंतर्गत संगत प्रावधान।
3. करदाता से हाल ही में पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू)/ट्यूरोरियल के रूप में सूचना प्रदान करना।
4. परस्पर लिंकिंग:-आयकर अधिनियम 1961 की सभी धाराओं में परस्पर लिंकिंग प्रदान की गई है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1962 से संबंधित सभी हाल ही पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू), कर सेवाएं, आयकर प्रपत्र उसी पृष्ठ पर उपलब्ध हैं।
5. विभिन्न सेवाओं जैसेकि पैन/टीएएन, विवरणी फाइल करना, कर भुगतान, कर कलैन्डर, कर चार्ट एवं तालिका, कर उपयोगिता, कर हेल्पलाइन जैसी और सेवाएं, सेवाकेंद्रित सूचना पृष्ठ पर दी गई हैं।
6. वेबसाइट दिव्यांग अनुकूल है, वेबसाइट दिव्यांग अनुकूल है और नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं, रंगान्धी सहित आंशिक या कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ता और बधिर उपयोगकर्ताओं के लिए है।
- 7) वेबसाइट द्विभाषिक है और राजभाषा अनुरूप है।
- 8) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कर्नर।
- 9) वेबसाइट पर बच्चों के लिए जानकारी और विडियो हैं।
- 10) नवीनतम समाचार और प्रेस विज्ञप्ति को वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता है
- 11) **अन्य सुविधाएं**
  - क. आयकर कार्यालय लोकेटर (भारत में सभी आयकर कार्यालयों का ब्यौरा कवर करता है)
  - ख. प्रधान सीसीआईटी/डीजीआईटी के अन्य पृष्ठों में क्षेत्रीय

कार्यालयों, शिकायत निवारण प्रणाली, संबंधित सीपीआईओ, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारियों के बारे में सूचना सम्मिलित है।

ग. विभाग से निविदाएं

- 12) वेबसाइट के होमपेज पर सिंगल क्लिक पर आयकर घोषणा योजना, 2016 से संबंधित पूरी सूचना।
- 13) होमपेज पर "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (पीएमजीकेवाई 2016)" के संबंध में पूरी सूचना।

पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1770410568 हिट्स की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वेबसाइट पर 244,46,20,727 कुल हिट्स हुए।

एक नया 'करदाता सेवा मॉड्यूल' और 'आयकर सेतु (एंड्रॉयड पर मोबाइल एप्लिकेशन)' जिसे वित्त वर्ष 2017-18 में प्रारंभ (लॉन्च) किया गया था, एक नई पद्धति है और आयकर सेतु के मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-

1. **एसकेआईटी** - यह चैटबोट (उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करने वाला एक वर्चुअल मशीन) के रूप में कार्य करता है जो वास्तविक समय के आधार पर पैन, टीएएन, टीडीएस, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड स्टेटस, टैक्स भुगतान आदि से संबंधित करदाताओं के प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है।
2. **टैक्स विशेषज्ञों के साथ लाइव चैट** - अगर उपयोगकर्ताओं के पास कोई प्रश्न है तो वे टीपीएस अनुभाग में चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा 10:00 पूर्वाह्न से 06:00 बजे के बीच सभी कार्य दिवसों (यानी सोमवार से शुक्रवार) पर उपलब्ध होगी।
3. **टैक्स रिटर्न तैयारियां करने वाले आपके घर पर** - यह गूगलमानचित्र पर टीआरपी का पता लगाने में मदद करता है। एक करदाता, डेस्कटॉप पर और उसके मोबाइल ऐप पर टीआरपी की खोज कर सकते हैं।
4. **कर उपकरण** - यह आईटीआर दाखिल करने के लिए कर गणना की सुविधा देता है। विभिन्न कर उपकरण उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ता के साथ उपलब्ध जानकारी/सूचना के आधार पर आईटीआर के लिए अपेक्षित आउटपुट दे देंगे।
5. **पैन/टीएएन** - पैन/टीएएन से संबंधित सभी सेवाएं, पैन/टीएएन आवेदन, डी-डुप्लिकेशन, पैन आहरण, पैन-आधार लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।
6. **टीडीएस/ट्रैसेज** - यह टैक्स डिडक्टर/कलेक्टर आदि के बीच सेवाओं के समुचित विभाजन के साथ-साथ कर कटौती/कर संग्रहण, कर कटौती के लिए उपयोगी सभी सेवाएं प्रदान करता है।
7. **कर का भुगतान** - यह टैक्स भुगतान, कर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आदि सहित करों से संबंधित सभी सेवाओं का उपयोग करने में आसानी प्रदान करता है।

8. वेबसाइट और ई-मेल/एसएमएस पर नवीनतम अपडेट - यह करदाताओं को करदाता सेवाओं की मुख्य विंडो पर आगामी अनुपालन तिथियों के अनुसार आवश्यक जानकारी को खोजने में मदद करेगा।
9. टैक्स ज्ञान -टैक्स ज्ञान मोबाइल और डेस्कटॉप से सुलभ युवाओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक बहु-विकल्प प्रश्न वेब-आधारित गेम है।

#### अन्य नई विशेषताएं:

1. प्रत्यक्ष कर तिथि से संबंधित पूरी जानकारी
2. सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेने के लिए कर दाताओं को प्रोत्साहित करना-वेबसाइट के होम पेज पर लेने के लिए प्रासंगिक लिंक के प्रकाशन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. पारदर्शिता की तरफ एक कदम के रूप में "प्रोबिटी कार्नर" को शुरू किया गया है जोकि, आयकर विभाग में पिछले 4 वर्षों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में सांख्यिकीय देता है।

बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा वेबसाइट के नए मॉड्यूल की सराहना की गई है।

#### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा 48 स्टेशनों (57 साइटों) पर उपलब्ध है, जिसके लिए दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को अप्रैल 2017 से नियुक्त किया गया है। जबकि बैंडविथ टैक्सनेट एमएसपी द्वारा टैक्सनेट परियोजना के तहत प्रदान किया जा रहा है, वीडियो कांफ्रेंस डिवाइस के रखरखाव और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सुविधा, यूनिट-4 टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा, जो भारत भर में 57 स्थानों को कवर करती है, यूनिट -4 की प्रमुख गतिविधियों में से एक है, इस तथ्य से कि अधिकारी अब अपने बहुमूल्य समय और संसाधनों को बचाने के लिए ऐसी कांफ्रेंस का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस की आवृत्ति वर्ष 2006 में इसकी स्थापना के बाद से बहुत गुना बढ़ गई है।

#### सुविधा प्रबंधन सेवाएं

सुविधा प्रबंधन सेवाएं (एफएमएस)/प्रोजेक्ट -4 यूनिट, इसके एमएसपी के माध्यम से सुविधा प्रबंधन सेवाएं (एफएमएस) प्रदान करती है।1 जून-2014 तक एफएमएस के 13,000 नेटवर्क उपयोगकर्ता थे। 2015 में नेटवर्क उपयोगकर्ता गिनती 2015 में 14500, तक बढ़ी, 2016 में 15500 हो गई, और दिसंबर 2018 तक यह बढ़कर 19600 तक पहुंच गई। संबंधित सीआईटी (एडमिन एवं टीपीएस) के माध्यम से आरएसए टोकन, को उपलब्ध कराने और प्रोत्साहित करने का काम टीसीएस करता है और एफएमएस टीम द्वारा इसका वितरण किया जाता है। सितंबर 2017 के महीने में एफएमएस टीम ने सभी 18 क्षेत्रों में 11800 आरएसए टोकन वितरित किए हैं। एफएमएस टीम सीबीडीटी के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आयोजित वीडियो सम्मेलन की भी सुविधा प्रदान करती है।

#### 4.9.12 परियोजना नाम- ई-सत्यापन

##### परिचय

वर्तमान में, कंप्यूटर ऐडिड स्कूटनी सेलेक्शन (सीएसएस) के माध्यम से 95% चयनित मामलों के लिए जांच निर्धारण किया जाता है। सीएसएस चक्र का पिछले वित्त वर्ष में फाइनल किए गए रिटर्न के लिए वार्षिक निष्पादन किया जाता है। इस प्रकार आईटीआर दाखिल करने के 6 से 18 महीने के बाद जांच के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। वर्तमान, में, केवल बहुत ही उच्च जोखिम वाले मामलों का चयन सीएसएस के माध्यम से किया जाता है। मध्यम/उच्च जोखिम वाले मामलों से संबंधित ऐसे बड़ी मात्रा में रिटर्न को भारी कार्यभार के कारण नहीं देखा जाता।

बदलते पर्यावरण और सरकार की प्राथमिकताओं के मद्देनजर ई-सत्यापन मुख्यतः डिजिटल पद्धति अपनाता है। केंद्रीयकृत ई-सत्यापन शामिल है जोकि गैर-क्षेत्राधिकार और आइडेंटीटी ब्लांड पद्धति में ऑनलाइन इंटरफेस का उपयोग करता है।

विशेषकर राजस्व एवं करदाता की रक्षा करना, केंद्रीयकृत ई-सत्यापन की पीछे की फिलॉसफी है। यह नागरिकता बढ़ती डिजिटल जागरूकता का लाभ उठाकर प्राप्त किया जा सकता है। ई-शासन प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी, दक्ष तथा आर्थिक निष्पादन के लिए सबसे अच्छा साधन प्रदान करता है।

##### परियोजना के उद्देश्य

केंद्रीयकृत ई-सत्यापन के तीन व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ❖ कम लागत में बेहतर अनुपालन
- ❖ गैर दखलकारी कर प्रशासन
- ❖ कर आधार का विस्तार एवं गहनता

केंद्रीयकृत सत्यापन का उद्देश्य उपरोक्त तीन उद्देश्यों को पूरा करके छानबीन प्रक्रिया की मौजूदा सीमाओं को कम करना है। केंद्रीयकृत ई-सत्यापन प्रक्रिया के मुख्य रूपित तत्वों को इन तीन उद्देश्यों का आधार बनाया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3क) व्यापक मुख्य रूपित विचारों को सूचीबद्ध करती है

- ❖ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस
- ❖ अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी
- ❖ कार्यात्मक विशेषज्ञता
- ❖ टीम आधारित निर्णय लेना
- ❖ गतिशील क्षेत्राधिकार

इन रूपित विचारों के आधार पर, केंद्रीयकृत ई-सत्यापन व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। इस व्यवस्था की निर्माण इकाइयां निम्नलिखित हैं:-

1. ई-सत्यापन जीवन चक्र
2. बुद्धिमत्तापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस

3. आधार आधारित सत्यापन
4. आइडेंटिटी ब्लाईंड
5. मुद्दों/मामलों के जोखिम मूल्य-आधारित प्रोसेसिंग
6. मुद्दों की प्रारंभिक पहचान
7. जांच के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मामलों को छानना

#### अपेक्षित लाभ

केंद्रीयकृत ई-सत्यापन के अपेक्षित लाभ निम्नलिखित हैं:-

- (i) प्रारंभिक चरण में गैर-अनुपालन का पता लगाएं और तेजी से कार्रवाई करें।
- (ii) विभाग द्वारा उठाए गए गैर अनुपालन के मुद्दों पर आसानी से प्रतिक्रिया करने हेतु करदाता को सुविधा प्रदान करना।
- (iii) बड़े पैमाने पर गैर-अनुपालन का प्रबंधन करने की क्षमता तैयार करना और इसे एक सुसंगत और त्वरित तरीके से अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएं।
- (iv) विभिन्न करदाता श्रेणियों में विभेदित उपचार सक्षम करें।
- (v) सत्यापन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, जबकि जहां तक संभव हो आइडेंटिटी ब्लाईंड (निर्णय लेने में पहचान न देखना) को बनाए रखा जाए।
- (vi) करदाता और विभाग दोनों को परिणामों में गुणवत्ता प्रदान करना।
- (vii) अनुपालन में वृद्धि करते हुए मुकदमेबाजी कम करें।
- (viii) मूल्यांकन कार्य और अन्य क्षेत्रों के लिए कार्यबल के पुनर्वितरण के लिए मैनपावर में कमी की व्यवहार्यता की जांच करते हुए जांच, सत्यापन और मुकदमेबाजी गतिविधियों में आयकर केंद्र के भीतर कौशल और अनुभव का विकास करना।

#### मार्च 2019 तक अद्यतन स्थिति

ई-निर्धारण परियोजना में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केंद्रीयकृत सत्यापन योजना के लिए योजना को 30 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किया गया था।
2. सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत सीआईटी (ई-सत्यापन) की शक्तियों को दिनांक 13.03.2019 को अधिसूचित किया है ताकि सीआईटी (ई-सत्यापन) को सत्यापन हेतु केंद्रीयकृत तरीके से नोटिस जारी करने में समर्थ बनाया जा सके।
3. आयकर भवन, वैशाली में एक केंद्रीयकृत सत्यापन केंद्र (बैंक ऑफिस) की स्थापना की गई है ताकि (पायलट) आधार पर ई-सत्यापन में सक्षम हो सके।

#### 4.9.13 परियोजना नाम: ई-टीडीएस

##### परियोजना की विशेषताएं

स्रोत पर कर कटौती सीपीसी टीडीएस के लिए केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी-टीडीएस), देश में उपयुक्त अनुकूल प्रशासन को स्थापित करने के लिए आय कर विभाग की प्रौद्योगिकी उन्मुख पहल है। मजबूत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म देश भर में और विदेश में 22.12 लाख कटौतीकर्ताओं, 8.47 करोड़ करदाताओं और 950 से अधिक आय कर विभाग के अधिकारियों को मूल्य सम्बद्ध सेवाओं को प्रदान करने के लिए लक्षित किया गया है जो कि भारत भर में टी डी एस की व्यवस्था देख रहे हैं।

केन्द्रीय प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ-टी डी एस (सीपीसी-टीडी एस) नियम आधारित प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली के द्वारा टीडीएस विवरणों की **एंड टू एंड प्रोसेसिंग करता है एवं ई- समर्थित सेवाएं प्रदान करती है** जो कि करदाताओं/कटौतीकर्ताओं को किसी भी समय और कहीं भी उपलब्ध है। 'विवरणों' की नियम आधारित स्वचालित प्रोसेसिंग विधि परिणामों का एकसमान प्रतिपादन और त्वरित प्रस्तुति में सहायक होती है व कर क्रेडिट के लिए आकड़ों के सीमलेस प्रवाह को सुनिश्चित करती है। सीपीसी-टीडीएस सूचना के ऑनलाइन डिस्प्ले के माध्यम से प्रोसेस में पारदर्शिता लाता है और कर कटौतीकर्ताओं, करदाताओं और आय कर विभाग के अधिकारियों के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। अतः यह आय कर विभाग में **समग्र टीडीएस प्रशासन की रीढ़ है।**

भारत स्रोत पर कर कटौती के समाधान के लिए इस स्तर की शुरुआत करने वाले कुछ देशों में से एक देश है।

##### सीपीसी-टीडीएस की अवधारणा

- केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (टीडीएस) कर कटौती, समाधान, विश्लेषण और सुधार समर्थित प्रणाली (ट्रेसिज) सीपीसी-टीडीएस वेबसाइट [www.tdscpc.gov.in](http://www.tdscpc.gov.in) पर कोर इंजन के द्वारा कटौती कर्ताओं को व्यापक समाधान मुहैया कराता है। आयकर विभाग के टीडीएस कर निर्धारण अधिकारियों को इंटरनेट पोर्टल प्रदान किए गए हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों को विभिन्न कार्य प्रस्तुत करते हैं।
- सीपीसी-टीडीएस बैंकों (कर भुगतान) कटौतीकर्ताओं (रिपोर्टिंग कर कटौती) करनिर्धारण अधिकारियों (कोई कर मैप नहीं/ कम कर कटौतियां) और कर व्यावसायिकों (रिपोर्टिंग अंतराष्ट्रीय लेन-देन) सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना का सामंजस्य और सहसम्बन्ध करता है।
- सीपीसी-टीडीएस प्रत्येक करदाता के लिए फार्म 26एस में 'वार्षिक कर क्रेडिट' विवरण, फार्म 16/16क/16ख/16ग में टीडीएस प्रमाण-पत्रों को बनाने के लिए टीडीएस अधिकांश विवरणों की प्रसंस्करण करता है और अल्प भुगतान की टीडीएस चूके, अल्प कटौती, ब्याज इत्यादि को पहचान करती है।

प्रयोक्ता/पणधारक(स्टेकहोल्डर) सीपीसी-टीडीएस सिस्टम और काल सेंटर, ई-मेल, वेबसाइट इत्यादि सहित संचार के विविध चैनलों के द्वारा अंतः सम्पर्क करते हैं।

### सीपीसी-टीडीएस की विशेषताएं

- (i) डाटाबेस आकार- 3100 करोड़ संयवहार डाटा
- (ii) नोएडाऔर पुणे में नवीनतम स्टेट ऑफ आर्ट डाटा केन्द्र
- (iii) 250 से अधिक ऑपरेशनल रिसोर्स
- iv) प्रोससिंग क्षमता
  - ❖ 24 घंटों में 1 करोड़ कटौतीकृत रिकार्ड से अधिक प्रोससिंग क्षमता
  - ❖ औसत प्रोससिंग समय <सीपीसी-टीडीएस में विवरणों की प्राप्ति तारीख से 5 दिन
  - ❖ दिन में करीब 2000 इनबाउंड पत्रों की प्रोससिंग क्षमता
  - ❖ दिन में करीब 30000 आउटबाउंड सूचनाओं की प्रोससिंग क्षमता
- (v) चूकों की सूचना को कटौतीकर्ताओं के पंजीकृत ई मेल आईडी पर भी भेजा जाता है।

### सीपीसी-टीडीएस-गेम चेंजर

ट्रेसेज (कर कटौती, सामंजस्य, विश्लेषण और सुधार समर्थित प्रणाली) नामक सीपीसी-टीडीएस का कोर इंजन वेब आधारित अप्लीकेशन है जोकि टीडीएस प्रशासन से सम्बद्ध सभी स्टेक होल्डरों को अंतरापृष्ठ प्रदान करती है। अप्लीकेशन की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

- **सामंजस्य-** ट्रेसेज पर, इनपुट (ओल्टास चालान और कर सूचना नेटवर्क से प्राप्त मूल/सुधार विवरण) और आउटपुट (ट्रेसेज द्वारा यथाप्रस्तुत फार्म 16/16क/16ख/16ग और फार्म 26कघ) का विधिवत सामंजस्य किया जाता है। अतः ट्रेसेज यह सुनिश्चित करता है कि रिकार्ड के दो सेट अनुरूपता में हैं।
- **विश्लेषण-** ट्रेस से रिपोर्टों के संकलन में सुविधा होती है जिन्हें नीति बनाने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। रिपोर्ट आय कर आयुक्तों/रेंज अधिकारियों व क्षेत्रीय स्तर पर टीडीएस उपबंधों के प्रवर्तन के लिए टीडीएस कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध होती है।
- **सुधार समर्थित प्रणाली-** ट्रेस चालानों, विवरणों इत्यादि में सुधार के लिए कटौती कर्ताओं को सुधार प्रणालियां समर्थित करती है। इससे चूकों का समाधान/समापन में सहायता होती है।

### जनसांख्यिकीय विस्तार

सीपीसी-टीडीएस विभिन्न संस्थाओं संगठनों (सरकार के भीतर और बाहर दोनों) को महत्व देता है। यह एक और सभी सरकारी स्थापनाओं, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कारपोरेट को दायरे में लेता है और दूसरी और सभी करदाताओं, चाहे कर विवरणी दायर करने वाले हों या अन्यथा, को सेवाएं प्रदान करता है। सीपीसी-टीडीएस में सुविधाओं के प्रयोक्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कारपोरेट, वैयक्तियों, कारोबार सत्ताओं और अन्य 45 बैंकों सहित व ई फाइलिंग वेबसाइट 8.47 करोड़ से अधिक करदाता क्रेडिट विवरण (26कघ) की ऑनलाइन पहुंच के लिए सीपीसी-टीडीएस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग के करीब 7.94 करोड़ पंजीकृत प्रयोक्ताओं के पास कर क्रेडिट विवरण (26कघ) की ऑनलाइन पहुंच है और यथा तिथि को 83.86 करोड़ से अधिक ने 26एस को देखा है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के 1,75,000 कार्यालयों सहित 22.12 लाख से अधिक कटौतीकर्ता
- 5000 से अधिक सरकारी (केन्द्रीय और राज्य)राजकोषप्रत्येक जिले और अन्य प्रधान लेखा अधिकारियों में उप-राजकोष।
- देश भर में फैले आयकर विभाग के 950 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी जोकि टीडीएस अधिशासन के लिए जिम्मेदार है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कर नीति विंग।

### सीपीसी-टीडीएस के द्वारा पुनःनिर्मित प्रक्रिया

सीपीसी-टीडीएस के माध्यम से, निम्न प्रक्रियाओं की पुनः रूपरेखा तैयार की गई है:-

#### डिजिटल टीडीएस प्रमाण-पत्र को जारी करना

मैन्युअल टीडीएस प्रमाण-पत्रों की पारम्परिक प्रक्रिया आय कर विवरणियों को प्रोसेस करने में टीडीएस बेमेलता का मुख्य कारण था।

सीपीसी-टीडीएस अब कटौतीकर्ताओं द्वारा सूचित डाटा और कर भुगतानों (बैंकों या अन्य सक्षम संस्थाओं के माध्यम से सूचित) से मेल करने के बाद से टीडीएस प्रमाण-पत्र सृजित करता है। ये प्रमाण-पत्र जिनका एक संदर्भ संख्या है, आनलाइन सत्यापन किया जा सकता है और यह कटौतीकर्ता-कटौतीकृत मेल के लिए अद्वितीय है। इस तरीके में टीडीएस प्रमाण-पत्र की संदर्भ संख्या में वर्णित राशि वार्षिक कर क्रेडिट विवरणों में प्रदर्शित राशि से मेल खाती है। यह आय कर विवरणियों को प्रोसेस करते हुए बेमेलता की संभावना को समाप्त करती है। आज तक टीआरएसीईएस की वेबसाइट से कटौतीकर्ताओं ने 161.41 करोड़ डिजिटल टीडीएस प्रमाण पत्रों से अधिक डाउनलोड किए हैं।

आयकर विवरणियों को प्रोसेस करते हुए टीडीएस क्रेडिटों को आपस में मिलाए जाने का सुधार 96 प्रतिशत हुआ है। पुनः सृजन

के डाटा सत्य का सत्यापनीय एकल रुपान्तर जाली टीडीएस प्रमाण पत्रों पर आधारित टीडीएस के कपटपूर्ण दावे की किसी संभावना को भी दूर करती है।

### टीडीएस विवरणियों का ऑनलाइन सुधार

सीपीसी-टीडीएस उक्त विवरणों के ऑनलाइन सुधार के लिए सुविधा प्रदान करता है। अतः कटौतीकर्ता किसी भी समय कहीं भी सुधार को तत्काल दायर करके अब पैन और संव्यवहारों के अन्य पहलुओं में सुधार कर सकता है। इसी समय, इस सुविधा के साथ चूकों के समाधान के लिए किसी भी सुधार को कटौतीकर्ता की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। यथा तिथि को सीपीसी-टीडीएस द्वारा 2.38 लाख सुधारों को प्राप्त किया है और सुधारा गया है जिसमें से 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान 56.24 लाख सुधार प्राप्त किए गए थे।

### ई-ऑफिस

सीपीसी-टीडीएस आयकर विभाग में ई-ऑफिस को समर्थित करने के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्मुखी मंच प्रदान करता है। भारत भर में टीडीएस व्यवस्थाओं को प्रबंधित करते आयकर विभाग के 950 से अधिक अधिकारी इसकी इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से सीपीसी-टीडीएस सिस्टम के साथ सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों के लिए सहायता हेतु समर्पित हेल्पडेस्क बनाया गया है।

सीपीसी-टीडीएस ने टीडीएस क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यालयों में निम्नलिखित प्रोसेस पुनः निर्मित किया है:-

- सीपीसी-टीडीएस अपने अधिकारियों से संबंधित कटौतीकर्ताओं/करदाताओं की शिकायतों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्टता प्रदान कराता है। इसके कारण आई टीडी कार्यालय को वास्तविक दौरे करना कम हुए हैं।
- सीपीसी-टीडीएस, टीडीएस प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित नोटिसों और आदेशों के ऑनलाइन सृजन के लिए सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए मैन्युअल कार्यकलापों को कम करने और पर्यवेक्षण व नियंत्रण पर संकेद्रण करने में इसने सहायता की है।
- सीपीसी-टीडीएस के द्वारा नोटिसों और आदेशों की ऑनलाइन भंडार सांविधिक समय सीमा के पालन में सहायक होती है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप सृजित कर मांग को भी सिस्टम में रखा जाता है।
- सीपीसी-टीडीएस एक प्लेटफार्म पर "मैन्युअल मांग" और "सिस्टम सृजित मांग" के समेकन में सहायक होता है।
- सीपीसी-टीडीएस ट्रेसिस वेबसाइट पर 'गुणवत्ता मामले' (क्यूसी) और 'जागरूकता कार्यक्रम' (एपी) की सुविधा के द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों के बीच जानकारी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आपस में बांटने के लिए मंच प्रदान करता है।

### सूचनाओं का केन्द्रीयकृत जारी होना तथा प्रेषण-स्वचालित दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)

सूचनाओं को ई-मेल, एस एम एस, डाक मेल के द्वारा केन्द्रीयकृत स्वचालित प्रणाली से डिस्पेच किया जा रहा है और कटौतीकर्ताओं के डेशबोर्ड पर भी दर्शाई जा रही है। इन सेवाओं के होने से, विभाग की जनशक्ति सूचनाओं को मैन्युअल तरीके से भेजने के कार्य से मुक्त हुई है। वे अब गुणवत्ता कार्यों पर सकेन्द्रित हो सकते हैं।

कटौतीकर्ता भी लाभान्वित है क्योंकि टीडीएस विवरण के दायर करने के सात दिनों के भीतर इन्हें चूक के संबंध में सूचित किया जाता है जिसका परिणाम बेहतर अनुपालन हुआ है। सूचनाओं की सेवाओं के बेहतर अवसर है क्योंकि सम्प्रेषण पता टीडीएस विवरण में वर्णित वाला ही होता है। सीपीसी-टीडीएस के आरम्भ से 3.88 करोड़ से अधिक सूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। जिसमें से 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान 70.64 लाख सुधार प्राप्त किए गए थे।

### सूचना का सक्रिय प्रचार - स्वैच्छिक-अनुपालन को प्रोत्साहित करना

सीपीसी-टीडीएस के शुरु होने से अनुकूल गैर-हस्तक्षेपकारी कर प्रशासन को प्राप्त करने की और टीडीएस प्रशासन में प्रतिमान बदलाव है। सीपीसी-टीडीएस द्वारा पहले ही विभिन्न मुद्दों पर करीब 5.07 करोड़ शैक्षिक ई-मेल कटौतीकर्ताओं को भेजे गए हैं, जिसमें से 0.34 करोड़ शैक्षिक ई-मेल 01.01.2018 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान कटौतीकर्ताओं को भेजे गए थे। मैन्युअल कैम्पेन के माध्यम से 3.43 करोड़ ईमेल भेजी गई और ऑटोमेटिड सर्वर के माध्यम से 1.64 करोड़ ई-मेल भेजी गई।

बहुविध सम्प्रेषण चैनलों (पोर्टल, ई-मेल और कॉल सेंटर) के साथ संयोजित टीडीएस विवरणों की समय पर प्रोससिंग ने कटौतीकर्ताओं के लिए अनुपालन मुखी ईकोसिस्टम सुकर किया है। सीपीसी-टीडीएस ने लक्षित श्रोता (अर्थात दायर नहीं करने वाले, देर से दायर करने वाले, कर चूककर्ताओं इत्यादि) को विशिष्ट ईमेल भेजने के लिए तीन चैनलों को समर्थित किया है व इसका उद्देश्य 'टीडीएस चूक मुक्त' वातावरण सृजित करना व स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना था।

चूकों के समापन का समाधान करने के लिए त्रिआयामी दृष्टिकोण अंगीकृत किया गया है।

- कटौतीकर्ताओं को समय सूचना देख रहा है' का भाव-स्वैच्छिक अनुपालन के लिए इन्हें बाध्य करता है।
- ई-मेल और कॉल सेंटर अभियान चूकों को बंद करने में कटौतीकर्ताओं को बाध्य करता है।
- ऑनलाइन सुधार के लिए "किसी भी समय कहीं" भी सुविधा चूकों के समाधान में सहायक होता है।

टीडीएस प्रशासन के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट है:

- देय तिथि के भीतर टीडीएस विवरणों को दायर करने में सुधार।
- देय तिथि के भीतर कर जमा में सुधार।
- टीडीएस चूक मामलों में कमी।
- अमान्य पैन को उद्धृत करने में कमी।

#### शिकायत निवारण तथा संप्रेषणों के लिए संस्थागत मैकेनिज्म

सीपीसी-टीडीएस ने सभी पणधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को वास्तविक समय सहायता के लिए एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है। इसके अलावा, पणधारक ई-मेल, वेबसाइट पर शिकायत पोर्टल और पत्र लिखकर के माध्यम से सीपीसी-टीडीएस पर भी जा सकते हैं। शिकायतों पर केन्द्रीयकृत तरीके से कार्यवाई की जा रही है और सभी पणधारकों को एकीकृत प्रणाली के कारण शिकायत के बारे में दृश्यता दी गई है। सीपीसी-टीडीएस की शुरुआत से इसके द्वारा 55.75 लाख से अधिक शिकायतों का उत्तर दिया गया है जिनमें से 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 8.75 लाख शिकायतों का उत्तर दिया गया था।

#### नीति बनाने के लिए डाटा और सामाजिक नीति योजना

सीपीसी-टीडीएस डाटा संचय और विश्लेषणपरक उपकरणों का प्रयोग करके क्षेत्रीय कार्यालयों को अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और कारोबार आसूचना (बीआई) रिपोर्ट मुहैया कराता है। इससे उच्च जोखिम के संभावित मामलों पर केन्द्रित होने में सहायता मिलती है। क्षेत्रीय प्राधिकार प्रभावी और सक्षम तरीके में प्रवर्तन कार्य को लेने के लिए सशक्त और सुसज्जित होते हैं।

विश्लेषणपरक उपकरणों की आउटपुट सक्षम नीति बनाने के लिए इनपुट के रूप में भी कार्य करती है।

#### नागरिक अनुकूलता

सीपीसी-टीडीएस के प्रचालन ने सेवा सुपुर्दगी के लिए एकीकृत अन्तः संपर्क मंच के द्वारा टीडीएस प्रशासन में शामिल बहुविध स्टेकहोल्डर्स को लाभान्वित किया है। इसने प्रयास, समय और लागत को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया है।

#### करदाता

1. सीपीसी-टीडीएस द्वारा केन्द्रीय रूप से टीडीएस प्रमाण पत्रों को सृजित करने के साथ, इस पहल ने आय कर विवरणी में टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने के समय कर क्रेडिटों की बेमेलता को समाप्त कर दिया है।
2. करदाताओं को मैनुअल कागजी टीडीएस प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड का रखरखाव नहीं करना होता है। टीडीएस क्रेडिटों से संबंधित सभी सूचना वार्षिक कर क्रेडिट विवरण (फार्म 26एस) के फार्म में ऑनलाइन उपलब्ध है। करदाता को केवल इसे समय-समय पर सत्यापित करना होता है।

3. कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस प्रमाण-पत्र के मैनुअल जारी करने की समाप्ति के साथ, आयकर विभाग द्वारा सत्यापन आवश्यक नहीं है। इससे कर क्रेडिटों को प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब कम हुआ है।
4. फार्म 26एस के ऑनलाइन उपलब्ध होने से, आय की सटीक और पूरी सूचना सुकर हुई है। इसके परिणामस्वरूप करदाता के लिए अनुपालन लागत में कमी आई है।
5. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट सीपीसी-टीडीएस द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर आयकर विवरणी में कर क्रेडिट डाटा का पूर्व रख-रखाव करता है। इससे आय कर विवरणी को दायर करने की प्रक्रिया आसान हुई है।
6. वार्षिक कर क्रेडिट विवरण करीब सही समय आधार पर अद्यतन होती है। अतः कटौतीकर्ता द्वारा सूचित टीडीएस में विसंगतियों को जबकि संव्यवहार हाल ही का होता है, करदाता द्वारा कटौतीकर्ता को सूचित किया जा सकता है।
7. प्रतिदायों इत्यादि को जारी करने में कदाचार कम हुए हैं।

#### कटौतीकर्ता

1. एकल विंडो डिलीवरी: व्यापक वेब आधारित सेवा सुपुर्दगी प्लेटफार्म कटौतीकर्ताओं की सभी अनुपालन आवश्यकताओं को देखती है और सतत फीड बैक का स्रोत है।
  2. ऑन लाइन सुधार सुविधा किसी भी समय, कहीं भी आधार पर उपलब्ध है। यह सीपीसी-टीडीएस के एकीकृत अंतः सम्पर्क के मुख्य संघटकों में से एक है।
  3. सीपीसी-टीडीएस ने कटौतीकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया है। सीपीसी-टीडीएस सूचना के गहन प्रचार के द्वारा शैक्षिक ई-मेल और अन्य स्रोतों के द्वारा मूल्यवान अद्यतनों को मुहैया कराके चूकों और परिणामी लागतों को बचाकर कटौतीकर्ताओं की सहायता करने में समर्थ हुए हैं।
- फीड बैक और शिकायत निवारण: शिकायतों की केन्द्रीयकृत ट्रेकिंग यह सुनिश्चित करती है कि निवारण के लिए समय कम से कम हो।

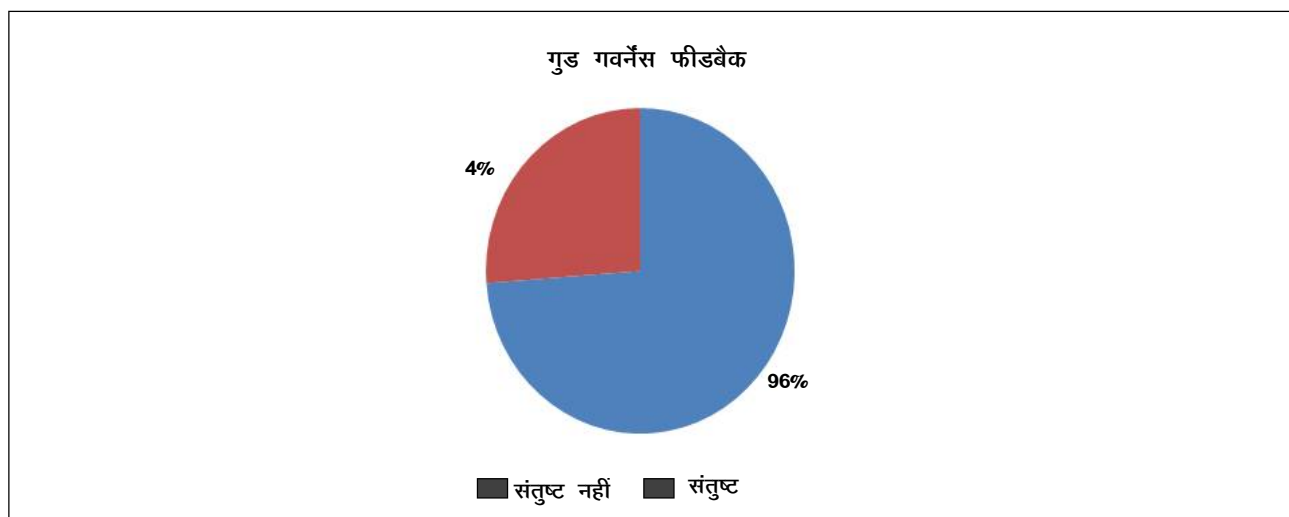
#### सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता सेवाएं:

- (i) टीडीएस विवरणियों के प्रसंस्करण के दौरान मध्यवर्ती संप्रेषण: सीपीसी (टीडीएस) ने कार्यक्षमता को लागू किया है ताकि प्रारंभिक स्कैनिंग के दौरान कटौतीकर्ताओं द्वारा फाइल की गई वास्तविक टीडीएस विवरणी में पैन तथा चालान से संबंधित गलतियों का पता लगाया जा सके और इस पर गलती की सूचना संबंधित कटौतीकर्ता को 'ट्रेसिज(ट्रैसिज)' पर पंजीकृत ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से दी जा सके। कटौतीकर्ता के पास विकल्प है कि प्रणाली द्वारा निकाली गई गलती को 7 दिनों के भीतर ठीक करे। सीपीसी (टीडीएस) ने अभी तक 30 लाख से ऊपर मध्यवर्ती संप्रेषण किए हैं।

- (ii) **संस्थागत सतत फीडबैक प्रक्रिया:-** सीपीसी (टीडीएस) अपने सुशासन कार्यक्रम के भाग के रूप में कटौतीकर्ताओं को जोड़ता है ताकि सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए संतुष्टि स्तर का निरंतर परीक्षण कर सके। सीपीसी (टीडीएस) फीडबैक लेने के लिए इस

कार्यक्रम के भाग के रूप में 3,71,323 छोर प्रयोक्ताओं से जुड़ा है।

सीपीसी (टीडीएस) के 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए सुशासन कार्यक्रम से निम्नलिखित संतुष्टि परिणाम हासिल किए गए हैं



- (iii) **सीपीसी (टीडीएस) द्वारा कॉल बैंक सुविधा की व्यवस्था:**

छोर- प्रयोक्ता को जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, टोल फ्री नं. 18001030344 पर 'नोट' पर कॉल बैंक सुविधा के लिए सीपीसी (टीडीएस) में इनवाउंड हेल्पडेस्क आईवीआर सुविधा की व्यवस्था की है सीपीसी 1,21,543 से अधिक उपभोक्ताओं से जुड़ा है जिन्होंने आईवीआर पर उपर्युक्त सुविधा का प्रयोग किया है। उपर्युक्त सुविधा की कटौतीकर्ताओं ने सराहना की है, जोकि बहुत ही सुविधाजनक है और उनका समय और मेहनत दोनों बचाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं, जिन्होंने टोल फ्री नं. पर सीपीसी (टीडीएस) से जुड़ने की कोशिश की है, तथापि, हेल्पडेस्क एजेंट से बात नहीं कर पाए और कॉल कट गई, को अगले कार्य दिवस के भीतर हरसंभव प्रश्न पर सहायता प्रदान करने के लिए वापस कॉल किया गया।

- (iv) **कटौतीकर्ता जागरूकता कार्यक्रम:** सूचना के प्रोएक्टिव प्रसार को चलाने के लिए और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, सीपीसी (टीडीएस) कटौतीकर्ताओं तक नियकिमत आधार पर ई-मेल कैम्पेन के माध्यम से पहुंच रहा है।

आयकर विभाग ने इससे पहले सूचना के प्रसार के लिए विज्ञापनों के पारंपरिक तरीकों, डाक पत्र, सेमिनारों पर निर्भर रहा है। विभाग द्वारा भेजे गए संदेश सामान्य थे और विशिष्ट श्रोतागण को संप्रेषित संदेश नहीं दिया।

सीपीसी (टीडीएस) की स्थापना एक (गैर दखलंदाजी, गैर हस्तक्षेपकारी कर प्रशासन प्राप्त करने की तरु टीडीएस प्रशासन में एक बदलाव का प्रतीक है। सीपीसी-टीडीएस द्वारा पहले ही विभिन्न मुद्दों पर करीब 5.07 करोड़ शैक्षिक ई-मेल्स कटौतीकर्ताओं को भेजे गए हैं, जिसमें से 0.34 करोड़ शैक्षिक ई-मेल 01.01.2018 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान कटौतीकर्ताओं को भेजे गए थे। मैन्यूअल कैम्पेन के माध्यम से 3.43 करोड़ ईमेल भेजी गई और ऑटोमेटिड सर्वर के माध्यम से 1.64 करोड़ ई-मेल भेजी गई।

- (v) **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** ई-शासन में कार्यान्वयन की सफलता को सभी स्तरों पर सुनिश्चित सीपीसी (टीडीएस) ने संसाधनों के लिए संगठनात्मक क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए प्रभावी योजना को अपनाया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीपीसी (टीडीएस) व्यापक कार्यवाई हेतु देशभर में 26 टीडीएस प्रभारियों में कार्यशाला करने हेतु व्यापक प्रयास किए हैं, ताकि टीडीएस अनुपालन में सुधार हेतु ट्रेसेजि द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बेहतर उपयोग पर कटौतीकर्ताओं और फाइल आकलन अधिकारियों को शिक्षित किया जा सके। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के 51 प्रमुख शहरों में 77 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- (vi) **सिक्वोर कारपोरेट इंटीग्रेशन:** ट्रेसेस की वेबसाइट से वह डिटेक्टर बैंक जोकिट्रेसेस में पंजीकृत है, सीधी इंटीग्रेशन सुविधा से इसकी वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता अपनी वेबसाइट की लॉगिन कर



सकते हैं और तीसरे पक्षकार की इंटीग्रेशन से तथा अनुमोदित एवं सफल वैधता के साथ ट्रेसेस इसको नेविगेट कर सकते हैं। यह बैंकों के लिए ट्रेसेस की वेबसाइट के साथ अपने को जोड़कर काम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस इंटीग्रेशन के मुख्य लक्ष्य है:

- बहुशाखाएं वाले बैंको कारपोरेटों द्वारा ट्रेसेस पोर्टल पर किफायती सुरक्षित एवं विश्वसनीय एक्सेस हो।
- कारपोरेट बैंक के मुख्य कार्यालय को उनकी शाखाओं के उचित प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदाई सहयोगी के रूप में लगाना।
- अनाधिकृत एक्सेस के जोखिम को कम करना।
- ट्रेसेस द्वारा दी जा रही सुविधाओं के प्रयोग हेतु केवाईसी द्वारा ट्रेसेस उपयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले उपयोग में आसानी करना।

वर्तमान में, लगभग 45 बैंक एवं ई-फाइलिंग वेबसाइट कारपोरेट ट्रेसेस की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से 25 बैंकों को प्रत्यक्ष रूप से इंटीग्रेट किया गया है। सीपीसी टीडीएस में उपयुक्त सुविधा की सुगमता सुरक्षा और सहूलियत के कारण उपयोगकर्ता से अतिउत्तम फीडबैक प्राप्त किया है।

(vii) डेटा गुणवत्ता त्रुटियां और समाधान: केंद्रीयकृत प्रसंस्करण निकाय (टीडीएस) ने अपने रिकॉर्ड में पाया कि कटौतीकर्ताओं ने अक्सर मैनुअल स्टेटमेंट तैयार करने की प्रक्रियाओं के

चलते अपने टीडीएस स्टेटमेंट में "संरचनात्मक रूप से सही, तथापि अमान्य पैन" की सूचना दी थी। इससे पैन संबंधी जानकारी की गलत रिपोर्टिंग होती है जिसके फलस्वरूप कर क्रेडिट, समय पर कटौतीकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है। सीपीसी (टीडीएस) ऐनालिस्ट डेटा गुणवत्ता टूल का उपयोग करके पैन रिपोर्टिंग इतिहास के आधार पर सुझावों के माध्यम से पैन को सही करने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह के टिकट सीपीसी (टीडीएस) सिस्टम में बनाए जाते हैं, जिनकी पहले समीक्षा की जाती है और अंतरिक संसाधनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो ट्रेसेस में ऑनलाइन पैन सुधार प्रस्तुत करते हुए, सही पैन की स्वीकृति के लिए कटौतीकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं।

कटौतीकर्ताओं को ऑनलाइन सुधार करने के लिए अपने टीडीएस विवरणों में उपलब्ध पैन त्रुटियों के लिए ऐसे सुधार सुझावों के लिए ईमेल अभियानों के माध्यम से सूचित किया जाता है दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान प्रणाली में 6.38 लाख पैन सुधार सुझाव लागू किए गए और संबंधित कटौतीकर्ताओं को सूचित किया गया। उपर्युक्त सुविधा का उपयोग करके और अपने रिकॉर्ड को सही करके कटौतीकर्ताओं में 30% से अधिक का सुधार हुआ है।

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान तथा जनवरी से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए सीपीसी (टीडीएस) का निष्पादन नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(क) समग्र निष्पादन:

| विवरण                                           | 01.01.2018 से 31.12.2018 तक                                                                                             | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 एस के लिए संसाधित (प्रोसेस) किए टीडीएस विवरण | 68.60 लाख                                                                                                               | 16.72 लाख                                                                                                              |
| डाउनलोड किए गए टीडीएस प्रमाण-पत्र               | 43.03 करोड़                                                                                                             | 8.09 करोड़                                                                                                             |
| चूकों के लिए संसाधित (प्रोसेस) टीडीएस विवरण     | 30.03 लाख                                                                                                               | 6.41 लाख                                                                                                               |
| जारी सूचनाओं की संख्या                          | ई-मेल द्वारा 57.18 लाख (टीडीएस विवरणियां/26 क्यूबी विवरणी/आरयूडी/विवरणी को दोबारा तैयार करना) प्रिंट द्वारा - 14.48 लाख | ई-मेल द्वारा-13.46 लाख (टीडीएस विवरणियां/26 क्यूबी विवरणी/आरयूडी/विवरणी को दोबारा तैयार करना) प्रिंट द्वारा - 1.99 लाख |

ख. डाउनलोड सांख्यिकी

| डाउनलोड का प्रकार | 01.01.2018 से 31.12.2018 तक | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| फॉर्म 16ए         | 37.40 करोड़                 | 7.88 करोड़                  |
| फॉर्म 16          | 5.58 करोड़                  | 19.10 लाख                   |
| फॉर्म 16बी        | 3.79 लाख                    | 1.10 लाख                    |

## ग. 26 एस अवलोकन

| ऑनलाइन गतिविधियां                    | 01.01.2018 से 31.12.2018 तक | 01.01.2019 से 31.03.2019 तक |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| कुल 26 एस अवलोकन                     | 19.82 करोड़                 | 2.64 करोड़                  |
| 26 एस का अवलोकन करते हुए विशिष्ट पैर | 7.87 करोड़                  | 84.60 लाख                   |

## (ix) एसएमएस पहलें

- समाप्त तिमाही तथा तिमाही समाप्ति तक के लिए नियोक्ता द्वारा टीडीएस को सूचित करते हुए वेतनभोगी करदाताओं के लिए एसएमएस
- नियत तारीख से पहले तथा नियत तारीख के पश्चात नॉन फाइलर्स के लिए तुरंत टीडीएस स्टेटमेंट भरने के लिए कटौतीकर्ताओं को सलाहकारी एसएमएस

## सीपीसी टीडीएस द्वारा नई पहलें

कैलेंडर वर्ष 2018 तथा जनवरी से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान की गई पहलें:

- करदाताओं को उपलब्ध कराए गए टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्रों का तात्कालिक अवलोकन
- ऑनलाइन सुधार दर्ज करते समय कटौतीकर्ताओं के लिए केवाईसी प्रमाणीकरण (गैर अनिवार्य डीएससी) में छूट (स्टेटमेंट, एलपी, एलडी, ब्याज और विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए चालान/बीआईएन जोड़ने के लिए)
- 26 एस डाउनलोड को, एमएस एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। एक्सेल प्रारूप में 26 एस डाउनलोड प्रदान करना, कटौतीकर्ताओं को प्रक्रिया के अंत में सांमजस्य की आसानी के लिए, जोकि एक आवश्यकता रही थी।
- कटौतीकर्ताओं के लिए केवाईसी छूट: यदि डीएससी पंजीकृत है, तो कटौतीकर्ता को विभिन्न डाउनलोड अनुरोध, ऑनलाइन सुधार और अन्य कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए किसी केवाईसी को प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के 197 के अंतर्गत आवेदन का पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संचालन,

अनुमोदन और लो रेट सर्टिफिकेट जारी करना। करदाताओं द्वारा प्रयोग की जा रही यह एक संपर्करहित तथा शुरु से अंत (एंड टू एंड) तक की प्रक्रिया है।

## 4.9.14 प्रोजेक्ट का नाम: सीपीसी, बंगलुरु:

## आयकर रिटर्न हेतु सेंट्रल प्रोसेसिंग सेन्टर

- सीपीसी ने सालाना वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 7.11 करोड़ रूपए के आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को 34% की वार्षिक वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संसाधित 5.30 करोड़) से प्रोसेस किया है। इसके अलावा, 30 अप्रैल, 2019 तक, सीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 78.76 लाख रिटर्न की प्रोसेसिंग की है।
- सीपीसी ने प्रति दिन 10.04 लाख रिटर्न की एक उच्च प्रोसेसिंग क्षमता हासिल कर ली है।
- सीपीसी ने 2.7 करोड़ ई-फाइलिंग रिटर्न के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक 30,44,67,637 ई-रिटर्न प्रोसेस किए हैं, जिसे सीपीसी को 5 वर्षों में प्रोसेस करना था।
- ई-फाइलिंग के माध्यम से अप्रैल, 2015 में क्रियान्वित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड(ईवीसी) एक सफल प्रक्रिया है और 50 लाख से अधिक करदाताओं ने इस ग्रीन इनिशिएटिव को अपनाया है। सीपीसी ने पहले ही 3.49 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए हैं जो ईवीसी के माध्यम से मान्य हैं।
- औसत प्रोसेसिंग का समय कम होकर 84 दिन हो गया है जोकि नागरिक चार्टर (6 महीने) में निर्दिष्ट अवधि से कम है और मैनुअल प्रोसेसिंग निष्पादन से बहुत कम है।

| गतिविधि              | 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान उपलब्धियां (लाख में) | 01.04.2018 से 31.03.2019 के दौरान उपलब्धियां (लाख में) | 01.04.2019 से 30.04.2019 के दौरान उपलब्धियां (लाख में) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| रिटर्न की प्रोसेसिंग | 264                                                    | 711                                                    | 78.7                                                   |
| परिशोधन              | 3.91                                                   | 6.03                                                   | 0.98                                                   |
| कॉल्स को हैंडल करना  | 8.7                                                    | 9.46                                                   | 0.73                                                   |
| ई-मेल संप्रेषण       | 1709                                                   | 2336                                                   | 175                                                    |
| एसएमएस संप्रेषण      | 1986                                                   | 2153                                                   | 114                                                    |

- अब तक सीपीसी ने लगभग 100.03 करोड़ ई-मेल के जरिए डिजिटली हस्ताक्षरित पीडीएफ आधारित सूचनाएं, लगभग 92.73 करोड़ एसएमएस अलर्ट और देश भर में स्पीड पोस्ट द्वारा 4.90 करोड़ सूचनाएं भेजी हैं। ई-डिलिवरी के कारण डाक टिकट की तुलना में बचत 1,501 करोड़ रु. रही है।

| वित्त वर्ष                                                           | करदाताओं को ई-मेल के माध्यम से भिजवाए गए संप्रेषणों की संख्या | बचाई गई डाक लागत (करोड़ रुपए में)# |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| वित्त वर्ष 2010-11                                                   | 5,927,080                                                     | 8.89                               |
| वित्त वर्ष 2011-12                                                   | 36,769,270                                                    | 55.15                              |
| वित्त वर्ष 2012-13                                                   | 42,943,613                                                    | 64.42                              |
| वित्त वर्ष 2013-14                                                   | 65,630,267                                                    | 98.45                              |
| वित्त वर्ष 2014-15                                                   | 93,941,486                                                    | 140.91                             |
| वित्त वर्ष 2015-16                                                   | 232,366,069                                                   | 348.55                             |
| वित्त वर्ष 2016-17                                                   | 118,245,615                                                   | 177.37                             |
| वित्त वर्ष 2017-18                                                   | 170,914,052                                                   | 256.37                             |
| वित्त वर्ष 2018-19                                                   | 233,633,529                                                   | 350.45                             |
| पिछले वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत                                   | 37%                                                           |                                    |
| 9 वित्तीय वर्षों में कुल बचत                                         |                                                               | 1,500.56                           |
| # स्पीड पोस्ट/साधारण पोस्ट की औसत लागत 15/- रु. के रूप में लिया गया। |                                                               |                                    |

- ई-मेल के बड़े आकार और प्रबंध आकार को हेंडल करने और सूचनाओं के अभिरूप में सुधार करने के लिए, एचटीएमएल टेम्प्लेट के माध्यम से ई-मेल का सार्थक प्रयोग किया गया है।
- 90 कॉल सेंटर एजेंट 3 भाषाओं में प्रतिदिन 5,000 से अधिक कॉल प्राप्त करते हैं। 31 मार्च, 2019 तक लगभग 71.59 लाख कॉलें प्राप्त हुईं।
- सीपीसी कॉल सेंटर ने आकलन अधिकारियों को मांग प्रबंधन (डिमांड मैनेजमेंट) के विचारविमर्श में 3,31,352 आउटबाउंड कॉल की।
- वित्त वर्ष 2016-17 में सीपीसी ने वेब आधारित करदाता शिकायत तंत्र को सक्षम बनाया है। इस व्यवस्था के तहत, करदाता विभाग के ई-फाइलिंग वेब पोर्टल में प्रवेश (लॉग इन) कर सकते हैं और अपनी शिकायत ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। करदाताओं के पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से शिकायतों का समाधान और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। शिकायत निवारण की स्थिति ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पर भी अपडेट की गई है। 31 मार्च, 2019 तक 14.70 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 14.59 (96%) शिकायतों का निवारण किया गया। ई-निवारण केंद्रीयकृत शिकायत प्रणाली को 19 अगस्त, 2016 से ऑनलाईन शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, 11.32 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च, 2019 तक 10.99 लाख शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
- करदाताओं से प्राप्त सुधार अनुरोध संवैधानिक सीमा के भीतर प्रोसेस किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 (31 मार्च, 2019 तक) के लिए सीपीसी ने 49.00 लाख दायर (फाइल) अनुरोधों में से 46.50 लाख अनुरोधों को प्रोसेस किया है।
- सीपीसी पर प्रोसेसिंग की उच्च सटीकता स्तर के कारण, समग्र सुधार अनुरोधों में तेजी से गिरावट आई है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए धन वापसी की विफलताओं के कारण वापसी के अनुरोधों को पुनः जारी करना, गलत बैंक खाता नंबर जिसमें 5,663.20 करोड़ रुपए शामिल है, को प्रोसेस किया गया था। इस तरह के सभी अनुरोधों को सीपीसी द्वारा स्वीकार किए गए अनुरोध के 7 दिन के भीतर प्रोसेस किया जाता है।
- डिमांड मैनेजमेंट:** बकाया मांगों को विशुद्ध करने और अपडेट करने के मुद्दे से निपटने के लिए सीपीसी एफएएस (वित्तीय लेखा प्रणाली) में बकाया मांग की स्थिति को एओ पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय एओएस को तथा ई-फाइलिंग वेबसाइट पर माई अकाउंट के जरिए करदाताओं को उपलब्ध कराया गया था। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एओ ने 5,44,130.88 करोड़ रुपए की बकाया मांग वाली 32,62,729 प्रविष्टियों पर काम किया गया है। सीपीसी ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से मांग को स्वीकार/असहमति से मांग की स्थिति पर लौटने के लिए करदाताओं की मदद भी की है। 56,74,054 प्रविष्टियों में कुल 5,64,147.69 करोड़ रुपए में प्राप्त हुई प्रतिक्रियाएं करदाताओं से ई-फाइलिंग वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।

- सीपीसी आईटीबीए सिस्टम के माध्यम से जांच निर्धारणों को पूरा करने में सक्षम हुआ है, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2.13 लाख आदेश संसाधित (प्रोसेस) किए गए थे।
- सीपीसी ने रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विस के माध्यम से 24.75 करोड़ से अधिक आईटीआर-V भौतिक दस्तावेजों को संग्रहित किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली एशिया में पहली इकाई के रूप में इसे आईएसओ 15489 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।
- सीपीसी द्वारा समग्र दक्षता तथा करदाताओं की सुविधा में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक सुधार नीचे दर्शाये गए हैं।**
  - आईटीबीए का प्रयोग करते हुए, धारा 143(3), 144 के तहत आदेशों की संगणना तथा प्रोसेसिंग को समर्थ बनाने के लिए सीपीसी प्रक्रियाओं की वृद्धि की है। बिजनेस नियमावली, में विविध परिवर्तन, ब्याज संगणना तथा अन्य परिवर्तन इसमें निहित हैं तथा 2.13 लाख आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए इनका प्रयोग किया गया है तथा इनको सफलतापूर्वक अभिनियमित किया गया है।
  - वास्तविक आईटीआर (पेपर) की प्रोसेस को समर्थ बनाने के लिए, सीपीसी की प्रोसेस में वृद्धि की गई है जोकि पूरे देश में क्षेत्रीय संगठनों में अंकों में हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में, आईटीबीए के माध्यम से प्राप्त 21.05 लाख अंकीय वास्तविक रिटर्नों को सीपीसी में प्रोसेस किया गया है।
  - आईटीबीए का प्रयोग करते हुए जारी किए गए आदेशों के लिए सुधार सेवाओं का प्रयोग करके क्षेत्रीय संगठनों को समर्थ बनाने के लिए, सुधार प्रक्रिया में वृद्धि। सीपीसी में सुधार प्रोसेसिंग के लिए, आईटीबीए का प्रयोग करते हुए एओ द्वारा 9,448 सुधार पूरे किए गए हैं।
  - वित्त वर्ष 2006-07 से पहले के कर निर्धारण वर्ष के लिए संगणना करने हेतु ओडशों की लेखांकन प्रक्रिया में संवर्धन किया गया है, जोकि ओलटास तथा आईआरएलए व्यवस्था में उपलब्ध सूचना पर आधारित प्राथमिक आदेश है आईटीबीए व्यवस्था का प्रयोग करते हुए एओ द्वारा प्रदान किए गए इनपुट्स पर आधारित मैनुअल आदेशों की सीपीसी में गणना की गई है। 85,958 आदेशों की सफलतापूर्वक गणना की गई है।
  - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ एकीकरण को वित्तीय संस्थान तथा बैंकों के व्यापक कवरेज के लिए, सीपीसी से प्रतिदायों के ट्रांसमिशन के लिए पूरा किया गया है। इससे, ईसीएस के माध्यम से करदाताओं के बैंक खातों में रिफंड के 100 प्रतिशत ट्रांसमिशन का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - एनपीसीआई के साथ एकीकरण के अनुरूप धनवापसी की प्रक्रिया को फिर से डिजाइन किया गया है। करदाता को सीपीसी से रिफंड की सुरक्षित वापसी के

लिए, रिफंड को पुनः जारी करने के लिए खाते को पुनः वैध कराना होगा।

- करदाताओं की स्थिति में परिवर्तन वाले सुधारों, विशेषकर, ट्रस्ट, वित्तीय संस्थानों तथा फॉर्म टाइप 5 तथा 7 के प्रयोगकर्ताओं को धारा 154 कार्रवाईयों में इस प्रकार के संशोधन के लिए सुविधा प्रदान करने में वृद्धि की गई है।
- अधिनियम की धारा 119(2)(क) के तहत दायर की गई आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए सीपीसी को सक्षम बनाया गया।
- आईटीआर प्रोसेसिंग के दौरान, आयकर नियमावली के नियम 37 खक पर विचार करने के लिए टीडीएस मिलान नियमों का संवर्धन, जिससे कटौतीकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो तदनुसूची आय का आकलन करने योग्य है कर का क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति देकर सुविधाजनक बनाएगा।

#### 4.9.15 प्रोजेक्ट का नाम- आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग

##### प्रोजेक्ट का विवरण

ई-फाइलिंग प्रोजेक्ट, आयकर विभाग द्वारा, करदाताओं को वेब समर्थित सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस तथा ई-डिलिवरी उपाय हैं। इस परियोजना का लक्ष्य करदाताओं तथा ई-रिटर्न बिचौलियों के माध्यम से सीधे इंटरनेट पर आयकर के तहत निर्धारित आयकर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य प्रपत्रों की ई-फाइलिंग को सक्षम बनाना है। यह परियोजना अन्य वेब समर्थित सेवाओं का भी प्रावधान करती है ताकि विवरणियों की ई-फाइलिंग में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

ई-फाइलिंग पोर्टल <https://incometaxindiaefiling.gov.in> करदाता को निम्नलिखित व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है।

- आयकर रिटर्न /फार्म दाखिल करना
- टीडीएस स्टेटमेंट का प्रस्तुतीकरण
- पैन को आधार के साथ जोड़ना
- अपलोड सुधार तथा प्रोसेसिंग के बाद स्थिति
- रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध
- धारा 143(1) तथा 154 के तहत सूचना हेतु अनुरोध
- टैक्स क्रेडिट बेमेल सारांश
- प्रपत्र 26 एस का अवलोकन
- प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण/जुड़ना
- ई-वॉल्ट अतिरिक्त सुरक्षा विकल्प
- नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉग इन
- करदाताओं के संपर्क ब्यूरे का सत्यापन और उसकी वैधता
- बकाया कर मांग की प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करना
- ई-निवारण बहु-इकाईयों के लिए शिकायत करना
- स्कीमैट्रन इम्प्लीमेंटेशन आईटीआर वैलिडेशन रूल इंजन
- आईटीआर (ईवीसी) की फाइलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड

- ई-पैन
- ई-कार्रवाइयां

समर्पित हेल्प डेस्क, ई-फाइलिंग से संबंधित पूछताछ या शिकायत का निपटान करती है पोर्टल उपभोक्ता को 'हिन्दी' में सहायता और स्थाई विषय वस्तु भी उपलब्ध कराती है।

इंटरनेट पर आईटीआर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वित्त वर्ष 2006-07 से की गई तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2006-07 में 4 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 674.74 लाख और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 668.09 लाख हो गई। ई-फाइलिंग योजना की क्रमिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

| वित्त वर्ष | ई-रिटर्न की सं. (लाख में) | वृद्धि | अन्य तरीके | वृद्धि |
|------------|---------------------------|--------|------------|--------|
| 2006-07    | 4                         | -      | -          | -      |
| 2007-08    | 22                        | 450%   | -          | -      |
| 2008-09    | 48.5                      | 120%   | -          | -      |
| 2009-10    | 52.5                      | 8%     | -          | -      |
| 2010-11    | 91.56                     | 74%    | -          | -      |
| 2011-12    | 164.12                    | 79%    | -          | -      |
| 2012-13    | 214.87                    | 31%    | -          | -      |
| 2013-14    | 296.81                    | 38.67% | 22.81      | -      |
| 2014-15    | 341.73                    | 15.13% | 33.96      | 48.84% |
| 2015-16    | 433.43                    | 26.83% | 46.61      | 37.25% |
| 2016-17    | 528.68                    | 21.97% | 59.95      | 28.62% |
| 2017-18*   | 674.74                    | 27.63% | 75.64      | 26.17% |
| 2018-19*   | 668.09                    | 0.99%  | 87.48      | 15.65% |

\*वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न के अलावा, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 1.21 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे। निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा उससे पहले के निर्धारण वर्ष में फाइल किए गए आईटीआर की शेष सं. 0.06 करोड़ है। तुलनात्मक रूप से, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए केवल 0.14 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे। इस प्रकार पिछले वर्षों से संबंधित वित्त वर्ष 2018-19 में फाइल किए गए आईटीआर की संख्या में स्पष्ट कमी आई है जिसका कारण 01.04.2018 से प्रभावी होने वाले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) में वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से किए गए संशोधन है जिसने यह अनिवार्य कर दिया कि संशोधित रिटर्न केवल संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत तक प्रस्तुत किया जा सकता है। परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित केवल 0.14 करोड़ आईटीआर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दायर किए गए थे क्योंकि यह प्रासंगिक

निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित आईटीआर थे जोकि कानून में परिवर्तन के कारण ही दायर किए जा सकते थे तथा कानून के संशोधित प्रावधान के दृष्टिकोण से, किसी भी पहले निर्धारण वर्ष के लिए कोई भी आईटीआर दायर नहीं किया जा सकता था।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, दायर किए गए कुल 6.74 करोड़ आईटीआर, जिन्हें ई-फाइल किया गया, में से निर्धारण वर्ष 2017-18 (चालू वर्ष) के लिए 5.47 करोड़ आईटीआर दायर किए गए थे। इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 6.68 करोड़ आईटीआर ई-फाइल किए गए थे, जिसमें वर्तमान निर्धारण वर्ष 2018-19 में 6.49 करोड़ आईटीआर शामिल है जो नीचे दी गई तालिका में लगभग 19% की वृद्धि को चिन्हित करते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि वित्त वर्ष 2018-19 में वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में, करदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए थे।

| फाइलिंग वृद्धि (निर्धारण वर्ष वार) |                       |                       |          |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| आईटीआर फॉर्म                       | निर्धारण वर्ष 2018-19 | निर्धारण वर्ष 2017-18 | वृद्धि % |
| आईटीआर - 1                         | 3,11,66,957           | 2,50,46,670           | 24.44%   |
| आईटीआर - 2                         | 46,12,120             | 46,55,177             | -0.92%   |
| आईटीआर - 3                         | 1,21,49,205           | 99,08,934             | 22.61%   |
| आईटीआर - 4                         | 1,43,75,902           | 1,27,61,551           | 12.65%   |
| आईटीआर - 5                         | 15,03,185             | 13,15,360             | 14.28%   |
| आईटीआर - 6                         | 8,92,103              | 8,19,063              | 8.92%    |
| आईटीआर - 7                         | 2,40,114              | 2,23,549              | 7.41%    |
| कुल                                | 6,49,39,586           | 5,47,30,304           | 18.65%   |

ई-फाइलिंग साइट पर पंजीकृत होने वाले नए पैनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जोकि ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से ई-फाइलिंग तथा अन्य सुविधाओं के प्रयोग की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31.03.2019 तक पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं की सं. 8.45 करोड़ है।

#### ईवीसी का प्रयोग करते हुए, आईटीआर V का ई-सत्यापन:

इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड ने डिजिटल हस्ताक्षर के बिना आयकर रिटर्न तथा लेखा प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षकों तथा करदाताओं को सक्षम बनाया है, जिससे विभाग को कागजी सत्यापन भेजने के लिए समय तथा लागत की भी बचत होती है। 31 मार्च, 2019 तक 3,52,94,298 आईटीआर तथा इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम ओटीपी, आधार ओटीपी, डी मैट खाता तथा बैंक खातों का प्रयोग करते हुए, ई-सत्यापित किए गए थे।

#### ई-निवारण:

ई-निवारण आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। सभी प्रकार की शिकायतें जैसे कि पैन आवेदन, प्रोसेसिंग, मूल्यांकन, अपील, टीडीएस आदि करदाताओं द्वारा दायर की जा सकती हैं। यह शत-प्रतिशत पेपरलेस प्रणाली है, ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से भी संप्रेषण में समर्थ बनाया है। आयकर विभाग के नेटवर्क के अलावा, अन्य संबंधित एजेंसियां जैसे एनएसडीएल, यूटीआईआईटीएसएल, एसबीआई रिफंड बैंकर आदि को भी योजना में शामिल किया गया है। सीपीसी-आईटीआर, सीपीसी-टीडीएस और ई-फाइलिंग पोर्टल्स भी हैं, और करदाताओं द्वारा दायर शिकायतों का पता लगा रहे हैं। सीपीग्राम्स के साथ दायर शिकायतों को भी जल्द ही एकीकृत किया जाएगा।

#### • समग्र दक्षता और करदाता सुविधा को बढ़ाने के लिए ई-फाइलिंग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधार नीचे दिए गए हैं।

- ईआरआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसमें आईटीआर परिवर्तनों और ईआरआई की अपेक्षाओं के बारे में प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित किया गया था और इसकामूल्यांकन किया गया था।
- ईसीएस के माध्यम से धनवापसी के प्रेषण को सक्षम करने के लिए विवरणी में पूर्व-निर्धारित मद के रूप में करदाताओं के नेट बैंकिंग खाते के ब्यौरों को प्राप्त करना और प्रकाशित करना।
- ई-पैन आवंटन (परीक्षण) को सक्षम बनाया गया था और लगभग 65,000 पैन ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए थे। इस प्रयास की सफलता के आधार पर एक अलग पैन प्रसंस्करण केंद्र तैयार किया जा रहा है।
- कार्यात्मकताओं में वृद्धि
  - ◆ निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग को सक्षम बनाने के लिए जारी रखने

हेतु एक विकल्प के साथ ड्राफ्ट को सुरक्षित रखना।

- प्रतिनिधि निर्धारित कार्यक्षमता के रूप में पंजीकृत करने के लिए निम्नानुसार परिवर्तन -
  - ◆ कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण - कानूनी वारिस बैंक खाते के ब्यौरोंको प्राप्त करना।
  - ◆ माइनर के लिए लॉगिन कोबंद करना।
- कर आधार बढ़ाने और रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए निरंतर अभियान प्रेषित किए गए।
- सीपीसी की आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त सत्यापन नियमों को सक्षम बनाया गया था ताकि गलत रिटर्न के अपलोड की घटनाओं को कम किया जा सके।

#### 4.10 सतर्कता

##### क. संगठन का कार्य/कार्यशैली

आयकर विभाग की सतर्कता व्यवस्था की अध्यक्षता आयकर (सतर्कता) के प्रधान महानिदेशक द्वारा की जाती हैं जोकि संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी होते हैं। सीवीओ समूह-क अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर प्रारंभिक निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। उन्हें सीवीसी, डीओपीटी इत्यादि को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित रजिस्ट्रों के माध्यम से इस तरह की शिकायतें और उनकी नवीनतम स्थिति को बनाए रखने की भी आवश्यकता है। अतः समूह-क अधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों का सीवीओ में पंजीकरण के लिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।

सीवीओ के रूप में उसे सभी प्रस्तावों पर जांच और टिप्पणी करने की आवश्यकता होती है, जहां सीवीसी का संदर्भ दिया जाना आवश्यक होता है। आयकर के चार क्षेत्रीय निदेशालय (सतर्कता) प्रारंभिक सत्यापन या जांच के संचालन में उनकी सहायता करते हैं।

सीवीओ सभी सेवा समूह 'क' अधिकारियों और सभी सेवानिवृत्त ग्रुप 'क' से 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों पर ध्यान देता है। इस प्रकार, प्रधान डीजीआईटी (वी)/सीवीओ, सीबीडीटी, दिल्ली अनुशासनात्मक प्राधिकरणों अर्थात् वित्त मंत्री को सीवीसी, यूपीएससी और डीओपीटी के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों में सहायता करता है।

आयकर के चार क्षेत्रीय निदेशालय (सतर्कता) अपने संबंधित क्षेत्रीय न्यायालय से संबंधित सतर्कता मामलों के निपटान में सीवीओ की सहायता करते हैं। यह निदेशालय समूह 'ख' अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को प्रोसेस करता है और समूह -क और समूह -ख दोनों अधिकारियों के संबंध में प्रारंभिक सत्यापन और जांच भी करता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व आयुक्त रैंक के अधिकारी करते हैं जो डीजीआईटी (वी)/सीवीओ, सीबीडीटी के नियंत्रण और

पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करते हैं। सीवीओ के अधिकार क्षेत्र में 15000 से अधिक समूह 'ख' अधिकारी आते हैं। इसके अलावा, वे प्रधान डीजीआईटी (वी)/सीवीओ, सीबीडीटी की सभी पूछताछ/जांच आदि के संबंध में प्रधान डीजीआईटी (वी)/सीवीओ, सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर उनको दिए गए कार्य में सहायता करते हैं।

## ख. महत्वपूर्ण घटनाक्रम

सतर्कता निकासी (वीसी) की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया गया है और इसको स्पष्ट व तीव्रगामी करने का प्रयास किया गया है। सतर्कता अनापत्ति पहले 10/15 दिनों से लेकर दो/तीन महीनों में दी जाती थी। परंतु अब संशोधित प्रक्रिया के साथ वैयक्तिक मामले में इसे घटाकर 1 दिन तथा पैनल अधिकारियों के पैनल मामले में अधिक से अधिक 7 दिन कर दिया गया है।

## ग. व्यवस्था सुधार

सतर्कता निदेशालय द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, विभाग की संबंधित शाखा को सुझाव और प्रतिपुष्टि दी जाती है। हाल ही में, आयकर अधिनियम की धारा 133 क के अंतर्गत सतर्कता निदेशालय के साथशिकायतों की लगातार प्राप्ति के अनुसरण में निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में व्यवस्था अध्ययन किया गया था। व्यवस्था अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सीबीडीटी ने दिनांक 09.08.2017 के पत्र द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण के संचालन के संबंध में दिशानिर्देश सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, सभी प्रधान महानिदेशक अधिकारियों को परिचालन के लिए जारी कर दिए गए थे। एक केंद्रीय निरीक्षण दल का गठन गंभीर शिकायतों के मामलों में तत्काल सतर्कता निरीक्षण करने के लिए किया गया है। हाल ही के एक मामले में निरीक्षण करने के लिए, 30.11.2017 को कार्यालय ज्ञापन जारी करके, उचित आदेश पत्र की सीमित छानबीन और रखरखाव के संबंध में पहले के सीबीडीटी निर्देशों को दोहराया गया था। इसके अलावा, सतर्कता प्रशासन को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.06.2017) कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त तथा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा ली जाने वाली त्रैमासिक बैठकें, प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद महीने के 15 वें दिन तक आयोजित की जाएगी। अधिकारियों से संबंधित सूचना का सांझा किया जाना और अधिकारियों की संदिग्ध सत्यनिष्ठा, चक्रीय स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा, लंबित आईओ रिपोर्टों की स्थिति, शिकायतों की स्थिति और समूह 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों के संबंध में लंबित डीपी मामले, व्यवस्थागत सुधार आदि जैसे मामले मीटिंग के एजेंडे में शामिल हैं।

## घ. निवारक सतर्कता

निवारक सतर्कता: उठाए गए कदम और उपलब्धियां:

निवारक सतर्कता के भाग के रूप में पहले से ही कदम उठाए जा चुके हैं: -

## (i) संस्थागत स्तर

प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर दाताओं और विभागीय अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करना: -

- ई-फाइलिंग: ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग
- ई-मूल्यांकन: ऑनलाइन मूल्यांकन कार्यवाही
- ई-अपील: ऑनलाइन अपील दाखिल करना
- ई-निवारण: ऑनलाइन शिकायत निवारण
- सीपीसी बेंगलुरु में रिटर्न की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग
- रिफंड बैंकर स्कीम
- जांच के लिए कंप्यूटर की सहायता से चयन (सीएसएसएस)
- आयकर सेवा केंद्र (एसके)
- कॉल सेंटर हैल्पलाइन

## (ii) पर्यवेक्षी स्तर

- सीसीआईटी - आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 263/264 के अन्तर्गत आदेशों की निगरानी, अपीलीय आदेशों की समीक्षा
- सीएसआईटी- सर्वेक्षणों की निगरानी, केंद्रीय जांच रिपोर्ट, धारा 144 ए के अंतर्गत निर्देश, आकलन का नियमित निरीक्षण
- अपर सीएसआईटी- अपील प्रभावी रजिस्ट्रों की निगरानी, सुधार रजिस्टर
- ए.ओ. - शिकायत याचिकाओं की निगरानी, रिटर्न रसीद रजिस्टर की निगरानी (जहां कहीं भी रखरखाव किया गया हो)

आयकर निदेशालय (सतर्कता) - क्या करना है और क्या नहीं, पर अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन, सेमिनारों और व्याख्यानो द्वारा सूचना प्रसार, निजी विदेशी यात्राओं की जांच, आईपीआर, उच्च मानक वाली सूचनाएं

## आगे का रास्ता

- (क) जागरूकता बढ़ाना
- i. संदिग्ध अधिकारियों को परामर्श देना
  - ii. प्रशिक्षण और सेमिनार
  - iii. क्या करें और न करें, पर पुस्तकों का मुद्रण
- (ख) सतर्क रहना
- i. सतर्कता निरीक्षण
  - ii. हस्तांतरण और पोस्टिंग के मामलों में क्षेत्रीय एजीडी (सतर्कता) से प्रतिक्रिया (फीडबैक)
  - iii. संदिग्ध अधिकारियों की पूर्ण रूपरेखा (प्रोफाइलिंग)

#### ड. संवेदनशील पद और रोटेशन ट्रांसफर - कार्यान्वयन स्थिति

सीबीडीटी की स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी), आईआरएस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती (पोस्टिंग) के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। इस नीति के अनुसार, संवेदनशील पदों में तैनात अधिकारियों को नियमित आधार पर स्थानांतरित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी एक पद पर तीन से अधिक वर्षों तक ऐसे पदों पर नहीं बना रहेगा।

#### च. एपीएआर की छंटनी

सीबीडीटी एपीएआरएस का संरक्षक है। एपीएआर में किसी भी अधिकारी की सत्यनिष्ठता के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी जांच और आगे आवश्यक कार्रवाई डीजीआईटी (सतर्कता) को भेजी जाती है।

#### छ. आयोजित और प्रस्तावित प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान

विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता मुद्दों पर कई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम नागपुर में प्रत्यक्ष कर अकादमी में और साथ ही विभिन्न प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और मंत्रालयीन कर्मचारी प्रशिक्षण इकाइयों में आयोजित किए गए थे।

सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों ने भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ-साथ रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के लिए वरिष्ठ आईआरएस अधिकारियों के लिए नागपुर में प्रत्यक्ष करों के राष्ट्रीय अकादमी में, सत्र का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों के अलावा, 2018 में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सेमिनार आयोजित किए गए थे।

#### ज. ई-निवारण

ई-निवारण, आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसमें करदाताओं द्वारा सभी प्रकार की शिकायतों जैसे पैन आवेदन, प्रोसेसिंग, मूल्यांकन, अपील, टीडीएस आदि दायर की जा सकती हैं। यह शत प्रतिशत कागज रहित व्यवस्था है, जहां इसके संप्रेषण को, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सक्षम बनाया गया है।

#### झ. केंद्रीय निरीक्षण दल

गंभीर शिकायतों के मामलों में तत्काल सतर्कता निरीक्षण करने के लिए एक केंद्रीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है।

#### ञ. विभाग/प्रभाग के माध्यम से कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/प्रोग्रामों के विकास के परिणामों को मापने के लिए तंत्र को अपनाया गया है।

#### सत्यनिष्ठता

सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम:

आयकर विभाग में सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- अधिकारियों की समीक्षा एफआर 56(ज) के तहत अब सभी अधिकारियों के लिए 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच की जा रही है।

- एफआर 56(ज) की समीक्षा बैठक में न केवल आईपीआर, एपीएआर बल्कि सत्यनिष्ठता कॉलम में भी गुप्त नोट, संदिग्ध प्रतिष्ठा आदि को जांच का आधार बनाया गया है।

- फरार/इस्तीफा देने वाले/दिवंगत अधिकारियों पर व्यापक डाटा अपडेट लाने के लिए अलग-अलग प्रयास किये जा रहे हैं।

- प्रधान सीसीआईटी (सीसीए) के कार्यालय को ग्रेड बी और सी कर्मचारियों के लिए एफआर 56 (ज) के तहत उपयुक्त गंभीरता के साथ समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

- नियम 56- (ज) के तहत समीक्षा के इस कार्यक्रम को सभी कर्मचारियों (समूह 'ए', 'बी' और 'सी') के लिए त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है।

- केंद्रीय निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के अलावा, जोनल एडीजी द्वारा कुल 33 निरीक्षण किए गए हैं।

#### 4.11 शिकायत निवारण मशीनरी:

पूरे देश में सीबीडीटी और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में एक व्यापक और बहु-स्तरीय शिकायत निवारण मशीनरी कार्य कर रही है जैसा कि नीचे बताया गया है:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, नई दिल्ली में केन्द्रीय शिकायत कक्ष जिसकी निगरानी सरकार के उप सचिव/निदेशक के रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है।

- प्रत्येक मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक के अंतर्गत क्षेत्रीय शिकायत कक्ष दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे स्थानों में जहां एक से अधिक मुख्य आयुक्त हैं, कैडर नियंत्रण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अंतर्गत क्षेत्रीय शिकायत सेल कार्य करते हैं।

- अन्य सभी स्थानों पर आयकर आयुक्तों/निदेशकों के तहत आउट स्टेशन शिकायत कक्ष कार्य करते हैं, जहां कोई मुख्य आयुक्त या आयकर के महानिदेशक नहीं हैं।

- सेवोत्तम योजना के तहत जिसका उद्देश्य 'सेवा पहुंचाने में उत्कृष्टता' को बढ़ावा देना है, विभाग ने पूरे भारत में चिन्हित स्टेशनों में विभाग की विभिन्न बिल्डिंगों में 400 आयकर सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित किए हैं। एएसके, शिकायतों के समाधान तथा सेवाओं के लिए, जिसमें पेपर रिटर्न को भरना भी शामिल है, आवेदन दायर करने में करदाताओं की सहायता करने के लिए, एकल विंडो सुविधा के रूप में कार्य करता है।

- इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी, आयकर विभाग के खिलाफ, विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों द्वारा ऑनलाइन की गई शिकायतों



के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा समाधान के लिए, प्रशासनिक सुधार तथा जनशिकायत विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए केंद्रीकृत जनशिकायत समाधान तथा निगरानी व्यवस्था (सीपीग्राम्स) वेब को अपनाया है। सीबीडीटी में मुख्य आयुक्त तथा आयकर महानिदेशालय के स्तर पर 56 अधीनस्थ कार्यालय बनाए गए हैं तथा उन्हें इस व्यवस्था से ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान तथा निरीक्षण के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया गया है। यहां तक कि डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी अब स्कैन किया जा रहा है तथा आवश्यक कार्रवाई तथा रिपोर्ट के लिए संबंधित कार्यालयों को ऑनलाइन अग्रेषित किया जा रहा है।

- (vi) वर्ष 2018-19 (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान केन्द्रीय शिकायत सेल द्वारा प्राप्त और निपटान की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

| प्राप्त शिकायतों की सं० | निपटार्ई गई शिकायतों की सं० |
|-------------------------|-----------------------------|
| 33,591                  | 33,040                      |

#### 4.12 मीडिया सेंटर (एम एंड टीपी)

अगस्त 2006 में सीबीडीटी में स्थापित मीडिया केंद्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष कर से संबंधित सार्वजनिक मूल्यों की जानकारी का प्रचार करता है। वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय और कर मुद्दों को जनसाधारण के नोटिस में लाने और आयकर विभाग की विभिन्न उपलब्धियों को उजागर करने के लिए जारी किए गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों की कई प्रेस ब्रीफिंग्स का आयोजन किया गया था। मीडिया के साथ नियमित इंटरफेस के परिणामस्वरूप, विभाग की सकारात्मक और अधिक यथार्थवादी छवि का अनुमान लगाया जा सकता है।

#### 4.13 आयकर निदेशालय (पीआर, पी एंड पी)

पीआर, पी एंड पी के निदेशालय, आयकर प्रावधानों और वैधानिक समय सीमाओं के बारे में करदाताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आउटडोर प्रचार में आयकर विभाग के लिए विज्ञापन और जागरूकता अभियान चलाता है। यह आयकर विभाग के आंतरिक उपयोग के लिए करदाता सूचना शृंखला और प्रकाशनों के रूप में विभिन्न कर संबंधी मुद्दों से संबंधित पुस्तिकाएं, ब्रोशर/पत्रिका भी प्रकाशित करता है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, नई दिल्ली में तथा भारत में अन्य मेले/ प्रदर्शनियों में भी टैक्स पेयर लाउंज को स्थापित और संचालित करता है। आयकर विभाग के ट्विटर अकाउंट का प्रबंधन डीआईटी (पीआर, पी एंड पी) के प्रचार विंग द्वारा किया जाता है।

#### 4.14 अवसंरचना निदेशालय

##### क. स्वीकृत अवसंरचना प्रस्तावों का विवरण

|    |                                                           |        |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1. | 01.04.2018 से 31.03.2019 तक अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या | 203    |
| 2. | निहित राशि (करोड़ रु. में)                                | 887.09 |
| 3. | परियोजना के लिए अनुमोदित स्वीकृत कुल का शीर्षवार विवरण    |        |
|    | क) भूमि की खरीद                                           | 3      |
|    | ख) निर्माण                                                | 11     |
|    | ग) किराया तथा किराए में संशोधन                            | 15     |
|    | घ) मरम्मत और रखरखाव                                       | 112    |
|    | ड.) वाहन की खरीद                                          | 117    |
|    | च) विविध                                                  | 45     |

##### ख. स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाएं

- क) सेक्टर- 29, गुरुग्राम में कार्यालय भवन निर्माण के लिए हुआ से 2.03 एकड़ भूमि की खरीद (90.97 करोड़ रु.)
- ख) सामुदायिक केंद्र, साकेत, नई दिल्ली में भूमि के भूखंड पर कार्यालय भवन का निर्माण (78 करोड़ रुपए)।
- ग) राजकोट में कार्यालय और आवासों का निर्माण (28.96 करोड़ रुपए)।
- घ) जामनगर में कार्यालय और आवास निर्माण (56.58 करोड़ रुपए)।
- ड.) आयकर विभाग, गोरखपुर के लिए कार्यालय भवन और टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण (18.93 करोड़ रुपए)।
- च) भूमि की खरीद, अजमेर में (16.28 करोड़ रु.)
- छ) अहमदाबाद के वेजलपुर में आयकर कार्यालय का उद्घाटन।
- ज) इंफाल में प्लॉट की खरीद (99 लाख रु.)

##### ग. महत्वपूर्ण तोड़-फोड़ परियोजनाएं

- क. ऑस्टिन टाउन, बेंगलुरु में पुराने आवासीय क्वार्टरों के विध्वंस प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- ख. मुंबई के जोगेश्वरी (पूर्व) के मजस्वाड़ी में स्थित आयकर कालोनी की बिल्डिंग न. 12 और 13 को तोड़ना।
- ग. मुंबई के भंडुप स्थित, सेक्टर बी, सीजीएस कॉलोनी के बिल्डिंग 10, 11 और 12 को तोड़ना

घ. अनुमोदन/निर्माण के तहत परियोजनाएं

- (क) लखनऊ: 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ में कार्यालय भवन निर्माण के लिए चल रही परियोजना में आगे और 58 करोड़ रु. की राशि को अनुमोदित किया गया था तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग किया गया था।
- (ख) अन्नानगर (चैन्नई): सेन्ट्रल रेवेन्यू कालॉनी, अन्ना नगर चैन्नई में, टाइप-II की 152 संख्या टाइप-III के 304 और टाइप-IV के 76 संख्या का निर्माण कार्य जोर-शोर से, सीपीडबल्यूडी द्वारा नवीनतम आयातित ट्यूब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, पूरी गति से चल रहा है। इस निदेशालय द्वारा निरंतर अनुरोध के चलते वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 80.21 करोड़ रु. की राशि का आबंटन क्षेत्र के लिए किया गया है तथा पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया था (कुल प्रोजेक्ट लागत 208.95 करोड़ रु. है।)
- (ग) ननगमबक्कम (चैन्नई): ननगमबक्कम, चैन्नई में आयकर भवन कॉम्प्लेक्स में आयकर विभाग के लिए रिहायशी क्वार्टर, टाइप-VI (जी+19) की संख्या 38 का निर्माण, अंतिम चरण में है। वर्ष के दौरान 19 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था तथा निदेशालय के निरंतर अनुरोध के कारण पूरी राशि (कुल प्रोजेक्ट लागत 38.27 करोड़) का प्रयोग कर लिया गया था।
- (घ) इरोड: इरोड (कोयम्बटूर) में कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण चल रहा है। (कुल परियोजना लागत 22.13 करोड़ रु.)
- (ङ) राजकोट: राजकोट में कार्यालय और आवासों का निर्माण (28.96 करोड़ रु.) चल रहा है।
- (च) जामनगर: एमओयूडी (56.58 करोड़ रुपये) द्वारा वित्त पोषित किए जाने के लिए जामनगर में कार्यालय और आवासों का निर्माण चल रहा है।
- (छ) साकेत (दिल्ली): सामुदायिक केंद्र साकेत में भूमि के भूखंड पर कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव 14.02.2019 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 93.80 करोड़ रुपए अनुमोदित कर दिया गया है (निर्माण की 78 करोड़ लागत भूमि की 15 करोड़ रु. लागत का पहले से ही भुगतान 30.49 करोड़ रुपए भूमि की लागत पर ब्याज के भुगतान की ओर) निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।
- (ज) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) (स्वीकृत): कार्यालय के साथ आवासीय इमारत के निर्माण के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2019, को 18.93 करोड़ रु. के साथ स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। स्वीकृत आदेश के अनुसार 10 करोड़ रु. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान खर्च

किए जाएंगे तथा बाकी राशि वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च की जाएगी।

- (झ) गुरुग्राम:सैक्टर-29 गुरुग्राम में स्थित कार्यालय बिल्डिंग निर्माण के लिए, 2.03 एकड़ भूमि को, हुडा से खरीदने के लिए 90.97 करोड़ रु. की राशि के प्रस्ताव को दिनांक 14.02.2019 को स्वीकृत कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 27 करोड़ रु. की राशि का हुडा को पहले ही भुगतान भी किया जा चुका है तथा स्वामित्व पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में है।
- (ञ) इनफेंट्री रोड, बेगलुरु: 4, 5 तथा 6 इन्फेंट्री रोड, बंगलुरु, प्रधान सीसीआईटी बंगलुरु में कार्यालय इमारत के निर्माण के लिए प्रस्ताव-वर्ष के दौरान 6 इन्फेंट्री रोड में स्थित प्लॉट को अप्रैल, 2018 में 32 करोड़ रु. में खरीदा गया था तथा कार्यालय इमारत के निर्माण के लिए प्रस्ताव अभी चल रहा है। (अनुमानित प्रोजेक्ट लागत राशि 212.83 करोड़ रु. है)
- (ट) खेवरा बांगर, कानपुर में कार्यालय के साथ आवासीय परिसर (244.24 करोड़ रु.) (अनुमोदन के लिए लंबित) : प्रारंभ में इस प्रस्ताव में कुल 222.76 करोड़ रु. का वित्तीय आशय निहित था। 222.76 करोड़ रु. की राशि वाले डीआईबी नोट जेएस तथा एफए (वित्त) द्वारा मंजूर किए गए हैं। इसी दौरान परियोजना की राशि जैसे कि 222.76 करोड़ रु. से 244.24 करोड़ रु. बढ़ा दी गई। प्रस्ताव अंतिम चरण में है तथा बढ़ी हुई लागत के डीआईबी नोटों को पुनः जेएस तथा एफए (वित्त) के अनुमोदन के लिए रखा जाना है।
- (ठ) जुबली हिल्स, हैदराबाद: स्टेट ऑफ आर्ट आईटी कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव जुबली हिल्स, शैखपेट, हैदराबाद में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करने के लिए जांच की जा रही है (कुल परियोजना लागत 151.12 करोड़ रु. )
- (ड) पानमपिल्ली नगर, फेस-II, कोच्चि केरल: पानमपिल्ली नगर, फेज-II कोच्चि, केरल में आयकर विभाग के लिए आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। (कुल परियोजना लागत- 30.51 करोड़ रु.)
- (ढ) डीटीआरटीआई, वेजलपुर, अहमदाबाद: वेजलपुर, अहमदाबाद में डीटीआरटीआई कैपस के निर्माण के लिए संशोधित प्रस्ताव, विचाराधीन है (कुल परियोजना लागत- 76.83 करोड़ रु.)
- (ण) बड़ोदरा: बड़ोदरा में कार्यालय परिसर (लगभग 105 करोड़ रु.)
- (त) भोपाल : प्लॉट सं.47, अरेरा हिल्स, भोपालमें नयी कार्यालय इमारत का निर्माण (82.83 करोड़ रु.)

**(ड.) सीबीआईसी के साथ चर्चित परियोजनाएं**

(क) जयमहल, बंगलुरु में प्लॉट सी में स्थित क्वार्टरों का तोड़ा जाना: सीबीआईसी के साथ एक लंबी बातचीत के बाद समझौते का एक तरीका सामने आया है, इसलिए, भूमि के बंटवारे, इन्हें तोड़ना और निर्माण को सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए विभिन्न चरणों में प्रोसेस किया जा रहा है।

(ख) सीबीआईसी के साथ पोरवोरियम (गोवा) में भूमि के हिस्से के बंटवारे के लिए समझौते का एक फार्मूला सामने आया है। क्वार्टरों के निर्माण तथा तोड़ने का प्रस्ताव अभी चल रहा है।

**(च) अन्य उपलब्धियां**

**(क) कार्यालय तथा आवासीय स्थान के आंकड़े**

अभी कुछ समय पहले तक, कार्यालय स्थान तथा विभिन्न प्रकार के आवासों के संबंध में पैन-इंडिया आधार पर, सुनिश्चित आंकड़े आयकर विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। आंकड़ों की इस कमी ने, अवसंरचना मुद्दों पर, नीतियों तथा कार्यान्वयन के मार्ग में रोड़े अटकाने का काम किया। तदनुसार, अवसंरचना निदेशालय में, पूरे भारत में प्रत्येक आईटी स्टेशन के लिए मानदण्ड के अनुसार कार्यालय स्थान की उपलब्धता तथा परिणामी कार्यालय स्थल की कमी के अनुसार आंकड़ों को संकलित करने का वृहत कार्य किया गया था। पैन-इंडिया आधार पर सभी श्रेणी के आवासों के संबंध में आईटी स्टेशन में से प्रत्येक के लिए समान आंकड़े संकलित किए गए थे। इन आंकड़ों के संकलन ने, अवसंरचना निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने बुनियादी ढांचों के प्रस्तावों की पहचान करने और प्राथमिकता प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

**(ख) अनुपयोगी वाहन और वाहनों की खरीद**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, डीटीआरटीआई, मुंबई के लिए एक सेना यात्री बस (20 सीटर) सहित 46 वाहन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में खरीदे गए। इन वाहनों को 49 अनुपयोगी वाहनों के लिए खरीदा गया था।

**(ग) सीबीडीटी तथा सीबीआईसी के बीच आवधिक समन्वयन बैठक**

सीबीडीटी तथा सीबीआईसी दोनों के लिए जिस सीमा तक भी संभव हो, दोनों बोर्डों में उपलब्ध अवसंरचना संसाधनों की पहचान तथा बंटवारे के लिए निकट संपर्क तथा आवधिक बैठकों की आवश्यकता महसूस की गई। इस पृष्ठभूमि में प्रधान डीजीआईटी (लोजिस्टिक्स), प्रधान डीआईटी (अवसंरचना) तथा

प्रधान डीजी (एचआरडी), सीबीआईसी के बीच नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस कदम के परिणामस्वरूप भूमि के खाली प्लॉटों, अनुपयोगी कार्यालय स्थल तथा दोनों बोर्डों के बीच पारस्परिक बंटवारे की पहचान करना संभव हुआ है।

**(घ) स्वीकृत प्रस्तावों की निगरानी**

निर्माण की निगरानी सबसे पहले निर्माण स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शुरू की गई ताकि लाइव निर्माण की स्थिति को वास्तविक समय के आधार पर, कार्यालय भवन के निर्माण स्थल, 57, राम तीर्थ मार्ग, लखनऊ में देखा जा सके। अन्ना नगर, चेन्नई और वेजलपुर, अहमदाबाद में परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह की निगरानी की जा रही है। लखनऊ में इस निर्माण परियोजना के लिए वेब लिंक को पूरे भारत के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया गया है। सभी चालू निर्माण परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सीसीटीवी निगरानी द्वारा कवर करने का प्रस्ताव है।

**(ड.) एलईडी स्थापना**

वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक 133 मामलों में इस कार्य के लिए तथा इन सभी मामलों में या तो काम पूरा हो चुका है या इन मामलों में ईईएसएल द्वारा स्वीकृत कार्य के लिए ईईएसएल के साथ क्षेत्रीय गठन द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईईएसएल और क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी प्रकार से 33 कार्यालय भवनों में एलईडी आधारित लाइटिंग और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट की स्थापना पूरी हो चुकी है। 38 और मामलों में समझौते अंतिम प्रदान करने की प्रक्रिया में हैं और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा।

**(च) ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना**

इनकम टैक्स बिल्डिंग में सोलर ग्रिड रूफ टॉप पैनल की स्थापना का कार्य गैर-पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मैसर्स एसईसीआई लिमिटेड को आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष की एक छोटी अवधि के लिए इस काम के लिए राज सहायता (सब्सिडी) की अनुमति दी गई थी। क्षेत्रीय संगठनों के साथ निरंतर चर्चा और समझाने-बुझाने से, एसईसीआई और इसके विक्रेताओं ने पूरे देश में आयकर विभाग के विभिन्न भवनों का व्यापक सर्वेक्षण किया। वित्त वर्ष के अंत तक, सोलर ग्रिड रूफ टॉप पैनल स्थापित किए गए थे और चार शहरों अर्थात जयपुर (170 किलोवाट), चंडीगढ़ (100 किलोवाट), नागपुर (95 किलोवाट) और कानपुर (90 किलोवाट) में काम करना शुरू कर दिया है।

## (छ) स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत, सैप 2018-19 में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने बीच प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी जा रही है। दिनांक 15.09.2018 से 02.10.2018 तक, 15.10.2018 से 31.10.2018 तक और 16.01.2019 से 31.01.2019 तक के तीन स्वच्छता पखवाड़े आयकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे किए गए, स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान के साथ स्वच्छता की शुरुआत हुई। तस्वीरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से नियमित रूप से प्राप्त की जा रही हैं और कुल 600 तस्वीरें [www.swachhataactionplan.gov.in](http://www.swachhataactionplan.gov.in) पर भारत सरकार के स्वच्छता पोर्टल पर इस निदेशालय द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपलोड की गई हैं।

## (ज) सुगम्य भारत अभियान

भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के तहत, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न भवनों का नवीनीकरण और मरम्मत इस तरह से की गई ताकि दिव्यांगजनों के प्रवेश में सुविधा हो और वे आयकर भवनों में आरामदायक और मैत्रीपूर्ण वातावरण महसूस कर सकें। विभिन्न स्टेशनों में किए गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

## (i) बाधा (बैरियर) मुक्त वातावरण

निम्नलिखित कार्यालयों में आयकर भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण किया गया, ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग लोगों को आयकर विभाग का दौरा करने के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके:

| क्र.सं. | स्टेशन       | क्षेत्र                   |
|---------|--------------|---------------------------|
| 1.      | तेजपुर (असम) | प्रधान सीसीआईटी, गुवाहाटी |
| 2.      | बीकानेर      | सीसीआईटी, जोधपुर          |
| 3.      | नासिक        | सीसीआईटी, नासिक           |
| 4.      | धुले         | प्रधान सीसीआईटी, पुणे     |
| 5.      | बेंगलुरु     | प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु |

## (ii) यूनिसेक्स सुलभ शौचालय

दिव्यांगजनों को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित आयकर कार्यालयों के शौचालयों का निर्माण या मरम्मत की गई:

| क्रम सं. | स्टेशन                    | क्षेत्र                   |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 1.       | लुधियाना                  | सीसीआईटी, लुधियाना        |
| 2.       | पटना                      | प्रधान सीसीआईटी, पटना     |
| 3.       | सीआर बिल्डिंग (नई दिल्ली) | प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली   |
| 4.       | सीआर बिल्डिंग, बेंगलुरु   | प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु |
| 5.       | कोयंबटूर                  | सीसीआईटी, कोयंबटूर        |
| 6.       | बीकेसी, मुंबई             | प्रधान सीसीआईटी, मुंबई    |
| 7.       | जयपुर                     | प्रधान सीसीआईटी, जयपुर    |
| 8.       | अजमेर                     | प्रधान सीसीआईटी, जयपुर    |
| 9.       | कोटा                      | प्रधान सीसीआईटी, जयपुर    |

## झ) कोलकाता में अतिक्रमित खाली भूमि का पता लगाना

इस वर्ष में, निदेशालय ने इन भूखंडों के अस्तित्व का पता लगाया और कोलकाता शहर के मूर एवेन्यू और अल्टडांगा में दो प्रमुख भूमियों को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो लंबे समय तक अप्रयुक्त रहे थे। कोलकाता में कार्यालय और आवासीय स्थान की कमी है और इन दोनों भूमियों पर कब्जे से कोलकाता में स्थान की कमी के मुद्दे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी।

## ञ) ई-एसेट रजिस्टर

अवसंरचना निदेशालय ने वर्ष 2018 के लिए सीबीडीटी के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ई-एसेट रजिस्टर संकलित किया है। ई-एसेट रजिस्टर भूमि और भवनों, मशीनरी और वाहनों, आदि के संबंध में विवरण प्रदान करता है।

## ट) निदेशालय में रिकॉर्ड प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण

सभी परियोजनाओं/प्रस्तावों का कम्प्यूटरीकरण इस तरह से किया जाए कि प्रस्तावों की नवीनतम स्थिति को सिस्टम में ही देखा और अपडेट किया जा सके। इस कार्य के प्रथम चरण में यह केवल लेन नेटवर्क के माध्यम से निदेशालय के सभी अधिकारियों को दिखाई देगा और इसे सुचारु रूप से चलाने के बाद यह सभी हितधारकों अर्थात् प्रधान सीसीआईटी/ प्रधान डीजीआईटी/सीसीआईटी/डीजीआईटी/प्रधान सीआईटी/ प्रधान डीआईटी के लिए द्वितीय चरण में वेब प्रणाली के माध्यम से खुला रहेगा। इस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है और अप्रैल 2019 के अंत तक यह कार्यशील हो जाएगा।

31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार भारत के डीटीए/टीआईईए/बहुपक्षीय समझौते

| सं. | क्षेत्राधिकार | ईओआई समझौते का प्रकार                                                            | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | अफगानिस्तान   | सार्क बहुपक्षीय समझौता                                                           | 13.11.2005                     | 19.5.2010                |
| 2   | अल्बानिया     | दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीए)                                               | 08.07.2013                     | 4.12.2013                |
|     |               | कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय अभिसमय (बहुपक्षीय अभिसमय) | 1.3.2013                       | 1.12.2013                |
| 3   | अण्डोरा       | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 05.11.2013                     | 01.12.2016               |
| 4   | अंगुला        | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.03.2014               |
| 5   | अर्जेंटीना    | कराधान सूचना विनिमय समझौता (टीआईईए)                                              | 21.11.2011                     | 28.01.2013               |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 03.11.2011                     | 01.01.2013               |
| 6   | अर्मेनिया     | डीटीए                                                                            | 31.10.2003                     | 09.09.2004               |
|     |               | प्रोटोकॉल                                                                        | 27.01.2016                     | अभी लागू नहीं हुआ        |
| 7   | अरुबा         | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | नीदरलैंड द्वारा विस्तार        | 01.09.2013               |
| 8   | आस्ट्रेलिया   | डीटीए                                                                            | 25.07.1991                     | 30.12.1991               |
|     |               | प्रोटोकॉल                                                                        | 16.12.2011                     | 02.04.2013               |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 03.11.2011                     | 01.12.2012               |
| 9   | ऑस्ट्रिया     | डीटीए                                                                            | 08.11.1999                     | 05.09.2001               |
|     |               | प्रोटोकॉल                                                                        | 06.02.2017                     | अभी लागू नहीं हुआ        |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 29.5.2013                      | 01.12.2014               |
| 10  | अजरबैजान      | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 23.5.2014                      | 01.09.2015               |
| 11  | बाहमास        | टीआईईए                                                                           | 11.02.2011                     | 01.03.2011               |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 15.12.2017                     | 01.08.2018               |
| 12  | बहरीन         | टीआईईए                                                                           | 31.05.2012                     | 11.04.2013               |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 29.06.2017                     | 01.09.2018               |
| 13  | बांग्लादेश    | डीटीए                                                                            | 27.08.1991                     | 27.05.1992               |
|     |               | प्रोटोकॉल                                                                        | 16.02.2013                     | 13.06.2013               |
|     |               | सार्क बहुपक्षीय समझौता                                                           | 13.11.2005                     | 19.05.2010               |
| 14  | बारबाडोस      | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 28.10.2015                     | 01.11.2016               |
| 15  | बेलारूस       | डीटीए                                                                            | 27.09.1997                     | 17.07.1998               |
|     |               | संशोधनकारी प्रोटोकॉल                                                             | 03.06.2015                     | 19.11.2015               |
| 16  | बेल्जियम      | डीटीए                                                                            | 26.04.1993                     | 01.10.1997               |
|     |               | प्रोटोकॉल                                                                        | 09.03.2017                     | अभी शुरुआत नहीं किया गया |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय                                                                 | 04.04.2011                     | 01.04.2015               |

| सं. | क्षेत्राधिकार           | ईओआई समझौते का प्रकार  | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है                   |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 17  | बेलीज                   | टीआईईए                 | 18.09.2013                     | 25.11.2013                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013                     | 01.09.2013                               |
| 18  | बरमूडा                  | टीआईईए                 | 07.10.2010                     | 03.11.2010                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.03.2014                               |
| 19  | भूटान                   | सार्क बहुपक्षीय समझौता | 13.11.2005                     | 19.05.2010                               |
|     |                         | डीटीएए                 | 04.03.2013                     | 17.07.2014                               |
| 20  | बोत्सवाना               | डीटीएए                 | 08.12.2006                     | 30.01.2008                               |
| 21  | ब्राजील                 | डीटीएए                 | 26.04.1988                     | 11.03.1992                               |
|     |                         | प्रोटोकॉल              | 15.10.2013                     | अभी लागू नहीं हुआ                        |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 03.11.2011                     | 01.10.2016                               |
| 22  | ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स | टीआईईए                 | 09.02.2011                     | 22.08.2011                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.03.2014                               |
| 23  | ब्रुनेई दारुस्सलाम      | बहुपक्षीय अभिसमय       | 12.09.2017                     | ब्रुनेई दारुस्सलाम में अभी लागू नहीं हुआ |
| 24  | बुल्गारिया              | डीटीएए                 | 26.05.1994                     | 23.06.1995                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 26.10.2015                     | 01.07.2016                               |
| 25  | बुर्किना फासो           | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.08.2016                     | बुर्किना फासो में अभी लागू नहीं हुआ है   |
| 26  | कनाडा                   | डीटीएए                 | 11.01.1996                     | 06.05.1997                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 03.11.2011                     | 01.03.2014                               |
| 27  | कैमरून                  | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.06.2014                     | 01.10.2015                               |
| 28  | केमैन द्वीप समूह        | टीआईईए                 | 21.03.2011                     | 08.11.2011                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.01.2014                               |
| 29  | चीन                     | डीटीएए                 | 18.07.1994                     | 21.11.1994                               |
|     |                         | प्रोटोकॉल              | 26.11.2018                     |                                          |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.08.2013                     | 01.02.2016                               |
| 30  | चीनी ताइपे (ताइवान)     | डीटीएए                 | 12.07.2011                     | 12.08.2011                               |
| 31  | चिली                    | बहुपक्षीय अभिसमय       | 24.10.2013                     | 01.11.2016                               |
| 32  | कोलम्बिया               | डीटीएए                 | 13.05.2011                     | 07.07.2014                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 23.05.2012                     | 01.07.2014                               |
| 33  | कुक द्वीप समूह          | बहुपक्षीय अभिसमय       | 28.10.2016                     | 01.09.2017                               |
| 34  | कोस्टा रिका             | बहुपक्षीय अभिसमय       | 01.03.2012                     | 01.08.2013                               |
| 35  | क्रोएशिया               | डीटीएए                 | 12.02.2014                     | 06.02.2015                               |
|     |                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 11.10.2013                     | 01.06.2014                               |
| 36  | कुराकाओ                 | बहुपक्षीय अभिसमय       | नीदरलैंड्स द्वारा विस्तार      | 01.09.2013                               |

| सं. | क्षेत्राधिकार               | ईओआई समझौते का प्रकार | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है                  |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 37  | साइप्रस                     | डीटीएए                | 13.06.1994                     | 21.12.1994                              |
|     |                             | प्रोटोकॉल             | 18.11.2016                     | 14.12.2016                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 10.07.2014                     | 05.09.2014                              |
| 38  | चेक गणतंत्र                 | डीटीएए                | 01.10.1998                     | 27.09.1999                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 26.10.2012                     | 01.02.2014                              |
| 39  | डेनमार्क                    | डीटीएए                | 08.03.1989                     | 13.06.1989                              |
|     |                             | प्रोटोकॉल             | 10.10.2013                     | 01.02.2015                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 27.05.2010                     | 01.06.2011                              |
| 40  | डोमिनिकन गणराज्य            | बहुपक्षीय अभिसमय      | 28.06.2016                     | डोमिनिकन रिपब्लिक में अभी लागू नहीं हुआ |
| 41  | मिस्र (संयुक्त अरब गणराज्य) | डीटीएए                | 20.02.1969                     | 30.09.1969                              |
| 42  | अल साल्वाडोर                | बहुपक्षीय अभिसमय      | 01.06.2015                     | अलसलवाडोर में अभी लागू नहीं हुआ         |
| 43  | एस्तोनिया                   | डीटीएए                | 19.09.2011                     | 20.06.2012                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 29.05.2013                     | 01.11.2014                              |
| 44  | इथियोपिया                   | डीटीएए                | 25.05.2011                     | 15.10.2012                              |
| 45  | फ़ैरो द्वीप समूह            | बहुपक्षीय अभिसमय      | डेनमार्क द्वारा विस्तार        | 01.06.2011                              |
| 46  | फ़िजी                       | डीटीएए                | 30.01.2014                     | 15.05.2014                              |
| 47  | फिनलैंड                     | डीटीएए                | 15.01.2010                     | 19.04.2010                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 27.05.2010                     | 01.06.2011                              |
| 48  | फ्रांस                      | डीटीएए                | 29.09.1992                     | 01.08.1994                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 27.05.2010                     | 01.04.2012                              |
| 49  | गैबॉन                       | बहुपक्षीय अभिसमय      | 03.07.2014                     | गैबॉन में अभी लागू नहीं हुआ             |
| 50  | जॉर्जिया                    | डीटीएए                | 24.08.2011                     | 08.12.2011                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 03.11.2010                     | 01.06.2011                              |
| 51  | जर्मनी                      | डीटीएए                | 19.06.1995                     | 26.10.1996                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 03.11.2011                     | 01.12.2015                              |
| 52  | घाना                        | बहुपक्षीय अभिसमय      | 10.07.2012                     | 01.09.2013                              |
| 53  | जिब्राल्टर                  | टीआईईए                | 01.02.2013                     | 11.03.2013                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.03.2014                              |
| 54  | ग्रीन लैण्ड                 | बहुपक्षीय अभिसमय      | डेनमार्क द्वारा विस्तार        | 01.06.2011                              |
| 55  | यूनान                       | डीटीएए                | 11.02.1965                     | 17.03.1967                              |
|     |                             | बहुपक्षीय अभिसमय      | 21.02.2012                     | 01.09.2013                              |
| 56  | ग्रेनेडा                    | बहुपक्षीय अभिसमय      | 18.05.2018                     | 01.09.2018                              |
| 57  | ग्वाटेमाला                  | बहुपक्षीय अभिसमय      | 05.12.2012                     | 01.10.2017                              |

| सं. | क्षेत्राधिकार | ईओआई समझौते का प्रकार | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है      |
|-----|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 58  | गुअर्नसे      | टीआईईए                | 20.12.2011                     | 11.06.2012                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.08.2014                  |
| 59  | हॉग कॉग       | डीटीएए                | 19.03.2018                     | 30.11.2018                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      |                                | 01.09.2018                  |
| 60  | हंगरी         | डीटीएए                | 03.11.2003                     | 04.03.2005                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 12.11.2013                     | 01.11.2014                  |
| 61  | आइसलैंड       | डीटीएए                | 23.11.2007                     | 21.12.2007                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 27.05.2010                     | 01.02.2012                  |
| 62  | इंडोनेशिया    | डीटीएए                | 07.08.1987                     | 19.12.1987                  |
|     |               | संशोधित डीटीएए        | 27.07.2012                     | 05.02.2016                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 03.11.2011                     | 01.05.2015                  |
| 63  | आयरलैंड       | डीटीएए                | 06.11.2000                     | 26.12.2001                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 30.06.2011                     | 01.09.2013                  |
| 64  | आइले ऑफ मान   | टीआईईए                | 04.02.2011                     | 17.03.2011                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.03.2014                  |
| 65  | इजराइल        | डीटीएए                | 29.01.1996                     | 15.05.1996                  |
|     |               | प्रोटोकॉल             | 14.10.2015                     | 19.12.2016                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 24.11.2015                     | 01.12.2016                  |
| 66  | इटली          | डीटीएए                | 19.02.1993                     | 23.11.1995                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 27.05.2010                     | 01.05.2012                  |
| 67  | जापान         | डीटीएए                | 07.03.1989                     | 29.12.1989                  |
|     |               | प्रोटोकॉल             | 11.12.2015                     | 29.10.2016                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 03.11.2011                     | 01.10.2013                  |
| 68  | जमैका         | बहुपक्षीय अभिसमय      | 01.06.2016                     | जमैका में अभी लागू होना है  |
| 69  | जर्सी         | टीआईईए                | 03.11.2011                     | 08.05.2012                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.06.2014                  |
| 70  | जॉर्डन        | डीटीएए                | 20.04.1999                     | 16.10.1999                  |
| 71  | कजाखस्तान     | डीटीएए                | 09.12.1996                     | 02.10.1997                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 23.12.2013                     | 01.08.2015                  |
|     |               | प्रोटोकॉल             | 06.01.2017                     | 12.03.2018                  |
| 72  | केन्या        | डीटीएए                | 12.04.1985                     | 20.08.1985                  |
|     |               | संशोधित डीटीएए        | 07.11.2016                     | 30.08.2017                  |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय      | 08.02.2016                     | केन्या में अभी लागू होना है |



| सं. | क्षेत्राधिकार     | ईओआई समझौते का प्रकार  | हस्ताक्षर की तारीख | वह तारीख जिससे लागू है |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 73  | कोरिया (गणराज्य)  | डीटीएए                 | 19.07.1985         | 01.08.1986             |
|     |                   | संशोधित डीटीएए         | 18.05.2015         | अभी लागू होना है       |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010         | 01.07.2012             |
| 74  | कुवैत             | डीटीएए                 | 15.06.2006         | 17.10.2007             |
|     |                   | प्रोटोकॉल              |                    | 26.03.2018             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 05.05.2017         | 01.12.2018             |
| 75  | किर्गिज गणराज्य   | डीटीएए                 | 13.04.1999         | 10.01.2001             |
| 76  | लातविया           | डीटीएए                 | 18.09.2013         | 28.12.2013             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013         | 01.11.2014             |
| 77  | लेबनान            | बहुपक्षीय अभिसमय       | 12.05.2017         | 01.09.2017             |
| 78  | लिचटेंस्टिन       | टीआईईए                 | 28.03.2013         | 20.01.2014             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 21.11.2013         | 01.12.2016             |
| 79  | लाइबेरिया         | टीआईईए                 | 03.10.2011         | 30.03.2012             |
| 80  | लीबिया            | डीटीएए                 | 02.03.1981         | 01.07.1982             |
| 81  | लिथुआनिया         | डीटीएए                 | 26.07.2011         | 10.07.2012             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 07.03.2013         | 01.06.2014             |
| 82  | लक्समबर्ग         | डीटीएए                 | 02.06.2008         | 09.07.2009             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013         | 01.11.2014             |
| 83  | मकाऊ, चीन         | टीआईईए                 | 03.01.2012         | 16.04.2012             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       |                    | 01.09.2018             |
| 84  | मैसेडोनिया        | डीटीएए                 | 17.12.2013         | 12.9.2014              |
| 85  | मलेशिया           | डीटीएए                 | 14.05.2001         | 14.08.2003             |
|     |                   | संशोधित डीटीएए         | 09.05.2012         | 26.12.2012             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.08.2016         | 01.05.2017             |
| 86  | मालदीव            | सार्क बहुपक्षीय समझौता | 13.11.2005         | 19.05.2010             |
|     |                   | टीआईईए                 | 11.04.2016         | 02.09.2016             |
| 87  | माल्टा            | डीटीएए                 | 28.09.1994         | 08.02.1995             |
|     |                   | संशोधित डीटीएए         | 08.04.2013         | 07.02.2014             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 26.10.2012         | 01.09.2013             |
| 88  | मार्शल द्वीप समूह | टीआईईए                 | 18.03.2016         | अभी लागू होना है       |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 22.12.2016         | 01.04.2017             |
| 89  | मॉरीशस            | डीटीएए                 | 24.08.1982         | 06.12.1983             |
|     |                   | प्रोटोकॉल              | 10.05.2016         | 19.07.2016             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 23.06.2015         | 01.12.2015             |
| 90  | मेक्सिको          | डीटीएए                 | 10.09.2007         | 01.02.2010             |
|     |                   | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010         | 01.09.2012             |
| 91  | मोलदोवा           | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.01.2011         | 01.03.2012             |

| सं. | क्षेत्राधिकार | ईओआई समझौते का प्रकार  | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है         |
|-----|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 92  | मोनाको        | टीआईए                  | 31.07.2012                     | 27.03.2013                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 13.10.2014                     | 01.04.2017                     |
| 93  | मंगोलिया      | डीटीए                  | 22.02.1994                     | 29.03.1996                     |
| 94  | मोंटेनेग्रो   | डीटीए                  | 08.02.2006                     | 23.09.2008                     |
| 95  | मोंटेसेराट    | बहुपक्षीय अभिसमय       | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.10.2013                     |
| 96  | मोरक्को       | डीटीए                  | 30.10.1998                     | 20.02.2000                     |
|     |               | प्रोटोकॉल              | 08.08.2013                     | अभी लागू नहीं हुआ              |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 21.05.2013                     | मोरक्को में अभी लागू नहीं हुआ  |
| 97  | मोजाम्बिक     | डीटीए                  | 30.09.2010                     | 28.02.2011                     |
| 98  | म्यांमार      | डीटीए                  | 02.04.2008                     | 30.01.2009                     |
| 99  | नामिबिया      | डीटीए                  | 15.02.1997                     | 22.01.1999                     |
| 100 | नाउरू         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 28.06.2016                     | 01.10.2016                     |
| 101 | नेपाल         | डीटीए                  | 18.01.1987                     | 01.11.1988                     |
|     |               | संशोधित डीटीए          | 27.11.2011                     | 16.03.2012                     |
|     |               | सार्क बहुपक्षीय समझौता | 13.11.2005                     | 19.05.2010                     |
| 102 | नीदरलैंड      | डीटीए                  | 30.07.1988                     | 21.01.1989                     |
|     |               | प्रोटोकॉल              | 10.05.2012                     | 02.11.2012                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010                     | 01.09.2013                     |
| 103 | न्यूजीलैंड    | डीटीए                  | 17.10.1986                     | 03.12.1986                     |
|     |               | प्रोटोकॉल              | 26.10.2016                     | 07.09.2017                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 26.10.2012                     | 01.03.2014                     |
| 104 | नाइजीरिया     | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013                     | 01.09.2015                     |
| 105 | नियू          | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.11.2015                     | 01.10.2016                     |
| 106 | नार्वे        | डीटीए                  | 02.02.2011                     | 20.12.2011                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010                     | 01.06.2011                     |
| 107 | ओमान          | डीटीए                  | 02.04.1997                     | 03.06.1997                     |
| 108 | पाकिस्तान     | सार्क बहुपक्षीय समझौता | 13.11.2005                     | 19.05.2010                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 14.09.2016                     | 01.04.2017                     |
| 109 | पनामा         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.10.2016                     | 01.07.2017                     |
| 110 | पेरू          | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.10.2017                     | 01.09.2018                     |
| 111 | फिलीपींस      | डीटीए                  | 12.02.1990                     | 21.03.1994                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 26.09.2014                     | फिलीपींस में अभी लागू नहीं हुआ |
| 112 | पोलैंड        | डीटीए                  | 21.06.1989                     | 26.10.1989                     |
|     |               | प्रोटोकॉल              | 29.01.2013                     | 01.06.2014                     |
|     |               | बहुपक्षीय अभिसमय       | 09.07.2010                     | 01.10.2011                     |

| सं. | क्षेत्राधिकार                | ईओआई समझौते का प्रकार  | हस्ताक्षर की तारीख      | वह तारीख जिससे लागू है |
|-----|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 113 | पुर्तगाल                     | डीटीएए                 | 11.09.1998              | 30.04.2000             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 24.06.2017              | अभी लागू किया जाना है  |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010              | 01.03.2015             |
| 114 | कतर                          | डीटीएए                 | 07.04.1999              | 15.01.2000             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 10.11.2017              | 01.01.2019             |
| 115 | रोमानिया                     | डीटीएए                 | 10.03.1987              | 14.11.1987             |
|     |                              | संशोधित डीटीएए         | 08.03.2013              | 16.12.2013             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 15.10.2012              | 01.11.2014             |
| 116 | रूस                          | डीटीएए                 | 25.03.1997              | 11.04.1998             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 03.11.2011              | 01.07.2015             |
| 117 | समोआ                         | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.08.2016              | 01.12.2016             |
| 118 | सैन मैरिनो                   | टीआईईए                 | 19.12.2013              | 29.08.2014             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 21.11.2013              | 01.12.2015             |
| 119 | सेंट किट्स और नेविस          | टीआईईए                 | 11.11.2014              | 02.02.2016             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.08.2016              | 01.12.2016             |
| 120 | सेंट लूसिया                  | बहुपक्षीय अभिसमय       | 21.11.2016              | 01.03.2017             |
| 121 | संत वीसेंट एंड द ग्रेनेडीनेस | बहुपक्षीय अभिसमय       | 25.08.2016              | 01.12.2016             |
| 122 | सऊदी अरब                     | डीटीएए                 | 25.01.2006              | 01.11.2006             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013              | 01.04.2016             |
| 123 | सेनेगल                       | बहुपक्षीय अभिसमय       | 04.02.2016              | 01.12.2016             |
| 124 | सर्बिया                      | डीटीएए                 | 08.02.2006              | 23.09.2008             |
| 125 | सेशेल्स                      | टीआईईए                 | 26.08.2015              | 28.09.2016             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 24.02.2015              | 01.10.2015             |
| 126 | सिंगापुर                     | डीटीएए                 | 24.01.1994              | 27.05.1994             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 29.06.2005              | 01.08.2005             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 24.06.2011              | 01.09.2011             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 31.12.2016              | 27.02.2017             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013              | 01.05.2016             |
| 127 | सिंट मार्टेन                 | बहुपक्षीय अभिसमय       | नीदरलैंड द्वारा विस्तार | 01.09.2013             |
| 128 | स्लोवाक गणराज्य              | डीटीएए                 | 01.10.1998              | 27.09.1999             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 29.05.2013              | 01.03.2014             |
| 129 | स्लोवेनिया                   | डीटीएए                 | 13.01.2003              | 17.02.2005             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 17.05.2016              | 21.12.2016             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 27.05.2010              | 01.06.2011             |
| 130 | साउथ अफ्रीका                 | डीटीएए                 | 04.12.1996              | 28.11.1997             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 26.7.2013               | 26.11.2014             |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 03.11.2011              | 01.03.2014             |
| 131 | स्पेन                        | डीटीएए                 | 08.02.1993              | 12.01.1995             |
|     |                              | प्रोटोकॉल              | 26.10.2012              | अभी लागू नहीं हुआ      |
|     |                              | बहुपक्षीय अभिसमय       | 11.03.2011              | 01.01.2013             |
| 132 | श्रीलंका                     | डीटीएए                 | 27.01.1982              | 19.04.1983             |
|     |                              | संशोधित डीटीएए         | 22.01.2013              | 22.10.2013             |
|     |                              | सार्क बहुपक्षीय समझौता | 13.11.2005              | 19.05.2010             |

| सं. | क्षेत्राधिकार       | ईओआई समझौते का प्रकार                  | हस्ताक्षर की तारीख             | वह तारीख जिससे लागू है           |
|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 133 | सूडान               | डीटीएए                                 | 22.10.2003                     | 15.04.2004                       |
| 134 | स्वीडन              | डीटीएए                                 | 24.06.1997                     | 25.12.1997                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 07.02.2013                     | 16.08.2013                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 27.05.2011                     | 01.09.2011                       |
| 135 | स्विट्जरलैंड        | डीटीएए                                 | 02.11.1994                     | 29.12.1994                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 30.08.2010                     | 07.10.2011                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 15.10.2013                     | 01.01.2017                       |
| 136 | सीरिया              | डीटीएए                                 | 06.02.1984                     | 25.06.1985                       |
|     |                     | संशोधित डीटीएए                         | 18.06.2008                     | 10.11.2008                       |
| 137 | तंजानिया            | डीटीएए                                 | 27.05.2011                     | 12.12.2011                       |
| 138 | तजाकिस्तान          | डीटीएए                                 | 20.11.2008                     | 10.04.2009                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 17.12.2016                     | 20.02.2018                       |
| 139 | थाईलैण्ड            | डीटीएए                                 | 22.03.1985                     | 13.03.1986                       |
|     |                     | संशोधित डीटीएए                         | 29.06.2015                     | 13.10.2015                       |
| 140 | त्रिनिदाद और टोबैगो | डीटीएए                                 | 08.02.1999                     | 13.10.1999                       |
| 141 | ट्यूनिशिया          | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 16.07.2012                     | 01.02.2014                       |
| 142 | तुर्की              | डीटीएए                                 | 31.01.1995                     | 01.02.1997                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 03.11.2011                     | 01.07.2018                       |
| 143 | तुर्कमेनिस्तान      | डीटीएए                                 | 25.02.1997                     | 07.07.1997                       |
| 144 | तुर्क और कैकोस      | बहुपक्षीय अभिसमय                       | यूनाइटेड किंगडम द्वारा विस्तार | 01.12.2013                       |
| 145 | यूगांडा             | डीटीएए                                 | 30.04.2004                     | 27.08.2004                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 04.11.2015                     | 01.09.2016                       |
| 146 | उक्रेन              | डीटीएए                                 | 07.04.1999                     | 31.10.2001                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 27.05.2010                     | 01.09.2013                       |
| 147 | संयुक्त अरब अमीरात  | डीटीएए                                 | 29.04.1992                     | 22.09.1993                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 26.03.2007                     | 03.10.2007                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 16.04.2012                     | 12.03.2013                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 21.04.2017                     | यू.ए.ई में अभी लागू नहीं हुआ     |
| 148 | यूनाइटेड किंगडम     | डीटीएए                                 | 25.01.1993                     | 26.10.1993                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 30.10.2012                     | 27.12.2013                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 27.05.2010                     | 01.10.2011                       |
| 149 | यूनाइटेड स्टेट      | डीटीएए                                 | 12.09.1989                     | 18.12.1990                       |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 27.05.2010                     | यूनाइटेड स्टेट में लागू नहीं हुआ |
|     |                     | विदेशी खाता कर अनुपालन एक्ट (एफएटीसीए) | 09.07.2015                     | 31.08.2015                       |
| 150 | उरुग्वे             | डीटीएए                                 | 08.09.2011                     | 21.6.2013                        |
|     |                     | बहुपक्षीय अभिसमय                       | 01.06.2016                     | 01.12.2016                       |
| 151 | उजबेकिस्तान         | डीटीएए                                 | 29.07.1993                     | 25.01.1994                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 11.04.2012                     | 20.07.2012                       |
| 152 | वियतनाम             | डीटीएए                                 | 07.09.1994                     | 02.02.1995                       |
|     |                     | प्रोटोकॉल                              | 03.09.2016                     | 21.02.2017                       |
| 153 | जाम्बिया            | डीटीएए                                 | 05.06.1981                     | 18.01.1984                       |

## बीईपीएस परियोजना के अन्तर्गत परिणामों का सार

### कार्रवाई-1 डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर संबंधी चुनौतियों का समाधान।

कार्रवाई-1 की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक सीमित दायरे में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह स्वयं में ही एक पूर्ण अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट में डिजिटल अर्थव्यवस्था में बिगड़े हुए बीईपीएस के जोखिम का विश्लेषण किया गया है और सम्पूर्ण बीईपीएस परियोजना में जो भी उपाय किए गए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को इसमें दर्शाया गया है। सीमा के आर-पार हो रहे व्यापार से लेकर उपभोक्ता के संव्यवहार तक के मामले में, देश के उन भागों में जहां कि ऐसे उपभोक्ता रहते हैं मूल्यवर्द्धित कर की वसूली में मदद करने के लिए नियमों और क्रियान्वयन तंत्रों को तैयार किया गया है। इससे घरेलू और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच समान स्थिति पैदा करने में मदद मिलेगी और इन संव्यवहारों के कारण वैट का कारगर ढंग से संकलन किया जा सकेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में उठाई गए कर संबंधी भारी चुनौतियों जैसे कि अन्तर्संबंध से निपटने के तकनीकी विकल्पों और इनसे संबंधित आंकड़ों का विचार-विमर्श किया गया और इनका विश्लेषण किया गया। चूंकि चुनौतियों और कारगर विकल्पों दोनों से ही सीमा-पार कर लगाने की भावी संरचना के बारे में तार्किक मुद्दे उठाए जाते हैं, जो कि बीईपीएसव मुद्दों की सीमा से बाहर, ओइसीडी और जी-20 के देश इस बारे में होने वाली प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए सहमत हो गए हैं।

भारत, डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल का एक सहभागी सदस्य रहा है तथा इस कार्यदल का गठन डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया था। 2016 में भारत ने समानांतर उगाही का सूत्रपात किया है जो बीईपीएस को कार्य पर अंतिम रिपोर्ट से डिजिटल व्यवस्था की पहचान करने कराधान चुनौतियों को प्रस्तुत करके व्यवहार करने के तीन विकल्पों में से एक है।

### कार्रवाई - 2 संकट बेमेल व्यवस्थाओं के प्रभावों को निष्क्रिय करना

संकट बेमेल व्यवस्थाओं को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई 2 के अन्तर्गत एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य घरेलू और संधिपरक नियमों के माध्यम से राष्ट्रीय पद्धतियों के अभिसरण होने में सरल बनाना है। इससे बेमेल के कर लाभ को समाप्त करके दोहरे कराधान को रोकने में सहायता मिल सकेगी और इससे किसी एकल खर्च पर जो बार-बार कटौती होती है, उसको समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही एक देश में जो कटौती हो जाती है और उस पर दूसरे देश में तत्संबंधी कर लगाया जाता है उसको भी रोका जा सकता है तथा भुगतान किए गए विदेशी कर की किसी एक राशि पर जो बहुल विदेशी कर क्रेडिट पैदा होती है, उसको भी रोका जा सकता है। कर के परिणामों में होने वाले बेमेलता को निष्क्रिय करके, लेकिन ऐसे साधनों या निकायों के प्रयोग के द्वारा होने वाले हस्तक्षेप के बिना, इन नियमों में इन व्यवस्थाओं का प्रयोग बीईपीएस के साधन के रूप में किया जाएगा और इसका सीमापार व्यापार और निवेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

### कार्रवाई-3 सीएफसी नियमों को मजबूत बनाना

सीएफसी नियमों से संबंधित रिपोर्ट में ऐसे दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो कि कारगर सीएफसी नियमों के निर्माण पर ब्लॉक की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर आधारित है। इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय इस बात को स्वीकार किया गया है कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में इन नियमों के नीतिगत उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। इनसे वर्तमान सीएफसी नियमों की उन चुनौतियों का पता चलता है जोकि गतिमान आय जैसे कि बौद्धिक सम्पदा, सेवाएं और डिजिटल संव्यवहार के द्वारा पैदा होती हैं और इससे इस बारे में यथोचित नीतियों को जाहिर करने के लिए क्षेत्राधिकारियों को अनुमति मिल जाती है। इस कार्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि बीईपीएस की समस्याओं का समाधान करने में मूल्यांतरण और अन्य नियमों को अपने दायरे में बैकस्टॉप के रूप में रखने में सीएफसी नियमों की निरंतर और प्रमुख भूमिका होती है।

### कार्रवाई-4 ब्याज कटौतियों और अन्य वित्तीय अदायगियों के जरिए कर आधार अपरदन (बेस इरोजन) को रोकना

राष्ट्रीय नियमों के संकेन्द्रण में मदद करने वाले इस सामान्य दृष्टिकोण का ब्याज कटौती के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। बहुराष्ट्रीय समूहों के भीतर ऋण की स्थिति पर, कर नियमों का प्रभाव बहुत से शैक्षणिक अध्ययनों में सिद्ध हुआ है और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह बात प्रकट हो गई है कि ये समूह किस प्रकार अन्तर्दलों को वित्तपोषित करके आसानी से व्यक्तिगत समूह निकायों पर ऋण के स्तर को कई गुणा कर देते हैं। इसी समय अत्यधिक ब्याज कटौती, जिसमें कि छूट प्राप्त या आस्थगित आय के उत्पादन का वित्तपोषण भी शामिल है, को प्राप्त करने की पात्रता का उस समन्वयपरक तरीके से सर्वोत्तम समाधान किया जा सकता है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक बातों के महत्व को देखते हुए जरूरी है और यह सुनिश्चित करना कि ब्याज की वाजिब सीमा के कारण कोई दोहरा कराधान पैदा नहीं होता है। इस सामान्य दृष्टिकोण का उद्देश्य यह है कि किसी निकाय के निवल ब्याज कटौती को उस कर योग्य आय के साथ सीधा जोड़कर देखा जा सकता है जो कि इसके आर्थिक क्रियाकलापों से पैदा हुई हो और इससे उस स्थान पर राष्ट्रीय नियमों में समन्वय को बढ़ावा मिलता हो।

भारत ने वित्त विधेयक, 2017 के माध्यम से ब्याज कटौती संबंधी सीमा को प्रारंभ किया है। आयकर अधिनियम की नई धारा 94ख व्यवस्था करती है किसी संस्था द्वारा दावा की गई आय के ब्याज को इससे संबंधित उपक्रम के लिए भुगतान के रूप में, ब्याज कर अवमूल्यन तथा परिशोधन (ईबीआईटीडीए) या सहयोगी उद्यम(ईई) को देय/अदा किए गए ब्याज, जो भी कम हो, से इसकी प्राप्तियों के 30 प्रतिशत तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

### कार्रवाई - 5 पारदर्शिता और वास्तविकता पर विचार करके हानिकारक कर तरीकों का और अधिक कारगर तरीके से सामना करना

हानिकारक कर पद्धतियों के बारे में वर्तमान चिंता मुख्य रूप से वरीयतापरक व्यवस्था को लेकर है जिसका प्रयोग लाभ को कृत्रिम ढंग से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जा सकता है और यह चिंता कतिपय निर्णयों में पारदर्शिता की कमी होने के बारे में भी है। कार्रवाई 5 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो सहमति पद्धति पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या वरीयता संबंधी व्यवस्था में कोई ठोस कार्रवाई की गई है या नहीं। आई पी व्यवस्था जैसे कि पेंटेंट बॉक्सिस के संदर्भ में 'अन्तर्सम्बन्ध' दृष्टिकोण पर सहमति हो गई थी। यह दृष्टिकोण देश में पर्याप्त गतिविधि के लिए प्रॉक्सी के रूप में व्यय का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस व्यवस्था का लाभ पाने वाले करदाता वास्तव में अनुसंधान और विकास के कार्य में लगे हों और यह व्यय वास्तविक क्रियाकलापों पर किया जाए। इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग अन्य वरीयतापरक व्यवस्थाओं में भी किया जा सकता है। पारदर्शिता के क्षेत्र में, एक कार्य संरचना पर सहमति हुई है जिसमें सूचना के स्वतंत्र आदान-प्रदान को अनिवार्य बनाया गया है। यह उन निर्णयों के बारे में है जिनके आदान-प्रदान होने से बीईपीएस की चिंता बढ़ सकती है। बहुतसी वरीयता परक व्यवस्थाओं में विस्तृत व ठोस क्रियाकलाप और पारदर्शिता के कारकों का प्रयोग किए जाने से जो परिणाम आए हैं उनको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। भारत ने पारदर्शी रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रूपरेखा का सृजन किया है तथा यह समकक्ष समीक्षा का विषय रहा है।

### कार्रवाई - 6 संधि के दुरुपयोग को रोकना

कार्रवाई -6 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे न्यूनतम मानदंड दिए गए हैं जो कि संधियों तथा ऐसे नियमों के दुरुपयोग के बारे में है और इनमें संधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय बताए गए हैं और इसमें किसी काम को कैसे किया जाएगा इसके बारे में लचीला रवैया अपनाया गया है। संधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए नियम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं जिसमें सबसे पहले संधियों के साथ किए जाने वाली छेड़छाड़ की समस्या के समाधान के बारे में बताया गया है जिसमें ऐसी रणनीति भी शामिल है जिसके तहत ऐसा कोई व्यक्ति जो कि राज्य का निवासी नहीं है उस राज्य द्वारा की गई कर संधि का लाभ उठाने का प्रयास करता है। संधियों के दुरुपयोग के और अन्य सारे रूपों को रोकने के लिए भी और कई नियम तैयार किए गए हैं। ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन के लिए अन्य परिवर्तनों पर भी सहमति हो गई है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है संधिया अनजाने में घरेलू विरोधी दुरुपयोग नियमों के लागू किये जाने को न रोकती हो। कर संधियों का उद्देश्य दोहरे गैर-कराधान के लिए प्रयोग किया जाना नहीं है यह स्पष्टीकरण मॉडल कर प्रसंविदा तथा शीर्षक के पुनर्निर्माण के माध्यम से किया गया है और अन्ततः इस रिपोर्ट में ऐसी कुछ नीतिगत बातों को शामिल किया गया है जिन पर कि कर संबंधी संधियों को किए जाने के समय कम या शून्यकर क्षेत्राधिकार वाले मामलों पर विचार शामिल किया जाना चाहिए जिनमें कि

न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने के लिए, भारत ने एक बहुपक्षीय विलेख (एमएलआई) पर हस्ताक्षर किया है।

### कार्रवाई - 7 : पीई स्टेट्स के कृत्रिम परिहार को रोकना

कर संबंधी संधियों में प्रायः ऐसा प्रावधान होता है कि किसी विदेशी उपक्रम के व्यापारिक लाभ पर उस राज्य में उसी सीमा तक कर लगाया जा सकता है जिस सीमा तक उस उपक्रम का उस राज्य में स्थायी संस्थापन है जिसके कारण ऐसा लाभ हुआ हो। अतः इन कर संधियों में सम्मिलित स्थायी संस्थापन की परिभाषा यह निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है कि क्या किसी गैर-निवासी उपक्रम को किसी दूसरे राज्य में आयकर अदा करना चाहिए या नहीं। इस रिपोर्ट में ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में स्थायी संस्थापन की परिभाषा में किए गए परिवर्तन की बात कही गई है जिसका कि किए जाने वाले कर-संधि बातचीत के आधार के रूप में व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता है। इन परिवर्तनों के कारण उस तकनीक का समाधान हुआ है जोकि कर संबंधी अंतर्संधि को टालने के लिए अनुचित रूप से प्रयोग होता है जिसमें कि कमीशन परक व्यवस्था के माध्यम से वितरकों की अदला-बदला किया जाना या व्यापारिक क्रिया कलापों में कृत्रिम ढंग से विखंडन किए जाने की बात भी आती है। कार्रवाई 2 और 6 की रिपोर्ट में प्रस्तावित कर संधियों में परिवर्तन के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन भी हैं जिनसे कि उन कई मामलों में कराधान को बहाल किया जा सकेगा जहां सीमा पार आय पर अन्यथा कर नहीं लग पाता अथवा उन पर कर संधियों के वर्तमान प्रावधानों के कारण बहुत ही कम कर लगेगा।

### कार्रवाई 8-10 यह सुनिश्चित करना कि अंतरण मूल्य के परिणाम सृजित मूल्य के अनुरूप रहें

अंतरण मूल्य के नियमों, जिन्हें कर-संबंधी संधियों के अनुच्छेद 9 और अंतरण मूल्य दिशा-निर्देश में निर्धारित किए गए हैं, को किसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूहों के बीच होने वाले संव्यवहार के आर्म्स-लेंथ प्राइस का निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्तमान मानदंडों को मजबूत बनाया गया है जिसमें कि आर्म्स-लेंथ के सिद्धांत से संबंधित दिशा-निर्देश व ऐसे दृष्टिकोण की बात यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल है कि इस आर्म्स-लेंथ सिद्धांत के भीतर हार्ड-टू-वेल्थ-इंटेंजिल्स का यथोचित मूल्यांकन किया जा सकता है। इस कार्य में तीन मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। कार्रवाई 8 में अंतरण मूल्य के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है जोकि नियंत्रित संव्यवहारों से संबंधित हैं जिनमें कि अमूर्त वस्तुएं भी आती हैं क्योंकि ये अमूर्त वस्तुएं परिभाषा के अनुसार गतिवान होती हैं और उनका मूल्यांकन करना प्रायः कठिन होता है। मूल्यवान अमूर्त वस्तुओं से होने वाले लाभ के गलत आवंटन से आधार का क्षरण हुआ है और साथ ही साथ लाभ का अंतरण हो गया है। कार्रवाई 9 के अंतर्गत जोखिम के आनुबन्धिक आबंटन की बात तब मानी जाती है जब इनके समर्थन में कोई वास्तविक निर्णय हुआ हो और इस प्रकार इन जोखिमों को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया गया हो। कार्रवाई 10 के अंतर्गत अन्य उच्चतर जोखिम क्षेत्रों पर जोर दिया गया है जिसमें ऐसे नियंत्रित संव्यवहारों जोकि वाणिज्यिक दृष्टि से उचित नहीं हैं, के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ के आबंटन का समाधान, अंतरण मूल्य

की विधियों के इस प्रकार के प्रयोग को जिसके कारण बहुराष्ट्रीय उद्यम समूहों के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यकलापों से होने वाला लाभ दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, और बहुराष्ट्रीय उद्यम समूहों के सदस्यों के बीच होने वाले कतिपय प्रकार के भुगतानों (जैसे कि प्रबंधन शुल्क मुख्य कार्यालय व्यय) जिससे कि मूल्य सृजन क्रियाकलापों के साथ संगठन न होने से कर के आधार का संकुचन हो जाता है, की बात शामिल है। संयुक्त रिपोर्ट में ऐसे कुछ संशोधित दिशानिर्देश दिए गए हैं जिनसे इन मुद्दों का समाधान होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंतरण मूल्य दिशा निर्देशों में ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जिससे कि आर्थिक क्रियाकलापों के साथ तालमेल बनाकर लाभ अर्जित किया जा सकता है।

बीईपीएस से विकासशील देशों के लिए मूल्य अंतरण संबंधी, अतिरिक्त चुनौतियां पैदा होती हैं और ये चुनौतियां विकसित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों से भी बड़ी होती हैं। इस रिपोर्ट में, सीमापार वस्तु संव्यवहार के साथ-साथ कम मूल्य जोड़ने पर अतः समूह वाले संव्यवहारों पर विकासशील देशों द्वारा पहचाने वाले कम महत्व के देशों के बारे में दिशानिर्देश सम्मिलित हैं। इन दिशा-निर्देशों में जी-20 विकास कार्यकारी दल के द्वारा जो आगे काम होंगे उनकी भी इससे पूर्तिहोगी जिसके तहत विकासशील देशों को ऐसी जानकारी, सर्वोत्तम विधियों और साधनों के बारे में बताया जाएगा जिससे कि वे मूल्य अंतरण उद्देश्य के लिए मूल्य वस्तु संव्यवहार को पूरा कर सकें और आधार क्षरण भुगतानों के सामान्य प्रकार के माध्यम से अपने कर आधार के होने वाले संकुचन को रोक सकते हैं।

#### कार्रवाई-11 बीईपीएस का मापन और निगरानी

ऐसे सैकड़ों आनुभविक अध्ययन किए गए हैं जिनसे कि कर प्रेरित लाभ अंतरण के प्रमाणों का पता चलता है, ये अध्ययन विभिन्न आंकड़ा संसाधनों और अनुमान रणनीति का प्रयोग करके किए गए हैं। बीईपीएस की जटिलता और वर्तमान आंकड़ों की सीमा को देखते हुए जहां बीईपीएस के क्षेत्र विस्तार का मापन करना चुनौतीपूर्ण है वहीं हाल ही में किए गए कई अध्ययनों से पता चलता है कि बीईपीएस से विश्व स्तर पर सीआईटी में राजस्व की हानि बहुत अधिक हो सकती है। कार्रवाई 11 के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़ों और पद्धतियों का विश्लेषण किया जाता है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इन महत्वपूर्ण प्रतिबंधों से बीईपीएस के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने में कठिनाई होती है और इसलिए उन्नत आंकड़ों और प्राविधियों की आवश्यकता है। आंकड़ों की इन सीमाओं को देखते हुए 6 बीईपीएस संकेतकों का एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और विभिन्न बीईपीएस का आंकलन भी किया गया है। इन संकेतकों से इस बारे में ठोस संकेत मिलते हैं कि बीईपीएस विद्यमान है और ये संकेत यह भी बताते हैं कि इतने समय में इस बीईपीएस में वृद्धि भी हुई है। जहां कि बीईपीएस की जटिलता और प्रविधियों और आंकड़ों की सीमाओं को स्वीकार किया गया है वहीं नए आईसीडी के अनुभव परक विश्लेषण से यह पता चलता है कि विश्व स्तर पर कॉर्पोरेट आय कर राजस्व की होने वाली हानि 100 से 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक हो सकती है। इस शोध से ऐसे गैर-राजकोषीय आर्थिक विरूपता का पता चलता है जोकि बीईपीएस के कारण पैदा हुए हैं और इसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि उपलब्ध कर

संबंधी आंकड़ों का बेहतर लाभ उठाया जाए और विश्लेषण में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में बीईपीएस की घटनाओं पर निगरानी रखी जा सके। इसमें उन विश्लेषणात्मक साधनों की भी बात शामिल है जिससे कि राष्ट्रों को बीईपीएस के वित्तीय प्रभाव का आंकलन करने और अपने ढंग में इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाने में मदद मिल सकती है। आर्थिक विश्लेषण और बीईपीएस के प्रबोधन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, देशों को भी अपने आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण में सुधार करने की आवश्यकता है।

#### कार्रवाई-12 करदाताओं के लिए यह आवश्यक करना कि वे अपनी प्रगतिशील कर योजना को प्रकट करें

प्रगतिशील कर योजना की रणनीति के बारे में समय से तथा व्यापक और संगत जानकारी न मिलना ही विश्व भर के कर प्राधिकारियों के समक्ष एक विशेष चुनौती बनी हुई है। ऐसी जानकारी को जल्दी प्राप्त करने से कर संबंधी जोखिमों के प्रति तेजी से कार्रवाई करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की कार्रवाई जोखिम के अनुमान के बारे में सूचना देकर, लेखापरीक्षा या कानूनों में फेरबदल करके की जा सकती है। कार्रवाई-12 की रिपोर्ट में दिशा-निर्देशों का एक ऐसा मॉड्यूलर फ्रेमवर्क दिया गया है जोकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर आधारित है और जिनका प्रयोग देश अनिवार्य रूप से प्रकट करने से संबंधित नियमों के बारे में करते हैं। इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी है जोकि मेजबान देश के लिए प्रगतिशील या दुरुपयोग परक कर नियोजन योजना और उनके उपयोगकर्ताओं के बारे में शीघ्रता पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। इस कार्य संरचना का एक उद्देश्य यह भी है कि इसमें उन देशों का संदर्भ दिया जा सकता है जिनके यहां अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। इसका उद्देश्य इस व्यवस्था की कारगरता में वृद्धि करना है। इन सिफारिशों में ऐसी जरूरी ढील दी गई है जिससे कि देश की आवश्यकता को संतुलित किया जा सके और जानकारी को समयपूर्वक और बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। साथ ही अनुपालन की जिम्मेदारी करदाताओं पर डाली जा सके। यह अन्तर्राष्ट्रीय कर योजनाओं से संबंधित विशेष सर्वोत्कृष्ट व्यवहारों का निर्धारण करते हैं, साथ ही इनमें कर प्रशासनों के बीच और कारगर ढंग से सूचना का आदान-प्रदान करने और सहयोग देने की बात भी शामिल है।

#### कार्रवाई-13 अन्तरण मूल्य दस्तावेजों की पुनः जांच पड़ताल

अन्तरण मूल्य से संबंधित कागजातों को तैयार करने में उन्नत तथा बेहतर समन्वय से उन जानकारीयों की गुणवत्ता में सुधार आएगा जोकि कर प्रशासनों की दी जाती है और इससे कारोबार पर अनुपालन का भार भी कम होगा। कार्रवाई-13 रिपोर्ट में वे न्यूनतम मानदंड दिए गए हैं जोकि मूल्य अन्तरण के दस्तावेजीकरण के त्रिस्तरीय मानक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रथम अन्तरण मूल्य दृष्टिकोण के दिशा-निर्देश के लिए यह जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रम कर प्रशासनों को अपने विश्वस्तरीय कारोबार के बारे में उच्चस्तरीय जानकारी प्रदान करें और यह जानकारी अन्तरण मूल्य नीति के बारे में भी होनी चाहिए और इसे एक मास्टर फाइल में सभी संबंधित कर प्रशासनों के पास उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, इसमें यह अपेक्षा की गई है कि अन्तरण मूल्य के दस्तावेजीकरण के संव्यवहारों का ब्यौरा प्रत्येक देश

के पास एक स्थानीय फाइल में होना चाहिए जिसमें विषय से संबंधित पक्षकारों के संव्यवहार, इन संव्यवहारों में निहित राशि और कंपनियों के उन विश्लेषणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जोकि उन्होंने इन संव्यवहारों के बारे में अंतरण मूल्य के निर्धारण के समय किया हो। तीसरा, बड़े बहुराष्ट्रीय उपक्रमों के लिए यह जरूरी है कि वे देशों के अनुसार प्रत्येक देश की रिपोर्ट फाइल करें जोकि हर वर्ष तथा प्रत्येक कर प्रशासन के बारे में हो जिसमें कि वे अपना कारोबार कर रहे हों। साथ ही साथ इसमें राजस्व की राशि, आयकर के पूर्व लाभ, तथा भुगतान किया गया आयकर, अर्जन और आर्थिक क्रियाकलापों के अन्य संकेतकों का ब्यौरा दिया गया हो। देश-दर- देश की रिपोर्ट, अंतिम पैतृक निकाय के क्षेत्राधिकार में दायर की जानी चाहिए और इसके बारे में सरकार दर सरकार के बीच होने वाली जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था के बीच इनके बारे में भी इनके लिए जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए। सीमित परिस्थितियों में एक द्वितीयक तंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत स्थानीय तौर पर फाइलिंग की जा सकती है। सहमति से तैयार की गई एक कार्ययोजना से कर प्रशासनों को समय से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है और इस प्रकार प्रदान गई सूचना की गोपनीयता, बरकरार रखी जा सकती है और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश दर देश की रिपोर्टों का यथोचित रूप से प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर इन तीनों के दस्तावेजीकरण के स्तर से करदाताओं के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वे अन्तरण मूल्य की स्थिति में सुधार करे और इससे कर प्रशासनों को ऐसी उपयोगी जानकारी मिल सकेगी जिससे कि अन्तरण मूल्य के जोखिम का अनुमान लगाया जा सकेगा यह पता लगाया जा सकेगा कि लेखा परीक्षा के संसाधनों को कहां सर्वाधिक और कारगर ढंग से भेजा जा सकता है और यदि लेखापरीक्षा की जरूरत पड़ती है तो लेखापरीक्षा संबंधी जांच को शुरू करने के लिए जानकारी प्रदान की जा सकेगी। सभी देशों में मूल्य अन्तरण दस्तावेजीकरण में एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करके और कर प्रशासनों के बीच होने वाले सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से देश दर देश की रिपोर्टों को जो बार-बार दायर करने की जरूरत पड़ती है उनसे यह लाभ हो सकेगा कि उनपर अनुपालन का पड़ने वाला भार बहुत कम हो जाएगा। सीबीसी रिपोर्टों के विधान अधिकार विनिमय को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, तदनुसार नई नियमावली को सम्मिलित करके नियमावली में संशोधन किए गए हैं तथा 1.11.2017 को नियमावली अधिसूचित कर दी गई थी जोकि 31.10.2017 से प्रभावी हो गई।

#### कार्रवाई-14 विवाद समाधान तंत्र को और अधिक कारगर बनाना

सभी देश यह मानते हैं कि बीईपीएस परियोजना के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे कुछ अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाएगी और यदि कार्रवाई न की गई तो दोहरे कराधान तथा एमएपी से संबंधित विवादों की संख्या में जल्दी ही बढ़ोत्तरी हो जाएगी। सीमापार व्यापार और निवेश में दोहरे कराधान से जो अड़चन आ रही है उसको दूर करने के महत्व को देखते हुए इन देशों ने एक न्यूनतम मानदंड के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है जिससे उन अड़चनों का समाधान हो जाएगा जोकि दोहरे कराधान के मामलों के कारगर और सक्षम समाधान में आड़े आ रही हैं। विशेष तौर पर इसमें एक मजबूत और राजनीतिक वचनबद्धता की बात शामिल है जोकि परस्पर सहमति से तैयार की गई प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के कारगर एवं समयपूर्वक समाधान किए जाने के बारे में है। इस वचनबद्धता में एक कारगर प्रबोधन तंत्र की स्थापना की बात शामिल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम न्यूनतम मानदंड तो पूरे किए जाए और इन विवादों के शीघ्र समाधान की दिशा में देश और प्रगति कर सके। इसके अलावा, देशों के एक बहुत बड़े समूह ने अपनी द्विपक्षीय कर संधियों में एक अनिवार्य तथा बाध्यकारी मानकों को तेजी से अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

#### कार्रवाई-15 बहुपक्षीय-विलेख को तैयार करना

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और कर विशेषज्ञों की मदद से कार्रवाई-15 के अन्तर्गत एक बहुपक्षीय विलेख (मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट) की तकनीकी व्यवहारिकता का पता लगाया जा रहा है जिसका उद्देश्य बीईपीएस संधियों से संबंधित उपायों को लागू करना और द्विपक्षीय संधियों में संशोधन करना है। इसका निष्कर्ष यह है कि एक बहुपक्षीय विलेख वांछनीय और व्यवहारिक है और ऐसे विलेख के बारे में शीघ्र ही वार्ता की जानी चाहिए। इस विश्लेषण के आधार पर एक तदर्थ दल के लिए एक ऐसा मत तैयार हुआ है जोकि इसमें भाग लेने वाले सभी देशों के लिए खुला है और जिसका उद्देश्य बहुपक्षीय विलेख तैयार करना और 2016 में इस पर हस्ताक्षर कराना भी शामिल है। 100 से अधिक देशों ने बराबरी के आधार पर कार्य में हिस्सा लिया है। विलेखों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है तथा 07 जून, 2017 अर्थात् एमएलआई हस्ताक्षर करने की प्रथम तारीख को भारत सहित 68 देशों ने बहुपक्षीय विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।



## 5. एकीकृत वित्तीय एकक (आईएफयू)

राजस्व विभाग का एकीकृत वित्त प्रभाग संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के सीधे पर्यवेक्षण में है। इसके तीन एकक, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के संबंध में बजट, वित्त तथा व्यय प्रबंधन का कार्य करती हैं। निदेशक (वित्त), राजस्व विभाग/उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क तथा निदेशक (वित्त), प्रत्यक्ष कर/व्यय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) की सहायता करते हैं।

### 5.1 एकीकृत वित्त एकक द्वारा किए गए कार्यकलाप:

एकीकृत वित्त प्रभाग की तीनों इकाइयों द्वारा बजट निरूपण, आवंटन, व्यय निगरानी, नियंत्रण, किफायत लागू करना, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा एवं मंजूरी के संबंध में राजस्व विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों को सेवाएं प्रदान की जाती है जिनमें अन्यो के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, स्वापक नियंत्रण प्रभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य कारखाना नियंत्रक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-इंड), माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, प्रवर्तन निदेशालय, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क व सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट), समझौता आयोग (आईटी/डब्ल्यूटी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, पीएमएलए के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, आयकर लोकपाल, राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय जिनमें आयकर महानिदेशालय (प्रणाली), आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान), आयकर महानिदेशालय (संगठन और प्रबंध सेवा), आयकर निदेशालय (अवसंरचना), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत अन्य क्षेत्रीय कार्यालय तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशालय, मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, माल और सेवा कर महानिदेशालय, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं स्वापक अकादमी आदि शामिल हैं।

### 5.2 व्यय का विवरण और संवीक्षा और मंजूर किए गए वित्तीय प्रस्ताव

- क) केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, राजस्व विभाग और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए पदों का सृजन एवं जारी रखना, कार्यालयों के साथ-साथ रिहायशी आवासों का विनिर्माण/क्रय/किराये पर लेना।
- ख) तस्करी-रोधी उपकरणों जैसे कि स्कैनर व जलपोत की खरीद सहित वस्तुओं व सेवाओं की खरीद।

- ग) विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड तथा इनके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव।
- घ) पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संघटक एककों में कार्मिकों की पुनर्तैनाती।
- ङ) राजस्व विभाग, उत्पादशुल्क और केन्द्रीय सीमाशुल्क कार्यालयों एवं आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों सहित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।
- च) प्रबंधन समिति (सीओएम), राजस्व विभाग से प्राप्त प्रस्ताव जो सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखानों (जीओएडब्ल्यू) के कार्यों का प्रबंध करती है।
- छ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान तथा केन्द्रीय राजस्व खेलकूद व सांस्कृतिक बोर्ड को सहायता अनुदान।
- ज) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना, पूंजीगत व्यय जिसमें सभी तीनों विभागों के कार्यालय/आवासीय परिसरों का निर्माण व बने-बनाये कार्यालय/आवासीय भवन शामिल हैं, तथा राजस्व भवन के निर्माण के संबंध में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड एवं आर्थिक कार्यों के लिए मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) हेतु प्रस्ताव।
- झ) सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कल्याण निधि और विशेष उपकरण निधि से वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव। मनोरंजन/खेलकूद क्लब, जिम्नेजियम्स, विभागीय कैन्टीन, विभागीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच तथा अतिथि गृह स्थापित/नवीकरण करने के संबंध में मानकों के पुनरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बालिकाओं को विशेष महत्व देते हुए मेधावी बच्चों और वर्ग 'घ' कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार योजना के क्षेत्र को संशोधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के कई और बच्चों को लाभ मिला।
- ञ) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 1 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों का उपयोग करने के लिए सीबीडीटी/सीबीईसी द्वारा प्रस्तावित योजनाएं।
- ट) वित्तीय नियमों में छूट/व्याख्या संबंधी प्रस्ताव तथा ऐसे सभी प्रस्ताव जिन्हें विचारार्थ व्यय विभाग को भेजना अपेक्षित है।

**5.3** बजट अनुमान 2018-19 के लिए राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों का व्यय बजट/गैर-कर राजस्व प्राप्तियां तैयार की गई। संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 की अधिकतम सीमा बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को सूचित कर दिया गया है। सभी तीन अनुदानों के संबंध में संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 का विवरण निम्नवत है:

| अनुदान        | अनुदान संख्या | 2018-19    |                | 2019-20    |
|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
|               |               | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान |
| राजस्व विभाग  | 33            | 90736.44   | 52442.41       | 102048.34  |
| प्रत्यक्ष कर  | 34            | 6980.00    | 7380.00        | 7336.44    |
| अप्रत्यक्ष कर | 35            | 7825.00    | 7625.16        | 7900.00    |

#### 5.4 एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में उठाए गए कदम/की गई पहलें निम्नवत हैं:

- वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा यथा परिकल्पित मासिक व्यय योजना (एमईपी) एवं त्रैमासिक व्यय आवंटनों (क्यूईए) के अनुसार नकद प्रबंध योजना का कार्यान्वयन।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सख्त वित्तीय अनुशासन के लिए बजटीय आवंटनों एवं एमईपी/क्यूईए की तुलना में मासिक व तिमाही व्यय की समीक्षा तथा राजस्व सचिव एवं व्यय सचिव को रिपोर्ट करना।
- राजस्व विभाग की विशिष्ट गतिविधियों/घटनाओं की समीक्षा और मासिक डीओ के माध्यम से सचिव (व्यय) को सूचित करना।
- आवधिक समीक्षा द्वारा खर्च में किफायत के अनुदेशों को लागू करना तथा व्यय विभाग द्वारा जारी किये गए मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए व्यय करने वाले प्राधिकारियों को परामर्श देना।
- सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, रिहायशी एवं कार्यालय हेतु स्थान का अधिग्रहण; सीबीआईसी तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ई-शासन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षमता को सुदृढ़ करने; समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जहाज और बेड़े प्राप्त करने और तस्करी-रोधी उपकरण प्राप्त करने के लिए बजट तैयार और आवंटन करना।

**5.5** इसके अतिरिक्त, अग्रिमों, यथा गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम आदि से संबंधित बजट का आवंटन एवं निगरानी भी की गई।

**5.6** एकीकृत वित्त प्रभाग को उनके प्रारंभिक चरण से ही महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों की योजनाओं को तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है। इसने लेखापरीक्षा आपत्तियों के समाधान निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप ऑडिट पैरा और पीएसी/स्थायी समिति की बैठकों के लिए विभाग/बोर्डों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी की है।

#### 6. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

**6.1** राजस्व विभाग के अंतर्गत एक पूर्ण राजभाषा प्रभाग है जिसे भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस प्रभाग के प्रमुख निदेशक(राजभाषा) हैं और यह प्रभाग चार हिन्दी

अनुभागों के माध्यम से कार्य करता है; प्रत्येक अनुभाग का प्रमुख एक सहायक निदेशक(राजभाषा) है और दो उप निदेशक(राजभाषा) इनका पर्यवेक्षण करते हैं। यह प्रभाग संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। विभाग का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का सम्पूर्ण अनुवाद कार्य भी राजभाषा प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

राजस्व विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। विभाग के 30 अनुभागों को अपना संपूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

#### 6.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा प्रभाग का कार्य-निष्पादन:

- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं राजस्व मुख्यालय से संबंधित सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी रूप में जारी किए गए;
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं राजस्व मुख्यालय से संबंधित सभी राजपत्रित अधिसूचनाएं, संसदीय प्रश्नों के उत्तर और आश्वासन द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए;
- मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों और मासिक सारांश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट का हिन्दी अनुवाद किया गया है और उन्हें द्विभाषी रूप से उपलब्ध कराया गया;
- दोहरे कराधान को रोकने के लिए अनेक देशों के साथ किए गए करारों का भी हिन्दी अनुवाद किया गया।
- राजस्व विभाग (मु.), केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभी अनुभागों से वेबसाइट हेतु प्राप्त सामग्री का हिन्दी अनुवाद किया गया और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

#### 6.3 हिन्दी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

राजस्व, व्यय एवं निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

#### 6.4 राजभाषा संबंधी निरीक्षण:

कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए विभाग के हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मुख्यालय के 08 अनुभागों और राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन 05 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु सुझाव दिए गये।

#### 6.5 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा:

हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से संदेश जारी किया गया जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में करने का आग्रह किया गया।

14 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी टिप्पणी एवं मसौदा आलेखन, निबंध लेखन, आशु भाषण, प्रश्न मंच, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों, हिंदीतर भाषी अराजपत्रित अधिकारियों एवं हिंदी भाषी अराजपत्रित अधिकारियों के लिए अलग-अलग एक प्रोत्साहन योजना थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को 5000/-रुपए (प्रथम पुरस्कार), 3000/-रुपए (द्वितीय पुरस्कार) एवं 2000/-रुपए (तृतीय पुरस्कार) तथा 1000/-रुपये के तीन प्रोत्साहन पुरस्कार नकद दिए गये।

#### 6.6 प्रोत्साहन योजनाएं:

राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टिप्पणी और मसौदा आलेखन और अन्य सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को 2000/-रुपए, 1200/-रुपए और 600/-रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

#### 6.7 प्रशिक्षण:

वर्ष 2018-19 के दौरान 3 कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों/एमटीएस व 6 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में नामित किया गया।

#### 7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

##### 7.1 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

1 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के समय से ही इसके प्रावधानों को कार्यान्वित कर रहा है। इसके मुख्यालय में, 32 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), प्रत्येक अनुभाग के लिए एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी हैं। केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड में सीपीआईओ द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों तथा स्वीकृत अनुरोधों की संख्या निम्नवत है:

| तिमाही समाप्त होने की तारीख | तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या | धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या | अस्वीकृत अनुरोधों की संख्या | स्वीकृत अनुरोधों की संख्या |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 30.06.2018                  | 978                                       | 248                                                                  | 112                         | 581                        |
| 30.09.2018                  | 805                                       | 209                                                                  | 103                         | 495                        |
| 31.12.2018                  | 899                                       | 271                                                                  | 61                          | 535                        |
| 31.03.2019                  | 922                                       | 208                                                                  | 23                          | 620                        |

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न आवेदकों से प्राप्त अपीलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए 23 अपीलीय प्राधिकारी हैं। सीबीआईसी के सीपीआईओ द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अपीलों, अस्वीकृत अपीलों तथा स्वीकृत अपीलों की संख्या निम्नवत है:

| तिमाही समाप्त होने की तारीख | तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या | अस्वीकृत अपीलों की संख्या | स्वीकृत अपीलों की संख्या |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 30.06.2018                  | 64                                        | 9                         | 69                       |
| 30.09.2018                  | 64                                        | 3                         | 49                       |
| 31.12.2018                  | 51                                        | 3                         | 43                       |
| 31.03.2019                  | 59                                        | 1                         | 57                       |

3. इन तीन तिमाहियों के दौरान धारा 7(1) के तहत एकत्रित निम्नवत है:-  
पंजीकरण शुल्क तथा धारा 7(3) के तहत एकत्रित अतिरिक्त शुल्क

| तिमाही समाप्त होने की तारीख | धारा 7(1) के तहत एकत्रित शुल्क<br>(रुपए में) | धारा 7(3) के तहत एकत्रित अतिरिक्त शुल्क<br>(रुपए में) |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 30.06.2018                  | 1080                                         | 8178                                                  |
| 30.09.2018                  | 770                                          | 14445                                                 |
| 31.12.2018                  | 850                                          | 10237                                                 |
| 31.03.2019                  | 1140                                         | 6091                                                  |

4. यह शुल्क आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए प्राप्त शुल्क की राशि के अलावा है।

5. सरकार ने आरटीआई पोर्टल भी शुरू किया है जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की सुविधा दी गई है। राजस्व विभाग से संबंधित आवेदनों को, एक सीमाशुल्क के लिए और दूसरा केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क से संबंधित शेष मामलों के लिए दो नोडल अधिकारियों द्वारा देखा जाता है। तत्पश्चात्, इन आवेदनों को संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को ऑनलाइन भेज दिया जाता है जिनको ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है, ताकि आवेदक को तत्काल अपेक्षित सूचना प्राप्त हो सके। अब तक, सीबीईसी को अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक 3604 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

6. वर्तमान में, आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को हस्तांतरित करने की सुविधा बोर्ड और सीबीईसी के 46 मुख्य आयुक्तलयों/महानिदेशालयों में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तक ही सीमित है। अतः, शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित आवेदनों को सीधे नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश सहित हस्तगत रूप से हस्तांतरित किया जाता है।

7. ऑनलाइन किए गए आरटीआई आवेदनों के जवाब में दी गई सूचना के खिलाफ अपील भी ऑनलाइन ही की जाती है, जिसे संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया जाता है, जो पोर्टल पर ही नागरिकों को अपेक्षित सूचना भी उपलब्ध कराता है। सीबीईसी को अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक 238 अपीलें प्राप्त हुई हैं।

## 7.2 केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों को लागू किया गया है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है। विभाग द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा और विभिन्न पहलू केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की वेबसाइट <http://www.cbn.nic.in> पर उपलब्ध है।

## 7.3 मुख्य कारखाना नियंत्रक

इस संगठन के प्रत्येक यूनिट में, जैसे कि गाजीपुर एवं नीमच स्थित कारखानों तथा सीसीएफ के दिल्ली कार्यालय में भी एक कक्ष स्थापित किया गया है। ये कक्ष केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/

सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्राप्त आवेदनों को नियमित रूप से निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाता है।

## 7.4 वित्तीय अधिसूचना इकाई-शाखा (एफआईयू-आईएनडी)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 68 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 44 हस्तांतरित कर दिए गए और 24 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए।

टिप्पणी:- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.09.2005 की अधिसूचना, द्वारा एफआईयू-आईएनडी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया और इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के अंतर्गत इसे भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोप से संबंधित सूचना के सिवाय इस अधिनियम के प्रचालन से छूट दी गई है।

## 7.5 सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण

अधिकरण की प्रत्येक पीठ में लोक प्राधिकरण द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किये गए हैं और वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों सहित आरटीआई आवेदन तथा आदेशों को वेबसाइट पर अधतन किया जाता है।

## 7.6 आयकर समझौता आयोग

समझौता आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के प्रति बहुत संवेदनशील है। नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ सहित सभी चार (04) पीठों में संयुक्त/अपर आयकर निदेशक तथा प्रशासनिक अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक पीठ में सचिव और आयकर निदेशक (जॉच) जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष है, को उक्त अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

## 7.7 प्रवर्तन निदेशालय

वर्ष 2018 के दौरान (दिसम्बर, 2018 तक), निदेशालय के मुख्यालय कार्यालय में 489 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनका

शीघ्रता से निर्धारित अवधि के भीतर निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त 01.01.2019 से 31.03.2019 तक 109 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए।

## 7.8 राष्ट्रीय वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)

वर्ष 2018 तक के दौरान 9 आरटीआई आवेदनों (जिनमें अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित शामिल है) का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया।

## 8. ई-गवर्नेंस गतिविधियां

### 8.1 राजस्व मुख्यालय

राजस्व विभाग में निम्नलिखित क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को अंजाम दिया

- पीएफएमएस:- सभी प्रकार के भुगतान जैसे वेतन, प्रतिपूर्तियां, विक्रेताओं को भुगतान आदि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा की जा रही है।
- सरकारी ई मार्केट :- भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार सरकारी ई मार्केट (जेम) पोर्टल में उपलब्ध उत्पादों/सेवाओं की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से की जा रही हो
- सीपीपी पोर्टल:- वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सभी निविदाएं ई-पोर्टल अर्थात केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) के माध्यम से की जा रही है।
- इस विभाग में व्यवहार में लाए जाने वाले दस्तावेजों/फाईलों का मुख्य हिस्सा ई-ऑफिस पोर्टल के द्वारा डिजिटलाइज और कार्यान्वित किया जा रहा है।
- आरटीआई:- विभाग और लाइन आरटीआई पोर्टल का उपयोग कर रहा है। आरटीआई के सभी जवाब इस पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- लोक शिकायत पोर्टल:- लोक शिकायत पोर्टल में सभी शिकायत ऑन लाइन प्राप्त की जाती है और उन्हें प्राथमिकता आधार पर निपटाया जाता है और उनके जवाब भी ऑन लाइन लोक शिकायत पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- बायो-मैट्रिक उपस्थिति:- विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों के लिए बायो-मैट्रिक अटेंडेंस लागू की है।
- वेबसाइट:- विभाग की सभी मूलभूत जानकारी तथा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम जानकारी सहित एक पब्लिक डोमेन वेबसाइट है।

#### 8.1.1 प्रवर्तन निदेशालय:-

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने LAN है जो NICNETWAN प्रवर्तक निदेशालय, मुख्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और क्षेत्रीय कार्यालय पत्र एक्सल शीट तथा ग्राफ तैयार करने जैसी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए माइक्रोसाफ्ट ऑफिस जैसे ऑफिस आटो टूल का उपयोग करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाने वाली कुछ-ई-गवर्नेंस पहले नीचे दी गई हैं :-

- (i) वेबसाइट:- निदेशालय की एक वेबसाइट है जिसमें सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, जहां नागरिक इस कार्यालय से संबंधित जानकारी विभिन्न गतिविधियों तथा अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में नए और उपभोक्ता अनुकूल इंटर फेस का प्रावधान करने के लिए वेबसाइट को पूर्णतः तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नई विशेषताएं जैसे कनफर्मड अटैच प्रोपर्टीज वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारियों की संपर्क जानकारी को भी शामिल किया गया है
- (ii) काम्प डी ओ:- विभाग के कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन के लिए एक पे रोल सिस्टम लागू किया गया।
- (iii) ई-मेल:- सभी अधिकारियों को ई-मेल आईडी प्रदान की गई है।
- (iv) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग:- निदेशालय में एक वेब आधारित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।
- (v) एम पी आर (मानव प्रगति रिपोर्ट):- फेरा, फेमा और पीएमएलएस संबंधी मामलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी की प्रविष्टि करने तथा उसे समेकित करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई।
- (vi) एमआईटी (मासिक स्वीकृत प्रोफार्मा):- पीएसएलएस के लिए मासिक स्वीकृत प्रोफार्मा से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि करने तथा इसे समेकित करने के लिए एक वेब आधारित सरलीकरण विकसित की गई।
- (vii) कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस):- यह एक कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों को संग्रहीत करने, प्रक्रिया करने तथा सृजित करने की एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह एक कर्मचारी की वर्तमान पद, नियुक्ति स्थल, प्रवर्तन निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जन्म और सेवानिवृत्ति की तिथि, भर्ती का माध्यम, पदोन्नति की असली तिथि और पद, स्वीकृत पदों की जानकारी, निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पद तथा रिक्त पद, संबंधी जानकारी प्रदान करती है।
- (viii) कानूनी मामलों की निगरानी प्रणाली:- यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में निदेशालय अथवा पक्षकार द्वारा दर्ज किए गए कानूनी मामलों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक वेबआधारित एप्लीकेशन यह याचिका सं. याचिकाकर्ता का नाम, डीओई की भूमिका, संबंधित क्षेत्र का नाम, ईसीआईआर संख्या, पीएओ संख्या आदि की जानकारी रखता है। अंतिम याचिका की सुनवाई पर मामले की स्थिति/प्रगति का रिकॉर्ड रखता है।

- (ix) प्रवर्तन निदेशालय अपराधियों की ट्रेनिंग प्रणाली (ईडीओटीउस):- टी-3 फाइल स्टेज से प्रारंभ होने वाले फेमा और पीएमएसएलए संबंधी मामलों की जानकारी रखने तथा डेटाबेस तैयार करने के लिए फेमा और पीएमएसएलए मामले हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसे उपभोक्ताओं के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटर-फेस प्रदान करने के लिए एसपीनेट प्रौद्योगिकी में तथा डेटा संग्रहीत करने के लिए बैकड डेटाबेस के रूप में एसक्यूएल सर्वर विकसित किया गया। उपयोगकर्ता अनुकूल इंटर फेस के साथ फार्म डिजाइन किए गए हैं।
- (x) नोटिस बोर्ड एप्लीकेशन:- विभिन्न परिपत्रों डाउनलोड किए जाने वाले फार्मों/प्रशिक्षण संबंधी जानकारी/फेमा/पीएमएसएलए इत्यादि के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णयों को अपलोड/प्रशिक्षित करने/देखने के लिए (नोटिस बोर्ड) नामक एक नई एप्लीकेशन विकसित की गई। अपलोड की गई जानकारी एक प्रमुख श्रेणी में सामूहिक रूप से और उसके बाद उपश्रेणियों में तैयार किया जाता है। लॉगिन करने पर यह सभी प्रमुख श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करेगा, जो इस प्रमुख श्रेणी के लिए अपलोड की गई जानकारी के विवरण प्रदर्शित करने के लिए एक डाटापरलिंक है। यह एप्लीकेशन एक रोल बेस्ड है और चार पूर्व निर्धारित रोल जैसे 'प्रशासन', 'प्रविष्टि' 'प्रकाशन' और देखना है विभिन्न मापदंडों जैसे श्रेणी, परिपत्र वर्ष, परिपत्र संख्या और विषय के आधार पर उठाए जाने वाले सवालों के लिए आगे विकल्प है।
- (xi) व्यय निगरानी प्रणाली (ईएसएस):- यह एप्लीकेशन निदेशालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा बजट भुगतान, बजट आवंटन और मासिक व्यय के विवरण की जानकारी रखने के लिए विकसित की गई है।
- (xii) राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन निगरानी प्रणाली:- यह निदेशालय में दिए जा रहे राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन उपयोग के संबंध में डेटाबेस तैयार करने के लिए एक डेटाबेस एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस एप्लीकेशन का मूल उद्देश्य अपराधी का ब्योरा जैसे ईसीआईआर सं. एफआईआर सं. विधेय अपराध और इसके संबंधित अनुभाग, विधेय अपराध की स्थिति और एलईए और ईडी द्वारा मूल्यांकन किए गए पीओसी का कुल मूल्य, की स्थिति विदेशों में भेजे गए एलआर और अपराधियों/साजिशकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मॉडस आपरेंडी को कैप्चर करने के विकल्प प्रदान करते हैं।
- (xiii) चर्चा मंच:- यह सहयोग अथवा चर्चा के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जहां अधिकारी पोस्ट किए गए संदेशों/जवाबों के रूप में बातचीत कर सकते हैं। चर्चा मंच एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिभागी एक विषय अथवा संदर्भित विषयों के समूह पर चर्चा कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंदर प्रतिभागी अनेक सूत्र बना सकते हैं। एकसूत्र में प्रारंभिक पोस्ट और उसके जवाब शामिल होते हैं। प्रतिभागी विभाग से सुसंगत किसी उपलब्ध विषय में उपयोक्ता भाग ले सकता है।

(xiv) एफटीएस:- निदेशालय की मांग को पूरा करने के लिए एफटीएस एप्लीकेशन को आकार दिया जा रहा है मौजूदा सरकार पर डेटाबेस और एप्लीकेशन का एक नया उदाहरण सृजित किया गया है निदेशालय की मांग के अनुसार नए सेक्शन और उपयोक्ता सृजित किए जा रहे हैं।

(xv) ई-पूर्ति:- स्टोर की दैनिक गतिविधियों को स्वतः रूप से चलाने के लिए स्टोर की आवश्यकता के अनुसार ई-पूर्ति स्टोर व्यवस्था साफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार की गई थी। एप्लीकेशन में सुधार करने तथा उसके परीक्षण के बाद इसे उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2019 को उपलब्ध कराया गया। जैम वे माध्यम से खरीद को भी शामिल किया गया। अब प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में सभी अधिकारियों और स्टाफ की मदों को पूर्ति ई पूर्ति द्वारा ही की जाएगी।

### 8.1.2. नारकोटिक्स कंट्रोल

#### 8.1.2.1 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स

ई-गवर्नेंस गतिविधियों के संबंध में यह कहा गया है कि ई-गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार के विभिन्न अनुदेशों को अनुपालन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है। सेटलमेंट तथा वेमेंट केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। किसानों को फसल वर्ष 2012-13 से लगातार ई-भुगतान के द्वारा भुगतान किया जाता है।

प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और इंटरनेट के साथ जोड़ दिए गए हैं। मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों के जवाबी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय नई दिल्ली तथा अन्य कार्यालयों के ई-मेल के माध्यम से शीघ्रताशीघ्र अग्रेषित की जाती है।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की वेबसाइट को अद्यतन किया गया और साइकोट्रापिक पदार्थों/प्री कर्सर केमिकल और कन्ट्रोल पदार्थों के निर्यात/आयात के लिए निर्यात/आयात ऑथोराइजेशन को जारी करने के लिए सभी आवेदन फार्म सीबीएन वेबसाइट [www.cbn.nic.in](http://www.cbn.nic.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

#### 8.1.2.2 फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक (CCF)

फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक ने अपनी वेब साइट लांच की है जिसने संगठन, उनकी गतिविधियों और संविदा आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। सामान और सेवाओं की खरीददारी के लिए सभी निविदाएं वेबसाइट पर समय से सूचना और उत्पादकों आपूर्तिकर्ता की भागीदारी के लिए अपलोड कर दी जाती है। इंटरनेट के माध्यम से संगठन अन्य कई जानकारीयों जैसे ड्रग का उत्पादन और बिक्री आदि भी प्रदान करता है। सम्वधित अधिकरणों की जानकारी के लिए भी अन्य जानकारीयों को भी जल्द ही इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

#### 8.1.3 आयकर समझौता आयोग

इस आयोग की अपनी वेबसाइट है अर्थात् [itscindia.gov.in](http://itscindia.gov.in) सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। ई-ट्रांसफर सिस्टम द्वारा आयोग के अधिकारियों को वेतन तथा अन्य देय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

## 8.2 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

सूचना प्रौद्योगिकी, के उपयोग द्वारा गुड गवर्नेंस के भाग के रूप में निम्नलिखित पहले की गई हैं :-

### 8.2.1 डीजीएचआरडी में जैम और ई-प्रोक्योरमेंट की प्रगति (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

इसे अगले पृष्ठ पर 'प्रणाली' शब्द के बाद जोड़े। सीधे और लाइन खरीदारी के लिए सरकारी खरीदार द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए एंड-टू-एंड खरीद प्रणाली की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को की गई। जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा जैम पर उपलब्ध सभी कार्यालय उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।

- (1) वित्त मंत्रालय के जैम 3.0 विश्लेषक डेशबोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकतम आदेश (26474) और अधिकतम मूल्य (111.90 करोड़ रु) के आदेश प्रस्तुत करने के साथ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों के अंतर्गत जैम के उपयोगकर्ताओं में से सीबीआईसी सबसे आगे रहने वाला विभाग है
- (2) सीबीआईसी के अंतर्गत जैम पोर्टल पर पंजीकृत प्राथमिक उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 562 हो गई है जबकि प्राथमिक उपयोगकर्ता जो आदेश प्रस्तुत करते हैं, वे 446 हैं। डीजीएचआरडी ऑन-साइट प्रशिक्षण प्रदान करके तथा गठनों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों का समाधान करने में सहायता करके डीजीएचआरडी जैम पर सीबीआईसी गठनों के पंजीकरण की सक्रिय रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है तथा उसे सुविधाजनक बना रहा है।
- (3) जैम के साथ-साथ जैम वेबसाइट ([gew.gov.in](http://gew.gov.in)) के हाइपरलिंक पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन विभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीबीआईसी विभागीय वेबसाइट([www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in)) और [www.dghrdcbec.gov.in](http://www.dghrdcbec.gov.in) पर होस्ट कर दिए गए हैं।
- (4) जैम पोर्टल के उपयोग की प्रगति को रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक ऑनलाइन पाक्षिक रिपोर्ट निर्धारित की गई है।
- (5) डीजीएचआरडी ने डेटा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) की सहायता से सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों से जैम पर मासिक प्रगति रिपोर्ट की मांग करने के लिए एक ऑनलाइन माड्यूल [www.cbecddm.gov.in](http://www.cbecddm.gov.in) पर है विस्तृत एंड-टू-एंड खरीदारी को लागू करने के लिए व्यय विभाग के का.झा.सं. 10/03/2012/पीपीसी दिनांक 30.03.2012 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में डीजीएचआरडी एनपीआईसी द्वारा सीपीपी पोर्टल पर सीबीआईसी के संगठनात्मक ढांचे की मैपिंग को सुगम बना दिया। परिणामस्वरूप आज की तारीख तक डीजीएचआरडी ने सीपीपी पोर्टल पर सीबीआईसी

के 370 क्षेत्रीय कार्यालयों के उप-नोडल अधिकारियों के पंजीकरण और मैपिंग को सुविधाजनक बनाया है।

- (6) डीजीएचआरडी ने स्वतंत्र रूप से तथा जीईएम एसपीपी तथा एनआईसी के सहयोग से भारत में सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीपी के माध्यम से पंजीकरण तथा जीईएम के प्रयोग तथा ई-खरीद के लिए अब तक 28 हैंड्सऑन ऑनसाइट प्रशिक्षण आयोजित कराए हैं। दो प्रशिक्षण एनएसीआईएन फरीदाबाद, मुंबई, शिलांग, बड़ोदरा, चेन्नई, भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, कोलकाता, गोवा, कोच्ची, जोधपुर, जबलपुर, एनसीआईएन जेडआईआई दिल्ली, एनएसीआईएन मुंबई, एनएसीआईएन चंडीगढ़, विशाखापटनम, मेरठ तथा एनसीआईएन बंगलुरु में कराए गए जिसमें 241 सीबीआईसी कार्यालयों से 1000 अधिकारी शामिल किए गए ताकि जीईएम पोर्टल पर विभिन्न कार्यालयों से माल एवं सेवाओं के प्रोक्योरमेंट में सक्षम बनाया जा सके।

7. डीजीएचआरडी द्वारा विस्तारित हैंड्स-ऑन प्रशिक्षणों तथा टेलिफोनिक सहायता का ही यह परिणाम है कि सीबीआईसी कार्यालयों द्वारा सीपीपी पोर्टल पर प्राकृतित टेंडरों की संख्या 679 (जुलाई 2017 में) से बढ़कर 1995 (अगस्त 2018 में) हो गई है। इसी अवधि के दौरान टेंडरों का कुल मूल्य भी 3304.43 लाख रुपए से बढ़कर 13010.40 लाख रुपए हो गई है।

### 8.2.2 सीमाशुल्क के तहत ई-गवर्नेंस उपाय

#### (क) निर्यात पर ई-संचित

ई-संचित, सीमाशुल्क हेतु दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, को 2017 में ईएक्सआईएम ट्रेड को जिसका उद्देश्य पंजीकृत यूजर्स के द्वारा केवल आयात के लिए सपोर्टिंग दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा प्रदान करना है।

आयात मंजूरी प्रक्रिया में परिवर्तनों के कारण, आयातों के लिए दस्तावेजों के डिजिटल इजेशन को शामिल करने के लिए ई-संचित सेवाओं के स्थान को विस्तारित किया गया है। क्लियरेंस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित शिपिंग बिलों के लिए समर्थित दस्तावेजों, जिन्हें आयातको द्वारा हार्ड कॉपी में जमा किया जा रहा है, को अब ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। आईसीईजीएटीई द्वारा कार्यान्वयन के पीछे का विचार सीमाशुल्क/विनियामक एजेंसियों तथा ट्रेड के बीच फिजिकल इंटरफेस को कम करना तथा आयात एवं निर्यात प्रक्रिया में अपेक्षित क्लियरेंस को स्पीड को बढ़ाना था।

आयात के लिए ई-संचित के कार्यान्वयन से सभी व्यापार संबंधित दस्तावेजों के लिए पेपररहित प्रोसेसिंग हो जाएगी। यह पहल निम्नलिखित प्राकर से उपयोगी होगी।

1. ऑनलाइन फाइल की गई उद्घोषणाओं हेतु अपेक्षित सभी समर्थित दस्तावेजों की डिजिटल रिपॉजिटरी-बिल ऑफ एंट्री (बीई) तथा शिपिंग बिल( एसपी)।

2. इससे ट्रेड द्वारा सीमाशुल्क को संगत दस्तावेजों की हार्डकॉपी को जमा करने में लगने वाले समय तथा प्रयास में कमी आएगी।
3. इससे आयात तथा निर्यात दोनों के लिए डिजिटली प्राप्त दस्तावेजों से सीमाशुल्क के स्तर पर वस्तुओं की निकासी में तेजी आएगी।
4. क्लियरेंस प्रक्रिया के दौरान जेनरटेड सभी डिजिटल दस्तावेजों पर ट्रेड के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से डिजिटल हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
5. डिजिटली जेनरटेड दस्तावेजों को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि आवश्यक न हो।
6. इको-फ्रेडली होगा तथा पेपर बचेगा।

#### (ख) सिंगल विंडो पर पीडीए

आईसीईजीएटीई पोर्टल प्रमुख भागीदार सरकारी एजेंसियों, जो कि आयात विनियामक निकायों के रूप में कार्य करती हैं, के साथ एकीकृत होने की प्रक्रिया में है। पीजीए लाइव आयात/निर्यात खेप के लिए क्लियरेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने में शामिल है। छह पीजीए जिनके नाम हैं खाद्य सुरक्षा (एफएसएसआई), ड्रग नियंत्रक, प्लांट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन, टेक्सटाइल कमिटी तथा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ऐसे अधिकांश मामलों से संबंध हैं। जहां संबंधित आयात/निर्यात हेतु सीमाशुल्क क्लियरेंस उनकी अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए अपेक्षित है।

सिंगल प्लेटफॉर्म पर पीजीए को बोर्ड करना, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईआईडीबी)' पहल का ही हिस्सा है, ताकि देश के लिए सीमा पार व्यापार को सुगम बनाया जा सके। इससे आयातकों तथा निर्यातकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे अपने क्लियरेंस दस्तावेजों को ऑनलाइन सिंगल प्लेटफॉर्म पर लॉच कर सकेंगे। तथा व्यापारियों को जो पीजीए से क्लियरेंस चाहिए, वह भी उन्हें इन एजेंसियों में अलग-अलग जाए बिना ऑनलाइन मिल सकती है।

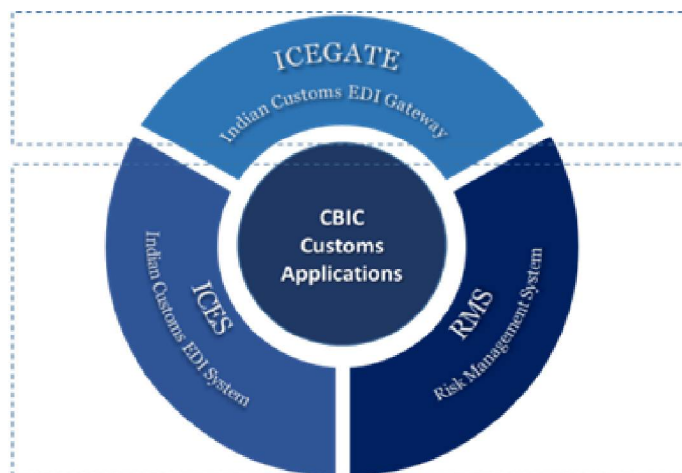
आईसीईजीएटीई द्वारा पीजीए के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सरलीकरण तथा कार्यान्वयन देश के आगम तथा विकास बिंदुओं पर माल की निकासी के लिए व्यापार सरलीकरण उपाय का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यान्वयन है। आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं में दक्षता से आयातकों तथा निर्यातकों का काफी पैसा बचेगा तथा व्यापार-संबंधित व्ययों तथा विलंब में काफी कमी आएगी।

#### ग. सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस)

सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) दीर्घकालिक परिवर्तनकारी परियोजना है तथा इसमें विभिन्न पृथक आंतरिक सीमा शुल्क एप्लीकेशंस को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है इस विजन को पूरा करने से बिजनेस तथा तकनीकी आवश्यकताओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने से पहले ही अंतिम रूप दिए जाने से समय तथा प्रयास में परियोजना पूरी होने की अवधि को कम करने के लिए तथा कम प्रयास करने के लिए, परियोजना को दो चरणों में बांटा गया है :- एंड यूजर्स फोकसड तथा बिजनेस ऑपरेशन फोकसड।

फ्रंट एण्ड  
(ट्रेड फेसिंग)

बैक एण्ड  
(डिपार्टमेंट फेसिंग)



सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली परियोजना के चरण। को सभी एंड यूजर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है तथा इसीलिए निम्नलिखित लाभों को देने के लिए इसकी संकल्पना की गई है:-

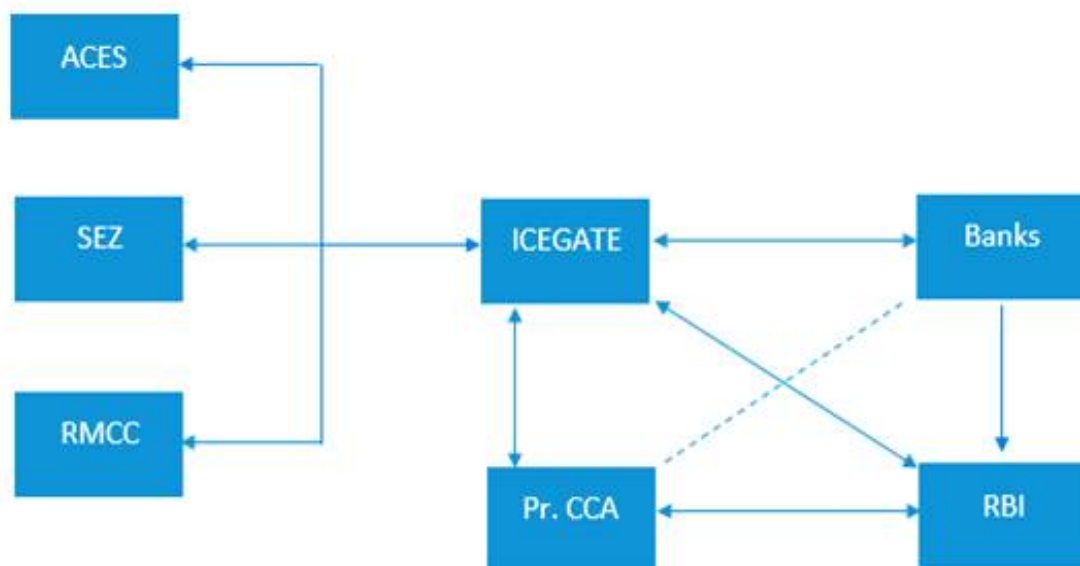
1. आईसीईजीएटीई पर निर्यात/आयात में लगने वाले प्रोसेसिंग के समय में कमी आएगी तथा 1 मिनट से भी कम समय लगेगा जिसमें अभी लगभग 6-8 मिनट लगते हैं।
2. दस्तावेज फाइल करने के लिए अतिरिक्त यूजर्स-फ्रेंडली चैनल-एबीआई एवं ई-फॉर्म (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन)

3. एपीआई आधारित रियल टाइम स्टैकहोल्डर इंटीग्रेशन
4. आयातक/निर्यातक/सीएचए तथा अन्य स्टैकहोल्डर्स हेतु दस्तावेज फाइल करने तथा संबंधित विवरणों के विषय में शिकायतों की समाधान प्रणाली को मजबूत करना।
5. सेवा उन्मुख वस्तुकला तथा मॉड्यूलर डिजाइन संबंधी नियमित प्लेटफॉर्म
6. माइक्रो सेवाओं/कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन समर्थक ऑर्केस्ट्रेशन



7. विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल एप्लीकेशन।
8. दृढ़बद्ध एसए के कारण गुणवत्ता सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं।
9. विश्वास तथा यूजर्स फीडबैक को बढ़ाया गया और इस इस प्रकार विकसित सार्वजनिक छवि को सक्षम बढ़ाया।
10. आतिथ्य विजनेस सेवाओं के विषय में ऑटोमेटेड स्वास्थ्य मॉनीटरिंग तथा अलर्ट।
11. सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए उच्च कार्य निष्पादन तथा प्रतिक्रिया समय।
12. 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में शीर्ष 50 राष्ट्रों में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग को बढ़ाना।

परियोजना के पहले चरण की आवश्यकताओं को पहचान लिया गया है और कारेश्पांडिंग तकनीकी समाधान भी तैयार कर लिया गया है। इसके लिए बोली प्रक्रिया प्रबंधन को भी पहल शुरू कर दी गई है।



इस प्रकार सीबीआईसी के लिए ई-पेमेंट मॉड्यूल को एकल इकाई के रूप में फिर से डिजाइन किया गया, अपने सभी स्टैकहोल्डर्स सभी इन्पेंन्ड/बैंकों, सरकारी विभागों तथा संबंधित एप्लीकेशंस के लिए ओपन एपीआई फ्रेमवर्क पर डिजाइन किया गया है, जो सुनिश्चित करता है कि भविष्य में समाधान किया जाए। इस ई-पेमेंट गेटवे को पेमेंट मोड के उपलब्ध बूके जैसे-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेअ, ऑफलाइन भुगतान मोड जैसे एनईएफटी/आरटीजीएस ट्रांसफर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

### 8.2.3 जीएसटी के तहत ई-गवर्नेंस

उपाय विशेष क्षेत्र आधारित बजटीय योजना (एसएबीएस) का ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट [www.cbic-gst.in](http://www.cbic-gst.in) पर विशेष क्षेत्र आधारित

### घ ई- भुगतान रीवैम्प

आईसीईजीएटीई पोर्टल का अपना स्वयं का ई-भुगतान मॉड्यूल है और सीमा शुल्क एकत्र करने के लिए आंतरिक ई-भुगतान गेटवे है। थर्ड-पार्टी एप्लीकेशंस, जिसमें एसीईएस/एसईजेड/आरएमसीसी तथा कोई भी अथ थर्ड-पार्टी एप्लीकेशंस, जैसी भी भविष्य में आवश्यकता हो, की ओर से सीमा शुल्क एकत्र करने के लिए मौजूदा क्षमता का लाभ उठाया जा रहा है।

सभी आंतरिक तथा बाहरी स्टैकहोल्डर्स को विचार-विमर्श करके एक कॉमन पेमेंट गेटवे सीमा शुल्क ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, रोज ड्यूटी तथा आईसीआर फीस संग्रहण के जरिए सीबीआईसी के दायरे में आने वाले सभी भुगतानों के सपोर्ट के लिए आईसीईजीएटीई ई-पेमेंट मॉड्यूल को नया रूप दिया जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वह विकास योग्य (कॉन्फीशुरेबल) होगा तथा सेवाओं को किसी भी नई ड्यूटी या शुल्क संग्रहण के लिए आसान से सक्षम किया जा सकता है।

योजना के लिए सीजीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए जीएसटी करदाता को सक्षम बनाने के लिए 11 पहाड़ी राज्यों में करदाताओं के लिए उपलब्ध जीएसटी में करदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण

जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करने के माध्यम से पंजीकृत करने हेतु जीएसटी करदाता को सक्षम बनाना

(सभी 107 सीजीएसटी आयुक्तालयों में उपलब्ध)

जीएसटी प्रणाली में रिफंड की ऑनलाइन रसीद जीएसटी पोर्ट पर आवेदन के माध्यम से आईटीसी रिफंड आवेदन करने हेतु जीएसटी करदाता को सक्षम बनाना

(सभी 107 सीजीएसटी आयुक्तालयों में उपलब्ध)

जीएसटी करदाताओं के भुगतान की ऑनलाइन रसीद तथा रिटर्न डाटा जीएसटी पोर्टल के माध्यम से करदाता द्वारा किए गए भुगतान तथा रिटर्न देखने के लिए सीजीएसटी अधिकारी को सक्षम बनाना

(सभी 107 सीजीएसटी आयुक्तालयों में उपलब्ध)

लागू कर की दर की ऑनलाइन सुविधा

किसी भी सामान या सेवाओं पर लागू जीएसटी करों को जानने के लिए करदाता को सक्षम बनाना।

वेबसाइट [www.cbec.gst.gov.in](http://www.cbec.gst.gov.in) वेब-टिकट के माध्यम से शिकायत निवारण की ऑनलाइन सुविधा

एफएक्यू या वेबसाइट [www.cbec.gst.gov.in](http://www.cbec.gst.gov.in) पर टिकट रेंज करने के माध्यम से शिकायत निवारण के लिए सीईएसटी, जीएसटी करदाता को सक्षम बनाना।

### सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन का स्वचालन:

01.07.2017 से जीएसटी को शुरू किए जाने से, अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है। इसलिए जीएसटी पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न, रिफंड आदि को संभालने के लिए एक नई सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन शुरू किया गया है।

2018-19 में 1.2 करोड़ जीएसटी पंजीकरण, 15 करोड़ जीएसटी रिटर्न तथा 2 लाख आईटीसी रिफंड को सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा निपटाया गया है।

जीएसटी करदाता सूचना के प्राप्त करने के लिए कई निदेशालयों के अलावा 107 सीजीएसटी आयुक्तालयों तथा 45 लेखा परीक्षा आयुक्तालयों में यह एप्लीकेशन शुरू किया गया है।

करदाताओं की मदद करने के लिए, करदाताओं तथा कर अधिकारियों की सहायता हेतु 24 घंटे 7 दिनों तक सहायता डेस्क तीन चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है:- नेशनल टोल फ्री लाइन 1800-1200-232, मेल:- [cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in](mailto:cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in) तथा वेब टिकट [cbic.gst.gov.in](http://cbic.gst.gov.in)

### 8.2.4 ड्राबेक डिवीजन के तहत ई-गवर्नेंस पहल

पेपररहित लेन-देन को बढ़ाने तथा सार्वजनिक सेवाओं की डिजीटली को बेहतर बनाने के लिए डीजीएफटी ने पंजीकरण हेतु पोर्ट के रूप में ईडीआई बंदरगाहों को जारी आर्थरार्जेशन के लिए एडवांस आर्थरार्जेशन एक्सपोर्ट प्रमिशन कैपिटल गुडस (ईपीसीजी) संबंधी सिक्वोरिटी पेपर की प्रिंटिंग को दिनांक 01.03.2019 से बंद कर दिया है। परिपत्र सं. 07/2019 कस्टम दिनांक 21.02.2019 को जारी किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पेपररहित आर्थरार्जेशन से व्यवहार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

### 8.3 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी):-

आयकर विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में संचालित कार्य वातावरण बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके निम्नलिखित सुधार करने की पहल की है। इन उपायों का उद्देश्य

करदाता और अधिकारियों के बीच निष्पक्षता को शुरू करने तथा मानवीय इंटरफेस को कम करना है निम्नलिखित पहल की गई है :-

एस:- आईएस प्रक्रियाओं को समझने तथा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए एक व्यापक व्यापार प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) स्टडी शुरू किया गया है:-

- कर सूचना नेटवर्क की स्थापना ;
- देशभर में अपने सभी कार्यालयों की नेटवर्किंग के लिए टैक्सनेट परियोजना;
- बंगलुरु में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर;
- वैशाली में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल (टीडीएस) की स्थापना
- रिटर्न ई- फाइल करना
- रिफंड की चैनल डिजीटली को बेहतर बनाने के लिए रिफंड बैंकर स्कीम
- समर्पित कॉल सेंटर
- व्यापक वेबसाइट जो कि सभी ई-सेवाओं आदि को समेकित करती है

व्यापक कम्प्यूटरीकरण पहलों के माध्यम से, विभाग ने एंड-टू-एंड ई-डिलीवरी सेवाएं शुरू की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है :-

- करों का ई-भुगतान टीडीएस विवरणों की ई-फाइलिंग
- टीडीएस विवरणों की ई-प्रोसेसिंग
- कर क्रेडिटों का ई-व्यू
- आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग
- आयकर रिटर्न को ई-प्रोसेसिंग
- कर क्रेडिटों का ई-मिलान
- आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग की ई-ट्रैकिंग
- रिफंड की ई-डिलीवरी
- रिफंड की ई-ट्रैकिंग

इसलिए, विभाग की इस मौजूदा पहल से कही भी, कभी भी के आधार पर आयकर कार्यालय जाए बिना कर दायित्वों का अनुपालन करना संभव हो गया है। यह ई आकलन ई-निवारण तथा ई-अपील के संबंध में विभाग की नवीनतम पहलों में परिलक्षित होता है। इस प्रकार, करदाता ई-मूल्यांकन सुविधा का उपयोग करके जांच-मूल्यांकन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ई-निवारण के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं और ई- अपील के माध्यम से ऑनलाइन अपील फाइल कर सकते हैं।

## 9. स्वच्छ भारत अभियान

### 9.1 राजस्व मुख्यालय:

- राजस्व विभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में कई कदम उठाए हैं।

➤ स्वच्छता कार्यवाई योजना 2018-19 के तहत विभिन्न गतिविधियों की गई जैसे दिनांक 15.10.2018 से 31.10.2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 15.09.2018 से 02.10.2018 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान तथा 16.01.2019 से 31.01.2019 तक अन्य स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें वित्त राज्य मंत्री द्वारा स्वच्छता की शपथ लेना शामिल हैं तथा 80 गतिविधि दस्तावेज तथा 5514 फोटो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई है। विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के स्वच्छता कार्यवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

➤ वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय परिसरों में साफ-सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भागीरदारी से स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया इसके अलावा, नियमित सफाई, झाड़ू लगाना, सीढ़ियों तथा सभी कमरों/हॉल के साथ-साथ फर्श/ गलियारों में पोंछा लगाना तथा सफाई जिसमें साबुन, टॉयलेट पेपर, हैंड ड्रायर, कूड़ेदान तथा आवश्यक बस्तुओं के प्रावधानों सहित कीटाणुनाशकों का प्रयोग करने वाले शौचालयों की सफाई भी शामिल है, के दौरान कोई दुर्घटना न हो इसके लिए उचित चेतावनी संकेत लगाए गए।

सभी अप्रचलित उपकरणों का संग्रह तथा उनको हटाना अर्थात्, जीएफआर 2017 के प्रावधानों के तहत उचित प्रक्रिया के बाद ई-कचरा नीलामी के जिए अखबारों/मैगजीनों, पुराने कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों तथा सामान्य नीलामी के माध्यम से सामान्य कचरे, पुरानी कारों/वाहनों का निपटान/कार्यालय स्थान के अनुकूलन की दृष्टि से कई कमरों में रिनोवेशन का कार्य किया गया है ताकि बेहतर काम करने का माहौल बन सके। छटाई/रिकॉर्डिंग ड्राइव भी चलाई गई है तथा इसके साथ-साथ कार्यालय स्थान के अनुकूलन को लक्षित करते हुए प्राइवेट कंपनी को हायर करते हुए पुराने रिकॉर्ड/फाइलों का डिजिटाइजेशन/स्केनिंग कराई गई है।

➤ वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने मंत्रालय के कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने के उद्देश्य से एक जिम और योगस सेंटर की भी स्थापना की है। स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, इस इमारत को भी 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है, जिससे चुकने वाले कर्मचारियों/आंगतुकों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

➤ स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुल 600 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था जिसमें मार्च, 2019 तक 6969 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

### 9.1.1 प्रवर्तन निदेशालय :-

हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का इस निदेशालय द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिनांक 2 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय के सभी कार्यालयों में एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, जहां सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों ने हमारे देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया था। इसके अलावा इस अभियान के निमित्त नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर लगाने सहित विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। कार्यालय परिसरों का नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जा रहा है।

### 9.2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

9.2.1 भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत, एसएपी 2018-19 में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उनके बीच प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी जा रही है। तीन स्वच्छता पखवाड़ों अर्थात् 15.09.2018 से 02.10.2018 15.10.2018 से 31.10.2018 तथा 16.01.2019 से 31.01.2019 तक आयकर के विभिन्न कार्यालयों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसे स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) के रूप में शुरू किया गया। तस्वीरों सहित अनुपालन रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और वित्तीय निदेशालय द्वारा भारत सरकार के स्वच्छता वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस निदेशालय द्वारा भारत सरकार के स्वच्छता पोर्टल पर [www.swachhata.actionplan.gov.in](http://www.swachhata.actionplan.gov.in) पर अपलोड किया गया है। 9.2.2 भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के तहत, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित रूप से सलाह दी जा रही है कि वे इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न भवनों का नवीनीकरण और मरम्मत इस तरह से की गई है ताकि दिव्यांगजन को प्रवेश करने में सुविधा हो तथा आयकर भवनों में वे आरामदायक और मैत्रीपूर्ण वातावरण महसूस कर सकें।

### 9.3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) :

"स्वच्छता" की शपथ तथा बैनरों का प्रदर्शन, कागज के दोनों तरफ सरकारी दस्तावेजों की छपाई सुनिश्चित करने तथा उपयोग न होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने के लिए बढावा देना, कार फ्री/कार पूल डे का अवलोकन, कार्यालयी परिसरों की साफ-सफाई, स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन में कार्याशाला, मास एंटी-पॉलीथिन ड्राइव-स्थानीय फल विक्रेताओं तथा फेरीवालों से अनुरोध किया गया है कि वे कपड़ों का थैले का उपयोग करें, स्वच्छता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता विषय पर निबंध लेखन, रंगोली, कार्टून एवं ड्राइंग प्रतियोगिता, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट का नवीनीकरण तथा स्कूल कैम्पस में परिसरों की सफाई एवं आर ओ प्यूरीफायर लगाया जाना, पौधारोपण, पुराने रिकार्ड को अलग करना।

अनुबंध-I

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व  
संगठन : केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (सीबीईसी)

| कर्मचारियों की संख्या |       |               |                 | 31.03.2019 तक की गई नियुक्तियों की संख्या |                   |               |                 |                  |      |               |                 |     |                     |    |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------|---------------|-----------------|-----|---------------------|----|
|                       | कुल   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग                          | सीधी भर्ती द्वारा |               |                 | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल  | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | अन्य विधियों द्वारा |    |
|                       |       |               |                 |                                           | कुल               | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |                  |      |               |                 |     | अनुसूचित जाति       |    |
| 1                     | 2     | 3             | 4               | 5                                         | 6                 | 7             | 8               | 9                | 10   | 11            | 12              | 13  | 14                  | 15 |
| ग्रुप क               | 4048  | 470           | 232             | 479                                       | 1932              | 284           | 140             | 442              | 2041 | 159           | 78              | 0   | 0                   | 0  |
| ग्रुप ख               | 32270 | 5586          | 2441            | 5045                                      | 824               | 113           | 30              | 195              | 1234 | 357           | 169             | 0   | 0                   | 0  |
| ग्रुप ग               | 10620 | 2540          | 744             | 1786                                      | 592               | 91            | 38              | 174              | 487  | 127           | 15              | 0   | 0                   | 0  |
| कुल                   | 46938 | 8596          | 3417            | 7310                                      | 3348              | 488           | 208             | 811              | 3762 | 643           | 262             | 0   | 0                   | 0  |

संगठन : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

| कर्मचारियों की संख्या |       |               |                 | 31.03.2019 तक की गई नियुक्तियों की संख्या |                   |               |                 |                  |                 |               |                 |           |                     |                 |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                       | कुल   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग                          | सीधी भर्ती द्वारा |               |                 |                  | पदोन्नति द्वारा |               |                 |           | अन्य विधियों द्वारा |                 |
|                       |       |               |                 |                                           | कुल               | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल       | अनुसूचित जाति       | अनुसूचित जनजाति |
| 1                     | 2     | 3             | 4               | 5                                         | 6                 | 7             | 8               | 9                | 10              | 11            | 12              | 13        | 14                  | 15              |
| ग्रुप क               | 4324  | 695           | 396             | 563                                       | 173 *             | 26            | 13              | 46               | 124             | 34            | 19              | लागू नहीं | लागू नहीं           | लागू नहीं       |
| ग्रुप ख               | 2881  | 619           | 201             | 366                                       | 4                 | 1             | 0               | 1                | 4058            | 109           | 15              | 0         | 0                   | 0               |
| ग्रुप ग               | 32835 | 6359          | 2205            | 6815                                      | 3532              | 522           | 247             | 1175             | 2407            | 591           | 166             | 121       | 38                  | 10              |
| कुल                   | 40040 | 7673          | 2802            | 7744                                      | 3709              | 549           | 260             | 1222             | 2936            | 734           | 200             | 121       | 38                  | 10              |

\* वर्ष 2018 में की गई नियुक्तियाँ। अधिकारी एनएडीटी प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं और ऊपर कॉलम 2 से 5 में उन्हें शामिल नहीं किया गया।

संगठन: राजस्व मुख्यालय

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  | 31.03.2019 तक की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |                 |               |                 |     |                     |                 |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|---------------------|-----------------|
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सीधी भर्ती द्वारा                         |               |                 |                  | पदोन्नति द्वारा |               |                 |     | अन्य विधियों द्वारा |                 |
|        |                       |               |                 |                  | कुल                                       | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | अनुसूचित जाति       |                 |
| 1      | 2                     | 3             | 4               | 5                | 6                                         | 7             | 8               | 9                | 10              | 11            | 12              | 13  | 14                  | अनुसूचित जनजाति |
| समूह क | 40                    | 8             | 2               | 0                | -                                         | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |
| समूह ख | 316                   | 57            | 41              | 40               | -                                         | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |
| समूह ग | 331                   | 71            | 27              | 58               | -                                         | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |
| कुल    | 687                   | 136           | 70              | 98               | -                                         | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |

संगठन: भारत-वितीय आसूचना एकक (एफआईयू-एंड)

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  |      | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |     |               |                                           |                  |     |               |                 |                  |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----|---------------|-----------------|------------------|
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य | सीधी भर्ती द्वारा                                       |               |                 | पदोन्नति द्वारा  |     |               | अन्य विधियों द्वारा<br>(प्रतिनियुक्ति पर) |                  |     |               |                 |                  |
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य | कुल                                                     | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति                           | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 1      | 2                     | 3             | 4               | 5                | 6    | 7                                                       | 8             | 9               | 10               | 11  | 12            | 13                                        | 14               | 15  | 16            | 17              |                  |
| समूह क | 20*                   | 3             | -               | 1                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                                         | 1                | 0   | -             | -               |                  |
| समूह ख | 6                     | 0             | -               | 1                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                                         | 2                | 0   | -             | -               |                  |
| समूह ग | 7                     | 2             | -               | 3                | 2    | -                                                       | -             | 1               | -                | -   | -             | -                                         | 0                | 0   | -             | -               |                  |
| कुल    | 33                    | 5             | -               | 5                | 2    | -                                                       | -             | 1               | -                | -   | -             | -                                         | 3                | 0   | -             | -               |                  |

\* इन 42 समूह 'क' पदों में से विल आसूचना एकक के पास 42 समूह "क" अधिकारियों की स्वीकृत स्ट्रेथ हैं। 10 समूह 'क' पद एनआईसी में संवर्गित हैं। जिसके विरुद्ध एनआईसी कैंडर द्वारा अधिकारियों (इन्कम्बन्ट्स) की पोस्टिंग की जाती है। शेष 32 पदों में से, 20 पद 31.12.2018 को भरे गए हैं।

नोट: नियुक्ति का मोड केवल प्रतिनियुक्ति है, 06 एमटीएस (समूह 'ग') के पदों को छोड़कर।

संगठन : सफेमा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |   |   |   |   | कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |                 |               |                 |                  |                     |               |
|--------|-----------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
|        |                       |   |   |   |   | सीधी भर्ती द्वारा                                 |               |                 |                  | पदोन्नति द्वारा |               |                 |                  | अन्य विधियों द्वारा |               |
|        |                       |   |   |   |   | कुल                                               | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल                 | अनुसूचित जाति |
| 1      | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                                                 | 8             | 9               | 10               | 11              | 12            | 13              | 14               | 15                  |               |
| समूह क | 4                     | - | - | - | - | -                                                 | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                | -                   |               |
| समूह ख | 1                     | - | - | - | - | -                                                 | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                | -                   |               |
| समूह ग | 15                    | 5 | 2 | - | - | -                                                 | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                | -                   |               |
| कुल    | 20                    | 5 | 2 | - | - | -                                                 | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                | -                   |               |



संगठन : अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहन हेतु सक्षम प्राधिकारी

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                      |                  | सीधी भर्ती द्वारा |               |                 |                  |     | पदोन्नति द्वारा |                 |                  |     | अन्य विधियों द्वारा |                 |                  |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----|---------------------|-----------------|------------------|
|        |                       |               |                 |                      |                  |                   |               |                 |                  |     |                 |                 |                  |     |                     |                 |                  |
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित पिछड़ा वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल               | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति   | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति       | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 1      | 2                     | 3             | 4               | 5                    | 6                | 7                 | 8             | 9               | 10               | 11  | 12              | 13              | 14               | 15  | 16                  | 17              | 18               |
| समूह क | 8                     | -             | -               | 1                    | -                | -                 | -             | -               | -                | -   | -               | -               | -                | -   | -                   | -               | -                |
| समूह ख | 10                    | 1             | -               | -                    | -                | -                 | -             | -               | -                | -   | -               | -               | -                | -   | -                   | -               | -                |
| समूह ग | 19                    | 4             | 1               | 2                    | -                | -                 | -             | -               | -                | -   | -               | -               | -                | 1   | -                   | -               | -                |
| कुल    | 37                    | 5             | 1               | 3                    | -                | -                 | -             | -               | -                | -   | -               | -               | -                | 1   | -                   | -               | -                |

संगठन : सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीआईएसटीएटी)

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  |     | कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |                 |                  |     |               | अन्य विधियों द्वारा |     |               |                 |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|---------------|---------------------|-----|---------------|-----------------|
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति                                     | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति     | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1      | 2                     | 3             | 4               | 5                | 6   | 7                                                 | 8               | 9                | 10  | 11            | 12                  | 13  | 14            | 15              |
| समूह क | 3                     | 1             | -               | 2                | -   | -                                                 | -               | -                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| समूह ख | 29                    | 17            | 3               | 9                | 8   | 4                                                 | -               | 4                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| समूह ग | 98                    | 41            | 9               | 48               | 18  | 2                                                 | 3               | 13               | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| कुल    | 130                   | 59            | 12              | 59               | 26  | 6                                                 | 3               | 17               | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |

संगठन : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |     |               |                     |     |               |                 |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|---------------|---------------------|-----|---------------|-----------------|
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सीधी भर्ती द्वारा                                       |               |                 | पदोन्नति द्वारा  |     |               | अन्य विधियों द्वारा |     |               |                 |
|        |                       |               |                 |                  | कुल                                                     | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति     | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1      | 2                     | 3             | 4               | 5                | 6                                                       | 7             | 8               | 9                | 10  | 1 1           | 12                  | 13  | 14            | 15              |
| समूह क | 14                    | 1             | 0               | 0                | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| समूह ख | 9                     | 2             | 0               | 0                | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| समूह ग | 11                    | 2             | 0               | 2                | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |
| कुल    | 34                    | 5             | 0               | 2                | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -             | -                   | -   | -             | -               |

संगठन : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

| समूह   | 01.01.2019 को कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                      |                  |     | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |                 |                  |     |               |                 |               |                 |                  |     |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----|
|        |                                     |               |                 |                      |                  |     | सीधी भर्ती द्वारा                                       |                 |                  |     |               | पदोन्नति द्वारा |               |                 |                  |     |
|        | योग                                 | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित पिछड़ा वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग | योग | अनुसूचित जाति                                           | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | योग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | योग |
| 1      | 2                                   | 3             | 4               | 5                    | 6                | 7   | 8                                                       | 9               | 10               | 11  | 12            | 13              | 14            | 15              |                  |     |
| समूह क | 9                                   | 2             | 1               | 1                    | -                | -   | -                                                       | -               | -                | -   | -             | -               | -             | -               | -                | -   |
| समूह ख | 223                                 | 28            | 15              | 13                   | 20               | 2   | 0                                                       | 5               | 6                | 0   | 1             | 0               | 0             | 0               | 0                | 0   |
| समूह ग | 301                                 | 48            | 28              | 45                   | 65               | 8   | 8                                                       | 17              | 2                | 0   | 0             | 0               | 0             | 0               | 0                | 0   |
| कुल    | 533                                 | 78            | 44              | 59                   | 85               | 10  | 8                                                       | 22              | 8                | 0   | 1             | 0               | 0             | 0               | 0                | 0   |

संगठन : प्रवर्तन निदेशालय

| समूह | कर्मचारियों की संख्या<br>(31.03.2018 को) |      |      |     |                           | सीधी भर्ती<br>की गई नियुक्तियों की संख्या |      |     |     |      | पदोन्नति<br>की गई नियुक्तियों की संख्या |     |                           |      |      |     |    |    |
|------|------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------|-------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------|------|------|-----|----|----|
|      | कुल                                      | वीएच | एचएच | ओएच | अरक्षित सिकियों की संख्या | वीएच                                      | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच                                    | ओएच | अरक्षित सिकियों की संख्या | वीएच | एचएच | ओएच |    |    |
| 1    | 2                                        | 3    | 4    | 5   | 6                         | 7                                         | 8    | 9   | 10  | 11   | 12                                      | 13  | 14                        | 15   | 16   | 17  | 18 | 19 |
| 'क'  | 332                                      | -    | -    | -   | -                         | -                                         | 1    | -   | -   | -    | -                                       | -   | -                         | -    | 73   | -   | -  | -  |
| 'ख'  | 467                                      | -    | -    | -   | -                         | -                                         | 1    | 8   | -   | -    | -                                       | -   | -                         | -    | 91   | -   | -  | 1  |
| 'ग'  | 310                                      | -    | -    | 3   | -                         | -                                         | 4    | 6   | -   | -    | -                                       | -   | -                         | -    | 12   | -   | -  | -  |
| 'घ'  | -                                        | -    | -    | -   | -                         | -                                         | -    | -   | -   | -    | -                                       | -   | -                         | -    | -    | -   | -  | -  |
| कुल  | 1109                                     | -    | -    | 3   | -                         | -                                         | 6    | 14  | -   | -    | -                                       | -   | -                         | -    | 176  | -   | -  | 1  |

संगठन : राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

| समूह   | 31.3.2019 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |                 |               |                 |     |                     |                 |  |  |
|--------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|---------------------|-----------------|--|--|
|        | कुल                                       | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सीधी भर्ती द्वारा                                       |               |                 |                  | पदोन्नति द्वारा |               |                 |     | अन्य विधियों द्वारा |                 |  |  |
|        |                                           |               |                 |                  | कुल                                                     | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | अनुसूचित जाति       | अनुसूचित जनजाति |  |  |
|        | 2                                         | 3             | 4               | 5                | 6                                                       | 7             | 8               | 9                | 10              | 11            | 12              | 13  | 14                  | 15              |  |  |
| समूह क | 36                                        | 2             | -               | 4                | 3                                                       |               | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |  |  |
| समूह ख | 15                                        | -             | -               | 1                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |  |  |
| समूह ग | 23                                        | 4             | -               | 5                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |  |  |
| कुल    | 74                                        | 6             | -               | 10               | 3                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -   | -                   | -               |  |  |

संगठन : केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

| समूह   | 31.3.2019 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  |      | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |     |                               |                 |     |                                   |                 |
|--------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|-------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|
|        | कुल                                       | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य | कुल                                                     | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल | पदोन्नति द्वारा अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | अन्य विधियों द्वारा अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1      | 2                                         | 3             | 4               | 5                | 6    | 7                                                       | 8             | 9               | 10               | 11  | 12                            | 13              | 14  | 15                                | 16              |
| समूह क | 15                                        | 3             | 2               | -                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -                             | -               | -   | -                                 | -               |
| समूह ख | 30                                        | 4             | 2               | 6                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -                             | -               | -   | -                                 | -               |
| समूह ग | 20                                        | 9             | 2               | -                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -                             | -               | -   | -                                 | -               |
| कुल    | 65                                        | 16            | 6               | 6                | -    | -                                                       | -             | -               | -                | -   | -                             | -               | -   | -                                 | -               |

संगठन : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

|        | कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |               |                 |                  |                 |               |                 |                     |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
|        | कुल                   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सीधी भर्ती द्वारा                                       |               |                 |                  | पदोन्नति द्वारा |               |                 |                     |
|        |                       |               |                 |                  | कुल                                                     | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य विधियों द्वारा |
| समूह 1 | 2                     | 3             | 4               | 5                | 6                                                       | 7             | 8               | 9                | 10              | 11            | 12              | 13                  |
| समूह क | 11                    | 0             | 0               | 4                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                   |
| समूह ख | 9                     | 0             | 0               | 0                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                   |
| समूह ग | 20                    | 6             | 1               | 8                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                   |
| कुल    | 40                    | 6             | 1               | 6                | -                                                       | -             | -               | -                | -               | -             | -               | -                   |



संगठन : आयकर समझौता आयोग

| समूह   | 31.3.2019 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या |               |                 |                  |           | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |                 |                  |           |               |
|--------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
|        | कुल                                       | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल       | अनुसूचित जाति                                           | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | कुल       | अनुसूचित जाति |
| 1      | 2                                         | 3             | 4               | 5                | 6         | 7                                                       | 8               | 9                | 10        | 11            |
| समूह क | 27                                        | 3             | 1               | 0                | लागू नहीं | लागू नहीं                                               | लागू नहीं       | लागू नहीं        | लागू नहीं | लागू नहीं     |
| समूह ख | 55                                        | 2             | 4               | 2                | 0         | 0                                                       | 0               | 0                | 0         | 0             |
| समूह ग | 59                                        | 10            | 3               | 6                | 0         | 0                                                       | 0               | 0                | 0         | 0             |
| कुल    | 141                                       | 15            | 8               | 8                | 0         | 0                                                       | 0               | 0                | 0         | 0             |

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

संगठन : केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)

| समूह   | कर्मचारियों की संख्या       |      |      |     |      |     | सीधी भर्ती                  |      |      |     |      |     | पदोन्नति                    |      |      |     |      |     |
|--------|-----------------------------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------|------|-----|------|-----|
|        | आरक्षित रिक्तियों की संख्या |      |      |     |      |     | की गई नियुक्तियों की संख्या |      |      |     |      |     | आरक्षित रिक्तियों की संख्या |      |      |     |      |     |
|        |                             |      |      |     |      |     |                             |      |      |     |      |     |                             |      |      |     |      |     |
|        | कुल                         | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | ओएच | कुल                         | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | ओएच | कुल                         | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | ओएच |
| 1      | 2                           | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8                           | 9    | 10   | 11  | 12   | 13  | 14                          | 15   | 16   | 17  | 18   | 19  |
| समूह क | 30362                       | 0    | 0    | 0   | -    | 1   | -                           | 43   | 0    | 1   | 0    | 0   | 0                           | 0    | 0    | 0   | 0    | 0   |
| समूह ख | 10836                       | 12   | 47   | 51  | -    | 0   | -                           | 709  | 1    | 15  | 16   | 0   | 1                           | 1    | 387  | 0   | 1    | 6   |
| समूह ग | 41198                       | 39   | 61   | 57  | -    | 0   | -                           | 248  | 3    | 5   | 10   | 0   | 8                           | 7    | 128  | 0   | 0    | 0   |
| कुल    | 82396                       | 51   | 108  | 108 | -    | 1   | -                           | 1000 | 4    | 21  | 26   | -   | 9                           | 8    | 515  | 0   | 1    | 6   |

संगठन: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

| समूह                 | कर्मचारियों की संख्या      |      |      |     | सीधी भर्ती                  |     |      |      | पदोन्नति                   |      |     |      |                             |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|------|------|-----|-----------------------------|-----|------|------|----------------------------|------|-----|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | आरक्षित रक्तियों की संख्या |      |      |     | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |      |      | आरक्षित रक्तियों की संख्या |      |     |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |           |           |           |           |           |           |           |
|                      | कुल                        | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच                        | कुल | वीएच | एचएच | ओएच                        | वीएच | कुल | वीएच | एचएच                        | ओएच       |           |           |           |           |           |           |
| 1                    | 2                          | 3    | 4    | 5   |                             | 6   | 7    | 8    | 9                          | 10   | 11  | 12   |                             | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        |
| आईआरएस (आईटी) समूह ए | 4324                       | 3    | 17   | 59  |                             | 2   | 2    | 2    | 5*                         | 2    | 1** | 2    |                             | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| समूह ख               | 2881                       | 5    | 2    | 47  |                             | 1   | 1    | 1    | 4                          | 0    | 0   | 0    |                             | 18        | 8         | 16        | 175       | 1         | 1         | 2         |
| समूह ग               | 32835                      | 130  | 141  | 624 |                             | 96  | 84   | 128  | 1777                       | 13   | 28  | 49   |                             | 74        | 79        | 102       | 1669      | 18        | 11        | 81        |
| कुल                  | 40040                      | 138  | 160  | 730 |                             | 99  | 87   | 131  | 1786                       | 15   | 29  | 51   |                             | 92        | 87        | 118       | 1844      | 19        | 12        | 83        |

\* वर्ष 2018 में हुई नियुक्तियां। अधिकारी एनएडीटी प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं और ऊपर कॉलम 2 से 5 में उन्हें शामिल नहीं किया गया।

**\*\*डीओपीएंडी से एक अन्य व्यक्ति की प्रतीक्षा है।**

संगठन: राजस्व मुख्यालय

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |      |     | सीधी भर्ती                 |      |      |     |     |      | पदोन्नति                      |     |     |      |      |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|------|------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|------|-----|
|      |                       |      |      |     |      |     | आरक्षित रक्तियों की संख्या |      |      |     |     |      | नियुक्त किए गए पदों की संख्या |     |     |      |      |     |
|      |                       |      |      |     |      |     |                            |      |      |     |     |      |                               |     |     |      |      |     |
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | ओएच | कुल                        | वीएच | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच                          | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8                          | 9    | 10   | 11  | 12  | 13   | 14                            | 15  | 16  | 17   | 18   | 19  |
| 'क'  | 40                    | -    | -    | -   | -    | -   | -                          | -    | -    | -   | -   | -    | -                             | -   | -   | -    | -    | -   |
| 'ख'  | 316                   | 2    | 1    | 4   | -    | -   | -                          | -    | -    | -   | -   | -    | -                             | -   | -   | -    | -    | -   |
| 'ग'  | 331                   | 1    | 1    | 1   | -    | -   | -                          | -    | -    | -   | -   | -    | -                             | -   | -   | -    | -    | -   |
| कुल  | 687                   | 3    | 2    | 5   | -    | -   | -                          | -    | -    | -   | -   | -    | -                             | -   | -   | -    | -    | -   |

संगठन: सफेमा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |     | सीधी भर्ती                  |     |      |      |     | पदोन्नति                    |      |      |     |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|-----|-----------------------------|-----|------|------|-----|-----------------------------|------|------|-----|-----|
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | ओएच | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | वीएच | एचएच | ओएच | कुल |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6   | 7                           | 8   | 9    | 10   | 11  | 12                          | 13   | 14   | 15  | 16  |
| 'क'  | 4                     | -    | -    | -   | -   | -                           | -   | -    | -    | -   | -                           | -    | -    | -   | -   |
| 'ख'  | 1                     | -    | -    | -   | -   | -                           | -   | -    | -    | -   | -                           | -    | -    | -   | -   |
| 'ग'  | 10                    | -    | -    | -   | -   | -                           | -   | -    | -    | -   | -                           | -    | -    | -   | -   |
| 'घ'  | 5                     | -    | -    | -   | -   | -                           | -   | -    | -    | -   | -                           | -    | -    | -   | -   |
| कुल  | 20                    | -    | -    | -   | -   | -                           | -   | -    | -    | -   | -                           | -    | -    | -   | -   |

नोट:

- (i) वीएच दृष्टि से दिव्यांग का प्रतीक है (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
- (ii) एचएच श्रवण से दिव्यांग का प्रतीक है (क्षीण श्रवणशक्ति से पीड़ित व्यक्ति)
- (iii) ओएच शारीरिक दिव्यांग का प्रतीक है (चलने में असमर्थ या मस्तिक पक्षघात से पीड़ित व्यक्ति)

संगठन: गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति के संपहरण के लिए सक्षम प्राधिकारी

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |     | सीधी भर्ती                 |      |     |     |      | पदोन्नति                    |     |     |      |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|-----|----------------------------|------|-----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|------|-----|
|      |                       |      |      |     |     | आरक्षित शक्तियों की संख्या |      |     |     |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |     |      |     |
|      |                       |      |      |     |     |                            |      |     |     |      |                             |     |     |      |     |
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | ओएच | वीएच                       | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच                        | ओएच | कुल | वीएच | ओएच |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6   | 7                          | 8    | 9   | 10  | 11   | 12                          | 13  | 14  | 15   | 16  |
| 'क'  | 8                     | -    | -    | -   | -   | -                          | -    | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -   |
| 'ख'  | 10                    | -    | -    | -   | -   | -                          | -    | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -   |
| 'ग'  | 19                    | -    | -    | -   | -   | -                          | -    | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -   |
| कुल  | 37                    | -    | -    | -   | -   | -                          | -    | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -   |

नोट:

- (i) वीएच दृष्टि से दिव्यांग का प्रतीक है (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
- (ii) एचएच श्रवण से दिव्यांग का प्रतीक है (क्षीण श्रवणशक्ति से पीड़ित व्यक्ति)
- (iii) ओएच शारीरिक दिव्यांग का प्रतीक है (चलने में असमर्थ या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

संगठन: सीमा, शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीस्टेट)

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |                             | सीधी भर्ती                  |      |      |     |      | पदोन्नति                    |     |      |      |     |     |      |      |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------|------|-----|------|-----------------------------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | की गई नियुक्तियों की संख्या |      |      |     |      | आरक्षित रिक्तियों की संख्या |     |      |      |     | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
|      |                       |      |      |     |                             | कुल                         | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | एचएच                        | ओएच | वीएच | एचएच | ओएच |     |      |      |     |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6                           | 7                           | 8    | 9    | 10  | 11   | 12                          | 13  | 14   | 15   | 16  | 17  | 18   | 19   |     |
| 'क'  | -                     | -    | -    | -   | -                           | -                           | -    | -    | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| 'ख'  | -                     | -    | -    | 1   | -                           | -                           | -    | -    | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| 'ग'  | -                     | -    | -    | 5   | -                           | -                           | -    | -    | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| कुल  | -                     | -    | -    | 6   | -                           | -                           | -    | -    | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   | -   | -    | -    |     |

संगठन: सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग

| समूह | कर्मचारियों की संख्या      |      |      |     |   | सीधी भर्ती                  |     |     |      |     | पदोन्नति           |     |     |      |     |
|------|----------------------------|------|------|-----|---|-----------------------------|-----|-----|------|-----|--------------------|-----|-----|------|-----|
|      | आरक्षित सक्तियों की संख्या |      |      |     |   | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |     |      |     | सक्तियों की संख्या |     |     |      |     |
|      | कुल                        | वीएच | एचएच | ओएच |   | वीएच                        | कुल | ओएच | एचएच | ओएच | वीएच               | कुल | ओएच | एचएच | ओएच |
| 1    | 2                          | 3    | 4    | 5   | 6 | 7                           | 8   | 9   | 10   | 11  | 12                 | 13  | 14  | 15   | 16  |
| 'क'  | 14                         | 0    | 0    | 0   |   |                             |     |     |      |     |                    |     |     |      |     |
| 'ख'  | 9                          | 0    | 0    | 0   |   |                             |     |     |      |     |                    |     |     |      |     |
| 'ग'  | 11                         | 0    | 0    | 0   |   |                             |     |     |      |     |                    |     |     |      |     |
| कुल  | 34                         | 0    | 0    | 0   |   |                             |     |     |      |     |                    |     |     |      |     |

शून्य

नोट:

- वीएच दृष्टि से दिव्यांग का प्रतीक है (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
- एचएच श्रवण से दिव्यांग का प्रतीक है (क्षीण श्रवणशक्ति से पीड़ित व्यक्ति)
- ओएच शारीरिक दिव्यांग का प्रतीक है (वलने में असमर्थ या मस्तिक पक्षघात से पीड़ित व्यक्ति)



संगठन: केंद्रीय स्वापक ब्यूरो

| समूह | 01.01.2019 को कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |                          | सीधी भर्ती                |      |     |     |      |                             |     |      |      |     | पदोन्नति            |      |      |     |  |                             |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|------|------|-----|--------------------------|---------------------------|------|-----|-----|------|-----------------------------|-----|------|------|-----|---------------------|------|------|-----|--|-----------------------------|--|--|--|--|
|      | संख्या                              |      |      |     |                          | रिक्त पदों की संख्या नहीं |      |     |     |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |      |      |     | रिक्तियों की संख्या |      |      |     |  | की गई नियुक्तियों की संख्या |  |  |  |  |
|      | कुल                                 | वीएच | एचएच | ओएच |                          | वीएच                      | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच                        | ओएच | वीएच | एचएच | ओएच | कुल                 | वीएच | एचएच | ओएच |  |                             |  |  |  |  |
| 1    | 2                                   | 3    | 4    | 5   |                          | 6                         | 7    | 8   | 9   | 10   | 11                          | 12  | 13   | 14   | 15  | 16                  | 17   | 18   | 19  |  |                             |  |  |  |  |
| 'क'  | 9                                   | 2    | 1    | 1   | मंत्रालय द्वारा नियुक्ति |                           |      |     |     |      |                             |     |      |      |     |                     |      |      |     |  |                             |  |  |  |  |
| 'ख'  | 233                                 | 0    | 0    | 0   |                          | 1                         | 0    | 0   | 20  | 0    | 0                           | 0   | 0    | 0    | 0   | 0                   | 0    | 0    | 0   |  |                             |  |  |  |  |
| 'ग'  | 301                                 | 1    | 1    | 7   |                          | 0                         | 0    | 0   | 65  | 0    | 1                           | 2   | 0    | 0    | 0   | 2                   | 0    | 0    | 0   |  |                             |  |  |  |  |
| कुल  | 533                                 | 3    | 2    | 8   |                          | 1                         | 0    | 0   | 85  | 0    | 1                           | 2   | 0    | 0    | 0   | 8                   | 0    | 0    | 0   |  |                             |  |  |  |  |

संगठन: प्रवर्तन निदेशालय

| समूह | कर्मचारियों की संख्या<br>(31.03.2018 को) |      |      |     |      |     | सीधी भर्ती<br>की गई नियुक्तियों की संख्या |      |     |     |      |      | पदोन्नति<br>आरक्षित सक्तियों की संख्या |      |      |     |     |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |     |      |      |     |
|------|------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|-------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|----------------------------------------|------|------|-----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|------|------|-----|
|      | कुल                                      | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | ओएच | वीएच                                      | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच                                    | वीएच | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच                        | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| 1    | 2                                        | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8                                         | 9    | 10  | 11  | 12   | 13   | 14                                     | 15   | 16   | 17  | 18  | 19   |                             |     |     |      |      |     |
| 'क'  | 332                                      | -    | -    | -   | -    | -   | 1                                         | -    | -   | -   | -    | -    | -                                      | -    | 73   | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -    | -   |
| 'ख'  | 467                                      | -    | -    | -   | -    | -   | 1                                         | 8    | -   | -   | -    | -    | -                                      | -    | 91   | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -    | 1   |
| 'ग'  | 310                                      | -    | -    | 3   | -    | -   | 4                                         | 6    | -   | -   | -    | -    | -                                      | -    | 12   | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -    | -   |
| कुल  | 1109                                     | -    | -    | 3   | -    | -   | 6                                         | 14   | -   | -   | -    | -    | -                                      | -    | 176  | -   | -   | -    | -                           | -   | -   | -    | -    | 1   |

संगतन: अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर)

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |      | सीधी भर्ती         |     |     |      |      |     |     | पदोन्नति           |      |     |     |      |      |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|------|--------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|--------------------|------|-----|-----|------|------|-----|
|      | रक्तियों की संख्या    |      |      |     |      | रक्तियों की संख्या |     |     |      |      |     |     | रक्तियों की संख्या |      |     |     |      |      |     |
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | एचएच               | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | कुल | वीएच               | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6    | 7                  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12  | 13  | 14                 | 15   | 16  | 17  | 18   | 19   |     |
| 'ए'  | 11                    | -    | -    | -   | -    | -                  | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -                  | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| 'बी' | 7                     | -    | -    | -   | -    | -                  | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -                  | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| 'सी' | 22                    | -    | -    | -   | -    | -                  | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -                  | -    | -   | -   | -    | -    |     |
| कुल  | 40                    | -    | -    | -   | -    | -                  | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -                  | -    | -   | -   | -    | -    |     |

संगठन: आयकर निपटान आयोग

| समूह | कर्मचारियों की संख्या |      |      |     |     | सीधी भर्ती           |      |                             |     |      | पदोन्नति                    |     |      |                             |     |      |      |     |
|------|-----------------------|------|------|-----|-----|----------------------|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|------|-----|
|      |                       |      |      |     |     | रिक्त पदों की संख्या |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |      | आरक्षित स्थितियों की संख्या |     |      | की गई नियुक्तियों की संख्या |     |      |      |     |
|      | कुल                   | वीएच | एचएच | ओएच | ओएच | वीएच                 | एचएच | ओएच                         | कुल | वीएच | ओएच                         | ओएच | एचएच | वीएच                        | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| 1    | 2                     | 3    | 4    | 5   | 6   | 7                    | 8    | 9                           | 10  | 11   | 12                          | 13  | 14   | 15                          | 16  | 17   | 18   | 19  |
| ‘क’  | 27                    | -    | -    | -   | -   | -                    | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   |
| ‘ख’  | 55                    | -    | -    | -   | -   | -                    | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   |
| ‘ग’  | 59                    | -    | -    | -   | -   | -                    | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   |
| कुल  | 141                   | -    | -    | -   | -   | -                    | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -                           | -   | -    | -    | -   |

नोट:

- (i) वीएच दृष्टि से दिव्यांग का प्रतीक है (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)  
(ii) एचएच श्रवण से दिव्यांग का प्रतीक है (क्षीण श्रवणशक्ति से पीड़ित व्यक्ति)  
(iii) ओएच शारीरिक दिव्यांग का प्रतीक है (चलने में असमर्थ या मस्तिक पक्षघात से पीड़ित व्यक्ति)

वर्ष 2018 के दौरान संसद में प्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश

1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संबंध में क,ख एवं घ श्रेणी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) के लेखा-परीक्षा का मसौदा (डीएपी) सी एंड एजी कार्यालय से प्राप्त किए गए थे। मंत्रालय को सीएंडएजी से कोई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. मंत्रालय के सभी डीएपी अर्थात् 263 डीएपी (जहां उत्तर भेजे जाने हैं) पर मंत्रालय की टिप्पणियां और उत्तर सीएंडएजी कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सीएंडएजी कार्यालय को भेज दिए गए थे।

3. 2017 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सं. 42 तथा 2017 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सं. 43 को 19 दिसंबर 2017 को संसद में रखा गया था, इस वित्तीय वर्ष के दौरान समीक्षा पारस के उत्तर लेखा-परीक्षा को भेजे गए थे। हालांकि सभी ऑडिट पारस की 2017 की रिपोर्ट सं. 42 और 43 के संसंबंध में उत्तर (पहला एटीएन) पिछले वित्तीय वर्ष में भेजे गए थे।

4. इसके अलावा, यह कहा जा सकता है कि एटीएन को अंतिम रूप दिए जाने/सीएंडएजी द्वारा निपटाए गए, इसे सचिवों की समिति (सीओएस) के निर्देश पर वर्ष के दौरान मॉनीटरिंग सेल के एपीएमएस पोर्टल में नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) अनुभाग द्वारा किए गए कार्यों का सारांश

| ब्योरा                            | पीएसी अनुभाग (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर) द्वारा किए गए कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ओरल एवीडेंस अटेंडेंड              | <p>1. दिनांक 17.04.2018-2015 की ऑडिट रिपोर्ट सं. 46 के आधार पर "सीईएंडएसटी के स्वचालन का कार्य"</p> <p>2. दिनांक 22.06.2018-II (क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य रिकवरी सेल को मामलों का गैर हस्तांतरण) के संबंध में पैरा सं. 2.8.6 के संबंध में 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं 3 (अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)</p> <p>3. दिनांक 23.10.2018-2016 की रिपोर्ट सं. 10 के पैरा सं. 2.2,2.3,2.4 तथा पैरा सं. 4.1 से 4.3 (सेनरेट क्रेडिट स्कीम)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पीएसी दौरा                        | <p>1. दिनांक 20.04.2018 को चंडीगढ़ में 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 41 की 'बकाया की वसूली' रिकवरी सेल को मामलों का गैर-हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए अध्ययन दौरा।</p> <p>2. दिनांक 15.09.2018 को मुंबई में 'बीमा क्षेत्रों में सेवा कर देयता' पर 2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 4 पर चर्चा करने हेतु अध्ययन दौरा।</p> <p>3. दिनांक 26.11.2018 को हैदराबाद में "केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया की वसूली" तथा "केंद्रीय उत्पाद शुल्क में आंतरिक लेखा-परीक्षा को प्रभावशीलता" पर 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 3 के अध्याय II एवं III पर चर्चा करने के लिए अध्ययन दौरा।</p> <p>4. दिनांक 16.02.2019 को 2017 की लेख परीक्षा रिपोर्ट से. 3 के अध्याय 4 "नियमों और विनियमों का गैर-अनुपालन" पर मुंबई में लोक लेखा समिति (2018-19) का अध्ययन दौरा।</p> |
| लोकसभा को विस्तृत पृष्ठभूमि नोट्स | <p>1. 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 42 (अप्रत्यक्ष का-केंद्रीय उत्पाद शुल्क) पर मंत्रालय के डीबीएन को लोक सभा सचिवालय को भेज दिया गया।</p> <p>2. 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 43 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) पर मंत्रालय के डीबीएन को लोकसभा सचिवालय को भेज दिया गया।</p> <p>3. 2018 के दौरान किए गए 3 अध्ययन दौरों के संबंध में मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय को विस्तृत पृष्ठभूमि नोट अग्रेषित कर दिए।</p> <p>4. वर्ष 2018 के दौरान हुए 3 मौखिक साक्ष्यों के संबंध में मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय को अधतन विस्तृत पृष्ठभूमि नोट भेज दिए।</p> <p>5. सुप्रा के अलावा, पीएसी द्वारा मौखिक साक्ष्य के लिए और साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पीएसी द्वारा लिए गए विषय पर विस्तृत पृष्ठभूमि नोट को अपग्रेड किया गया है।</p>                                 |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लेखा-परीक्षा को पहला एटीएन भेजा गया                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सं. 42-अध्याय II प्लास्टिक एवं उससे बनी वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी एवं संग्रहण।</li> <li>2. 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 42-अध्याय- III तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी एवं संग्रहण ।</li> <li>3. 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 43 अध्याय- II वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग सेवाओं पर सेवा</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| लेखापरीक्षा के लिए भेजी गई कुल टिप्पणियां                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 'आयुक्तालयों, श्रेणियों और प्रभागों (सीडीआर) का समीक्षा पैरा ।</li> <li>2. मोटर वाहन क्षेत्रों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासनिक</li> <li>3. कार्य संविदाओं पर एसटी का उद्ग्रहण और संग्रह</li> <li>4. सेनवैट क्रेडिट योजना</li> <li>5. वीसीईएस, 2013</li> <li>6. सेवा कर में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता</li> <li>7. एसटी में बकाया की वसूली</li> <li>8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया की वसूली</li> <li>9. मनोरंजन क्षेत्र</li> <li>10. सेवा कर में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता</li> <li>11. तम्बाकू उत्पाद</li> <li>12. प्लास्टिक और सामान</li> <li>13. वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएँ</li> </ol>                                                                                                   |
| प्रारूप लेखापरीक्षा पैरा (डीएपी)                               | 263 डीएपी में से, जहां उत्तर भेजने की आवश्यकता थी, वहां समय सीमा के भीतर उत्तर भेजे गए थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वर्ष के दौरान अनंतिम रूप से व्यवस्थिति कुल समीक्षा किए गए पैरे | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. '2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.7 की प्लास्टिक और उसके सामान पर उत्पाद शुल्क पर समीक्षा</li> <li>2. 2015 की एसीईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 46</li> <li>3. 'व्यवसाय सहायक सेवा 2009-10 की लेखापरीक्षा सं. 24 पर सेवा कर की समीक्षा</li> <li>4. सेनवैट क्रेडिट योजना की 2010-11 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 30</li> <li>5. ' 2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 6 के रिफंड पर समीक्षा</li> <li>6. अध्याय IV - 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 2 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क में कर लेखांकन और सुलह</li> <li>7. ऑटोमोटिव सेक्टर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन</li> <li>8. सेवा कर में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता</li> <li>9. आयुक्तालयों, श्रेणियों और प्रभागों (सीडीआर) का समीक्षा पैरा</li> </ol> |

## केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

| पैरा सं. | 2018 की रिपोर्ट सं. 23 में सी एंड एजी की अभ्युक्तियां                                                                                                                                                         | मंत्रालय की टिप्पणियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2      | लेखापरीक्षा ने टैक्स नेट के बाहर कई कंपनियों पर ध्यान दिया । यह सुनिश्चित किए जाने हेतु आईटीडी के पास कोई तंत्र नहीं है कि सभी पंजीकृत कंपनियों के पास पैन है और वे नियमित रूप से अपने आईटीआर को भर रही हैं । | <p>कंपनी के समावेशन और पैन के आवंटन हेतु सामान्य आवेदन फॉर्म लागू किया गया है । कॉर्पोरेट कार्य-मंत्रालय (एमसीए) और आयकर विभाग (आईटीडी) के बीच एक इंटरफ़ेस विकसित किया गया है ताकि जब कंपनी को शामिल किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए, तो पैन के लिए आवेदन को आईटीडी के साथ स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाता है । जब पैन नई निगमित कंपनी को जारी किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से एमसीए को भेजा जाता है ।</p> <p>सचिव (राजस्व) ने सचिव (एमसीए) से अनुरोध किया है कि वह 12/07/2018 को आवश्यक कार्रवाई हेतु सीएजी रिपोर्ट के पैरा पर विचार करें ।</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | उच्च मूल्य अचल संपत्तियों के विक्रेताओं द्वारा आईटीआर भरने के अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु आईटीडी में प्रणाली प्रभावी नहीं थी।                                                                                    | वैध पैन के साथ उच्च मूल्य के लेनदेन के मामले में, अचल संपत्तियों के लेन-देन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पहचान गैर-फाइलकर्ता निगरानी प्रणाली (एनएमएस) के अंतर्गत संभावित गैर-फाइलकर्ताओं के रूप में की जाती है, जो मूल्यांकन लक्ष्य नियमों पर आधारित होते हैं। इन मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सत्यापित और मॉनिटर किया जाता है। वैध पैन के बिना उच्च मूल्य के लेनदेन के मामले में, गैर-पैन डेटा का आकलन जोखिम मूल्यांकन निदेशालय द्वारा किया जाता है और उच्च-जोखिम वाले मामलों को आगे और सत्यापन के लिए आई एंड सीआई के निदेशालय के साथ साझा किया जाता है। |
| 2.3.5 | आईटीडी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद के संबंध में संपत्ति के रजिस्ट्रार / उप-पंजीयक द्वारा एआईआर फाइल किए जाने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन कमजोर था।                                          | अप्रैल 2018 में एक नया समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल चालू किया गया है जिसमें बयान दर्ज करने और अपलोड किए जाने हेतु रिपोर्टिंग एंटीटीज (आरई) की आवश्यकता होती है। धारा 285खक के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्वों हेतु संभावित आरई और उसके प्रभावी अनुपालन की एक मास्टर सूची तैयार की गई है। एक जोखिम आधारित रिपोर्टिंग अनुपालन प्रबंधन को भी धारा 285खक के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु विकसित किया गया है।                                                                                                                                                         |
| 2.4   | आईटीडी प्रभावी रूप से अपने कर जाल को विस्तारित किए जाने हेतु अन्य तृतीय-पक्ष डेटा का उपयोग नहीं कर रहा था।                                                                                                              | बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार अचल संपत्ति की बिक्री / खरीद लेनदेन से संबंधित तीसरे पक्ष की जानकारी का एनएमएस के तहत विश्लेषण किया जाता है। इन मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल में बढ़ाया दिया जाता है। प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत सूचना साझा करने और उपयोग किए जाने के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3.5 | सामान्य रूप से कर अपवंचन के दृष्टिकोण से उच्चतम जोखिम की श्रेणी में होने के बावजूद और विशेष रूप से अचल संपत्ति क्षेत्र के इन लेनदेन के कारण गैर-पैन लेनदेन की निगरानी के लिए आईटीडी द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया था। | जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अचल संपत्ति की बिक्री / खरीद लेनदेन से संबंधित जानकारी का बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार एनएमएस के अंतर्गत विश्लेषण किया जाता है। इन मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल में डाल दिया जाता है। प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत सूचना साझा करने और उपयोग किए जाने के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3.6 | यह सुनिश्चित किए जाने हेतु आईटीडी में तंत्र की कमी थी कि अचल संपत्तियों की उच्च मूल्य बिक्री में शामिल व्यक्तियों ने कर के लिए पूंजीगत लाभ की पेशकश की।                                                                 | इसके अलावा, आई एंड सीआई के लिए आईटीबीए मॉड्यूल को विकसित किया जा रहा है ताकि कार्य-योग्य खुफिया रिपोर्ट का अधिकार क्षेत्राधिकार एओ को प्रसारित किया जा सके और साथ ही एओ द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया हो सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आई एंड सीआई द्वारा एकत्रित जानकारी का उपयोग राजस्व के रिसाव को रोके जाने हेतु किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.6 | यह सुनिश्चित किए जाने हेतु आईटीडी में तंत्र की कमी थी कि अचल संपत्तियों की उच्च मूल्य बिक्री में शामिल व्यक्तियों ने कर के लिए पूंजीगत लाभ की पेशकश की।                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4   | मूल्यांकन प्रभारों के बीच जानकारी जो राजस्व के रिसाव को प्लग किए जाने हेतु आवश्यक थी, को साझा करने में कमी थी।                                                                                                          | प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत सूचना साझा करने और उपयोग किए जाने के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5   | आईटीडी ने अचल संपत्ति क्षेत्र में अपने कर आधार को व्यापक बनाने के लिए सर्वेक्षण का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया।                                                                                                      | यह संभव है कि सर्वेक्षण मौजूदा निर्धारितियों के मामलों में किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि क्या लेखापरीक्षा पार्टियों को नए निर्धारितियों के विशिष्ट नाम मिले जो कि रिटर्न के लिए नोटिस जारी किए जाने के लिए उत्तरदायी थे लेकिन जो जारी नहीं किए गए थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3              | लेन-देन जहां बिक्री पर विचार नहीं किया गया है और स्टॉप ड्यूटी के उद्देश्यों के लिए अपनाए गए मूल्य से कम है, धारा 43गक/50ग के अंतर्गत और धारा 56(2) (vii) (ख) के अंतर्गत विक्रेताओं के हाथों में बिना कर के रह जाए, इस प्रकार इस प्रक्रिया में काला धन उत्पन्न होता है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बिना विचारण या अपर्याप्त विचारण के धन या संपत्ति प्राप्त करने के प्रक्रिया को रोकने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 में वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा संशोधन किया गया था और किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना विचाराधीन या अपर्याप्त विचार के, उसके दायरे में 50,000/- ₹. से अधिक की धनराशि या संपत्ति की रसीद शामिल किए जाने हेतु धारा के दायरे को विस्तारित किया गया था । यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को पहले ही अभिभाषित किया जा चुका है । |
| 4.3.1.1 से 4.3.1.2 | ऐसे मामलों में जहां शेयर उच्च प्रीमियम पर जारी किए गए थे, तो धन के स्रोतों के सत्यापन के लिए न्यायिक मूल्यांकन अधिकारियों के साथ सदस्यता संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई थी और यह आश्वासन प्राप्त किए जाने हेतु कि शेयर प्रीमियम के माध्यम से निर्धारिती द्वारा किसी बेहिसाब धन/स्वयं के धन की जानकारी नहीं दी गई थी । आईटीडी द्वारा उच्च प्रीमियम पर शेयरों के जारी किए जाने के औचित्य की जांच नहीं की गई क्योंकि शेयरों का उचित बाजार मूल्य बैलेंस शीट के अनुसार मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और इस प्रकार काले धन को समायोजित किए जाने हेतु खातों में हेरफेर से इंकार नहीं किया जा सकता है । | सीएजी द्वारा निदर्शित मामलों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही की गई कार्रवाई के नोट जमा किए जाएंगे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3.3.1            | चूंकि अचल संपत्ति कंपनियों की बैलेंस शीट में असुरक्षित ऋण के रूप में परिलक्षित धन के स्रोतों को आईटीडी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती के अधोषित / बेहिसाब धन की शुरुआत के रूप में असुरक्षित ऋण को लेखापरीक्षा में खारिज नहीं किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सीएजी द्वारा निदर्शित मामलों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही की गई कार्रवाई के नोट जमा किए जाएंगे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.5                | एओ धारा 69ग के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे, क्योंकि निराकरण जो कि निर्धारित आय में जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सीएजी द्वारा निदर्शित मामलों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही की गई कार्रवाई के नोट जमा किए जाएंगे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2.1              | भारत सरकार द्वारा आवास इकाइयों के आकार / सामर्थ्य के आधार पर ईडब्ल्यूएस / एलआईजी समूहों के लिए गृह परियोजनाओं को वर्गीकृत किए जाने हेतु मानदंडों की बहुलता है। ईडब्ल्यूएस और सोसाइटीज़ के एलआईजी खंड की आवास की बेहतर उपलब्धता के लिए धारा 80- आईबी (10) के अंतर्गत कटौती प्रदान किए जाने का उद्देश्य इस हद तक पूरा नहीं हो रहा था कि आवास इकाइयों की कीमतें इन लक्ष्य समूहों की पहुंच से बाहर थीं ।                                                                                                                                                                                                        | अधिनियम की धारा 80 - आईबी (10) के अंतर्गत कटौती 31 मार्च, 2013 से पहले किसी उपक्रम के विकास और निर्माण संबंधी आवासीय परियोजनाओं के मामले में उपलब्ध थी । चूंकि उक्त धारा के अंतर्गत कटौती को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए सुझाव किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा ।                                                                                                                                                                            |
| 5.2.2              | धारा 80-आईबी (10) के अंतर्गत कटौती की अनुमति दिए जाने हेतु शर्तों को लागू करना कमजोर था, जिससे गैर-पात्र व्यक्तियों/अनजाने समूहों द्वारा लाभ उठाया जा रहा था । इस प्रकार, लक्षित समूह लाभान्वित नहीं हो सके और सरकार द्वारा इस गणना पर साल दर साल राजस्व की कमी से अनजान व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अधिनियम की धारा 80 - आईबी (10) के तहत कटौती 31 मार्च, 2013 से पहले किसी उपक्रम के विकास और निर्माण संबंधी आवासीय परियोजनाओं के मामले में उपलब्ध थी । चूंकि उक्त धारा के अंतर्गत कटौती को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए सुझाव किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा ।                                                                                                                                                                                |



| क्र.सं. | वर्ष             | पैरा / पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर एटीएन को लेखापरीक्षा द्वारा विधीक्षा किए जाने के पश्चात् पीएसी को प्रस्तुत किया गया है | पैरा/पीए रिपोर्ट का विवरण, जिस पर एटीएन लंबित हैं        |                                                                                                                |                                                                                                                |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | लेखापरीक्षा वर्ष |                                                                                                                            | पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या | भेजे गए किंतु पर्यावलोकनों के साथ लौटाए गए तथा मंत्रालय द्वारा उनकी पुनःप्रस्तुति की प्रतीक्षार्थ एटीएन की सं. | लेखापरीक्षा द्वारा अनंतिम रूप से विधीक्षित लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या |
| 1.      | 2013             | 0                                                                                                                          | 0                                                        | 2                                                                                                              | 0                                                                                                              |
| 2.      | 2014             | 0                                                                                                                          | 0                                                        | 2                                                                                                              | 0                                                                                                              |
| 3.      | 2015             | 0                                                                                                                          | 0                                                        | 2                                                                                                              | 0                                                                                                              |
| 4.      | 2016             | 0                                                                                                                          | 0                                                        | 2                                                                                                              | 0                                                                                                              |
| 5.      | 2017             | 418                                                                                                                        | 0                                                        | 36                                                                                                             | 6                                                                                                              |
|         | <b>कुल</b>       | <b>418</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>44</b>                                                                                                      | <b>6</b>                                                                                                       |

यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-19 के अंत के अनुसार है।

### III एकीकृत वित्तीय इकाई (आईएफयू)

| क्र.सं. | वर्ष | पैरा/पीए रिपोर्ट का विवरण, जिस पर एटीएन लंबित हैं                                                                          |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | पैरा / पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर एटीएन को लेखापरीक्षा द्वारा विधीक्षा किए जाने के पश्चात् पीएसी को प्रस्तुत किया गया है | पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या | भेजे गए किंतु पर्यावलोकनों के साथ लौटाए गए तथा मंत्रालय द्वारा उनकी पुनःप्रस्तुति की प्रतीक्षार्थ एटीएन की सं. | लेखापरीक्षा द्वारा अनंतिम रूप से विधीक्षित लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या |
|         |      | <b>शून्य</b>                                                                                                               | <b>शून्य</b>                                             | <b>शून्य</b>                                                                                                   |                                                                                                                |





## निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

### I. कार्य

मौजूदा कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार विभाग हेतु शासनादेश इस प्रकार हैं:-

1. (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी नियोजन या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;

**टिप्पणी:** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

2. सामरिक विनिवेश सहित विनिवेश के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

3. विनिवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर(रें) से संबंधित सभी मामले।

4. (क) इक्विटी में सरकारी निवेश के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निर्णय लेना जैसे कि पूंजी पुनर्गठन, बोनस, लाभांश, सरकारी इक्विटी का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दे।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय पुनर्गठन के मामलों में तथा पूंजी बाजारों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना।

5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) से संबंधित विषय।

### II. दृष्टिकोण

(i) विनिवेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समृद्धि में हिस्सेदारी के लिए उनमें जनस्वामित्व को बढ़ावा देना।

(ii) आर्थिक विकास में तेजी लाने और उच्चतर व्यय हेतु सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सीपीएसईस में सरकारी निवेश का दक्ष प्रबंधन।

### III. लक्ष्य

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना ताकि सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से जन-स्वामित्व को बढ़ावा मिल सके और अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से सीपीएसईस की दक्षता में सुधार हो सके।

(ii) सामरिक विनिवेश के माध्यम से सीपीएसईस में संचालनात्मक दक्षता लाना ताकि अर्थव्यवस्था में उनका अधिक योगदान सुनिश्चित हो सके।

(iii) राष्ट्रीय हित में सीपीएसईस के वित्तीय प्रबंधन और सीपीएसईस के स्वामित्व में सार्वजनिक भागीदारी में विस्तार पर लक्षित विनिवेश हेतु एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना।

### IV. संगठनात्मक ढांचा

श्री अतनु चक्रवर्ती ने 21 मई, 2018 को सचिव, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) का पदभार ग्रहण किया। सचिव की एक अपर सचिव, 3 संयुक्त सचिवों और एक आर्थिक सलाहकार द्वारा सहायता की जाती है। विभाग डेस्क अधिकारी पद्धति पर कार्य करता है और विनिवेश संबंधी कार्य संयुक्त सचिव, निदेशक/ उप सचिव और अवर सचिव स्तरों पर किया जाता है।

2. विभाग का संगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट -I** में दिया गया है।

### V. सीपीएसईस के विनिवेश से संबंधित नीति तथा कार्य पद्धति

मौजूदा नीति में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) में जन-स्वामित्व के विकास की परिकल्पना की गई है ताकि जनता उनकी संपदा और समृद्धि में हिस्सेदारी कर सके और साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी इक्विटी 51% से कम न होने पाए और प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास रहे।

सीपीएसईस के विनिवेश से संबंधित मौजूदा नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति आम जनमानस के हाथों में रहे, सीपीएसईस में जन-स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए।

(ii) सूचीबद्ध सीपीएसईस में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश अर्थात् कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी।

- (iii) अभिज्ञात सीपीएसईस में सरकारी शेयरधारिता में से 50% या उससे अधिक एक सार्थक हिस्से की बिक्री के जरिए सामरिक विनिवेश के साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।
- (iv) उच्चतर आर्थिक विकास पर समग्र ध्यान केन्द्रित करने के साथ सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश का दक्ष प्रबंधन।

## विनिवेश हेतु कार्यपद्धति

### (क) अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश

05 नवंबर, 2009 को सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियों में विनिवेश करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना अनुमोदित की थी :-

- (i) ओएफएस: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध लाभ अर्जित करने वाले उद्यम, (जो अनिवार्य 10 प्रतिशत, जिसे संशोधित कर अब 25% कर दिया गया है, की सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते), उनको सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जाएगा;
- (ii) आईपीओ: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे असूचीबद्ध उद्यम जिनका संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा;
- (iii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा और सरकार इसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अपनी इक्विटी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है;
- (iv) विनिवेश के सभी मामलों पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा;
- (v) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करेगा और जिन मामलों में सरकारी इक्विटी की बिक्री की पेशकश आवश्यक हो, उनके प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (vi) एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) : ईटीएफ शेयरों की एक बास्केट होती है जो एक सूचकांक की संरचना को परिलक्षित करती है जैसे कि निफ्टी 50। ईटीएफ का ट्रेडिंग मूल्य उसके निहित उन शेयरों के निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित होता है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। नियमित ओपन एंडेड म्यूचुअल फंडों के विपरीत, ईटीएफ किसी अन्य शेयर की तरह पूरे व्यापारिक दिवस को खरीदा और बेचा जा सकता है।

सरकार दो ईटीएफ का संचालन करती है - (i) सीपीएसई-ईटीएफ जिसमें 11 सीपीएसईस के शेयर शामिल हैं और (ii) भारत-22 ईटीएफ जिसमें 16 सीपीएसईस के शेयर, 03 पीएसयू बैंकों के शेयर और 03 निजी क्षेत्र के शेयर (आईटीसी, एल एंड टी और एक्सिस बैंक) शामिल हैं।

दो अन्य ईटीएफ भी हैं जो काल्पनिक चरण पर हैं :

- (i) ऋण ईटीएफ
- (ii) वित्तीय क्षेत्र ईटीएफ

### (ख) सामरिक विनिवेश

- (i) नीति आयोग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) नीति आयोग सामरिक विनिवेश के लिए सीपीएसईस की पहचान करेगा और बिक्री की पद्धति, सीपीएसईस के बिक्री किए जाने वाले शेयरों की प्रतिशतता और सीपीएसईस के मूल्यांकन की पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा।
- (iii) विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल (सीजीडी) द्वारा नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा ताकि सामरिक विनिवेश के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा निर्णय लेने में सुविधा हो और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निगरानी हो सके।

### (ग) सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश का व्यापक प्रबंधन

- (i) आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार सीपीएसईस में अपने निवेश को एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मानती है और ईष्टतम प्रतिफल की प्राप्ति हेतु इन संसाधनों के दक्ष उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
- (ii) सरकार, महत्वपूर्ण परस्पर संबंधित मुद्दों जैसे कि नया निवेश आकर्षित करने के लिए परिसंपत्तियों में वृद्धि, पूंजीगत पुनर्गठन, वित्तीय पुनर्गठन आदि का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर इन उद्देश्यों को प्राप्त करेगी।
- (iii) सीपीएसईस में निवेशकों के भरोसे में सुधार करने के लिए उपयुक्त निवेश प्रबंधन रणनीति अपनाने और उनके बाजार पूंजीकरण को समर्थन देने हेतु, जो उनके विस्तार और विकास के लिए पूंजी बाजार से नया निवेश जुटाने के लिए आवश्यक होता है, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है।
- (iv) सीपीएसईस में निवेश का दक्ष प्रबंधन, सभी संबंधित मुद्दों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाकर और मामले में सुचारु अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

## VI. नीतिगत पहल और कार्यनिष्पादन

### “ विनिवेश” से “ निवेश” प्रबंधन दृष्टिकोण

- इस समय सरकार का मुख्य जोर सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन की ओर है जिसमें पूरा ध्यान सुसंगत दीर्घकालिक नीतियों के साथ-साथ दक्ष और प्रभावी संसाधन आबंटन के माध्यम से उच्चतर आर्थिक विकास पर केन्द्रित है।
- इस दर्शन पर आधारित बजट 2016-17 में सीपीएसईस के लिए ‘विनिवेश आधारित दृष्टिकोण’ से ‘निवेश आधारित दृष्टिकोण’ को अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। तदनुसार, विस्तारित अधिदेश के साथ विभाग का नाम बदलकर दीपम करना सीपीएसईस में अपने निवेश के प्रबंधन के लिए अपनी रणनीति के संबंध में सरकार की सोच में एक परिवर्तन का उदाहरण है।
- उपयुक्त रणनीतियां अपनाकर सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन का लक्ष्य निवेश प्रबंधन में पेशेवर दृष्टिकोण लाना, सीपीएसईस में निवेशकों के भरोसे में सुधार करना और उनके बाजार पूंजीकरण का समर्थन करना है जो उनके विस्तार और विकास के लिए नया निवेश जुटाने के लिए आवश्यक होता है।

## VII. हाल ही में विनिवेश में प्रवृत्तियां

तालिका 1 : हाल ही के वर्षों में विनिवेश सौदों में प्रवृत्तियां

| वर्ष       | संशोधित अनु.<br>(₹करोड़) | प्राप्तियां<br>(₹करोड़) | सौदों की सं. |
|------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 2014-15    | 26,353                   | 24,349                  | 8            |
| 2015-16    | 25,313                   | 23,997                  | 9            |
| 2016-17    | 40,000                   | 46,247                  | 24           |
| 2017-18    | 1,00,000                 | 1,00,057                | 36           |
| 2018-19    | 80,000                   | 84,972                  | 28           |
| <b>कुल</b> | <b>-</b>                 | <b>2,79,622</b>         | <b>105</b>   |

वर्ष 2004-14 के दौरान प्रतिवर्ष संपन्न किए गए सौदों की औसत संख्या 04 थी जबकि वर्ष 2015-19 के दौरान औसतन 21 सौदे प्रतिवर्ष संपन्न किए गए।

उपर्युक्त तालिका विनिवेश के प्रति और अधिक प्रभावशाली प्रयासों की ओर संकेत करती है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्ति में वृद्धि हुई और संपन्न सौदों की संख्या में वृद्धि हुई।

### (क) हाल ही के वर्षों में आईपीओ/ईटीएफ में बृहत् फुटकर भागीदारी

#### (i) आईपीओ

वर्ष 2017-18 के दौरान, 06 आईपीओ में फुटकर भागीदारी 17.9% थी जिसमें ₹24,040 करोड़ की कुल सब्सक्रिप्शन में से ₹4304 करोड़ का आबंटन किया गया था। फुटकर आबंटियों की संख्या 18.32 लाख थी।

इसकी तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ की गई 05 आईपीओ में ₹1914 करोड़ के कुल अर्थागम में से ₹449 करोड़ में किया गया फुटकर आबंटन का हिस्सा 23.4% था। फुटकर आबंटियों की संख्या 2.94 लाख थी।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कोई आईपीओ आरंभ नहीं की गई थी।

#### (ii) ईटीएफ

वर्ष 2018-19 में ईटीएफ की 04 खेपों में विनिवेश प्राप्ति के रूप में ₹45,080 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें फुटकर निवेशकों का हिस्सा ₹9800 करोड़ (21.7%) था। फुटकर आबंटियों की संख्या 6.34 लाख थी।

वर्ष 2017-18 में ईटीएफ की केवल एक पेशकश की गई थी जिससे विनिवेश प्राप्ति के रूप में ₹14,500 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें फुटकर निवेशकों का हिस्सा ₹2,712 करोड़ (18.7%) था। फुटकर आबंटियों की संख्या 3.26 लाख थी।

वर्ष 2016-17 में ईटीएफ की दो पेशकशों में ₹8,500 करोड़ की प्राप्ति हुई जिसमें 4.33 लाख फुटकर आबंटियों को किया गया फुटकर आबंटन ₹3766 करोड़ (44.3%) था।

### (ख) विनिवेश सौदों में सरकारी वित्तीय संस्थानों का योगदान

विनिवेश सौदों में सरकारी वित्तीय संस्थानों (एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई) के संयुक्त योगदान का विश्लेषण हाल ही के वर्षों में एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाता है। आईपीओ/ओएफएस/ईटीएफ में सरकारी वित्तीय संस्थानों को किया गया औसतन आबंटन इस प्रकार है :

वर्ष 2018-19 : ₹3,326 करोड़ और

वर्ष 2017-18 : ₹25,009 करोड़

### (ग) पिछले 05 वर्षों के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसईस के बाजार पूंजीकरण में सुधार

मई, 2014 की स्थिति के अनुसार 47 सीपीएसईस सूचीबद्ध थे। मई, 2019 में सूचीबद्ध सीपीएसईस की संख्या (सरकारी क्षेत्र की दो बीमा कंपनियों सहित) बढ़कर 59 हो गई।

बाजार पूंजीकरण के आंकड़ों के विश्लेषण की 01 मई, 2014 और 06 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलना की गई थी, जो प्राइम डाटाबेस द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित थी और जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया और जिससे यह पता चलता है कि जो 39 सीपीएसईस 01 मई, 2014 और 06 मई, 2019 को सूचीबद्ध थे, उनका समग्र बाजार पूंजीकरण ₹11,10,458.25 करोड़ से बढ़कर ₹12,82,918.94 करोड़ हो गया है जो 15.53% की वृद्धि दर्शाता है।

इन 05 वर्षों की अवधि के दौरान की गई विनिवेश संबंधी कार्रवाई के बावजूद इन 39 सीपीएसईस में से 15 में भारत सरकार की इक्विटी धारिता के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई है।

## VIII. वर्ष 2018-19 के दौरान विनिवेश की मुख्य बातें

चालू वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश के ₹80,000 करोड़ के संशोधित अनुमान के विरुद्ध कुल ₹84,972 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

### वर्ष 2018-19 में पद्धति-वार विनिवेश का कार्य निष्पादन

#### (i) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफएस)

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान फुटकर भागीदारी और कुल प्राप्तियों के संबंध में ईटीएफ सर्वाधिक सफल पद्धति/माध्यम साबित हुआ है। ईटीएफ एफएफओ की 4 खेप संपन्न की गई जो इस प्रकार हैं :

| ईटीएफ का नाम   | महीना       | प्राप्तियां (₹करोड़ में) |
|----------------|-------------|--------------------------|
| भारत-22        | जून, 2018   | 8,325                    |
| सीपीएसई-ईटीएफ  | नवंबर, 2018 | 17,000                   |
| भारत-22 ईटीएफ  | फरवरी, 2019 | 10,405                   |
| सीपीएसई-ईटीएफ* | मार्च, 2019 | 9,350                    |
| <b>कुल</b>     |             | <b>45,080</b>            |

(क) वर्ष 2018-19 में कुल मिलाकर ईटीएफ का योगदान कुल प्राप्तियों का लगभग 53.1% रहा।

(ख) विनिवेश के इतिहास में नवंबर, 2018 में संपन्न की गई सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ प्राप्तियों (₹17,000 करोड़) के संबंध में ईटीएफ की सबसे बड़ी खेप थी।

(ग) इसी प्रकार, फरवरी, 2019 में शुरू किये गये भारत -22 ईटीएफ से ₹3500 करोड़ की आधार पेशकश के विरुद्ध ₹50,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए। सरकार द्वारा केवल ₹10,405 करोड़ रखे गए।

#### (ii) आईपीओ

(क) वर्ष 2018-19 में पांच आईपीओ की शुरुआत की गई थी अर्थात् मिधानी, राइट्स, इस्कॉन, जीआरएसई और एमएसटीसी। इससे कुल ₹1914 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

(ख) 05 सीपीएसई का सूचीकरण होने से मार्च, 2019 के अंत तक सूचीबद्ध सीपीएसई की संख्या 58 हो गई।

#### (iii) ओएफएस

चालू वित्त वर्ष में केवल 01 अर्थात् कोल इंडिया का ओएफएस सौदा संपन्न किया गया जिससे ₹5218.30 करोड़ की प्राप्ति हुई। सीआईएल कर्मचारी ओएफएस से ₹17.33 करोड़ प्राप्त हुए।

#### (iv) वापस खरीद

वर्ष 2018-19 में सीपीएसई के शेयरों की वापस खरीद में सरकार की हिस्सेदारी विनिवेश की एक सफल पद्धति थी। वापस खरीद के 11 मामलों में विनिवेश प्राप्ति का इस प्रकार है :

| क्र.सं. | सीपीएसई का नाम | वापस खरीद प्राप्ति (₹करोड़ में) |
|---------|----------------|---------------------------------|
| 1.      | केआईओसीएल      | 205                             |
| 2.      | नालको          | 260                             |
| 3.      | एनएलसी         | 990                             |
| 4.      | कोचीन शिपयार्ड | 137                             |
| 5.      | भेल            | 992                             |
| 6.      | एनएचपीसी       | 398                             |
| 7.      | इंडियन ऑयल     | 2647                            |
| 8.      | ओएनजीसी        | 2510                            |
| 9.      | एनएमडीसी       | 769                             |
| 10.     | ऑयल इंडिया     | 721                             |
| 11.     | कोल इंडिया     | 1040                            |
|         | <b>कुल</b>     | <b>10,669</b>                   |

#### (v) सामरिक विनिवेश

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित सामरिक विनिवेश के 28 मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की गई और ये विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 03 कंपनियों नामतः (i) हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कार्पो. लि. (एचएससीसी लि.) (ii) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल) और (iii) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पो. लि. (एनपीसीसी लि.) की सामरिक बिक्री की जा चुकी है।

(ख) एचएससीसी को ₹285 करोड़ में एनबीसीसी इंडिया द्वारा अधिग्रहित किया गया था जबकि 04 पत्तनों के संघ द्वारा ₹1049 करोड़ में ड्रेजिंग कार्पोरेशन का अधिग्रहण किया गया।

(ग) वैपकोस द्वारा एनपीसीसी का अधिग्रहण ₹79.80 करोड़ में किया गया।

(घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पो. लि. (आरईसी) में भारत सरकार की इक्विटी का एक मुख्य सामरिक अधिग्रहण सौदा पावर फाइनेंस कार्पो. लि. (पीएफसी) द्वारा ₹14,500 करोड़ के बदले में संपन्न किया गया।

(ङ) हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) और हिंदुस्तान प्रीफेब लि. (एचपीएल) के "बंदीकरण" के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त किया गया था।

(vi) अन्य सौदे

- (क) एसयूयूटीआई के अधीन भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों में से वर्ष 2018-19 के दौरान एक्सिस बैंक के शेयरों का विक्रय कर ₹5379 करोड़ जुटाए गए।
- (ख) पहली बार, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के शुत्र संपत्ति अभिरक्षक के अधीन शेयरों का दैनिक आधार पर एक सुनियोजित ड्रिलिंग तंत्र के माध्यम से विक्रय किया गया जिससे ₹779 करोड़ जुटाए गए। यह सौदा अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहा।

**IX. 2018-19 के दौरान दीपम की नई पहलकदमियां :**

**1. परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान - नीति और प्रक्रिया :**

- (i) संस्थागत ढांचा दिनांक 08.03.2019 को अधिसूचित किया गया था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- (क) सामरिक विनिवेश के अधीन सीपीएसईएस की अभिज्ञात महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां।
- (ख) सीईपीआई, एमएचए की अभिरक्षा के अधीन शत्रु अचल संपत्तियां
- (ग) रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईएस सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियां।
- (ii) प्रक्रिया की निम्न प्रकार शुरुआत की गई :
- (क) वैकल्पिक तंत्र (एम), (सीजीएम), अंतर मंत्रालय दल (आईएमजी) और परामर्शदायी समूहों को अधिसूचित किया गया है।
- (ख) परिसंपत्ति मुद्रीकरण कोष्ठ के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति आरंभ की गई।
- (ग) पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजा गया।
- (घ) मुद्रीकृत की जाने वाली संभावित परिसंपत्तियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) वर्ष 2019-20 के दौरान संभावित मुद्रीकरण के लिए सामरिक विनिवेश के अधीन सीपीएसईएस की प्रस्तावित परिसंपत्तियों की सूची :

- (क) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. के 32 फ्लैट।
- (ख) स्कूटर्स इंडिया लि. की 90 एकड़ भूमि।
- (ग) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि. के 07 फ्लैट।
- (घ) एमटीएनएल के मोबाइल टावर।
- (ङ) गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई लगभग 11 शत्रु अचल संपत्तियां।

**2. ऋण ईटीएफ**

वित्त मंत्री के फरवरी, 2018 के बजट भाषण की एक घोषणा के अनुसार में दीपम भी ऋण ईटीएफ के सृजन की प्रक्रिया में है ताकि सीपीएसईएस अपने कुल सामर्थ्य को बढ़ाकर आंशिक रूप से अपनी पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ऋण/बॉण्ड बाजार तक पहुँच बनाने में सक्षम हो सकें। इस ऋण ईटीएफ के लिए सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की नियुक्ति की जा चुकी है।

**3. वर्ष 2019-20 के लिए योजना**

वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश का बजट अनुमान ₹90,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए, दीपम वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश की पारम्परिक पद्धतियों जैसे कि आईपीओ/ओएफएस आदि से भिन्न निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है;

- (i) परिसंपत्ति मुद्रीकरण;
- (ii) सामरिक विनिवेश; और
- (iii) बैंक ईटीएफ सहित थीम आधारित ईटीएफस।

**X. अशक्त व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए की गई पहल**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अशक्त व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ विभाग के कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-I और II में दी गई है।

**XI. जेण्डर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहल**

विभाग को आबंटित कार्य की प्रकृति में जेण्डर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।

**XII. राजभाषा नीति**

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभाग में एक सम्पूर्ण राजभाषा इकाई है। विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है।

**XIII. ई-गवर्नेन्स**

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अच्छे प्रशासन एक भाग के रूप में निम्नलिखित पहल की गई हैं :-

- (i) **ई-फाइलिंग** : यह विभाग ऐसी फाइलों पर कार्रवाई करता है जो प्रकृति में बहुत संवेदनशील हैं क्योंकि अधिकतर फाइलें विनिवेश सौदों और संबंधित मामलों से संबंधित हैं। इसके बावजूद विभाग ने ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए सघन प्रयास किए हैं और इसके परिणामस्वरूप विभाग में ई-फाइलों का प्रतिशत दिनांक 04.01.2019 को 35.08% से बढ़कर 23.05.2019 को 45.90% हो गया है।



(ii) विभाग की वेबसाइट ([www.dipam.gov.in](http://www.dipam.gov.in)) को नियमित आधार पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अद्यतित किया जाता है। वेबसाइट को भारतीय सरकारी वेबसाइटों हेतु दिशा-निर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन बनाया गया है।

(iii) पेट्रोल पैकेज का रखरखाव

(iv) फाइल ट्रेकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का रखरखाव

(v) निम्नलिखित वेब आधारित मॉनिटरिंग प्रणालियां कार्यरत हैं : -

1. राज्य सभा प्रश्न, उत्तर मॉनिटरिंग सिस्टम
2. लोक शिकायत सूचना प्रणाली
3. केंद्रीकृत निविदा/प्रक्योरमेंट मॉनिटरिंग प्रणाली : निविदाएं नियमित आधार पर वेबसाइट पर डाली जाती हैं और ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल में ई-प्रकाशन नियमित आधार पर किया जाता है।
4. भारत सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग प्रणाली (आरआरसीपीएस) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग पोर्टल)
5. आईएस अधिकारियों (संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे ऊपर), सीएसएस/सीएसएसएस अधिकारियों (अवर सचिव स्तर एवं उससे ऊपर) के लिए एपीएआर मॉनिटरिंग प्रणाली।
6. संवर्ग प्रबंधन प्रणाली (सीएसएस अधिकारियों के लिए)
7. पेंशन पोर्टल
8. आरटीआई वार्षिक विवरण सूचना प्रणाली
9. त्रै-मासिक रोलिंग प्लान
10. डाटा पोर्टल ([Data.gov.in](http://Data.gov.in))

#### XIV. लोक शिकायतों का निवारण

विभाग, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) का उपयोग कर रहा है। विभाग की वेबसाइट में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने का एक अंतर्निर्मित तंत्र भी है। इस प्रयोजन हेतु एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है।

#### महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में आन्तरिक शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में विशाखा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक

13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुपालन में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

#### XV. सतर्कता तंत्र

विभाग में एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को अंश-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

#### XVI. सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित पहलकदमियों की गई हैं -

- (i) एक आरटीआई कोष्ठ स्थापित किया गया है जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन एकत्रित करेगा, संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को आवेदन हस्तांतरित करेगा और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति तथा निपटान का त्रैमासिक विवरण केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम के खण्ड 4(1) (बी) के अनुपालन में, विभाग के कार्यों के साथ-साथ उनके निष्पादकों से संबंधित विवरण विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और इसको समय-समय पर अद्यतित किया जाता है।
- (iii) अधिनियम के खण्ड 5(1) के अधीन एक अवर सचिव को नोडल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक उप निदेशक तथा आठ अन्य अवर सचिवों को, उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मामलों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।
- (iv) संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके प्रभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

#### XVII. बेहतर प्रशासन के लिए पहलकदमियां

भारत सरकार की (कार्य-आबंटन) नियमावली, 1961 द्वारा प्रदान किए गए शासनादेश के अनुसार, विभाग किसी भी प्रकार की लोक सेवाएं प्रदान करने में शामिल नहीं होता और इस प्रकार इसका नागरिकों अथवा बड़े पैमाने पर जनता के साथ सीधा सम्पर्क नहीं होता है। तथापि, विभाग ने बेहतर प्रशासन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

❖ विलम्ब और भ्रष्टाचार की किसी गुंजाइश से बचने के लिए तथा बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए सौदा संबंधी बिलों के निपटान के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

### XVIII. लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां

विभाग में कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या लोक लेखा समिति के पैराग्राफ/आपत्तियां लंबित नहीं हैं।

### XIX. एकीकृत वित्त इकाई

एकीकृत वित्त इकाई, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करती है और निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन

विभाग की अनुदान संख्या - 32 के अधीन व्यय एवं बजट संबंधी उन प्रस्तावों पर कार्रवाई करती है, जिनमें सचिवालय सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं, जिनमें निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का स्थापना बजट शामिल होता है।

अनुदान संख्या - 32 के अधीन निम्नलिखित बजटीय आबंटन आते हैं :-

(₹करोड़ में)

| अनुदान संख्या                             | बजट अनुमान 2018-19 |              |       | संशोधित अनुमान 2018-19 |              |        |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|------------------------|--------------|--------|
|                                           | अयोजना             | आयोजना भिन्न | कुल   | अयोजना                 | आयोजना भिन्न | कुल    |
| 32- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग | —                  | 44.00        | 44.00 | —                      | 146.15       | 146.15 |

एकीकृत वित्त इकाई, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के वित्त एवं व्यय संबंधी सभी प्रस्तावों, जैसे कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/विदेशी दौरो आदि पर निगरानी रखती है।

विभाग की व्यय संबंधी प्रवृत्तियों की एकीकृत वित्त इकाई द्वारा सुसंगत मॉनिटरिंग की जाती है। वित्त संबंधी स्थायी समिति से संबंधित मुद्दों सहित बजट संबंधी सभी मामले इस इकाई के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

अनुबन्ध-I

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व

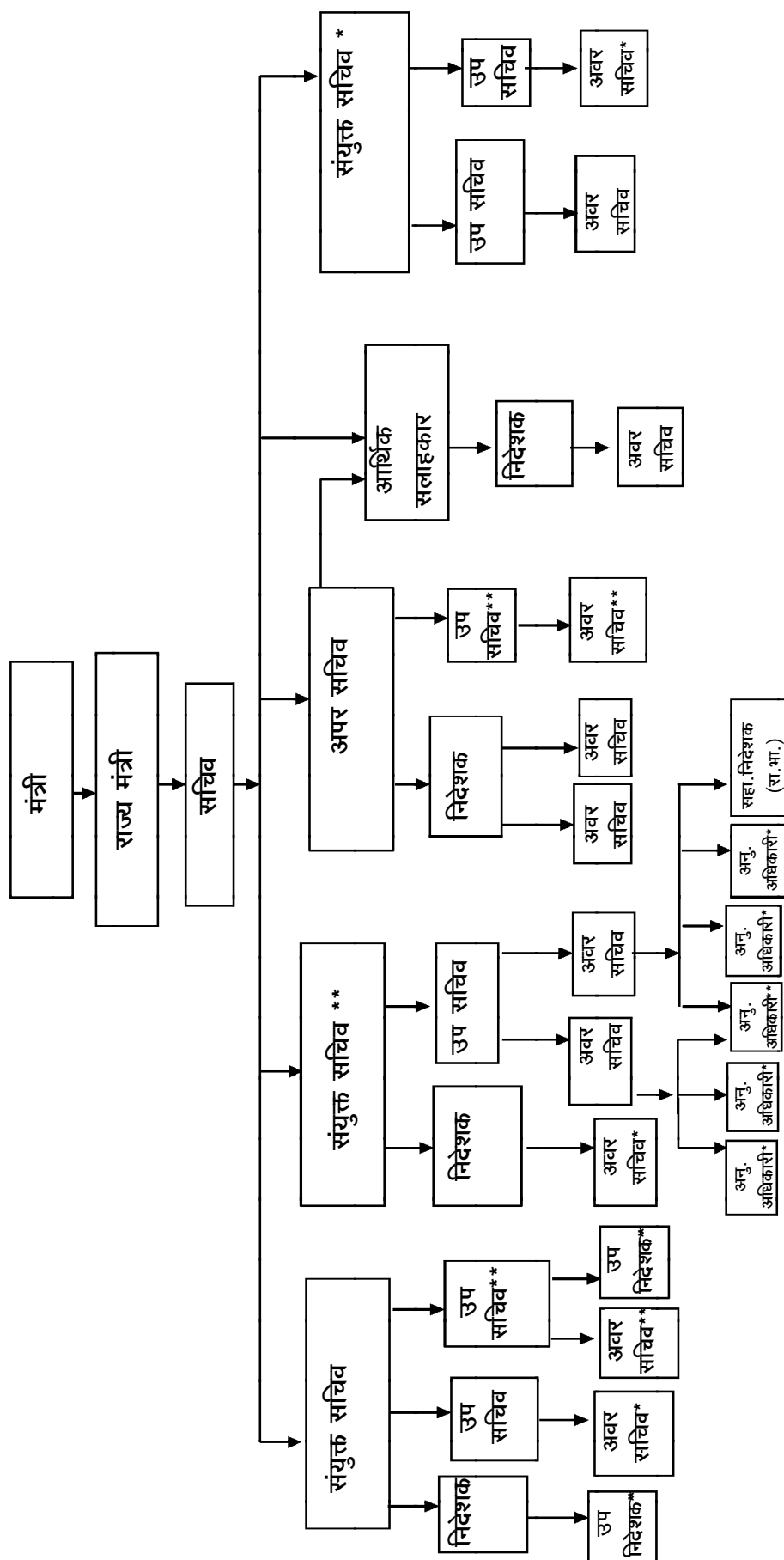
| समूह       | कर्मचारियों की संख्या  |           |          |          |          | पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |          |          |          |
|------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|            | (31.03.2019 के अनुसार) |           |          |          |          | सीधी भर्ती द्वारा                                      |          |          |          |          |
|            | कुल                    | अ.जा.     | अ.ज.जा.  | ओबीसी    | अ.जा.    | कुल                                                    | अ.जा.    | ओबीसी    | कुल      | अ.जा.    |
| क          | 27                     | 4         | 1        | 2        | 0        | 0                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ख          | 22                     | 4         | 1        | 1        | 0        | 0                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ग          | 12                     | 5         | 0        | 5        | 0        | 0                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>कुल</b> | <b>61</b>              | <b>13</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |

अनुबन्ध-II

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अशक्त व्यक्तियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व

| समूह       | कर्मचारियों की संख्या  |           |          |               |          |                                                        |          |               |          |                                       |
|------------|------------------------|-----------|----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|
|            | (31.03.2019 के अनुसार) |           |          |               |          | पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या |          |               |          |                                       |
|            | कुल                    | अ.जा.     | अ.ज.जा.  | अशक्त व्यक्ति | ओबीसी    | कुल                                                    | अ.जा.    | अशक्त व्यक्ति | ओबीसी    | अन्य पद्धतियों द्वारा (प्रतिनियुक्ति) |
| क          | 27                     | 4         | 1        | 0             | 2        | 0                                                      | 0        | 0             | 0        | 0                                     |
| ख          | 22                     | 4         | 1        | 0             | 1        | 0                                                      | 0        | 0             | 0        | 0                                     |
| ग          | 12                     | 5         | 0        | 0             | 5        | 0                                                      | 0        | 0             | 0        | 0                                     |
| <b>कुल</b> | <b>61</b>              | <b>13</b> | <b>2</b> | <b>0</b>      | <b>8</b> | <b>0</b>                                               | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2</b> | <b>0</b>                              |

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग  
संगठनात्मक ढांचा



\* रिक्त पद

**\*\* अधिकारी जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है**



## वित्तीय सेवाएं विभाग

### 1. अनुभागों के बीच कार्य आबंटन

#### 1.1 बैंकिंग परिचालन-I (बीओ-I)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष और कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन भत्ते और अन्य निबंधन एवं शर्तें, आरबीआई और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल का गठन, पदेन निदेशकों का नामांकन, कर्मकार कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति, पीएसबी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति।

#### 1.2 बैंकिंग परिचालन-II (बीओ-II)

निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में नीतिगत मामले तथा प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी)। वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी अधिनियम/विनियम/नियम जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, चिट फंड अधिनियम, 1982 तथा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 आदि और अन्य प्रकीर्ण अधिनियम/विधेयक, सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का अभिशासन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध (बैंकिंग, बीमा तथा पेंशन सुधार); वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ); संयुक्त निवेश निधि- ओमान- भारत निधि तथा भारत-सऊदी निधि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। डब्ल्यूटीओ तथा बार्डर बैंकिंग सुविधाएं। करेंसी चेस्टों की स्थापना करना; कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायालय परिसमापक का कार्यालय; आतंकवाद वित्तपोषण मामले। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। सीकेवाईसी से इतर केवाईसी से संबंधित सभी मामले। छद्म कंपनियों के बैंक खातों का परिचालन।

#### 1.3 बैंकिंग परिचालन-III (बीओ-III)

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक सेवा। इन संस्थानों में लोगों की शिकायतों जैसे चेकों के निपटान में देरी, ड्राफ्ट का भुगतान/जारी न किया जाना, डुप्लीकेट ड्राफ्ट को जारी न करना/जारी करने में देरी किया जाना, संस्थान के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार/गलत व्यवहार और परेशान किया जाना, मृतक के खातों का निपटान न किया जाना/निपटान में देरी, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में खातों का अंतरण न किया जाना/देरी किया जाना, नए खातों को न खोलना/खोलने में देरी किया जाना, ग्राहकों के स्थायी अनुदेशों की गैर-अनुपालना, परिपक्वता से पूर्व सावधि जमा राशियों का भुगतान न किया जाना, क्रेडिट कार्ड, एटीएम आदि से संबंधित मामलों सहित पेंशनभोगियों को भुगतान में देरी। सरकारी/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों से संबंधित डीएआरपीजी/डीपीजी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। सांसदों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों/पीएमओ से निजी क्षेत्र, विदेशी बैंकों के विरुद्ध प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें। बैंकिंग ग्राहक सेवा केन्द्र; बैंकिंग लोकपाल।

#### 1.4 बैंकिंग परिचालन एवं लेखा-II (बीओ-II)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यप्रणाली के संबंध में वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर इन्हें प्रस्तुत करना। पीएसबी में लेखा की पद्धति तथा अंतिम लेखा। पीएसबी के कार्य प्रतिफलों का अध्ययन तथा विश्लेषण। पीएसबी/एफआई के कर संबंधी मामले। पीएसबी द्वारा केन्द्रीय सरकार को अदा किया जाने वाला लाभांश। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की जाने वाली पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की संवीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई। पीएसबी की पूंजीगत पुनर्संरचना (PSE) तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों का सार्वजनिक निर्गम। यूएसएआईडी के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता अनुदान जारी करना। पीएसबी के बीच एवं पीएसबी तथा अन्य सरकारी विभागों/लोक उद्यमों (पीएसई) के बीच विवाद और मध्यस्थता। पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति। गोवा में पुर्तगाली बैंकों के अवशिष्ट मामले। बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोला जाना एवं इन कार्यालयों को अन्यत्र स्थापित करना। बैंकिंग परिचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जैसे लाइसेंस प्रदान करना, आमेसन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधि तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण, भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाएं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा बीआर अधिनियम और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकों से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों का अभिशासन।

#### 1.5 बैंकिंग परिचालन और लेखा-III (बीओ-III)

ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी)। सभी पीएसबी के एनपीए तथा समझौतों और एकबारगी निपटान सहित वसूली की निगरानी से संबंधित कार्य। संसदीय कार्य, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, शिकायतें तथा उपर्युक्त कार्यों से संबंधित अन्य मामले। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए राहत उपायों सहित एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियों (क्षेत्र विशिष्ट दबाव से इतर) से संबंधित सभी मामले। दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ)। बैंकों की लेखापरीक्षा, पीएसबी/एफआई के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और वेतन का निर्धारण। संसद में पीएसबी की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करना। पीएसबी द्वारा बैंक गारंटियां, साख पत्र तथा वचन/सुविधा पत्र तथा संबंधित शिकायतें। पीएसबी/आरबीआई का नागरिक घोषणा पत्र। परिसरों का अधिग्रहण/पट्टे पर देना/किराये पर देना/रिक्त करना, लोक परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपदा अधिकारी। भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन (आईडीसी तथा एफडीआई नीतिगत मामलों सहित)। बैंकिंग क्षेत्र सुधार (ईएसई

इंडेक्स तथा पीएसबी सुधार एजेंडा सहित)। एनबीएफसी तथा एनबीएफसी पर अपीलीय प्राधिकरण। धोखाधड़ियों तथा भगोड़ा अपराधियों सहित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुगतान सुरक्षा से इतर)। एनबीएफसी तथा सीआईसी से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों का प्रशासन। पूर्णकालिक निदेशकों की मंशा/प्रमुख कार्यनिष्पादन संसूचकों/कार्यनिष्पादन विश्लेषण की विवरणी।

## 1.6 कृषि ऋण (एसी)

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से संबंधित मामले, सहकारी बैंकों के बैंकिंग से संबंधित मामले, आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने के विरुद्ध शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपील के संबंध में नामोदिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालयीय सहायता, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के शिल्पकारों को बैंक ऋण।

## 1.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 से संबंधित विधायी मामले और इसके अंतर्गत नियम बनाना; आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन; आरआरबी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दिशानिर्देश; आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, आरआरबी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक का संशोधन; आरआरबी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सेवा विनियमन तथा पदोन्नति नियमावली।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार से संबंधित मामले; अजा/अजजा सहित कमजोर वर्गों को उधार; अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों को उधार; डीआरआई योजना।

## 1.7 वित्तीय समावेशन (एफआई)

वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य; न्यूनतम शेष जमा, नकदी परिचालन और डिजिटल भुगतान प्रभार; व्यापारियों को कार्ड से इतर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर लाना; डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों से संबंधित बैंकिंग मुद्दे; प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मिशन कार्यालय, विभिन्न उद्देश्यों हेतु समानुक्रमित वित्तीय समावेशन इनपुट और रिपोर्ट सहित व्यवसाय प्रतिनिधि तथा समृद्ध वित्तीय समावेशन मामले; ई-समीक्षा।

1.8.1 वित्तीय समावेशन - वित्तीय समावेशन प्रभाग से संबंधित बाह्य सहयोग; कार्ड स्वीकृति अवसंरचना; वित्तीय संस्थाओं में ई-गवर्नेंस; बैंक शाखा और एटीएम नेटवर्क; अग्रणी बैंक योजना, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां, राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समितियां तथा जिला स्तरीय समन्वय समितियां; डिजिटल भुगतानों सहित डिजिटल लेन-देनों के संवर्द्धन से संबंधित मामले, विशिष्ट रूप से आवंटित से इतर मामले; वित्तीय समावेशन निधि; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद; आरबीआई की वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति; लोक शिकायत निवारण, वित्तीय साक्षरता; वित्तीय समावेशन हेतु अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकी।

## 1.9 औद्योगिक संबंध (आईआर)

आईडीबीआई/आरबीआई सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सेवा संबंधी मामले; औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित मामले।

बैंकिंग उद्योग में पीएसबी तथा आरबीआई यूनियनों एवं संघों से संबंधित मानव संसाधन के मामले, बैंकों में स्थानांतरण, पदोन्नति तथा मानव संसाधन विकास की नीति का द्विपक्षीय निपटान, बैंक कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आईबी रिपोर्ट; विदेशों में स्थित शाखाओं में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते; मानव संसाधन सुधार।

## 1.10 समन्वय

पीएसबी के सीईओ के साथ वित्त मंत्री की बैठक; और क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन; सचिव (वित्तीय सेवाएं) की स्टाफ बैठक; वीआईपी संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ के निपटान की निगरानी और समीक्षा, आरबीआई के लंबित मामलों का समन्वय; अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसदीय प्रश्नों के लिए सामग्री को समेकित करना तथा उपलब्ध कराना; वीआईपी संदर्भ के संबंध में संसदीय प्रश्न; सचिव (वित्तीय सेवाएं) से मंत्रिमंडल सचिव को भेजा जाने वाला मासिक अ.शा. पत्र; सीपीआईओ, एसीपीआईओ, एए तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के आरटीआई मामलों का नोडल अनुभाग, वार्षिक रिपोर्ट आदि के लिए सीआईसी के साथ पत्राचार करना; वित्तीय सेवाएं विभाग की आरंभिक सामग्री को अद्यतन करना; वित्तीय सेवाएं विभाग के दो से अधिक प्रभागों से सम्बद्ध वीआईपी, पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय के संदर्भों का समन्वय।

## 1.11 स्थापना

भर्ती नियम, नियुक्तियां, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिनियुक्ति (विदेश सहित), प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएसयू, एसआईयू, कल्याण सहित वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित मामले; एफआर 56(ज) के अंतर्गत अधिकारियों की समीक्षा, आंतरिक सतर्कता, कर्मचारी शिकायत, पेंशन आदि अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का अग्रिम प्रदान करना, वकीलों की फीस का भुगतान, चिकित्सा दावा तथा सीजीएचएस मामलों का निपटान, परिवार कल्याण कार्यक्रम।

## 1.12 सामान्य प्रशासन (जीए)

हाउसकीपिंग, सफाई, भण्डारण, कैन्टीन, प्राप्ति एवं प्रेषण, पुस्तकालय, स्टाफ कार चालक, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों को वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद और कंप्यूटरों, प्रिंटरों और अन्य उपकरणों का रख-रखाव। वित्तीय सेवाएं विभाग के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों/जन सम्पर्क अधिकारी आदि को पहचान-पत्र उपलब्ध कराना।

### 1.12.1 रोकड़ - विभाग के रोकड़ और लेखा से संबंधित सभी कार्य।

## 1.13 संसद

संसद प्रश्न, नोटिस, स्वीकृत प्रश्न एकत्र करना और उन्हें चिह्नित करना तथा मंत्री महोदय से फाइल अनुमोदित कराना, मंत्रियों के पैड के लिए तथ्यों और उत्तरों को तैयार करना; संसद के संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण; लंबित आश्वासनों का लेखा-जोखा तथा अभिलेख रखना; 377 के अंतर्गत विशेष उल्लेख और संदर्भ तथा आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य सामग्री।

## 1.14 हिन्दी

सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, संसद प्रश्न, स्थायी समिति, बैठकों के कार्यवृत्त, हिंदी शिक्षण योजना तथा वित्तीय

सेवाएं विभाग की आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य विविध कार्य।

### 1.15 कल्याण अनुभाग (एससीटी)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती/पदोन्नति तथा कल्याण से संबंधित मामलों में सरकार की आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अजा.अजजा./ओबीसी के लिए आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण/जांच।

### 1.16 आंकड़ा विश्लेषण (डीए)

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति-व्यस्त मौसम - मंद मौसम और चयनात्मक ऋण नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय ऋण विश्लेषण; बैंक जमा तथा अग्रिमों के संबंध में बैंकिंग आंकड़े; बैंक जमाओं तथा अग्रिमों पर ब्याज दरें; आरबीआई, आईबीए, बैंकिंग सुधारों पर अध्ययनों से संबंधित प्रतिफल तथा महत्वपूर्ण सूचना को प्रदर्शित करना; भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संबद्ध अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण; वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति की रिपोर्टों का विश्लेषण आदि। सूचना प्रणाली - बैंकिंग उद्योग से संबंधित आंकड़ों का संग्रह तथा मिलान। परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी), आर्थिक सर्वेक्षण, परिणामी बजट, बजट उद्घोषणा और बजट संबंधित सभी मामले, पीएसी तथा सीएजी लेखापरीक्षा पैरे, विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री/राज्य मंत्री के भाषण।

### 1.17 औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I)

“निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981” का प्रबंधन तथा आईआईएफसीएल की व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तपोषण योजना (एसआईएफटीआई), एक्जिम बैंक, नीतिगत और बजटीय मामले, आईआईबीआई लि. को बंद करना और सम्बद्ध मामले, आईआईएफसीएल और आईएफसीआई लि., आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक, आईएफसीआई लि., आईडीएफसी लि. में पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी), गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) तथा सरकारी नामिती निदेशकों की नियुक्ति, एक्जिम बैंक में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, क्षेत्र विशिष्ट दबावग्रस्त आस्तियों के मामले, आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक, आईएफसीआई लि., आईआईबीआई लि. की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठक।

### 1.18 औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II)

सिडबी और एनएचबी में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित कार्य। एनएचबी तथा आवास नीति, लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई), सिडबी, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि, एमएलआई, ऋण गारंटी योजना तथा इस संबंध में अन्य संबंधित मामले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एनएचबी तथा सिडबी का नागरिक चार्टर। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं - पीएमईजीपी, शिक्षा, एसजेएसआरवाई की रोजगार सृजन योजना, एसजीएसवाई तथा गरीबी उन्मूलन के अन्य कार्यक्रम तथा अन्य

संबंधित मामले। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का प्रशासन। शिक्षा ऋण, राज्य वित्त निगम, नाबार्ड - सूक्ष्म वित्त एसएचजी बैंक लिंकेज, सूक्ष्म वित्त तथा अन्य संबंधित मामले, एनआरएलएम, एनयूएलएम (एसईपी), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और उन पर विधान, महिला एसएचजी, एनबीएफसी - एमएफआई, स्टैण्ड-अप इंडिया।

### 1.19 सतर्कता

सीवीसी/सीटीई से परामर्श; सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की नियुक्ति; सीबीआई के साथ पत्राचार; भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के संबंध में वार्षिक कार्य योजना; सीबीआई और आरबीआई द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की जांच; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामले; आरबीआई/पीएसबी/एफआई तथा बीमा कंपनियों, पीएफआरडीए तथा इरडाई में सतर्कता प्रणालियां तथा प्रक्रिया; पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी/पीएफआरडीए/इरडाई/आरबीआई के महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा उनपर सतर्कता निगरानी; पीएसबी में बड़ी धोखाधड़ी (भारत में तथा विदेश में) भ्रष्टाचार निरोधी उपायों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय का संदर्भ; बैंक सुरक्षा; बैंकों में डकैतियों और हानियों पर रोक; कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के मामले में अभियोजन की स्वीकृति; युद्ध पुस्तिका मामला; सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट; पीएसबी/एफआई में आचरण विनियम, पीएसबी में सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार विनियम, डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित सीवीसी/सीबीआई संदर्भ। वित्तीय सेवाएं विभाग, अभिरक्षक का कार्यालय के अधिकारियों तथा डीआरडी/डीआरएटी में सरकारी कार्मिकों के समस्त सतर्कता मामले।

### 1.20 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफआई) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) स्थापित करना; डीआरटी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाना अथवा उनमें संशोधन करना; डीआरटी/डीआरएटी में अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों, पंजीयकों, सहायक पंजीयकों, वसूली अधिकारियों तथा अन्य पदों को भरना; प्रशासनिक मामले/समीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश आदि जारी करना; डीआरटी/डीआरएटी द्वारा मामलों में प्रगति तथा उनके निपटान की निगरानी करना; डीआरटी द्वारा की गयी वसूली; डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित बजट प्रावधान, निगरानी आदि। सीकेवाईसी से संबंधित मामले। सरफासी अधिनियम, आरडीडीबीएफआई अधिनियम की निगरानी और संशोधन। एआरसी के मामले, सरसाई के पंजीयक/प्रबंध निदेशक और सीईओ की नियुक्ति, कारोबार करने में सरलता, केंद्रीय रजिस्ट्री।

### 1.21 बीमा-I

एलआईसी कारोबार - जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा; संसद में जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट प्रस्तुत करना; भारत में जीवन बीमा निगम की शाखाएं खोलना/बंद करना; एलआईसी में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति; एलआईसी में पीपी अधिनियम का प्रशासन तथा एलआईसी में सम्पदा मामलों से संबंधित संदर्भ, एलआईसी



का विदेश में संचालन, सहायक कंपनियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य जीवन बीमा योजनाओं के संबंध में संदर्भ; भारत सरकार द्वारा एलआईसी के अंतर्गत वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं, जैसे जनश्री बीमा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, वरिष्ठ बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना, अन्य सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, डाक जीवन बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा इनके लिए बजटीय प्रावधान करना; जीवन बीमा में सरकार द्वारा प्रायोजित/समर्थित सभी योजना; कोई अन्य जीवन बीमा या सामाजिक सुरक्षा उत्पाद/योजना प्रस्ताव; अन्य; बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110(ज) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण।

**निम्न समितियों के संबंध में समन्वय कार्य:** महिला कल्याण समिति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति।

**नियुक्तियां - एलआईसी** - एलआईसी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का चयन तथा नियुक्ति, एलआईसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति, एलआईसी की सहायक कंपनियों के पदेन सदस्यों की नियुक्ति; एलआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बाह्य प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमति; एलआईसी के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यपालकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक रोजगार हेतु अनुमति। **इरडा** - आईआरडीए के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, आईआरडीए के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें; आईआरडीए के बजट तथा निधियां; आदृत एजेंसियों से संबंधित अन्य मामले, नई कंपनियों की प्रविष्टि तथा आईआरडीए का विनियमन।

**सेवा संबंधी मामले** - सेवा संबंधी मामले, सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों में नियम तथा विनियम, सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा सेवा मामलों के संबंध में अभ्यावेदन, विकास अधिकारियों/एजेंटों/बिचौलियों की सेवा संबंधी मामले; एलआईसी/सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में वेतन संशोधन/बोनस/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति; पेंशन योजना का कार्यान्वयन/वाणिज्यिक रोजगार के संबंध में नीतिगत मामले, जीवन बीमा निगम लिमिटेड का नागरिक चार्टर।

## 1.22 बीमा-II

**शिकायत** एआईसीएल तथा आईआरडीए सहित सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के प्रति लोक शिकायत, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लोक शिकायत अधिकारियों की आवधिक बैठकें, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में आंतरिक लोक शिकायत निवारण तंत्र का कार्य; उपभोक्ता न्यायालय, लोकपाल, लोक अदालत, एमएसीटी तथा न्यायालयों, जैसे बाह्य शिकायत निवारण तंत्र का कार्य; बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110ज के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण। गैर-जीवन बीमा कंपनियों का नागरिक चार्टर।

**हाऊसकीपिंग:** बीमा प्रभाग में कम्प्यूटरों, फर्नीचर, फोटोकॉपियरों इत्यादि की देखभाल एवं रखरखाव, बीमा कंपनियों के स्टाफ तथा कार्यपालकों के लिए पहचान-पत्र।

**बीमा क्षेत्र सुधार** - बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित सभी मामले, बीमा अधिनियम, 1938 में सुधार संबंधी संशोधन, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, जीआईबीएनए, 1972, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा बीमांकन अधिनियम, 2006, विधि आयोग की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कार्यान्वयन।

**नियुक्तियां** - एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य कार्यपालकों के चयन से संबंधित मामले; एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बोर्ड में नियुक्ति; बीमा कार्यपालकों की संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति, एआईसीएल सहित गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के लिए अनुमति।

**साधारण बीमा** - एआईसीएल सहित साधारण बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा; एआईसीएल सहित सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की बीमा योजनाओं से संबंधित मामले और इनके संबंध में लेखापरीक्षा मामला; सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण; सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के सर्वेक्षक तथा एजेंटों से संबंधित संदर्भ; सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का विदेशों में संचालन; पुनर्बीमा से संबंधित संदर्भ, अन्य पक्ष प्रशासक, प्रशुल्क सलाहकार समिति; शाखाओं को खोलना/बंद करना; युद्ध जोखिम (नौसैनिक आवरण) पुनर्बीमा योजना 1976 का प्रशासन, विदेशी बीमा पॉलिसी के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने हेतु अनुमति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से संदर्भ; साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी)/एआईसीएल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; गैर-जीवन बीमा कंपनियों में पीपी अधिनियम का प्रशासन तथा इन कंपनियों में सम्पदा से संबंधित मामलों के संबंध में संदर्भ।

**समन्वय:** बजट तैयार करने, कर प्रस्ताव, बीमा के संबंध में बजट घोषणा, वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक भारतीय संदर्भ, आर्थिक सम्पादक सम्मेलन; प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय का संदर्भ, सीआईआई तथा एफआईसीसीआई, बीमा प्रभाग के आंतरिक मामले; बीमा कंपनियों में ई-भुगतान से संबंधित मामले, बीमा कंपनियों का कंप्यूटरीकरण।

**निम्नलिखित समितियों से संबंधित समन्वय कार्य** - वित्त संबंधी स्थायी समिति; अधीनस्थ विधायन समिति; याचिका समिति; लोक उद्यम समिति (सीओपीयू)।

**अन्य:** डब्ल्यूटीओ बहुपक्षीय/द्विपक्षीय समझौता; भारत तथा किसी अन्य देश के बीच अंतर-सरकारी समझौते। लेखापरीक्षा पैरा।

## 1.23 पेंशन सुधार (पीआर)

पेंशन सुधार का समन्वय तथा शुरुआत; नई पेंशन प्रणाली का शुभारंभ तथा राज्य सरकारों एवं असंगठित क्षेत्रों तक इसके कवरेज का विस्तार और सह-अंशदायी स्वावलंबन योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन; एक गैर-सांविधिक अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का सृजन तथा उससे संबंधित प्रशासनिक मामले; पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 तैयार करना और संसद से

इसे पारित कराना; गैर-सरकारी भविष्य निधियों, सेवानिवृत्ति निधियों और उपदान निधियों के लिए निवेश पैटर्न से संबंधित मामले।

### 1.24 आई. टी. प्रकोष्ठ

वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया पहल, एनआईसी इत्यादि के साथ समन्वय से संबंधित कार्य। संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट इंडेक्स एंड डिजिटल सर्विसेज, वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकीय समिति से संबंधित कार्य।

### 1.25 जीएसटी प्रकोष्ठ

जीएसटी लागू करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं की तैयारी की निगरानी करना, जीएसटी के संबंध में "बैंकिंग वित्त तथा बीमा" को सूचना प्रदान करना, जीएसटी पर राजस्व विभाग में संबंधित नोडल अधिकारी के साथ समन्वय कार्य, समन्वय से संबंधित अन्य मामले, वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संस्थाओं के संबंध में जीएसटी को आरंभ करने तथा लागू करने आदि।

### 1.26 सरप्लस प्रकोष्ठ

एएआईएफआर और बीआईएफआर के सरप्लस स्टाफ की पुनर्तैनाती, डीओपीटी से परामर्श, सरप्लस स्टाफ के कोर्ट केस से संबंधित कार्रवाई, सरप्लस स्टाफ के अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ, भत्तों इत्यादि सहित व्यक्तिगत मामलों समेत उनसे संबंधित दैनिक प्रशासनिक मामलों सहित सभी सेवा मामले।

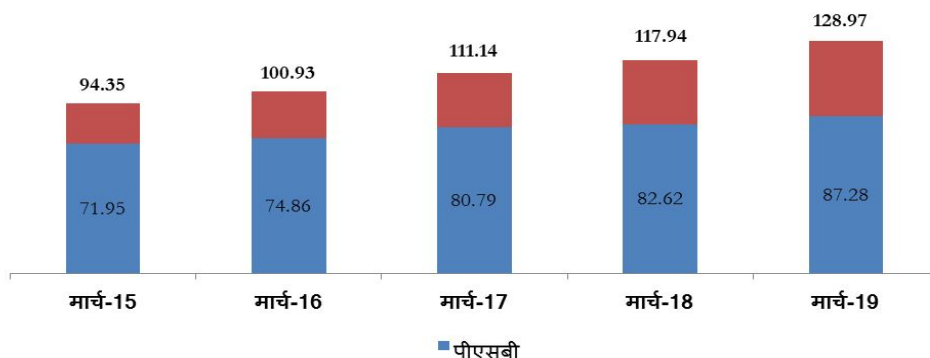
## कार्यनिष्पादन और प्रमुख विकास

### 2. भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विहंगम परिदृश्य:

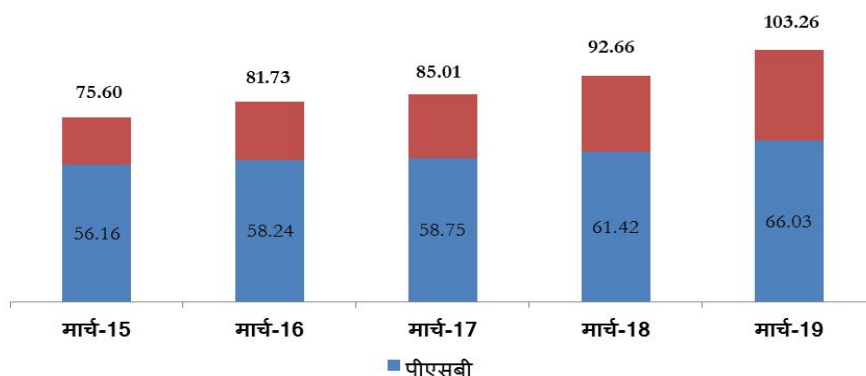
किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग उद्योग महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बचत और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। भारत में, बैंकों ने बैंकिंग रहित परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं तथा कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म-उद्यमों को औपचारिक ऋण आम जनता के वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका का निर्वहन किया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय बैंकिंग उद्योग का प्रमुख आधार हैं। पीएसबी और पीएसबी प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की व्यापक बाजार उपस्थिति है तथा वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के बैंक नेटवर्क के 78 प्रतिशत हैं। ग्रामीण स्थानों पर उनकी 87 प्रतिशत की भागीदारी इससे भी अधिक है। एससीबी की जमाराशियों के 70 प्रतिशत से अधिक तथा बकाया ऋण के 66 प्रतिशत भाग के साथ पीएसबी देश के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक निवेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार सापेक्ष रूप से पीएसबी (आईडीबीआई बैंक सहित 21 पीएसबी) की कुल जमाराशि 87.28 लाख करोड़ रुपए तथा कुल अग्रिम 66.03 लाख करोड़ रुपए हैं।

एससीबी/पीएसबी - जमाराशियां (राशि लाख करोड़ रुपए में)



एससीबी/पीएसबी - अग्रिमों (राशि लाख करोड़ रुपए में)



ग्रामीण और अर्द्धशहरी (आरयूएसयू) स्थानों पर 88 प्रतिशत बचत खाता जमाशायियों और बकाया ऋण के 81 प्रतिशत के साथ उनकी भागीदारी और भी अधिक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में पीएसबी और आरआरबी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनका योगदान छोटे और सीमान्त किसानों को बकाया ऋण में 74 प्रतिशत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया ऋण का 65 प्रतिशत तथा शिक्षा ऋणों का 95 प्रतिशत है। बकाया ऋण के 73 प्रतिशत के भाग के साथ पीएसबी दीर्घावधिक ऋण (5 वर्ष से अधिक अवधि) के भी मुख्य प्रदाता हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक निवेश को उपलब्ध कराने में पीएसबी महत्वपूर्ण हैं।

## 2.1 बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां:

भारत में बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त रूप से एक दीर्घावधि से कठिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में परिचालनरत है। इसने, आमतौर पर बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, आय और पूंजी पर्याप्तता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

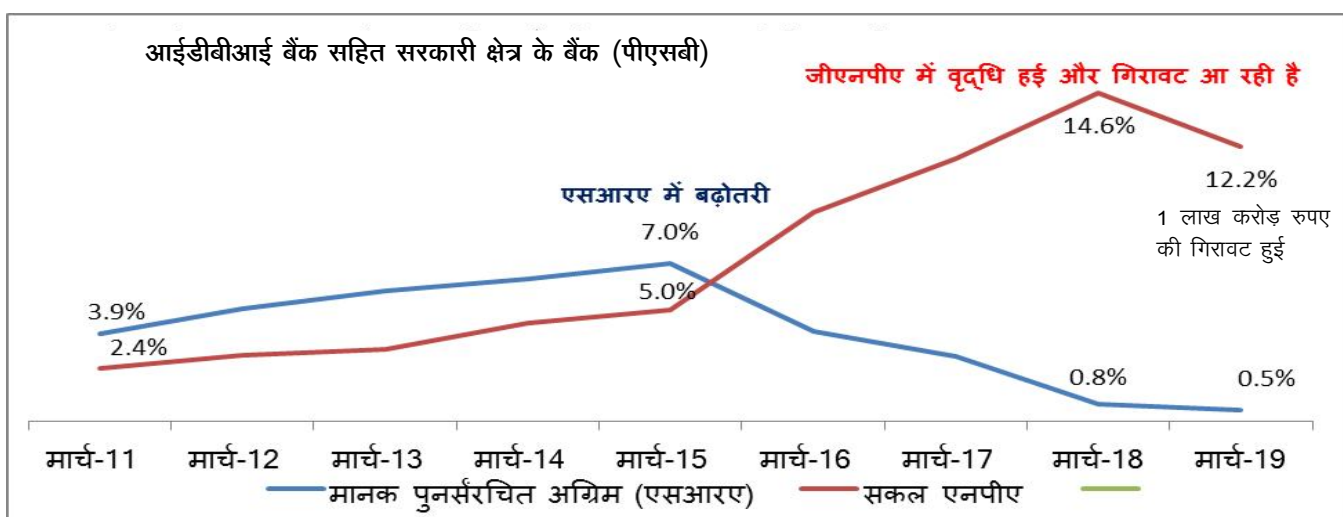
## 2.2 कायान्तरण (परिवर्तन) करने के लिए किए गए उपाय:

वे उपाय जिनके परिणामस्वरूप कायान्तरण हुआ है, को

व्यापक रूप से सरकार की 4आर की कार्यनीति - पहचान, समाधान व वसूली, पुनर्पूँजीकरण और सुधार में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 18 की चौथी तिमाही में केवल 2 लाभदायक पीएसबी की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 की चौथी तिमाही में 5 पीएसबी ने लाभ दर्ज किए हैं। पीएसबी में एनपीए हेतु प्रावधानीकरण अब 74.2 प्रतिशत की अच्छी स्थिति में है, नए रिसावों (स्लिपेज) में पर्याप्त रूप से कटौती हुई है तथा एक समग्र पीएसबी सुधार पैकेज की शुरुआत की गयी है।

### 2.2.1 एनपीए की पारदर्शी रूप से पहचान करना:

सहिष्णुता समाप्त कर दी गयी है तथा एक्यूआर के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पहचान करना अब अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया गया है (पीएसबी की एसआरए मार्च 2015 में 7 प्रतिशत के शिखर से घटकर मार्च 2019 में 0.52 प्रतिशत हो गयी) इससे पहचान न किए गए दबावग्रस्त खातों के कारण प्रभाव समाप्त हो गया है। पीएसबी का सकल एनपीए मार्च 2018 में, 8.96 लाख करोड़ रुपए अर्थात् सकल अग्रिमों का 14.58 प्रतिशत, सर्वोच्च था जो कि अब चालू वित्तीय वर्ष में 89,189 करोड़ रुपए की कटौती दर्ज करते हुए सतत रूप से घटकर मार्च 2019 में 8.06 लाख करोड़ रुपए अर्थात् सकल अग्रिमों का 12.21 प्रतिशत हो गया है।



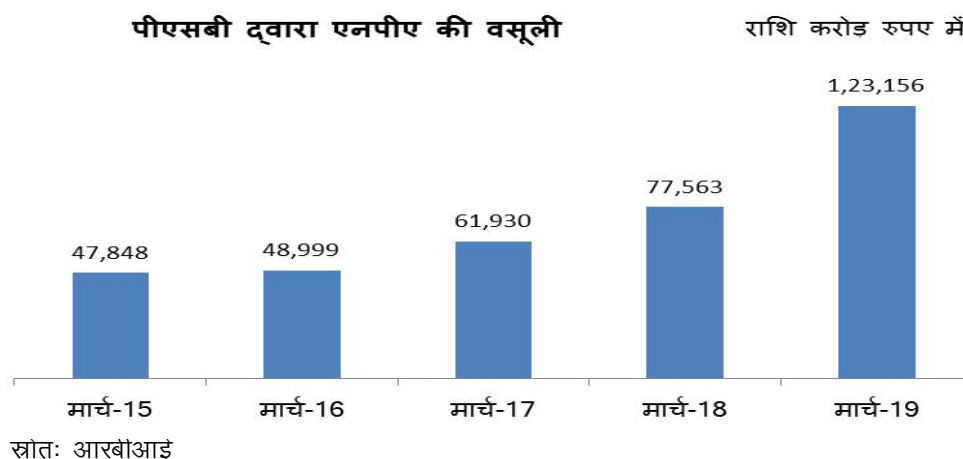
स्रोत: आरबीआई

इसके अतिरिक्त, मार्च 2015 से दिसम्बर 2018 तक पीएसबी द्वारा अकेले 8.12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के बावजूद मार्च 2014 से 3.20 लाख करोड़ रुपए के पुनर्पूँजीकरण ने इस अवधि के दौरान उनके तकनीकी रूप से बड़े खाते डाले खातों के मार्च 2015 में 46 प्रतिशत से मार्च 2019 में 74.2 प्रतिशत तक होकर इस अवधि के दौरान 28.2 प्रतिशत बढ़ने सहित उनके प्रावधान कवरेज अनुपात को सक्षम बनाया है।

### 2.2.2 दबावग्रस्त खातों का समाधान तथा उनसे धन वसूल करना:

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) का अधिनियमन किया गया है, जिसने कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारम्भ होते ही कारपोरेट उधारकर्ता के कार्यों के प्रबंधन

प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इसके साथ इरादतन चूककर्ताओं और एनपीए खातों से जुड़े हुए व्यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से वंचित रखने ने उधारदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया है। पहले से ही रिकॉर्ड वसूली के साथ बैंकिंग प्रणाली का लगभग एक तिहाई जीएनपीए जो कि लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषित एक्सपोजर है (दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार), राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण में समाधान के विभिन्न स्तरों पर है तथा आईडीबीआई बैंक सहित पीएसबी ने मार्च 2015 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान 3.59 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1.23 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली शामिल है।



### 2.2.3 बैंकों का पुनर्पूँजीकरण करना:

भारत सरकार ने सरकार द्वारा पूंजी निवेश और बैंकों द्वारा बाजारों से पूंजी जुटाने के माध्यम से पीएसबी में 2.11 लाख करोड़ रुपए के पुनर्पूँजीकरण की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 41,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2017 से आज की तारीख तक पीएसबी 1.94 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा वित्तीय वर्ष 18 तथा वित्तीय वर्ष 19 में बाजार से 63,196 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटायी गई है। बैंकों को मार्च 2014 से कुल 3.20 लाख करोड़ रुपए की राशि से पुनर्पूँजीकृत किया गया है।

### 2.2.4 सुधार एजेंडा:

जबकि पहले तीन आर ने बैंकों के तुलन-पत्रों को स्वच्छ किया है, सुधारों के चौथे आर ने मूलभूत कारणों को दूर करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन किया है ताकि अत्यधिक दबाव के फिर से होने के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। सुधार पीएसबी में प्रमुख क्षेत्रों - अभिशासन, विवेकपूर्ण उधार, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी-चलित जांच और नियंत्रण तथा बढ़ी हुई पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) - के साथ-साथ व्यापक वित्तीय ईको-सिस्टम में पारदर्शिता और जबाबदेही को समग्र रूप से अपने आवरण में लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीएलईएएन (क्लीन ऋण, डाटा का उपयोग, जबाबदेही सुनिश्चित करना, चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, एनपीए वसूली) और एसएमएआरटी (तीव्र, बहुआयामी पहुँच, उपलब्ध और वहनीय, संवेदनशील तथा प्रौद्योगिकी में उन्नत) बैंकिंग प्राप्त होगी। जनवरी 2018 में सरकार और पीएसबी ने एक साझा पीएसबी सुधार एजेंडा पर संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा शुरुआत की थी।

### 2.3 सरकार के उपायों का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:

#### 2.3.1 नयी स्लिपेज में घटोत्तरी

विवेकपूर्ण उधार और बेहतर हामीदारी के साथ-साथ शीघ्र चेतावनी संकेतकों के उपयोग से बेहतर निगरानी के परिणामस्वरूप पीएसबी (आईडीबीआई को छोड़कर) के नए स्लिपेज वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.9 लाख करोड़ रुपए से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गयी।

#### 2.3.2 बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर आए:

सुधारों के परिणामस्वरूप कमजोर बैंकों में प्रणालीगत सुधार

हुए, सुधार एजेंडा के अंतर्गत सर्वोत्तम उपायों को अपनाने से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत डाले गए बैंकों ने अपने तुलनपत्रों को डिलिवरेज किया, उधार कार्यों में सुधार किया तथा वसूली में तीव्रता आयी। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले पांच पीएसबी पीसीए बंदिशों से मुक्त हुए। वे पांच पीएसबी जो पीसीए से बाहर आए हैं, को एक साथ शामिल करते हुए निवल एनपीए मार्च 18 में 9.4 प्रतिशत से लगभग 380 बीपीएस घटकर मार्च 19 में 5.6 प्रतिशत हो गया तथा अग्रिमों पर ऋण आरडब्ल्यूए अनुपात 73.8 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत घटकर 67.0 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार जोखिम में कटौती हुई तथा उसी समय उसी अवधि के दौरान 210 बीपीएस के सुधार के साथ सीआरएआर 11.0 प्रतिशत से 13.1 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार उनके पूंजी आधार में वृद्धि हुई।

### 2.4 आकार और सहक्रियशीलता के सृजन हेतु समामेलन:

4आर की कार्यनीति के परिणामस्वरूप बैंकों का आस्ति वर्गीकरण प्रावधान कवरेज और पूंजी स्थितियों का अब अभिसरण हो रहा है तथा कमजोर और सशक्त बैंकों के बीच अंतर कम हुआ है, जिससे बैंकों को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से आकार और सहक्रियाशीलता लाभ का उपयोग करने की सम्भावना में सुधार हुआ है। इसने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन, जो कि भारत के दूसरे सबसे बड़े पीएसबी का सृजन करेगा, को सुकर बनाया है। पूर्व में दिनांक 1.4.2017 को भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में समामेलन किया गया था।

### 2.5 आईडीबीआई बैंक में सरकार के स्टैक को कम करना:

आईडीबीआई बैंक में सरकार की स्टैक होल्डिंग को 50 प्रतिशत से कम किया गया है तथा अब भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंक में दीर्घ स्टैक होल्डर बन गया है।

### 3. वित्तीय समावेशन:

सरकार ने बैंकिंग रहित को बैंकिंग सेवा, असुरक्षितों को सुरक्षा, अविश्वसनीयता का विश्वसनीयता तथा असेवित व अंतरसेवित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के दिशानिर्देशों सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक बैंकिंग रहित परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2014 में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन नामतया प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की थी।

### 3.1 बैंकिंग तक पहुँच:

बैंकिंग सेवा बिन्दु: पीएमजेडीवाई ने 6 लाख से अधिक गांवों को 1.6 लाख उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बाँटते हुए समस्त ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवा बिन्दु प्रदान करने का लक्ष्य रखा। प्रत्येक एसएसए में 1,000-1,500 परिवार होते हैं। 1.6 लाख एसएसए में 1.3 लाख एसएसए को अंतरपरिचालनीय, ऑनलाइन बीसी के माध्यम से कवर होते हैं तथा शेष 30,000 बैंक शाखाओं के माध्यम से कवर

होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात बीसी अंतरपरिचालनीय आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।

वर्षों के दौरान बैंक शाखाओं और एटीएम में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। निम्नलिखित तालिकाएं बैंक शाखाओं, एटीएम की संख्या दर्शाती हैं:

**तालिका 1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं की संख्या दर्शाने वाली तालिका:**

| की स्थिति के अनुसार | ग्रामीण | अर्द्धशहरी | शहरी   | महानगरीय | कुल     |
|---------------------|---------|------------|--------|----------|---------|
| 31.03.2014          | 41,862  | 32,590     | 20,828 | 22,544   | 117,824 |
| 31.03.2015          | 45,118  | 34,963     | 22,354 | 24,058   | 126,493 |
| 31.03.2016          | 48,244  | 37,647     | 23,944 | 25,610   | 135,445 |
| 31.03.2017          | 49,820  | 39,059     | 24,977 | 26,655   | 140,511 |
| 31.03.2018          | 50,735  | 39,694     | 25,377 | 26,887   | 142,693 |
| 31.12.2018          | 51,030  | 40,166     | 25,655 | 27,148   | 143,999 |

स्रोत: आरबीआई

**तालिका 2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों के एटीएम की संख्या दर्शाने वाली तालिका:**

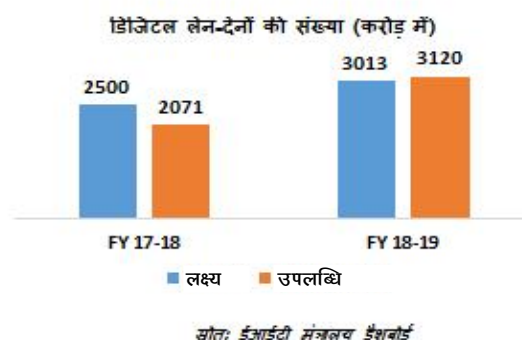
| की स्थिति के अनुसार | ऑफ-साइट एटीएम | ऑन-साइट एटीएम | कुल एटीएम |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 31.03.2014          | 76676         | 83379         | 160055    |
| 31.03.2015          | 92337         | 89061         | 181398    |
| 31.03.2016          | 97149         | 101950        | 199099    |
| 31.03.2017#         | 112666 #      | 109809        | 222475#   |
| 31.03.2018#         | 115471 #      | 106776        | 222247#   |
| 31.12.2018#         | 113639#       | 106412        | 220051#   |

स्रोत: आरबीआई, # 'सी' में दर्शाया गया है कि बैंक शाखाओं के पास ऑन-साइट एटीएम हैं।

## बैंकिंग अवसंरचना और डिजिटल लेन-देन

| बैंकिंग अवसंरचना<br>(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) | कुल संख्या |
|------------------------------------------------------|------------|
| ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएं *                           | 91,196     |
| शहरी/महानगरीय शाखाएं *                               | 52,803     |
| कुल शाखाएं *                                         | 1,43,999   |
| एटीएम **                                             | 2,20,051   |
| पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ग्रामीण बीसी एजेंट ***        | 1,26,348   |

\* स्रोत: आरबीआई



बिक्री बिन्दु (पीओएस) पर कार्ड स्वीकार करने वाले उपकरणों की संख्या मार्च 2014 में 10.7 लाख से बढ़कर मार्च 2019 में 37.22 लाख हो गयी है।

### 3.2 पीएमजेडीवाई कार्यनिष्पादन:

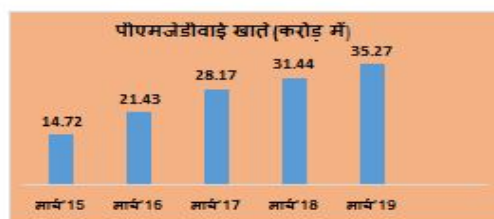
कालान्तर में, खोले गए खातों, शेष जमाराशि तथा औसत जमाराशि शेष के अनुसार पीएमजेडीवाई के कार्यनिष्पादन को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

| क्र.सं. | मद                                                                       | मार्च-15 | मार्च-16 | मार्च-17 | मार्च-18 | मार्च-19 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1       | पीएमजेडीवाई खातों की सं. (करोड़ में)                                     | 14.72    | 21.43    | 28.17    | 31.44    | 35.27    |
| 2       | पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशि (करोड़ में)                                | 15,670   | 35,672   | 62,972   | 78,494   | 96,107   |
| 3       | प्रति पीएमजेडीवाई खाते की औसत जमाराशि (रुपए में)                         | 1,065    | 1,665    | 2,235    | 2,497    | 2,725    |
| 4       | पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी रुपये-डेबिट कार्डों की संख्या (करोड़ में) | 13.14    | 17.75    | 21.99    | 23.65    | 27.91    |

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत वर्षों के दौरान प्रमुख पैरामीटरों पर सतत प्रगति देखने को मिली है। उसकी शुरुआत से 35 करोड़ से अधिक नए खाते खोले गए हैं तथा नई बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में 96,000 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए गए हैं।

सक्रिय पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2017 में 17.01 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में 27.54 करोड़ हो गयी है। 53 प्रतिशत महिला जन-धन खाताधारक हैं तथा 59 प्रतिशत जन-धन खाते ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं।

### पीएमजेडीवाई - वित्तीय समावेशन का नींव रखी गई



**3.2.1 महिलाओं का तीव्र वित्तीय समावेशन:** मार्च 2014 में कुल बचत खातों में से सिर्फ 27 प्रतिशत महिला खाते थे। तथापि, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 30.3.2019 की स्थिति के अनुसार महिला खाते कुल जन-धन खातों के 53 प्रतिशत हैं।

**3.2.2 पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशियों की तीव्र वृद्धि:** पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में मार्च 2015 में 1,065 रुपए की औसत शेष राशि की तुलना में वृद्धि होने से दिनांक 30.3.2019 की स्थिति के अनुसार औसत शेष राशि 2,725 रुपए थी तथा पीएमजेडीवाई खातों में समग्र शेष राशि 96,107 करोड़ रुपए थी।

**3.2.3 रुपये डेबिट कार्ड:** दिनांक 30.3.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 27.91 करोड़ रुपये-डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बैंकिंग सुविधा के अलावा इन कार्डों में 2 लाख रुपए का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर है। दिनांक 30.3.2019 की स्थिति के अनुसार इस रुपये कार्ड लिंकड बीमा कवरेज के अंतर्गत कुल 4,657 दुर्घटना दावों का भुगतान किया जा चुका है।

**3.2.4 पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा:** पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को झंडा रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए खाते में छः माह तक संतोषजनक परिचालन के उपरांत 5,000 रुपए तक (जिसे अब 10,000 भारतीय रुपए तक बढ़ा दिया गया है) की ओवरड्राफ्ट सुविधा है।

**3.2.5 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवर**

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत, बैंकिंग सेवाओं द्वारा कवर न हुए लोगों के लिए बैंक खाते खोलने के लिए, दिनांक 28.8.2014 को की गई थी। योजना के अंतर्गत उन लोगों के लिए जिन्होंने 15.8.2014 से 31.1.2015 तक बैंक खाते खोले थे, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को भुगतान करने के लिए 30,000/- रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराना है (सरकारी दिशानिर्देशों और बनाई गई पात्रता कसौटी के अधधीन)। इस योजना के अंतर्गत 30,000/- रुपए के जीवन बीमा कवर की सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को 18 से 59 वर्ष की आयु



का होना चाहिए तथा उसने उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत नामांकन कराया होना चाहिए। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार योजना के प्रारंभ होने की तिथि से योजना के अंतर्गत कुल 5,369 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

**3.2.6 बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने के माध्यम से अंतरपरिचालनीय, द्रुत और सटीक लेन-देनों को संभव बनाना:** पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए 84.5 प्रतिशत सक्रिय खातों को उपयोगकर्ता की सहमति के आधार पर आधार नंबर से जोड़ा गया है, ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित अंतरपरिचालनीय तथा तत्काल आधार समर्थित लेन-देनों के लिए सक्षम बनाया गया है।

**3.2.7 देश में वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपों का और अधिक प्रसार करने के उद्देश्य से खाते खोलने के लिए ध्यान को "प्रत्येक परिवार" से "प्रत्येक बैंकिंग रहित वयस्क" बदलते हुए तथा निम्नलिखित संशोधनों के साथ योजना को और अधिक आकर्षक बनाते हुए पीएमजेडीवाई का दिनांक 14.8.2018 के बाद विस्तार कर दिया गया है:**

- ओवरड्राफ्ट (ओडी) की विद्यमान 5,000 रुपए की सीमा को 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है;
- 2,000 रुपए तक की ओडी के लिए कोई शर्तें लागू नहीं होंगी;
- ओडी सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को 18-60 वर्ष से संशोधित करके 18-65 वर्ष कर दिया गया है; तथा
- दिनांक 28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए नए रुपए कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को विद्यमान 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।

**3.2.8 जन-धन खाते को मोबाइल तथा आधार से जोड़कर [जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएमएम)] के माध्यम से पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन हेतु एक डिजिटल पाइपलाइन तैयार की गई है।** यह अवसरचना पाइपलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रवाहों, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को अपनाने, ऋण प्रवाहों को सुकर बनाने तथा रुपए कार्डों के उपयोग से डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक व्यवस्था प्रदान करते हुए एक सुरक्षित, बीमित, डिजिटलीकृत और वित्तीय रूप से सशक्त समाज बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को तीव्रता प्रदान की गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जमाराशियां प्राप्त कर रहे हैं।

**3.3 आधार-आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन और डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देना:** आधार और मोबाइल को जोड़ने के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक भारतीयों की डिजिटल पहचान, जो उन्हें वित्तीय लेन-देन करने और उनके अधिप्रमाणन के लिए सशक्त बनाती है, से एक क्रान्ति होने की कगार पर है। बायोमेट्रिक पहचान का प्रयोग करके बैंकिंग सेवाओं तथा फुटकर भुगतानों दोनों के लिए एक अत्यधिक लागत-प्रभावी भुगतान समाधान का सृजन किया गया है। डिजिटल लेन-देनों - यूपीआई, ईपीएस, रुपए कार्ड में व्यापक वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीओएस तथा ई-

कॉमर्स पर यूपीआई के माध्यम से 8710 करोड़ रुपए की राशि के 535 करोड़ लेन-देन, रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से 1172 करोड़ रुपए की राशि के 112 करोड़ लेन-देन हुए और बैंकिंग प्रतिनिधि स्थलों पर ईपीएस के माध्यम से 680 करोड़ रुपए की राशि के 169 करोड़ लेन-देन हुए।

**3.4 जन-धन दर्शक,** एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया है, जो कि बैंकों, डाकघर, एटीएम, सीएससी इत्यादि जैसे सभी उपलब्धकर्ताओं के वित्तीय सेवा स्थानों का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म है। आम लोगों की आवश्यकताओं और सहूलियत के अनुसार इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस एप्लीकेशन का वेब संस्करण Findmybank (findmybank.gov.in) है। इस एप्लीकेशन का उपयोग बैंकों के लिए कारोबार कार्यनीतियों जैसे विभिन्न प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जीआईएस पर 6 लाख से अधिक एफआई टच प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें 1.5 लाख बैंक शाखाएं, 2 लाख एटीएम, 1.5 लाख डाकघर और 1.3 लाख बीसी शामिल हैं।

## 4. योजनाएं

### 4.1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलु छोटे कारोबारों तक ऋण के प्रवाह को सक्षम बनाना है। केंद्रीय बजट 2015-16 में घोषणा के अनुसरण में सूक्ष्म इकाई विकास वित्त एजेंसी (मुद्रा) की स्थापना की गयी थी तथा 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ किया गया था।

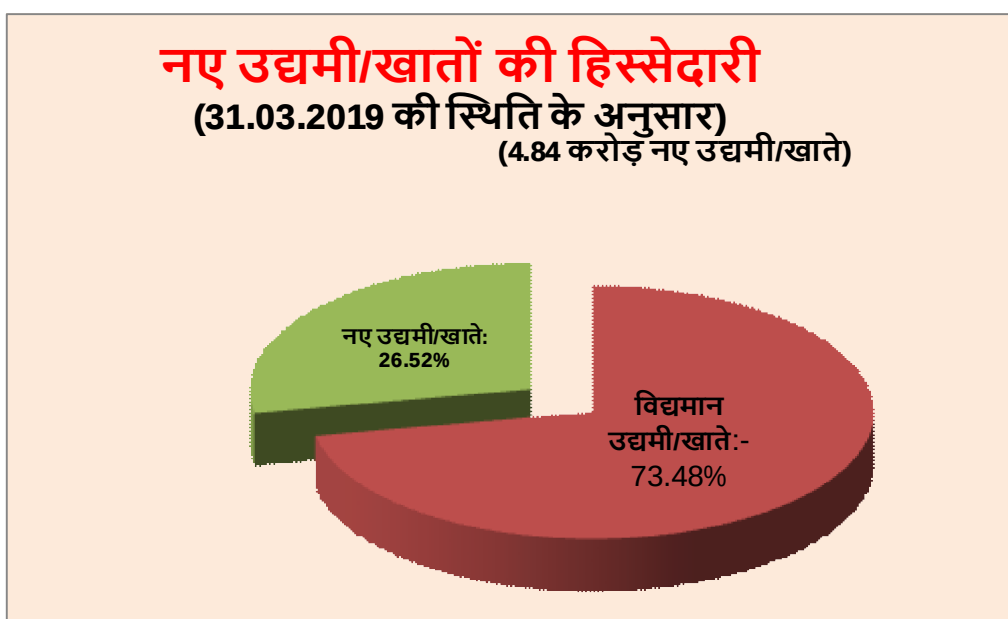
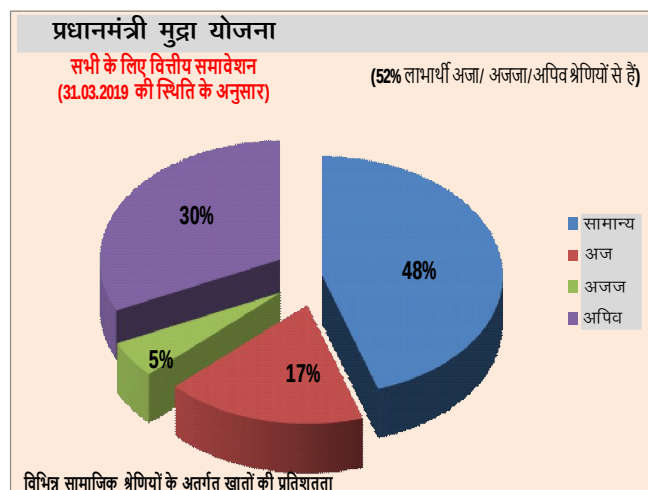
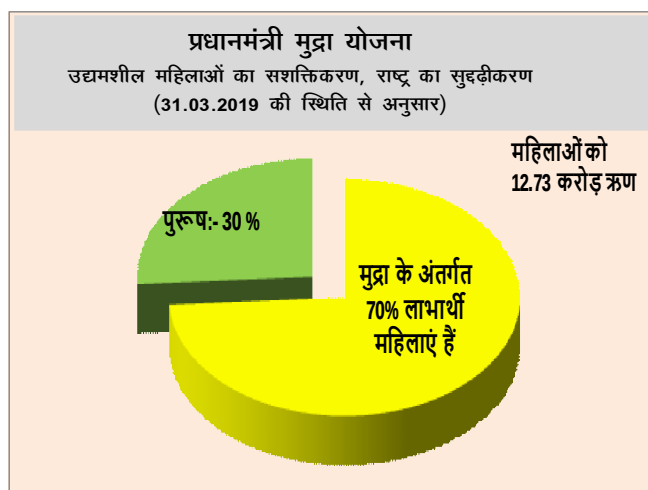
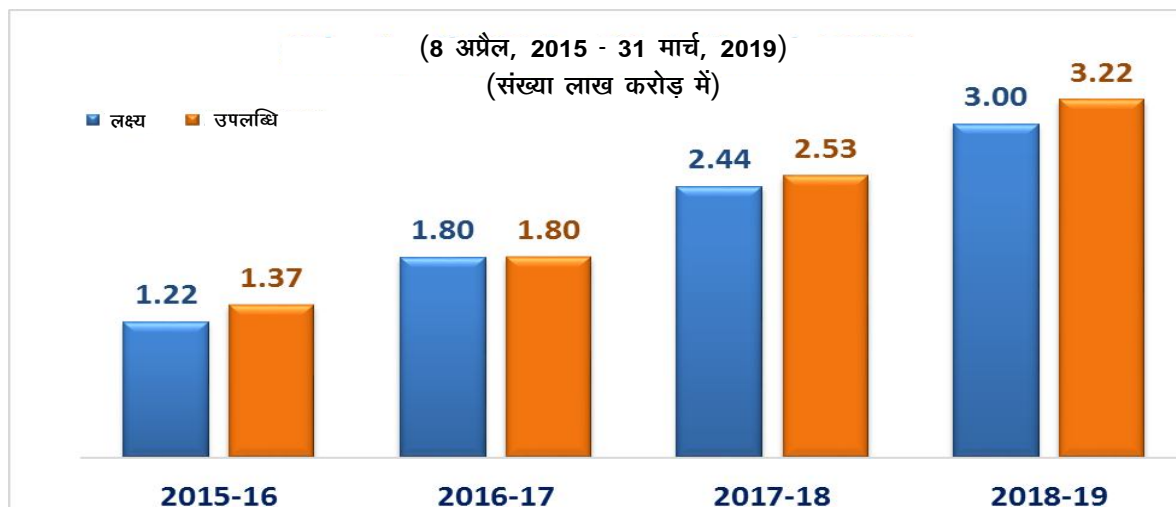
गैर-कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सम्पोषणीय विस्तार को प्राप्त करने के लिए पीएमएमवाई के अंतर्गत उधारदाताओं को ब्याज की उचित दर पर बिना किसी संपार्श्विक के 10 लाख रुपए तक के सावधि ऋण और मिश्रित ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) जैसे सहयोगी सदस्य ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। आगे, मुद्रा लि. एमएलआई को उनके द्वारा प्रदान किए गए पीएमएमवाई ऋणों हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋणों को शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक) और तरुण (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक) में वर्गीकृत किए गए हैं। कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों और उनकी समर्थनकारी सेवाओं (फसल ऋणों, नहरों, सिंचाई, कुओं जैसे भूमि सुधारों को छोड़कर) को भी अप्रैल 2016 से पीएमएमवाई के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

पीएमएमवाई ऋण वर्ष 2015-16 में 1,37,449 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3,21,722 करोड़ रुपए हो गया है जिसमें 18 करोड़ से अधिक उधारकर्ताओं, जिनमें 89 प्रतिशत ऋण शिशु श्रेणी के अंतर्गत, 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को और 52 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए हैं।

| पीएमएमवाई                        | 2015-16  | 2016-17  | 2017-18  | 2018-19  | कुल      |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| खातों की सं. (करोड़ में)         | 3.49     | 3.97     | 4.81     | 5.99     | 18.26    |
| स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपए में) | 1,37,449 | 1,80,528 | 2,53,677 | 3,21,722 | 8,93,376 |

## प्रधानमंत्री मुद्रा योजना





## 4.2 स्टैंड-अप इंडिया योजना

भारत सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 05 अप्रैल, 2016 को की थी। स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों अर्थात् जनसंख्या के वे वर्ग जो कि परामर्श/मार्गदर्शन के अभाव के साथ-साथ अपर्याप्त तथा देशी से प्राप्त ऋण के कारण व्यापक परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं को पूरा करती है। योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम प्रारंभ करने में जनसंख्या के इन अल्पसेवित वर्गों तक पहुंचाने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का उपयोग करना है। यह प्रशिक्षित और प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार कर्ताओं की आवश्यकता पूरी करती है। यह योजना व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए के बीच के बैंक ऋण सुकर बनाती है।

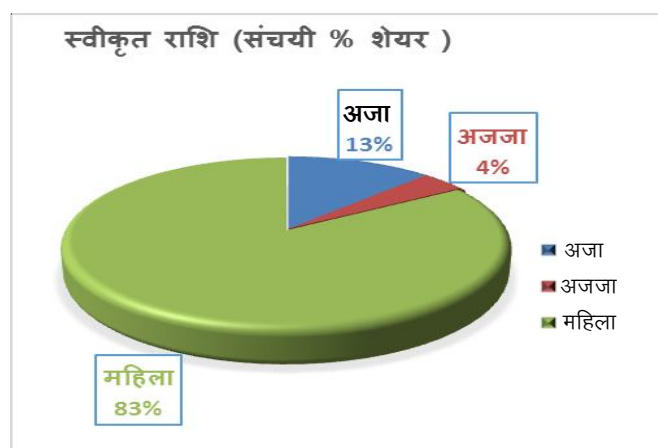
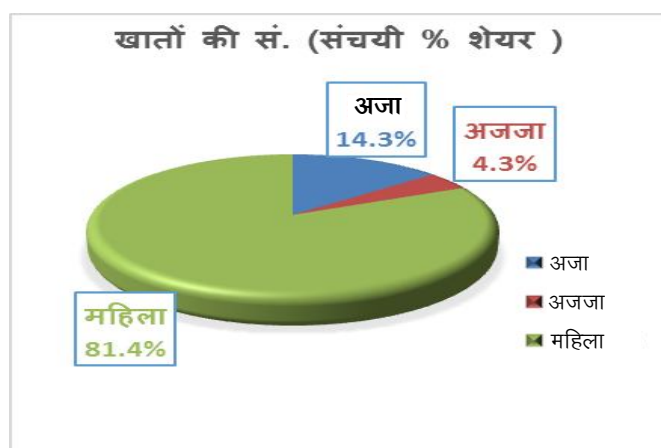
संपार्श्विक मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए भारत

सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थापना की है। यह योजना उन उधारकर्ताओं जिनके मन में एक परियोजना तो हो लेकिन आत्मविश्वास और स्टार्ट-अप की क्षमता की कमी हो, को हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान करने की अवधारणा पर तैयार की गई है। इसे केन्द्र/राज्य सरकार योजनाओं के साथ जोड़ने की भी व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन रूप से भी किए जाते हैं। समर्पित स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल ([www.standupmitra.in](http://www.standupmitra.in)) में ऑनलाइन ट्रैकिंग (निगरानी) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की एक ऋण गारंटी कार्पस निधि, जो कि राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) द्वारा परिचालित होती है, अनुमोदित की गई है।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लाभान्वित उद्यमियों की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

| स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कार्यनिष्पादन |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| दिनांक की स्थिति के अनुसार                  | अजा             |              | अजजा            |              | महिला           |              | कुल             |              |
|                                             | खातों की संख्या | स्वीकृत राशि | खातों की संख्या | स्वीकृत राशि | खातों की संख्या | स्वीकृत राशि | खातों की संख्या | स्वीकृत राशि |
| 31.3.2019 (संचयी)                           | 10451           | 2096.25      | 3103            | 646.1        | 59429           | 13342.72     | 72983           | 16085.07     |



## 4.3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में बीमा और पेंशन क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं अथवा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की गई थी। बेहद वहनीय लागत पर जीवन एवं दुर्घटना जोखिम बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 9 मई, 2015 को (क) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और (ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और (ग) अटल पेंशन योजना नामक योजनाएं शुरू की गई थीं।

### 4.3.1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना किसी बैंक/डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु-वर्ग के उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जो इसमें शामिल होने/ 1 जून से 31 जुलाई की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीनीकरण आधार पर स्वतः आहरण (ऑटो-डेबिट) करने के लिए 31 मई को या उससे पहले अपनी सहमति देते हैं। बैंक खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रु. और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रु. का जोखिम कवरेज है। खाताधारक के बैंक/ डाकघर के खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से

12 रु. प्रतिवर्ष के प्रीमियम की कटौती की जानी है। इस योजना की पेशकश सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी के द्वारा की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदनों के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश कर रही हैं और जिनका इस प्रयोजन के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ समझौता है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्रता मानदंडों के सत्यापन के अध्यक्षीन बैंकों द्वारा लगभग 15.47 करोड़ सकल नामांकन किए गए हैं और 643.52 करोड़ रुपये के 32,176 दावों का निपटान किया गया है।

### पीएमएसबीवाई- दुर्घटना बीमा योजना

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

**पीएमएसबीवाई – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना :**

- > दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंगता के लिए बीमा योजना
- > कवरेज:
  - ❖ दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए
  - ❖ आंशिक विकलांगता - 1 लाख रुपए
- > पात्रता: 18-70 वर्ष
- > वार्षिक प्रीमियम: 12 रुपए

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| कुल नामांकन               | 15.47 करोड़       |
| निपटाए गए दावों की संख्या | 32,176            |
| दावा राशि                 | 643.52 करोड़ रुपए |

#### 4.3.2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

यह योजना किसी बैंक/डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष की आयु-वर्ग के उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जो इसमें शामिल होने/ स्वतः आहरण (ऑटो-डेबिट) करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। बैंक खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी होगा। 2 लाख रुपये का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और यह नवीकरणीय है। किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार, प्रतिवर्ष 330 रु. का प्रीमियम उसके बैंक / पोस्ट ऑफिस खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। इस योजना की पेशकश जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदनों के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश कर रहे हैं और जिनका इस उद्देश्य के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ समझौता है।

पॉलिसी अवधि के बीच में पहली बार पीएमजेबीवाई के तहत नामांकन कराने वाले सभी लोगों की सुविधा के लिए बेहद कम प्रीमियम पर यथानुपाती (प्रो-राटा) प्रीमियम के भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रकार, यदि नामांकन निम्नलिखित महीनों के दौरान होता है-

- जून, जुलाई और अगस्त- 330/- रुपये का वार्षिक प्रीमियम देय है।
- सितम्बर, अक्टूबर और नवंबर - 86 रु. की दर पर 3 तिमाही का प्रीमियम अर्थात 258/- रुपये देय है।
- दिसंबर, जनवरी और फरवरी - 86 रु. की दर पर 2 तिमाही का प्रीमियम अर्थात 172/- रु. देय है।
- मार्च, अप्रैल और मई - 86 रु. की दर पर 1 तिमाही का प्रीमियम देय है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेबीवाई के अंतर्गत पात्रता मानदंडों के सत्यापन के अध्यक्षीन बैंकों द्वारा लगभग 5.91 करोड़ सकल नामांकन किए गए हैं और 2704.24 करोड़ रुपये के 1,35,212 दावों का निपटान किया गया है।

### पीएमजेबीवाई जीवन बीमा योजना

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

**पीएमजेबीवाई – प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**

- 2 लाख रुपए के कवरेज के साथ जीवन बीमा योजना
- 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए वर्ष 2015 में आरंभ
- वार्षिक प्रीमियम - 330 रुपए

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| कुल नामांकन               | 5.91 करोड़          |
| निपटाए गए दावों की संख्या | 1,35,212            |
| दावा राशि                 | 2,704.24 करोड़ रुपए |

### 4.3.3 अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 1 जून, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसी अन्य संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत कवर न हो रहे पात्र अभिदाताओं को मासिक पेंशन प्रदान करना है। एपीवाई 18 से 40 वर्ष तक के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। एपीवाई के अंतर्गत कोई अभिदाता 60 वर्ष की आयु पर प्राप्त होने वाली 1,000 रुपए से 5,000 रुपए (1000 रुपए के गुणक में) की गारंटीशुदा मासिक न्यूनतम पेंशन के विकल्प का चयन कर सकता है। अंशदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। एपीवाई की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- एपीवाई मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है, जो एनपीएस में शामिल होते हैं। तथापि, पात्र श्रेणी में देश के सभी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- 18-40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते या डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से इसमें जुड़ सकता है।
- अभिदाता (18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले लोगों के लिए) को क्रमशः 42 रु. या 84 रु. या 126 रु. या 168 रु. और 210 रु. के न्यूनतम मासिक अंशदान पर सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 रु. या 2000 रु. या 3000 रु. या 4000 रु. या 5000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है।
- अभिदाता के निधन के बाद, अभिदाता के पति/पत्नी को उनकी (पति/पत्नी की) मृत्यु तक अभिदाता के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- अभिदाता और उसके पति या पत्नी दोनों के निधन के पश्चात, अभिदाता का नॉमिनी अभिदाता की उम्र 60 वर्ष की होने तक यथा संग्रहीत पेंशन निधि पाने का हकदार होगा।
- पात्र आयु में वे अभिदाता, जो आय-कर दाता नहीं हैं और जो किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कुल निर्धारित अंशदान का 50%, प्रतिवर्ष 1000 रु. तक का अंशदान प्राप्त करने के हकदार हैं और यह उन पात्र ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जो 31 मार्च, 2016 से पूर्व एपीवाई में शामिल हो जाते हैं। केंद्र सरकार का सह-अंशदान 5 वर्ष की अवधि

अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, के लिए उपलब्ध होगा।

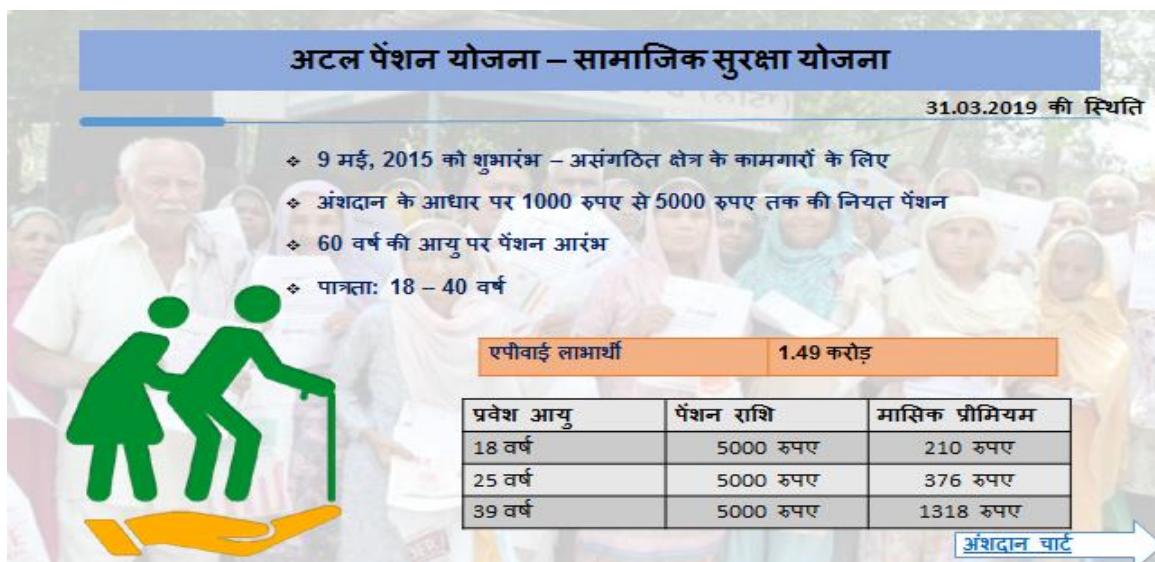
यदि संचयन अवधि के दौरान वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन के लिए अनुमानित रिटर्न से अधिक है, तो ऐसा अतिरिक्त लाभ अभिदाता को दिया जाएगा।

अभिदाता के बचत बैंक खाते / डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक अंतराल पर अंशदान दिया जा सकता है। मासिक/ त्रैमासिक/छमाही अंशदान इच्छित मासिक पेंशन और योजना में शामिल होने के समय अभिदाता की आयु पर निर्भर करता है।

सरकार द्वारा एपीवाई के बारे में जागरूकता पैदा करने, लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम हैं:

- डिफ़ॉल्ट दंडस्वरूप प्रभारों का सरलीकरण करना।
- मौसम के आधार पर आय कमाने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए भुगतान के तरीके को मासिक से मासिक, त्रैमासिक और छमाही में बदल दिया गया है।
- 24 महीने के बाद खाता बंद करने की शर्त को हटाना और खाते में धन उपलब्ध होने तक खाते को जारी रखना।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आवधिक विज्ञापन देना।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक शाखा के अधिकारियों की क्षमता निर्माण।
- टाउन हॉल बैठकों, एसएलबीसी बैठकों में भाग लेना।
- तेलंगाना, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सरकारों के साथ बैठकें आयोजित करना।
- एपीवाई के अंतर्गत उनके असंगठित कार्यबल जैसे मनरेगा श्रमिक, एसएचजी, आशा कार्यकर्ता, आगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि को शामिल करने के उद्देश्य से कृषि, ग्रामीण विकास, डब्ल्यूसीडी, पंचायती राज, स्वास्थ्य इत्यादि के केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करना।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, 6860.30 करोड़ रु. की प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के साथ ग्राहकों की संख्या 149.53 लाख है।



#### 4.4 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

सरकार ने 60 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में आने वाली भविष्य की गिरावट से सुरक्षित रखने तथा साथ ही वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' का शुभारंभ किया है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है और यह 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष का सुनिश्चित प्रतिलाभ (रिटर्न) प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत पेंशन भुगतान का तरीका ग्राहक द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर है।

यह योजना शुरू में एक वर्ष की अवधि अर्थात् 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के लिए सदस्यता के लिए खुली थी।

इसके अलावा, इस योजना के तहत 1000/- रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन हेतु प्रति परिवार न्यूनतम क्रय मूल्य 1,50,000/- रुपए और 5,000 रुपए प्रतिमाह की अधिकतम पेंशन के लिए प्रति परिवार अधिकतम क्रय मूल्य 7,50,000/- रुपए था।

बजट घोषणा 2018-19 के अनुसरण में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम क्रय मूल्य की सीमा को भी 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक किया गया है। तदनुसार, इस योजना के तहत स्वीकार्य अधिकतम पेंशन अब प्रति माह 10,000 रु. है। योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपये है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमवीवीवाई के अंतर्गत 25,523.11 करोड़ रु. की कार्पस के साथ कुल 3,55,423 ग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं।





#### 4.5 वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)

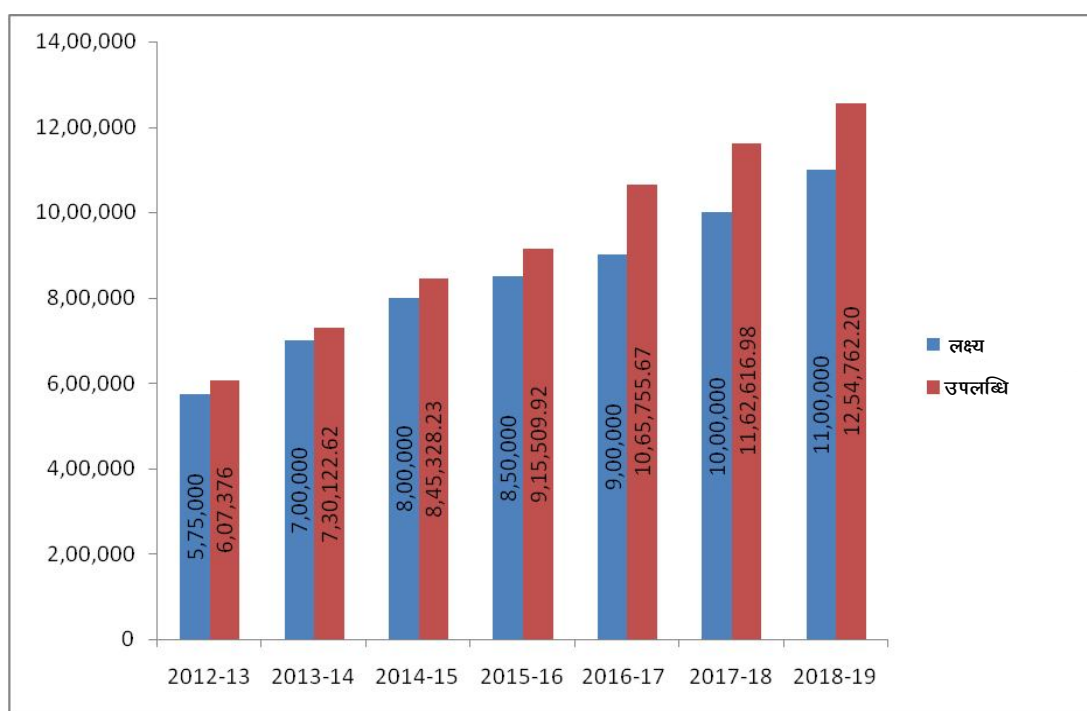
14 जुलाई, 2003 को शुरू की गयी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई), 2003 और 14 अगस्त, 2014 को शुरू की गयी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई), 2014 वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य अभिदान की राशि पर गारंटीयुक्त न्यूनतम प्रतिलाभ के आधार पर उनको सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दिया जाना है। इस पेंशन की परिकल्पना अभिदान की तारीख से मृत्यु तक या 15 वर्ष जो भी पहले हो, तक के लिए की गयी है जिसमें नामिती को अभिदाता की मृत्यु पर या 15 वर्ष के बाद पॉलिसी के अभ्यर्पण पर अभिदान की राशि लौटाए जाने की भी बात कही गयी है। इन योजनाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसे एलआईसी द्वारा योजना के अंतर्गत निवेशित निधियों पर अर्जित प्रतिलाभ और सरकार द्वारा 9% के गारंटीशुदा प्रतिलाभ में किसी अंतर को भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। वीपीबीवाई-2003 एवं वीपीबीवाई-2014 दोनों योजनाएं भविष्य में अभिदान हेतु बंद की गई हैं। तथापि, पॉलिसी की अवधि के दौरान बेची गई पॉलिसियों पर योजना के तहत सरकार द्वारा घोषणा किए गए अनुसार 9% के गारंटीशुदा प्रतिलाभ

के अनुसार सेवा प्रदान की जा रही है। एलआईसी के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार वीपीबीवाई 2003 एवं वीपीबीवाई-2014 के तहत क्रमशः 2,33,284 तथा 2,14,957 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

#### 5. कृषि ऋण

प्रभावी तथा झंझट-रहित कृषि ऋण की मदद से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों द्वारा जमीनी स्तर पर कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है।

पिछले पांच वर्ष के दौरान कृषि ऋण प्रवाह के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई वर्ष-वार स्थिति वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए वार्षिक लक्ष्यों को पार करते हुए वास्तविक संवितरण का संपोषणीय रुझान इंगित करती है। वर्ष 2018-19 के लिए 11,00,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान 114.07% उपलब्धि दर्ज करते हुए 12,54,762.20 करोड़ रुपए का कृषि ऋण संवितरित किया गया था।



स्रोत: नाबार्ड

#### 5.1 छोटे और सीमांत किसानों की कवरेज में वृद्धि:

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर अपने संशोधित दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु छोटे और सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) के लिए 8 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य निर्धारित किया है (जिसे कि चरणबद्ध तरीके से अर्थात् 31 मार्च, 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च 2017 तक 8 प्रतिशत प्राप्त किया जाना है)। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एसएफ/एमएफ को समायोजित निवल बैंक ऋण

(एएनबीसी) के 8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में, दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 8.87 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

#### 5.2 किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) किसानों को लचीले, सुविधाजनक और किफायती स्वरूप में निविष्टियों की खरीद सहित उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समयबद्ध ऋण सुविधा पर लक्षित एक नवोन्मेषी ऋण आपूर्ति

प्रणाली के रूप में 1998-99 में शुरू की गई थी। यह योजना देश के सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में योजना की निगरानी नाबार्ड द्वारा तथा वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में योजना की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है। आरबीआई और नाबार्ड द्वारा केसीसी की संशोधित योजना 2012 में परिचालित की गई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन तथा ऋण सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि आदि सहित एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड, जिसका प्रयोग एटीएम/विक्रय केंद्र (पीओएस) पर किया जा सकता है, के लिए व्यवस्थाएं विनिर्धारित की गयी हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान पशुपालक किसानों और मत्स्यपालकों के लिए ब्याज सहायता के साथ-साथ केसीसी की सुविधा को बढ़ाया गया है जिससे कि उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। सरकार ने हाल ही में किसानों को केसीसी योजना के तहत संतुष्ट करने के उद्देश्य से अभियान के रूप में एक विशेष मुहिम चलाई है।

### 5.3 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

भारत सरकार ने राज्यों को कम लागत की निधि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई है, जिससे कि चल रही ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सके, जो संसाधनों के अभाव में बंद हो रही थीं। आरआईडीएफ अपने दायरे में 37 कार्यक्रमों के साथ, प्रभावी ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के सार्वजनिक वित्त पोषण के भरोसेमंद स्रोत के रूप में उभरा है।

आरआईडीएफ के अंतर्गत निधियों का वार्षिक आबंटन धीरे-धीरे बढ़ा है, जो 1995-96 (आरआईडीएफ-I) में 2000 करोड़ रुपये था एवं वर्ष 2018-19 (आरआईडीएफ-XXIV) में बढ़कर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है। आरआईडीएफ खंड XXIV के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए 28,000 करोड़ रु. के आबंटन की तुलना में विभिन्न राज्य सरकारों को 30,497.15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 2018-19 तक कुल आबंटन आरआईडीएफ XII-XV के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को भारत निर्माण घटक के लिए स्वीकृत किए गए 18,500 करोड़ रुपये सहित कुल आबंटन 3,20,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

आरआईडीएफ के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से ग्रामीण क्षेत्रों में विविध सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणाम सामने आए हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली और ऋण अवशोषण क्षमता को मजबूत करने के अलावा, ग्रामीण जीवन और आय के स्तर की गुणवत्ता में सुधार आया है।

### 5.4 लघु अवधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि

लघु अवधि सहकारी ग्रामीण ऋण-एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) निधि सहकारी बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 में नाबार्ड में 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आधारभूत निधि (कार्पस) के साथ स्थापित की गई थी जिससे कि ब्याज की

रियायती दर पर किसानों को और अधिक तथा निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। नाबार्ड सहकारी-बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर संवितरित 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋणों के लिए सहकारी-बैंकों को 4.5% की वार्षिक ब्याज दर पर पुनर्वित्त पोषण प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) हेतु 45,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

### 5.5 लघु अवधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पुनर्वित्त) निधि

लघु अवधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पुनर्वित्त) (एसटीआरआरबी) निधि वर्ष 2012-13 में 10,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ स्थापित की गई थी जिससे कि अपने फसल ऋण उधार संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आरआरबी को अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु नाबार्ड को सक्षम बनाया जा सके। नाबार्ड आरआरबी द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर संवितरित 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋणों के लिए आरआरबी को 4.5% की वार्षिक ब्याज दर पर पुनर्वित्त पोषण प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसटीआरआरबी निधि के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

### 5.6 नाबार्ड के पूंजी आधार को मजबूत बनाया जाना

नाबार्ड संशोधन अधिनियम, 2018 दिनांक 19.01.2018 को अधिसूचित किया गया है, जो सरकार को नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने और इसे आरबीआई के परामर्श से समय-समय पर जैसा कि आवश्यक हो, 30,000 करोड़ बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है। यह नाबार्ड को भविष्य में ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्रों जैसे सिंचाई, गृह निर्माण, सफाई, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन इत्यादि में किए जा रहे बड़े निवेशों के वित्तपोषण हेतु और अधिक उधार प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, फ्लैगशिप कार्यक्रमों अर्थात पीएमएवाई-जी, एलटीआईएफ और स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न सरकारी पहलों के तहत अपनी उधार प्रतिबद्धता को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड को 2,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता प्रदान की गयी है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड के संबंध में कुल चुकता पूंजी 12,580 करोड़ रुपए रही है।

### 5.7 भारत सरकार की पहलों में नाबार्ड की भूमिका

#### 5.7.1 दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा देश में कई रूकी हुई सिंचाई परियोजनाओं जिनके लिए नाबार्ड में दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) की स्थापना की गई थी, को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 77,908 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित राशि की तुलना में नाबार्ड द्वारा एलटीआईएफ के अंतर्गत 99 विहित परियोजनाओं हेतु 68,009.74 करोड़ रुपए तथा पोल्लावरम परियोजना हेतु 6,381.54 करोड़ रुपए और नार्थ कोयल जलाशय परियोजना के लिए 1,378.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृतियों की तुलना में जारी की गई संचयी राशि क्रमशः 27,775.41 करोड़ रुपए, 5,814.15 करोड़ रुपए और 659.17 करोड़ रुपए रही है।

### 5.7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 1 अप्रैल 2016 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, चरण- I में 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 2016-17 से 2018-19 तक के दौरान एक करोड़ आवास का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 81,975 करोड़ रुपये के केंद्रीय शेयर की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 21,975 करोड़ रुपये नाबार्ड से उधार लेकर जुटाना था। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और जारी की गई कुल राशि क्रमशः 21,975 करोड़ रुपये और 18,008.23 करोड़ रुपये है।

### 5.7.3 स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)

भारत सरकार ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम-जी की शुरुआत की है। वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 3 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 1500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन कार्यों के निर्माण के लिए, 30,343 करोड़ रुपये के केंद्रीय शेयर की कुल निधि आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपये नाबार्ड से उधार लेकर जुटाए जाने थे। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने इस उद्देश्य के लिए 15,000 करोड़ रु के ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें 8,698.20 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

## 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

### 6.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्संरचनाकरण

कृषि, ग्रामीण ऋण तथा वित्तीय समावेशन में व्यापक भूमिका निभाने के लिए आरआरबी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं।

### 6.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की शाखाओं की संख्या जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 21,747 थी, 31 मार्च 2019 को बढ़कर 21,876 हो गई, जो कि 683 जिले कवर करती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान आरआरबी द्वारा 129 नई शाखाएं खोली गई हैं। आरआरबी की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं।

### 6.3 सीआरएआर बेहतर बनाने हेतु पूंजी निवेश

भारत सरकार ने उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जो जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को न्यूनतम 9% बनाए रखने में असमर्थ हैं, के लिए आरआरबी की पुनर्पूँजीकरण की प्रक्रिया को वर्ष 2019-20 तक जारी रखने के लिए, आरआरबी के पुनर्पूँजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने 4 आरआरबी के संबंध में पुनर्पूँजीकरण सहायता को मंजूरी दी थी। ये उत्कल जीबी (57.8669 करोड़ रुपये), नागालैंड आरबी (0.93 करोड़ रुपये), मध्यांचल जीबी (46.7331 करोड़ रुपये) और अरुणाचल प्रदेश आरबी (वर्ष 2017-18 से संबंधित 2.47 करोड़ रुपये) थे। यह उल्लेखनीय है कि पुनर्पूँजीकरण सहायता भारत सरकार (50%), प्रायोजक बैंक (35%) और संबंधित राज्य सरकार (15%) द्वारा प्रदान की जाती है।

### 6.4 आरआरबी का समामेलन

आरआरबी को अपने उपरिव्यय (ओवरहेड) खर्चों को कम करने, प्रौद्योगिकी का ईष्टतम उपयोग करने, पूंजी आधार और संचालन के क्षेत्र को बढ़ाने और उनके एक्सपोजर को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित रोडमैप के अनुसार, एक राज्य में आरआरबी का समामेलन किया है, जिससे दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार, 21 आरआरबी को 10 में समामेलित करके नौ राज्यों में आरआरबी की संख्या को 56 से कम करके 45 तक नीचे लाया गया है।

### स्थिति

- शेयरधारिता → केन्द्र सरकार: 50%, प्रायोजक बैंक: 35%, राज्य सरकार: 15%
- कुल शाखाएं - 21,747; कुल कारोबार - 6,54,437 करोड़ रुपये (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)
- कुल शाखाएं - 21,876; कुल कारोबार - 7,14,164 करोड़ रुपये (अनंतिम) (31.03.2019)

### प्रगति

- आरआरबी का समामेलन
- पूंजी आधार तथा परिचालन के क्षेत्र को बढ़ाने तथा उनके एक्सपोजर में वृद्धि करने के लिए किया गया
- 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार, आरआरबी की संख्या को 56 से 45 तक घटाया गया
- आरआरबी का पुनर्पूँजीकरण
  - योजना को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाया गया; 342 करोड़ रुपये की शेष राशि है

समामेलन के रोडमैप को लागू करने के लिए, सरकार ने आरआरबी अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार, नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

यह आशा की जाती है कि आरआरबी के प्रस्तावित समामेलन से स्केल की बेहतर दक्षता, उच्च उत्पादकता, आरआरबी की मजबूत वित्तीय स्थिति, वित्तीय समावेशन में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ऋण प्रवाह होगा।

### 6.5 आरआरबी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने आरआरबी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी है, तदनुसार, मॉडल पेंशन विनियमावली और आरआरबी (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम में मॉडल संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद, सभी आरआरबी के बोर्डों ने विनियमों को अपनाया है और भारत के राजपत्र में इस पर नोटिफिकेशन प्रकाशित किए गए थे।

### 6.6 वित्तीय कार्य निष्पादन

#### 6.6.1 स्वामित्व निधि

आरआरबी की "स्वामित्व निधि" 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, 31,360 करोड़ रूपए रही जो 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 31,522 करोड़ रूपए हो गयी। 31 मार्च 2019 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार, आरआरबी की "स्वामित्व निधि" 34,095 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है।

#### 6.6.2 जमा

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, आरआरबी के पास जमा बकाया (डिपॉजिट आउस्टैंडिंग) जो 4,00,459 करोड़ रूपए था, 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 4,10,360 करोड़ रूपए हो गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, कुल जमा बकाया पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,29,841 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है।

#### 6.6.3 ऋण और अग्रिम

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, आरआरबी का सकल ऋण और अग्रिम 2,53,978 करोड़ रूपए था, जो 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 2,70,972 करोड़ रूपए हो गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण और अग्रिम 2,90,730 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है।

#### 6.6.4 अनुप्रयोज्य आस्ति (एनपीए)

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, आरआरबी का समग्र सकल एनपीए 24,059 करोड़ रूपए था और 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, यह बढ़कर 27,713 करोड़ रूपए हो गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, इसके 28,278 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में, प्रतिशत की दृष्टि से आरआरबी का सकल एनपीए 31 मार्च 2018 के 9.5% की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, 9.7% तक पहुंचने का अनुमान है।

#### 6.6.5 लाभप्रदता

वर्ष 2018-19 के दौरान, 41 आरआरबी ने 1957.24 करोड़ रूपए (अनंतिम) का लाभ अर्जित किया। तथापि, वर्ष के दौरान 12 आरआरबी को 1,637.93 करोड़ रूपए (अनंतिम) का घाटा हुआ।

इसलिए, एक एजेंसी के रूप में आरआरबी ने वर्ष 2017-18 में अर्जित रु 1501 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 में 319.31 करोड़ रूपए (अनंतिम) का लाभ अर्जित किया।

### 6.6.6 संचित हानि

संचित हानि वाले आरआरबी की संख्या 31 मार्च, 2017 की 8 की तुलना में बढ़कर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 11 हो गई। आरआरबी की संचित हानियों की कुल राशि 31 मार्च, 2017 को 1,147 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 1,866 करोड़ रु. हो गयी।

31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, सभी आरआरबी की संचित हानि 2,110 करोड़ रूपए रही और 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, समग्र स्थिति वर्ष 2018-19 के दौरान आरआरबी की लाभप्रदता पर निर्भर होगी।

## 7 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ववर्ती 31 मार्च को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का अनिवार्य लक्ष्य रखा गया है। इसके भीतर, पूर्ववर्ती 31 मार्च को एएनबीसी या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि के क्रमशः 10 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के 18 प्रतिशत का एक अनिवार्य उप-लक्ष्य कृषि, कमजोर वर्गों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। कृषि के लिए रखे गए 18 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर, एएनबीसी या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने के लिए निर्धारित किया गया है। घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण प्रदान करने की उनकी हिस्सेदारी गैर-कॉर्पोरेट किसानों को सीधे ऋण प्रदान करने के विगत तीन वर्ष के प्रणाली व्यापक औसत से कम न हो।

20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को, 1 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाली और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य और कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 5 वर्ष के इस रोड-मैप के पूरा होने और एक समीक्षा के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए छोटे और सीमांत किसानों (8%) और सूक्ष्म उद्यमों (7.50%) के उप-लक्ष्य को लागू किया जाएगा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों हेतु पूर्ववर्ती 31 मार्च को द्वारा समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के लिए अधिदेशित किया गया है, जिसे वर्ष 2020 तक चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाना है।

एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार, एमएसएमई विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के तहत उद्यमों को संयंत्र तथा मशीनरी/



उपकरण के अंतर्गत संबंधित निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जबकि एमएसएमई (विनिर्माण) के लिए कोई ऋण सीमा (क्रेडिट कैप) नहीं है, पीएसएल दिशानिर्देश, पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए सेवा क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 50 मिलियन रुपये और मध्यम उद्यमों के लिए 100 मिलियन रुपये की ऋण सीमा निर्धारित करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एमएसएमई (सेवा) एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पहले से ही परिभाषित है, 1 मार्च, 2018 से पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए एमएसएमई (सेवा) पर ऋण सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया था।

इससे पहले, मेट्रो केंद्रों में 28 लाख रुपए और अन्य केंद्रों में 20 लाख रुपए तक के आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र थे, बशर्ते कि महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में आवास इकाइयों की कुल लागत क्रमशः 35 लाख रुपए और 25 लाख रुपए से अधिक न हो। चूंकि यह सीमाएं वर्ष 2015 में तय की गई थीं, इसलिए इन सीमाओं की समीक्षा करने और उन्हें भारत सरकार की वहनीय आवास योजना के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत पात्रता के लिए आवास ऋण सीमा को 19 जून, 2018 से महानगरीय केंद्रों में 35 लाख रुपए और अन्य केंद्रों में 25 लाख रुपए संशोधित किया गया है, बशर्ते कि महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में आवास इकाइयों की कुल लागत क्रमशः 45 लाख रुपए और 30 लाख रुपए से अधिक न हो।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बकाया अग्रिम 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 2,1,99,972 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 22,92,094 करोड़ रुपए (अंतिम) हो गया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 18.10 प्रतिशत के साथ पीएसबी द्वारा कृषि क्षेत्र के अग्रिम 9,77,802 करोड़ रुपए हो गए।

#### 7.1 कमजोर वर्गों को ऋण और अल्पसंख्यकों को ऋण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 और इससे अधिक शाखाओं वाले सभी विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 10 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर (ओबीई) के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, को कमजोर वर्गों को उधार देना आवश्यक है। समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए गैर-संस्थागत उधारदाताओं को उनके ऋण के पूर्व-भुगतान के लिए प्रति उधारकर्ता 1,00,000 रुपए से अधिक दबावग्रस्त व्यक्तियों (किसानों के अलावा) और व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को प्रति उधारकर्ता 1,00,000 रुपये तक के ऋणों को कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई।

मार्च 2016, 2017, 2018 और 2019 की स्थिति के अनुसार, कमजोर वर्गों को ऋण देने के संबंध में पीएसबी का कार्यानिष्पादन निम्नानुसार है:

(@ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ½ áó. àÉ)

| वर्ष की समाप्ति पर | बकाया राशि  | एएनबीसी को % |
|--------------------|-------------|--------------|
| मार्च, 2016        | 5,58,240.39 | 11.04        |
| मार्च, 2017        | 6,00,841.08 | 11.27        |
| मार्च, 2018        | 6,08,318.12 | 11.36        |
| मार्च, 2019        | 6,34,929.59 | 11.75        |

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई, 2018 को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एक मास्टर परिपत्र जारी किया था।

इन बैंकों को उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जहां अल्पसंख्यक बहुमत में हैं (जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप) को छोड़कर, कम से कम 25% की अल्पसंख्यक आबादी वाले अल्पसंख्यक बहुलता वाले 121 जिलों (एमसीडी) में अल्पसंख्यकों के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करने की सलाह दी गई है।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को भी निम्नानुसार सलाह दी गई है-

- अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए और इसकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक या किसी अन्य समान रैंक के अधिकारी को करनी चाहिए जो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करे।
- अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में से प्रत्येक जिले के लीड बैंक में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण प्रवाह से संबंधित समस्याओं को देखेगा। बैंक ऋण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रचारित करना उसकी जिम्मेदारी होगी।
- अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले चिन्हित जिलों में लीड बैंक जागरूकता पैदा करने, लाभार्थियों की पहचान करने, व्यवहार्य परियोजनाओं को तैयार करने, पिछड़ों (बैकवर्ड) और फारवर्ड लिंकेज के प्रावधान जैसे कि निविष्टियों की आपूर्ति/विपणन, वसूली इत्यादि के विस्तार कार्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग / वित्त निगम को शामिल कर सकते हैं।
- सरकार के विभिन्न गरीबी-उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के बारे में अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले जिलों में अच्छा प्रचार किया जाना चाहिए।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों पर बकाया कुल ऋण 3,91,575 करोड़ रुपये है, जो प्राथमिकता

प्राप्त क्षेत्र कुल अग्रिमों का 12.59% है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले पहचान किए गए 121 जिलों में बकाया कुल ऋण 1, 41,855 करोड़ रुपये है, जो अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले पहचान किए गए जिलों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल अग्रिमों का 18.45% है।

## 7.2 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं द्वारा बैंक ऋण तथा ऋण के अतिरिक्त अन्य सेवाएं प्राप्त करने में सामने आ रही समस्याओं का हल करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु वर्ष 2000 में 14 सूत्री कार्य योजना (अब 13 सूत्री कार्य योजना) तैयार की थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को महिलाओं को उधार देने के लिए अपने एएनबीसी का 5 प्रतिशत निर्धारित करने की सलाह दी गई थी। आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को महिलाओं को ऋण देने के प्रति बकाया राशि 4,05,353 करोड़ रुपये है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एएनबीसी का 9.20 प्रतिशत है।

## 7.3 शिक्षा ऋण

उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को यदि वह इच्छुक हो तो बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने वर्ष 2001 में मॉडल शिक्षा ऋण योजना तैयार की थी और इसे बैंकों को परिचालित किया था। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए है। भारतीय नागरिक जिन्होंने प्रवेश परीक्षा/मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए भारत में या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के पात्र हैं।

इस योजना को छात्रों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया गया है। मॉडल शिक्षा ऋण योजना का अंतिम संशोधन दिनांक 17.08.2015 को किया गया था और बैंकों को परिचालित किया गया था। संशोधित मॉडल शिक्षा ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

- क. संपार्श्विक, रोजगारपरकता तथा संस्था की प्रतिष्ठा के आधार पर विभेदक ब्याज दर प्रभारित करने का उपबंध।
- ख. एनसीजीटीसी द्वारा गारंटीयुक्त ऋणों के लिए मार्जिन तथा प्रतिभूति में छूट।
- ग. सभी ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि (अधिस्थगन के पश्चात्) का 15 वर्ष तक विस्तार।
- घ. सभी मामलों में अध्ययन पूरा करने के पश्चात् पुनर्भुगतान के लिए 1 वर्ष की एकसमान अधिस्थगन अवधि।
- ङ. बेरोजगारी/अल्प रोजगार के दौर को ध्यान में रखते हुए अधिस्थगन का प्रावधान अर्थात् ऋण की अवधि के दौरान दो या तीन बार। यदि छात्र स्नातक के पश्चात् स्टार्ट-अप उद्यम आरंभ करना चाहता हो तो योजना अवधि के लिए भी अधिस्थगन दी जा सकती है।

## 7.3.1 शिक्षा ऋण के संबंध में सेवा क्षेत्र मानदंड - भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 09 नवम्बर, 2012 को बैंकों को यह सलाह दी है कि उनके 08 दिसम्बर, 2004 के परिपत्र में दी गई सलाह के अनुसार सेवा क्षेत्र मानदंड का अनुपालन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामलों में ही किया जाए और यह शिक्षा ऋण स्वीकृत करने में लागू नहीं है। अतः बैंकों को किसी शिक्षा ऋण आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत न करने की सलाह दी गई है कि उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

## 7.3.2 शिक्षा ऋण का कार्यनिष्पादन

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 21,94,977 खातों में कुल बकाया शिक्षा ऋण 72,800 करोड़ रुपये था। यह पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में इसमें 1036 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। प्रतिशतता के रूप में यह वृद्धि 1.44 प्रतिशत है।

## 7.3.3 विद्या लक्ष्मी पोर्टल:

विद्या लक्ष्मी पोर्टल अपनी तरह का एक पहला ऐसा पोर्टल है, जो छात्रों को एकल विंडो के रूप में सूचना प्रदान करता है और बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- i. बैंकों की शिक्षा ऋण संबंधी योजनाओं की जानकारी;
- ii. छात्रों हेतु आम शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन-पत्र;
- iii. विभिन्न बैंकों में शैक्षिक ऋण हेतु आवेदन करने की सुविधा;
- iv. बैंकों के लिए छात्र ऋण आवेदन-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा;
- v. बैंकों के लिए ऋण प्रक्रिया स्थिति अपलोड करने की सुविधा;
- vi. छात्रों के लिए बैंकों को शैक्षिक ऋण से संबंधित शिकायत/प्रश्न संबंधी ई-मेल करने की सुविधा;
- vii. छात्रों के लिए अपने ऋण आवेदन की स्थिति को देखने के लिए डैशबोर्ड की सुविधा; और
- viii. सरकारी छात्रवृत्तियों की जानकारी और आवेदन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को इस पोर्टल से जोड़ना।

बैंकों को इस पोर्टल का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि शिक्षा ऋण के इच्छुक छात्र इसके लिए आवेदन कर सकें और अपने पसंद के बैंक को इंगित कर सकें।

## 7.3.4 शिक्षा ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ऋण अधिस्थगन अवधि के लिए 'ब्याज सब्सिडी' प्रदान करने हेतु मई, 2010 में एक केन्द्रीय योजना तैयार की थी। यह योजना ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू है:

- आईबीए की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसरण करने वाले अनुसूचित बैंकों से 01 अप्रैल, 2009 के बाद संवितरित/प्राप्त शिक्षा ऋण;
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अर्थात्, जिनकी पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपए से अधिक न हो;
- यह योजना वर्ष 2009-10 प्रारंभ होने वाले शैक्षिक वर्ष, दिनांक 01.04.2009 को अथवा उसके बाद के संवितरण के लिए लागू है।

#### 7.4 कौशल ऋण योजना

कौशल विकास पर अत्यधिक जोर देने के कारण राष्ट्रीय व्यवसाय मानक तथा अहर्ता पैकेज से संबद्ध तथा जिन पाठ्यक्रमों से राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होती हो, के लिए लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 जुलाई, 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया है। “कौशल ऋण योजना” को कौशल विकास की राष्ट्रीय पहल की सहायता के लिए तैयार किया गया है।

कौशल ऋण योजना का लक्ष्य कौशल ऋण पात्रता मानदंड के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम करने के इच्छुक लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना है।

### 8. वित्तीय संस्थान

#### 8.1 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना “निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोन्नति देने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में प्रवृत्त संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने” के लिए किया गया था। बैंक का फ्लैगशिप कार्यक्रम वाणिज्यिक और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) से हैं, परियोजना निर्यात वित्त और विदेशी निवेश वित्त दोनों के अंतर्गत बायर्स क्रेडिट है। यह भारत सरकार की ऋण व्यवस्था हेतु परिचालन का साधन भी है।

एक्जिम बैंक की सहायता से भारतीय परियोजना निर्यातकों को कई अवसर प्राप्त हुए, इससे वे अपने वैश्विक फुटप्रिंट को बढ़ाने में समर्थ हुए। यह गर्व का विषय है कि भारतीय कंपनियां बोली लगाने में समर्थ हैं और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी संख्या में बढ़ते मूल्य के अन्तर्राष्ट्रीय ठेके प्राप्त किए हैं। इसने देश के भीतर रोजगार हेतु अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के अलावा भारत से बढ़ते हुए निर्यात को सुलभ बनाया है।

##### 8.1.1 चुनौतियां

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में मानक आस्ति पोर्टफोलियो की औसत क्रेडिट रेटिंग में बढ़त रही है, फिर भी यह आर्थिक चक्रीयता के प्रति अति संवेदनशील है और पिछले कुछ समय से भारत सहित पूरे विश्व में औद्योगिक गिरावट के चलते और पोर्टफोलियो के

अंतर्गत एनपीए स्लिपेज की घटनाएं बढ़ी हैं सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग में एनपीए के स्तरों को देखते हुए आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुरूप प्रावधानकरण की आवश्यकता होने के कारण बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

एक्जिम बैंक मध्यम तथा दीर्घ अवधि निर्यात ऋण हेतु मुख्य एजेंसी है तथा इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यदि क्रेडिट पोर्टफोलियो का कुछ प्रतिशत आय के वांछित स्तर तक नहीं प्रदान करता है तो पूंजी आवश्यकता और बढ़ जाती है। यद्यपि, निकट समय में, एक्जिम बैंक को तुलन-पत्र को सुधारने के लिए ऋण की गुणवत्ता, वसूली और एनपीए के समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लंबी अवधि हेतु इसकी पूंजी आधार को और मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बजटीय सहायता के माध्यम से 500 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी और एक्जिम बैंक को पुनर्पूँजीकरण बांड जारी करने के माध्यम से 4500 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई।

#### 8.2 भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

भारत को इसकी बुनियादी अवसंरचना की बड़ी कमी को पूरा करने के लिए अगले दशक में 1.5 ट्रिलियन यूएसडी की आवश्यकता है। यह निवेश वैश्विक सहकर्मियों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है। यह केवल विकास और रोजगार को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि लोगों को गरीबी से बाहर भी निकालेगा और आशा है कि यह भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाने में सक्षम बनाएगा। भारत अपने वैश्विक सहकर्मियों विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं से पीछे बने रहना स्वीकार नहीं कर सकता। इस बड़े निवेश के लिए वित्तपोषण और संस्थागत दोनों परिदृश्यों से केन्द्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

संघीय बजट 2005-06 ने आईआईएफसीएल की अवधारणा देश में पीपीपी परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रण के साथ वित्तीय आधारभूत संरचना हेतु समर्पित संस्था के रूप में की थी। एनडी-एसआई-एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत आईआईएफसीएल इसके लंबी अवधि के ऋण तथा अन्य नवोन्मेषी पहल जैसे धन आहरण और ऋण वृद्धि के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय अंतराल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। एकल आधार पर आईआईएफसीएल ने 31 दिसंबर, 2018 तक अंतरण वित्त तथा पुनर्वित्त योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष उधार के तहत 1,25,430 करोड़ रुपए की संचयी सकल मंजूरी दी है। इसमें प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत 474 परियोजनाओं को 85,231 करोड़ रुपए की संचयी सकल मंजूरी शामिल है। कंपनी द्वारा दिसंबर 2018 तक 64,900 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण किया गया है जिसमें पुनर्वित्त के अंतर्गत 10,531 करोड़ रुपए तथा अंतरण वित्त के अंतर्गत 15,413 करोड़ रुपए का संवितरण शामिल है।

आईआईएफसीएल की वित्तीय सहायता से लगभग 26,000 किमी सड़क, लगभग 60,000 एमडब्ल्यू की विद्युत उत्पादन क्षमता को और लगभग 800 एमटीपीए की बंदरगाह क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है, कई शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के साथ स्टेशन पुनर्विकास के साथ-साथ, दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के पुनर्विकास में सहायता मिली है।

आईआईएफसी (यूके), आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी, जिसका मुख्यालय लंदन में है, भारत में अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा पूंजी आयात के पुनर्वित्त हेतु विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। 31 दिसंबर, 2018 तक, आईआईएफसी (यूके) द्वारा 2.04 बिलियन यूएस डॉलर का संचयी संवितरण किया गया है। आईआईएफसीएल ने अवसंरचना उधार निधि (आईडीएफ) आईआईएफसीएल, संपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) की एक सहयोगी कंपनी का गठन भी किया है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आईआईएफसीएल परियोजना लिमिटेड (आईपीएल) का गठन भारत में अवसंरचना विकास हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु किया है।

इसके लिए नयी अवसंरचना परियोजनाएं और व्यवहार्य वित्तपोषण विकल्पों को डिजाइन करना एक अटल सत्य है जिसका सामना भारत करता है। अभी तक बैंक अवसंरचना क्षेत्र के मुख्य वित्त दाता रहे हैं। तथापि, आगे चलकर यह संभव हो सकता है कि वे उन्हें इस स्तर तक सहायता न कर सकें। यह सब मुख्य रूप से बैंक की अस्ति देयता बेमेल बाधाओं के कारण, आसन्न बासेल III मानदंडों के शुरू होने से पूंजी आवश्यकता बढ़ने के कारण, समूह एक्सपोजर मानदंडों को सख्त बनाने और उच्च दबावग्रस्त अस्तित्वों के कारण है। आधारभूत संरचना को वित्त प्रदान करने का अन्य विकल्प कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। तथापि, इसकी प्रारम्भिक अवस्था और लगातार नकद प्रवाह के साथ शुरू हो चुकी परियोजनाओं को वरीयता देने पर विचार करते हुए इस स्थिति में यह आदर्श साधन नहीं हो सकता है, विशेषकर जोखिमभरी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं के लिए। अवसंरचना हेतु वित्त की आवश्यकता को देखते हुए आईआईएफसीएल ने बैंकों और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के साथ सस्ते और नवोन्मेषी वित्तपोषण, पॉलिसी एडवोकेसी आदि के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है। इसे इस क्षेत्र में गंभीर खिलाड़ी बने रहने के लिए पूंजी, परिचालन स्वतंत्रता और बढ़ी हुई क्षमता के रूप में उपयुक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

### 8.3 आईएफसीआई लि.

आईएफसीआई लि. वास्तव में जमा स्वीकार न करने वाली महत्वपूर्ण एनबीएफसी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना उद्योग को मध्यम और दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने हेतु वैधानिक निगम के रूप में देश में प्रथम विकास वित्त संस्था के रूप में हुई थी। आईएफसीआई वर्ष 1993 में "आईएफसी अधिनियम" के निरसन के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड बनी। वर्तमान में, भारत सरकार का आईएफसीआई की कुल चुकता शेयर पूंजी में 56.42% की हिस्सेदारी है।

### 8.4 राष्ट्रीय आवास बैंक

8.4.1 2018-19(9 माह) - (वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून) के दौरान परिचालन संबंधी विशेषताएं:

- एनएचबी की अभिदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 1,450 करोड़ रुपए बनी रही।

- 31.03.2019 तक (तीन तिमाही) एनएचबी का बकाया ऋण तथा अग्रिम 67,543 करोड़ रुपए रहा।

#### 8.4.2 वित्तपोषण

- 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 18,308 करोड़ रुपए राशि का संवितरण किया गया।

#### 8.4.3 प्रचार-प्रसार तथा विकास

- एनएचबी द्वारा इक्विटी सहभागिता के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 642.20 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया।
- अपने अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में एनएचबी ने "नये और वर्तमान हाऊसिंग में संपत्ति बीमा पर अध्ययन" में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में वर्तमान संपत्ति बीमा बाजार संरचना को कवर करते हुए और "आवासीय संपत्ति पर स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में बदलाव के प्रभाव और सभी के लिए किफायती आवास को संभव बनाने हेतु राजस्व निष्पक्ष मॉडल का सुझाव" संबंधी अध्ययन आरंभ किया है।
- दिनांक 31.03.2019 तक 214 प्राथमिक उधारदात्री संस्था (पीएलआई) द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस) के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है तथा पीएमएवाई-सीएलएसएस के अंतर्गत 206 पीएलआई द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में एनएचबी के साथ एमआईजी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- दिनांक 31.03.2019 तक एनएचबी द्वारा पीएमएवाई-सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए 3,85,467 परिवारों को 8,860.10 करोड़ रुपए तथा पीएमएवाई-सीएलएसएस के अंतर्गत एमआईजी के लिए 1,63,443 परिवारों को 3452.61 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता संवितरित की गई है।
- सभी मिशन के लिए आवास संबंधी ग्रामीण आवासीय ब्याज अनुदान योजना वर्टिकल को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एनएचबी की पहचान सीएनए के रूप में भी की गई है। 31.03.2019 तक एनएचबी ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 88 पीएलआई के साथ एमओयू को निष्पादित किया है।

#### 8.5 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 02 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सिडबी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई क्षेत्र) को बढ़ावा देने, वित्तपोषित करने तथा विकसित करने के तीन कार्यसूचियों को लागू करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था तथा इस प्रकार की गतिविधियों में लगी विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

### 8.5.1 सिडबी का कार्यनिष्पादन

एमएसएमई के संबंध में सिडबी का कुल बकाया ऋण (निवल प्रावधान) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 95,291 करोड़ रुपए था, इसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर 1,32,517 करोड़ रुपए हो गया, इस प्रकार, इसमें 39.06% की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्यतः पुनर्वित्त गतिविधियों से प्राप्त की गई। कुल लाभ, जो वित्तीय वर्ष 18 में 1429 करोड़ रुपए था, वित्तीय वर्ष 19 में बढ़कर 1952 करोड़ रुपए हो गया, इस प्रकार, इसमें 36.50% की वृद्धि दर्ज की गई। आने वाले वर्षों में, सिडबी अपने आप को संपोषणीय और लाभकारी संस्था के रूप में बनाए रखने के साथ-साथ अपने विकास की गति को बनाये रखना चाहता है।

### 8.5.2 वित्तीय अंतरों का समाधान

सिडबी का एमएसएमई वित्तपोषण कार्य दो मध्यवर्तियों के माध्यम से किया जाता है (i) वर्तमान ऋण अंतरों को पूरा करने के लिए प्रदर्शनीय उधार उत्पादों के माध्यम से प्रदर्शित प्रत्यक्ष उधार देना, जो आगे चलकर बैंकिंग ईको-सिस्टम द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्यक्ष उधार के अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्पाद एसएमआईएलई है, ऐसी योजना, जिसे भारत में परस्परानुबंधन के लिए तैयार किया गया है, जो सामान्य बाजार दरों के मुकाबले कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है तथा साथ ही लम्बी अवधि के लिए अर्ध-इक्विटी संघटक प्रदान करता है। (ii) बैंक, एनबीएफसी, एसएफबी और एमएफआई के माध्यम से अप्रत्यक्ष उधार दिया जाता है जो कई गुना प्रभाव डालता है और पहुंच को बढ़ाता है।

सिडबी अपने फंड-ऑफ-फंड के परिचालन के माध्यम से स्टार्ट अप के लिए जोखिम पूंजी की सहायता देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के एजेन्डे का समर्थन करता है। फंड-ऑफ-फंड के परिचालन के लिए कुल प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की है; सिडबी स्टार्ट-अप और जोखिम पूंजी निधि के मध्य सम्पर्क को सुलभ बनाने के लिए “निवेशक दिवस” का आयोजन करता है। यह “निवेशक दिवस” नियमित रूप से आयोजित किया जायेगा और निधियों और स्टार्ट-अप के मध्य नियमित सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रत्येक 3-4 माह में एक बार आयोजित किया जायेगा।

### 8.5.3 गैर-वित्त/संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक अंतरों को दूर करना

सिडबी विजन 2.0 अपनाकर संवर्धन और विकास (पीएंडडी) पहलों को समरूप बनाया गया और उन्हें विषयगत, समावेशी और प्रभाव उन्मुख बनाया गया। एमएसएमई के लिए पीएंडडी गतिविधियों, कार्पोरेट इमेज को उन्नत करना (सीआईई) और सीएसआर पहल में सिडबी ने अपने विभिन्न मध्यवर्तियों, जिनकी तीन श्रेणियां हैं जैसे एमएसएमई के लिए संवर्धन और विकास (पीएंडडी) गतिविधियां, स्टेकहोल्डरों के मध्य स्पष्टता लाने के लिए कार्पोरेट इमेज को उन्नत बनाना (सीआईई) और समाज के प्रति बैंक के संस्थागत उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग एक लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है।

बैंक की संवर्धनात्मक और विकासात्मक भूमिका वृहत और सूक्ष्म दोनों स्तर पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से निभाई जाती है। वृहत स्तर वाली पहल में कई संवर्धन कार्यक्रम हैं, जिन्हें पूरे भारत में आयोजित किया जाता है और सूक्ष्म स्तर वाली पहल का लक्ष्य उद्यमों की स्थापना करना और उनको बढ़ावा देना है, साथ ही इसमें उद्यमों को बढ़ावा देने (सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम/पोषक की भूमिका निभाना/ उद्यमिता विकास कार्यक्रम), उद्यमों के तकनीकी प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाना (कौशल और तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम/लघु उद्यम प्रबंधन सहायता कार्यक्रम), सलाहकार/हैंडहोल्डिंग सेवाएं (प्रमाणित ऋण परामर्शदाता), वित्तीय साक्षरता आदि शामिल हैं।

भारतीय जनमानस की उद्यमशीलता की भावना का अभिनन्दन करने के लिए सिडबी ने पसंदीदा व्यावसायिक विकल्प के रूप में “उद्यमशीलता” का चयन करने हेतु जनमानस को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अखिल भारतीय प्रिंट मीडिया अभियान स्वावलम्बन शुरू किया है।

संवर्धन और विकास की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए सिडबी ने उद्यमियों की पहचान करने, उन्हें पुरस्कृत करने और प्रेरित करने और नये उद्यमियों को तैयार करने में व्यवसाय में अग्रणी व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर “सिडबी ईटी इंडिया एमएसई अवार्ड” का पहला कार्यक्रम आयोजित किया है।

सुदृढ़ वित्तीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए, जिससे वित्तीय समावेशिता में वृद्धि हो, पांच अन्य पीएसबी सहित सिडबी ने सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु तकनीकी रूप से उन्नत ऑनलाइन लेंडिंग पोर्टल विकसित किया है। सिडबी ने उद्यमी-मित्र पोर्टल भी तैयार किया है, जो एमएसएमई ऋण के प्रार्थी के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु एक व्यापक डिजिटल मंच है। इस पोर्टल पर हैंडहोल्डिंग सेवाएं, विविध परियोजना प्रोफाइल, समृद्धि चैटबॉट उपलब्ध है और यह अन्य स्टेक होल्डरों के साथ समाभिरूपता को भी संभव बनाता है। इस पोर्टल पर 148 से भी अधिक उधारदाता और 25,000 से भी अधिक हैंडहोल्डिंग एजेन्सियां हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, ऋण के लिए इच्छुक कुल 2.96 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया और 60,347 ऑनलाइन ऋण आवेदन किए गए। 1,176 करोड़ रुपए की राशि के 5,943 ऋणों को स्वीकृत किया गया।

### 8.5.4 सरकारी योजनाओं के लिए नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी:

एमएसएमई क्षेत्र के डीएफआई होने के कारण यह भारत सरकार की एमएसएमई से संबंधित कुछेक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न राष्ट्रीय मिशन जैसे मेक इन इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया आदि को बैंक ने अपने उत्पादों और पहल के माध्यम से संबद्ध किया है।

## 9. बीमा क्षेत्र

### 9.1 संक्षिप्त विवरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियम के साथ ही बीमा क्षेत्र निजी सहभागिता के लिए खोला

गया था। वर्ष 2000 में इसे खोले जाने से लेकर अब तक बीमा उद्योग में सहभागियों की संख्या वर्ष 2000 में सात बीमाकर्ता (भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सार्वजनिक क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ता, एक विशेषीकृत बीमाकर्ता और भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम) से बढ़कर 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर सत्तर बीमाकर्ता हो गई है, जो (विशेषीकृत बीमाकर्ता नामतः निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ईसीजीसी और कृषि बीमा कंपनी एआईसी सहित) जीवन, गैर-जीवन और पुनर्बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

बीमा प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग की नीति और विधायी मामलों के साथ-साथ जीवन और साधारण बीमा दोनों क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) का भी प्रशासनिक प्रभाग है।

## 9.2 इस क्षेत्र में परिचालनरत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों निम्नानुसार है:

- क. भारतीय जीवन बीमा निगम
- ख. नैशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- ग. ओरिएन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- घ. युनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- ङ. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- च. भारतीय साधारण बीमा निगम - जीआईसी-रे (पुनर्बीमाकर्ता)
- छ. एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विशेषीकृत बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई कंपनी)
- ज. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड - विशेषीकृत बीमाकर्ता वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत (निर्यात ऋण गारंटी हेतु भारत सरकार का उद्यम)

## 9.3 बीमा क्षेत्र को अभिशासित करने वाला विधायी ढांचा

बीमा प्रभाग निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं:

- क. बीमा अधिनियम, 1938
- ख. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
- ग. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
- घ. बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
- ङ. बीमांकक अधिनियम, 2006
- च. प्रतिभूति और बीमा कानून (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2010

## 9.4 बीमा क्षेत्र में सुधार:

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी भागीदारी के लिए

खोला गया था। यह प्राधिकरण हैदराबाद, तेलंगाना स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। इरडा अधिनियम में उल्लेख किए गए धारा 14 के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस/पंजीकरण प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का विनियमन, और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना शामिल है।

बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों, सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों का पंजीकरण, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने/पंजीकरण के लिए विनियम जारी किए हैं। इरडाई ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण, ऋण चुकाने की क्षमता के अंतर का संभरण, निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए विनियामकीय ढांचा भी तैयार किया है।

## 9.5 बीमा उद्योग में नई संस्थाएं:

वर्ष 2000 में इस उद्योग के खोले जाने के समय से 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार इस उद्योग में वर्ष 2000 में भागीदारों की संख्या सात बीमाकर्ताओं से बढ़कर (भारतीय जीवन बीमा निगम, सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं, एक विशेषीकृत बीमाकर्ता तथा राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम सहित) जीवन, साधारण, स्वास्थ्य तथा पुनर्बीमाकर्ता खंडों में अब सत्तर बीमाकर्ता परिचालन कर रहे हैं, जिसमें 24 जीवन बीमाकर्ता, 25 साधारण बीमाकर्ता, 2 विशेषीकृत बीमाकर्ता और पूरी तरह स्वास्थ्य बीमा व्यापार करने वाले 7 स्वास्थ्य बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमा और लॉयड इंडिया सहित 12 पुनर्बीमाकर्ता हैं। 70 बीमाकर्ताओं में से सार्वजनिक क्षेत्र के 8 बीमाकर्ता और शेष 62 निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में दो विशेषीकृत बीमाकर्ता नामतः भारतीय निर्यात गारंटी कार्पोरेशन निगम लि. और एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., एक जीवन बीमाकर्ता नामतः भारतीय जीवन बीमा निगम, चार साधारण बीमाकर्ता और एक पुनर्बीमाकर्ता नामतः जीआईसी है। निजी क्षेत्र में विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं और लॉयड्स इंडिया सहित तेईस जीवन बीमाकर्ता हैं, 21 साधारण बीमाकर्ता, सात स्टैण्डएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और 11 पुनर्बीमाकर्ता हैं।

## 9.6 उद्योग संबंधी आंकड़े:

### बीमा की पहुंच और बीमा की सघनता:

भारत में बीमा क्षेत्र में सुधार के बाद, पिछले दशक में बीमा की पहुंच और बीमा की सघनता बढ़ी है। स्विस् रे द्वारा प्रकाशित अद्यतन आंकड़ों की स्थिति के अनुसार, बीमा की पहुंच (अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रीमियम की मात्रा), जो वर्ष 2001 में जीडीपी की 2.71% थी वर्ष 2017 में बढ़कर 3.69% हो गई है। बीमा सघनता की गणना जनसंख्या पर प्रीमियम (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के अनुपात के रूप में की जाती है जो वर्ष 2001 में 11.5 यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 73.0 यूएस डॉलर हो गई है।

जीवन बीमा व्यवसाय में भारत की श्रेणी वैश्विक जीवन बीमा बाजार के 88 देशों में 10वीं है जिसके आंकड़े स्विस् रे द्वारा प्रकाशित किए गए थे। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का शेयर वर्ष 2017 के दौरान 2.76% था जबकि वर्ष 2016 में यह 2.36% था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 के दौरान, भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 8% बढ़ा (मुद्रास्फीति को समायोजित करके) जबकि वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम 0.5% बढ़ा। इस अवधि के दौरान, वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का शेयर 1.11% था और वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजार में 88 देशों के मध्य भारत का स्थान 15वां रहा।

### जीवन बीमा उद्योग

जीवन बीमा उद्योग ने 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार 3,13,467.52 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 3,35,947.34 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय दर्ज की थी, जिसकी वृद्धि 7.17 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने उनकी प्रीमियम आय में 22.63 प्रतिशत की वृद्धि (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 17.77 प्रतिशत की वृद्धि) दर्ज की थी। दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार एलआईसी का बाजार शेयर (कुल प्रीमियम के आधार पर) 67.39% रहा है।

### साधारण बीमा उद्योग

साधारण बीमा उद्योग ने दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार 1,10,535 करोड़ रुपए के मुकाबले दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 1,24,673 करोड़ रुपए की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी की जो 12.79% (पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 18.88 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की है। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने (विशेषीकृत बीमाकर्ताओं सहित) दिनांक 31.12.2017 को समाप्त तिमाही की 13.47 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 0.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंड एलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार 25.48 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 26.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (ईसीजीसी और एआईसीएल सहित) का मार्केट शेयर 46.51 प्रतिशत है।

### 9.7 बीमा क्षेत्र का निवेश

इरडाई के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार बीमा क्षेत्र द्वारा धारित संचित कुल निवेश 37,40,617 करोड़ रु. थे। जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा बीमा उद्योग द्वारा धारित कुल निवेशों के लगभग 92 प्रतिशत के मुख्य शेयर का अंशदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, निवेशों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता कुल निवेशों में 77 प्रतिशत का प्रमुख अंशदान कर रहे हैं।

### 9.8 नई पहल

- विदेशी भागीदारी में वृद्धि: बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के पश्चात् बीमा क्षेत्र में 30,665 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त किया गया है (31.3.2019 की स्थिति के अनुसार)।
- भारत में पुनर्बीमा कारोबार को प्रोत्साहित करना: बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति देता है और लॉयड तथा उसके सदस्यों को भारत में परिचालन करने के लिए पुनर्बीमा कारोबार के उद्देश्य के लिए शाखाएं खोलने के माध्यम से या 49 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर किसी भारतीय बीमा कंपनी में निवेशक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है। तदनुसार, भारत में अपनी शाखा कार्यालयों को खोलने के लिए ग्यारह विदेशी बीमाकर्ताओं (लॉयड सहित) को लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- लोक शिकायत निवारण: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लोक शिकायत निवारण नियमावली, 1998 के अधिक्रमण में केंद्र सरकार ने दिनांक 27.04.2017 को बीमा लोकपाल नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का उद्देश्य व्यक्तिगत बीमा समूह बीमा पॉलिसियों, बीमा कंपनियों की तथा उनके एजेंटों एवं मध्यवर्तियों की ओर से एकल स्वामित्व वाली कंपनियों तथा सूक्ष्म उद्यमों को जारी पॉलिसियों की सामान्य प्रकार की सभी शिकायतों का लागत प्रभावी तथा निष्पक्ष तरीके से निपटान करना है।
- सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करना: पारदर्शिता एवं जबाबदेही के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शेयर बाजार पर सरकार के स्वामित्व वाली 5 साधारण बीमा कंपनियों नामतः दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि., युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि., ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लि., नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. तथा भारतीय साधारण बीमा निगम को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है। इन पांच साधारण बीमा कंपनियों में से भारतीय साधारण बीमा निगम तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर लिया गया है।
- सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का समामेलन: वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि., युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. तथा ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लि. को एक बीमा संस्था में समामेलित किया जाएगा। (पैरा 124) ऐसा समामेलन दिवालिया अपेक्षाओं, हामीदारी हानियों को बट्टे खाते डालने तथा साधारण बीमा कारोबार की पूंजी - प्रधान प्रकृति देखते हुए बड़ा आकार एवं दक्षता प्राप्त करने के लिए सहायक होगा।

## 10. पेंशन क्षेत्र

### 10.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

लागत प्रभावी आधार पर पर्याप्त सेवानिवृत्ति आमदनी उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकार के सभी नवनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों (सशस्त्र बल के अलावा) के लिए अनिवार्य बनाया गया है और इसे 01 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर खोल दिया गया है। एनपीएस की संरचना अभिदाताओं के हित को अधिक महत्व देते हुए की गई है। स्व-धारणीयता, व्यापकता, अधिकतम पहुँच तथा ठोस विनियम पर आधारित कम लागत पर प्रभावी पेंशन प्रणाली एनपीएस के विन्यास की विशेषताएं हैं। एनपीएस दो प्रकार के खाते नामतः टियर I और टियर II उपलब्ध कराती है। टियर I खाता पेंशन खाता है। टियर II खाता स्वैच्छिक आहरण योग्य खाता है, जिसकी अनुमति केवल तब दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर चालू टियर I खाता हो। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी वेतन तथा महंगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से अंशदान करता है और वेतन तथा डीए का 14 प्रतिशत सरकार की ओर से कर्मचारी के टियर I खाते में अंशदान किया जाता है।

#### वर्ष 2018-19 की पहल

- सरकार के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करना।
- सरकारी कर्मचारियों को निवेश स्वरूप तथा पेंशन निधि का विकल्प देना।
- वर्ष 2004-2012 के दौरान एनपीएस में देशी से अंशदान/भुगतान न करने के लिए क्षतिपूर्ति।

एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:-

- एनपीएस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के द्वारा नियुक्त मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे पेंशन निधियां, संरक्षक, केंद्रीय अभिलेखापाल एजेंसी (सीआरए) नेशनल पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, उपस्थिति का बिंदु तथा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं सहित सुस्पष्ट ढांचे के माध्यम से प्रबंधन की जा रही सुसंरचित पेंशन प्रणाली है। यह पीएफआरडीए जो वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने तथा एनपीएस अंशदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सांविधिक विनियामक निकाय है, के द्वारा विवेकपूर्ण रूप से विनियमित है।
- कम लागत और चक्रवृद्धि की शक्ति का दोहरा लाभ: कम लागत तथा पेंशन निधि जो सेवानिवृत्ति तक की समयावधि के दौरान संचित होती है, चक्रवृद्धि प्रभाव से बढ़ती है। एनपीएस के संस्थागत ढांचे की समग्र लागत विश्व में सबसे कम है।

iii

एनपीएस के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध कर लाभ:

क. टियर I: एनपीएस तथा विभिन्न सेवानिवृत्ति उत्पादों जैसे साधारण भविष्य निधि (जीपीएफ), अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के बीच कर संव्यवहार में समानता सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(12क) के अंतर्गत कुल संचित राशि के 40 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि के रूप में आहरित राशि के संबंध में कर छूट को बढ़ाकर खाता बंद करते समय कुल संचित शेष का 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे अब समस्त आहरण आयकर से मुक्त होगा। इससे पहले कुल संचित कापर्स का 40 प्रतिशत जिसका उपयोग वार्षिकी के क्रय हेतु किया जाता है, पहले से ही कर मुक्त था। सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस अभिदाता आहरित किए गए संचित कापर्स के 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत कर मुक्त था तथा शेष 20 प्रतिशत कर योग्य था।

ख. टियर II: एनपीएस के टियर I के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के अंशदान को अन्य योजनाओं जैसे जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ तथा पीपीएफ के समान आयकर के उद्देश्य हेतु 1.50 लाख रुपए तक की कटौती के लिए इसे अब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(ग) के अंतर्गत कवर किया जाएगा बशर्ते कि इसमें 3 वर्ष तक की लॉक-इन अवधि हो।

ग. एनपीएस अभिदाता के द्वारा एनपीएस में किए गए अंशदानों में से 25 प्रतिशत का अंतरिम/आंशिक आहरण कर मुक्त होगा।

घ. वार्षिकी की खरीद हेतु प्रयुक्त राशि: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत तथा विनियमित और पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी खरीदने के लिए संचित राशि के कम से कम 40 प्रतिशत का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। वार्षिकी की खरीद के लिए प्रयोग की जा रही राशि पर कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, वार्षिकी की खरीद के लिए प्रयुक्त राशि पर जीएसटी पर भी छूट है।

iv.

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन निधियों तथा निवेश के प्रकार के चयन हेतु विकल्प में स्वतंत्रता निम्नानुसार है:

क. पेंशन निधि का चयन: निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की तरह सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र की पेंशन निधियों सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन की अनुमति होती है। वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र की पेंशन निधियों के संयोजन के संबंध में वर्तमान में प्रचलित उपबंध मौजूद तथा नए सरकारी अभिदाताओं के लिए एक स्वतः विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा।



ख. निवेश प्रकार का विकल्प: सरकारी कर्मचारियों को निवेश विकल्पों के रूप में निम्नलिखित विकल्प दिये जाते हैं:-

- सरकारी कर्मचारियों, जो कम जोखिम के साथ निर्धारित रिटर्न का चयन करते हैं, उनके पास सरकारी प्रतिभूतियों में निधियों का 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प है (योजना जी)।
- उच्च रिटर्न का चयन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित दो जीवनचक्र आधारित योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा:

- संतुलित जीवन चक्र निधि जिसमें 35 वर्ष की आयु तक इक्विटी को अधिकतम एक्सपोजर की उच्चतम सीमा 25 प्रतिशत पर सीमित की गई है और उसके पश्चात् इसे घटाया जाता है (एलसी-25)।
- साधारण जीवन चक्र निधि जिसमें 35 वर्ष की आयु तक इक्विटी को अधिकतम एक्सपोजर की उच्चतम सीमा 50 प्रतिशत पर सीमित की गई है और उसके पश्चात् इसे घटाया जाता है (एलसी-50)।

सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा योजना, जिसमें पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसरण में विगत में किए गए अपने कार्यनिष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र की तीन संस्थाओं के निधि प्रबंधकों के बीच पीएफआरडीए के द्वारा निधि का आबंटन किया जाता है, मौजूदा तथा नए अभिदाताओं के लिए स्वतः विकल्प के रूप में आगे भी उपलब्ध होगा।

v. **आंशिक आहरण** - अभिदाता एनपीएस के अंतर्गत अपनी अंशदान की पूर्वावधि के दौरान अधिकतम 3 बार एनपीए टियर I को समाप्त करने से पहले कतिपय निर्धारित आवश्यकताओं, जैसे बच्चों की शादी, मकान खरीदने, मेडिकल उपचार आदि के लिए कभी भी अपने अंशदान के 25 प्रतिशत तक का आहरण कर सकते हैं। 10 अगस्त, 2017 से अभिदाता के अनिवार्य टियर I खाते से आंशिक आहरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनपीएस के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम समयावधि को 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। 10 अगस्त, 2017 से दो आंशिक आहरण के बीच की 5 वर्ष की न्यूनतम समयावधि को भी हटा दिया गया है।

vi. **ई-एनपीएस** - पीएफआरडीए ने दिनांक 7.12.2015 को ई-एनपीएस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे एनपीए के नए अभिदाता, जो पहले से बैंक का ग्राहक हो, का स्थाई खाता संख्या पैन तथा बचत बैंक खाते को एनपीए के अंतर्गत खाते खोलने के लिए पीओपी के रूप में कार्यरत बैंकों की सक्रिय भागीदारी के साथ केवाईसी के

रूप में स्वीकार किया जाता है।

- पैन तथा चयन किए गए बैंक के नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन खाता खोलना - इस मामले में बैंक के द्वारा केवाईसी का सत्यापन किया जाता है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के द्वारा जारी आधार संख्या का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन खाता खोलना - इस मामले में अभिदाता के पंजीकृत मोबाइल पर यूआईडीएआई से प्राप्त एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से अधिप्रमाणन किया जाता है।

vii. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एनपीएस की स्थिति निम्नानुसार है:-

| क्षेत्र           | अभिदाताओं की सं. (लाख में) | प्रबंधनाधीन आस्तियां (करोड़ रु. में) |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| केंद्र सरकार      | 19.85                      | 1,09,009.55                          |
| राज्य सरकार       | 43.21                      | 1,58,491.37                          |
| कार्पोरेट         | 8.03                       | 30,874.79                            |
| समस्त नागरिक मॉडल | 9.30                       | 9,568.50                             |
| एनपीएस लाइट       | 43.63                      | 3,409.23                             |
| <b>कुल</b>        | <b>124.02</b>              | <b>3,11,353.44</b>                   |

## 10.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) का कार्यान्वयन करने के लिए एक समर्पित कक्ष है। यह कक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध आवेदनों पर कार्रवाई करता है और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अंतर्गत कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार पीएफआरडीए ने एक अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी (एए) के रूप में पदनामित किया है, जिससे सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी-14/ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 को निर्धारित शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन के माध्यम से आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांग सकता है और/या [www.pfrda.org.in](http://www.pfrda.org.in) पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आरटीआई दर्ज कर सकता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान 31 मार्च, 2019 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अंशदान, एनपीएस, एपीवाई योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलना, अंतरण, आहरण, खाते को बंद करने के संबंध में 686 आटीआई आवेदन तथा 59 प्रथम अपील प्राप्त हुईं। सभी आवेदनों तथा अपीलों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय के अंदर उत्तर दिया गया है/निपटान किया गया है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपनी वेबसाइट पर कतिपय स्व-प्रेरणा से प्रकटीकरण करने का दायित्व देती है। पीएफआरडीए ने अपनी वेबसाइट पर भी ऐसा स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण किया है। इस प्रकटीकरण का उद्देश्य पीएफआरडीए के कार्य तथा काम-काज में पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाना है। इस संबंध में पीएफआरडीए की वेबसाइट पर पीएफआरडीए तथा इसके अधिकारियों के कार्यों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों की सूचना प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम, पीएफआरडीए द्वारा जारी परिपत्र तथा नियमावली भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

### 10.3 विकलांग/दिव्यांग तथा अ.जा./अ.ज.जा. और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए की गयी पहल

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण पर सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए पीएफआरडीए में एक कक्ष का गठन किया गया है। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए महाप्रबंधक श्रेणी के अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, पीएफआरडीए में ओबीसी के कल्याण हेतु अलग कक्ष का भी गठन किया गया है। ओबीसी के लिए उप महाप्रबंधक श्रेणी के अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

### 10.4 लिंग आधारित बजटीय प्रावधान तथा महिला सशक्तीकरण से संबंधित पहल

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने हेतु शिकायत प्राप्त करने, पूछताछ करने आदि के लिए एक समिति का गठन किया गया है और तिमाही आधार पर इन कार्यों को पूरा किया जाता है।

## 11. विधायी

### 11.1 परक्राम्य लिखत संशोधन अधिनियम, 1881

चेक अस्वीकार करने के मामलों के अंतिम समाधान में होने वाले अनुचित विलंब के मामले का निपटान करने के उद्देश्य से परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (वर्ष 2018 का 20) का अधिनियमन किया गया है ताकि अस्वीकृत चेकों के आदाता को राहत प्रदान की जा सके और महत्वहीन और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके, जिससे समय एवं धन की बचत होगी। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यवस्था है, नामतः परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में नई धारा 143क को जोड़ना, जो धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करनेवाले न्यायालयों को चेक जारीकर्ता को यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा, जो चेक की राशि के 20% से अधिक न हो, का भुगतान करें। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियम में नई धारा 148 जोड़ना, जो अपीलीय न्यायालयों को शक्ति प्रदान करती है वह अपीलकर्ता को यह आदेश दे कि अपील के लंबित होने

पर भी ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णीत जुर्माना मुआवजा का कम से कम 20% जमा करें। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 1.9.2018 से लागू हो गया है।

### 11.2 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019

दिनांक 21.2.2019 को अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को प्रख्यापित किया गया है। यह अध्यादेश वित्त संबंधी स्थाई समिति (एससीएफ) के द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात् लोक सभा द्वारा पारित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 पर आधारित है। इस अध्यादेश के प्रावधान दिनांक 21.2.2019 से लागू हो चुके हैं। इस अध्यादेश में (क) अविनियमित जमा स्वीकार करने के कार्य को पूर्णतः रोकने; (ख) अविनियमित जमा स्वीकारने संबंधी योजना को बढ़ावा देने या परिचालन करने के लिए निवारक दण्ड; (ग) जमाकर्ताओं को वापसी अदायगी में इरादतन चूक के लिए ठोस दण्ड; (घ) जमा स्वीकार करने वाली संस्था के द्वारा चूक की स्थिति में जमाराशियों की वापसी अदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति; (ड.) चूक करने वाली संस्था की आस्तियों की कुर्की करने का अधिकार सहित सक्षम प्राधिकारी का अधिकार एवं कार्य; (च) जमाराशि की वापसी अदायगी की देखरेख करने तथा अपराधों की जांच करने के लिए न्यायालयों को नामित करना; और (छ) अध्यादेश में केंद्र सरकार का सूची को बढ़ाने या कम करने के अधिकार संबंधी खंड के साथ विनियमित जमा योजनाओं को सूचीबद्ध करने के माध्यम से देश में अवैध जमा स्वीकृति कार्रवाईयों को रोकने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत उपबंध शामिल हैं।

### 11.3 चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

एक ओर चिट फंड उद्योग के विनियामकीय या अनुपालन भार को कम करने और साथ में दूसरी ओर अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत परामर्श करने के पश्चात् संसद में चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को प्रस्तुत किया गया था। वित्त संबंधी स्थाई समिति (एससीएफ) के द्वारा पहले इसकी जांच की गई है और इसके संबंध में एससीएफ ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है।

## 12. विविध

### 12.1 ऋण वसूली अधिकरण

(क) डीआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 01.04.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि के दौरान 39 डीआरटी के द्वारा कुल 36,623 मामलों (मूल आवेदनों) का निपटान किया गया है, जिसमें लगभग 1,72,400 करोड़ रुपये अंतर्निहित थे।

(ख) ई-डीआरटी परियोजना - वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के लिए देशभर में सभी ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी) तथा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में ई-डीआरटी परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान

केन्द्र सेवाएं संस्थान (एनआईसीएसआई) के माध्यम से किया जा रहा है। देश के सभी डीआरटी एवं डीआरएटी में कार्यप्रवाह स्वचलन (वर्कफ्लो ओटोमेशन) के साथ मामला सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इससे डीआरटी में पारदर्शिता आएगी और दक्षता में वृद्धि होगी।

- (ग) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण (डीआरएटी) में कार्यरत कर्मचारियों के एकीकृत संवर्ग हेतु भर्ती नियमों को दिनांक 08.06.2018 के ई-राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।
- (घ) बैंक की वेबसाइट पर बिक्रीयोग्य संपत्ति का पूरा विवरण देने पर बल दते हुए विज्ञापन फार्मेटों में एकरूपता लाने तथा व्यय को कम करने के लिए चल तथा अचल प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी के लिए दिनांक 17.10.2018 को सरफासी अधिनियम के अंतर्गत विंडो सेल नोटिस अधिसूचित किया गया है।

## 12.2 अजा, अ.ज.जा, अ.पि.व एवं दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों/ इरडाई/पीएफआरडीए/आरबीआई में एससी/एसटी/ओबीसी एवं दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दिया गया है।

## 12.3 लोक शिकायतों का निपटान

बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित जन शिकायतों का समय पर समाधान करने हेतु वित्तीय क्षेत्र के इस अति महत्वपूर्ण वर्ग में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का उन्नयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने लोगों की शिकायतों को निपटाने के लिए सीपीजीआरएमएस (केंद्रीय लोक शिकायत एवं निगरानी प्रणाली), (एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली) की स्थापना की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्तिगत शिकायतों का 60 दिन की समयावधि के अंदर समाधान किया जाता है तथा प्रार्थी को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाता है, पीएसबी तथा बीमा कंपनियों को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

- (i) दिनांक 08.02.2017 के अ.शा.सं.10.1/2016-बीओ.III के माध्यम से सभी पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि शिकायतकर्ता को उत्तर भेजते हुए आवेदन में अपूर्ण विवरण से संबंधित सूचना दी जाती है और उत्तर की प्रति को सीपीजीआरएमएस पर अपलोड किया जाता है।
- (ii) डीएआरपीजी के निर्देशों के अनुसार दिनांक 09.03.2017 के अ.शा.सं. 10/1/2016-बीओ.III के माध्यम से सभी पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए कि लोक शिकायतों का उनके आरंभ की तारीख से 1-2 माह के भीतर समाधान किया जाना अपेक्षित है।

- (iii) डीएएस की वेबसाइट पर सभी पीएसबी के शिकायत निवारण तंत्र तथा नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण को अद्यतन किया गया है।

- (iv) सभी पीएसबी/आईआरडीए/पीएफआरडीए/आरबीआई/पीएसआईसी से दिनांक 08.09.2017 के अ.शा.सं.11/3/2015-बीओ.III के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि वे डीपीजी द्वारा भेजी गई सहित उन सभी लंबित शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाना और अपने शिकायत समाधान तंत्र को सुदृढ़ करने एवं उच्च स्तर पर नियमित निगरानी एवं पुनरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सेवाएं विभाग में बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत बड़ी मात्रा में ऑन-लाइन एवं डाक दोनों के माध्यम से सीधे प्राप्त होती हैं। 60 दिन की अधिकतम समय-सीमा के भीतर ही शिकायतों का निपटान करने के लिए डाक से प्राप्त शिकायतों को भी डिजिटाइज किया जाता है ताकि इसे नामित, नोडल अधिकारी अर्थात् संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसबी/पीएससी) के उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (डीजीएम/जीएम) को अग्रेषित किया जा सके। शिकायत निपटान की वर्तमान दो महीने की अवधि को घटाकर एक महीने करने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत सभी संगठनों ने प्रयास किए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं के द्वारा इन आदेशों का अनुपालन किया जाता है। सिस्टम में कृत कार्रवाई की रिपोर्ट अपलोड की जाती है और उत्तर की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फाइल) के रूप में शिकायतकर्ता को प्रदान की जाती है जिसे वह ऑन-लाइन देख सकता है। उन शिकायतकर्ताओं को डाक के माध्यम से भी उत्तर दिया जाता है जिन्होंने डाक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से शिकायतें दर्ज की हैं।

बैंकों एवं बीमा कंपनियों में शिकायत निवारण तंत्र लागू है और ग्राहकों के सूचनार्थ एवं प्रयोगार्थ उनकी संबंधित वेबसाइट पर भी है। शिकायत निपटान का प्रथम स्तर बैंकों एवं बीमा कंपनियों में शाखा प्रबंधक है जिसके पश्चात् प्रधान कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा) आते हैं। निजी बैंकों तथा निजी बीमा कंपनियों से संबंधित शिकायत क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के माध्यम से निपटायी जाती हैं। शिकायतों के निपटान के लिए पीएसबी ने भी लोकपाल की स्थापना की है। शिकायतों की पुनरीक्षा एवं अंतिम निपटान करने हेतु निपटान न हुई शिकायतों को सीएमडी/सीईओ की अध्यक्षता वाले बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

शिकायतों की नियमित निगरानी की जाती है और इसके पश्चात् बैंकों तथा बीमा कंपनियों के नोडल लोक शिकायत अधिकारियों एवं इस विभाग के संबंधित अनुभाग में ई-मेल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत देश भर में 20 बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की है और

डिजिटल लेन-देनों के लिए 21 लोकपालों की स्थापना भी की है। इसी प्रकार इरडाई के द्वारा 17 बीमा लोकपालों की स्थापना की गई है। यदि संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किए गए निपटान से प्रार्थी असंतुष्ट है तो मध्यस्थता एवं निर्णय देने के माध्यम से उनकी शिकायतों के निपटान के लिए 30 दिन की समयावधि के भीतर

बैंकिंग लोकपाल के पास वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सीपीजीआरएमएस डाटाबेस के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 की समय-सीमा के दौरान बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, निपटान एवं लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्षेत्र | सामने<br>लाए गए | प्राप्त | निपटाए<br>गए | 31.12.2018 की<br>स्थिति के अनुसार<br>लंबित | 31.12.2018 की<br>स्थिति के अनुसार<br>निपटान % | 60 दिन से<br>कम पुराने | 60 दिन से<br>अधिक पुराने |
|---------|-----------------|---------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| बैंक    | 5707            | 101388  | 98819        | 8276                                       | 92.27%                                        | 6835                   | 1441                     |
| बीमा    | 549             | 11350   | 11188        | 711                                        | 94.02%                                        | 666                    | 45                       |
| योग     | 6256            | 112738  | 110007       | 8987                                       | 92.45%                                        | 7501                   | 1486                     |

सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018 तक की समयावधि हेतु लोक शिकायतों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

| योजना का नाम                        | कुल शिकायतें | निपटाई गई शिकायतें | लंबित शिकायतें | निपटान का % |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|
| अटल पेंशन योजना                     | 256          | 242                | 14             | 94.53       |
| प्रधानमंत्री जन-धन योजना            | 323          | 283                | 40             | 87.62       |
| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना           | 4822         | 4500               | 322            | 93.22       |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना     | 442          | 411                | 31             | 92.99       |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | 411          | 384                | 27             | 93.43       |

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान पीएमओ से प्राप्त लोक शिकायतों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

| क्षेत्र का नाम | कुल शिकायतें | निपटाई गई शिकायतें | लंबित शिकायतें | निपटान का % |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|
| बैंक           | 51519        | 46294              | 5225           | 89.86       |
| बीमा           | 5537         | 5242               | 295            | 94.67       |

## 12.4 सतर्कता

### 12.4.1 सतर्कता अनुभाग के अंतर्गत संगठन

#### (क) विशेष न्यायालय

दिनांक 06.06.1992 से विशेष कोर्ट (प्रतिभूति लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 प्रभाव में आया। इस अधिनियम की आवश्यकता अप्रत्याशित स्थिति के कारण पड़ी जिसमें बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धनराशि का गबन होकर वह निजी लोगों को पहुँच जाती है। विधायिका ने इस अधिनियम के माध्यम से (क) अपराधों की त्वरित सुनवाई (ख) घोटाले में शामिल होने की आशंका वाले सभी लोगों की संपत्तियों को तत्काल कुर्की एवं रोक लगाने और (ग) संपत्ति को उचित एवं न्यायसंगत रूप से वितरित करने के लिए विशेष न्यायालय के गठन करने की मांग की।

विशेष न्यायालय के लिए न्यायधीशों के चार पद स्वीकृत किए गए हैं। उनके दैनिक कामकाज में सहायता करने के लिए, विशेष न्यायालय का कार्यालय विभिन्न स्तरों पर 49 अधिकारियों के समूह के साथ कार्य करता है। वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय आईएफए के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर इसका नवीनीकरण

करता है। पिछले पांच वर्ष में दर्ज किए गए, निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | दायर किए गए | निपटाए गए |
|------|-------------|-----------|
| 2014 | 149         | 217       |
| 2015 | 165         | 167       |
| 2016 | 141         | 140       |
| 2017 | 88          | 140       |
| 2018 | 115         | 112       |

इसके अतिरिक्त, विशेष न्यायालय ने यह बताया है कि दिनांक 31.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की कुल संख्या 132 थी जिनमें से सुनवाई के लिए -11 और विशेष मामले (अपराधिक) -02 शामिल थे।

#### (ख) अभिरक्षक (कस्टोडियन) का कार्यालय

विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस) अधिनियम, 1992 के तहत कर्तव्य का निर्वहन करने में अभिरक्षक की सहायता करने के लिए वर्तमान में तीन कार्यालय हैं, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय मुख्यालय के रूप में है, मुंबई स्थित कार्यालय मुख्य रूप से दैनिक

अधार पर न्यायालय के मामले को देखने के लिए और तीसरा बेंगलोर में मुख्य रूप से फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एफएफएसएल) एवं फेयर ग्रोथ इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एफजीआईएल) से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अभिरक्षक के कार्यालय में 29 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें संरक्षक और दो निदेशक के पद शामिल हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर इनका नवीनीकरण किया जाता है।

शुरूआत से कुल 13,299 मामले विशेष न्यायालय में दायर किए गए थे, जिनमें अभिरक्षक द्वारा प्रतिवाद/बहस की गई तथा 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार शेष 132 मामलों को छोड़ते हुए विशेष न्यायालय द्वारा 13,167 मामलों को निपटाया गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कुल 491 अपील दायर की गई, जिनमें से 456 मामलों का निपटान कर दिया गया है, इनमें से 35 मामले लंबित हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित दलों की बकाया देनदारी कुल 39,491 करोड़ रूपए हैं, जिनमें से केवल 3,791 करोड़ रूपए की आस्तियां हैं। 31 मार्च, 2019 तक अभिरक्षक द्वारा 9,191 करोड़ रूपया वसूल किया गया है, जिसमें से 6,339 करोड़ रूपए आयकर विभाग, बैंक आदि को संवितरित किये गये हैं और 712 करोड़ रूपए नकदी के रूप में उपलब्ध हैं, शेष मुख्य रूप से शेयरों एवं संपत्तियों में है।

कुल 23.25 करोड़ कुर्क शेयरों में से 16.44 करोड़ शेयरों को बेच दिया गया है और 3338.19 करोड़ रूपए की राशि वसूल की गयी है। 1885 करोड़ रूपए के वर्तमान मूल्य के 6.81 करोड़ शेयरों में से 5.28 करोड़ कारोबार शेयर हैं और 1.53 करोड़ के गैर-कारोबारी शेयर हैं। अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित पक्षकारों की कुल 185 अचल संपत्ति कुर्क की गई हैं, जिनमें से 149 को बेच दिया गया, जिनसे

173 करोड़ रूपए की राशि वसूल की गई। सीमा शुल्क विभाग/एसबीआई के माध्यम से आभूषणों की बिक्री द्वारा 6.49 करोड़ रूपए वसूल किए गए हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित पक्षकारों कुर्क खातों और मियादी जमा में नकद शेष 712 करोड़ रूपए हैं

#### 12.4.2 कार्यनिष्पादन

- क. इस विभाग का सर्तकता प्रभाग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति, अनुशासनिक/सर्तकता मामलों आदि के लंबित होने की निगरानी करता है और पीएसबी/पीएसआईसी/एफआई के मुख्य सर्तकता अधिकारियों के साथ समुचित अंतराल पर होने वाली बैठक में इसे उठाता है।
- ख. दिनांक 01.01.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि के दौरान पीएसबी/पीएसआईसी/ एफआई में कुल 13 सीवीओ की नियुक्ति की गयी है।
- ग. इन संगठनों में प्रतिरोधक सर्तकता को सुदृढ़ करने के लिए जब कभी प्रणाली में कोई कमी पायी जाती है तो समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

दिनांक 29.10.2018 से 3.11.2018 तक सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सचिव (वित्तीय सेवाएं) द्वारा विभाग के अधिकारियों को दिनांक 29.10.2018 को शपथ दिलाई गई थी।

#### 12.5 लेखापरीक्षा पैरा

वित्तीय सेवाएं विभाग के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणी का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग

| अनुबंध-I                                                                                                                                  |                                        |                                                                  |        |       |        |       |                                     |      |       |      |      |                                         |       |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
| दिनांक 31.12.2018 तक एससी, एसटी और ओबीसी का समूह-वार प्रतिनिधित्व                                                                         |                                        |                                                                  |        |       |        |       |                                     |      |       |      |      |                                         |       |       |      |      |
| (आकड़ों का स्रोत - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां/आरबीआई/पीएफआरडीए/आईआरडीए) |                                        |                                                                  |        |       |        |       |                                     |      |       |      |      |                                         |       |       |      |      |
| क्र. सं.                                                                                                                                  | समूह                                   | कर्मचारियों की संख्या<br>(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) |        |       |        |       | सीधी बर्ती के द्वारा की गई नियुक्ति |      |       |      |      | अन्य पद्धतियों के द्वारा की गई नियुक्ति |       |       |      |      |
|                                                                                                                                           |                                        | कुल                                                              | एससी   | एसटी  | ओबीसी  | कुल   | एससी                                | एसटी | ओबीसी | कुल  | एससी | एसटी                                    | ओबीसी | कुल   | एससी | एसटी |
|                                                                                                                                           |                                        | 3                                                                | 4      | 5     | 6      | 7     | 8                                   | 9    | 10    | 11   | 12   | 13                                      | 14    | 15    | 16   | 17   |
| 1                                                                                                                                         | 2                                      |                                                                  |        |       |        |       |                                     |      |       |      |      |                                         |       |       |      |      |
| 1                                                                                                                                         | समूह-क                                 | 461714                                                           | 83091  | 35846 | 87593  | 11299 | 1690                                | 795  | 3359  | 5754 | 741  | 328                                     | 650   | 25556 | 4552 | 1814 |
| 2                                                                                                                                         | समूह-ख                                 | 26930                                                            | 3957   | 1685  | 3827   | 5     | 0                                   | 1    | 1     | 0    | 0    | 0                                       | 0     | 14    | 1    | 1    |
| 3                                                                                                                                         | समूह-ग                                 | 384683                                                           | 70089  | 29344 | 79959  | 18697 | 3586                                | 1586 | 4795  | 1118 | 248  | 73                                      | 55    | 4909  | 1113 | 393  |
| 4                                                                                                                                         | समूह-घ<br>(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) | 115183                                                           | 33672  | 7949  | 24210  | 1767  | 345                                 | 132  | 580   | 231  | 102  | 13                                      | 30    | 795   | 195  | 121  |
| 5                                                                                                                                         | समूह-घ<br>(सफाई कर्मचारी)              | 37401                                                            | 17854  | 2807  | 8792   | 864   | 264                                 | 91   | 198   | 41   | 23   | 3                                       | 8     | 10    | 7    | 1    |
|                                                                                                                                           | कुल                                    | 1025911                                                          | 208663 | 77631 | 204381 | 32632 | 5885                                | 2605 | 8933  | 7144 | 1114 | 417                                     | 743   | 31284 | 5868 | 2330 |
|                                                                                                                                           |                                        |                                                                  |        |       |        |       |                                     |      |       |      |      |                                         |       |       |      | 4546 |

वित्तीय सेवाएं विभाग

| दिनांक 31.12.2018 तक दिव्यांगों का समूह-वार प्रतिनिधित्व<br>(आकड़ों का स्रोत - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां/आरबीआई/पीएफआरडीए/आईआरडीए) |                                        |                                                                  |      |      |       |   |      |      |     |    |     |                                                                                                                |      |    |     |     |      |      |    |    |     |                                      | अनुबंध-II |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|------|------|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|------|----|----|-----|--------------------------------------|-----------|------|
| क्र. सं.                                                                                                                                                                                              | समूह                                   | कर्मचारियों की संख्या<br>(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) |      |      |       |   |      |      |     |    |     | कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या |      |    |     |     |      |      |    |    |     |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        | आरक्षित शक्तियों की संख्या                                       |      |      |       |   |      |      |     |    |     | की गई नियुक्तियों की संख्या                                                                                    |      |    |     |     |      |      |    |    |     | पदोन्नतियों के द्वारा की गई नियुक्ति |           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                        | कुल                                                              | वीएच | एच   | एच    | ओ | आईडी | वीएच | एच  | एच | ओ   | आईडी                                                                                                           | वीएच | एच | एच  | ओ   | आईडी | वीएच | एच | एच | ओ   |                                      |           | आईडी |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                      | 3                                                                | 4    | 5    | 6     | 7 | 8    | 9    | 10  | 11 | 12  | 13                                                                                                             | 14   | 15 | 16  | 17  | 18   | 19   | 20 | 21 | 22  | 23                                   |           |      |
| 1                                                                                                                                                                                                     | समूह-क                                 | 461714                                                           | 1999 | 720  | 6273  | 0 | 244  | 173  | 190 | 24 | 211 | 56                                                                                                             | 186  | 3  | 20  | 210 | 29   | 0    | 79 | 24 | 231 | 0                                    |           |      |
| 2                                                                                                                                                                                                     | समूह-ख                                 | 26930                                                            | 3    | 0    | 41    | 0 | 1    | 0    | 1   | 0  | 0   | 0                                                                                                              | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0                                    |           |      |
| 3                                                                                                                                                                                                     | समूह-ग                                 | 384683                                                           | 2158 | 1188 | 5390  | 0 | 771  | 312  | 253 | 14 | 251 | 70                                                                                                             | 214  | 1  | 129 | 20  | 181  | 0    | 18 | 15 | 65  | 0                                    |           |      |
| 4                                                                                                                                                                                                     | समूह-घ<br>(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) | 115183                                                           | 176  | 224  | 1179  | 0 | 30   | 27   | 12  | 0  | 12  | 9                                                                                                              | 41   | 0  | 1   | 1   | 2    | 0    | 0  | 2  | 8   | 0                                    |           |      |
| 5                                                                                                                                                                                                     | समूह-घ<br>(सफाई कर्मचारी)              | 37401                                                            | 83   | 116  | 425   | 0 | 59   | 13   | 7   | 0  | 1   | 5                                                                                                              | 24   | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0                                    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                       | कुल                                    | 1025911                                                          | 4419 | 2248 | 13308 | 0 | 1105 | 525  | 463 | 38 | 475 | 140                                                                                                            | 465  | 4  | 150 | 231 | 212  | 0    | 97 | 41 | 304 | 0                                    |           |      |

नोट :

- वीएच का तात्पर्य दृष्टिबाधित व्यक्ति (दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति) से है
- एचएच का तात्पर्य श्रवणबाधित व्यक्ति (सुनने की अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति) से है
- ओएच का तात्पर्य शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (बलन-फिरने की अक्षमता अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेबल प्लासी) से प्रभावित व्यक्ति) से है
- आईडी का तात्पर्य बौद्धिक विकलांगता (मंद बुद्धि से प्रभावित) से है

वित्तीय सेवाएं विभाग  
वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संक्षिप्त ब्यौरा

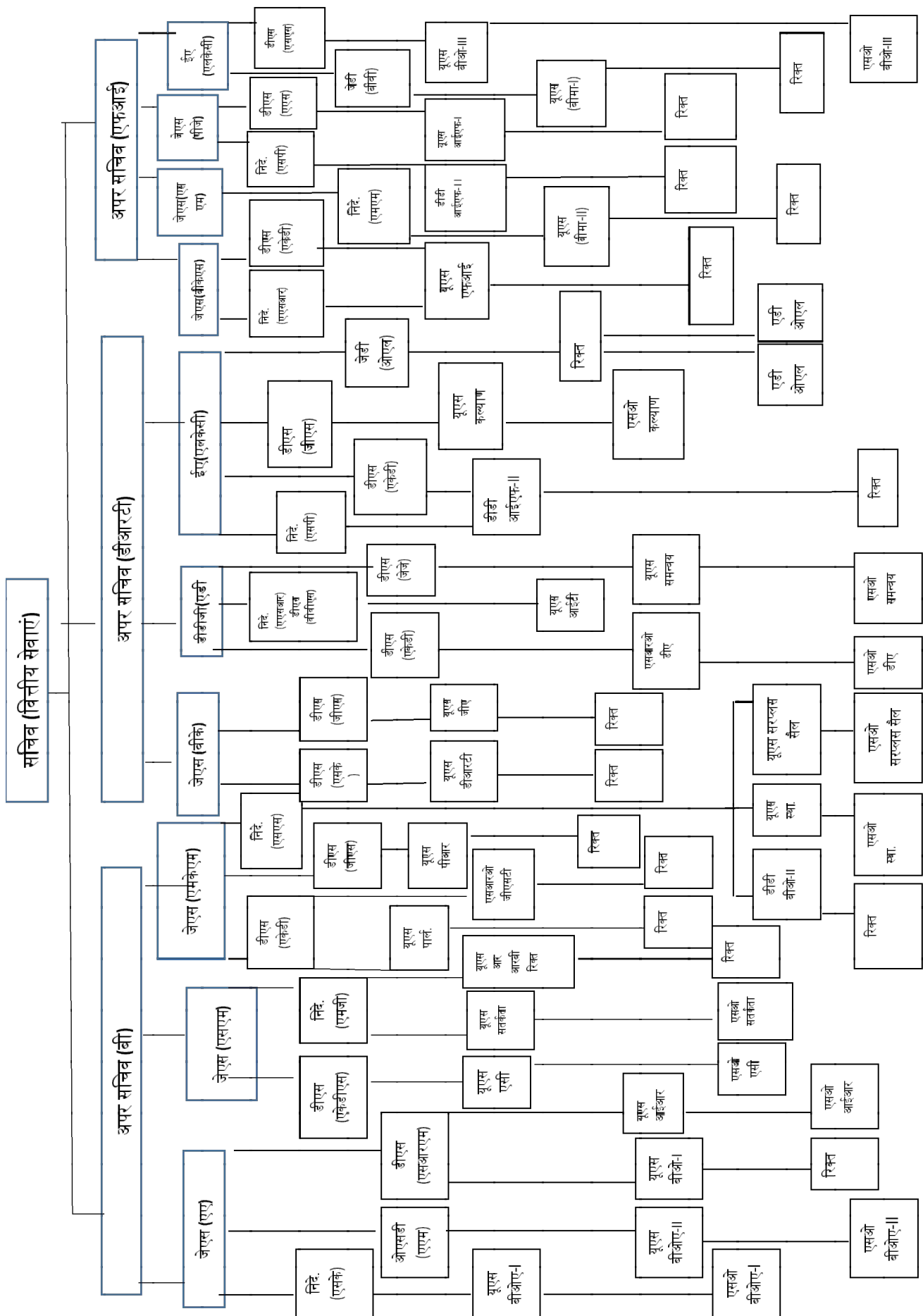
(दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | वर्ष    | पैरा संख्या/पीए रिपोर्ट जिन पर लेखापरीक्षक द्वारा जांच के पश्चात पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किए गए | पैरा/पीए रिपोर्ट का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित है                                                                                                                          |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                                                                 | वैसे एटीएनों की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है                                                                                              |
|         |         |                                                                                                 | वैसे एटीएनों की संख्या, जिन्हें प्रस्तुत किया गया, परंतु टिप्पणियों के साथ वापस किया गया तथा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत न किए जाने के कारण जिनके संबंध में लेखापरीक्षा लंबित है |
| 1.      | 2018-19 | -                                                                                               | शून्य                                                                                                                                                                              |

- संसद के पटल पर दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत 5 पैरा वर्ष 2018 की रिपोर्ट सं. 11 से संबंधित है (लेखापरीक्षा टिप्पणी का अनुपालन) और 11 पैरा वर्ष 2018 की रिपोर्ट सं. 18 से संबंधित है (लेखापरीक्षा टिप्पणी का अनुपालन)।
- संसद के पटल पर दिनांक 19.12.2018 को प्रस्तुत 7 पैरा 16वीं लोक सभा के पीएसी (2018-19) की 125वीं रिपोर्ट से संबंधित है।

| क्र.सं. | वर्ष    | पैरा संख्या/पीए रिपोर्ट जिन पर लेखापरीक्षक द्वारा जांच के पश्चात पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किए गए | पैरा/पीए रिपोर्ट का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित है                                                                                                                          |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                                                                 | वैसे एटीएनों की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है                                                                                              |
|         |         |                                                                                                 | वैसे एटीएनों की संख्या, जिन्हें प्रस्तुत किया गया, परंतु टिप्पणियों के साथ वापस किया गया तथा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत न किए जाने के कारण जिनके संबंध में लेखापरीक्षा लंबित है |
| 1.      | 2011-12 | 3                                                                                               | शून्य                                                                                                                                                                              |
| 2.      | 2013-14 | 5                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                  |
| 3.      | 2014-15 | 3                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                  |
| 4.      | 2015-16 | 7                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                  |
| 5.      | 2016-17 | 2                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                  |
| 6.      | 2017-18 | 2                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                  |





सार्वजनिक संपर्क हेतु

## वित्त मंत्रालय

### आर्थिक कार्य विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095120, 23092453

Website: [http://www.finmin.nic.in/the\\_ministry/dept\\_eco\\_affairs/index.asp](http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/index.asp)

### व्यय विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095661, 23095613

Website: [http://www.finmin.nic.in/the\\_ministry/dept\\_expenditure/index.asp](http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/index.asp)

### राजस्व विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23095384, 23095385

Website: [http://www.finmin.nic.in/the\\_ministry/dept\\_revenue/index.html](http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_revenue/index.html)

### निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक, 11 व 14, सी.जो.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003

दूरभाष संख्या : 24368528, 24368523, 24368044

Website: <http://www.dipam.gov.nic.in>

### वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष संख्या : 23748748, 23748734

Website: [http://www.finmin.nic.in/the\\_ministry/dept\\_fin\\_services/fin\\_services.asp](http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_fin_services/fin_services.asp)



